सुनन अबू दाऊद
3
1701-2476

سُنَن اَبُوداؤد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद
सुलैमान बिन अशअस़ सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज
हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

بِسْـــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

سُنن ابُوداوُد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अ़शअ़स़ सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

3

हदीस नं. 1701 से 2476 तक

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद, जिल्द-3**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़शअ़स् सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नशरो इशाअ़त, जोधपुर**
तस्हीह व नज़्रेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल वाजिद, 99506-96917**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**588 पेज**
प्रकाशन	:	**रमजान 1440 हिजरी, इस्वी सन् मई, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

Sherkhan
9825 696 131

كتاب اللقطة

गिरी पड़ी गुमशुदा चीज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

तारीफ़ : (लुक़तह) (लाम के पेश और क़ाफ़ पर फ़तहा (ज़बर) या सुकून के साथ) 'हर मोहतरम और क़ाबिले हिफ़ाज़त माल जो किसी ऐसी जगह पड़ा हूआ मिले जहां उसका मालिक मालूम न हो और छोड़ देने पर उसके ज़ाया हो जाने का अन्देशा हो, लूक़तह कहलाता है।' अगर ये हैवान की जिन्स से हो तो इसे (ज़ाल्लह) से ताबीर करते हैं।

हुक्म : ऐसा माल बतौर अमानत अपनी तहवील में ले लेना मुस्तहब है जबकि कुछ फ़क़ीह वाजिब कहते हैं। लेकिन अगर ज़ाया हो जाने का अन्देशा ग़ालिब हो, तो उसे तहवील में लेना वाजिब है। अगर उसका बहिफ़ाज़त रखना मुमकिन हो तो हिफ़ाज़त से रख कर ऐलान करे अगर वह चीज़ बच न सकती हो तो ख़र्च कर ले और मालिक के मिलने पर उसकी क़ीमत अदा कर दे। आगे हदीस़ नम्बर 1711 और 1713 में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बे मालिक मिलने वाली बकरी को रेवड़ में शामिल करने का हुक्म दिया क्योंकि जिसे मिली थी उसका रेवड़ था और हदीस़ नम्बर 1712 में है कि आपने फ़रमाया: 'वह तुम्हारी है।' स़हीह बुख़ारी की रिवायत में है: 'उसे ले लो वह तुम्हारी है या तुम्हारे किसी भाई की या फिर भेड़िये की।' आपने भेड़िये और उस आदमी को जिसे मिली थी, दोनों की एक जैसी हालत की तरफ़ इशारा फ़रमाया। इससे मालूम होता है कि उस आदमी का रेवड़ न था इसलिए उससे फ़रमाया: ले लो। ऐसी चीज़ें जो जल्द ख़राब हो जाती हैं, उनका खा लेना जायज़ है और स़हीह तरीन क़ौल के मुताबिक़ उनकी वापसी की भी ज़रूरत नहीं। तफ़्स़ील के लिए देखिए: (फ़तहुलबारी) अगर किसी को अन्देशा हो कि उसके दिल में उसका मालिक बन बैठने की हिर्स़ व तमअ़ पैदा हो सकती है तो ऐसी हालत में तहवील में लेना हराम है। ये माल उठाने वाले के पास अमानत रहता है। और उस पर वाजिब है कि ऐसे मज्मअ़े

ख़ास में, जहां उसका मालिक मिलने का इम्कान ज़्यादा हो, ऐलान करे। ऐलान करने की मुद्दत मुत्तफ़क़ा तौर पर कम अज़ कम एक साल है। अगर उसका मालिक मिल जाये और ख़ास अलामत जैसे नक़दी या दीगर क़ीमती चीज़ों की सूरत में बर्तन, थैली, सरबन्द, अदद, वज़न या नाप वग़ैरह बता दे, तो उसे वापस करना लाज़िम है। अगर मालिक न मिले तो इस मुद्दत के बाद अपने इस्तेमाल में ले आये या सदक़ा कर दे, उसे इख़्तियार है। (मुलख़्ख़स अज़ फ़िक्हुस्सुन्नह लिस्सय्यद साबिक) अगर ख़र्च कर देने के बाद मालिक आ गया और उसने ठीक ठीक पहचान बता दीं, तो उसी क़द्र माल मालिक के हवाले करना ज़रूरी होगा।

(1)
بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ

बाब :1
गिरी पड़ी चीज़ उठाए तो उसका ऐलान करने का हुक्म

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِي اطْرَحْهُ . فَقُلْتُ لاَ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً

(1701) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं एक सफ़र में हज़रत ज़ैद बिन सूहान और सलमान बिन रबीआ (رضي الله عنهما) के साथ था, मुझे एक चाबुक मिला (जो मैंने उठा लिया) तो उन दोनों ने मुझसे कहा कि इसे फैंक दे। मैंने कहा: 'नहीं'। अगर इसका मालिक मुझे मिल गया तो (उसे दे दूंगा) वरना इससे फ़ायदा उठाऊंगा। फिर मैं हज के लिए गया और मदीने भी आया तो मैंने हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) से सवाल किया, उन्होंने कहा: मुझे एक थैली मिली थी जिसमें सौ दीनार थे, तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया, आपने फ़रमाया: 'एक साल तक इसका ऐलान करो।' चुनांचे में एक साल तक

" . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا . فَقَالَ " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " . وَقَالَ وَلاَ أَدْرِي أَثَلاَثًا قَالَ " عَرِّفْهَا " . أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

उसका ऐ़लान करता रहा। फिर आपके पास आया, तो आपने फ़रमायाः 'एक साल (और) ऐ़लान करो।' मैंने एक साल और उसका ऐ़लान किया। फिर आपकी ख़िदमत में आया, आपने फ़रमाया 'एक साल (और) ऐ़लान करो।' मैंने एक साल मज़ीद उसका ऐ़लान किया। फिर मैं आपके पास आया और अ़र्ज़ किया कि मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जो उसे जानता हो। तो आपने फ़रमायाः 'इनकी गिनती को याद रखो, उसकी थैली और सरबन्द भी। अगर उसका मालिक आ जाये तो बेहतर, वरना इनसे फ़ायदा उठाओ।' (सलमा बिन कुहैल ने) कहाः मुझे नहीं मालूम कि ऐ़लान करने का हुक्म, तीन बार दिया या एक बार।

(1701) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 2426, व मुस्लिमस्र 1723.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ " عَرِّفْهَا حَوْلاً " . وَقَالَ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ فَلاَ أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ.

(1702) शोबा ने पिछली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया (इसमें है आप (ﷺ) ने) फ़रमायाः 'एक साल तक उसका ऐ़लान करो' आपने ये बात तीन दफ़ा कही। (सलमा बिन कुहैल ने) कहा मुझे नहीं मालूम कि उसका मफ़हूम एक साल में तीन बार ऐ़लान करना था या तीन साल तक ऐ़लान करना।

(1702) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैह.

फ़ायदा : रावियों के इख़्तिलाफ़ की वजह से, ऐ़लान करने की मुद्दत में भी उ़लमा के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है, ताहम कम अज़ कम एक साल तक ऐ़लान करने पर सबका इत्तेफ़ाक़ है।

(1703) सलमा बिन कुहैल ने अपनी सनद से उसी के हम मानी बयान किया और ऐ़लान के बारे में कहा: 'दो साल या तीन साल' और फ़रमाया: 'इसकी गिनती कर लो, इसकी थैली और उसका सरबन्द ख़ूब याद रखो।' मज़ीद कहा: 'फिर अगर उसका मालिक आ जाये और उसकी गिनती बता दे और थैली का सरबन्द भी तो उसके हवाले कर देना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये अल्फ़ाज़ यानी 'अगर वह उनकी गिनती बता दे' सिर्फ़ हम्माद की रिवायत है।

तख़रीज : (सनद सही) अबू अवाना: 4/31.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي التَّعْرِيفِ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً . وَقَالَ " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا " . زَادَ " فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلاَّ حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي " فَعَرَفَ عَدَدَهَا " .

(1704) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फ़रमाया: 'एक साल तक उसका ऐ़लान करो। फिर उसका सरबन्द (बंधन) और थैली (या बर्तन जिसमें वह हो) ख़ूब याद कर लो। और उसे अपने इस्तेमाल में ले आओ। अगर उसका मालिक आ जाये तो उसे दे दो।' फिर उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) गुमशुदा बकरी (के बारे में क्या इरशाद है?) आपने फ़रमाया: 'उसे ले लो। ये तुम्हारे लिये है या तुम्हारे भाई के लिये या भेड़िये के लिये।' कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) और गुमशुदा ऊँट? इस पर आप

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ-

أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ-وَقَالَ "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا"

गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपके रूख़सार सुर्ख हो गये या कहा कि चेहरा सुर्ख हो गया। और फ़रमाया: 'तुम्हें इससे क्या ग़र्ज़? उसके साथ उसका जूता (पाँव) है और मशकीज़ा हैं। (उसके पेट में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश और स़लाहियत है) यहां तक कि उसका मालिक आ जायेगा।'

(1704) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2436, व मुस्लिम: 1722.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ". وَلَمْ يَقُلْ " خُذْهَا " . فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ " عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا " . وَلَمْ يَذْكُرِ " اسْتَنْفِقْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا " خُذْهَا".

(1705) जनाब मालिक ने इस हदीस़ को इसी सनद से इसी के हम मानी रिवायत किया। और मज़ीद कहा: '(इसके साथ) इसका मशकीज़ा है, वह पानी पर पहुँच कर पानी पी लेगा और झाड़ियाँ खाकर गुज़ारा कर लेगा।' और गुमशुदा बकरी के सिलसिले में (खुज़्हा) 'इसे ले लो' के लफ़्ज़ रिवायत नहीं किये और गिरी पड़ी चीज़ (लुक़तह) के बारे में फ़रमाया: 'एक साल तक उसका ऐ़लान करो। फिर अगर उसका मालिक आ जाये (तो बेहतर) वरना तुम जानो (यानी उसके मालिक बन जाओ)' और 'ख़र्च कर लेने' का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इसे स़ौरी, सुलेमान बिन बिलाल और हम्माद बिन सलमा ने रबीअ़ा से इसी के मिस्ल रिवायत किया और उन्होंने (ख़ुज़्हा) का लफ़्ज़ नहीं कहा।

(1705) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता: 2/757 (यहया), हदीस़: 1520, बुख़ारी, हदीस़: 2429, व मुस्लिम: 1722.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बकरी जैसा ज़ईफ़ जानवर जो ज़्यादा भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और दरिन्दों वग़ैरह से दिफ़ाअ नहीं कर सकता अगर उसे क़ब्ज़े में न लिया जाये तो ज़ाया हो जायेगा, लिहाज़ा ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि उसे छोड़ा जाये मगर ऊँट का मुआमला इससे मुख़्तलिफ़ है, इसलिए जायज़ नहीं कि इन्सान उसको अपने क़ब्ज़े में ले ले। मगर अन्देशा हो कि फ़ासिक़ या चोर डाकू वग़ैरह उड़ा ले जायेंगे या ये ख़ूद से दुशमनों के इलाक़े में चला जायेगा तो महफ़ूज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर है। बशर्ते कि ज़न्ने ग़ालिब ये हो कि ये जानवर किसी मुसलमान ही का है। वल्लाहू आलम **(2)** इस रिवायत में रावियों ने (खुज़्हा) 'उसे ले लो' और (इस्तन्फ़िक़) 'उससे फ़ायदा उठाओ' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि ये अल्फ़ाज़ सही बुख़ारी में मौजूद हैं। देखिए: (सही बुख़ारी, हदीस: 2428)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ "

(1706) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'एक साल तक उसका ऐलान करो। अगर उसका तलब करने वाला आ जाये तो उसको दे दो, वरना उसकी थैली (या बर्तन) और उसका सरबंद याद रखो, फिर उसे खा लो (अपने इस्तेमाल में ले आओ) उसके बाद अगर उसका तलाश करने वाला आ जाये तो उसके हवाले कर दो।'

(1706) तख़रीज : मुस्लिम: 1722.

फ़ायदा : ये हुक्म गिरी पड़ी चीज़ उठाने के अलावा बकरी जैसे जानवर के बारे में भी है कि अगर उसे खा लिया गया हो तो उसका मालिक आने पर उसकी क़ीमत या बदला देना वाजिब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ،

(1707) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया। और रबीआ की हदीस के मानिन्द ज़िक्र किया। (साबका हदीस:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ . قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ" .

1704) कहा कि आपसे गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया: 'एक साल तक उसका ऐ़लान करो। पस अगर उसका मालिक आ जाये तो उसके सुपुर्द कर दो। नहीं तो उसका बंधन और बर्तन ख़ूब याद कर लो और उसे अपने माल में शामिल कर लो। फिर अगर उसका मालिक आ जाये तो उसको दे दो।'

(1707) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 5817, हदीस़: 1704 में देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ " فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " . وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ " إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " . لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ " فَعَرَفَ

(1708) यहया बिन सईद और रबीआ से क़ुतैबा की सनद से इसी के हम मानी मरवी है। इसमें इज़ाफ़ा है: 'अगर इसका मुतलाशी आ जाये और उसकी थैली (या बर्तन) और उसकी गिनती (वग़ैरह अ़लामात) बता दे तो वह चीज़ उसके सुपुर्द कर दो।' और हम्माद ने भी उ़बैदुल्लाह बिन अ़म्र से, उन्होंने अ़म्र बिन शुऐब से, उन्होंने (अ़म्र) ने अपने वालिद (शुऐब) से, उन्होंने अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसी के मिस्ल रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद बिन सल्मा का ये इज़ाफ़ा, जो उन्होंने सलमा बिन कुहैल, यहया बिन सईद, उ़बैदुल्लाह बिन अ़म्र और रबीआ की रिवायत में ज़िक्र किया है यानी 'अगर उसका मालिक आ जाये और उस चीज़ की

عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا " . وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا قَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً " . وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً " .

थैली (या बर्तन) और उसका सरबंद (अ़लामात) बता दे तो उसे उसके हवाले कर दो।' (इस सनद के साथ) ये अल्फ़ाज़ महफ़ूज़ नहीं हैं। यानी (फ़अरफ़ इफ़ासहा वविकाअहा) और उ़क़्बा बिन सुवैद की हदीस़ जो उनके वालिद से नबी (ﷺ) से मरवी है कि 'एक साल तक ऐ़लान करो।' नीज़ हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) की हदीस़ में भी नबी (ﷺ) से मरवी है कि 'एक साल तक ऐ़लान करो।'

(1708) तख़रीज : मुस्लिम.

मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये फ़रमान कि ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (رضي الله عنه) की इस रिवायत में हम्माद बिन सलमा का पिछला इज़ाफ़ा महफ़ूज़ नहीं , वहम है, सुफ़ियान और ज़ैद बिन अबी उमैया इस इज़ाफ़े में उनके मुताबेअ़ हैं जैसा कि स़ही मुस्लिम में वारिद है। (मुन्ज़िरी) (स़ही मुस्लिम: 1733) इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) की रिवायत इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ दूसरी सनद से बयान फ़रमाई है। इसके अ़लावा इसी मानी पर मुशतमिल अल्फ़ाज़ अबू दाऊद की किताबुल लुक़ता में हज़रत उबय बिन कअ़ब (رضي الله عنه) से मरवी रिवायत में मौजूद और महफ़ूज़ हैं। हज़रत उबय बिन कअ़ब(رضي الله عنه) की ये रिवायत स़ही बुख़ारी में भी मौजूद है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ - وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " .

(1709) हज़रत अ़याज़ बिन हिमार (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे कोई गिरी पड़ी चीज़ मिले तो उसे चाहिए कि एक या दो अ़ादिल गवाह बना ले। और छुपाये नहीं और न ग़ायब करे, फिर अगर उसके मालिक को पाये तो उसे लौटा दे, वरना वह अल्लाह का माल है जिसे चाहता है इनायत फ़रमा देता है।'

(1709) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2505, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1169.

फ़ायदा : गवाह बनाना न तो वाजिब है और न हर वक़्त मुमकिन ही। लेकिन ये इन्तेहाई पसन्दीदा सूरत है ताकि इन्सान शैतानी उक्सावा से महफ़ूज़ हो जाये और उसके दिल में उसके मालिक बन जाने का वस्वसा पैदा न हो। इसके ज़रिये से कई दूसरी क़बाहतों से भी बचा जा सकता है उसके वरसा उसको अदा करने से इन्कार न कर सकें या कोई शख़्स माल की मिक़्दार के बारे में उस पर तोहमत न लगा सके।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ " مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " . وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي - فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .

(1710) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स़ (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया कि (दरख़्तों पर) लटकते फल का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: 'जिस किसी ज़रूरतमंद ने उसे अपने मुँह से खा लिया हो, अपने पल्लू में कुछ न बाँधा हो तो उस पर कुछ नहीं। लेकिन जो वहां से कुछ लेकर निकले तो उस पर दोगुना जुर्माना है और सज़ा। और जिसने उसे उसके मिजन्न में आ जाने के बाद चुराया तो अगर वह ढाल की क़ीमत के बराबर हूआ तो उस पर हाथ कटेगा।' और गुमशुदा बकरी और ऊँट के बारे में वैसे ही बयान किया जैसे कि दूसरे रावियों ने ज़िक्र किया है। और गिरी पड़ी चीज़ के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया: 'जो तुम्हें आबाद रास्तों और बस्तियों में से मिले तो उसका एक साल तक ऐ़लान करो। पस अगर उसका ढूंढने वाला आ जाये तो उसके हवाले कर दो, वरना वह तुम्हारी है। और जो किसी उजाड़ वीरान जगह से मिले तो उसमें और ऐसे ही कोई दफ़ीना मिले, तो उसमें ख़ुमुस है।' (पाँचवां हिस्सा ज़कात है)

(1710) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिर्ज़ी, हदीस़: 1289, नसाई, हदीस़: 4961.

(1711) अ़म्र बिन शुऐब ने अपनी इसी (पिछली) सनद से इस हदीस़ को रिवायत किया और गुमशुदा बकरी के बारे में उसके लफ़्ज़ हैं (फ़ज्मअ़हा) 'यानी उसे अपनी बकरियों के साथ मिला लो।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ " فَاجْمَعْهَا " .

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2596.

फ़ायदा : यानी उसकी हिफ़ाज़त करते और ऐलान करते रहो, जब मालिक मिल जाये तो उसके हवाले कर दो।

(1712) अ़म्र बिन शुऐब ने इसी सनद से रिवायत किया। और गुमशुदा बकरी के सिलसिले में कहा: 'ये तेरे लिये है या तेरे भाई के लिये या भेड़िये के लिये, इसे ले ले और बस' और इसी तरह उस रिवायत में अय्यूब और याकूब बिन अ़ता ने अ़म्र बिन शुऐब से, उन्होंने नबी (ﷺ) से (फ़ख़ुज़्हा) का लफ़्ज़ बयान किया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ " لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ " . كَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَخُذْهَا " .

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4960.

फ़ायदा : मोहद्दिस़ ये बयान करना चाहते हैं कि अ़म्र बिन शुऐब के तीन तलामिज़ह उ़बैदुल्लाह बिन अख़नस, अय्यूब और याकूब बिन अ़ता, सिर्फ़ लफ़्ज़ (फ़ख़ुज़्हा) बयान करते हैं। इस पर मज़ीद कोई इज़ाफ़ा नहीं करते जैसे कि मंदरजा ज़ेल रिवायत में इब्ने इस्हाक़ ने (फज्मअ़हा हत्ता यातियहा बाग़ीहा) एक मुफ़स्सल जुमला ज़िक्र किया है। (औ़नुल माबूद)

(1713) इब्ने इस्हाक़ अ़म्र बिन शुऐब से, वह (अ़म्र) अपने वालिद से, वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (رضي الله عنه)) से वह, नबी (ﷺ) से यही रिवायत करते हैं तो उनके लफ़्ज़ हैं: (फज्मअ़हा हत्ता यातियहा बाग़ीहा) 'इसको अपने माल के साथ मिला ले यहाँ तक कि उसका मुतलाशी आ जाये।'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا . قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ "

فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " .

(1713) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 2/203.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هُوَ رِزْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ"

(1714) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) को एक दीनार मिला। वह उसे हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) के पास ले आये, हज़रत फ़ातिमा ने उसके बारे में नबी (ﷺ) से दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का रिज़्क़ है।' चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अ़ली और हज़रत फ़ातिमा ने उससे खा लिया। उसके बाद आपके पास एक अ़ौरत आई जो एक दीनार ढूंढती फिर रही थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अ़ली! वह दीनार अदा कर दो।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 6/194.

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا

(1715) बिलाल बिन यहया अ़ब्सी हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) से नक़ल करते हैं कि उन्हें एक दीनार मिला, तो उन्होंने उससे आटा ख़रीदा, आटे वाले ने हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) को पहचान लिया तो उसने दीनार उनको वापस कर दिया। तो हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने वह ले लिया और उसमें से दो क़ीरात काटकर उनका गोश्त ख़रीदा।

(1715) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 6/194.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيهِمَا قَالَتِ الْجُوعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتِ اذْهَبْ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ . فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتِ اذْهَبْ إِلَى فُلاَنٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلاَلاً أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ " كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ " . فَأَكَلُوا فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلاَمٌ يَنْشُدُ اللَّهَ وَالإِسْلاَمَ

(1716) जनाब सहल बिन सअ़द का बयान है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) के यहां (घर में) आये तो (देखा कि) हसन और हज़रत हुसैन रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि भूख की वजह से रो रहे हैं। पस अ़ली (घर से) निकल आये तो (इत्तेफ़ाक़ से) बाज़ार में उन्हें एक दीनार पड़ा मिल गया तो वह हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) के पास आये और बताया (कि इस तरह से मिला है) उन्होंने कहा: फ़लां यहूदी के पास जायें और हमारे लिये आटा ले आयें। चूनांचे वह यहूदी के पास आये और उससे आटा ख़रीदा। यहूदी ने कहा: भला आप उस शख़्स के दामाद हैं जो अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) कहता है? उन्होंने कहा: हाँ! तो उसने कहा: दीनार अपने पास रखें और आटा ले जायें। हज़रत अ़ली (ﷺ) वहाँ से चले और हज़रत फ़ातिमा के पास (आटा) ले आये और सारी बात बताई। उन्होंने कहा: फ़लां क़साब (कसाई) के पास जायें और एक दिरहम का गोश्त ले आयें। चूनांचे वह गये अपना दीनार उसके पास रहन रखा और एक दिरहम का गोश्त ले आये। हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) ने आटा गूंधा हंडिया चूल्हे पर रखी, रोटी पकाई और अपने वालिद अ़लैहिस्सलातुवस्सलाम को बुला भेजा। आप(ﷺ) उनके यहां तशरीफ़ ले आये। तो हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के

الدِّينَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ ‏.‏ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَكَ أَرْسِلْ إِلَىَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَىَّ ‏"‏ ‏.‏ فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ ‏.‏

रसूल(ﷺ)! मैं आपको बताऊं अगर आप इसे हलाल फ़रमायें तो हम इसे खायेंगे और आप भी हमारे साथ खायेंगे और इसका हाल इस इस तरह से है। आप(ﷺ) ने सुनकर फ़रमाया: 'अल्लाह का नाम लेकर खाओ।' चूनांचे सब ने खा लिया। अभी वह अपनी जगह (दस्तरख़्वान ही) पर बैठे थे कि एक लड़का, अल्लाह और इस्लाम का वास्ता देकर अपना गुमशुदा दीनार ढूंढता फिर रहा था। तो नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया और उसे बुलाया गया। आपने उससे पूछा तो उसने कहा: मुझसे बाज़ार में (कहीं) गिरा है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अ़ली! उस कसाई के पास जाओ और उससे कहो कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) फ़रमाते हैं : वह दीनार मेरे यहां भेज दो और तुम्हारा दिरहम मेरे ज़िम्मे है।' चूनांचे उसने दीनार भेज दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उस ग़ुलाम के हवाले कर दिया।

(1716) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 6/194.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا

(1717) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मरवी है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें छड़ी, रस्सी, कोड़ा और इस क़िस्म की चीज़ें उठा लेने की रूख़्सत दी थी कि इन्सान उनसे फ़ायदा उठा ले।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसे नौमान बिन अ़ब्दुस्सलाम ने मुग़ीरह (बिन मुस्लिम) अबू

وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

सलमा से अपनी सनद से रिवायत किया है। और शबाबा ने मुग़ीरह बिन मुस्लिम से, उन्होंने अबू अज्जुबैर से, उन्होंने जाबिर (ﷺ) से रिवायत किया है। (कहा कि वह लोग छड़ी, कोड़ा वग़ैरह उठा लेने में कोई हर्ज न समझते थे) और नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। (मौक़ूफ़ बयान किया है)

(1717) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/195, इब्ने अदी: 6/2353.

फ़ायदा : अबू अज्जुबैर मक्की से दो हज़रात रिवायत करते हैं। एक मुग़ीरह बिन ज़ियाद, उनसे यही मतन इमाम अबू दाऊद ने ज़िक्र फ़रमाया है। दूसरे, मुग़ीरह बिन मुस्लिम अबू सलमा की बयान करदा रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) की बजाये सहाबी के हवाले से यही बात कही गई है। (औनुल माबूद) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक बाब क़ायम किया है: 'बाब इज़ा वजदा खश्बतन फिल बहरि औ सौतन औ नहवहू' 'यानी जब कोई शख़्स समन्दर में बहती हूई लकड़ी पाये या चाबुक या इस जैसी (कोई इन्तेहाई कम क़ीमत) चीज़ उसे मिल जाये। और नीचे वह हदीस़ लाये हैं जिस से समन्दर में बहती हूई लकड़ी को ईंधन के तौर पर ले जाने का जवाज़ साबित होता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस़ से इस्तिम्बात करके चाबुक को शामिल किया है। (फ़तहुलबारी, किताबुल लुक़्ता, बाब मज़कूर) इससे साबित हूआ कि इमाम अबू दाऊद (रह.) की बयान करदा ये हदीस़ अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसमें जो हुक्म बयान किया गया वह दीगर दलाइल की वजह से सही है।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا "

(1718) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गुमशुदा ऊँट पकड़ने वाला अगर छुपा ले तो उस पर जुर्माना है और (मज़ीद) इसके साथ इसका मिस्ल भी।'

(1718) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/191, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस़: 18599.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुमशुदा क़ीमती चीज़ उठा कर छुपा लेना हराम और गुनाह का काम है। **(2)** इस हदीस़ की रोशनी में ऐसे मुजरिम पर दो गुना जुर्माना है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو .

(1719) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन उ़स्मान तैमी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ें उठाने से मना फ़रमाया है। अहमद ने रिवायत किया कि इब्ने वहब ने कहा: 'हाजी की चीज़ पड़ी रहने दी जाये यहाँ तक कि उसका मालिक उसे पा ले।'

इब्ने मौहब ने (अपनी सनद में) अ़न अ़म्र कहा है। (अख़बरनी अ़म्र नहीं कहा)

(1719) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़ायदा : राजेह यही है कि हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ें न उठाई जायें ताकि उस शहर की हुरमत अपने वसीअ़तर मानी में क़ायम और स़ाबित रहे, ताहम अगर ज़ाया हो जाने का अन्देशा हो तो रूख़सत है कि उठा ली जाये। जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबूहुरैरह और इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरफ़ूअ़ अहादीस़ में आया है। देखिए: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2433, 2434, स़ही मुस्लिम) और ख़ूब कस़रत से ऐलान करना चाहिए। मुमकिन है ये चीज़ किसी अफ़ाक़ी हाजी की हो। न मालूम इसे दोबारा यहां आना मयस्सर भी आता है या नहीं। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) भी यही फ़रमाते हैं कि चूंकि हुज्जाज बड़ी जल्दी अपने इलाक़ों को वापस चले जाते हैं इसलिए पूरे साल तक इसका ऐलान मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि चीज़ न उठाई जाये और अगर उठा ली जाये तो बहुत जल्द और बार बार ऐलान किया जाये।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لاَ نَدْرِي لِمَنْ هِيَ

(1720) मुन्ज़िर बिन जरीर कहते हैं कि (मैं अपने वालिद) जरीर (बिन अ़ब्दुल्लाह अलबहलबी (ﷺ) के साथ बवाज़ीज मक़ाम में था कि चरवाहा गायें लेकर आया। और उनमें एक गाय उनकी नहीं थी। हज़रत जरीर (ﷺ) ने पूछा: ये क्या है? उसने कहा: बस गायों के साथ मिल गई है। हमें मालूम नहीं

. فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ ".

कि किस की है। तो हज़रत जरीर ने कहा: इसे अलग कर दो। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है: 'गुमशुदा चीज़ को कोई (ज़ाल्ल) 'गुमराह इन्सान' ही लेता है।

(1720) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2503, मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुमशुदा चीज़ अपने क़ब्ज़े में लेकर छुपा लेने वाला या मालिक बन बैठने वाला, ज़ाल्ल और गुमराह इन्सान है जबकि ऐलान करने वाला ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कि हज़रत जरीर (ؓ) का ख़्याल हो कि गाय ऊँट की तरह है ये जानवर खा पी कर गुज़ारा कर सकता है और छोटे मोटे दरिन्दे भी इस पर हमलावर नहीं हो सकते तो इसलिए इसका छोड़ देना बेहतर होगा। इसका मालिक इसको ख़ूद ही ढूंढ लेगा। **(2)** 'बवाज़ीज अलअंबार' बग़दाद की बालाई जानिब एक इलाक़ा है जिसे हज़रत जरीर (ؓ) ने फ़तह किया था और यहां उनके मवाली रहते थे।

كتاب المناسك

हज व ड़मरह की अहमियत व फ़ज़ीलत

- (नुसुक) (नून और सीन दोनों के ज़म्मा (पेश) के साथ) के मानी हैं 'वह इबादत जो ख़ास़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का हक़ हो। (मनसिक) (मीम के ज़बर और सीन के ज़बर या ज़ेर के साथ) का मफ़हूम है। 'मक़ामे इबादत' और मस्दरी मानी में भी आता है। (मनासिक) इसकी जमा (बहुवचन) है।
- **तारीफ़ :** 'हज' के डिक्शनरी मानी क़सद और इरादा के हैं, मगर इस्तेलाहे शरीअ़त में मारूफ़ व मालूम आदाब व शर्तों के साथ बैतुल्लाह अलहराम का क़सद हज कहलाता है। 'ड़मरह' (बमानी इबादत) में भी बैतुल्लाह की ज़ियारत होती है, मगर हज माहे जिल्हिज की तारीख़ों के साथ ख़ास़ है और तवाफ़ व सई के अ़लावा वक़ूफ़े अरफ़ा और दीगर आ़माल इसमें शामिल हैं, जबकि ड़मरह में स़िर्फ़ तवाफ़ और सई होती है और साल के तमाम दिनों में इसे अदा किया जा सकता है।
- **हुक्म :** हज इस्लाम का बुनियादी रूक्न है। इसकी अदायगी हर स़ाहिबे इस्तेताअ़त (मालदार) 'आ़क़िल' बालिग़ मुसलमान मर्द व औ़रत पर उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह पाँचों वक़्त की नमाज़ें, रमज़ान के रोज़े और स़ाहिबे निस़ाब शख़्स़ पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। इन सबकी फ़र्ज़ीयत में कोई फ़र्क़ नहीं। लिहाज़ा जो शख़्स़ इस्तेताअ़त (ताकत रखने) के बावजूद हज नहीं करता बल्कि इसे वक़्त और पैसे का ज़या समझता या इसका मज़ाक़ उड़ाता है जैसा कि आजकल के कुछ आधुनिक ख़्याल वाले, मुन्किरीने हदीस़ और माद्दापरस्तों का नुक़्त–ए–नज़र है तो ऐसा शख़्स़ काफ़िर और दायरे इस्लाम से ख़ारिज है। और अगर कोई शख़्स़ इस्तेताअ़त के बावजूद महज़ सुस्ती और काहिली या इस क़िस्म के किसी और उ़ज़रे लंग की वजह से हज नहीं करता तो ऐसा शख़्स़ काफ़िर और दायरे इस्लाम से ख़ारिज तो नहीं, अलबत्ता फ़ासिक़ व फ़ाजिर और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर है।
- हज की अहमियत इस बात से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि रब्बुल आ़लमीन ने क़ुर्आन मजीद में इसकी फ़र्ज़ीयत को बयान किया है और एक बड़ी सूरत का नाम सूरह अलहज रखा है।
- सय्यदना ड़मर फ़ारूक़ (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं इरादा करता हूं कि शहरों में अपने उम्माल (अहलकार) भेजूं, वह जाकर जायज़ा लें और हर उस शख़्स़ पर जो इस्तेताअ़त के बावजूद हज नहीं करता, जिज़्या (टेक्स) मुक़र्रर कर दें क्योंकि वह लोग मुसलमान नहीं हैं। (तलख़ीस़ अलहबीर: 2/223)

- इसी तरह सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी में है कि सय्यदना उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) ने तीन बार फ़रमाया: जो शख़्स वुस्अ़त और पुरअमन रास्ते के बावजूद हज नहीं करता और मर जाता है तो उसके लिए बराबर है चाहे वह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर और अगर इस्तेताअ़त के होते हूए मैंने हज न किया हो तो मुझे हज करना, छह या सात ग़ज़वात में शरीक करने से ज़्यादा पसन्द है। (कुब्रा लिल्बैहक़ी: 4/334)
- लिहाज़ा हमें हज की फ़र्ज़ीयत व अहमियत और सय्यदना उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) के इस फ़रमान की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अक्स़र मुसलमान जो सरमायादार, ज़मीनदार और बैंक बैलेंस रखते हैं लेकिन इस्लाम के इस अ़ज़ीम रूक्न की अदायगी में बिलावजह ताख़ीर के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर फ़ौरन तौबा करें और पहली फ़ुर्स़त में इस फ़र्ज़ को अदा करें।
- नबी करीम (ﷺ) ने हज की फ़ज़ीलत की बाबत फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का बदला स़िर्फ़ जन्नत है' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1773) हज्जे मबरूर, वह हज है जो मसनून तरीक़े और शरई तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ किया गया हो, इसमें कोई कमी बेशी न की गई हो। एक और हदीस़ में आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने अल्लाह के लिए हज किया उस दौरान में उसने कोई फ़ोहशगोई की, न कोई बुरा काम तो वह गुनाहों से इस तरह पाक स़ाफ़ वापस लौटेगा जिस तरह वह उस वक़्त था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1521) इस हदीस़ से मालूम हूआ कि हज के अ़ज़ीम अज्र व स़वाब का मुस्तहिक़ स़िर्फ़ वह शख़्स है जिसने दौराने हज में ज़बान से कोई बेहूदा बात की न हाथ, पाँव और दीगर आ़ज़ा आँखों, कानों वग़ैरह से कोई बुरा काम किया।
- **उ़मरह की लुग़वी तअ़रीफ़ :** हज की तरह उ़मरह भी अ़रबी ज़बान का लफ़्ज़ है। लुग़त में इसके मानी 'इरादा और ज़ियारत' के हैं क्योंकि इसमें बैतुल्लाह का इरादा और ज़ियारत की जाती है। मगर इस्तेलाहे शरीअ़त में मीक़ात से एहराम बाँधकर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ और स़फ़ा व मरवा की सई करना और सर के बाल मुंडवाना या कटवाना उ़मरह कहलाता है। इस्लाम में उ़मरह की भी बड़ी अहमियत व फ़ज़ीलत है, अक्स़र उ़लमा के नज़दीक भले ही फ़र्ज़ या वाजिब नहीं मगर जब उसका एहराम बाँध लिया जाये तो हज की तरह इसका पूरा करना भी ज़रूरी हो जाता है। (तफ़्सील के लिए मुलाहिजा हो: नैलुल अवतार: 4/314, 315) क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला ने इसकी बाबत फ़रमाया: 'अल्लाह के लिए हज और उ़मरह को पूरा करो' (अल बकर: 196) (स़ही बुख़ारी: हदीस़: 1773) आ़म दिनों की निस्बत रमज़ानुल मुबारक में उ़मरह करने का अज्र व स़वाब बहुत ज़्यादा है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ान में उ़मरह करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1863)
- हज और उ़मरह से मुताल्लिक़ मुफ़स्स़ल अहकाम व मसाइल उर्दू में किताब 'मसनून हज और उ़मरह' में मुलाहिज़ा फ़रमायें।

كتاب المناسك

आमाले हज और उसके अहकाम व मसाइल

بَاب فَرْضِ الْحَجِّ (1)

बाब : 1
हज फ़र्ज़ है

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ " بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانٍ .

(1721) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अक़रअ़ बिन हाबिस (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) क्या हज हर साल है या एक ही बार? आपने फ़रमाया: 'नहीं ! एक ही बार है और जो इससे ज़्यादा करे तो वह नफ़्ल है।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस़ (अबूसेनान) या अबूसेनान अदुअली हैं। अ़ब्दुल जलील बिन हुमैद और सुलैमान बिन कस़ीर सभी ज़ोहरी से (अबूसेनान) ज़िक्र करते हैं। सिर्फ़ उ़क़ैल 'सेनान' कहते हैं। (अबू सेनान नहीं कहते)
(1721) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 2621, हाकिम: 1/441, व मुस्लिम: 1337.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي،

(1722) हज़रत अबू वाक़िद अल्लैस़ी (ﷺ) से मनक़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप अपनी बीवियों से हज्जतुल

وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ"

विदाअ में फ़रमा रहे थे: 'हज बस यही है, फिर (घर की) चटाइयों को लाज़िम पकड़ना है।'

(1722) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/218, अल फ़तह: 4/740.

फ़ायदा : ये दलील है कि हज एक ही बार फ़र्ज़ है। इसके अलावा नफ़्ल है। ताहम हज व उमरह बार बार करने की तरग़ीब भी आई है। आप (ﷺ) का फ़रमान है, हज और उमरह बार बार करो, बिलाशुब्हा ये फ़क़ीरी और गुनाहों को दूर करते हैं जैसे कि भट्टी लोहे, सोने और चाँदी का मैल कुचैल दूर कर देती है और पाक साफ़ हज का सवाब जन्नत के अलावा और कुछ नहीं (जामेअ तिर्मिज़ी:810, नसाई: 2631)

﴿2﴾ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

बाब : 2
औरत जो महरम के बग़ैर हज करे?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

(1723) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान ख़ातून को अपने किसी मुहरिम की मईयत (साथ) के बग़ैर एक रात का सफ़र भी हलाल नहीं है।'

(1723) तख़रीज : मुस्लिम: 1339.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस अपने मफ़हूम में बिलकुल वाज़ेह है कि कोई औरत एक रात का सफ़र भी महरम के बग़ैर नहीं कर सकती ख़्वाह ये हज जैसा मुबारक सफ़र ही क्यों न हो। अगर बिलफ़र्ज़ किसी ख़ातून को कोई सा भी महरम मयस्सर न हो तो वह हज के लिए 'लाज़मी इस्तेताअत' (ताकत) से ख़ारिज है और उस पर हज फ़र्ज़ न होगा। तफ़्सीलात के लिए देखिए: (नैलुल अवतार: 4/324) ताहम कुछ उलमा मख़्सूस हालात में मख़्सूस शर्तों के साथ औरत को महरम के बग़ैर हज की इजाज़त देते हैं। जैसे उमर रसीदा ख़ातून जिसकी जवानी ढल चुकी हो, वह ऐसे क़ाबिले ऐतमाद क़ाफ़ले के साथ सफ़रे हज इख़्तियार कर सकती है जिसमें क़ाबिले ऐतमाद ख़्वातीन भी हों। **(2)** महरम वह शख़्स है जिससे हमेशा के लिए औरत का निकाह करना हराम हो जैसे बाप, दादा, चचा, ताया, मामू, भाँजा, भतीजा, बेटा, ससूर वग़ैरह.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ .

(1724) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं कि एक दिन और रात का सफ़र करे।' और ऊपर लिखे हुए के हम मानी बयान किया। (यानी उसका महरम के बग़ैर सफ़र करना हराम है)

नुफ़ैली ने (अ़न मालिक) की बजाये तहदीस़ की स़राहत करते हुए (हद्दसना मालिक) कहा है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि नुफ़ैली और क़अ़नबी ने (सनद में सईद बिन अबी सईद के बाद) (अ़न अबीहि) नहीं कहा। नीज़ इब्ने वहब और उ़स्मान बिन उ़मर भी जनाब मालिक से ऐसे ही रिवायत करते हैं जैसे कि क़अ़नबी ने कहा है। (अ़न अबीह के बग़ैर)

(1724) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1088, मौता (यहया), 2/978, मुस्लिम: 1339.

तौज़ीह : जनाब सईद मक़बरी को अपने वालिद के अ़लावा हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से भी सेमाअ़ (सुनना) हासिल है। इसलिए दोनों ही सनदें स़ही हैं। (नववी)

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " بَرِيدًا " .

(1725) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: और ऊपर दर्ज की हुई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया, मगर (बरीदन) का लफ़्ज़ कहा। (यानी किसी मुसलमान औ़रत को अपने महरम के बग़ैर एक बरीद का सफ़र भी हलाल नहीं)

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2526

तौज़ीह : ये बरीद वाली रिवायत कुछ अइम्मा के नज़दीक शाज़ है। और एक (बरीद) चार फ़रसख़ का और एक फ़रसख़ तीन मील का होता है। (बरीद बारह मील का हूआ) जो कि कुछ उ़लमा के नज़दीक

आधे दिन की मसाफ़त होती है। इस ऐतबार से इन अइम्मा के नज़दीक औरत का बग़ैर महरम के मुख़्तसर सफ़र करना जायज़ होगा, जब कि दूसरे अइम्मा के नज़दीक मुतलक़न औरत का बग़ैर महरम के सफ़र करना नाजायज़ होगा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعًا، حَدَّثَاهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا "

(1726) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह औरत जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो उसके लिए हलाल नहीं कि अपने बाप, भाई, ख़ाविन्द, बेटे या किसी और मुहरिम की मईयत (साथ) के बग़ैर तीन दिन या उससे ज़्यादा का सफ़र करे।'

(1726) तख़रीज : मुस्लिम; 1340.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

(1727) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'औरत अपने महरम के बग़ैर तीन दिन का (भी) सफ़र न करे।'

(1727) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1087, व मुस्लिम: 1338.

फ़ायदा : ऊपर दर्ज की गई या दीगर अहादीस़ में वक़्त या मसाफ़त की तहदीद का ज़िक्र एक इत्तेफ़ाक़ी बयान है जो मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ साइलीन (सवाल करने वालों) को बताया गया। और उन सबका मफ़हूम वाज़ेह है कि मुसलमान मुत्तक़ी ख़ातून को अपने महरम की मईयत (साथ) के बग़ैर सफ़र करना हराम है। इस वक़्त के हालात कैसे भी हों शरीअत का कानून अटल है मुसलमान पर फ़र्ज है कि अपने आपको इस शरीअत का पाबन्द बनाये न कि हीलों हुज्जत से शरीअत को बदलने की कोशिश करे। वल्लाहू आलम

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا

(1728) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि वह अपनी लौंडी को अपने साथ बिठा कर ले जाते थे। उसका नाम स़फ़िया था। वह उनके साथ मक्का का सफ़र करती थी।

صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ .

(1728) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/226.

फ़ायदा : मालिक लौंडी के लिए ख़ाविंद के हुक्म में होता है।

﴿3﴾ باب "لاَ صَرُورَةَ" فِي الإِسْلاَمِ

बाब : 3 इस्लाम में (सरूरत) नहीं है

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ صَرُورَةَ فِي الإِسْلاَمِ" .

(1729) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में सरूरत' नहीं है।' (कोई शख़्स बावजूद इस्तेताअत के हज करने से ऐराज़ कर ले)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/312, तबरानी: 11/235, हदीस: 11595 तहावी मुश्किलुल आसार: 2/111, 112, हदीस: 1635, 1637.

नोट : 'उमर बिन अता यानी इब्ने अबी ख़्वार' 'ज़ईफ़' रावी है, कई एक ने इसको ज़ईफ़ कहा है। (सरूरत) (साद के ज़बर के साथ) के एक मानी तो यही है जो ज़िक्र हूए, दूसरे मानी इसके ये भी हैं कि कोई सन्यासियों के से अन्दाज़ में ज़िन्दगी गुज़ारे और निकाह न करे। ये इस्लाम में नहीं है।

﴿4﴾ باب التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ

बाब : 4 हज में ज़ादेराह लेकर जाने की ताकीद

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، - يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

(1730) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि लोग हज को आते मगर ज़ादेराह साथ न लाते थे ... अबू मसऊद ने कहा कि अहले यमन या कुछ अहले यमन हज के लिए आते मगर ज़ादेराह साथ न लाते ... और कहते कि

عَبَّاسٍ، قَالَ كَانُوا يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ - قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ - وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} الآيَةَ .

हम भरोसा करने वाले लोग हैं। पस अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: (वतज़व्वदू फ़इन्ना ख़ैरज्ज़ादित्तक़्वा) 'ज़ादेराह (यानी अख़राजाते सफ़र) साथ लेकर चलो इसलिए कि बेहतरीन तौशा तक़वा (सवाल से बचना) है।

(1730) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1523.

फ़ायदा : इस आयते करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुक्म दिया है कि सफ़रे हज में खाने पीने और इक़ामत के अ़लावा दीगर तमाम लवाज़िम के अख़राजात लेकर आया करो। इनके बग़ैर निकल खड़े होना और फिर लोगों की तरफ़ देखना, या सवाल करते फिरना, और उसका नाम तवक्कल रखना, बिल्कुल ग़लत है। तवक्कल के मफ़हूम में ये है कि मशरूअ़ अस्बाब इख़्तियार कर लेने के बाद अल्लाह तआ़ला पर कामिल ऐतमाद किया जाये। ताहम कुछ अहादीस़ से ये मानी ज़रूर मिलता है कि अगर कोई शख़्स इस अन्दाज़ में अस्बाब तर्क कर देता है कि अस्बाब या मख़्लूक़ की तरफ़ उसकी नज़र क़तअ़न न जाये तो उसे भी मुतवक्किल कहा गया है मगर ये हद से ज़्यादा मुश्किल मक़ाम है।

﴿5﴾ باب التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

बाब : 5
दौराने हज में तिजारत जायज़ है

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ } قَالَ كَانُوا لاَ يَتَّجِرُونَ بِمِنًى فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ .

(1731) जनाब मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने आयते करीमा (लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तग़ूफ़ज़्लम मिर्रबिकुम) 'तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करो।' पढ़ी और फ़रमाया: कुछ लोग मिना में तिजारत न करते थे तो उन्हें हुक्म दिया गया कि जब अ़रफ़ात से वापस लौटें तो तिजारत कर सकते हैं।

(1731) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तफ़्सीरे तबरी: 2/165, बुख़ारी, हदीस़: 1770.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस आयते करीमा में वज़ाहत है कि एहराम बाँध लेने के बाद तिजारत जैसे मशग़ला में मशग़ूल होना कि फ़राइज़ और वाजिबात भी अदा होते रहें कोई हर्ज या ऐ़ब की बात नहीं। **(2)** इस मुबाह अन्दाज़ से ज़ादेराह हासिल करना ऐ़न हलाल है।

बाब : 6 ...

باب ﴿6﴾

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ" .

(1732) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो हज करना चाहे तो चाहिए कि जल्दी ही कर ले।'

(1732) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/225.

फ़ायदा : बैहक़ी की रिवायत में इज़ाफ़ा है कि 'न मालूम उसे कोई बीमारी आ ले या कोई और आ़रज़ा पेश आ जाये।' (सुनन कुब्रा लिल्बैहक़ी: 4/340) बहरहाल इस हदीस़ में दलील है कि 'इस्तेताअ़त' (ताक़त) हासिल होते ही हज फ़ौरन फ़र्ज़ हो जाता है। ज़िन्दगी का क्या ऐतबार नीज़ क़यामत से पहले बैतुल्लाह का हज मौक़ूफ़ हो जायेगा, इसलिए अमन व अमान के हालात को ग़नीमत जानना चाहिए। और मअ़क़ूल उ़ज़्रे शरई के बग़ैर इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता एक हदीस़ में ये गुंजाइश मिलती है कि स़ाहिबे इस्तेताअ़त और स़ेहतमंद ज़्यादा से ज़्यादा चार साल तक ताख़ीर कर सकता है, पाँचवें साल उसे ये फ़रीज़ा ज़रूर अदा कर लेना चाहिए। (स़ही अत्तर्ग़ीब: 2/42, रक़म: 1166)

बाब : 7
(सफ़रे हज में) किराये पर सवारी चलाना

﴿7﴾
باب الْكَرِيِّ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ

(1733) जनाब अबू उमामा तैमी बयान करते हैं कि मैं सफ़र में किराये की सवारियाँ चलाया करता था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा: 'तेरा हज नहीं है' मैं हज़रत इब्ने उ़मर

التَّيْمِيُّ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ } فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ وَقَالَ " لَكَ حَجٌّ " .

(ﷺ) से मिला और उनसे पूछा कि ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं सफ़रे हज में किराये पर सवारियाँ चलाता हूं और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तेरा हज नहीं है। तो ह़ज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने जवाब दिया: क्या तुम एहराम नहीं बाँधते हो और तलबीया नहीं पढ़ते हो? क्या बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते हो? अ़रफ़ात से नहीं लौटते हो? और जमरात को कंकरियाँ नहीं मारते हो? मैंने कहा: क्यों नहीं (सब कुछ करता हूं) उन्होंने फ़रमाया: बिलाशुब्हा तेरा हज (स़ही) है। एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया था और उसने बिल्कुल यही सवाल किया था जैसे कि तुमने मुझसे किया है। तो रसूल (ﷺ) ख़ामोश हो रहे और उसको जवाब नहीं दिया था यहाँ तक कि ये आयते करीमा नाज़िल हूई (लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तग़ू फ़ज़्लम मिर्रब्बिकुम) 'तुम पर कोई गुनाह (और हर्ज) नहीं कि अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको बुला भेजा और उस पर ये आयत पढ़ी और फ़रमाया: तेरा हज (स़ही) है।

(1733) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 3051, हाकिम: 1/449.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ

(1734) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि लोग पहले (इस्लाम से पहले) हज के दिनों में मिना, अ़रफ़ात, सूकेजुल मजाज़ (बाज़ार का नाम) और अय्यामे हज में ख़रीद व फ़रोख़्त किया करते

اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّاسَ، فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . قَالَ فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ .

थे। (इस्लाम लाने के बाद) उन्होंने एहराम बाँधे हूए ख़रीद फ़रोख़्त में हर्ज समझा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत उतारी (लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तग़ू फ़ज़्लम मिर्रब्बिकुम) 'तुम पर कोई हर्ज या गुनाह नहीं कि अय्यामे हज में अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो।'

उबैद बिन उमैर ने बयान किया कि वह (फ़ी मवासिमिल हज) के इज़ाफ़े के साथ, मुसहफ़ में पढ़ा करते थे।

(1734) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 1/449, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 3054, बुख़ारी, हदीस: 1770.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूके जुल मजाज़ अरफ़ात के क़रीब एक मंडी का नाम था। कुछ ने लिखा है कि ये मिना के क़रीब लगती थी। **(2)** पिछले क़िस्म की क़िराअत 'शाज़' कहलाती है जो तफ़्सीर व तौज़ीह का फ़ायदा देती है। अस़ल सही क़िराअत वही है जो तवातुर से साबित है। **(3)** एहराम बाँध लेने के बाद उमूरे तिजारत में मशग़ूल होना, हज के लिए कोई बाइसे नुक़्स नहीं है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلاَمًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّاسَ، فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

(1735) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि लोग पहले ज़माने में हज के दौरान में ख़रीद फ़रोख़्त किया करते थे। और पिछली हदीस के हम मानी रिवायत किया ... (मवासिमुल हज) तक।

(1735) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

باب في الصبي يحج (8)

बाब : 8
छोटा बच्चा, जो हज करे

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ " مَنِ الْقَوْمُ " . فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

(1736) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक़ाम रौहा पर थे कि आपको एक क़ाफ़िले वाले मिले। आपने उन्हें सलाम कहा और पूछा: कौन लोग हो? उन्होंने कहा: हम मुसलमान हैं। उन्होंने पूछा: आप कौन लोग हैं? स़हाबा (رضي الله عنهم) ने कहा: ये अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं। (ﷺ) तो एक अ़ौरत ने जल्दी से अपने बच्चे को बाज़ू से पकड़ा और अपने होदज से बाहर निकाला और बोली: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) क्या इसके लिए हज है? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और तेरे लिए अज्र है।'

(1736) तख़रीज : मुस्लिम: 1336, व मुसनद अहमद: 1/219.

फ़ायदा : छोटे बच्चे अगर वालिदैन या सरपरस्तों के साथ हों तो उन्हें भी आ़माले हज में शरीक किया जाये। जहां तक वह अज़ख़ूद साथ दे सकें बेहतर है बाक़ी वालिदैन करवायें। तवाफ़ और सई में उठायें। अ़रफ़ात मुज़दलफ़ा में साथ रखें। उनकी तरफ़ से कंकरियाँ मारें वग़ैरह। उनका स़वाब वालिदैन के लिए है और ये कितनी बड़ी नेअ़मत और फ़ज़ीलत है कि कम ख़र्च और मामूली मशक्क़त से मज़ीद हज का स़वाब मिल जाये। एक बच्चा हो तो एक हज, दो हों तो दो हज का स़वाब मिलेगा, इसी तौर पर। ताहम बुलूग़त (जवानी) के बाद उन्हें अपना हज करना होगा।

قَتَادَةَ، - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ .

आपने अपनी क़ुर्बानी की ऊँटनी तलब की और इसके कोहान की दायें जानिब चीर लगाया और उसका ख़ून वहीं चुपड़ दिया और उसके गले में दो जूतों का हार भी डाल दिया। फिर आपकी सवारी लाई गई। जब आप उस पर बैठ गये और वह आपको लेकर बैदा मैदान के क़रीब पहुँची तो आपने हज का तल्बीया पुकारा।

(1752) तख़रीज : मुस्लिम: 1243.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हरम की तरफ़ भेजे जाने वाले ऊँटों के कोहानों की दायें तरफ़ मामूली सा चीर लगाकर उसका ख़ून उस पर चुपड़ देना (इशआर) कहलाता है। और ये अलामत होती है कि ये जानवर अल्लाह के लिए हद्य है और हरम की तरफ़ भेजा जा रहा है। ये अमल सुन्नते रसूल (ﷺ) से साबित है मगर बकरियों को (इशआर) नहीं किया जाता। कुछ उलमा गायों में भी इशआर के क़ायल हैं। इसके साथ क़ुर्बानी के जानवरों के गलों में जूतों के हार डालना भी मसनून अमल है और इसे 'तक़लीद' कहते हैं। ये आमाल क़दीम ज़माने से चले आ रहे थे जिन्हें नबी (ﷺ) ने बहाल रखा। **(2)** बैदा, ज़ूलहुलैफ़ा का वह बालाई मैदान है जो जानिबे जुनूब में था जिससे होकर मक्का की राह पर जाते थे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِإِصْبَعِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِي تَفَرَّدُوا بِهِ .

(1753) शोबा ने ये हदीस़ अबूल वलीद के हम मानी रिवायत की, कहा कि फिर आपने अपने हाथ से ख़ून चुपड़ा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: हम्माम की रिवायत में है कि आपने अपनी उंगली से ख़ून चुपड़ा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये रिवायत अहले बस़रह के तफ़र्रुदात में से है।

(1753) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/232.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ

(1754) मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान (बिन हकम) बयान करते हैं कि हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले, जब आप

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ .

ज़ूलहुलैफ़ा के मक़ाम पर पहुँचे तो आपने कुर्बानी को क़लादा पहनाया, उसका इशआर किया और एहराम बाँधा।

(1754) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2772, बुख़ारी, 1699.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً

(1755) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बकरियाँ बतौर हद्य (हरम की तरफ़) भेजवाई और उनकी गर्दनों में क़लादे डाले।

(1755) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1701, व मुस्लिम: 1321.

फ़ायदा : हरम को भेजा जाने वाला असल मसनून व मशरूअ हदिया 'कुर्बानी' है। अब कुछ लाइल्म और जाहिल लोग कबूतरों के लिये दाने भेजवाते हैं, ये कोई शरई अमल नहीं है।

(16) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

बाब : 16
कुर्बानी का जानवर तब्दील करना कैसा है?

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ، حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه

(1756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से मरवी है कि उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने एक बुख़्ती ऊँट बतौर हद्य (हरम की तरफ़) भेजवाया। उन्हें इसके तीन सौ दीनार पेश किये गये ... तो वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक उम्दा ऊँट हद्य किया है और मुझे उसके तीन सौ दीनार दिये जा रहे हैं तो क्या मैं उसे बेच कर उसके क़ीमत के दूसरे ऊँट ले

وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ " لاَ انْحَرْهَا إِيَّاهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا .

लूं? आपने फ़रमायाः 'नहीं' इसे ही नहर (ज़बह) करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये इसलिए था कि वह इसे इशआर कर चुके थे।

(1756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 2/145, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2911, वग़ैरह.

फ़ायदा : जब क़ुर्बानी या हद्‌य के लिए जानवर ख़ासकर दिया गया हो, तो उसे तब्दील करना दुरूस्त नहीं है।

(17) باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

बाब : 17
जो शख़्स हद्‌य (क़ुर्बानी हरम की तरफ़) भेज दे और ख़ूद न जाये (तो उसका क्या हुक्म है?)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ .

(1757) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी के ऊँट के हार की रस्सियाँ अपने हाथों से बटी, फिर आपने उनका इशआर किया और उनके गले में क़लादा डाला, फिर उसे बैतुल्लाह की जानिब रवाना कर दिया और ख़ूद मदीना में मुक़ीम रहे तो जो चीज़ें आपके लिए हलाल थीं (उसी तरह हलाल ही रहीं) कुछ भी हराम न हूआ।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1699, व मुस्लिम: 1321.

फ़ायदा : कोई शख़्स़ हरम की तरफ़ क़ुर्बानी के जानवर भेजे और ख़ूद न जाये तो वह हलाल ही रहता है। एहराम के कोई अहकाम उस पर लागू नहीं होते।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

(1758) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना से हद्य भेजा करते थे। मैं उनके क़लादों की रस्सियां बटा करती थी और फिर आप किसी चीज़ से इज्तेनाब न करते जिससे कि मुहरिम इज्तेनाब करता है।

(1758) तख़रीज : मुस्लिम: 1321, बुख़ारी, हदीस़: 1698.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا وَلاَ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا - قَالاَ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَدْيِ فَأَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا بِيَدِي مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلاَلاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

(1759) उम्मुल मोमिनीन (हज़रत आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूल (ﷺ) ने हद्य भिजवाई और मैंने उन से जो हमारे यहां थी, उसके क़लादों की रस्सियाँ बटी, फिर आप हमारे यहां इसी तरह हलाल ही रहे। अपने अहल के पास आते जैसे कि कोई आम आदमी आता है।

(1759) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1757.

फ़ायदा : दरअस़ल इन अहादीस़ में अस्हाबे राय के उस क़ौल का जवाब है कि जब इंसान हद्य भेज दे और उसे क़लादा भी पहना दे, तो उस पर एहराम वाजिब हो जाता है मगर हक़ यही है जो ज़िक्र हूआ कि जब तक कोई शख़्स़ अमलन एहराम न बाँधे, मुहरिम नहीं होता और न इस तरह एहराम ही वाजिब होता है।

बाब : 18 क़ुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना

﴿18﴾ باب فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ ارْكَبْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ‏"‏ ‏.‏ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ‏.‏

(1760) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि वह अपनी क़ुर्बानी का ऊँट हाँके जा रहा था (और ख़ुद पैदल चल रहा था) तो आपने उससे फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जाओ।' उसने कहा: ये क़ुर्बानी के लिए है। आपने फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जाओ ... तुम पर अफ़सोस!' आपने ये (अफ़सोस का लफ़्ज़) दूसरी या तीसरी बार में फ़रमाया।

(1760) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1689, मुस्लिम: 1322. मौता (यहया), 1/377.

फ़ायदा : 'तुम पर अफ़सोस' का कलिमा तौबीख़न कहने की वजह उस शख़्स की कम फ़हमी थी, कि नबी (ﷺ) देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि ये क़ुर्बानी का जानवर है, फिर भी वह इंकार और इसरार करता रहा। उसे चाहिए था कि इरशादे नबवी की बिला झिझक तअमील करता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْىِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا ‏"‏ ‏.‏

(1761) जनाब अबू अज़्ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से क़ुर्बानी के जानवर पर सवारी के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: 'जब तुम मजबूर हो जाओ तो (एहसान के साथ और) मअरूफ़ अंदाज़ से उस पर सवारी करो यहाँ तक कि तुम्हें कोई और सवारी मिल जाये।'

तख़रीज : मुस्लिम: 1324, मुसनद अहमद: 3/317.

फ़ायदा : यानी बवक़्ते ज़रूरत इन्सान हद्य और क़ुर्बानी के जानवर पर सवारी कर ले तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : 19
क़ुर्बानी का जानवर मंज़िल पर पहुँचने से पहले ही थक कर (सफ़र से लाचार होकर) गिर पड़े तो?

﴾19﴿
باب فِي الْهَدْىِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

(1762) हज़रत नाजिया असलमी (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके हाथ अपनी क़ुर्बानी भिजवाई और उन्हें फ़रमाया: 'अगर उनमें से कोई जानवर हलाक होने लगे तो उसे नहर कर देना, उसके जूते को उसके ख़ून से रंग देना, फिर उसे लोगों के लिये छोड़ देना।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 910, व इब्ने माजा, हदीस: 3106, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2577, इब्ने हिब्बान, हदीस: 976, हाकिम: 1/447.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ " .

(1763) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़लां असलमी को भेजा और उसके साथ अठारह ऊँट क़ुर्बानी के भिजवाये। वह कहने लगा: फ़रमाइये अगर इनमें से कोई अपने पाँव घसीटने लगे (चलने से लाचार हो जाये और थक जाये तो?) आपने फ़रमाया: 'उसे नहर कर देना, उसके जूतों को खून से चुपड़ कर उसकी कोहान पर निशान लगा देना और तुम या तुम्हारे साथियों में से कोई उससे न

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ - عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فُلاَنًا الأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ

बाब : 9
मवाक़ीत का बयान (यानी वह मक़ामात जहां से एहराम बाँधा जाता है)

﴾9﴿

باب في الْمَوَاقِيتِ

(1737) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵄) से मरवी है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले मदीना के लिए 'ज़ुल हुलैफ़ा' (मौजूदा आबारेअली) अहले शाम के लिए 'जोहफ़ा' अहले नजद के लिए 'क़रूनल मनाज़िल' के मक़ामात मुतअ़य्यन फ़रमाये थे। और मुझे ये ख़बर भी पहुँची है कि आपने अहले यमन के लिए 'यलमलम' मुतअ़य्यन किया था।

(1737) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1525, व मुस्लिम: 1182, मौता (यहया): 1/330.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

(1738) हम्माद अ़म्र बिन दीनार से, वह ताऊस से, वह इब्ने अ़ब्बास (﵄) से... और इब्ने ताऊस (अ़ब्दुल्लाह) अपने बाप ताऊस से (वह इब्ने अ़ब्बास (﵄) से) रिवायत करते हैं। इन दोनों (अ़म्र बिन दीनार और अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मीक़ात (मक़ामाते एहराम) मुक़र्रर फ़रमाये थे। उन दोनों में से एक ने कहा कि अहले यमन के लिए (यलमलम) और दूसरे ने कहा (अलमलम)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمَ قَالَ " فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ

عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَأَشْتَرِطُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ " قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "

'हाँ!' कहने लगीं: तो कैसे कहूं? फ़रमाया: 'कहो (लब्बैक! अल्लाहुम्मा लब्बैक ... मैं रास्ते में वहीं हलाल हो जाऊंगी जहां तू मुझे रोक लेगा।'

(1776) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 941, मुसनद अहमद: 6/360, व मुस्लिम: 1208.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सय्यदा ज़ुबाअ़ा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की चचाज़ाद बहन हैं और उनकी कुन्नियत उम्मे हकीम है। **(2)** अगर इन्सान को कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक़ हो, जो सफ़र और आ़माले हज के लिए रूकावट बन सकता हो तो ऊपर बताये गये अंदाज़ में शर्त करके एहराम बाँध सकता है और जहां रूकावट हो जाये हलाल हो सकता है और दोबारा उस हज या उ़मरे की क़ज़ा लाज़िम न होगी। ताहम स़ाहिबे इस्तेताअ़त के लिए क़ज़ा ज़रूरी होगी। वल्लाहू आ़लम **(3)** सय्यदा ज़ुबाअ़ा बिन्ते ज़ुबैर (ﷺ) ने ये शर्त तो लगाई थी मगर रूकावट पेश न आई थी और उन्होंने हज पूरा कर लिया था।

(23) بَابٌ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

बाब : 23 हज्जे इफ़राद के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ .

(1777) हज़रत आ़यशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जे इफ़राद किया था।

(1777) तख़रीज : मौता: 1/335, व मुस्लिम: 1211.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज के लिए एहराम और नियत के तीन अंदाज़ मशरूअ़ हैं: एक ये कि इन्सान एहराम बाँधते हुए स़िर्फ़ और स़िर्फ़ हज की नियत करे। इस सूरत में इन्सान आ़माले हज मुकम्मल होने तक एहराम ही में रहता है। ऐसा 'हज्जे इफ़राद' (हम्ज़ह के ज़ेर के साथ) कहते हैं, यानी मुफ़रिद हज। दूसरी सूरत ये है कि हज और उ़मरह की इकट्ठी नियत हो। इस सूरत में हाजी पहले उ़मरह करता है, इसके बाद एहराम की हालत में रहता है यहां तक कि हज के आ़माल पूरे कर ले। इसको 'हज्जे क़िरान' (क़ाफ़

के ज़ेर के साथ) कहते हैं , यानी हज और ड़मरे को मिलाकर अदा किया। तीसरी सूरत ये है कि हाजी पहले ड़मरह की नियत से एहराम बाँधे। मक्का पहुँच कर ड़मरह के आमाल मुकम्मल कर के हलाल हो जाये और फिर 8 ज़ुलहिज्जा को दोबारा हज के साथ ड़मरे का फ़ायदा भी हासिल कर लिया। सबसे अफ़ज़ल हज्जे तमत्तोअ ही है। अगर क़ुर्बानी साथ लेकर जाये तो क़िरान होगा। और हज्जे इफ़राद भी हर तरह से जायज़ है। (क़ुर्बानी समेत या क़ुर्बानी के बग़ैर) रसूलुल्लाह(ﷺ) का हज्जे क़िरान था जबकि सहाबा में इफ़राद वाले भी थे और तमत्तोअ वाले भी। **(2)** इस मानी की अहादीस में नबी (ﷺ) के शुरूआती अमल का बयान है। क़िरान की नियत आपने बाद में फ़रमाई थी। कुछ मुहद्दिसीन इस तरह कहते हैं कि आप शुरू ही से 'क़ारिन' थे। मगर चूंकि (क़ारिन) को इजाज़त होती है कि किसी वक़्त (लब्बैक बिहज्जतिन) किसी वक़्त (लब्बैक बिड़मरतिन) और किसी वक़्त (लब्बैक बिहज्जतिन व ड़मरतिन) कहे इसलिए सहाबा किराम(رضي الله عنهم) की ज़बान से जो सुना बयान किया। इसमें तआरूज़ (डिस्पीयूट) वाली कोई बात नहीं। (मिरआतुल मफ़ातीह—शरह हदीस: 2569)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ " . قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ " فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ " وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ

(1778) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि ज़ुलहिज्जा का चाँद आने पर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले। जब ज़ुल हुलैफ़ा मक़ाम पर आये तो आपने फ़रमाया: 'जो हज का एहराम बाँधना चाहता है बाँध ले और जो चाहे ड़मरे की नियत कर ले।' ... मूसा बिन इस्माईल ने वुहेब की रिवायत में बयान किया कि ... (आपने फ़रमाया:) 'मैंने अगर क़ुर्बानी साथ न ली होती तो ड़मरे का एहराम बाँधता।' और हम्माद बिन सलमा की रिवायत में कहा: ... 'और मैं हज का एहराम बाँध रहा हूं क्योंकि मेरे साथ क़ुर्बानी है।' आगे रिवायत बयान करने में सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं। (आयशा (رضي الله عنها) कहती हैं कि) मैं उन अफ़राद में से थी जिन्होंने ड़मरे का एहराम बाँधा, फिर रास्ते में एक जगह मुझे हैज़ शूरू हो गया।

مَعِيَ الْهَدْىَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ " . قُلْتُ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ . قَالَ " ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي " . قَالَ مُوسَى " وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ " . فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ أَمَرَ - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ . زَادَ مُوسَى فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا . قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْىٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها

रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये और मैं रो रही थी। आपने पूछा: क्यों रो रही हो? मैंने कहा: मैं चाहती हूं कि इस साल न आई होती (तो अच्छा था) आपने फ़रमाया: 'अपना ड़मरह छोड़ दो' अपने बाल खोल लो और कंघी कर लो।' मूसा ने कहा: 'और हज की नियत कर लो ... ' और सुलेमान ने कहा ...'और इसी तरह करो जैसे कि मुलसमान अपने हज में करते हैं।' अलग़र्ज़ जब (हज से) वापस की रात आई, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़ब्दुर्रहमान (इब्ने अबी बक्र(رضي الله عنه) यानी आ़यशा के भाई) को हुक्म दिया, तो वह उन्हें तन्ईम ले गये ... मूसा ने मज़ीद कहा ... पस उन्होंने ड़मरे का एहराम बाँधा। यानी अपने पहले ड़मरे के बदले, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। अलग़र्ज़ अल्लाह ने उनका ड़मरह और हज पूरा कर दिया। हिशाम कहते हैं ... इस सूरत में कोई हद्य (फ़िदया वग़ैरह) न हूआ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मूसा ने हम्माद बिन सलमा की रिवायत में मज़ीद कहा: फिर जब बतहा की रात आई (यानी मिना में इक़ामत की रात) तो हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) पाक हो गई थी।

(1778) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2718, बुख़ारी, हदीस: 317, व मुस्लिम: 1211.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) को हैज़ की कैफ़ियत मक्का के क़रीब वादी सरिफ़ में लाहिक़ हूई। **(2)** ऐसी सूरत में औ़रत को ड़मरे की नियत को हज में बदल लेना चाहिए।

(1779) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि हम हज्जतुल विदाअ़ के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले। हममें से कुछ ने उ़मरे का एहराम बाँधा, कुछ ने हज और उ़मरे का और कुछ ने सिर्फ़ हज का जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज का एहराम बाँधा था। तो जिन्होंने हज या हज और उ़मरे दोनों का एहराम बाँधा था वह क़ुर्बानी के दिन (यौमुन नहर, 10 ज़ुलहिज्जा) तक हलाल न हूए।

(1779) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1562, व मुस्लिम: 1211, मौता: 1/335.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

(1780) मालिक ने अबुल अस्वद से अपनी सनद से इसी के मिस्ल बयान किया और ये मज़ीद कहा: और जिन्होंने उ़मरे का एहराम बाँधा था वह हलाल हो गये।

(1780) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैह.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ .

(1781) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि हज्जतुल विदाअ़ में नबी(ﷺ) के साथ निकले। हमने उ़मरे का एहराम बाँधा। फिर आपने फ़रमाया: 'जिसके साथ हद्य है वह उ़मरे के साथ हज का तल्बिया भी कहे, और वह हलाल नहीं होगा यहाँ तक कि इन दोनों से फ़ारिग़ हो।' सो मैं मक्का आई तो हैज़ की कैफ़ियत में थी मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया और न स़फ़ा मरवा की सई की। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ

يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ " . قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوا طَوَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

इसकी शिकायत की, तो आपने फ़रमाया: 'अपना सर खोल लो, कंघी कर लो और हज का एहराम बाँध लो और ड़मरह छोड़ दो।' फ़रमाती हैं: चूनांचे मैंने ऐसे ही किया। फिर जब हमने हज पूरा कर लिया तो रसूल (ﷺ) ने मुझे (मेरे भाई) अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र(رضي الله عنه) के साथ तन्ईम भेजा और मैंने ड़मरह किया। और आपने फ़रमाया: 'ये तेरे उस ड़मरे के बदले है।' वह बयान करती हैं कि (मक्का पहुँचने के बाद) जिन लोगों ने ड़मरे का एहराम बाँध रखा था उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और स़फ़ा मरवा की सई की और फिर हलाल हो गये। उन लोगों ने मिना से वापसी के बाद हज के लिए एक और तवाफ़ किया (तवाफ़े इफ़ाज़ा/ज़्यादा) मगर जिन लोगों ने हज और ड़मरे का इकट्ठे एहराम बाँधा था (हज्जे क़िरान का) तो उन्होंने स़िर्फ़ एक ही तवाफ़ किया।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसे इब्राहीम बिन सईद और मअ़मर ने इब्ने शिहाब से इसी की मानिन्द रिवायत किया है। इन लोगों ने ड़मरह के एहराम बाँधने वालों या हज और ड़मरह का इकट्ठा एहराम बाँधने वालों के तवाफ़ का ज़िक्र नहीं किया।

(1781) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1556, मौता: 1/411, व मुस्लिम: 1211.

फ़ायदा : (क़ारिन) को रूख़्सत है कि दसवीं तारीख़ के तवाफ़ (ज़्यादा/इफ़ाज़ा) के बाद स़फ़ा मरवा की सई न करे बल्कि तवाफ़े क़ुदूम के साथ की जाने वाली सई पर किफ़ायत कर ले तो मुबाह है। (तमत्तोअ) वाला दो तवाफ़ और दो सई करने का पाबन्द है। यानी एक बार ड़मरे के लिए और दूसरी बार हज के लिए।

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ " . فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ " . فَقَالَ " انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ " . قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ .

(1782) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हमने हज का तल्बीया कहा यहाँ तक कि जब हम मक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया। नबी(ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये तो मैं रो रही थी। आपने पूछा: 'आयशा! क्यों रो रही हो?' मैंने कहा: मुझे हैज़ आ गया है। काश! मैं हज के लिए न आई होती। आपने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! ये तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दी है।' तब आपने फ़रमाया: 'हज के तमाम आमाल पूरे करो, सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' चूनांचे जब हम मक्का में दाख़िल हूए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अपने इस एहराम को उमरे का बनाना चाहे बना ले, सिवाए उसके जिसके पास क़ुर्बानी हो।' हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन अपनी अज़वाज की तरफ़ से गाय ज़बह किये और जब बतहा की रात आई और आयशा (رضي الله عنها) पाक हो गयीं तो उन्होंने नबी (ﷺ) से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मेरे साथ वाली हज और उमरह करके जायेंगी और मैं सिर्फ़ हज के साथ लौटूंगी? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र(رضي الله عنه) को हुक्म दिया वह इसे तन्ईम ले गये और उस (आयशा) ने उमरे का तल्बीया कहा।

(1782) तख़रीज : मुस्लिम: 1211.

أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ . - قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ - مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " .

आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये मक़ामात इन (पिछले) जगहों के रहने वालों के लिए हैं और दूसरी जगहों के उन लोगों के लिए भी जो यहां से गुज़रें जो कि हज और उ़मरह की नियत रखते हों और जो उनसे वरे (अलावा) (मक्के की जानिब) मुक़ीम हों। 'इब्ने ताऊस ने कहा ... वह वहीं से एहराम बाँधें जहां से वह सफ़र शूरू करें यहाँ तक कि अहले मक्का अपने शहर और घर ही से एहराम बाँध कर निकलें।

(1738) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1526, मुस्लिम: 1181.

फ़ायदा : इन मक़ामात से एहराम बाँधना उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो हज या उ़मरह की नियत रखते हों, दूसरों के लिए नहीं है।

☆ **यलमलम:** बैतुल्लाह के जुनूब में एक मक़ाम है जो यमन, चीन, बंगलादेश, आफ़ग़ानिस्तान, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात है। ये मक्का मुकर्रमा से 92 किलोमीटर पर वाक़ेअ़ है।

☆ **ज़ुलहलैफ़ा:** मदीना मुनव्वरा और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। इसका मौजूदा नाम आबारेअ़ली है। मदीना से क़रीबतर और मक्का से तक़रीबन साढ़े चार सौ किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ेअ़ है।

☆ **जोहफ़ा:** शाम, तुर्की और मिस्र की जानिब से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती मौजूद नहीं मगर क़रीब ही 'राबग़' नामी जगह से लोग एहराम बाँधते हैं। ये मक्का से शिमाल मग़रिब (उत्तर पश्चिम) में 187 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ेअ़ है।

☆ **ज़ातुलइर्क़:** इराक़ वग़ैरह की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती मौजूद नहीं मगर क़रीब ही 'अज़्ज़रीबा' नामी जगह से लोग एहराम बाँधते हैं। जिसे ख़रीबात भी कहते हैं। ये मक्का से शिमाल मशरिक़ में 94 किलोमीटर के फ़ासले पर है।

☆ **क़रूनल मनाज़िल:** अहले नज्द और अ़रफ़ात की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती मौजूद नहीं मगर क़रीब ही 'अस्सैल' नामी जगह से एहराम बाँधा जाता है जो मक्का से 94 किलोमीटर दूर है।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَفْلَحَ، - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ .

(1739) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले इराक़ के लिए 'ज़ातेइर्क़' का मक़ाम मुतअय्यन फ़रमाया था। (एहराम के लिए)

(1739) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2654, हदीस पहले गुज़र चुकी है: 1742 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .

(1740) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले मशरिक़ के लिए मक़ामे 'अ़क़ीक़' मुक़र्रर फ़रमाया था।

(1740) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 832.

तौज़ीह : अहले मशरिक़ से मुराद मक्का से मशरिक़ी जानिब के इलाक़े हैं यानी इराक़ और उसके अतराफ़। और 'अ़क़ीक़' नामी वादी एक तो मदीना के क़रीब है दूसरी यही है जो ज़ातेइर्क़ के क़रीब और उसके मुक़ाबिल में है और यहां यही दूसरी मुराद है। (मिर्आतुल मफ़ातीह, हदीस: 2554)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، حُكَيْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " . أَوْ " وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتَهُمَا

(1741) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'जिसने मस्जिदे अक़्सा से मस्जिदे हराम तक हज या उ़मरे का एहराम बाँधा, उसके अगले पिछले सब गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जायेंगे। या फ़रमाया: उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।' अ़ब्दुल्लाह (इब्ने अ़ब्दुर्रहमान बिन युहन्नस) को शक हूआ है कि मालूम नहीं आप (ﷺ) ने दोनों में से कौनसी बात कही थी।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: अल्लाह तआ़ला वकीअ़ पर रहमत फ़रमाये, उन्होंने बैतुल मक़्दिस से मक्का के लिए एहराम बाँधा।

قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللَّهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ .

(1741) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3002, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1021.

नोट : हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) वाली रिवायत की सनद और मतन में बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ है। (मुन्ज़िरी वग़ैरह) अगरचे कई एक स़हाबा व ताबेईन से मीक़ात से पहले एहराम बाँधना स़ाबित है मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़रीह फ़रमान से कि 'आपने ये ये मनाज़िल मुतअय्यन फ़रमाये थे।' यही स़ाबित है कि इन मक़ामात से एहराम बाँधना ही सुन्नते नबवीया और अफ़ज़ल अ़मल है। (तफ़्स़ील के लिए देखिए: मिर्आतुल मफ़ातीह, हदीस़: 2540)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كُرَيْمٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءُ الأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ . قَالَ وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ .

(1742) जनाब हारिस़ बिन अ़म्र सहमी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप मिना या अ़रफ़ात में थे। लोगों ने आपको घेर रखा था। बदवी लोग आप (ﷺ) के पास आते थे, जब आपका चेहरा अनवर देखते तो कहते: 'ये तो मुबारक चेहरा है।' हारिस़ बयान करते हैं कि आपने अहले इराक़ के लिए मक़ामे 'ज़ातेइर्क़' को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया।

(1742) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 3/261, 262, हदीस़: 3351, हदीस़: 1739 में देखें।

﴿10﴾ باب الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

बाब : 10
हायज़ा ख़ातून, हज के लिए एहराम बाँधे

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

(1743) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि अस्मा बिन्ते उमैस (رضي الله عنها) (ज़ोजा अबूबक्र सि़द्दीक़(رضي الله عنه)) ने शजरह के मक़ाम पर मुहम्मद बिन अबीबक्र (رضي الله عنه) को जन्म

نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهِلَّ .

दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबूबक्र (رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'इसे चाहिए कि गुस्ल करके एहराम बाँध ले।'

(1743) तख़रीज : मुस्लिम: 1209.

फ़ायदा : मक़ामे शजरह से मुराद ज़ुल हुलैफ़ा या अल बैदा है जो अहले मदीना की मीक़ात है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى "كُلَّهَا" . قَالَ " الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ " .

(1744) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हैज़ और निफ़ास वाली औ़रतें जब मीक़ात पर पहुँचें तो गुस्ल करके एहराम बाँध लें और हज के तमाम आ़माल सरअंजाम दें, सिवाए बैतुल्लाह के तवाफ़ के।'

अबू मअ़मर की रिवायत में है 'यहाँ तक कि वह पाक हो जायें' मुहम्मद बिन ईसा की रिवायत में इकरमा और मुजाहिद का ज़िक्र नहीं है बल्कि (उसकी सनद) 'अ़ता अ़न इब्ने अ़ब्बास' है ऐसे ही इब्ने ईसा की रिवायत में (कुल्लहा) का लफ़्ज़ नहीं आया बल्कि यूँ कहा (अल मनासिक इल्लत्तवाफ़ बिल बैत)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 945.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ व निफ़ास वाली औ़रतें हज व उ़मरह के लिए गुस्ल कर के एहराम बाँधें, तल्बीया पुकारें और तस्बीहात, इस्तेग़फ़ार और अज़कार में मशग़ूल रहें। सिवाए बैतुल्लाह के तवाफ़ के उन पर और कोई पाबन्दी नहीं। **(2)** ऐसे ही किसी को एहतलाम (नाइट फाल) हो जाये तो उसके एहराम में कोई ख़लल नहीं आता।

बाब : 11
एहराम के वक़्त ख़ूशबू लगाना

(11)
باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلإِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(1745) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम बाँधने के वक़्त, एहराम से पहले ख़ूशबू लगाया करती थी और ऐसे ही एहराम खोलने के बाद, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले।

(1745) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1539, मौता (यहया), 1/328, व मुस्लिम: 1189.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

(1746) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, फ़रमाती हैं कि गोया मैं कस्तूरी की उस चमक को देख रही हूं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में लगी होती जब कि आप एहराम में होते।

(1746) तख़रीज : मुस्लिम: 1190.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम के बीच ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं की जा सकती, अलबत्ता एहराम की तैयारी के वक़्त गुस्ल करते और लिबास बदलते हूए एहराम से पहले पहले ख़ूशबू लगा लेना सुन्नत है। ऐसे ही दस जुल हज को तवाफ़े एफ़ाज़ा के मौक़े पर। **(2)** इस ख़ूशबू का रंग और असर हालते एहराम में बाक़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। **(3)** मुहरिम को चाहिए कि हालते एहराम में गुस्ल के लिए ऐसा साबुन इस्तेमाल करे जिसमें अतरयात (प्रफ़्यूम) शामिल न हो।

बाब : 12
एहराम के लिए बालों को किसी चीज़ से जमा लेने का बयान

﴾12﴿

باب التَّلْبِيدِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

(1747) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (﵁) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तल्बीया पुकारते हूए सुना जबकि आप अपने सर के बाल जमाए हूए थे।

(1747) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1540, व मुस्लिम: 1184.

फ़ायदा : बाल जब लम्बे हों तो उन्हें संभालना एक मसला होता है, लिहाज़ा एहराम की हालत में उन्हें ज़्यादा परा गन्दा होने या बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार वग़ैरह से बचाने के लिए किसी मुनासिब चीज़ से चिपका लिया जाये तो ये सुन्नत है और इसको 'तलबीद' कहते हैं।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ .

(1748) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़सल के साथ अपने बाल चिपकाए हूए थे।

(1748) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

अलबैहक़ी, हदीस़: 3675, मुस्तदरक, 1/450.

तौज़ीह : (अ़सल) ऐ़न और सीन ग़ैर मनक़ूत के ज़बर के साथ, मअ़रूफ़ मानी शहद है मगर एक क़िस्म की गूंद को भी (अ़सल) कहा जाता है। लिसानुल अ़रब में है। 'अहले अ़रब अ़रफ़त की गूंद को भी अ़सल कहते हैं क्योंकि इसमें मिठास होती है।' अगर ये कलिमा ग़ैन मनक़ूत के ज़ेर और सीन के सुकून के साथ हो तो उसके मानी हैं। 'हर वह चीज़ जिस से इन्सान बिलड़मूम गुस्ल करता है। शारेहीन उससे मुराद 'ख़त्मी' लेते हैं।'

बाब : 13
(हद्य) 'क़ुर्बानी' का बयान

﴿13﴾ باب فِي الْهَدْيِ

फ़ायदा : (हद्य) हा के ज़बर और दाल के जज़म के साथ, या हा के ज़बर दाल के ज़ेर, और या की शद के साथ, वह जानवर (ऊँट, गाय या बकरी) जो अल्लाह के तक़र्रूब के लिए हरम की तरफ़ हदिया भेजा जाये और वहां क़ुर्बान किया जाये (हद्य) कहलाता है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، - الْمَعْنَى - قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ - حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ . قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِيُّ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ

(1749) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हुदैबिया के साल क़ुर्बानी के जानवर (साथ) ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) की इन क़ुर्बानियों में एक ऊँट वह भी था जो अबू जहल का था... उसकी नाक में चाँदी का छल्ला पड़ा हूआ था ... इब्ने मिन्हाल ने कहा: सोने का छल्ला पड़ा हूआ था। नुफ़ैली ने इज़ाफ़ा किया कि आप इसे मुश्रिकों को जलाने के लिए ले गये थे। (कि उनके सरदार का ऊँट मुहम्मद (ﷺ) के क़ब्ज़े में है)

(1740) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/261, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2897, 2898, हाकिम: 1/467, मौता (यहया), हदीस़: 1/377, इब्ने माजा: 3100, 3101 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवरों की नकेल वग़ैरह में थोड़ी बहुत चाँदी का इस्तेमाल मुबाह है। **(2)** इस्लाम और मुसलमानों का इज़्हार व ग़लबा और कुफ़्र व कुफ़्फ़ार को नीचा दिखाना और उन्हें ज़लील रखना, दीने हक़ का मतलूब व मक़्सूद है। इससे कुफ़्फ़ार जलते और मुसलमानों के सीने ठण्डे होते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का अबू जहल के ऊँट को बतौर ख़ास़ क़ुर्बानी के लिये ले जाना इसी मक़्सद से था। और ये मफ़हूम सूरह तौबा की आयत 14 और 15 में भी आया है, फ़रमाया: 'लड़ो उनसे' अज़ाब देगा अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें और रूस्वा करेगा उन्हें और तुमको उन पर ग़लबा देगा और ठण्डा करेगा दिल अहले ईमान के और निकालेगा उनके दिलों की भड़ास।'

बाब : 14
गाय, बैल की क़ुर्बानी

﴿14﴾ باب فِي هَدْيِ الْبَقَرِ

(1750) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ में आले मुहम्मद की तरफ़ से एक गाय ज़बह की थी।

(1750) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3135, नसाई, हदीस: 4129.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में 'आले मुहम्मद' से मुराद नबी (ﷺ) की अज़वाजे मुतहहरात हैं। **(2)** बीवी बच्चों की तरफ़ से शौहर क़ुर्बानी करे, तो जायज़ है। **(3)** उनकी तादाद कितनी ही हो सबकी तरफ़ से एक क़ुर्बानी काफ़ी होती है। जबकि बच्चे बाप के साथ रह रहे हों।

(1751) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़वाज की तरफ़ से 'जिन्होंने उमरह किया था' एक गाय ज़बह की थी।

(1751) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3133, इब्ने हिब्बान, हदीस: 977, वलहाकिम: 1/467, बुख़ारी, हदीस: 1709, व मुस्लिम: 1319.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .

बाब : 15 क़ुर्बानी के ऊँटों को 'इशआर' करना

﴿15﴾ باب فِي الإِشْعَارِ

(1752) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा के मक़ाम पर पढ़ी। फिर

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ " تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ " . أَوْ قَالَ " مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ " وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ " ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا " . مَكَانَ " اضْرِبْهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الإِسْنَادَ وَالْمَعْنَى كَفَاكَ .

खाये।' हदीस़ के लफ़्ज़ (मिन अस़हाबिक) थे या (मिन अहले रूफ़्क़तिक) थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ में ये जुमला (वला तअकुल मिनहा अन्त वला अहदुम मिन रूफ़्क़तिक) मुन्फ़रिद है और अ़ब्दुल वारिस़ की रिवायत में (सुम्मा इज़्रिब्हा) की बजाये (इज्अ़ल्हू अ़ला स़फ़्हतिहा) आया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू सलमा (मूसा बिन इस्माईल अलमुन्क़री) से सुना, वह कहते थे कि जब तुमने हदीस़ की सनद और उसके मानी स़हीह और दुरूस्त तौर पर बयान कर दिये तो काफ़ी है। (अल्फ़ाज़ बदलने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, यानी रिवायत बिलमानी जायज़ है।)

(1763) तख़रीज : मुस्लिम: 1325.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हद्य का जानवर रास्ते में लाचार हो जाये या हलाक होने लगे तो उसको वहीं नहर या ज़बह कर दिया जाये, उसके पाये और कोहान पर ख़ून से निशान लगाना इसलिए है कि आ़म लोगों को ख़बर रहे कि हद्य का जानवर था। हद्य ले जाने वाले ख़ुद इससे कुछ न खायें। **(2)** बिलमानी रिवायत करने और उसके जायज़ होने की दो शर्तें हैं एक तो सनद स़ही हो, दूसरी ये कि वह हदीस़ भी मानी के हिसाब से सही हो।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَعْلَى، ابْنَا عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا .

(1764) हज़रत अ़ली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब अपने ऊँट नहर किये तो तीस ऊँट अपने हाथ से नहर किये और बाक़ी के मुताल्लिक़ मुझे हुक्म फ़रमाया और मैंने उन्हें नहर किया।

(1764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/159, 160.

नोट : सहीह तर रिवायत ये है कि नबी (ﷺ) ने तेरेसठ ऊँट अपने हाथ से नहर किये थे और बाक़ी हज़रत अली (رضي الله عنه) ने। (सही मुस्लिम: 1218)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ " . قَالَ عِيسَى قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي . قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا - قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ - قَالَ " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ " .

(1765) हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ुर्त (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तबारक व तआला के यहां सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर (10 ज़ुलहिज्जा) इसके बाद यौमुल क़र (11 ज़ुलहिज्जा) है।'

ईसा ने सौर से नक़ल किया कि ये दूसरा दिन होता है। और बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पाँच या छह ऊँटनियाँ लाई गई तो वह आपके क़रीब कर दी गईं कि आप इसी से इब्तेदा करें। जब वह सब (नहर हो गईं और) पहलूओं के बल गिर पड़ी तो आपने आहिस्ता से कुछ फ़रमाया जो मैं न समझ सका। मैंने (साथ वालों से) पूछा कि आपने क्या फ़रमाया है? तो बताया कि 'जो चाहे (गोश्त) काट ले जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/350, इब्ने ख़ुज़ैमाह, हदीस: 2866, 2966, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1044, हाकिम: 4/221, बैहक़ी: 7/288.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवरों को भी नबी (ﷺ) की जलालते शान का इल्म था और वह आपके हाथ से नहर होने को बाइसे शर्फ़ जानते थे। **(2)** ग़ैर मुअय्यन को हदिया करना भी जायज़ है। **(3)** सहीह अहादीस में जुमा को (ख़ैरू यौम) यानी 'बेहतरीन दिन' क़रार दिया गया है। (सही मुस्लिम) और इस हदीस में यौमुन नहर को आज़मुल अय्याम कहा गया है। इन अहादीस में जुमा और इन दोनों दिन के दरम्यान तत्बीक़ यूँ है कि हफ़्ते के अय्याम में जुमा का दिन और साल के दिनों में दसवीं ज़ुलहिज्जा का दिन अफ़ज़ल है। अगर यौमुन नहर यौमे जुमा को हो तो दो फ़ज़ीलतें जमा हो गयीं, अगर अलग अलग हों तो अफ़ज़लियत यौमुन नहर को होगी। जैसा कि इस हदीस में आया है। (औनुल माबूद)

(1766) हज़रत अ़रफ़ा बिन हारिस़ किन्दी(ﷺ) कहते हैं कि मैं हज्जतुल विदाअ़ में रसूल (ﷺ) के यहां हाज़िर था कि क़ुर्बानी की ऊँटनियां लाई गईं। आपने फ़रमाया: 'अबूल हसन (अ़ली) को बुलाओ।' चूनांचे उन्हें आपके लिए बुलाया गया, तो आपने उनसे फ़रमाया: 'हथियार को नीचे से पकड़ो।' और ख़ूद आपने उसके ऊपर से पकड़ा, फिर आप दोनों ने उसे (ऊँटनियों के नहर करने में) चलाया। जब आप फ़ारिग़ हो गये तो अपने ख़च्चर पर सवार हूए और हज़रत अ़ली(ﷺ) को भी अपने साथ बिठा लिया।

तख़रीजः(सनद-ज़ईफ़)तबरानी: 18/261,262 ह: 655

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَزْدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ " ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ " . فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - فَقَالَ لَهُ " خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ " . وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلاَهَا ثُمَّ طَعَنَ بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رضى الله عنه

बाब : 20
ऊँटों को किस तरह 'नहर' किया जाये?

﴿20﴾
بَاب كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

(1767) जनाब अबू ख़ालिद अहमर, इब्ने जुरेज से, वह अबूल ज़ुरेज से और वह हज़रत जाबिर(ﷺ) से रिवायत करते हैं ... और (इब्ने जुरेज ने कहा:) मुझे अ़ब्दुर्रहमान बिन साबित ने ख़बर दी ... कि 'नबी(ﷺ) और आपके स़हाबा ऊँट को 'नहर' किया करते थे जबकि उसका बायां पाँव बँधा होता और वह बाक़ी तीन पाँवों पर खड़ा होता।

(1767) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/237, 238, इब्ने अलमुलक़्क़िन, हदीस़: 1678.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवर को ज़बह करने के लिए अगर उसके हल्क़ पर छूरी चलाई जाये तो उसे इस्तेलाहन 'ज़बह करना' कहते हैं और अगर लबा (हल्क़ के नीचे हंसली के क़रीब नरम जगह) पर चलाई जाये तो उसे 'नहर करना' कहते हैं। ऊँट को नहर करना अफ़ज़ल है और बकरी को ज़बह करना। गाय के लिये दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल हूए हैं मगर इसके मानी बिलउमूम ज़बह करना ही किये जाते हैं जैसे कि पीछे अहादीस़ 1750 और 1751 में गुज़रा है। **(2)** इसमें ऊँट के नहर करने का तरीक़ा बयान हूआ है। ऊँट को उसके मुताबिक़ ही नहर करने की कोशिश करनी चाहिए।

(1768) जनाब ज़ियाद बिन जुबैर कहते हैं कि मैं मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के साथ था कि वह एक आदमी के पास से गुज़रे और वह अपनी ऊँटनी को नहर करना चाह रहा था जबकि वह बैठी हूई थी। तो हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे खड़ी करो' (एक) पाँव बँधा हूआ हो, यही मुहम्मद (ﷺ) की सुन्नत है।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

(1768) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1713, व मुस्लिम: 1320.

फ़ायदा : फ़रामीने रसूल (ﷺ) और आपके अफ़आल की इत्तेबा–ए–कामिल ही का नाम 'दीन' है। स़हाबा किराम (ﷺ) की सीरतें (जीवनी) यही बताती हैं। वह हमेशा इसके दाई रहे और क़यामत तक के लिये यही अहले उस़ूल है। स़रीह नुसूस़ (दलील) के होते हूए 'राय, ख़्यालात और फ़तवा' का क्या मक़ाम?

(1769) हज़रत अ़ली (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया कि मैं आपके ऊँट के पास खड़ा हो जाऊं (जबकि वह नहर किये जा रहे थे) और उनके चमड़े और झोल तक़सीम कर दूं। क़स़ाब (कसाई) को इनमें से कोई शै न दूं। उन्होंने बताया कि क़स़ाब की मज़दूरी हम अपने पास से दिया करते थे।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا

وَجِلاَلَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

(1769) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1716, व मुस्लिम: 1317.

﴾21﴿ بَابٌ فِي وَقْتِ الإِحْرَامِ

बाब : 21
एहराम बाँधने का वक़्त

फ़ायदा : (एहराम) के लुगवी (डिक्शनरी) मानी हैं 'हुरमत में दाख़िल होना' और इस्तेलाहन: हज या उ़मरह की इबादत में शूरू होने की नियत को एहराम कहते हैं। इसके आदाब में से ये है कि इंसान पहले आ़म तहारत व नज़ाफ़त का एहतमाम करे यानी नाख़ून और मूंछें वग़ैरह काट ले, बग़लों और ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ कर ले, अगर सफ़ाई व सुथराई को देर हो गई हो तो ग़ुस्ल करे क्योंकि ये मसनून अ़मल है और अगर एक दिन पहले ग़ुस्ल वग़ैरह किया हो तो फिर दोबारा ग़ुस्ल की ज़रूरत नहीं फिर साफ़ वज़ू ही कर ले। इसके बाद मर्द अपने आ़म सिले हूए कपड़ों की बजाये सिर्फ़ दो चादरें पहन ले। एक बतौर इज़ार (ज़ेरीं जिस्म के लिए) और दूसरी कंधों पर डालने के लिए। उस वक़्त ख़ूशबू का इस्तेमाल भी सुन्नत है। जूता ऐसा होना चाहिए जिसमें टख़ने नंगे हों। इस मौक़े पर दो रकअ़त पढ्ने की कोई वाज़ेह दलील नहीं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं, ताहम फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एहराम बाँधना (अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन) या (अल्लाहुम्मा लब्बैक उ़मरह) और इस कलिमा का विर्द शूरू कर दे। (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअ़मत लकल मुल्क ला शरीक लक) इसके बाद मर्द अपना सर नहीं ढाँप सकता, सिला हूआ लिबास, क़मीस़, शलवार, पाजामा, मौज़ह और दस्ताने नहीं पहन सकता। ख़ूशबू नहीं लगा सकता। बाल या नाख़ून नहीं काट सकता। ज़ौज़ैन (मियां बीवी) मुबाशरत (हमबिस्तरी) नहीं कर सकते, ख़ुश्की का शिकार करना भी मना होता है।

ख़वातीन का लिबासे एहराम वही आ़म ही होता है जो वह इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ़ दस्ताने नहीं पहन सकतीं और नक़ाब भी न लें लेकिन जब अजानिब (ग़ैर महरम) सामने आयें तो फिर इस सूरत में परदा वाजिब है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ

(1770) हज़रत सईद बिन जुबैर (ؓ) कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ؓ) से कहा: ऐ अबूल अ़ब्बास! मुझे ताज्जुब है कि अस्हाबे रसूल, रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम के बारे में

الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لاِخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَوْجَبَ . فَقَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالاً فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلاَ

इख़्तिलाफ़ करते हैं कि आपने किस वक़्त एहराम बाँधा था। उन्होंने कहा: मैं इस बारे में सबसे ज़्यादा बाख़बर हूं। दरअस्ल आपने चूंकि एक ही हज किया है तो इस वजह से इख़्तिलाफ़ हूआ है। आप हज की नियत से रवाना हूए। जब आपने अपनी मस्जिद में यानी जुल हुलैफ़ा में दो रकअ़तें पढ़ लीं तो आपने अपनी इसी मज्लिस में नियत फ़रमा ली और उन दो रकअ़तों से फ़ारिग़ होने के बाद हज का तल्बीया कहा। पस कुछ लोगों ने उस वक़्त सुन लिया और उसे याद रखा। फिर आप अपनी सवारी पर सवार हो गये। जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर खड़ी हूई तो आपने तल्बीया कहा, कुछ लोगों ने इसको पाया। दर हक़ीक़त लोग गिरोह दर गिरोह आपके पास आ रहे थे तो जिन्होंने आपको ऊँटनी पर बैठे हूए तल्बीया पुकारते सुना, उन्होंने यही समझा कि आपने ऊँटनी पर बैठने के बाद, जब वह खड़ी हूई है, तल्बीया कहा है। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) चल दिये और जब मैदाने बैदा की बलन्दी पर पहुँचे तो आपने तल्बीया कहा। कुछ लोगों ने उसको पाया तो उन्होंने कहा कि आपने बैदा की बलन्दी पर पहुँच कर तल्बीया कहा। (सईद ने कहा) क़सम अल्लाह की! आपने अपनी जाए नमाज़ ही पर तल्बीया कहा था। फिर जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर खड़ी हूई तो तल्बीया कहा। और जब मैदाने बैदा

عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاَّهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ . قَالَ سَعِيدٌ فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلاَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ .

की बलन्दी पर पहुँची तो आपने तल्बीया कहा। सईद बिन ज़ुबैर ने कहा कि जो लोग हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के बयान पर अ़मल पैरा हैं वह अपनी दो रकअ़तों के बाद जाए नमाज़ ही से तल्बीया शुरू कर देते हैं।

(1770) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 1/260.

तौज़ीह : (1) (अहल्ला) के मानी हैं (अपनी आवाज़ बलन्द की) यानी (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक) बा'आवाज़े बलन्द पुकारा। और एहराम के मानी में भी इस्तेमाल होता है। ख़्याल रहे ये हदीस़ ज़ईफ़ है शैख़ अलबानी ने भी इसे 'अज़्ज़ईफ़ा' में दर्ज किया है। लेकिन अ़ल्लामा अहमद शाकिर (रह.) ने इस हदीस़ को स़ही क़रार दिया है। **(2)** इस रिवायत में ज़ुल हुलैफ़ा में जो दो रकअ़तें पढ़ने का ज़िक्र है, जिसके बाद आपने हज के लिए तल्बीया पुकारा, इससे मुराद नमाज़े ज़ुहर की दो रकअ़त (नमाज़े क़स्र) है, जैसा कि स़ही मुस्लिम (हदीस़: 1243) और सुनन नसाई (हदीस़: 2756) में स़राहत है। इसलिए इसके आख़िर में हज़रत सईद बिन ज़ुबैर के क़ौल से एहराम के वक़्त दो रकअ़त पढ़ने का इस्बात मुतवाजेह हो रहा है, वह स़ही नहीं। क्योंकि नबी (ﷺ) से इसका कोई वाज़ेह स़बूत नहीं।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

(1771) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने कहा: तुम लोग इस मैदाने बैदा के बारे में नबी(ﷺ) के मुताल्लिक़ ग़लत कहते हो। आपने तो मस्जिद ही के पास तल्बीया पुकारना शुरू कर दिया था ... यानी ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद के पास से।

(1771) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1541, मौता (यहया), 1/333, व मुस्लिम: 1186.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) का मक़स़द इस बात की नफ़ी करना है जो कुछ लोगों ने बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तल्बीया बैदा के मक़ाम पर पुकारा था बल्कि आपने इसका आग़ाज़ मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा ही से कर दिया था। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में ज़ुल हुलैफ़ा के मक़ाम पर कोई बाक़ायदा मस्जिद न थी। अहादीस़ में लुगवी मानी मुराद हैं। यानी जिस जगह आपने नमाज़ पढी, यहां उस वक़्त एक दरख़्त भी था। बाक़ायदा तामीर बाद के किसी दौर में हूई है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

(1772) हज़रत ड़बैद बिन जुरेज कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (ﷺ) से कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं आपको चार काम करते देखता हूं, आपका कोई साथी ये नहीं करता। उन्होंने कहा: ऐ इब्ने जुरेज! वह क्या हैं? उन्होंने कहा: मैंने आपको देखा है कि आप (दौराने तवाफ़ में) बैतुल्लाह के स़िर्फ़ दो कोनों (यमानियैन) (हजरे अस्वद और रूक्ने यमानी) को हाथ लगाते हैं और आपको देखा है कि आप ऐसा चमड़े की जूती पहनते हैं जिस पर बाल नहीं होते। और आपको देखा है कि ज़र्द रंग इस्तेमाल करते हैं। (कपड़ों में या बालों में बतौर ख़िज़ाब के) और मैंने आपको देखा है कि जब आप मक्का में हों तो लोग चाँद देखते ही एहराम बाँध लेते हैं मगर आप आठवें ज़ुलहिज्जा को एहराम बाँधते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर ने जवाब दिया: जहां तक (दौराने तवाफ़ में) अरकान को छूने का तअ़ल्लुक़ है तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप स़िर्फ़ दोनों यमानी अरकान ही को छूते थे। (हजरे अस्वद और रूक्ने यमानी को) और बे बाल चमड़े के जूते ... तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आपका जूता ऐसे चमड़े का होता था जिस पर बाल न होते थे और आप इसमें वुज़ू (भी) कर लिया करते थे तो मैं ऐसा ही जूते पहनना पसन्द करता हूं। और रहा

ज़र्द रंग तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप इससे रंगते थे, लिहाज़ा मैं भी इससे रंगना पसन्द करता हूं। रहा एहराम और तल्बीया ... तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नहीं देखा कि आप अपनी सवारी के खड़ी होने से पहले तल्बीया पुकारते हों।

(1772) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 166, मौता (यहया): 1/333, व मुस्लिम: 1187.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) ने अपने हर हर अमल को सुन्नते रसूल (ﷺ) के ताबेअ रखा हूआ था। और यही दीन व शरीअत है। और आठवें जुलहिज्जा को एहराम बाँधने का अमल और उनका जवाब इस क़यास व एहतमाद पर मबनी है कि नबी (ﷺ) मीक़ात में सफ़रे हज शूरू करने से पहले एहराम या तल्बीया न पुकारते थे बल्कि बिलकुल आख़िर वक़्त में कहते जब इससे चारह न होता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .

(1773) हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीने में ज़ुहर की नमाज़ चार रकअत अदा फ़रमाई और ज़ुल हुलैफ़ा में अस्र की दो रकअतें पढीं और यहीं रात गुज़ारी यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर जब आप अपनी सवारी पर सवार हूए और वह आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने तल्बीया पुकारा।

(1773) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1546, व मुस्लिम: 690.

फ़ायदा : क़स्र नमाज़ सफ़र शूरू होने के बाद ही पढी जाती है और ज़ुल हुलैफ़ा आपके सफ़र की पहली मन्ज़िल थी और यही अहले मदीना की मीक़ाते एहराम है और नबी (ﷺ) ने यहीं दूसरे दिन ज़ुहर की नमाज़ के बाद एहराम बाँधा और तल्बीया पुकारना शूरू किया। इस हदीस से वाज़ेह है कि नबी (ﷺ) ने एहराम की दो रकअतें नहीं पढीं। अगली रिवायत में इसकी मज़ीद वज़ाहत है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا

(1774) हज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर की

أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ .

नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी सवारी पर सवार हूए और जब मैदाने बैदा के रेतीले टिले की बलन्दी पर पहुँचे तो आपने तल्बीया पुकारा।

(1774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2663, मुसनद अहमद: 3/207.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ .

(1775) जनाब सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़(ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब (फ़ुरअ़) की राह इख़्तियार करते तो उस वक़्त तल्बीया पुकारना शुरू करते जब आपकी सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो जाती। और जब उहुद की राह से चलने लगते तो उस वक़्त तल्बीया कहते जब बैदा के टीले पर चढ़ते।

(1775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबूयअला, हदीस़: 818, बैहक़ी, 5/38, 39.

﴾22﴿

باب الاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

बाब : 22
हज में शर्त करना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(1776) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि (उम्मे हकीम) ज़ुबाअ़ा बिन्ते अज़्ज़ुबैर बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हज का इरादा रखती हूं तो (क्या) शर्त कर लूं? फ़रमाया:

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिसने हज का एहराम बाँधा हो, और क़ुर्बानी साथ न हो तो उसे जायज़ है कि अपने एहराम को ऊ़मरे का एहराम बना ले। **(2)** जो शख़्स़ मक्का में होते हूए ऊ़मरह करना चाहे उसे क़रीब तरीन मीक़ात पर जाकर एहराम बाँधकर आना लाज़िम है। सय्यदा ऊ़ायशा (ﷺ) को तो एक तबई ऊ़ारज़ा लाहिक़ हो गया था जिसकी वजह से उनका ऊ़मरह रह गया था जिसका उनको क़लक़ था, इसका इज़ाला, उनको तन्ईम से एहराम बँधवा कर करा दिया गया, यूँ उनका ऊ़मरह भी हो गया। ये ख़ुसूसी रिआयत स़िर्फ़ हज़रत ऊ़ायशा (ﷺ) के लिए थी जिससे वह ऊ़ौरतें तो फ़ायदा उठा सकती हैं जो हज़रत ऊ़ायशा की तरह वहां जाकर हायज़ा हो जायें। लेकिन ऊ़ाम लोग जो मज़ीद ऊ़मरह करना चाहें, वह तन्ईम (मस्जिदे ऊ़ायशा) जाकर वहां से एहराम बाँधकर आकर ऊ़मरह नहीं कर सकती (जैसा कि अक्स़र लोग ऐसा करते हैं) अलबत्ता वह ज़ुल हुलैफ़ा, कर्नुल मनाज़िल या किसी भी मीक़ात से एहराम बाँध कर आयें तो दोबारा ऊ़मरह करना स़ही होगा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يُحِلَّ فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ .

(1783) हज़रत ऊ़ायशा (ﷺ) बयान करती हैं: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले, हम स़िर्फ़ हज समझ रहे थे। मगर जब हम मक्का पहुँचे और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जो शख़्स़ क़ुर्बानी साथ नहीं लाया वह हलाल हो जाये। चूनांचे वह लोग जो क़ुर्बानियाँ साथ नहीं लाये थे, हलाल हो गये।

(1783) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1561, व मुस्लिम; 1211.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ "

(1784) हज़रत ऊ़ायशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मुझे इस बात की ख़बर पहले होती जिसकी बाद में हूई है तो मैं क़ुर्बानी साथ लेकर न आता।' मुहम्मद बिन यहया ने कहा: मेरा ख़्याल है कि शैख़ ने ये भी कहा: 'और मैं ऊ़मरे के बाद हलाल होने वालों के साथ हलाल हो जाता।' कहा: आप का इरादा था कि सब लोग एक ही हाल पर हों।

. قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ " وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ " . قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا .

(1784) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/247, बुख़ारी, हदीस: 7229.

फ़ायदा : दरअस़ल जाहिलियत में लोग हज के साथ या हज के महीनों में उमरह गुनाह का काम समझते थे तो इस पुरानी रविश को बदलने के लिए ये ताकीदी हुक्म दिया गया था।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا فَقَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " . فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ " مَا شَأْنُكِ " . قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ

(1785) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सिर्फ़ हज (हज्जे इफ़राद) की नियत से चले और हज़रत आयश(ﷺ) ने उमरे का एहराम बाँधा यहाँ तक कि जब मक़ामे सरिफ़ में पहुँचीं तो उन्हें हैज़ आ गया। फिर जब हम मक्का आये और कअबे का तवाफ़ किया और सफ़ा मरवा की सई कर ली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम में से जिस जिस के पास क़ुर्बानी नहीं है वह हलाल हो जायें। हमने कहा: हलाल होना कैसा? आपने फ़रमाया: 'पूरी तरह से हलाल होना ...' चूनांचे हम अपनी अज़वाज से हमबिस्तर भी हूए, ख़ूशबू लगाई और अपने आम कपड़े पहन लिये। हालांकि हमारे और अरफ़ा जाने के दरम्यान सिर्फ़ चार रातें बाक़ी थी। फिर हमने आठवीं तारीख़ को एहराम बाँधा, रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत आयशा(ﷺ) के यहां आये तो देखा कि रो रही हैं। आपने पूछा: 'तुम्हें क्या हूआ है?' कहने लगीं कि मुझे हैज़ आ गया है। लोग हलाल हूए, मैं हलाल नहीं हूई, और न बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और अब वह हज के लिए जा रहे हैं।

اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ " . فَفَعَلَتْ . وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ " قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ . قَالَ " فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ " . وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ .

आपने फ़रमाया: 'ये मामला तो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है। तुम गुस्ल कर लो और हज के लिए एहराम बाँध लो।' चूनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और हज के तमाम मक़ामात पर ठहरीं यहाँ तक कि जब पाक हो गईं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई की। फिर आपने फ़रमाया: 'तुम अपने हज और ड़मरे सबसे हलाल हो गई हो।' कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मेरे दिल में ह़सरत है कि मैंने जब हज किया तो (इब्तेदा में) तवाफ़ नहीं कर सकी। आपने फ़रमाया: 'ऐ ड़ब्दुर्रहमान इनको ले जाओ और तन्ईम से ड़मरह करा लाओ।' और ये ह़स्बा की रात थी। (यानी अय्यामे तशरीक़ के बाद जिस रात मदीना की तरफ़ वापस के लिए बतहा में पड़ाव डाला गया था)

(1785) तख़रीज : मुस्लिम: 1213.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ بِبَعْضِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " . " ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي " .

(1786) अबू अज़्ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने जाबिर(رضي الله عنه) से सुना, कहते थे कि, नबी (ﷺ) ह़ज़रत ड़ायशा (رضي الله عنها) के यहां आये। और इस क़िस्से का कुछ हिस्सा बयान किया ... और (अहिल्ली बिलहज) 'हज कें लिए एहराम बाँध लो' के बाद ये फ़रमाया: 'फिर हज करो और वह सब कुछ करो जैसे हाजी करता है। स़िर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना और नमाज़ न पढ़ना।'

(1786) तख़रीज : मुस्लिम: 1213.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَىْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ " لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ " . ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَلْ هِيَ لِلأَبَدِ " . قَالَ الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي .

(1787) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ालिस़ हज का एहराम बाँधा। इसमें किसी चीज़ का इख़्तिलात न था। फिर ज़ुलहिज्जाा की चार रातें गुज़र जाने के बाद हम मक्का पहुँचे। हमने तवाफ़ और सई की। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हलाल होने का हुक्म दे दिया और फ़रमाया: 'अगर मेरे साथ क़ुर्बानी न होती तो मैं भी हलाल हो जाता।' फिर हज़रत सुराक़ा बिन मालिक (ﷺ) खड़े हूए और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा ये तमत्तोअ (हज के साथ उ़मरह करना) इसी साल के लिए है या हमेशा हमेशा के लिए? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बल्कि हमेशा हमेशा के लिये है।'

ओज़ाई कहते हैं कि मैंने अ़ता बिन अबी रबाह को ये हदीस़ बयान करते सुना मगर मैं याद न रख सका यहाँ तक कि इब्ने जुरेज से मिला तो उन्होंने मुझे याद कराई।

(1787) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7367, व मुस्लिम: 1216.

फ़ायदा : हज के दिनों में या हज के साथ ही उ़मरह बग़ैर किसी इश्काल (कन्फ़्युजन) के जायज़ है जबकि अय्यामे जाहिलीयत में इसे बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(1788) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके स़हाबा (मक्का) पहुँचे जबकि ज़ुलहिज्जा की चार रातें गुज़र चुकी थीं। जब उन्होंने बैतुल्लाह

وسلم وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ " . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई कर ली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे उमरह बना लो' सिवाए उसके जिसके साथ कुर्बानी हो' सो जब आठवीं तारीख़ आई तो उन लोगों ने हज का एहराम बाँधा और फिर कुर्बानी वाले दिन (दस ज़ुलहिज्जा को) ये लोग मक्का आये और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया मगर सफ़ा मरवा की सई नहीं की।

(1788) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/362, नसाई, हदीस: 4171.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوا أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ

(1789) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा ने हज का एहराम बाँधा। उस दिन नबी(ﷺ) और तलहा (رضي الله عنه) यमन से आये थे और वह अपने साथ कुर्बानियाँ लाये थे। पस उन्होंने इस तरह नियत की थी: मैं इसी तरह एहराम बाँधता हूं जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम बाँधा है। और आप ने अपने सहाबा (رضي الله عنهم) को हुक्म दिया था कि अपने एहराम को उमरह का एहराम बना लें, तवाफ़ करें (सफ़ा मरवा की सई भी करें) फिर बाल कटवा कर हलाल हो जायें, सिवाए उसके जिसके साथ कुर्बानी हो। कुछ लोगों ने कहा: तो क्या हम मिना को इस हालत में जायेंगे कि हमारे आज़ा–ए–तनासुल मनी टपका रहे होंगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये बात पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती जो बाद में मालूम हूई

ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ "

तो मैं क़ुर्बानी साथ न लाता और अगर मेरे साथ क़ुर्बानी न होती तो मैं (भी) हलाल हो जाता।'

(1789) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1651, मुसनद अहमद: 3/305.

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़हाबा किराम (ﷺ) ख़ूब समझते थे कि दीन व शरीअ़त रसूल (ﷺ) की इताअ़त और पैरवी का नाम है। इसीलिये हज़रत अ़ली (ﷺ) ने एहराम की नियत में ये कहा कि मेरा एहराम और मेरी नियत वही है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की है। **(2)** और दूसरी बात (कि हम मिना को इस हालत में जायें ...) कहने की वजह ये थी कि इबादत चूंकि इंसान से ज़ुहद व रग़बत इलल्लाह का तक़ाज़ा करती है और आमाले हज शुरू होने में दो दिन बाक़ी थे तो उन्हें कामिल हिल्लत, कुछ अ़जीब सी लगी। नीज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ूद भी तो हलाल नहीं हूए थे। और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी के इच्छुक थे। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी मजबूरी की वज़ाहत करके स़हाबा किराम का इश्काल (कन्फ़्युजन) दूर फ़रमा दिया।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(1790) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'ये ड़मरह है हमने इसका फ़ायदा हास़िल किया है, सो जिसके साथ क़ुर्बानी न हो वह हलाल हो जाये, पूरी तरह हलाल होना। और क़यामत तक के लिये ड़मरह हज में दाख़िल हो गया है।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ये रिवायत मुन्कर है। ये स़िर्फ़ इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का क़ौल है।

(1790) तख़रीज : शरहुस्सुन्ना, हदीस़: 1886, व मुस्लिम: 1241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम अबू दाऊद (रह.) का ऊपर दर्ज की गई हदीस़ को 'मुन्कर' कहना स़ही नहीं क्योंकि ये मसला स़ही अहादीस़ से स़ाबित है। ये जरह दरअस़ल अगली हदीस़ (1791) पर है। (औनुल माबूद) **(2)** चूंकि इस्लाम से पहले लोग अय्यामे हज (हज के दिनों) में ड़मरह करना कबीरा गुनाह समझते थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी मुमानिअ़त करते हूए शरीअ़ते इस्लाम की बात ताकीद के साथ नाफ़िज़ फ़रमाई।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً

(1791) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब आदमी ने हज का एहराम बाँधा फिर मक्का आया, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और स़फ़ा मरवा की सई कर ली तो वह हलाल हो गया और ये उ़मरह हो गया।' इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इस हदीस़ को इब्ने जुरैज ने एक शख़्स़ के वास्ते से अ़ता से यूँ रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) के अस़हाब स़िर्फ़ हज का तलबीया कहते हूए (मक्का में) दाख़िल हूए। पस नबी (ﷺ) ने उसको उ़मरह बना दिया।

(1791) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलकामिल लि इब्ने अ़दी: 7/2522.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، - قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى، - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْىِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ . زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ .

(1792) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज का तल्बीया कहा। जब मक्का तशरीफ़ लाये और बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई कर ली ... इब्ने शौकर ने कहा ... और आपने अपने बाल नहीं कतरवाये ... फिर इब्ने शौकर और अहमद बिन मुनीअ़ दोनों ने कहा ... और आप अपनी कुर्बानी की वजह से हलाल नहीं हूए। (लेकिन) जिन लोगों के साथ कुर्बानी नहीं थी, उन्हें हुक्म दिया कि तवाफ़ और सई के बाद बाल कतरवा कर हलाल हो जायें। इब्ने मुनीअ़ की रिवायात में इज़ाफ़ा है: या बाल मुंडवा कर हलाल हो जायें।

(1792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/338–241, हदीस़: 1740.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ .

(1793) सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा में से एक शख़्स हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के पास आया और गवाही दी कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से आपके मर्ज़ुल मौत में सुना है कि आप हज से पहले उ़मरह करने से मना फ़रमाते थे।

(1793) तख़रीज : (सनद हसन) मौता, हदीस: 590.

नोट : इमाम मुन्ज़िरी कहते हैं कि सईद बिन मुसय्यब का हज़रत उ़मर से सेमाअ़ सही साबित नहीं है। (औ़नुल माबूद) इसलिए ये रिवायत सही नहीं। लेकिन हमारे मुहक़्क़िक़ शैख़ ज़ुबैर अ़ली ने इसे हसन क़रार दिया है। इस ऐतबार से इसमें नही इस्तेहबाब के लिये होगी और इससे मतलब ये होगा कि इस्तेताअ़त होने पर पहले हज किया जाये क्योंकि वह बड़ा फ़रीज़ा है और ज़्यादा अहम है। वरना ख़ूद नबी (ﷺ) से साबित है कि आपने अपने हज से पहले दो उ़मरे किये थे।

حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى

(1794) हज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान (رضي الله عنه) ने अस्हाबे नबी (ﷺ) से कहाः क्या आप लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़लां फ़लां काम से मना फ़रमाया है और चीते की खाल पर सवार होने (बैठने) से भी मना फ़रमाया है? उन्होंने कहाः हाँ! उन्होंने कहाः आप लोग ये भी जानते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज और उ़मरे को मिलाने से भी मना किया है? उन्होंने कहाः नहीं, ये बात हम नहीं जानते। मुआ़विया ने कहाः ये है तो उन (चीज़ों) ही के साथ है मगर आप लोग भूल रहे हैं।'

أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوا أَمَّا هَذَا فَلاَ ‏.‏ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ

(1794) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी, हदीस: 19/304.

नोट : ये रिवायत सनद के लिहाज से महल्ले नज़र है। ताहम अगर सही भी हो तो हज़रत मुआविया(ﷺ) को हज और ऊमरह मिलाने के मसले में वहम हूआ है या 'मुत्आ' से इश्तेबाह हूआ है। उन्होंने 'मुत्अतुन्निसा' के साथ साथ 'मुत्अतुलहज' को भी ममनूअ समझ लिया है जैसे कि नबी(ﷺ) के बाल कतरवाने (तक़सीर) के बारे में उन्हें इश्तेबाह हूआ है कि इसे हज्जतुल विदाअ में बयान करते हैं हालांकि ये आपके ऊमरे का वाक़िया है। (इफ़ादात अज़ इब्ने अलक़य्यिम)

﴿24﴾ بَابٌ فِي الإِقْرَانِ

बाब : 24 हज्जे क़िरान के अहकाम व मसाइल

फ़ायदा : एहराम बाँधते हूए इन्सान ऊमरे और हज दोनों की नियत कर ले, मक्का पहुँच कर पहले ऊमरह करे मगर इससे हलाल न हो बल्कि इसी एहराम में रहते हूए हज के आमाल मुकम्मल करे और आख़िर में दोनों से हलाल हो तो इसे हज्जे क़िरान (क़ाफ़ के ज़ेर के साथ) कहते हैं। लुग़वी मानी इसके 'मिलाना' हैं , यानी एक ही सफ़र में ऊमरे और हज को जमा कर लिया। इस सूरत में क़ुर्बानी वाजिब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ ‏"‏ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ‏"‏ ‏.‏

(1795) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना कि आप हज और ऊमरे का तल्बीया इकट्ठे पढ़ते हूए कह रहे थे: (लब्बैक ऊमरतन व हज्जन, लब्बैक ऊमरतन व हज्जन)

(1795) तख़रीज : मुस्लिम: 1251.

फ़ायदा : इबादात में से हज और ऊमरह ही एक ऐसी इबादत है जिसकी नियत पुकार कर कही जाती है। बाक़ी किसी इबादत में लफ़्ज़ी नियत साबित नहीं है।

हज का' को शाज़ क़रार दिया है। गोया सहीह बात ये है कि आपने पहले हज का तल्बीया कहा और आगे जाकर हज के साथ उमरे को भी मिला लिया। ऐसा इब्तेदा में नहीं हूआ, बल्कि आगे जाकर हूआ। इस तरह दूसरी रिवायत के साथ मुताबिक़त हो जाती है। (तफ़्सील के लिए देखिए: ज़ादुलमआद, फ़तहुलबारी, औनुल माबूद वग़ैरह)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْىَ "

(1806) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: ऐ रसूलुल्लाह (ﷺ)! लोगों का क्या हाल है कि हलाल हो गये हैं जबकि आप अपने उमरे से हलाल नहीं हूए? आपने फ़रमाया: 'मैंने अपने सर के बाल चिपका रखे हैं और अपनी क़ुर्बानी को क़लादा पहनाया हूआ है, सो मैं उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकता जब तक कि क़ुर्बानी नहर न कर लूं।'

(1806) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस: 1566, व मुस्लिम: 1229, मौता: 1/394.

फ़ायदा : चूंकि अज़वाजे मुतह्हरात की क़ुर्बानियाँ उनके साथ नहीं थीं, इसलिए वह हलाल हो गयीं। और नबी (ﷺ) मुहरिम ही रहे। (सही बुख़ारी, हदीस: 1561)

﴾25﴿ باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

बाब : 25
अगर इन्सान पहले हज का तल्बीया कहे फिर उसे उमरह बना दे तो?

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ - عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ

(1807) हज़रत अबूज़र (ﷺ) उस शख़्स के बारे में कहा करते थे जो हज की नियत करे फिर उसे फ़स्ख़ करके उमरह बना दे, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में थे।

الأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1807) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/22, मुस्लिम: 1224, अलहुमैदी, हदीस़: 133, 134 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : ये हज़रत अबूज़र (رضي الله عنه) का ख़्याल था, वरना इसमें कोई हर्ज नहीं कि इंसान पहले हज की नियत से एहराम बाँधे और फिर उसे उ़मरे में तब्दील कर ले। स़हाबा की एक बड़ी तादाद इसकी क़ायल है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ " بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً " .

(1808) हारिस़ बिन बिलाल अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज को फ़स्ख़ कर देना हमारे लिये ख़ास़ है या हमारे बाद वालों के लिये भी है? आपने फ़रमाया: 'बल्कि ये तुम्हारे ही लिये ख़ास़ है।'

(1808) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2984, नसाई, हदीस़: 2810.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं।

﴾26﴿ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

बाब : 26 इन्सान किसी दूसरे की तरफ़ से हज करे

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ

(1809) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि (उनके भाई) हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सवारी पर उनके पीछे बैठे हुए थे कि क़बीला ख़स़अ़म की एक औरत आपसे कुछ पूछने को आई तो फ़ज़ल उसे देखने लगे और वह उन्हें देखने लगी तो नबी (ﷺ) ने हज़रत फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। उस

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

औरत ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह का फ़रीज़—ए—हज उसके बंदों में, मेरे वालिद को इस हालत में पहुँचा है कि वह सवारी पर टिकने की ताकत भी नहीं रखते, तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूं? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया है।

(1809) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1513, व मुस्लिम: 1334, मौता: 1/359.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जहां कहीं कोई ख़िलाफ़े शरीअत अमल (मुन्कर) नज़र आये तो मुसलमान को चाहिए कि बिलफ़ेअल उसको रोकने की कोशिश करे जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत फ़ज़ल (ؓ) का चेहरा फेर कर उन्हें ग़लत नज़र से मना फ़रमाया। **(2)** जब कोई शख़्स़ किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो कि शिफ़ायाबी बज़ाहिर मुश्किल मालूम हो तो उसकी तरफ़ से कोई दूसरा शख़्स़ हज्जे बदल कर सकता है। लेकिन अगर शिफ़ायाबी की उम्मीद हो तो इन्तेज़ार किया जाये। **(3)** जब कोई शख़्स़ ख़ूद से किसी की तरफ़ से नायब बन जाये तो उस पर तकमीले हज लाज़िम है। **(4)** इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि औरत बवक़्ते ज़रूरत ग़ैर महरम मर्दों के साथ बातचीत कर सकती है। **(5)** ये हदीस़ (ग़ज़्ज़े बस़र) 'निगाह नीचे रखने' के वजूब और अजनबी औरत की तरफ़ देखने की हुर्मत पर भी दलालत करती है। **(6)** औरत अपने बाप की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकती है। बशर्ते कि पहले वह अपना हज कर चुकी हो। **(7)** एक सवारी पर दो आदमी भी सवार हो सकते हैं।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - بِمَعْنَاهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، - قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ . قَالَ "احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" .

(1810) बनू आमिर के एक शख़्स़ अबू रज़ीन ने बयान किया कि उन्होंने पूछा था कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं और हज उमरे की ताक़त नहीं रखते और न सवारी पर सवार हो सकते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने बाप की तरफ़ से हज करो और उमरह (भी)'

(1810) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 930, नसाई, हदीस़: 2622, इब्ने माजा, हदीस़: 2906, इबने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 3040, इब्ने हिब्बान, 961, हाकिम: 1/481.

फ़वाइद व मसाइल : (1) माँ बाप सफ़र वग़ैरह से आजिज़ हों और हज उन पर फ़र्ज़ होता हो तो औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से हज्जे बदल करे। (2) इस हदीस़ से ये भी इस्तेदलाल किया गया है कि हज की तरह ़उमरह भी वाजिब है। इमाम अहमद (रह.) से मनक़ूल है कि ़उमरह के वाजिब होने में इससे बढ़कर ़उम्दा और स़हीह हदीस़ कोई और नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ إِسْحَاقُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَنْ شُبْرُمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ‏"‏ ‏.‏

(1811) हज़रत इब्ने ़अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स़ को सुना कि कह रहा था (लब्बैक ़अनशुबरूमा) 'मैं शुबरूमा की तरफ़ से हाज़िर हूं' आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमया: 'शुबरूमा कौन है?' उसने कहा कि मेरा भाई है या क़रीबी है। आपने पूछा: 'क्या तुने अपनी तरफ़ से हज कर लिया है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: '(पहले) अपनी तरफ़ से हज करो, फिर शुबरूमा की तरफ़ से करना।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2903, इब्ने मुलकिन तोहफ़तुल मुहताज़, हदीस़: 1056.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (शुबरूमा) शीन और रा के पेश के बाअ साकिन और मीम मफ़्तूह है। (2) हज्जे बदल में हाजी पहले अपना हज कर चुका हो तो फिर वह दूसरे की तरफ़ से हज कर सकता है, वरना नहीं।

(27) باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

बाब : 27
तल्बीया के लिए कहे?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

(1812) हज़रत ़अब्दुल्लाह बिन ़उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के तल्बीया के अल्फ़ाज़ इस तरह थे ... (लब्बैक अल्लाहुमा लब्बैक, लब्बैक! ला शरीक लक लब्बैक! इन्नल हम्द वन्निअ़मत

لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " .

लक वल मुल्क, ला शरीक लक) 'हाज़िर हूं मैं! ऐ अल्लाह! हाज़िर हूं। हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूं। बेशक तमाम तअरीफ़ें और नेअमतें तेरी हैं और मुल्क भी तेरा ही है, तेरा कोई शरीक नहीं।' नाफ़े ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) अपने तल्बीया में इज़ाफ़ा करते हूए यूँ कहा करते थे: (लब्बैक! लब्बैक! लब्बैक! व सअदैक वल्ख़ैरू बियदैक वर्रग़बाउ इलैक वलअमलु) 'मैं हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं और बहुत सआदतमंद हूं। ख़ैर और भलाई सब तेरे हाथों में है। हमारी सब रग़बतें और सवाल तेरी तरफ़ हैं और अमल भी तेरे ही लिये हैं।'

(1812) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1549, मौता, हदीस: 1/331, 332, व मुस्लिम: 1184.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ " ذَا الْمَعَارِجِ " . وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ فَلاَ يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا .

(1813) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम बाँधा और तल्बीया पढ़ा। और हज़रत इब्ने उमर(رضي الله عنه) की रिवायत की मानिन्द तल्बीया के अल्फ़ाज़ बयान किये। कहा कि लोग (ज़लमआरिज!) और इस तरह के अल्फ़ाज़ ज़्यादा करते थे। नबी (ﷺ) इन्हें सुनते और इन्हें कुछ न कहते थे। (ज़लमआरिज!) यानी ऐ अल्लाह बलन्दियों वाले और इनआमात के मालिक!)

(1813) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2919, मुसनद अहमद: 3/320, 321, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2626.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज और उ़मरह में तल्बीया कहना सुन्नते मुअक्किदा है अगर कोई इसे तर्क कर देगा तो सुन्नत के अज्र व स़वाब से महरूम रहेगा। जबकि कुछ अइम्मा इसे वाजिब कहते हैं। इसीलिए इसके तर्क पर इनके नज़दीक दम (क़ुर्बानी) वाजिब है। ताहम ये दूसरा मौक़िफ़ स़ही नहीं लगता, इसलिए कि तर्के तल्बीया से किसी रूक्न का तर्क लाज़िम नहीं आता, इसलिए अरकाने हज की अदायगी, तल्बीया के क़ायम मुक़ाम हो जायेगी। तल्बीया के अल्फ़ाज़ में अफ़ज़ल यही है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अपने अल्फ़ाज़ ही पर इकतेफ़ा व इक़्तेसार किया जाये क्योंकि आपने इन्हीं पर हमेशगी इख़्तियार फ़रमाई है। ताहम अगर कोई (स़ही अलमानी अल्फ़ाज़ का) इज़ाफ़ा करे तो भी मुबाह है क्योंकि नबी (ﷺ) ने कुछ स़हाबा को मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से तल्बीया पुकारते सुना तो आप ख़ामोश रहे और इन्कार नहीं फ़रमाया। (औ़नुल माबूद) **(2)** ये जलीलुश शान कलिमा अल्लाह तबारक व तआ़ला की तौहीद की तमाम क़िस्मों पर मुश्तमिल है। यानी तौहीदे उलूहियत, तौहीदे रूबूबियत, और तौहीदे अस्मा व सि़फ़ात। और बंदा इसके तकरार से अपनी अ़ब्दीयत का इज़हार करता है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَتَانِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ - أَوْ قَالَ - بِالتَّلْبِيَةِ " . يُرِيدُ أَحَدَهُمَا .

(1814) जनाब ख़ल्लाद बिन साइब अंस़ारी अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास जिब्राईल अ़लैहि. आये और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने स़हाबा और दूसरे साथ वालों को हुक्म दूं कि तल्बीया कहने में अपनी आवाज़ें ऊँची रखें।' रावी कहता है कि आपके अल्फ़ाज़ (बिल इहलाल) थे या (बित्तल्बीयत) (मानी एक ही हैं)

(1814) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 829, नसाई, हदीस़: 2754, इब्ने माजा, हदीस़: 2922, मौता: 1/334, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 365, 2627, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 974.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जिब्राईल अ़लैहि. रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में वहि क़ुर्आन के बग़ैर भी हाज़िर हूआ करते थे और उस वक़्त 'अलहिकमत' की वहि होती, लिहाज़ा हदीस़े रसूलुल्लाह (ﷺ) भी वहि (मुनज़्ज़ल मिनल्लाह) और वाजिबुल इत्तिबा है। **(2)** आ़म मुहद्दिसीन ने इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल किया है कि तल्बीया कहने में आवाज़ ऊँची रखना मुस्तहब है मगर औ़रतें इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِهَا - يَعْنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ - حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَعْنِي أَنَسًا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

(1796) हज़रत अनस (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा के मक़ाम पर रात गुज़ारी यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर आप (ज़ुहर के बाद) अपनी सवारी पर सवार हूए यहाँ तक कि जब वह आप को लेकर मैदाने बैदा में सीधी खड़ी हूई तो आपने अल्लाह की हम्द, तस्बीह और तकबीर पुकारी। फिर हज और उमरे का तल्बीया कहा। और लोगों ने भी इन दोनों का तल्बीया कहा। फिर जब हम मक्का पहुँचे तो आपने लोगों को हुक्म दिया तो वह हलाल हो गये। (उन लोगों को जिनके पास क़ुर्बानियाँ नहीं थीं) यहाँ तक कि जब आठवीं तारीख़ आई तो उन्होंने हज का एहराम बाँधा और नबी (ﷺ) ने अपने हाथ से सात ऊँटनियाँ नहर कीं, इस हाल में कि वह खड़ी हूई थीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अनस(رضي الله عنه) इस रिवायत में इस बात में अकेले हैं कि उन्होंने 'अल्लाह की हम्द, तस्बीह और तकबीर कही, फिर हज का तल्बीया कहा'

(1796) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1551.

फ़ायदा : इन अहादीस़ के बयानात में तआरूज़ नहीं बल्कि तनव्वोअ है। हज़राते स़हाबा सामेईन व नाज़ेरीन को जो जो मालूम हूआ उन्होंने वही बयान कर दिया। गुज़िश्ता अहादीस़ में है कि आपने नमाज़े ज़ुहर के बाद अपने मुस़ल्ले ही पर तल्बीया कहा, फिर सवारी पर बैठकर कहा, फिर बैदा की बलन्दी पर चढ़ते हूए कहा और ये सब बरहक़ हैं और इस बीच में तस्बीह व तकबीर बिलाशुब्हा जायज़ बल्कि मतलूबे अ़मल है।

الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَنْهَاهَا .

एहराम के वक़्त अपनी पेशानियों पर ख़ूशबूदार मुरक्कब ख़ूशबू का ज़माद कर लिया करती थीं। जब पसीना आता तो वह हमारे चेहरों पर बह आता था, नबी(ﷺ) उसे देखते तो इससे मना न फ़रमाते थे।

(1830) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/79.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम के बाद किसी क़िस्म की ख़ूशबू लगाना जायज़ नहीं, अलबत्ता एहराम बाँधते वक़्त ख़ूशबू लगाना मसनून है। अगर इसका अस़र भी बाक़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं। **(2)** इस हदीस़ से औरतों को पावडर क़िस्म की चीज़ों के लगाने की भी रूख़्सत स़ाबित होती है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ - يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ .

(1831) जनाब सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि वह एहराम वाली औ़रत को कहा करते थे कि अपने मौज़े काट ले। फिर (उनकी बीबी) स़फ़िया बिन्ते अबी उबैद ने उन्हें बयान किया कि हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने उसको बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औ़रतों को मौज़े पहनने की रूख़्सत दी है। तो वह अपनी बात से रूक गये।

(1831) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/29, 6/35, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2686.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रूख़्सत औरतों के अ़लावा मर्दों को भी हास़िल है, मगर बहालते उ़ज्र। **(2)** रसूल से मुहब्बत करने वालों के लिये मुमकिन ही नहीं कि उसे नबी (ﷺ) की तरफ़ से कोई हिदायत मिले और फिर वह अपनी राय पर इस़रार करे।

बाब : 33
मुहरिम का हथियार बंद होना?

﴾33﴿
باب الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاَحَ

(1832) हज़रत बराअ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुदैबिया वालों से सुलह की थी तो इस बात पर सुलह की थी कि ये लोग (मुसलमान) मक्का में इस हालत में दाख़िल होंगे कि उनके हथियार इनके म्यानों में होंगे। (ग़ालिबन) शौबा ने अबू इस्हाक़ से पूछा कि 'ज़ुल्बानुस्सिलाह' क्या होता है? उन्होने कहा चमड़े का वह थैला जिसमें हथियार रखा जाता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ .

(1832) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 2698, मुसनद अहमद: 4/291, व मुस्लिम; 1783.

फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुहद्दिसीन को करवट करवट अपनी रहमतों से नवाज़े, किस ख़ूबसूरत अंदाज़ में एक तारीख़ी वाक़िया से फ़िक़ही मसला इस्तिम्बात किया है कि मुहरिम के लिए जायज़ है कि अपने साथ अपना हथियार रखे। इससे बढ़कर और क्या दलील होगी इनके 'फक़ीह' होने की! हदीस़ की किताबों का तमाम ज़ख़ीरह इस मदद शुदा जमात के 'फक़ीह' होने की ऐन दलील है।

बाब : 34
औरत हालते एहराम में अपना चेहरा छुपाये

﴾34﴿ باب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

(1833) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एहराम से होती थीं और क़ाफ़िले वाले हमारे सामने

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ .

से गुज़रते तो हम अपने परदे की चादर को सर से चेहरे पर लटका लेतीं। जब वह गुज़र जाते तो चेहरा खोल लेती थी।

(1833) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2935, मुसनद अहमद: 6/30, हदीस: 1474 में देखें।

फ़ायदा : ये सनद अगरचे क़द्रे ज़ईफ़ है मगर दीगर आसार से मसला इसी तरह है कि औरत हालते एहराम में भी अजनबियों से परदा करे। मौता इमाम मालिक में है: 'फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बयान करती हैं कि हम हालते एहराम में अपने चेहरे ढाँपा करती थीं और अस्मा बिन्ते अबीबक्र अस सिद्दीक़(ﷺ) भी हमारे साथ होती थीं, (बाब तख़्मीरूल मुहरिम वज्हहू) नीज़ (अर्वाउलग़लील हदीस: 1023) मगर मौजूदा सूरते हाल, परदे के मामले में, इन्तेहाई परेशानकुन है कि हया व शर्म गोया उठती जा रही है। इल्ला माशाल्लाह! मज़ीद तफ़्सील के लिए हदीस: 1825 के फ़वाइद व मसाइद मुलाहिज़ा हों।

(35) باب فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

बाब : 35
मुहरिम को साया करना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ، حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(1834) हज़रत उम्मुल हुसैन (ﷺ) बयान करती हैं कि हमने नबी (ﷺ) की मईयत में हज्जतुल विदाअ किया। चूनांचे मैंने हज़रत अस्मा और बिलाल (ﷺ) को देखा कि उनमें से एक रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी की महार (लगाम) पकड़े हुए था और दूसरा आपको गर्मी से बचाने के लिये आप पर कपड़ा बलन्द किये हूए था (और उनकी ये ख़िदमत इसी तरह रही) यहाँ तक कि आपने जमरह अक़्बा को कंकरियाँ मार लीं।

तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/402, व मुस्लिम.

फ़ायदा : मुहरिम ख़ूद किसी साये में बैठे, छतरी इस्तेमाल करे या कोई दूसरा उसको साया कर दे सब सूरतें जायज़ हैं। हाँ पगड़ी, टोपी या रूमाल वग़ैरह नहीं बाँध सकता।

﴾36﴿ بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

बाब : 36
मुहरिम का सैंगी लगवाना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(1835) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने एहराम की हालत में सैंगी लगवाई थी।

(1835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1835, मुसनद अहमद: 1/221, व मुस्लिम: 1202.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ

(1836) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम की हालत में अपने सर में एक बीमारी की बिना पर सैंगी लगवाई।

(1836) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5700

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَرْسَلَهُ يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ .

(1837) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बहालते एहराम अपने पाँव की पुश्त पर, एक तकलीफ़ की वजह से सैंगी लगवाई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद से सुना, वह कहते थे कि इब्ने अबी अ़रूबा ने इस रिवायत को क़तादा से मुरसल बयान किया। (यानी जनाब अनस का वास्ता ज़िक्र नहीं किया)

(1837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2852, मुसनद अहमद: 3/164.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सैंगी लगवाना और फ़सद खुलवाना उस दौर का मअ़रूफ़ तरीक़-ए इलाज था और ऊपर दी गई अहादीस़ में दो मुख़्तलिफ़ वाक़ियात का बयान आया है। **(2)** अब भी बवक़्ते

ज़रूरत इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और ज़ाहिर है कि इस अमल में बालों की जगह से बाल काटे जाते हैं, जिल्द पर चीरा लगाया जाता है। पस इसमें कोई हर्ज नहीं है। ताहम कई एक फ़क़ीह बाल काटने की बिना पर फ़िद्या के क़ायल हैं, नीज़ दाँत निकलवाने या किसी अमले जर्राही की सूरत में कोई फ़िद्या लाज़िम नहीं आता। (3) बीमारी में इलाज कराना सुन्नते रसूल (ﷺ) है।

बाब : 37
एहराम की हालत में सुरमा लगाना

(37)
باب يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

(1838) जनाब नुबैह बिन वहब (रह.) से मरवी है कि अम्र बिन उबैदुल्लाह बिन मअमर की आँखें ख़राब हो गयीं तो उन्होंने जनाब अबान बिन उस्मान से पूछा कि क्या किया जाये? सुफ़ियान ने बताया कि ये उन दिनों अमीरे हज थे। उन्होंने जवाब दिया कि ऐलवा का लैप कर ले। बेशक मैंने हज़रत उस्मान(رضي الله عنه) से सुना था वह ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते थे।

(1838) तख़रीज : मुसनद अहमद: 1/68, व मुस्लिम: 1204.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ - مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1839) उस्मान बिन अबी शैबा ने इसे हमें इस्माईल बिन इब्राहीम से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने नुबैह बिन वहब से ऊपर वाली रिवायत बयान की।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : आँख में दवा डालने या इस पर ज़िमाद करने से एहराम में कोई ख़राबी नहीं आती। इसी तरह सादा सुरमा डालना भी जायज़ है, जिसमें ख़ुशबू न हो।

बाब : 38
मुहरिम ग़ुस्ल कर सकता है

﴾38﴿ باب الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

(1840) अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन से मरवी है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास और मिसवर बिन मख़रमा (ﷺ) अबवा मक़ाम में थे कि इनमें एक मसले में इख़्तिलाफ़ हो गया। इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) ने कहा कि मुहरिम अपना सर धो सकता है। मिस्वर (ﷺ) ने कहा कि मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। चूनांचे इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) ने उसको (अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन को) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (ﷺ) के यहां भेज दिया तो उसने उनको पाया कि वह कूएँ की चरख़ी की दो लकड़ियों के पास बैठे ग़ुस्ल कर रहे थे और एक कपड़े से परदा किये हूए थे। कहते हैं कि मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने पूछा: कौन हो? मैंने कहा: मैं अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन हूं। मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) ने भेजा है कि आपसे दरयाफ़्त करूं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हालते एहराम में अपना सर कैसे धोया करते थे? तो उन्होंने (अबू अय्यूब (ﷺ) ने) अपना हाथ (परदे वाले) कपड़े पर रख कर उसे कुछ नीचा किया यहाँ तक कि मुझे उनका सर नज़र आने लगा। फिर उन्हों ने एक शख़्स से जो उन पर पानी डाल रहा था, कहा कि पानी डालो। चूनांचे उसने उनके सर पर पानी डाला तो हज़रत अबू अय्यूब ने अपने सर को दोनों

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ . قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ صلى الله عليه وسلم .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " كَيْفَ صَنَعْتَ " . فَقَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ "فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ". قَالَ فَقَالَ لِي "انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً " .

(1797) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को जब यमन का वाली बनाकर भेजा तो मैं उनके साथ था। इस ख़िदमत के सिले में मुझे चंद औक़िया (सोना) भी मिला था। हज़रत अली (رضي الله عنه) जब यमन से वापसी के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिले तो वह कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा (رضي الله عنها) को पाया कि उन्होंने रंगीन कपड़े पहने हैं और अपनी मन्ज़िल को भी उन्होंने मुअय्यन कर रखा है। (हज़रत अली को ताज्जुब हूआ) तो वह बोलीं: आप हैरान क्यों हैं? नबी (ﷺ) ने अपने अस्हाब को हुक्म दिया है और वह हलाल हो गये हैं। वह कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा से कहा: मैंने नबी (ﷺ) वाले एहराम की नियत कर रखी है। कहते हैं, चूनांचे मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आपने पूछा: 'तुमने (नियत) कैसे की है? मैंने कहा: मैंने नबी (ﷺ) के एहराम वाली नियत की है। आपने फ़रमाया: 'मैं अपनी क़ुर्बानी साथ लाया हूं और क़ुर्बानी की नियत की है।' वह बयान करते हैं कि फिर आप (ﷺ) ने मुझे हुक्म फ़रमाया कि सड़सठ (67) या छियासठ ऊँट नहर करो और तैंतीस या चौंतीस ऊँट अपने लिये ले लो और हर क़ुर्बानी में से गोश्त का एक एक टुकड़ा मेरे लिए लाओ।'

(1797) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2726, 2746

फ़वाइद व मसाइल : (1) दीन में हुज्जत रसूलुल्लाह (ﷺ) ही का क़ौल व अ़मल है किसी और का नहीं, ख़्वाह उसका रिश्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कितना ही क़ुर्बत का क्यों न हो। जैसे कि फ़ातिमा(رضي الله عنها) ने अपने बारे में वाज़ेह किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान ही से हलाल हूई हूँ, मगर उनके शौहर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इत्तेबा में हलाल नहीं हो सके। **(2)** क़ुर्बानियों के सिलसिले में स़हीहतर ये है कि तेरेसठ क़ुर्बानियाँ नबी (ﷺ) ने अपने हाथ से कीं और बक़िया हज़रत अ़ली(رضي الله عنه) को फ़रमाया था और उन्होंने कीं। (स़ही मुस्लिम, अलहज, बाब हज्जतुन नबी (ﷺ) हदीस़: 1218)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ عُمَرُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم .

(1798) अबू वाइल बयान करते हैं कि जनाब स़ुबय बिन मअ़बद ने कहा कि मैंने हज और उ़मरे दोनों का इकट्ठे ही तल्बीया कहा है तो हज़रत उ़मर(رضي الله عنه) ने कहा: तुम्हें अपने नबी (ﷺ) के तरीक़े की हिदायत मिली है।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 2720, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 985, 986, दाराक़ुतनी, 2/166.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهُ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا قَالَ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ . فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا أَتَيْتُ

(1799) अबू वाइल कहते हैं कि जनाब स़ुबय बिन मअ़बद ने कहा कि मैं एक बदवी नस़रानी आदमी था, मुसलमान हो गया। फिर मैं अपने क़बीले के एक आदमी के पास आया जिसका नाम हुजैम बिन स़ुरमुला था। मैंने उससे कहा: अरे मियां! मैं जिहाद का हरीस़ हूं मगर हज और उ़मरह भी मुझ पर लाज़िम हो चुके हैं तो अगर मैं इन दोनों (हज और उ़मरे) को जमा कर लूँ तो कैसा रहेगा? उसने कहा: इन दोनों को जमा कर लो और जो मयस्सर हो क़ुर्बानी कर लो। चूनांचे मैंने इन दोनों की नियत से तल्बीया कहा (और एहराम बाँधा) जब मैं उ़ज़ैब मक़ाम पर पहुँचा तो मुझे सुलेमान बिन रबीआ और ज़ैद बिन स़ूहान मिले और मैं हज और उ़मरे दोनों का

الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ . قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ لِي عُمَرُ رضى الله عنه هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم .

तल्बीया पुकार रहा था। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं है! (बैवक़ूफ़ है कि हज और उमरे का इकट्ठे तल्बीया पुकार रहा है) सुबय बयान करते हैं कि उनकी इस बात से गोया मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा यहाँ तक कि मैं उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के पास आया और उनसे कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! मैं एक बदवी नसरानी आदमी था और मुसलमान हो गया हूं, जिहाद पर जाने का ख़्वाहिशमंद हूं मगर मैंने देखा कि हज और उमरह भी मुझ पर वाजिब हो चुका है तो मैं अपनी क़ौम के एक आदमी के पास आया, उसने मुझे कहा कि हज और उमरे को इकट्ठा कर लो और जो मयस्सर हो क़ुर्बानी कर लो। चूनांचे मैंने उन दोनों का इकट्ठे तल्बीया पुकारा है। तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने मुझे फ़रमाया: तुम्हें तुम्हारे नबी (ﷺ) के तरीक़े की हिदायत मिली है।

(1799) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2720, इब्ने माजा, हदीस: 2970.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज और उमरे का इकट्ठे एहराम बाँधना ऐन सुन्नत है और इसमें क़ुर्बानी वाजिब है। **(2)** इल्म के बग़ैर फ़तवा देना बहुत बुरी बात है। ज़्यादातर इसके बुरे नतीजे सामने आते हैं। इश्तेबाह के मौक़े पर रासिख़ उलामा–ए–दीन से राब्ता करना चाहिए। **(3)** 'ईमान' जब दिल में रच बस जाता है तो इसके असरात आमाले ख़ैर की सूरत में ज़ाहिर हूए बग़ैर नहीं रहते। आमाल में कमी या सुस्ती असल ईमान में कमी की अलामत होती है। वलाहौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

(1800) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने मुझ से बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना जबकि आप वादी

عِكْرِمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ " وَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ " وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ " وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ " .

ए अक़ीक़ में थे, आप फ़रमा रहे थे: 'आज रात मेरे पास मेरे रब अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से एक आने वाला आया और उसने कहा है: इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ो और उसने कहा कि उ़मरह हज में दाख़िल है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को वलीद बिन मुस्लिम और उमर बिन अ़ब्दुल वाहिद ने ओज़ाई से बयान किया तो सिर्फ़ इसी क़द्र कहा: (व क़ुल उ़मरतुन फ़ी हज्जतिन) (कह दो कि उ़मरह हज में दाख़िल है, और लफ़्ज़ (क़ाला) की बजाये (क़ुल) कहा)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ऐसे ही अ़ली बिन मुबारक ने यहया बिन अबी कसीर से (बसैग़ा अम्र) (क़ुल उ़मरतुन फ़ी हज्जतिन) बयान किया है।

(1800) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1534.

फ़ायदा : 'वादी अ़क़ीक़' मदीना के क़रीब चार मील के फ़ासले पर वाक़ेअ है और जुल हुलैफ़ा से होकर गुज़रती है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ

(1801) जनाब रबीअ़ बिन सबरह अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम रसूल (ﷺ) के साथ रवाना हूए यहाँ तक कि जब हम मक़ामे उ़स्फ़ान में थे तो सुराक़ा बिन मालिक मुदलिजी(رضي الله عنه) ने आप (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें ख़ूब वाज़ेह फ़रमा दीजिए और हमें ऐसी क़ौम समझीये जो गोया आज ही पैदा हूए हों। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे इस हज में उ़मरे को दाख़िल कर दिया है, सो जब

أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ "

तुम मक्का पहुँचो तो जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई कर ली, पस वह हलाल हो गया मगर ये कि उसके साथ क़ुर्बानी हो।'

(1801) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/404, दारमी, हदीस़: 1864.

फ़ायदा : यानी हज के एहराम के साथ उ़मरह भी किया जा सकता है, यानी बस़ूरते क़िरान या तमत्तोअ़। जबकि इस्लाम से पहले अय्यामे हज (हज के दिनों) में उ़मरे को कबीरा गुनाह तस़व्वूर किया जाता था।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمَعْنَى - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ . أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ . قَالَ ابْنُ خَلاَّدٍ إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَخْبَرَهُ .

(1802) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत मुआ़विया (ﷺ) ने उन्हें बताया कि मैंने मरवा पर एक तीर के फल से नबी (ﷺ) के बाल काटे थे ... या ... मैंने देखा कि मरवा पर तीर के फल से आपके बाल काटे गये। अबूबक्र बिन ख़ल्लाद ने (अख़बरहू) का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया (बल्कि यूँ कहा: इन्ना मुअ़विया बिन अबी सुफ़ियान क़ाला...)

(1802) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1730, व मुस्लिम: 1246.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

(1803) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत मुआ़विया (ﷺ) ने उनसे कहा: क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने मरवा पर एक बदवी के तीर (के फल) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल काटे थे।

हसन बिन अ़ली की रिवायत में इज़ाफ़ा है: 'हज के मौक़े पर'

صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ - زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ - لِحَجَّتِهِ .

(1803) तख़रीज : (सनद सही) हदीस पहले गुज़र चुकी है.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने ये ख़िदमत हज के मौक़े पर नहीं बल्कि उमरह जिअराना के मौक़े पर सरअंजाम दी थी। जैसे कि सुनन नसाई की रिवायत में (फ़ी उमरतिही) की सराहत है। (सुनन नसाई, मनासिक अलहज, हदीस: 2990) और 'हज के मौक़े पर' की तअबीर या तो मजाज़ है या वहम। वल्लाहू आलम। **(2)** उमरे में सफ़ा मरवा की सई के बाद आदमी बाल कतरवा कर हलाल होता है। जबकि औरतों को एक पोर बराबर बाल काटना काफ़ी होता हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ .

(1804) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उमरे का तल्बीया पुकारा और आपके अस्हाब ने हज का।

(1804) तख़रीज : मुस्लिम: 1238.

फ़ायदा : हज्जे क़िरान के लिए तल्बीया में ये जायज़ है कि किसी वक़्त (लब्बैक बिउमरतिन) और किसी वक़्त (लब्बैक बिहज्जतिन) कहे।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، { عَنْ جَدِّي، } عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ

(1805) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ में उमरे को हज़ के साथ मिलाकर तमत्तोअ किया। (तमत्तोअ का लुग़वी मानी इस्तेफ़ादा है) आपने जुलहुलैफ़ा से क़ुर्बानी ली और अपने साथ ले गये। इब्तेदा में रसूल (ﷺ) ने उमरे का तल्बीया कहा और फिर हज का। और लोगों ने भी आपके साथ उमरे को हज के साथ मिलाकर तमत्तोअ किया। लोगों में से कुछ तो वह थे जो क़ुर्बानीयाँ अपने साथ ले गये और कुछ वह थे जो न ले गये। जब

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ

रसूलुल्लाह मक्का पहुँचे तो लोगों से फ़रमायाः 'तुममें से जो शख़्स क़ुर्बानी लाया है उसके लिए हराम होने वाली कोई चीज़ हलाल नहीं यहाँ तक कि अपना हज मुकम्मल कर ले। लेकिन जो क़ुर्बानी नहीं लाया है तो उसे चाहिए कि बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई करे और उसके बाद अपने बाल कतरवाकर हलाल हो जाये। फिर इसके बाद हज का एहराम बाँधे और क़ुर्बानी दे। और जो क़ुर्बानी की इस्तेताअ़त न पाये तो वह हज के दिनों में तीन दिन रोज़े रखे और मज़ीद सात दिन अपने अहल (वतन) में वापस लौटकर रखे।' चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का पहुँचने पर तवाफ़ किया और सबसे पहले रूक्न (हजरे अस्वद) को बोसा दिया। फिर तवाफ़ के सात चक्करों में से (पहले) तीन चक्करों में आहिस्ता अहिस्ता दौड़े और बाक़ी चार में (आ़म रफ़्तार से) चले। तवाफ़ के बाद आपने मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर सलाम फेरा। फिर आप स़फ़ा की तरफ़ आये और स़फ़ा मरवा पर सात चक्कर लगाये फिर आप पर हराम होने वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ हलाल न हूई (इस तरह एहराम ही में रहे) यहाँ तक कि अपना हज मुकम्मल किया। दसवीं तारीख़ को क़ुर्बानी की और तवाफ़े इफ़ाज़ा किया, फिर आपके लिए तमाम चीज़ें हलाल हो गयीं जो बहालते

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ

एहराम हराम थीं। और दीगर लोगों ने भी जो क़ुर्बानियाँ अपने साथ लाये थे इसी तरह किया जैसे कि रसूल (ﷺ) ने किया।

(1805) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1691, व मुस्लिम: 1227.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज के लिए क़िरान (क़ाफ़ के ज़ेर के साथ) और तमत्तोअ़ की इस़्तेलाहात शूरू में इस तरह मशहूर व मअ़रूफ़ न थीं जिस तरह कि बाद में हूईं। यही वजह है कि कुछ अहादीस़ में क़िरान के लिए 'तमत्तोअ़' का लफ़्ज़ भी आया है जैसे कि ऊपर वाली हदीस़ में वारिद हूआ है। यहां ये लुग़वी मानी में है। यानी 'फ़ायदा हासिल करना'। चूंकि उन्होंने अपने सफ़रे हज में उ़मरे का फ़ायदा भी हासिल कर लिया था, इसलिए यहां इसे लुग़वी तौर पर तमत्तोअ़ से ताबीर कर दिया है। वरना मौजूदा इस़्तेलाह के ऐ़तबार से ये हज्जे तमत्तोअ़ नहीं है, हज्जे क़िरान है। **(2)** मक्का पहुँच कर सबसे पहला काम बैतुल्लाह का तवाफ़ होता है। इस तवाफ़ को 'तवाफ़े क़दूम' कहते हैं। **(3)** तवाफ़ की इब्तेदा हजरे अस्वद से और उसके इस्तेलाम से होती है और इस पर इन्तेहा भी। इस्तेलाम के मानी हैं 'हाथ लगाना या चूमना' एक मुकम्मल तवाफ़ में सात चक्कर पूरे किये जाते हैं और इस पहले तवाफ़ (तवाफ़े क़दूम) के पहले तीन चक्करों में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना मसनून है। इसे (रमल) या (ख़बब) कहते हैं। मगर औ़रतें इससे अलग हैं। बाद वाले किसी तवाफ़ में रमल नहीं किया जाता। **(4)** तवाफ़ के बाद दो रकअ़तें पढ़ना मसनून है। मुस्तहब ये है कि मक़ामे इब्राहीम के पास पढ़ी जायें। इनके बाद दोबारा हजरे अस्वद को बोसा देना या हाथ लगाना भी मसनून अ़मल है जो स़हीह हदीस़ से स़ाबित है। ख़्याल रहे कि हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए धक्कम पेल एक क़बीह और नाजायज़ हरकत है और ख़्वातीन के अंदर घुसना हराम है। इसी तरह औ़रतों के लिए हराम है कि वह मर्दों के साथ धक्कम पैल करें या उनके अंदर घुसें। चाहिए कि बावक़ार अन्दाज़ से अपनी बारी का इन्तेज़ार किया जाये या फिर स़िर्फ़ हाथ लगाकर या इशारा करके आगे गुज़र जाये। **(5)** हज्जे तमत्तोअ़ या क़िरान वाले के लिए क़ुर्बानी वाजिब है। अगर क़ुर्बानी की इस्तेताअ़त न हो तो दस रोज़े रखे। तीन रोज़े अय्यामे हज में और बाक़ी सात अपने अहल में वापस आकर। अय्यामे हज से मुराद 9 ज़ुलहिज्जा (यौमे अ़रफ़ात) से पहले, या फिर अय्यामे तशरीक़ हैं। (तफ़्सीर फ़तहुलक़दीर) **(6)** हज्जे तमत्तोअ़ वाला या उ़मरे वाला बैतुल्लाह के तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई के बाद हजामत बनवाकर कामिल तौर पर हलाल हो जाता है जबकि हज्जे इफ़राद या क़िरान वाला दसवीं ज़ुलहिज्जा को क़ुर्बानी करने और हजामत बनवाने के बाद लिबास तब्दील कर सकता है और ख़ूशबू लगा सकता है। मगर बीवी से क़ुर्बत नहीं कर सकता। हाँ बैतुल्लाह के तवाफ़ (तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़ियारह) के बाद वह कामिल तौर पर हलाल हो जाता है। **(7)** शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के अल्फ़ाज़ 'इब्तेदा में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़मरे का तल्बीया कहा, फिर

बाब : 28
हाजी तल्बीया कहना कब मौक़ूफ़ करे?

﴿28﴾
باب مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

(1815) हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (दसवीं ज़ुलहिज को) जमरह अ़क़बा को कंकरियाँ मारने तक तल्बीया कहते रहे।

(1815) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1685, मुसनद अहमद: 1/213, व मुस्लिम: 1280.

फ़ायदा : तल्बीया, एहराम बाँधने के वक़्त से शुरू होकर दसवीं तारीख़ की सुबह जमरह अ़क़बा को कंकरियाँ मारने तक ही है जैसे कि स़हीहैन की रिवायत में है: 'आप (ﷺ) तल्बीया कहते रहे यहाँ तक कि जमरह के पास पहुँच गये।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1543, 1544, व मुस्लिम: 1281)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ

(1816) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मनक़ूल है, कहते हैं कि हम (नवीं तारीख़ को) सुबह के वक़्त मिना से अ़रफ़ात की तरफ़ रवाना हूए तो कुछ लोग हममें से तल्बीया पुकार रहे थे और कुछ तकबीर।

(1816) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/22, व मुस्लिम: 1284.

फ़ायदा : तल्बीया के साथ साथ तकबीर व तस्बीह और कुछ मुनासिब दुआयें भी मुबाह हैं।

(29) باب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

बाब : 29 उ़मरह करने वाला किस वक़्त तल्बीया बंद करे?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا

(1817) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'उ़मरह करने वाला हजरे अस्वद को हाथ लगाने (या बोसा देने) तक तल्बीया कहता रहे।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान और हम्माम ने अ़ता से उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़ रिवायत किया है।

(1817) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 919, बैहक़ी, 5/105, हदीस़: 752.

नोट : ये रिवायत मरफ़ूअ़ नहीं मौक़ूफ़ ही स़ही है और हुक्म और अ़मल इसी पर है कि उ़मरह में हजरे अस्वद का इस्तेलाम (बोसा) करने तक तल्बीया है, उसके बाद नहीं।

(30) باب الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلاَمَهُ

बाब : 30 मुहरिम अपने ग़ुलाम को सज़ा दे ...?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ

(1818) दुख़्तरे अबूबक्र (رضي الله عنه) हज़रत अस्मा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की साथ में हज के लिए निकले। जब हम मक़ामे अ़रज पर पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पड़ाव किया और हम भी

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيرُكَ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ " انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ " . قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَقُولَ " انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ " . وَيَتَبَسَّمُ

उतर पड़े। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठीं और मैं अपने वालिद (हज़रत अबूबक्र(رضي الله عنه) के पास बैठीं। अबूबक्र (رضي الله عنه) और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामाने सफ़र का जानवर एक ही था जो हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) के एक गुलाम की तहवील में था। हज़रत अबूबक्र बैठे उसका इन्तेज़ार कर रहे थे कि वह आ जाये। चूनांचे जब वह आया तो वह ऊँट उसके साथ नहीं था। उन्होंने पूछा: वह तेरा ऊँट कहाँ है? उसने कहा: वह आज रात गुम हो गया है। अबूबक्र (رضي الله عنه) ने कहा: सिर्फ़ एक ऊँट और वह भी तूने गुम कर दिया? और फिर उसे मारने लगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) मुस्कुराते रहे और फ़रमाने लगे: 'देखो इस मुहरिम को क्या कर रहा है?' इब्ने अबी रज़मा के अल्फ़ाज़ हैं (फ़मा यज़ीदू रसूलुल्लाहि ...अलख़) यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे ज़्यादा न कहा कि 'देखो इस मुहरिम को' क्या कर रहा है!' और मुस्कुराते रहे।

(1818) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2933, मुसनद अहमद: 6/344.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम की हालत में ग़लत तौर पर झगड़ा करना नाजायज़ है और हज के अमल को नाक़िस़ कर देता है, अलबत्ता किसी मातहत को उसकी कम अक़्ली पर तादीब करने और सज़ा देने में कोई हर्ज नहीं। अगर इससे भी परहेज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। **(2)** अ़र्ज: जीम के ज़बर और रा के सुकून के साथ मदीना से मक्का के रास्ते पर तक़रीबन 90 मील की मसाफ़त पर एक बस्ती है।

﴾31﴿ بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

बाब : 31
कोई अगर अपने आम कपड़ों में एहराम बाँधे तो?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْىَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ " . قَالَ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ "

(1819) जनाब स़फ़वान अपने वालिद यअ़ला बिन उमैया (﵁) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप मक़ामे जिअ़राना में थे और उस आदमी पर ख़लूक़ ख़ूशबू का अस़र था (जोकि ज़ाफ़रान वग़ैरह से बनी होती है) या कहा कि ज़र्द रंग की ख़ूशबू थी। और वह जुब्बा पहने हूए था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे क्या इरशाद फ़रमाते हैं कि मैं अपनी उ़मरे में कैसे करूं? तो अल्लाह तबारक व तआ़ला ने नबी (ﷺ) पर वही नाज़िल फ़रमाई। जब आपसे ये कैफ़ियत दूर हूई तो दरयाफ़्त किया: 'वह उ़मरे के मुताल्लिक़ पूछने वाला कहां है?' आपने उससे फ़रमाया: 'ख़लूक़ ख़ूशबू धो डालो' या फ़रमाया: 'ज़र्द रंग धो डालो, जुब्बा उतार दो और अपने उ़मरे में वही कुछ करो जो तुम अपने हज में करते हो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1789, व मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जिअ़राना' जीम के ज़ेर और ऐ़न के सुकून के साथ या जीम और ऐ़न दोनों के ज़ेर और 'राअ' मुशद्दद के साथ। मक्का से मदीना आने वाले रास्ते से दायें जानिब कुछ दूर हटकर एक मंज़िल का नाम है। यहां आपने हुनैन का माले ग़नीमत तक़सीम फ़रमाया था और यहीं से एहराम बाँधकर एक उ़मरह किया था। **(2)** एहराम बाँधते वक़्त ख़ूशबू लगाना जायज़ है ख़्वाह बाद अज़ां इसका अस़र भी बाक़ी रहे। मगर ज़ाफ़रान और ज़र्द रंग की ख़ूशबू आम हालात में भी ममनूअ़ है

तो एहराम में ज़्यादा ही मना है। **(3)** मर्द के लिए सिले हूए लिबास में एहराम नहीं, सिर्फ़ दो चादरें होनी चाहिए। भूले से अगर पहन लिए हों तो फ़ौरन उतार दे। और अगर चादर मयस्सर न हो तो शलवार ही में एहराम की नियत कर ले। **(4)** लिबास उतारते हूए या इत्तेफ़ाक़न सर पर कपड़ा आ पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। **(5)** हज और उ़मरे के एहराम एक ही हैं और ये भी साबित हुआ कि मनाही से बचना भी एक अ़मल होता है शरीअ़त सरासर मुनज़्ज़ल मिनल्लाह और वहि शुदा है (वमा यन्तिक़ु अ़निलहवा. इन हुवा इल्ला वहयुय्यूहा) (सूरह अन्नज्म: 3, 4)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اخْلَعْ جُبَّتَكَ " . فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(1820) हज़रत यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) ये क़िस्सा रिवायत करते हुए कहते हैं, नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'अपना जुब्बा उतार दो' चूनांचे उसने इसे अपने सर की तरफ़ से उतार दिया। और हदीस़ बयान की।

(1820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/57. हदीस़: 1819 में देखें।

नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत स़ही है, अलबत्ता (मिन रासिही) 'उसने इसे अपने सर की तरफ़ से उतारा, के अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(1821) हज़रत यअ़ला इब्ने मुन्या (ﷺ) ने ये ख़बर रिवायत की। इसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि इसे उतार दो (जुब्बा को) और ग़ुस्ल करो दो बार या तीन बार। और हदीस़ बयान की।

(1821) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/57, हदीस़: 1819 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावी हदीस़ वही यअ़ला (ﷺ) हैं जिनकी रिवायत ऊपर आई हैं। उनके वालिद का नाम उमैया और वालिदा का नाम मुन्या है। **(2)** शरीअ़त का हुक्म जान लेने के बाद इसमें पसो व पेश का कोई मुतालबा नहीं। **(3)** भूल से पिछली ग़लतियों पर फ़िदया लाज़िम नहीं आता।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ .

(1822) जनाब स़फ़वान अपने वालिद यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) से मनक़ूल करते हैं कि ज़िअ़राना मक़ाम पर एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया, उसने उ़मरे का एहराम बाँधा हूआ था, जुब्बा पहने हूए था और उसकी दाढ़ी और सर में ज़र्द रंग की ख़ूशबू लगी हूई थी। और ऊपर वाली हदीस़ बयान की।

(1822) तख़रीज : मुस्लिम: 1180.

﴾32﴿
باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

बाब : 32
मुहरिम के लिबास का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .

(1823) जनाब सालिम अपने वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से बयान करते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मुहरिम कौन से कपड़े न पहने? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़' टोपीदार कुर्ता, सलवार, पगड़ी या ऐसा कपड़ा जिसको वर्स या ज़ाफ़रान लगा हो न पहने और मौज़े भी न पहने, मगर ये कि किसी के पास जूते न हों। जिसके पास जूते न हों वह मौज़े पहन ले मगर उन्हें काट ले यहाँ तक कि टख़नों से नीचे हो जायें।'

(1823) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5806, मुसनद अहमद: 2/8, व मुस्लिम: 1177.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

(1824) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) नबी (ﷺ) से, ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत करते हैं।

(1824) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1542, मौता: 1/324, व मुस्लिम: 1177.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औ़रत के लिए एहराम की चादरें पहनना ज़रूरी नहीं। बल्कि वह शलवार, क़मीस़ और दूपट्टे और परदे ही में एहराम बाँधेगी। अलबत्ता ख़ूशबू वह भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिलख़ुसूस़ वर्स और ज़ाफ़रान। इसी तरह दस्ताने भी नहीं पहन सकती। अलबत्ता जुराबें या मौज़े न स़िर्फ़ ये कि वह पहन सकती हैं बल्कि उनका पहनना उनके लिए बेहतर है क्यों कि उनमें ज़्यादा परदा है। **(2)** मर्दों के लिए स़ही क़ौल के मुताबिक़ मौज़ों का पहनना भी जायज़ है ख़्वाह वह कटे हूए न भी हों। जबकि जुम्हूर की राय ये है कि उन्हें काट ले, लेकिन स़ही बात ये है कि जब जूते न हों तो मौज़ों का काटना लाज़िम नहीं है क्योंकि नबी अकरम (ﷺ) ने लोगों को अ़रफ़ा में ख़ुत्बा देते हूए इरशाद फ़रमाया था: 'जिसके पास जूते न हों तो वह मौज़े पहन ले और जिसके पास तहबंद न हो तो वह सलवार पहन ले।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1841, स़ही मुस्लिम; 1178) इस हदीस़ में आपने मौज़े काटने का हुक्म नहीं दिया, तो इससे मालूम हूआ कि जिस हदीस़ में मौज़े काटने का हुक्म है वह इब्तेदाए एहराम का था और दूसरा हुक्म अ़रफ़ा के दिन का है। इससे ये बात स़ाबित हूई कि काटने का हुक्म मन्सूख़ है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . زَادَ " وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

(1825) जनाब नाफ़ेअ़ ने हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से, ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया है और मज़ीद कहा है: 'एहराम वाली औ़रत नक़ाब पहने न दस्ताने पहने।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस़ हातिम बिन इस्माईल और यहया बिन अय्यूब ने मूसा बिन उ़क़्बा से, उन्होंने नाफ़ेअ़ से इसी तरह रिवायत की है जैसे कि लैस़ ने रिवायत की है। मगर इसी को मूसा बिन तारिक़ ने मूसा बिन उ़क़्बा से हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) पर मौक़ूफ़न रिवायत किया है। और ऐसे ही उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर, मालिक और अय्यूब ने भी मौक़ूफ़न रिवायत

مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ

किया है जबकि इब्राहीम बिन सईद मदनी ने नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने उ़मर (ﷺ) से, उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया कि 'एहराम वाली नक़ाब लगाये न दस्ताने पहने।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्राहीम बिन सईद मदनी अहले मदीना में से सिर्फ़ एक शैख़ (आ़लिम) हैं कोई ज़्यादा साहिबे हदीस़ नहीं हैं। (इनकी रिवायत आगे आ रही है: 1826)

(1825) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1838.

फ़ायदा : हदीस़ में मुहरिम औ़रत को नक़ाब डालने से मना किया गया है। इस नक़ाब से एक ख़ास़ नक़ाब मुराद है जो कि नाक पर या आँख के नीचे बाँधा जता है। इससे मुराद वह नक़ाब नहीं है जो आजकल मअ़रूफ़ है और जिसे चेहरे के परदे के लिये इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इससे मौजूदा नक़ाब मुराद लेकर मुहरिम औ़रत को चेहरा ढाँपने से मना करते हैं। लेकिन ये बात स़ही नहीं। जिस नक़ाब से मना किया गया है, उसका ताल्लूक़ हिजाब या चेहरे के परदे से नहीं ये परदा तो एहराम की हालत में हो या ग़ैर एहराम की, हर वक़्त ज़रूरी है। मुहरिम औ़रत को एक मख़्सूस़ क़िस्म के नक़ाब से रोका गया है जो कि सिर्फ़ नाक या आँख के नीचे बाँधा जाता है। जिससे मना कर दिया गया। इस मुमानिअ़त का तअ़ल्लूक़ हिजाब वाले नक़ाब से नहीं । इसलिए इसका तो हुक्म हालते एहराम में भी है। जैसा कि मौता इमाम मालिक में रिवायत है फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बयान करती हैं कि हम हालते एहराम में अपने चेहरे ढाँपा करती थीं और अस्मा बिन्ते अबीबक्र सिद्दीक़ा (ﷺ) भी हमारे साथ होती थीं। (मौता, हदीस़: 1/328) नीज़ मुस्तदरक हाकिम में भी इन्हीं से रिवायत है कि हम मर्दों से अपने चेहरों का परदा करती थीं (मुस्तदरक हाकिम: 1/328) इसके अ़लावा हज़रत आ़यशा(ﷺ) से मरवी है कि मुहरिम औ़रत न नक़ाब डाले और न घुंघट निकाले अलबत्ता सर की तरफ़ से चेहरे पर कपड़ा लटका ले। (बैहक़ी: 5/47) इन तमाम मौक़ूफ़ रिवायात से मालूम हूआ कि आपने ख़ास़ क़िस्म के नक़ाब से मना किया है न कि बिल्कुल ही परदा करने से मना किया है। इसलिए हर ख़ातून को चाहिए कि वह इस मामले में अपने रब से डरे और फ़ैशनेबल और ऐसे तमाम नक़ाबों से बचे जो बेपरदगी को फ़रोग़ देते हों।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(1826) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'एहराम वाली औ़रत न नक़ाब लगाये और न दस्ताने पहने।'

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ "

(1826) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/47.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ . وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .

(1827) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आपने औ़रतों को एहराम में दस्ताने पहनने और नक़ाब लगाने से मना फ़रमाया है। और ऐसे लिबास से भी जिसे वर्स (एक रंगदार बूटी) और ज़ाफ़रान लगी हो। उनके अ़लावा जो लिबास और रंग चाहे पहन ले (यानी) अ़सफ़र (ज़र्द) रंग हो या रैशम, या ज़ेवर या शलवार या क़मीस़ या मोज़ा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस़ को अ़ब्दा बिन सुलेमान और मुहम्मद बिन सलमा, मुहम्मद बिन इस्हाक़ से और वह नाफ़ेअ से रिवायत करते हैं मगर सिर्फ़ इस हिस्से तक (यानी) (वमा मस्सल्वर्सु वज़्ज़अफ़रानु मिनस्सियाब) बाद वाला हिस्सा ये दोनों रिवायत नहीं करते।

(1827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/22, बुख़ारी, हदीस़: 1838, हाकिम, 1/486.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद बयान करना चाहते हैं कि इस रिवायत के आख़िर में ऊपर वाली तफ़्सील ज़िक्र करने में याक़ूब के वालिद 'इब्राहीम बिन सअ़द' मुन्फ़रिद (तन्हा) हैं और गोया ये आख़री हिस्सा हदीस़ में मुदरज है (बज़्लुल मज्हूद) जबकि अ़सफ़र (ज़र्द) रंग का इस्तेमाल और मौज़ों का पहनना (बिलाउ़ज़्र) स़हीहतर अहादीस़ में मना आया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ

(1828) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि उन्हें सर्दी लगी तो उन्होंने कहा: ऐ नाफ़ेअ! मुझ पर कोई कपड़ा डाल दो। चूनांचे मैं (नाफ़ेअ) ने उन पर एक बुर्नुस

وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ . فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَىَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ

(एक क़मीस़ जिसका एक हिस्सा बतौर टोपी इस्तेमाल होता है) डाल दी। तो वह बोले: मुझ पर ये डाल रहा है हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहरिम को इसके पहनने से मना फ़रमाया है।

(1828) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/141, वलहुमैदी, हदीस़: 696.

फ़ायदा : बुर्नुस बाक़ायदा पहनना मना है वैसे ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं मगर हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) का तक़वा और जज़्बा इत्तेबा–ए–रसूल (ﷺ) इस क़द्र शदीद था कि उन्होंने इसे आम सूरत में भी ओढ़ने से गुरेज़ का इज़हार फ़रमाया।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الإِزَارَ وَالْخُفُّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ.

(1829) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कहते हूए सुना, 'जिसे तहबन्द न मिले वह शलवार पहन ले और जिसके पास जूते न हों वह मौज़े पहन ले।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये अहले मक्का की रिवायत है और इसका मेहवर अहले बस़रा में से जाबिर बिन ज़ैद (رضي الله عنه) हैं। इस रिवायत में इन्फ़िरादियत ये है कि इसमें 'सरावील' (शलवार) का ज़िक्र है और मौज़ों के बारे में काटने की हिदायत नहीं है।

(1829) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1841, व मुस्लिम; 1178.

फ़ायदा : उ़ज़्र की सूरत में शलवार और मौज़ा पहनना जायज़ है और इसमें कोई फ़िद्या वग़ैरह लाज़िम नहीं आता। मौज़ों से मुताल्लिक़ बहस हदीस़ 1823 के फ़वायद में गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ

(1830) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि हम नबी (ﷺ) की मईयत (साथ) में मक्का को जातीं तो

हाथों से हरकत दी और अपने हाथों को आगे पीछे किया: फिर कहा: मैंने आप(ﷺ) को देखा था कि आप इसी तरह करते थे।

(1840) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 1840, मौता: 1/323, व मुस्लिम: 1205.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि मुहरिम नहा सकता है और अपना सर भी धो सकता है, यानी हालते एहराम में ग़ुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं, ख़्वाह ग़ुस्ल वाजिबी हो या वैसे ही राहत के लिए। और सर के बालों को मलते हूए जो बाल फ़ितरी अन्दाज़ में गिर जायें उनका कोई हर्ज नहीं। **(2)** तहक़ीक़े मसाइल में पुख़्ताकार और क़ाबिले ऐतमाद ड़लमा की तरफ़ रूजू करना चाहिए। (फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअ्लमून) के यही मानी हैं। मगर इन पर भी लाज़िम है कि (बिलबय्यिनाति) की बुनियाद पर दलीलों के साथ हक़ को वाज़ेह करें। (देखिये, तफ़्सीर सूरह अन्नहल आयत: 43, 44) **(3)** ख़बरे वाहिद हुज्जत है, नीज़ अहले हक़ का शेवा है कि वह इख़्तिलाफ़ के वक़्त नस़ (क़ुर्आन और हदीस़) की तरफ़ रूजूअ करते हैं। **(4)** स़हीह हदीस़ मालूम हो जाने के बाद इज्तेहाद और क़यास को तर्क करना फ़र्ज़ है। **(5)** वुज़ू और ग़ुस्ल करने वाले को सलाम कहा जा सकता है। **(6)** नहाने में दूसरे शख़्स़ से मदद ली जा सकती है। **(7)** नहाने और वुज़ू करने के दौरान में बवक़्ते ज़रूरत बात चीत करना भी जायज़ है। वल्लाहू आ़लम!

बाब : 39
मुहरिम का निकाह करना कैसा है?

(39)
باب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

(1841) जनाब ड़मर बिन ड़बैदुल्लाह ने जनाब अबान बिन ड़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान से कहला भेजा जबकि अबान उन दिनों अमीरे हज थे और ये दोनों एहराम की हालत में थे कि मेरा प्रोग्राम है कि तलहा बिन ड़मर का निकाह शैबा बिन जुबैर की साहबज़ादी से कर दूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें तशरीफ़ लायें। तो जनाब अबान ने इससे

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ .

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ

इंकार कर दिया और कहा: मैंने अपने वालिद हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान(ﷺ) से सुना है, वह कहते थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुहरिम अपना निकाह करे न किसी दूसरे का।'

(1841) तख़रीज : मुस्लिम: 1409, मौता: 1/348, 349.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ " وَلاَ يَخْطُبُ " .

(1842) जनाब अबान बिन उ़स्मान, हज़रत उ़स्मान(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: और ऊपर वाली हदीस़ के मिस्ल ज़िक्र किया। और मज़ीद कहा: 'और न शादी का पैग़ाम दे।'

(1842) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ابْنِ أَخِي، مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ

(1843) हज़रत मैमूना (ﷺ) के भतीजे यज़ीद बिन अस़म हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत करते हैं, वह कहती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे मक़ामे सरिफ़ में निकाह किया था और हम दोनों हलाल थे।

(1843) तख़रीज : मुस्लिम: 1411.

फ़ायदा : हज़रत मैमूना (ﷺ) (बिन्ते हारिस़ अलहिलालिया) के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) का निकाह सात हिजरी में उ़मरतुल क़ज़ा के मौक़े पर हूआ था। इनके पहले शौहर का नाम अबू रूहम बिन अ़ब्दुल उ़ज़्ज़ा था। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (ﷺ) ने इस निकाह का पैग़ाम भेजा, उन्होंने हज़रत अ़ब्बास(ﷺ) से अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया तो उन्होंने निकाह कर दिया। (अलइसाबा)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(1844) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना से निकाह किया जबकि आप हालते एहराम में थे।

(1844) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4258.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(1845) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को हज़रत मैमूना के निकाह के मामले में वहम हूआ है कि वह एहराम में थे।

(1845) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/212.

फ़वाइद व मसाइल : ये आख़री रिवायत अगरचे सनदन मक़तूअ है मगर मबनी पर हक़ीक़त है कि हज़रत इब्ने अब्बास को वहम हूआ है। मैमूना (ﷺ) साहिबे वाक़िया हैं इनका अपना बयान है कि 'हम दोनों हलाल थे।' और इस वहम की बुनियाद ग़ालिबन ये है कि चूंकि एहराम से फ़ारिग़ होते ही ये काम हो गया था और हज़रत इब्ने अब्बास वैसे भी छोटी उम्र थे, इसलिए उन्होंने समझा कि एहराम ही में ये निकाह हूआ था। वल्लाहू आलम।

(40) باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

बाब : 40
मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ

(1846) जनाब सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया कि मुहरिम कोन से जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'पाँच जानवरों के क़त्ल में कोई

فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

गुनाह नहीं है। हरम में मारे या उससे बाहर हिल में (और हालते एहराम में मारे या हलाल होते हूए) यानी बिच्छू, कौआ, चूहा, चील और काटने व133ाला कुत्ता।'

(1846) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/8, व मुस्लिम: 1199.

फ़ायदा : 'बिच्छू' पर इस जिन्स के दीगर मूज़ी जानवर भी क़यास किये जा सकते हैं जैसे, कंखजूरा वग़ैरह और 'काटने वाले कुत्ते' पर इस जिन्स के दीगर जानवर जैसे शेर, चीता, रीछ और भेड़िया, वग़ैरह.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

(1847) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच क़िस्म के जानवरों को हरम में क़त्ल करना हलाल है, यानी साँप, बिच्छू, चील, चूहा और काटने वाला कुत्ता।'

(1847) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/210, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2667.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي "

(1848) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'साँप, बिच्छू, चूहा, कौअे को पत्थर मारे क़त्ल न करे, काटने वाला कुत्ता, चील और हर हमलावर दरिन्दा।'

(1848) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 838, मुसनद अहमद, 3/3, इब्ने माजा, हदीस़: 3089, हदीस़: 1474 में देखे।

बाब : 41
मुहरिम के लिए शिकार के गोश्त का मसला

﴿41﴾
باب لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

फ़ायदा : बहालते एहराम ख़ुश्की का शिकार करना या शिकारी से तआवून लेना हराम है यहाँ तक कि उसको इशारा करना भी जायज़ नहीं। ऐसे ही अगर मालूम हो कि शिकारी ने मुहरिमीन ही के लिए शिकार किया है तो उन्हें इसका क़बूल करना या खाना भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर उनकी ग़र्ज़ से शिकार न किया गया हो तो उसका क़बूल कर लेना और खा लेना जायज़ है। और समन्दरी शिकार में किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। मुहरिम अज़ ख़ूद शिकार करे या किसी से तआवून ले, बिलाशुब्हा जायज़ है। कुर्आन मजीद की सूरह मायदा की पहली और दूसरी आयत के अलावा दो आयत नम्बर 195 और 96 में भी ये मसला ज़िक्र हूआ है। इरशादे बारी है। 'तुम्हारे लिये समन्दर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है। क्यों कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है और मुसाफ़िरों का भला। और ख़ुश्की का शिकार तुम पर हराम है जब तक कि तुम एहराम में हो।' (अल मायदा: 96)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ الْحَارِثُ، خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالُوا لَهُ كُلْ . فَقَالَ أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلاَلاً فَإِنَّا حُرُمٌ . فَقَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ

(1849) इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस़ अपने वालिद से बयान करते हैं कि जनाब हारिस हज़रत उस्मान (ﷺ) की जानिब से ताइफ़ के गवर्नर थे। उन्होंने हज़रत उस्मान (ﷺ) के लिए खाने का एहतमाम किया और इसमें चकोरों, जंगली चिड़ियों और नील गाय का गोश्त तैयार करवाया। और हज़रत अली (ﷺ) को भी बुलवा भेजा। क़ासिद जब उनके पास पहुँचा तो वह अपने ऊँटों के लिए पत्ते झाड़ रहे थे। चूनांचे वह अपने हाथ (पत्तों के गर्द गुबार से) झाड़ते हूए तशरीफ़ लाये। स़ाहिबे ज़ियाफ़त ने उनसे कहा: खायें! तो उन्होंने जवाब दिया: ये खाना ऐसे लोगों को दे दें जो एहराम में न हों, हम तो एहराम में हैं। तब

كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا نَعَمْ

उन्होंने (हज़रत अ़ली (ﷺ) ने कहा: मैं क़सम देकर कहता हूं कि क़बीला अशजअ़ में से कौन यहां है, क्या तुम जानते हो कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हालते एहराम में नील गाय (हिमारे वहशी) का गोश्त हदिया किया था, तो आपने उसके खाने से इंकार कर दिया था? उन लोगों ने कहा: हाँ (ये बात हक़ और सच है)

(1849) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/194.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाबा किराम (ﷺ) में बिलख़ुसूस चारों ख़लीफ़ा में इन्तेहाई उख़ुव्वत व मवद्दत के ताल्लूक़ थे। **(2)** हज़रत अ़ली (ﷺ) को हक़ बात बताने और कहने में कोई भी चीज़ रूकावट न बनी, न तअ़ल्लूक़ ख़ातिर और न दूसरों के मन्सबे हुकूमत **(3)** क़नाअ़त की जो तअ़लीम व तर्बीयत रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने अस्हाब को दी थी वह तमाम उ़मर उसी पर कार बंद रहे। **(4)** हज़रत अ़ली (ﷺ) ख़ूद ही अपने ख़ादिम थे। **(5)** शिकार जब नियत से किया गया हो कि मुहरिमीन की ज़ियाफ़त की जायेगी तो उन्हें इसका क़बूल करना जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ " إِنَّا حُرُمٌ " . قَالَ نَعَمْ .

(1850) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है उन्होंने कहा: ऐ ज़ैद बिन अरक़म! क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक शिकार का अ़ज़्व (हिस्सा) हदिया दिया गया था तो आपने उसे क़बूल नहीं किया था और फ़रमाया था: 'हम एहराम में हैं?' हज़रत ज़ैद (ﷺ) ने जवाब दिया: हाँ!

(1850) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 2823, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 981.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ - عَنْ عَمْرٍو،

(1851) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कहते थे: 'ख़ुश्की का शिकार तुम्हारे लिये हलाल है बशर्तेकि तुमने उसका शिकार न

عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ .

किया हो या तुम्हारे लिये शिकार न किया गया हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जब नबी (ﷺ) से दो हदीसें एक दूसरी के बर ख़िलाफ़ मिलें तो वह हदीस़ ली जाये जिस पर आपके सहाबा ने अ़मल किया हो।

(1851) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 846, नसाई, हदीस़: 2830, स़ही इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2641, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 980, हाकिम, 1/452, 472.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ सनदन तो स़ही नहीं मगर मअ़नन दुरूस्त है और मसला यही है। जैसे कि स़ही बुख़ारी में है। (अहादीस: 1821 से 1825) और अगली हदीस़ में भी मरवी है। **(2)** इमाम अबू दाऊद का बयान कि 'जब दो हदीसें एक दूसरी के बरख़िलाफ़ मिलें ...अलख़' मालूम होना चाहिए कि सहीहुल असानीद हदीसों में जहां तआ़रूज़ महसूस होता है उनमें यक़ीनन पहले का क़ौल व अ़मल मन्सूख़ और बाद वाला नासिख़ होता है। और तवारीख़ का इल्म न हो सके तो दीगर वजूहे तरजीहात के ज़रीये से एक को राजेह और दूसरे को मरजूह क़रार दिया जायेगा। इस क़िस्म की तहक़ीक़ात उ़लमाए रासिख़ीन और उनकी मौसूक़ तालीफ़ात ही से मिल सकती हैं। इस मौज़ूअ़ पर उ़लमा–ए–मुहद्दिसीन ने बहुत मेहनत की है, जैसे: 'किताबुल ऐ़तबार फ़िन नासिख़ वलमन्सूख़' (लिल्हाज़मी (रह.), 'अन्नासिख वलमन्सूख़' (इमाम अहमद (रह.), 'तज़्रीदुल अहादीस़ अलमन्सूख़' (इब्ने अलज़ौज़ी (रह.) बज़ाहिर मुख़्तलिफ़ल मआ़नी अहादीस़ के सिलसिले में ये किताबें क़ाबिले मराजअ़ हैं: 'इख़्तिलाफ़ अलहदीस़' (इमाम शाफ़ेई (रह.), 'तावीले मुख़्तलिफ़ुल हदीस़' (इब्ने तैमिया अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम (रह.) और, 'मुश्किलुल आस़ार' (अबू जाफ़र अहमद बिन सलमा अत्तहावी (रह.), **(3)** इमामुल अइम्मा अबूबक्र बिन ख़ुज़ैमा (रह.) फ़रमाया करते थे कि जिस शख़्स़ को दो स़ही हदीस़ों में तआ़रूज़ और तज़ाद महसूस होता हो वह हमारे पास ले आये हम उनमें ततबीक़ दे देंगे। (हल निकाल देंगे) अल्लाहु अक्बर! ये हैं हमारे अस्लाफ़ मुहद्दिसीन।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ

(1852) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (رضي الله عنه) से मरवी है कि वह नबी (ﷺ) के साथ थे यहाँ तक कि मक्का के रास्ते में एक जगह वह अपने साथियों के साथ पीछे रह गये जो कि एहराम में थे जब कि ये बग़ैर एहराम के थे।

الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى "

अबू क़तादा(ﷺ) ने एक नील गाय को देखा तो अपने घोड़े पर सवार हो गये और साथियों से कहा: मुझे मेरा कोड़ा पकड़ा दो। उन्होंने कोड़ा देने से इन्कार कर दिया। फिर भाला माँगा तो उन्होंने इस (के देने) से भी इन्कार कर दिया। आख़िर ख़ूद ही उठाया और उस नील गाय के पीछे भाग गये और उसे मार लाये। तो कुछ अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसका गोश्त खाया और कुछ ने इन्कार कर दिया। फिर जब ये हज़रात रसूलुल्लाह (ﷺ) से जा मिले तो आपसे इसके बारे में दरयाफ़्त किया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो रिज़्क़ है जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाया है।'

(1852) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2914, मौता, 1/350, व मुस्लिम: 1196.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम की हालत में किसी शिकारी को शिकार का इशारा देना या उससे किसी तरह का तआवून करना भी नाजायज़ है। **(2)** जब कोई शिकारी सि़र्फ़ अपने लिये शिकार करे तो मुहरिमीन को उससे खा लेना जायज़ है। **(3)** स़ही अहादीस में है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी इसका बक़िया गोश्त तनावुल फ़रमाया। (स़ही मुस्लिम: 1196)

(42) بَابٌ فِي الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

बाब : 42
मुहरिम के लिए टिड्डी का शिकार कैसा है?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي

(1853) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'टिड्डी समन्दर के शिकार (की क़िस्म) में से है।'

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ " .

(1853) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/207, इब्ने हिब्बान.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَضْرِبُهُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ " . سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهَمٌ

(1854) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें एक टिड्डी दल मिल गया तो हमारा एक आदमी जो एहराम में था, उनको अपने कोड़े से मारने लगा, उसे कहा गया कि ये काम दुरूस्त नहीं है और रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया: 'ये तो समन्दर के शिकार में से है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (इस हदीस़ का रावी) अबू मुहज़्ज़िम ज़ईफ़ है और ये दोनों हदीस़ें वहम हैं।

(1854) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 850, इब्ने माजा, हदीस़: 3222.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .

(1855) जनाब कअ़ब (अहबार (रह.) से मनक़ूल है कि टिड्डी समन्दर के शिकार में से है।

(1855) तख़रीज : (सनद हसन)

नोट : इनमें से पहली रिवायत और कअ़ब अहबार के क़ौल को हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने 'हसन' क़रार दिया है। लेकिन दीगर इमामों के नज़दीक ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। मैमून बिन जाबान की तौसीक़ मुख़्तलफ़ फ़ीह है। इसलिए इनका ज़ईफ़ होना ही राजेह है। ख़्याल रहे कि मशहूर ये है कि मौता इमाम मालिक में कअ़ब अहबार (रह.) का ये क़ौल बयान किया गया है कि 'टिड्डी दरअस़ल मछलियों की छींक से पैदा होती है और साल में दो दफ़ा ऐसा होता है। 'मगर हज़रत उ़मर (ﷺ) ने इनकी ये बात तस्लीम नहीं की। और राजेह यही है कि ये ज़मीन का बर्री जानवर है और इसके शिकार में फ़िद्या है।

बाब : 43
फ़िद्ये के अहकाम व मसाइल

﴿43﴾ باب فِي الْفِدْيَةِ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ " قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

(1856) हज़रत कअब बिन उज़्रा (ﷺ) से रिवायत है कि हुदैबिया के दिनों में रसूलुल्लाह(ﷺ) इनके पास से गुज़रे और फ़रमायाः 'तुम्हारे सर की जूओं ने तुम्हें इज़ा दे रखी है?' उन्होंने कहाः हाँ! तो नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सर मुंडा लो और फिर एक बकरी क़ुर्बानी कर दो या तीन दिन रोज़े रखो या तीन स़ाअ खजूर छः मिस्कीनों में तक़सीम कर दो।'

(1856) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1814, व मुस्लिम; 1201.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आमाले हज में किसी कमी पर मशरूअ क़ुर्बानी स़दक़ा या रोज़ा रखना 'फ़िद्या' कहलाता है, बमानी ऐवज़ या बदल। **(2)** एक स़ाअ चार मुद का होता है और एक मुद तक़रीबन 9 छटांग का। तीन स़ाअ छः मिस्कीनों पर तक़सीम करेंगे तो हर मिस्कीन को दो मुद (18 छटांग) मिलेंगे। पस यही फ़िद्ये का हिसाब हूआ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

(1857) हज़रत कअब बिन उज़्रा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमायाः 'चाहो तो क़ुर्बानी दे दो, चाहो तो तीन दिन रोज़े रख लो और अगर चाहो तो तीन स़ाअ खजूर छः मिस्कीनों को खिला दो।'

(1857) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/243, पिछली हदीस़ देखें।.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ " أَمَعَكَ دَمٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ " .

(1858) हज़रत कअ़ब बिन उज्रा (ﷺ) का बयान है कि हुदैबिया के दिनों में रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके पास से गुज़रे और क़िस्सा बयान किया। आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे पास ख़ून (फ़िद्ये का जानवर) है?' उन्होंने कहा! नहीं। आपने फ़रमाया: 'तू तीन दिन रोज़े रख या तीन स़ाअ़ खजूर छ: मिस्कीनों में स़दक़ा कर दो। हर दो मिस्कीनों को एक स़ाअ़ दो।'

(1858) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/243.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، - وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً .

(1859) हज़रत कअ़ब बिन उज़्रा (ﷺ) से मरवी है और उनकी हालत ये थी कि सर में तकलीफ़ थी (यानी जूएँ पड़ गयी थीं) तो उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था। पस रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको हुक्म दिया था कि एक गाय क़ुर्बानी करें।

(1859) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़ 1856 में देखें।

फ़ायदा : इसमें 'बक़रतुन' (एक गाय) का लफ़्ज़ ग़ैर महफ़ूज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ

(1860) हज़रत कअ़ब बिन उज़्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे सर में जूएं पड़ गयीं। जबकि मैं हुदैबिया के साल (इस सफ़र में) रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ था। और (सर की अज़ियत इतनी शदीद थी कि) मुझे अपनी नज़र का अन्देशा लग गया था। पस अल्लाह

بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ أَصَابَنِي هَوَامٌّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الآيَةَ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي "احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً". فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ

अज़्ज़ व जल्ल ने मेरे बारे में ये आयत उतारी (फ़मन काना मिन्कुम मरीज़न औ बिही अज़म मिर्रासिही) पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे बुलवाया और फ़रमायाः 'अपना सर मुंडा दो। तीन रोज़े रखो या छः मिस्कीनों को एक टोकरा किशमिश का खिला दो या एक बकरी क़ुर्बानी कर दो।' चूनांचे मैंने अपना सर मुंडवाया और फिर क़ुर्बानी कर दी।

(1860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुलबर फ़ी तम्हीदः 2/234, 235.

नोट : अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में 'ज़बीब' यानी किशमिश का ज़िक्र मुन्कर है। स़ही बात 'खजूर' ही है।'फ़रक़' तीन स़ाअ़ का बर्तन या टोकरी होती है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ زَادَ " أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ " .

(1861) हज़रत कअ़ब बिन उज़्रा (رضي الله عنه) से इस क़िस्स़े में मरवी है कि (आप (ﷺ) ने फ़रमायाः) 'इन (तीन कामों) में से जो भी करोगे तुमसे किफ़ायत करेगा।'

(1861) तख़रीज : (सनद स़ही) मौताः 1/417.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ौम के सरबराह (लीडर) और किसी अन्जुमन व जमीअ़त के सरबराह के लिए लाज़मी है कि अपने साथियों के शख़्सी (पर्सनल) अहवाल पर भी निगाह रखे। (निगह बलन्द, सुख़न दिलनवाज़, जां पुरसोज़। यही है रख़्ते सफ़र मीरे कारवां के लिये।।) **(2)** इस बाब की अहादीस़ सूरह बक़रः की आयते करीमा 'और जो तुममें से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो तो फ़िद्या दे। यानी रोज़े रखे, या स़दक़ा करे, या क़ुर्बानी करे।' (सूरह बकरः 196) की तफ़्सीर हैं।

बाब : 44
अगर कोई हज से रोक दिया जाये तो

﴾44﴿ باب الإِحْصَارِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ " . قَالَ عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ .

(1862) हज़रत हज्जाज बिन अ़म्र अन्सारी(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसकी हड्डी टूट जाये या लंगड़ा हो जाये तो वह हलाल हो गया। (यानी उसके लिए हलाल हो जाना मुबाह है) और आइन्दा के लिए उस पर हज है।'
जनाब इक्रिमा कहते हैं : मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास और अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से इस बारे में पूछा, उन दोनों ने (हज्जाज की रिवायत की) तस्दीक़ की।
(1862) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3077, नसाई, हदीस़: 2864, तिर्मिज़ी, हदीस़: 940, हाकिम, 1/470, 483.

फ़ायदा : 'आइन्दा हज के लिए आना' फ़र्ज़ की क़ज़ा तो फ़र्ज़ है। अगर ये हज नफ़ल हो तो भी राजेह यही है कि दोबारा आये। और यही हुक्म उ़मरह का है। और ज़ाहिर है कि ये अहकाम 'इस्तेताअ़त और वसाइल' ही पर मबनी (डिपेंड) हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَسَلَمَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ

(1863) हज़रत हज्जाज बिन अ़म्र नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जिसकी हड्डी टूट जाये या वह लंगड़ा हो जाये या बीमार पड़ जाये।' और ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी बयान किया।
इमाम अबू दाऊद के शैख़ जनाब सलमा बिन शबीब ने अपनी सनद में 'अन्बअना' (यानी हम को ख़बर दी) का कलिमा इस्तेमाल किया। (इस तरह उन्होंने अपने शेख़ से सिमाअ़ (सुनने) की

مَرِضَ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ .

तस़रीह कर दी)

(1863) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3078, तिर्मिज़ी, 940.

फ़ायदा : इस रिवायत में 'बीमारी' को एक मुस्तक़िल उ़ज़्र शुमार किया गया है। और ज़ाहिर है कि बीमारी की नोइयत के ऐ़तबार से अगर मुहरिम के लिए आ़माले हज जारी रखना मुमकिन न हों, तो हलाल हो सकता है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّأْمِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّأْمِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْىَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَبْدِلِ الْهَدْىَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الْهَدْىَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .

(1864) उ़म्र बिन मैमून कहते हैं कि मैंने अबू हाज़िर हिम्यरी को सुना वह मेरे वालिद मैमून बिन मेहरान से बयान कर रहे थे कि जिस साल अहले शाम ने मक्का में इब्ने ज़ुबैर का मुहास़रह किया था मैं (अबू हाज़िर हिम्यरी) उ़मरे की ग़र्ज़ से रवाना हूआ। मेरे साथ क़ौम के कुछ अफ़राद ने अपनी क़ुर्बानियाँ भी भेजीं थीं। जब हम अहले शाम के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें हरम में दाख़िल होने से रोक दिया। चूनांचे मैंने क़ुर्बानी उसी जगह नहर कर दी और फिर हलाल हो गया और वापस लौट आया। फिर जब अगला साल आया और मैं अपने उ़मरे की क़ज़ा के लिये चला तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهم) के यहां आया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा: अपनी क़ुर्बानी का बदला भी दो। बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़मरह क़ज़ा में अपने स़हाबा से फ़रमाया था कि हुदैबिया के साल उन्होंने जो क़ुर्बानियाँ की थी उनके ऐ़वज़ क़ुर्बानियाँ भी करें

(1864) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 1/485, 486, बैहक़ी: 4/320.

फ़ायदा : इमाम ख़त्ताबी फ़रमाते हैं कि नफ़्ली ड़मरे में बदल ज़रूरी नहीं, अलबत्ता वाजिब किये हूए ड़मरे में कुर्बानी बदल ज़रूरी होगा। और इमाम बैहक़ी (रह.) कहते हैं कि जिस तरह दोबारा ड़मरह करना मुस्तहब है, इसी तरह कुर्बानी का बदल भी मुस्तहब है। (औनूल माबूद)

बाब : 45
मक्का में दाख़िला

(45) باب دُخُولِ مَكَّةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ

(1865) हज़रत इब्ने ड़मर (रज़ि.) से मरवी है कि वह जब भी मक्का आते तो वादी ज़ी तवा में रात गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह हो जाती और ग़ुस्ल करते। फिर दिन चढ़े मक्का में दाख़िल होते। और नबी (ﷺ) के मुताल्लिक़ बयान करते कि आपने ऐसे ही किया था।

(1865) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1553, 1573, व मुस्लिम: 1259.

फ़ायदा : ये अ़मल मुमकिन हो तो मुस्तहब है। जबकि ड़मरह जिअ़राना में नबी (ﷺ) रात के वक़्त तशरीफ़ ले गये थे।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ، حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا - قَالاَ عَنْ يَحْيَى إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ

(1866) हज़रत इब्ने ड़मर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में बालाई (ऊपरी) जानिब की घाटी से तशरीफ़ लाया करते थे। मुसद्दद और इब्ने हम्बल ने यहया से नक़ल करते हूए कहा कि नबी (ﷺ) बतहा की घाटी से कदा की जानिब से मक्का में दाख़िल होते थे और ज़ेरे (नीचे की) जानिब की घाटी से वापस जाते थे। बरमकी (अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र) ने मज़ीद कहा कि मक्का की दो घाटियाँ मुराद हैं। और मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल है।

مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ - وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِي ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ .

(1866) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1575, व मुस्लिम: 1257.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ .

(1867) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा से) निकलते हूए शजरह वाली राह इख़्तियार फ़रमाते। (यानी जुलहुलैफ़ा वाली, जहां उस ज़माने में एक दरख़्त भी था) और वापसी में मुअ़र्रस वाली जानिब से दाख़िल होते। (यानी मदीना में)

(1867) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/142 में देखें.

फ़ायदा : इस हदीस़ की बाब से मुताबिक़त यूँ है कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस हदीस़ और ऊपर वाली हदीस़ को अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर से इसी सनद से बयान करते हूए एक ही रिवायत बनाया है। जबकि इमाम अबू दाऊद (रह.) या इनके शैख़ उ़स्मान ने इसको क़तअ़ (काट) करके दो रिवायतें बना दिया है। (बज़लुल मजहूद)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى قَالَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ

(1868) हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तह के साल मक्का में उसकी ऊपरी जानिब कदा की तरफ़ से दाख़िल हूए थे। और उ़मरह में कुदा की तरफ़ (निचली जानिब) से आये थे। और जनाब उर्वा दोनों वादियों से आते थे (कभी इससे और कभी उससे) और ये (उर्वा) अक्स़र औक़ात कुद्दी की तरफ़ (नीचे तरफ़) से दाख़िल होते थे। और ये जानिब उनकी मंज़िल के ज़्यादा क़रीब थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1578, व मुस्लिम: 1258.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

(1869) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल होते तो उसकी बालाई जानिब से तशरीफ़ लाते। (इसी रास्ते में मक्का का मअरूफ़ क़ब्रिस्तान है और इस तरफ़ से आने में आपको आसानी थी और वापसी के लिए) नीचली जानिब से निकलते थे (और यही वह राह है जिसमें आजकल मक़ामे 'जर्वल' आता है)

(1869) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1577, व मुस्लिम: 1258.

फ़ायदा : आमदोरफ़्त के रास्तों में इख़्तिलाफ़ के अंदर शायद वही हिकमत छुपी है जो नमाज़े ईद और अ़रफ़ात को जाने आने में फ़र्क़ रखने में नोट है। यानी मुक़ामाते इबादत की कस़रत कि इंसान को क़यामत के दिन ज़मीन के उन हिस्सों की शहादते ख़ैर भी हासिल हो जाये। (तैसीरूल अ़ल्लाम, शरह उ़म्दतुल अहकाम)

﴾46﴿ باب فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

बाब : 46
बैतुल्लाह को देख कर हाथ बलन्द करना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلاَّ الْيَهُودَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ

(1870) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि आदमी बैतुल्लाह को देख कर हाथ उठाये (या नहीं?) उन्होंने कहा: मैंने यहूदियों के अ़लावा किसी को ऐसे करते हूए नहीं देखा। (वह लोग बैतुल मुक़्दिस को देख कर हाथ उठाते हैं) और हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में हज किया तो आप (ﷺ) ने ऐसे नहीं किया था।

(1870) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 855, नसाई, हदीस़: 2898.

नोट : इस हदीस़ की सनद में मुहाजिर बिन इक्रिमा मक्की है जो की मजहूल है और इस मसले में वारिद रिवायात में कोई भी ऐसी क़वी नहीं है जिससे बैतुल्लाह को देख कर हाथ उठाना मशरूअ स़ाबित होता हो। महज़ दुआ करने के बारे में कुछ अख़बार व आस़ार वारिद हैं। (नैलुल अवतार: 5/42) एक रिवायत बयान की जाती है कि (ला तुरफ़उल ऐदी इल्ला फी सब्इ मवातिन) 'स़िर्फ़ सात मक़ामात ऐसे हैं जहां हाथ उठाये जायें ... और उनमें एक बैतुल्लाह को देख कर भी है।' अज़ हद ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। (नस़बुर राया, किताबुस सलात: 1/389 हदीस़: 38)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ .

(1871) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल हूए तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढीं, यानी फ़तहे मक्का वाले दिन।

(1871) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 11298, व मुस्लिम.

फ़ायदा : बैतुल्लाह को देखकर रफ़उलयदैन (हाथों का उठाना) स़ाबित होता तो ज़िक्र किया जाता। मालूम हूआ कि 'नहीं है'।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَهَاشِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ

(1872) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये पस मक्का में दाख़िल हूए, फिर हज्रे अस्वद की तरफ़ तशरीफ़ लाये, उसे बोसा दिया। फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा की जानिब आये और उसके ऊपर चढ़ गये जहां से बैतुल्लाह आपको नज़र आ रहा था, फिर आपने अपने दोनों हाथ उठा लिये और अल्लाह का ज़िक्र करते रहे जिस क़द्र कि अल्लाह ने चाहा और दुआ करते रहे। और अन्स़ार आपके साथ थे। रावी हदीस़ हाशिम ने कहा: दुआ फ़रमाई, अल्लाह की हम्द की और जो चाहा दुआ की।

يَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالأَنْصَارُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ .

(1872) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/538.

फ़ायदा : सफ़ा और मरवह पर चढ़ कर बैतुल्लाह की जानिब रूख़ करके हाथ उठाकर दुआ करना मसनून अमल है। और ये हाथ उठाना बैतुल्लाह को देखने की बिना पर नहीं बल्कि दुआ के लिए होता है।

﴾47﴿ بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

बाब : 47
हज्रे अस्वद को बोसा देना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

(1873) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कि वह हज्रे अस्वद के पास आये और उसको बोसा दिया, फिर कहा: बिलाशुब्हा मैं जानता हूं कि तू महज़ एक पत्थर ही है, नफ़ा दे सकता है न नुक़सान अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को न देखा होता कि उन्होंने तुझे बोसा दिया था तो मैं तुझे बोसा न देता।

(1873) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1597, व मुस्लिम: 1270.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े (यानी सुन्नते मुतह्हरा) का इत्तेबा हर हाल में मशरूअ और वाजिब है, ख़्वाह इसके अस्बाब और एलल मालूम हों या न हों। इसे किसी इल्लत (रीजन) और सबब पर मबनी क़रार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई हिकमत समझ में आ जाये तो अच्छा वरना इस पर अमल बहरहाल लाज़िम है। **(2)** हज़रत उमर (ﷺ) की ये तौज़ीह उन नो मुस्लिम लोगों के लिए थी जिनको ये वहम हो सकता था कि शायद ये पत्थर कोई 'मुअस्सिर' पत्थर है इसलिए इसको चूमा जा रहा है। **(3)** ये हदीस हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) के इत्तेबाअे इमामे आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) पर शदीद हरीस होने की वाज़ेह दलील है। **(4)** कोई भी पत्थर, शजर और क़ब्र वग़ैरह किसी क़िस्म के नफ़ा या नुक़सान का हरगिज़ हरगिज़ कोई इख़्तेयार नहीं रखती। **(5)** ये हदीस दलील है कि सहाब–ए–किराम (ﷺ) अपने ईमान, अक़ीदा, तौहीद और जज़्ब–ए–इत्तेबाए सुन्नत में बेहद कामिल थे। **(6)** शरई दलील के बग़ैर किसी चीज़ को एहतरामन चूमना चाटना मकरूह है।

बाब : 48
बैतुल्लाह के कोनों को हाथ लगाने का बयान

﴾48﴿
باب اسْتِلاَمِ الأَرْكَانِ

(1874) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप बैतुल्लाह के स़िर्फ़ दो यमानी अरकान ही को हाथ लगाते थे।

(1874) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1609, व मुस्लिम: 1267.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

फ़ायदा : यहां 'रूक्न' बमानी कोना है। काबा में हज्रे अस्वद और उसके साथ वाले कोने को यमन की जानिब होने की बिना पर 'यमानी अरकान' कहा जाता है और दूसरे दो शामी कहलाते हैं। यमानी अरकान हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. की अस़ल बुनियादों पर क़ायम हैं। और शामी अरकान अपनी अस़ल बुनियादों पर नहीं हैं।

(1875) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) को हज़रत आ़यशा(ﷺ) का ये बयान बताया गया कि हिज़्र (हा के ज़ेर के साथ, यानी हतीम) का कुछ हिस्स़ा बैतुल्लाह में से है, तो उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह की! मेरा ख़्याल है कि हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने अगर ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है तो मैं समझता हूं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इन (शामी) अरकान का इस्तेलाम (मस करना) स़िर्फ़ इसीलिए तर्क फ़रमाया था कि ये बैतुल्लाह की अस़ल बुनियादों पर नहीं हैं। और लोग भी हिज्र (हतीम) के बाहर से इसी बिना पर तवाफ़ करते हैं।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ، عَائِشَةَ رضى الله عنها إِنَّ الْحِجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلاَمَهُمَا إِلاَّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلاَ طَافَ النَّاسُ

وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلاَّ لِذَلِكَ .

(1875) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/76, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 8941, बुख़ारी, हदीस: 4484, व मुस्लिम: 1333, मौता: 1/363.

फ़ायदा : अगर हिज्र और हतीम के अंदर की तरफ़ से तवाफ़ किया जाये तो पूरे बैतुल्लाह का तवाफ़ न होगा। इसलिए इसका तवाफ़, बाहर से करना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

(1876) हज़रत इब्ने ऊमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तवाफ़ के किसी चक्कर में भी रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद का इस्तेलाम (यानी उसे मस करना) न छोड़ते थे। (नाफ़ेअ ने) कहा: और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ऊमर (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(1876) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2950.

फ़ायदा : हज्रे अस्वद को चूमना या हाथ लगाकर हाथ को चूमना होता है और रूक्ने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाना सुन्नत है न कि हाथ चूमना। भीड़ या किसी और रूकावट की बिना पर हज्रे अस्वद को हाथ या छड़ी से छू करके उस हाथ या छड़ी को बोसा दिया जाये या सिर्फ़ हाथ का इशारा भी काफ़ी हो जाता है। मगर रूक्ने यमानी तक पहुँचना मुश्किल हो तो वैसे ही गुज़र जाये। मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत नहीं।

﴾49﴿
بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

बाब : 49
तवाफ़े वाजिब का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ - عَنِ

(1877) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप अपने असा से रूक्न (हज्रे अस्वद) को मस (छुआ) करते थे।

ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

(1877) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1607, मुस्लिम: 1272.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मुराद 'तवाफ़े क़दूम' है। इमाम स़ाहिब (रह.) की तबवीब से ये इशारा मिलता है कि आप इसे वाजिब समझते हैं जैसे कि इमाम मालिक (रह.) और कुछ अहनाफ़ का क़ौल है। (औनुल माबूद) **(2)** स़हीह हदीस़ में नबी (ﷺ) से स़ाबित है कि आप अपने अ़स़ा से हज्रे अस्वद को मस करके उस अ़स़ा को बोसा भी देते थे (स़ही मुस्लिम: 1275) **(3)** आप (ﷺ) के सवार होकर तवाफ़ करने की हिकमत ये थी कि लोग आपके अ़मल का बख़ूबी मुशाहदा कर लें। रिवायात में ये स़राहत नहीं है कि ये कौनसा तवाफ़ था, ताहम ग़ालिबन ये तवाफ़े इफ़ाज़ा था (बज्लुल मज्हूद), कयोंकि तवाफ़े क़दूम में आप (ﷺ) ने रमल किया था जो पैदल के सिवा मुमकिन नहीं होता। इस हदीस़ से ये भी मालूम हूआ कि पालकी या पहिये वाली कुर्सी में बैठे हूए को तवाफ़ कराया जाये तो उसका तवाफ़ स़ही है। **(4)** जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, उनके पैशाब के छींटों से कपड़े नापाक नहीं होते।

حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ . قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .

(1878) स़फ़ीया बिन्ते शैबा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि फ़तहे मक्का के साल जब रसूलुल्लाह(ﷺ) को मक्का में इत्मिनान हास़िल हो गया तो आपने अपने ऊँट पर (सवार होकर) तवाफ़ किया। कहती हैं कि मैं आपको देख रही थी कि आप अपने अ़स़ा से रूक्न (हज्रे अस्वद) का इस्तेलाम फ़रमाते थे।

(1878) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2947.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،

(1879) जनाब अबू अत्तुफैल (आमिर बिन वास़ला) (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा आप अपनी सवारी पर सवार

عَنْ مَعْرُوفٍ، - يَعْنِي ابْنَ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ .

बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। अपने अ़सा से रूक्न (हज्रे अस्वद) का इस्तेलाम करते थे और फिर उसे बोसा देते थे। मुहम्मद बिन राफ़ेअ़ ने मज़ीद कहा: फिर आप स़फ़ा मरवह की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और अपनी सवारी पर उनके बीच (बीच) सात चक्कर लगाय।

(1879) तख़रीज : मुस्लिम: 1265.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

(1880) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ में अपनी सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और स़फ़ा मरवा की सई की ताकि लोग आपको देख लें और आप उनसे बलन्द रहें और वह आप से (मसाइल) दरयाफ़्त कर सकें क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था।

(1880) तख़रीज : मुस्लिम: 1273.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(1881) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो आपकी तबीअ़त नासाज़ थी चूनांचे आपने अपनी सवारी पर (सवार होकर) तवाफ़ किया। आप जब भी हज्रे अस्वद के पास आते तो अपने अ़सा (छड़ी) से उसको मस (छुआ) करते। पस जब आप अपने तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गये तो आपने (अपनी ऊँटनी को) बिठा दिया और दो रकअ़तें अदा कीं।

(1881) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/214, 304, हदीस़: 1474 में देखें।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} .

(1882) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) से रिवायत है वह कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि मेरी तबीअ़त ख़राब है तो आपने फ़रमाया: 'सवारी पर बैठकर लोगों के पीछे से तवाफ़ कर लो।' कहती हैं: चूनांचे मैंने तवाफ़ किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त बैतुल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप (वत्तूर व किताबिम्मस्तूर) की क़िराअत फ़रमा रहे थे।

(1882) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 464, व मुस्लिम: 1276, मौता, हदीस़: 1/370, 371.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवारी पर तवाफ़ करना रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसीयत न थी बल्कि हर स़ाहिबे ऊ़ज्र को इसकी रूख़्सत हासि़ल है। **(2)** तवाफ़ में ऊ़रतों को हर सम्भव इख़्तिलात से बचना चाहिए। **(3)** ऊ़रतों को मर्दों की जमाअ़त में शरीक होना वाजिब नहीं है।

﴿50﴾ بَابُ الِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

बाब : 50
तवाफ़ में इज़तिबाअ़ करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ .

(1883) हज़रत यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने तवाफ़ किया जबकि आप इज़तिबाअ़ किये हूए थे और चादर सब्ज़ रंग की थी।

(1883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 859, इब्ने माजा, हदीस़: 2954.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम के लिए ज़रूरी नहीं है कि चादर सफ़ेद ही हो। दूसरे रंग के कपड़े भी जायज़ है। सिर्फ़ ज़र्द रंग नापसन्दीदा है जबकि सफ़ेद अफ़ज़ल और मुस्तहब है। **(2)** तवाफ़ शूरू करते हूए अपनी ऊपर की चादर को दायें बग़ल के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डाल लेना 'इजतिबाअ़' कहलाता है। ये अ़मल सिर्फ़ तवाफ़े क़दूम में स़ाबित है जिसमें रमल किया जाता है। ख़्याल रहे कि 'इजतिबाअ़' सिर्फ़ तवाफ़े क़दूम में करना है इसकी मशरूइयत का मक़स़द रमल की तरह क़ूव्वत का इज़्हार था। इसके बाद नमाज़ और दीगर आ़माल में 'इजतिबाअ़' नहीं किया जाता।

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى .

(1884) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके स़हाबा ने मक़ामे जिअ़राने से (एहराम बाँध कर) उ़मरह किया, तो बैतुल्लाह में उन्होंने रमल किया और अपनी चादरों को अपनी बग़लों के नीचे से बायें कंधों पर डाल लिया।

(1884) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/306, 371, इब्ने अल मुलक़्क़िन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज: 1113, हदीस़: 1890 में देखें।

फ़ायदा : जिअ़राना एक मक़ाम का नाम है। इसको कई तरह पढ़ा गया है। इनमें से एक ये है कि जीम और ऐ़न दोनों मकसूर जब कि रा मुशद्दद मफ़तूह है। ये ताइफ़ की जानिब से मीक़ाते एहराम है। नबी(ﷺ) का ये उ़मरह ग़ज़्व–ए–हुनैन व ताइफ़ के बाद माहे ज़ुलक़अ़दह सन आठ हिजरी में हुआ था।

बाब : 51
तवाफ़ में रमल का बयान

(51) بَابٌ فِي الرَّمَلِ

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1880) हज़रत अबू अत्तुफ़ैल (ﷺ) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से कहा: आपकी क़ौम का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह में रमल किया था और ये कि ये सुन्नत है। तो वह बोले कि उन्होंने सच कहा है और कुछ ग़लत। मैंने

कहा: (क्या मतलब) क्या सच कहा और क्या ग़लत? फ़रमाया: ये तो सच है क रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमल किया था, मगर सुन्नत कहना ग़लत है। दरहक़ीक़त क़ुरैश ने हुदैबिया के ज़माने में कहा था कि मुहम्मद (ﷺ) और उसके अस्हाब को छोड़ दो यहाँ तक कि वह ख़ूद ही जानवरों की मौत मर जायेंगे। (जैसे ऊँटों की नाकों में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वह हलाक हो जाते हैं) फिर जब उन्होंने आपसे सुलह कर ली कि ये लोग अगले साल आयें और मक्का में तीन दिन ठहरें, चूनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मुशरिकीन क़ैकआन पहाड़ की जानिब (से देख रहे) थे। तब आपने अपने अस्हाब से फ़रमाया: 'बैतुल्लाह के गिर्द तीन चक्कर रमल करो।' (यानी कंधे हिला हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ो) और ये कोई सुन्नत नहीं है। मैंने कहा: आपकी क़ौम का ख़्याल है कि नबी (ﷺ) ने सफ़ा और मरवह की सई ऊँट पर सवार होकर की थी और ये भी सुन्नत है। तो वह बोले: उन्होंने सच कहा है और कुछ ग़लत। मैंने कहा: क्या सच है और क्या ग़लत? फ़रमाया: सच ये है कि नबी (ﷺ) ने सफ़ा और मरवा की सई ऊँट पर की थी मगर ये सुन्नत हो, ग़लत है। (दरअसल) लोगों को नबी (ﷺ) से दूर न किया जाता था और न हटाया जाता था

قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ . قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ . فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا " . وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ . قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لاَ يُدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلاَمَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلاَ تَنَالَهُ

أَيْدِيهِمْ .

(जब कि वह आप पर हुजूम किये हूए थे) तो आपने ऊँट पर सवार होकर सई की ताकि वह आपकी बात सुन सकें, आपको देख सकें और उनके हाथ आप तक न पहुँच पायें।

(1885) तख़रीज : (सनद सही) तहजीबुल कमाल: 21/331, 332, व मुस्लिम: 1264.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तवाफ़े क़दूम में पहले तीन चक्करों में कंधे हिला हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना 'रमल' कहलाता है। और ये साबितशुदा सुन्नत है। तवाफ़े क़दूम के बाद किसी और तवाफ़ में ये अ़मल साबित नहीं, नीज़ औरतों के लिए रमल नहीं है। **(2)** 'रमल' मशरूअ होने की अस़ल वजह यही है जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) की रिवायात में बयान हूई है। मगर ये कहना कि 'ये सुन्नत नहीं है' महल्ले नज़र है। ये इनका अपना ख़्याल है। और शायद इससे इनकी मुराद 'सुन्नते वाजिबा' की नफ़ी है। और हक़ीक़त 148भी यही है कि ये अ़मल मसनून व मुस्तहब है। अगर किसी से ये रह जाये तो आख़िर के चार चक्करों में इसका तदारूक करना जायज़ नहीं है। (नैलुल अवतार) अगर ये अ़मल वक़्ती होता तो बाद के ऊ़मरों और हज्जतुल विदाअ़ में इस पर अ़मल न किया जाता। ऊ़मरह क़ज़ा सन सात हिजरी में हूआ है जिसमें रमल की इब्तेदा हूई थी। फिर सन 8 हिजरी में ऊ़मरह जिअ़राना में भी स़हाबा किराम (﵃) ने रमल किया और ये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) ही की रिवायत है जो ऊपर गुज़री है। (हदीस़: 1884) उसके बाद दस हिजरी में हज्जतुल विदाअ़ में भी ये अ़मल स़ाबित है। और 'सवारी पर सवार होकर तवाफ़ व सई' बिलाशुब्हा ऊ़ज्र ही पर मबनी है। कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चिमटे हूए थे' दूर न होते थे और उनको ज़ोर से दूर करना और हटाना नबी(ﷺ) को पसन्द न था तो आप सवार हो गये ताकि आप उन्हें मनासिके हज की सीख दे सकें, मसाइल समझा सकें और लोग भी आपके अ़मल का मुशाहिदा कर सकें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ

(1886) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में तशरीफ़ लाये जबकि उन लोगों को यस़रिब (मदीना का पुराना नाम) के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया था तो मुशरिकीन ने कहा: तुम्हारे पास एक ऐसी क़ौम आ रही है जिसे बुख़ार ने निढाल कर दिया है और उन्हें इससे बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। अल्लाह तआला ने

وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا قَالُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هَؤُلاَءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنَّا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ إِلاَّ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ .

मुशरिकीन की इस बात से जो उन्होंने कही, अपने नबी (ﷺ) को खबरदार फ़रमा दिया। पस आपने उन्हें हुक्म दिया कि तीन चक्करों में रमल करें और रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान आम रफ़्तार से चलें। सो जब उन्होंने उन लोगों को रमल करते देखा (कि बड़ी फुर्ती से तवाफ़ कर रहे हैं) तो कहने लगेः इन्हीं लोगों के बारे में तुम कहते हो कि उनको बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है, ये तो हमसे ज़्यादा ताक़तवर हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) ने कहाः आप (ﷺ) ने सहाबा पर शफ़क़त फ़रमाते हूए तवाफ़ के सब चक्करों में रमल का हुक्म नहीं दिया था।

(1886) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 1602, व मुस्लिमः 1266.

फ़ायदा : कुफ़्र व कुफ़्फ़ार को ज़ेर रखने और उन पर मुसलमानों का रौब और दबदबा क़ायम रखने के लिए मुख़तलिफ़ मुनासिब मौकों पर अपने जवाबी व क़ूव्वत का इज़हार व मुज़ाहिरा करना शरअ़न मतलूब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ فِيمَ الرَّمَلاَنُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(1887) जनाब असलम अ़दवी कहते हैं कि मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) से सुना, फ़रमाते थेः आज ये कंधे हिला हिला कर दौड़ना और इनका नंगा करना क्यों है? (इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है) हालांकि अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम को क़वी और मज़बूत बना दिया है और कुफ़्र व कुफ़्फ़ार को यहां से निकाल बाहर किया है। इसके बावजूद हम ये अ़मल नहीं छोड़ सकते जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में किया करते थे।

عليه وسلم .

(1887) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2952, मुसनद अहमद: 1/45.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से जनाब अमीरूल मोमिनीन ख़लीफ़ा स़ानी ड़मर फ़ारूक़(ﷺ) की अ़ज़ीम मनक़बत और सुन्नते रसूल (ﷺ) के साथ वालिहाना लगाव और अक़ीदत स़ाबित होती है। वलिल्लाहिल हम्द **(2)** कुछ आ़माले शरइया की अस़ल बिना ख़्वाह कोई वक़्ती अस्बाब ही हों मगर चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तअ़लीम फ़रमाई है इसलिए हमें इनका करना लाज़िम है, ख़्वाह अब वह अस्बाब मौजूद हों या न हों, जैसे यही रमल का अ़मल। या जुमा के रोज़ का ग़ुस्ल है कि शुरू में महज़ सफाई की बिना पर मशरूअ़ किया गया था लेकिन अब वाजिब या मुस्तहब है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " .

(1888) हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैतुल्लाह का तवाफ़' स़फ़ा मरवा की सई और जमरात को कंकरियाँ मारना, ये सब अल्लाह का ज़िक्र क़ायम करने के लिए हैं।'

(1888) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 902, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2882, 2970, हाकिम: 1/459.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمُ الْغِزْلاَنُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً .

(1889) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने इज़तिबाअ़ किया। (अपनी चादर को अपनी दायें बग़ल के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डाल लिया) फिर (हज्रे अस्वद का) इस्तेलाम किया और अल्लाहू अकबर कहा। फिर तीन चक्करों में रमल किया। स़हाबा जब रूक्ने यमानी के पास पहुँचते और क़ुरैश की नज़रों से औझल हो जाते तो अ़ाम रफ़्तार से चलने लगते। फिर जब उनके सामने आते तो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगते। क़ुरैश कहने लगे: ये तो गोया हिरन हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: (तब से) ये सुन्नत है।

(1889) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/78, 79, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2707, इब्ने माजा, हदीस़: 2903.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا

(1890) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके स़हाबा ने जिअ़राना से उ़मरह किया तो उन्होंने बैतुल्लाह में रमल किया और (आख़री) चार चक्करों में आ़म रफ़्तार से चले।

(1890) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2953, हदीस़: 1884 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ

(1891) नाफ़ेअ़ बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल किया। (यानी पूरे चक्कर में) और ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये अ़मल किया था।

(1891) तख़रीज : मुस्लिम: 1262.

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) की इस हदीस़ और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास(ﷺ) से मरवी ऊपर वाली हदीस़ में जमा और ततबीक़ ये है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) का बयान उ़मरतुल क़ज़ा के मुताल्लिक़ है जो हिजरत के सातवें साल, फ़तहे मक्का से क़ब्ल (पहले) किया गया था। उस वक़्त रमल हज्रे अस्वद से रूक्ने यमानी तक किया गया था। रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान रमल नहीं किया गया था। जब कि सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) की हदीस़ में जो कुछ बयान हूआ है, ये हज्जतुल विदाअ़ का वाक़िया है। लिहाज़ा ये बाद वाली हदीस़, इब्ने अ़ब्बास की पहली वाली हदीस़ की नासिख़ है। मज़ीद बरां उ़मरतुल क़ज़ा और हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर किये जाने वाले दोनों रमल में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क़ है। वह ये कि उ़मरतुल क़ज़ा में सि़र्फ़ मुश्रिकीन को दिखाने और अपने आपको, उनकी सोच के बरअक्स, ताक़तवर ज़ाहिर करने के लिए रमल किया गया था। हालांकि उस वक़्त मुसलमान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे। जबकि

हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर ऐसी कोई बात नहीं थी। इस मौक़े पर मुश्रिकीन को कुछ दिखाना मक़सूद था न अपनी ताक़त का इज़हार ही, बल्कि उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह(ﷺ) का इत्तेबा करते हूए रमल किया गया था। इसलिए हज्रे अस्वद से लेकर हज्रे अस्वद तक यानी पूरे चक्कर में रमल किया गया। वल्लाहू आ़लम!

बाब : 52
तवाफ़ के बीच में दुआ़ का बयान

(52)
باب الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

(1892) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साइब (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के बीच ये दुआ़ पढ रहे थे: (रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतव व फ़िल आख़िरति हसनतव व किना अज़ाबन्नार) 'ऐ हमारे रब हमें दुनिया में ख़ैर व भलाई इनायत फ़रमा और आख़िरत में भी ख़ैर व भलाई दे और हमें आग के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रख'

(1892) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/411, नसाई, हदीस़: 3943, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़ : 2721, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1001, हाकिम.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.

फ़ायदा : तवाफ़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही दुआ़ स़ही स़ाबित है। इसके अ़लावा जो चाहे दुआ़ कर सकता है मगर हर चक्कर के लिए अलग अलग मख़्सूस़ दुआ़ नहीं है।

(1893) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज और उ़मरह में (मक्का में) आते ही जो पहला तवाफ़ (तवाफ़े क़दूम) करते तो उसके तीन चक्कर में (आहिस्ता आहिस्ता) दौड़ते और चार में

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ‏.‏

ग़ाम रफ़्तार से चलते, फिर दो रकअतें अदा करते।

(1893) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1616, मुस्लिम: 1261.

﴾53﴿
باب الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

बाब : 53
अस्र के बाद तवाफ़

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا ‏"‏

(1894) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷻ) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'किसी को मना मत करो जिस वक़्त भी कोई इस घर का तवाफ़ करना चाहे और नमाज़ पढ़ना चाहे (तो पढ़ने दो) दिन हो या रात, ख़्वाह कोई वक़्त हो।'

फ़ज़ल बिन यअक़ूब ने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (ख़िताब करते हूए फ़रमाया) 'ऐ बनी अब्दे मुनाफ़! किसी को मना मत करो।'

(1894) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 868, नसाई, हदीस़: 2927, इब्ने माजा, हदीस़: 1254, नसाई, हदीस़: 586, हाकिम: 1/448.

फ़ायदा : चूंकि स़हीह अहादीस़ में एक आम हुक्म वारिद है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज ख़ूब अच्छी तरह वाज़ेह हो जाये और अस्र के बाद नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज ग़रूब हो जाये। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 586, स़ही मुस्लिम) इसलिए ये फ़रमान इसका मख़्सूस है कि बैतुल्लाह में अस्र के बाद और इसी तरह फ़ज्र के बाद तवाफ़ जायज़ है चूनांचे इसके बाद इन ममनूअ औक़ात में तवाफ़ की रकअतें भी जायज़ होंगी।

बाब : 54
क़ारिन का तवाफ़

﴿54﴾ باب طَوَافِ الْقَارِنِ

(1895) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके स़हाबा ने स़फ़ा और मरवा के बीच एक ही बार सई की थी। यानी पहली बार तवाफ़े क़दूम या तवाफ़े उ़मरह के साथ।

(1895) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/317, व मुस्लिम: 1215.

حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ .

फ़ायदा : 'क़ारिन' यानी वह शख़्स़ जिसने उ़मरे और हज का इकट्ठे एहराम बाँधा हो।

(1896) हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान है कि अस़्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) जो आपके साथ थे उन्होंने जमरह को कंकरियाँ मारने के बाद ही तवाफ़ किया था।

(1896) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़:1781 में देखे, नसाई, हदीस़:4172, मौता, 1303.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَصْحَابَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الْجَمْرَةَ .

फ़ायदा : ये रिवायत गुज़िश्ता हदीस़ (1781) का एक हिस्स़ा है। और इससे मुराद बैतुल्लाह का तवाफ़ है जो 'क़िरान' वालों ने किया था।

(1897) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया था: 'तेरा बैतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई, तेरे हज और उ़मरे (दोनों) को काफ़ी है।' इमाम शाफ़ेई (रह.) ने कहा कि सुफ़ियान (बिन उ़यय्ना) कभी सनद यूँ बयान करते: (अ़न अ़ता अ़न आ़यशा) और कभी यूँ कहते: (अ़न अ़ता

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ

لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ . وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها

अनिन नबी(ﷺ) क़ाल लि आयशा (رضي الله عنها)

(1897) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुलबर तमहीद: 15/223 शाफ़ेई: किताबुलउम्म, 2/134, व मुस्लिम: 1211.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने शुरू में उमरे का एहराम बाँधा था मगर हैज़ के आरज़े की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया कि अपने उमरे को छोड़ कर अब हज की नियत कर लो और हज के आमाल अदा कर लो, इस तरह वह क़ारिन हो गयीं और फिर उन्होंने दस्वीं ज़ुलहिज्जा को जो तवाफ़े इफ़ाज़ा (ज़ियारह) और सई की इसे ही नबी (ﷺ) ने उमरे और हज दोनों के लिए काफ़ी क़रार दे दिया।

﴾55﴿ بَابُ الْمُلْتَزَمِ

बाब : 55
मुल्तज़म का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قُلْتُ لأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي - وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ - فَلأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَهُمْ .

(1898) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सफ़वान(رضي الله عنه) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब मक्का फ़तह किया तो मैंने कहा: मैं अपने कपड़े ज़रूर पहनूंगा, मेरा घर रास्ते ही पर था और बिज़्ज़रूर देखूंगा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे करते हैं। चूनांचे मैं चला और नबी (ﷺ) को देखा कि आप और आपके सहाबा कअबा के अंदर से निकल चुके थे और दरवाज़े से हतीम तक बैतुल्लाह के साथ चिमटे हूए थे। उन्होंने अपने रूख़सार काबे के साथ लगाए हूए थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके दरम्यान में थे।

(1898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/431, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 3017, हदीस: 1474 में देखें।

फ़ायदा : बैतुल्लाह के दरवाज़े और हज्रे अस्वद के दरम्यान बैतुल्लाह की दीवार से चिमटने की जगह को 'मुल्तज़म' कहते हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبَرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلاَ تَتَعَوَّذُ . قَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ . ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

(1899) जनाब अ़म्र बिन शोऐब अपने वालिद (शोऐब बिन मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र) से बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) के साथ तवाफ़ किया। जब हम काबा के पीछे की जानिब आये तो मैंने कहा: क्या आप तअ़व्वुज़ नहीं करते। उन्होंने कहा: हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं दोज़ख़ से। फिर चलते आये यहाँ तक कि हज्रे अस्वद का इस्तेलाम किया और हज्रे अस्वद और दरवाज़े के दरम्यान रूक गये फिर अपना सीना और चेहरा उस पर रखा, अपनी कलाईयों और हाथों को इस तरह किया और उन्हें ख़ूब फैलाया। (यानी फैलाकर दिखाया) फिर कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस तरह करते देखा है।

(1899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2962, बैहक़ी, 5/92, 93.

तौज़ीह : ये सनद ज़ईफ़ है मगर हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه), उर्वा बिन ज़ुबैर और दीगर स़हाबा(رضي الله عنهم) के अ़मल से स़ही स़ाबित है। इस तरह ये रिवायत दरजा हसन तक पहुँच जाती है। (मनासिक अलहज वलउ़मरह, स़फ़ा: 122 अज़ अ़ल्लामा अलबानी (रह.)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(1900) जनाब मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन साइब अपने वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन साइब) से बयान करते हैं कि वह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) का हाथ पकड़ कर चलते थे (जबकि वह नाबीना हो

السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا فَيَقُولُ " نَعَمْ " . فَيَقُومُ فَيُصَلِّي .

चुके थे) और उन्हें तीसरे कोने के पास खड़ा कर देते थे जो कि हज्रे अस्वद के साथ दरवाज़–ए–काबा के पास है, तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास इसे कहतेः 'क्या ख़बर दी गई है तुम्हें कि नबी (ﷺ) यहां नमाज़ पढ़ा करते थे?' तो वह कहते कि हाँ! फिर वह खड़े हो जाते और नमाज़ पढते।

(1900) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़ः 3901, मुसनद अहमद, 3/410.

नोट : सनद इस रिवायत की भी ज़ईफ़ है मगर दीगर रिवायात की रोशनी में स़हाबा का ये अ़मल स़ाबित है और स़ही है।

बाब : 56
स़फ़ा और मर्वा का बयान

﴾56﴿
بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

फ़ायदा : बिलाशुब्हा स़फ़ा और मर्वा अल्लाह (के दीन) की निशानियों में से हैं। सो जो कोई173 बैतुल्लाह का हज या उ़मरह करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों का तवाफ़ करे। और जो कोई ख़ूशी से कोई नेकी करे तो अल्लाह तआ़ला क़द्रदान है, ख़ूब जानने वाला है।' (अल बकरः 158) इस आयते करीमा को इसका पसेमन्ज़र (शाने नुज़ूल) जाने बग़ैर पढ़ा सुना जाये तो बज़ाहिर समझा जाता है कि स़फ़ा और मर्वा की सई एक आ़म सा मुस्तहब अ़मल है, कोई लाज़मी और वाजिबी नहीं हालांकि ये वाजिब है। जनाब उर्वा (रह.) ने अपने इस इश्काल का इज़हार अपनी ख़ाला उम्मूल मोमिनीन उम्मे अ़ब्दुल्लाह हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) के सामने किया तो उन्होंने इसके पसेमन्ज़र (शाने नुज़ूल) की रोशनी में उन्हें समझाया कि ये आयत स़फ़ा और मर्वा की सई के वाजिब या ग़ैर वाजिब होने कि बिना में नहीं बल्कि अन्स़ार के एक क़दीम शुबा का जवाब है जो उनके ज़हनों में बैठा हूआ था और वह सई से गुरेज़ां थे। स़फ़ा मर्वा की सई आ़माले हज व उ़मरह का रूक्न है और रसूलुल्लाह(ﷺ) के क़ौल व फ़ेअ़ल से स़ाबित है। आपने फ़रमाया थाः (लिताख़ुज़ू मनासिककुम) (स़ही मुस्लिम, अबी दाऊद, हदीस़ः 1970) '(मुझसे) अपनी

इबादते हज का तरीक़ा सीख लो'। स़ही मुस्लिम में है: (मा अतम्मल्लाहु हज्ज इक्रइम वला उक्रतहू लम यतुफ़ बैनस्स़फ़ा वल मर्वता) (स़ही मुस्लिम) 'अल्लाह उसका हज और ड़मरह पूरा न करे जो स़फ़ा मर्वा की सई नहीं करता।' (तफ़्स़ील के लिए: नैलुल अवतार: 5/58)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .

(1901) जनाब उर्वा (बिन ज़ुबैर) कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ड़ायशा (رضي الله عنها) से कहा और मैं उन दिनों नव ड़मर था: फ़रमाइये अल्लाह तड़ाला के फ़रमान: (इन्नस्स़फ़ा वल मर्वता मिन शड़ाइरिल्लाह) से मैं ये समझता हूं कि अगर कोई उनके दरम्यान सई न करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं! ड़ायशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया: हरगिज़ नहीं, अगर बात ऐसी होती जैसे तुम कह रहे हो तो आयते करीमा यूँ होती: (फ़ला जुनाहा ड़लैहि अल्ला यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'अगर वह इनकी सई न करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं'। दरअस़ल ये आयत अन्स़ार के बारे में नाज़िल हूई थी। ये लोग मनात (बुत) के क़स़द से एहराम बाँधा करते थे और ये बुत मक़ामे क़ुदैद के बिलमुक़ाबिल नस़ब था। और फिर ये लोग स़फ़ा मर्वा की सई में हर्ज समझते थे। जब इस्लाम आया तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में सवाल किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: (इन्नस्स़फ़ा वल मर्वता मिन शड़ाइरिल्लाह)

(1901) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1790, मौता, हदीस़: 1/373 व मुस्लिम: 1277.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद को महज़ लुग़त की बुनियाद पर समझने की कोशिश करना और अहादीस़े

स़हीहा से ऐराज़ करना बहुत बड़ी जहालत है। क़ुर्आन मजीद का वही फ़हम मोतबर है और इस्लाम की हक़ीक़ी तअबीर वही है जो सल्फ़ स़ालेहीन (स़हाबा किराम) ने की है। 'शाने नुज़ूल' जो स़ही अहादीस़ व असानीद से स़ाबित हैं इनसे इस्तेफ़ादा करना भी बेहद ज़रूरी है जैसे कि हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने वज़ाहत फ़रमाई।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ .

(1902) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़मरह किया तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मक़ामे (इब्राहीम) के पीछे दो रकअ़तें पढीं। और आपके साथ वह लोग थे जिन्होंने आपको लोगों से बचाया हूआ था। अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) काबा में दाख़िल हूए थे? उन्होंने कहा: नहीं।

(1902) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1600, व मुस्लिम: 1232.

फ़ायदा : ये सन सात हिजरी उ़मर–ए–क़ज़ा का वाक़िया है, और आप इस बार कअ़बा के अन्दर दाख़िल नहीं हूए थे।

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ

(1903) इस्माईल बिन अबी ख़ालिद कहते हैं, मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से ये हदीस़ सुनी। और ये मज़ीद कहा: फिर आप स़फ़ा मर्वा की तरफ़ आये और उनके दरम्यान सात चक्कर लगाये फिर अपना सर मुंडवाया।

(1903) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलबैहक़ी: 5/102.

नोट : अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ में 'सर मुंडाने' का बयान स़ही नहीं, इस उ़मरे में आपका बाल कतरवाना स़ाबित है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .

(1904) कसीर बिन जुमहान से रिवायत है कि एक शख़्स ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵁) से स़फ़ा और मरवह के दरम्यान पूछा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं आपको देखता हूं कि आप चल रहे हैं जबकि लोग दौड़ रहे हैं। (क्यों?) उन्होंने कहा: अगर मैं चलूं तो बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को चलते हूए देखा है। और अगर मैं दौड़ूं तो मैंने आपको दौड़ते हूए देखा है, और मैं (अब) बूढ़ा हो गया हूं।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 864, नसाई, हदीस़: 2979, इब्ने माजा, हदीस़: 2988.

फ़ायदा : यानी स़फ़ा मरवह के दरम्यान सई करना (दौड़ना) चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमारी या शदीद बुढ़ापे की वजह से दौड़ न सके तो उसके लिए चलना भी काफी हो जायेगा। वल्लाहू आ़लम।

﴿57﴾ باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

बाब : 57
नबी (ﷺ) के हज का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ، - وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّىْءَ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

(1905) हज़रत जाफ़र (स़ादिक़) बिन मुहम्मद (बिन अ़ली बिन हुसैन (﵁) अपने वालिद (मुहम्मद) से बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (﵁) के यहां गये। जब हम आपके पास पहुँचे तो उन्होंने सब लोगों से पूछा (शनासाई हास़िल की), यहाँ तक कि मेरी बारी आई तो मैंने बताया कि मैं मुहम्मद बिन अ़ली बिन हुसैन हूं। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सर की तरफ़ बढ़ाया,

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ . فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلاً يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ . فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا . ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

फिर मेरा ऊपर वाला बटन खोला फिर नीचे वाला खोला, फिर अपना हाथ मेरी छातियों के दरम्यान रखा, और मैं इन दिनों जवान लड़का था। उन्होंने कहाः ख़ूशआमदेद, भतीज़े! अपने ही घर में आये हो! (1) जो जी चाहता है पूछ लो, चूनांचे मैंने उनसे पूछा (2) जबकि वह नाबीना (अन्धे) हो चुके थे। और नमाज का वक़्त हो गया तो वह अपने इसी छोटे से कपड़े ही को लपेट कर खड़े हो गये। उसे दोहरा करके सिया गया था। कपड़ा इस क़द्र छोटा था कि उसे जब भी कंधे पर रखते, उसके किनारे गिर पड़ते थे, उन्होंने हमको नमाज़ पढाई हालांकि आपकी बड़ी चादर आपके पहलू में खूंटी पर लगी हूई थी। (3) मैंने कहाः आप मुझे नबी(ﷺ) के हज के बारे में बयान फ़रमायें, तो उन्होंने अपने हाथ से नो (9) की गिरह बनाई, फिर कहा कि नबी (ﷺ) नो साल तक रूके रहे और हज नहीं किया, फिर दसवें साल लोगों में ऐ़लान किया कि अल्लाह के रसूल हज के लिये जाने वाले हैं , चूनांचे मदीना में बहुत ज़्यादा लोग आ गये। (4) हर एक अल्लाह के रसूल की इक़तेदा और आपके अ़मल की पैरवी करना चाहता था। (5) चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले तो हम भी आपके साथ थे यहाँ तक कि मक़ामे जुल हुलैफ़ा पर पहुँच गये। यहां अस्मा बिन्ते उमैस (ज़ोजा अबूबक्र(رضي الله عنه)) ने मुहम्मद बिन अबीबक्र (رضي الله عنه) को जन्म दिया। पस उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ पैग़ाम

Sherkhan
9825 696 131

وسلم حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ . قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ

भेजा कि मैं कैसे करूं? आपने फ़रमाया: 'गुस्ल करो, कपड़े का लंगोट बाँधो और एहराम की नियत कर लो।' (6) फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, फिर (अपनी ऊँटनी) क़सवा (7) पर सवार हो गये। यहाँ तक कि वह आपको लेकर बैदा (मैदान) के सामने खड़ी हूई। जाबिर बयान करते हैं: मैंने देखा ताहद्दे नज़र आपके सामने, दायें, बायें और पीछे लोग ही लोग थे। कुछ सवार और कुछ पैदल। और रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान में थे, आप पर क़ुर्आन उतर रहा था और आप उसका मानी व मफ़हूम और तरीक़ए अ़मल भी ख़ूब जानते थे, चूनांचे जो आपने किया हमने भी वैसे ही किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कलिम–ए–तौहीद पुकारा: (लब्बैक! अल्लाहुम्मा लब्बैक! लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक! इन्नल हम्द वन्निअ़्मत लक, वलमुल्क ला शरीक़ लक) 'हाज़िर हूं मैं ऐ अल्लाह! हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं। तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूं, बिलाशुब्हा हम्द तेरी है, नेअ़मतें तेरी हैं और मुल्क भी तेरा है, तेरा कोई शरीक नहीं।' और लोगों ने भी यही तल्बीया पुकारा जो वह पुकारते हैं। आपने किसी की तरदीद नहीं फ़रमाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने तल्बीया ही का इल्तेज़ाम फ़रमाया। (8) जाबिर कहते हैं कि हमारी नियत स़िर्फ़ हज की थी, हम उ़मरह नहीं जानते थे, यहाँ तक कि जब हम आपके साथ बैतुल्लाह में पहुँच गये, हज्रे

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوْحِيدِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ . قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ سُلَيْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

अस्वद का इस्तेलाम किया, (9) तो तीन चक्करों में रमल किया। (आहिस्ता आहिस्ता दौड़े) (10) और चार में आम रफ़्तार से चले। फिर आप मक़ामे इब्राहीम की तरफ़ आगे बढ़ गये और ये आयत पढी (वत्तख़िज़ू मिम मकामे इब्राहीमा मुसल्ला) 'और मक़ामे इब्राहीम को अपनी जाए नमाज़ बना लो।' आपने मक़ामे इब्राहीम को अपने और बैतुल्लाह के दरम्यान किया (और दो रकअतें पढ़ीं) (11) जाफ़र (रह.) कहते हैं कि मेरे वालिद कहा करते थे: जाबिर (ﷺ) ने नबी(ﷺ) ही से बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन दो रकअतों में (कुल हूवल्लाहू अहद) और (कुल याअय्यूहल काफ़िरून) पढ़ी। इसके बाद आप कअबा की तरफ़ लौटे और हज्रे अस्वद का बोसा लिया। (12) फिर बाबे सफ़ा से सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ तशरीफ़ ले गये। पस जब सफ़ा के क़रीब पहुँचे तो ये आयत पढी: (इन्नस्सफ़ा वल मर्वता मिन शआइरिल्लाह) 'सफ़ा और मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं।' (और ये भी कहा) (नब्दउ बिमाबदअल्लाहु बिही) 'हम इससे इब्तेदा करते हैं जिसका ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पहले फ़रमाया है।' चूनांचे आपने सफ़ा से इब्तेदा फ़रमाई और उस पर चढ़ गये यहाँ तक कि बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो अल्लाह की तकबीर व तौहीद बयान फ़रमाई और कहा: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु लाशरीकलहू, लहुल

وَبِـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ " إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

मुल्कु, व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु, व हुवाअ़ला कुल्लि शैईन क़दीर. ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु अन्जज़ा वअ़दहु व नस़र अ़ब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु) ‘एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं। वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, सल्तनत उसी की है, तअ़रीफ़ का हक़दार वही है। वही ज़िन्दा करता और मारता है, और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है। एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं, वह अकेला है। उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अपने बंदे की मदद फ़रमाई और तमाम गिरोहों को उस अकेले ही ने पस्पा कर दिया।’ फिर इसके बाद दुआ फ़रमाई। और इस तरह तीन बार (पिछले कलिमात) कहे और (उनके दरम्यान में) दुआयें कीं। (13) फिर आप मरवह की जानिब उतर आये। जब आपके क़दम वादी के दरम्यान में टिक गये तो आपने इसके दामन में दौड़ लगाई। (14) यहाँ तक कि जब चढ़ाई आई तो चलने लगे यहाँ तक कि मरवह पर पहुँच गये। आपने मरवह पर भी इसी तरह किया जैसे कि स़फ़ा पर किया था। (वही कलिमात तीन तीन बार पढ़े और उनके दरम्यान में दुआयें कीं) जब आपका आख़री चक्कर मरवह पर ख़त्म हूआ तो फ़रमाया: ‘अगर मुझे अपने मामले का पहले इल्म होता जो बाद में हूआ, तो मैं क़ुर्बानी साथ लेकर न चलता और मैं अपने इस तवाफ़ को उ़मरह बना लेता। पस तुम

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " . فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ فِي الأُخْرَى ثُمَّ قَالَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ " . هَكَذَا مَرَّتَيْنِ " لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ " . قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا فَقَالَتْ أَبِي . فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى

लोगों में से जिस जिस के साथ क़ुर्बानी नहीं है वह हलाल हो जाये और अपने इस तवाफ़ को ऊमरह बना ले।' (15) चूनांचे सब लोग हलाल हो गये और उन्होंने अपने बाल कतरवा लिये। (16) सिवाए नबी(ﷺ) और उन लोगों के जिनके साथ क़ुर्बानियाँ थीं। हज़रत सुराक़ा (बिन मालिक) बिन जाशम (رضي الله عنه) खड़े हूए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (हमारा ये ऊमरह) इस साल के लिये है या हमेशा के लिये? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी उंगलियाँ एक दूसरी के अंदर दाख़िल करके (इशारा करते हूए) फ़रमाया: 'ऊमरह हज के अंदर इस तरह दाख़िल हो गया है। आपने दो दफ़ा फ़रमाया: '(इस साल के लिये) नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिये। नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिये।' और बयान किया कि हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) यमन से नबी (ﷺ) की क़ुर्बानियाँ लेकर आये। उन्होंने (अपनी अहलिया) हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) को देखा कि वह भी उन लोगों में शामिल हैं जो हलाल हो चुके थे। उसने रंगीन कपड़े पहन लिये थे और सुरमा लगाया था। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने उस पर नाग़वारी का इज़्हार किया। (17) पूछा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा है? उन्होंने कहा: मेरे अब्बा ने। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) जिस ज़माने में इराक़ में थे, बयान किया करते थे कि मैं फ़ातिमा के इस अ़मल पर जो उसने किया था और नबी(ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया था, नाराज़ होकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से

पूछने के लिये गया। मैंने आपको बताया कि मुझे इस (फ़ातिमा) का ये काम नागवार गुज़रा है और वह कहती हैं कि मेरे अब्बा ने मुझे ये हुक्म दिया है। आपने फ़रमायाः 'वह सच कहती है, सच कहती है। (18) (तुम अपने मुताल्लिक़ बताओ कि) तुमने हज की नियत करते वक़्त किया कहा था?' कहने लगे कि मैंने कहा थाः ऐ अल्लाह! मैं वही एहराम बाँध रहा हूं जिस तरह कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बाँधा है। आपने फ़रमायाः 'मेरे साथ तो क़ुर्बानी है, चूनांचे तुम भी हलाल न हो।' जाबिर (رضي الله عنه) ने बयान किया कि वह क़ुर्बानियाँ, जो अ़ली (رضي الله عنه) यमन से लाये थे और जो ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना से लाये थे, उनकी कुल तादाद एक सौ थी। चूनांचे सब लोग हलाल हो गये और अपने बाल कतरवा लिये, सिवाए नबी (ﷺ) और उन लोगों के जिनके साथ क़ुर्बानियाँ थी। फिर जब (ज़ुलहिज्जा की आठवीं तारीख़ आई, यौमुत तरविया) (19) और लोग मिना की तरफ़ जाने लगे तो उन्होंने हज का एहराम बाँधा। चूनांचे रसूल (ﷺ) सवार हो गये और मिना जाकर ज़ुहर, अ़स्र, मग़रिब, इशा और सुबह की नमाज़ें पढीं। (20) फिर आप थोड़ी देर ठहरे यहाँ तक कि सूरज निकल आया। आपने अपने लिये बालों के बने हूए ख़ेमे के मुताल्लिक़ हुक्म दिया और वह नमरह में लगा दिया गया। चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) चले (21) और क़ुरैश को यक़ीन था कि

الله عليه وسلم فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . فَقَالَ " صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحْلِلْ " . قَالَ وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمُ " . قَالَ عُثْمَانُ " دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " . وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ " وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ

नबी (ﷺ) मुज़दलफ़ा में मश्अरूल के पास ही रूक जायेंगे जैसे कि वह (क़ुरैश) इस्लाम से पहले जाहिलीयत में किया करते थे मगर रसूलुल्लाह(ﷺ) इससे आगे बढ गये यहाँ तक कि अ़रफ़ात पहुँचे। (22) आपने देखा कि नमरह में ख़ेमा लगा हूआ है। आप वहां उतरे (23) यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने (अपनी ऊँटनी) क़स़वा के मुताल्लिक़ फ़रमाया तो उसे तैयार कर दिया गया। आप उस पर सवार हूए यहाँ तक कि वादी (अ़ूरना) के दामन में आ गये और लोगों को ख़ुत्बा दिया। (24) आपने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा तुम्हारे ख़ून और तुम्हारे माल तुम्हारे दरम्यान हराम हैं जैसे कि तुम्हारे ये दिन, तुम्हारा ये महीना और तुम्हारा ये शहर हुरमत वाला है। ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम उमूर मेरे क़दमों तले रौंदे जा रहे हैं। जाहिलीयत के (सब) ख़ून ख़त्म किये जाते हैं। और सबसे पहला, ख़ून जो मैं ख़त्म करता हूं वह हमारा अपना ख़ून है।' इब्ने रबीअ़ा का (ये इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) उ़स्मान ने कहाः जब कि (उस्ताद) सुलेमान ने कहाः 'रबीअ़ा बिन हारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का (ख़ून ख़त्म करता हूं) इनके कुछ ने कहाः जो कि बनी सअ़द में दूध पीता बच्चा था और बनू हुज़ैल ने उसे क़त्ल कर दिया था।' जाहिलीयत के (तमाम) सूद ख़त्म किये जाते हैं। और सबसे पहला सूद जो मैं ख़त्म कर रहा हूं वह हमारा अपना सूद। अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब

رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ " . قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِبُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى

का सूद है, ये सब ख़त्म है। (25) औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह की अमानत से उन पर इख़्तियार हासिल किया है और अल्लाह के कलिमा से उनकी इस्मतों को हलाल जाना है। और उन औरतों पर भी वाजिब है कि तुम्हारे हुक़ूक़ का लिहाज़ रखें। (और वह) ये कि तुम्हारे बिस्तरों पर वह किसी को न आने दें, जिनका आना तुम्हें नागवार हो। (तुम्हारे घरों में तुम्हारे नापसन्दीदा अफ़राद को, मर्द हों या औरतें, न आने दें) अगर वह ऐसा करें तो उन्हें मारो, मगर ज़ख़्मी करने वाली मार न हो। और तुम पर वाजिब है कि उनका नान व नफ़्क़ा और लिबास मअरूफ़ अन्दाज़ में मुहेया करो। बिलाशुब्हा मैं तुममें वह चीज़ छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मज़बूती से थामे रहे, तो गुमराह न होगे (और वह है) अल्लाह की किताब। (26) तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा जायेगा, तो क्या जवाब दोगे? लोगों ने कहा: हम गवाही देंगे कि बिलाशुब्हा आपने (अल्लाह का पैग़ाम) पहुँचा दिया। (पूरी तरह) अदा कर दिया और ख़ैर ख़्वाही (में इन्तेहा) कर दी। आप अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ़ उठाते और लोगों की तरफ़ झुकाते थे और कहते थे: 'ऐ अल्लाह! गवाह रहना। ऐ अल्लाह गवाह रहना। ऐ अल्लाह! गवाह रहना।' फिर हज़रत बिलाल (ﷺ) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही तो आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने

الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ " . كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ - قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوا - ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - قَالَ سُلَيْمَانُ بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا - ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ

फिर इक़ामत कही तो आपने अ़स्र की नमाज़ पढाई। और इन (दोनों नमाज़ों) के दरम्यान कुछ नहीं पढ़ा। (27) (यानी सुन्नत या नफ़ल) आप क़सवा पर सवार हो गये यहाँ तक कि मक़ामे वक़ूफ़ पर तशरीफ़ लाये। अपनी ऊँटनी क़सवा का पेट पत्थरों की तरफ़ कर दिया। (यानी वही रूके रहे) और हब्लुल मुशात को (जो कि रेत का बड़ा टीला था और लोग उसको पैदल ही उ़बूर करते थे) अपने सामने किया, क़िब्ला रूख हूए और फिर वहीं रूके रहे यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और टिकिया के ग़ायब हो जाने के बाद कुछ ज़र्दी भी ख़त्म हो गयी। (28) फिर आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) को अपने पीछे बिठा लिया और चल दिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ऊँटनी क़सवा की बाग इस सख़्ती से खींची हूई थी कि उसका सर पालान के सिरे को लग रहा था और आप अपने दायें हाथ से इशारा करते हूए फ़रमा रहे थे: ‘लोगो! सुकून से, लोगो! सुकून से’ (29) आप जब किसी चढ़ाई के पास आते तो ऊँटनी की बाग क़दरे ढीली कर देते ताकि (सहूलत से) चढ़ सके। (30) यहाँ तक कि आप मुज़दलफ़ा पहुँच गये और मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ जमा करके पढीं। (31) उ़स्मान ने बयान किया: आपने उनके दरम्यान कोई सुन्नत नफ़ल नहीं पढ़े। सब रावियों का मुत्तफ़क़ा बयान है कि फिर नबी (ﷺ) लेट गये यहाँ तक कि फ़ज्र तुलूअ

وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ

हो गयी। जब सुबह नुमायाँ हो गयी तो आपने फ़ज्र की नमाज़ पढायी। (उस्ताद) सुलेमान का बयान है कि एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ (सबका मुत्तफ़क़ा बयान है) फिर आप क़सवा पर सवार हूए यहाँ तक कि अलमशअ़रूल हराम के पास आ गये, फिर उस पर चढ़ गये। उ़स्मान और सुलेमान का बयान है कि आपने क़िब्ला की तरफ़ रूख़ किया। अल्लाह की हम्द, तकबीर और तहलील बयान की। उ़स्मान ने इज़ाफ़ा किया: और तौहीद बयान की। और फिर वहीं रूके रहे यहाँ तक कि ख़ूब सफ़ेदी हो गयी। फिर अल्लाह के रसूल(ﷺ) वहां से चल दिये, सूरज तुलूअ होने से पहले ही। (32) और हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (رضي الله عنه) को अपने साथ सवार कर लिया। और वह क़द्रे घुंघराले, ख़ूबसूरत बालों वाले, गोरे चिट्टे, हसीन व जमील जवान थे। जब रसूल(ﷺ) वहां से रवाना हूए तो औ़रतें भी अपने कजावा में बैठी वहां से गुज़रीं। हज़रत फ़ज़ल (رضي الله عنه) उन्हें देखने लगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। फ़ज़ल (رضي الله عنه) ने अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेर लिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी अपना हाथ दूसरी तरफ़ से फेर दिया। फिर फ़ज़ल (رضي الله عنه) अपना चेहरा किसी और तरफ़ फेर कर देखने लगे। (33) यहाँ तक कि आप वादी मुहस्सिर में पहुँच गये और क़द्रे तेज़ चले। (34) फिर आप दरम्यान वाली राह पर चल पड़े जो तुम्हें जमरह कुबरा तक पहुँचाती

حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ - يَقُولُ مَا بَقِيَ - وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ " . فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

है यहाँ तक कि आप जमरह के पास आ गये जो कि दरख़्त के पास है। तो आपने उसको सात कंकरियाँ मारीं जैसी कि उंगलियों पर रखकर मारी जाती हैं। हर कंकरी के साथ आप अल्लाहु अकबर कहते थे। आपने वादी के दामन की तरफ़ से कंकरियाँ मारीं। (35) फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) कुर्बानगाह की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और अपने हाथ से तेरेसठ ऊँट नहर कीं और बक़िया के मुताल्लिक़ हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) को हुक्म दिया। और उनको अपनी क़ुर्बानी में शरीक बनाया। फिर आपने हर क़ुर्बानी से एक एक टुकड़ा गोश्त लेने का हुक्म दिया। उसे देग में डाल कर पकाया गया तो आप दोनों ने उस गोश्त में से खाया और शोरबा नोश फ़रमाया। (37) सुलेमान का बयान है। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) सवार हूए और बैतुल्लाह की तरफ़ चल दिये और मक्का आकर ज़ुहर की नमाज़ अदा फ़रमाई। (38) फिर आप बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब के पास आये, वह लोग चाहे ज़मज़म पर पानी पिला रहे थे। आपने फ़रमायाः 'ऐ बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब! पानी निकालो। अगर ये अन्देशा न होता कि लोग तुम्हारे इस पानी पिलाने में तुम पर ग़ालिब आ जायेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी निकालता।' (39) सो उन्होंने नबी (ﷺ) को एक डोल दिया और आपने उससे पानी नोश फ़रमाया।(40)

(1905) तख़रीज : मुस्लिमः 1218.

फ़वाइद व इस्तिम्बात : (1) सहाब–ए–किराम को अहले बैते नबवी (ﷺ) से इन्तेहाई मुहब्बत थी

और अहले बैत से मुहब्बत करना और मुहब्बत रखना अहले हदीस़ यानी अहले सुन्नत वलजमाअ़त के ईमान का हिस्स़ा है। (ऐ अल्लाह! गवाह रहना हमें तेरे नबी और उसकी आल से इन्तेहाई प्यार है। रिज़्वानुल्लाहि अ़लैहिम अ़जमईन। हमारा हशर इन्हीं स़ालेहीन के साथ फ़रमा। आमीन) अक़ीदा हुब्बे अहले बैत की तफ़्स़ील के लिये देखिये तफ़्सीर इब्ने कस़ीर, आयते करीमाः (क़ुल लाअस्अलुकुम अ़लैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा) (अश्शूराः 23) **(2)** अहले बैत के अफ़राद हुसूले इल्मे नबवी के हरीस़ और शौकीन थे और वह दीगर स़हाब–ए–किराम के साथ गहरे इल्मी रवाबित रखते थे। **(3)** नंगे सर नमाज़ जायज़ है मगर कंधों का ढाँपना ज़रूरी है। मगर ये कि कपड़ा मयस्सर ही न हो। मगर हमेशा बतौर आ़दत के नंगे सर रहना और नंगे सर ही नमाज़ पढ़ना इस्लामी रिवायात और सल्फ़ के तरज़े अ़मल के ख़िलाफ़ है। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में हज करने वालों की तादाद नव्वे हज़ार और एक क़ौल के मुताबिक़ एक लाख तीस हज़ार थी। वल्लाहू आ़लम. **(5)** दीन का बुनियादी माख़ज़ सि़र्फ़ और सि़र्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) है। **(6)** निफ़ास और हैज़ वाली ख़्वातीन गुस्ल करके एहराम बाँधें, तल्बीया पुकारें, आ़म अज़कार में मशग़ुल रहें। चूंकि इन अय्याम में वह नमाज़ नहीं पढ़ती, मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकतीं, इसलिए वह तवाफ़ भी नहीं कर सकतीं। **(7)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी के तीन नाम आये हैं क़सवा, अ़ज़बा और जदआ़ **(8)** सबसे अफ़ज़ल और मुस्तहब तल्बीया वही है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) का इख़्तियार करदा है। कुछ और कलिमात भी स़हाबा से वारिद हैं। जैसे हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) के अल्फ़ाज़ यूँ थे। (लब्बैक जन्नअ़माइ वल फज़्लिल हसनि लब्बैक मर्हूबम मिन्का व मर्ग़ूबन इलैक) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से ये मनक़ूल हैः (लब्बैक व सअ़दैक वल ख़ैरू बियदैक वर्रग़बाउ इलैक वल अ़मलु) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी हैः (लब्बैक हक्कन तअ़ब्बुदन वरिक़ा) **(9)** हज्रे अस्वद के बाद ख़ाना काबा का दरवाज़ा है और इससे पहले आने वाले कोने के लिये ‘अर्रूक्न’ का लफ़्ज़ बतौर अ़लम इस्तेमाल होता है। इसे रूक्ने यमानी भी कहा जाता है। **(10)** तवाफ़े क़ुदूम में रमल एक स़ाबितशुदा मुतवातिर सुन्नत है। इसकी इब्तेदा अगरचे कुफ़्फ़ार के सामने अपनी क़ूव्वते जिस्मानी के इज़्हार के लिये थी। अब वह इल्लत तो नहीं है, सि़र्फ़ इत्तेबा–ए–रसूल (ﷺ) मक़सूद व मतलूब है। **(11)** रकअ़ाते तवाफ़, मक़ामे इब्राहीम के पीछे पढ़नी मुस्तहब हैं। अगर यहां न पढ़ सके तो मस्जिदुल हराम में कहीं भी पढ़ सकता है। **(12)** रकअ़ाते तवाफ़ के बाद फिर हज्रे अस्वद का इस्तेलाम सुन्नत है। **(13)** स़फ़ा मर्वा पर चढ़ कर काबा की तरफ़ रूख़ करके मसनून अज़कार पढ़े जायें, ख़्वाह काबा नज़र आये या न आये। **(14)** आज कल दामने वादी के हिस्स़े को नुमायां करने के लिये सब्ज़ रंग के सुतून लगा दिये गये हैं। **(15)** रसूलुल्लाह(ﷺ) इल्मे ग़ैब न जानते थे। **(16)** ये फ़स्ख़ अब भी मुबाह है। यानी अगर कोई मुफ़रिद हज वाला चाहे तो अपने हज के एहराम को उ़मरह में तब्दील कर सकता है। **(17)** अहले बैते नबवी उमूरे शरीअ़त के इसी तरह पाबन्द हैं जैसे कि उम्मत के दीगर अफ़राद। नीज़ शौहर को हक़ हासि़ल है कि शरई उमूर की मुख़ालफ़त पर अहले ख़ाना

पर नाराज़ी का इज़हार करे और शरीअ़त की बात मनवाये। **(18)** हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी स़लाहियत के मुताबिक़ तहक़ीक़े हक़ में कोशिश करे और हक़ की बुनियाद रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ौल, फ़ेअ़ल और तोसीक़ (इक़रार) है। **(19)** आठवें ज़ुलहिज्ज को 'यौमुत तरविया' का नाम देने की वजह ये है कि वह लोग उस दिन अगले दिन के लिये पानी ले लेते थे क्योंकि अ़रफ़ात में पानी नहीं हूआ करता था। **(20)** चाहिए कि ये रात मिना में गुज़ारी जाये। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। **(21)** सुन्नत ये है कि तुलूअ़े आफ़ताब के बाद ही अ़रफ़ात को रवाना हूआ जाये। **(22)** क़ुरैश 'अहले हरम' होने के ज़अ़म में हुदूदे हरम से बाहर न निकलते थे। (अ़रफ़ात हुदूदे हरम से बाहर है) और मुज़दलफ़ा ही में वक़ूफ़ करते थे बख़िलाफ़ दीगर क़बाइले अ़रब के, वह सब अ़रफ़ात में पहुँचते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अम्रे शरीअ़त वाज़ेह फ़रमाया कि इसमें किसी की कोई ख़ुसूसियत नहीं। क़ुरैश के लिये भी दूसरे लोगों की तरह अ़रफ़ात में जाना ज़रूरी है। (स़ही बुख़ारी: हदीस़: 2520, स़ही मुस्लिम: 1219) **(23)** मुहरिम साये में उठ बैठ सकता है। ख़ैमे का हो या छतरी का या कोई दूसरा। मगर कपड़ा सर पर न रखे और न लपेटे। **(24)** वादी–ए–उ़र्ना अ़रफ़ात से करीब है मगर बक़ौल जुम्हूर अ़रफ़ात का हिस्स़ा नहीं है और यहां नमाज़े ज़ुहर से पहले दो ख़ुत्बे होते हैं और दीगर अय्यामे हज के ख़ुत्बे अगर कोई हों तो एक एक ही होते हैं। **(25)** उलुल अम्र और अस़हाबे मनास़िब को चाहिए कि हुक्मे अ़ाम की तन्फ़ीज़ से पहले ख़ूद और अपने अ़ज़ीज़ व अक़ारिब को इसका पाबन्द बनायें। इस तरह क़बूलियत बढ़ जाती है। **(26)** किताबुल्लाह से तमस्सुक और इसका एतस़ाम (यानी इस पर अ़मल) फ़र्ज़ करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नते स़ाबिता पर अ़मल का एहतिमाम किया जाये। इसके बग़ैर तमस्सुक बिकिताबिल्लाह का दावा पूरा ही नहीं हो सकता। बहुत सी आयात में ये मज़मून आया है। जैसे अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: (क़ुल अतीउल्लाह वर्रसूल) (आले इमरान: 32) और फ़रमाया: (मय्युतीईरसूल फ़क़द अताअल्लाह) (अन्निसा: 80) और फ़रमाया: (वमा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू) (अलहश्र: 7) **(27)** अ़रफ़ात में ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ जमअ़े तक़दीम और क़स्र से पढ़ना सुन्नत है। और इस मौक़े पर कोई और सुन्नत व नफ़ल नहीं पढ़े जायेंगे। **(28)** वक़ूफ़े अ़रफ़ात हज का रूक्ने रकीन है। इसके बग़ैर हज नहीं। अ़रफ़ात का सारा मैदान मौक़िफ़ है, किसी जगह की कोई ख़ुसूस़ियत नहीं और इस वक़ूफ़ का वक़्त नवीं तारीख़ के ज़वाल से लेकर अगले दिन की सुबह स़ादिक़ तक है। और 'वक़ूफ़' का मानी पाँव पर खड़े होना नहीं बल्कि इस मैदान में रूकना है। ख़्वाह कोई खड़ा हो, बैठता हो या लेटा हो। मसनून ये है कि ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद यहां से रवाना हूआ जाये। **(29)** बेइन्तेहा भीड़ की वजह से नबी (ﷺ) अपनी सवारी को सख़्ती से ज़ब्त किये हूए थे। **(30)** हेवानात के साथ रहम व शफ़क़त, इस्लामी शरई अख़्लाक़ का लाज़मी हिस्स़ा है। **(31)** मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़े जुमा ताख़ीर और क़स्र से पढ़ना मसनून है। और इस रात में कोई नवाफ़िल और तहज्जुद नहीं। **(32)** मुश्रिकीन मुज़दलफ़ा से सूरज के तुलूअ़ होने के बाद रवाना होते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी

मुख़ालफ़त करते हूए तुलूअ से पहले रवानगी इख़्तियार फ़रमाई। **(33)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की तम्बीह के बाद हज़रत फ़ज़ल (رضي الله عنه) किसी और तरफ़ देखने लगे थे। **(34)** मशहूर है कि अस्हाबुलफील को इसी वादी ए मुहस्सर में अ़ज़ाब आया था। **(35)** दसवीं तारीख़ को सिर्फ़ एक जमरह (जमरह कुबरा) को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और बक़िया दिनों में तीनों जमरात को। कंकरियों के बारे में चाहिए कि छोटी छोटी हों। (हस़ल ख़ज़फ़) (बिलख़ाअ अलमन्कूत) के मानी में इमाम शाफ़ेई (रह.) का क़ौल है कि तूल व अ़र्ज़ में उंगली के पोर से छोटी होती है। इमाम नववी लिखते हैं खजूर की गुठली के बराबर हो। और कुछ ने (लोबये) के दानों के बराबर कहा है। बड़े बड़े पत्थर या जूते मारना कोई शरई अ़मल नहीं बल्कि नाजायज़ बात है। **(36)** कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करना या नहर करना अफ़ज़ल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी उ़मर शरीफ़ के अ़दद से कुर्बानियाँ कीं। दसवीं तारीख़ के बाद मज़ीद तीन दिन (अय्यामे तशरीक़) भी कुर्बानी के दिन में। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपनी तमाम कुर्बानियाँ पहले दिन कर लेना इसकी अफ़ज़लियत की दलील है। **(37)** अपनी कुर्बानी का गोश्त भी खाना चाहिए। **(38)** दसवीं तारीख़ का तवाफ़, हज का रूक्न है। इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़्यादा भी कहते हैं। **(39)** हुज्जाज की ख़िदमत इन्तेहाई अज्र व स़वाब का अ़मल हैं। इसमें हर मुमकिन तरीक़े से हिस्सा लेना चाहिए। **(40)** रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस मौक़े पर खड़े होकर पानी पिया था।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ

(1906) जनाब जाफ़र (अस्स़ादिक़) (रह.) अपने वालिद (मुहम्मद बिन अ़ली (रह.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़रफ़ात में ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ पढी थीं, और उनके बीच कोई सुन्नतें (नफ़ल) नहीं पढ़े थे। और मग़रिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलफ़ा में एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ पढी थीं और उनके बीच कोई सुन्नतें (नफ़ल) नहीं पढ़े थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को हातिम बिन इस्माईल ने अपनी तवील हदीस़ में मुसनद बयान किया है (जबकि ये सनद मुरसल है। हातिम ने हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मुसनद बयान की है) और हातिम की रिवायत के मुसनद होने की मुवाफ़िक़त मुहम्मद बिन अ़ली अलजुअफ़ी ने भी

إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ .

की है और जाफ़र अ़न अबीह अ़न जाबिर की सनद से रिवायत की है। फ़र्क़ इतना है कि जुअ़फ़ी ने कहा: (फसल्लल मग़रिब वल अ़त्मता बिअज़ानिन व इक़ामतिन) 'आपने मग़रिब और इशा एक अज़ान और एक इक़ामत से पढीं'

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुझे इमाम अहमद (रह.) ने कहा कि हातिम ने इस तवील हदीस़ में ख़ता की है।

(1906) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 1/400.

तौज़ीह : ये आख़री मकूला (क़ाल अबू दाऊद क़ाल ली अहमद ... अलख़) इसके बारे में स़ाहिबे औनुल माबूद और बज़्लुल मज्हूद लिखते हैं कि अक्स़र नुस्ख़े इस इबारत से ख़ाली हैं और बक़ौल इनके इस कलाम का इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद की तरफ़ मन्सूब होना महल्ले नज़र है क्योंकि हातिम बिन इस्माईल की रिवायत को बहुत से अइम्म–ए–मुतक़द्दिमीन व मुताख़्ख़िरीन ने स़हीह कहा है। किसी ने भी इसका वहम बयान नहीं किया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ " . وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ " قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " . وَوَقَفَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ " قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " .

(1907) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि फिर नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने यहां नहर किया है और मिना सारे का सारा क़ुर्बानगाह है।' आप(ﷺ) ने अ़रफ़ात में वक़ूफ़ किया। तो फ़रमाया: 'मैंने यहां वक़ूफ़ किया है और सारा अ़रफात जाये वक़ूफ़ है।' आपने मुज़दलफ़ा में वक़ूफ़ किया और फ़रमाया: 'मैंने इस जगह वक़ूफ़ किया है और तमाम मुज़दलफ़ा जाए वक़ूफ़ है।'

तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/320, व मुस्लिम: 1218.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ زَادَ" فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ"

(1908) हफ़्स़ बिन ग़ियास़ ने जनाब जाफ़र (स़ादिक़) (रह.) से उनकी सनद से रिवायत किया, तो मज़ीद कहा: 'तो तुम अपने अपने पड़ाव पर नहर करो।'

(1908) तख़रीज : मुस्लिम: 1218.

(1909) जनाब जाफ़र (स़ादिक़) (रह.) ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद (मुहम्मद बाक़िर (रह.) ने हज़रत जाबिर (ﷺ) से बयान किया। और ये हदीस़ बयान की। और अपनी हदीस़ पर (वत्तख़िज़ू मिम मक़ामे इब्राहीम) की जगह ये बात अपनी तरफ़ से बढ़ाई कि आपने इन रकअ़ात में तौहीद (यानी) (क़ुल हुवल्लाहू अहद) और (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) की तिलावत की (ये जुमला मुदरज है) और इसमें बयान किया कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने ये वाक़िया कूफ़ा में बयान किया था। मेरे वालिद (मुहम्मद बिन अ़ली (रह.) ने कहा कि जाबिर ने ये लफ़्ज़ भी नहीं कहे थे कि 'मैं ग़ुस्से के आ़लम में जल्दी से गया था।' और फ़ातिमा (ﷺ) का क़िस्स़ा बयान किया।

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1905 में देखें।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتَّوْحِيدِ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَقَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - بِالْكُوفَةِ قَالَ أَبِي هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا . وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رضى الله عنها .

बाब : 58
अ़रफ़ात में वक़ूफ़ का बयान

﴾58﴿ بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

(1910) हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि क़ुरैश और उनके अहले दीन मुज़दलफ़ा में वक़ूफ़ करते थे और अपने आपको 'हुम्स' कहलाते थे। जबकि दीगर सब अ़रब अ़रफ़ात में वक़ूफ़ करते थे। बयान करती हैं कि जब इस्लाम आया तो अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी (ﷺ) को हुक्म दिया

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ

اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.

कि अ़रफ़ात में आकर वक़ूफ़ करें, फिर वहां से लौटें, चूनांचे यही तफ़्सीर है अल्लाह तआला के इस फ़रमान की (सुम्मा अ़फ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु) 'फिर लौटो वहीं से जहां से लोग लौटते हैं।'

(1910) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4520, व मुस्लिम: 1219.

फ़वाइद व मसाइल : (अलहुम्स, अहमस) की जमा है। मानी हैं: शुजाअ़ और बहादूर। और जाहिलीयत में ये क़ुरैश, कनाना और उनके मुत्तबेईन का लक़ब था। इस मानी में कि ये अपने दीन में बहुत सख़्त थे या मुमकिन है (अलहमसा) की निस्बत से ये लक़ब इख़्तियार किया हो जो कि काबा का एक नाम है। (तअलीक़ अश्शैख़ मुहियुद्दीन अ़ब्दुल हमीद, नीज़ देखिए, हदीस़: 1905, फ़ायदा: 22, 28)

(59) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

बाब : 59
मिना को रवानगी का बयान

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى .

(1911) हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तरवीया के रोज़ (यानी आठवीं ज़िलहिज्ज़ा को) ज़ुहर की नमाज़ और अ़रफ़ा के रोज़ (नवीं ज़िलहिज्जा को) फ़ज्र की नमाज़ मिना में पढ़ी थी।

(1911) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 880, इब्ने माजा, 3005 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ

(1912) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रफ़ीअ़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से कहा कि मुझे वह बात बतायें जो आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद हो। तरवीया के रोज़ (आठवें ज़िलहिज्जा को) नबी (ﷺ) ने ज़ुहर

أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ بِمِنًى . قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

की नमाज़ कहां पढ़ी थी? उन्होंने कहा: मिना में। मैंने कहा: नफ़र वाले दिन (वापसी के रोज़, 13/ज़िलहिज्जा को) आपने अ़स्र की नमाज़ कहां पढ़ी थी? उन्होंने कहा: वादी अब्तह (मुहस्सब) में। फिर फ़रमाया: वैसे ही करो जैसे कि तुम्हारे उमरा करते हैं।

(1912) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1763. व मुस्लिम: 1309.

फ़ायदा : हज़रत अनस (رضي الله عنه) के कहने का मक़सद ये है कि ये मसाइल वाजिब उमूर में से नहीं हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का मअमूल और सुन्नत होने में तो कोई शुब्हा नहीं है, ताहम किसी उज़्र के बाइस उन पर अ़मल न हो सके तो कोई हर्ज नहीं मुबाहात में उलुलअम्र की मुताबिअ़त की मुख़ालफ़त से बचा जाये।

(60) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ

बाब : 60
(मिना से) अ़रफ़ात को रवानगी का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهَجِّرًا فَجَمَعَ

(1913) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़रफ़ा के रोज़ (नवीं तारीख़ को) मिना में सुबह की नमाज़ पढाई, फिर अ़रफ़ात की तरफ़ आये और वादी नमरह में पड़ाव किया। वही मक़ाम जहां कि अ़रफ़ात में इमाम उतरता है (उनके दौर की बात है) यहाँ तक कि जब ज़ुहर का वक़्त हूआ तो रसूलुल्लाह(ﷺ) दोपहर को गर्मी के वक़्त ही में वहां से रवाना हो गये और ज़ुहर व अ़स्र की नमाज़ जमा करके पढाई, फिर लोगों को ख़ुत्बा दिया, फिर वहां से चले और अ़रफ़ात में अपने

بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ .

मौक़िफ़ पर जाकर वक़ूफ़ फ़रमाया।

(1913) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/129.

﴾61﴿ بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

बाब : 61
(वादी ए नमरह से) अ़रफ़ात को जाने का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةُ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا . فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالُوا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ . قَالَ أَزَاغَتْ قَالُوا لَمْ تَزِغْ - أَوْ زَاغَتْ - قَالَ فَلَمَّا قَالُوا قَدْ زَاغَتِ . ارْتَحَلَ

(1914) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने बयान किया कि जब हज्जाज ने हज़रत (अ़ब्दुल्लाह) बिन अज़्ज़ुबैर (ﷺ) को शहीद कर दिया तो इब्ने उ़मर(ﷺ) से पूछवा भेजा कि नबी (ﷺ) उस दिन किस वक़्त यहां से चलते थे? उन्होंने कहा: जब वक़्त हो जायेगा हम चल पड़ेंगे। फिर जब इब्ने उ़मर(ﷺ) ने चलने का इरादा किया तो साथी बोले: सूरज नहीं ढला है, फिर पूछा: क्या ढल गया है? उन्होंने कहा: नहीं ढला है या ढल गया है पस जब उन्होंने कहा कि ढल गया है, तो वह रवाना हो गये।

(1914) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3009, मुसनद अहमद: 2/25, व मुस्लिम: 1218.

फ़ायदा : अस्हाबे किराम (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से स़ाबित शुदा अ़मल के किसी जुज़ (हिस्से) को भी ग़ैर अहम नहीं समझते थे। इनकी इन्तेहाई कोशिश होती थी कि सब पर वैसे के वैसे अ़मल किया जाये।

बाब : 62
अरफ़ात में ख़ुत्बा का बयान

﴿62﴾ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ .

(1915) बनी ज़मरह का एक शख़्स अपने वालिद या चचा से बयान करता है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अरफ़ात के रोज़ मिम्बर पर देखा था।

(1915) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/430.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْحَىِّ عَنْ أَبِيهِ، نُبَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ.

(1916) सलमा बिन नुबैत अपने क़बीला के एक शख़्स से वह उसके वालिद नुबैत (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि उसने नबी (ﷺ) को अरफ़ात में वक़ूफ़ किए हूए देखा। आप सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा दे रहे थे।

(1916) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 3010, इब्ने माजा, हदीस़: 1286.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، - قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو، - قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ فِي الرِّكَابَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ

(1917) जनाब ख़ालिद बिन अदा बिन होज़ह(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने अरफ़ा के रोज़ नबी (ﷺ) को देखा कि आप अपने ऊँट पर उसकी रकाबों में पाँव डाले लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अलअला ने वकीअ से इसी तरह बयान किया जैसे कि हन्नाद ने कहा।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/30.

तौज़ीह : इमाम अबू दाऊद (रह.) के असातिज़ह हन्नाद बिन सिर्री और उ़स्मान बिन अबी शैबा का स़हाबी के नाम में इख़्तिलाफ़ हूआ है। उ़स्मान बिन अबी शैबा, अ़दा बिन ख़ालिद बिन होज़ा कहते हैं, मगर हन्नाद ने ख़ालिद बिन अ़दा कहा है। इमाम स़ाहब ने हन्नाद की ताईद में इब्ने अलअ़ला अ़न वकीअ़ की सनद ज़िक्र फ़रमाई है। जबकि दर्ज ज़ेल सनद में अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीम की रिवायत में अ़दा बिन ख़ालिद आया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने तक़रीब अत्तहज़ीब में अ़दा बिन ख़ालिद की तस़्वीब की है। वल्लाहू अ़ालम!

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو، عَنِ الْعَدَّاءِ، بِمَعْنَاهُ .

(1918) अ़ब्दुल मजीद अबू अ़म्र ने अ़दा बिन ख़ालिद से रिवायत की और ऊपर वाली के हम मानी बयान किया।

(1918) तख़रीज : (सनद हसन) पीछे वाली हदीस़ देखें।

63

بَاب مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

बाब : 63
अ़रफ़ात में वक़ूफ़ की जगह

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الإِمَامِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ "

(1919) हज़रत यज़ीद बिन शैबान (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने मिरबअ़ अन्स़ारी (रज़ि.) हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम अ़रफ़ात में ऐसी जगह वक़ूफ़ किये हूए थे कि अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह उसको इमाम के मौक़िफ़ से दूर समझ रहे थे। (इब्ने मिरबअ़ (रज़ि.) ने) कहा: बेशक मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का मैसेंजर बन के आया हूं। आपने तुम लोगों को कहला भेजा है: 'अपने (इन्ही) मक़ामात पर वक़ूफ़ करो। बिलाशुब्हा तुम अपने अब्बा इब्राहीम अ़लैहि. की विरास़त में से एक विरास़त पर हो।'

قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ " .

(1919) तख़रीज : (सनद सह़ी) तिर्मिज़ी, हदीस़: 883, नसाई, हदीस़: 3017, इब्ने माजा, हदीस़: 3011, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2818, हाकिम 1/462.

फ़ायदा : मैदाने अ़रफ़ात सारा ही महल्ले वक़ूफ़ (ठहरने की जगह) है।

﴾64﴿

باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

बाब : 64
अ़रफ़ात से वापसी का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، - الْمَعْنَى - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ وَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ " . قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا . زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ . وَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ " . قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى .

(1920) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷻ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अ़रफ़ात से रवाना हूए तो बड़े आराम और सुकून से चले। उसामा(ﷻ) आपके पीछे बैठे हूए थे। आपने फ़रमाया: 'लोगो! आराम से चलो, नेकी घोड़े और ऊँट दौड़ाने में नहीं।' सो मैंने देखा कि (कोई भी सवारी) अपने दोनों (अगले) पाँव उठा कर न दौड़ रही थी यहाँ तक कि आप मुज़दलफ़ा पहुँच गये ... वहब ने मज़ीद कहा ... फिर आपने हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (ﷻ) को अपने पीछे बिठा लिया और फ़रमाया: 'लोगो! नेकी घोड़े और ऊँट दोड़ाने में नहीं, सुकून से चलो।' और मैंने नहीं देखा कि कोई सवारी अपने दोनों पाँव उठा कर चल रही हो। यहाँ तक कि आप मिना में आ गये।

(1920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/269, बुख़ारी, हदीस़: 1678, मुस्लिम: 1293.

फ़ायदा : नेकी और ख़ैर के कामों में 'मुसारअत और मुसाबिक़त' बिलाशुब्हा मतलूब है। अल्लाह

तआला का फ़रमान है: (वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम) (आले इमरान: 133) और फ़रमाया: (फ़स्तबिक़ुल ख़ैराति) (अल बकर: 148) मगर इसके ये मानी नहीं कि काम को जल्दी जल्दी अंजाम दें। बल्कि ऐसी सूरत से अंजाम दें जो इंसानी वक़ार और इस्लामी शरफ़ के मनाफ़ी और दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस न हो। नमाज़ के लिये आने का भी यही अदब बताया गया है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ، فَعَلْتُمْ - أَوْ صَنَعْتُمْ - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ أَهْرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ . قَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ

(1921) जनाब कुरैब बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से कहा: मुझे ये बतायें कि उस शाम जब आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवार थे, आप लोगों ने कैसे किया? उन्होंने बताया कि हम उस घाटी में आये जिसमें लोग अपनी सवारियाँ बिठाते हैं। वह जगह मुअर्रस कहलाती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ऊँटनी बिठाई, फिर पैशाब किया। उसामा (ﷺ) ने (अहराक़ल माअ) के लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किये। (यानी 'पानी बहाया' नहीं कहा) फिर आपने पानी तलब किया और वुज़ू फ़रमाया जिसमें कोई मुबालग़ा न था। (यानी हल्का वुज़ू किया, अज़्व को एक दो बार धोया) मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़? आपने फ़रमाया: 'नमाज़ तुम्हारे आगे है' (आगे चल कर पढ़ेंगे) फिर आप सवार हो गये यहाँ तक कि हम मुज़दलफ़ा पहुँच गये। फिर आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। फिर लोगों ने सवारियों को अपने अपने पड़ाव पर बिठाया मगर उनके (पालान और कजावे) नहीं खोले यहाँ तक कि इशा की इक़ामत कहलवाई और नमाज़ पढ़ाई। फिर लोगों ने (अपनी सवारियों को)

النَّاسُ . زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَىَّ

खोला। मुहम्मद बिन कसीर ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा: मैंने पूछा: जब तुम लोगों ने सुबह की, तो कैसे किया था? उन्होंने कहा: फ़ज़ल (ﷺ) आपके पीछे सवार हूए और मैं क़ुरैश के उन अफ़राद के साथ पैदल चला गया जो दीगर लोगों से पहले रवाना हूए थे।

(1921) तख़रीज : मुस्लिम: 1280.

फ़ायदा : मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें जमा करके ही पढ़ी गई थीं। दोनों नमाज़ों के बीच 'सवारियों को बिठाना' या तो सवारियों पर शफ़क़त की ग़र्ज़ से था या ये कि कहीं वह बिखर न जायें। बहरहाल ये मामूली सा काम (जमा बैनस्सलातैन) के मनाफ़ी नहीं समझा जा सकता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالاً لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ " . وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ .

(1922) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: फिर आपने उसामा (ﷺ) को अपने पीछे सवार कर लिया। फिर आप अपनी ऊँटनी पर दरम्यानी चाल (अ़नक़) से रवाना हूए और लोग दायें बायें ऊँटों को पीट रहे थे। आप उनकी तरफ़ मुतवज्जा न होते थे और फ़रमा रहे थे: 'लोगो! सुकून के साथ!' और आप अ़रफ़ात से सूरज ग़ुरूब होने के बाद रवाना हूए।

(1922) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 885, मुसनद अहमद: 1/76, हदीस़: 564.

तौज़ीह : सुनन अबी दाऊद के अक्स़र नुस्ख़ों में (ला यलतफ़ितु इलैहिम) का लफ़्ज़ आया है। मगर बज़्लुल मज्हूद में मौलाना ख़लील अहमद स़ाहिब सहारनपूरी ने लिखा है कि जामेअ़ तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद और सुनन बैहक़ी की कुछ असानीद में लफ़्ज़ 'ला' मौजूद नहीं है। इस तरह कोई इश्काल नहीं रहता। मगर मुसनद अहमद की एक सनद में (ला यलतफ़ित) ही आया है। जबकि अ़ल्लामा अलबानी (रह.) ने स़हीह सुनन अबी दाऊद में इसको ग़ैर महफ़ूज़ लिखा है। (यलतफ़ित) का लफ़्ज़ ही स़हीह है। यानी आप लोगों की तरफ़ मुलतफ़ित हो रहे थे।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . قَالَ هِشَامٌ النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .

(1923) जनाब उर्वा (रह.) ने बयान किया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से पूछा गया ... और मैं (उस मज्लिस में) बैठा था ... कि नबी(ﷺ) हज्जतुल विदाअ में जब अरफ़ा से रवाना हूए थे तो किस रफ़्तार से चले थे? उन्होंने कहा कि आप अलैहि. दरम्यानी रफ़्तार (अनक़) से चले थे? जब कोई फ़राख़ी पाते तो क़द्रे तेज़ हो जाते। हिशाम ने कहा कि नस़ वाली रफ़्तार अनक़ से क़द्रे तेज़तर होती है।

(1923) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1666, मौता: 1/392, व मुस्लिम: 1286.

फ़ायदा : ताबेईने किराम और स़हाब–ए–किराम में इस मसले का मुज़ाकरह दलील है कि ख़ैरूल कुरून के ये हज़रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक एक अमल के अमीन और उसके क़ायल व फ़ाइल थे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1924) हज़रत उसामा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पीछे सवार था, जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) वहां से रवाना हूए (यानी अरफ़ात से)

(1924) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/202.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ

(1925) (1) कुरैब मोला अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ) ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से सुना, वह कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से रवाना हूए यहाँ तक कि जब घाटी में पहुँचे तो उतरे, पेशाब किया, फिर वुज़ू किया मगर उसमें मुबालग़ा नहीं था। मैंने अर्ज़

سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

किया: नमाज़? आपने फ़रमाया: 'नमाज़ तुम्हारे आगे है।' (यानी आगे पढ़ेंगे) फिर आप सवार हो गये। जब मुज़दलफ़ा पहुँचे तो उतरे, वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया। फिर नमाज़ की इक़ामत कही गई तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर हर शख़्स ने अपने अपने ऊँट को अपने अपने पड़ाव में बिठाया, फिर इशा की इक़ामत कही गई तो आपने नमाज़ पढ़ाई और उनके बीच कुछ नहीं पढ़ा।

(1925) (2) जनाब शरीद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (अरफ़ात से) रवाना हूआ था, पस आपके क़दमों ने ज़मीन को नहीं छूवा यहाँ तक कि मुज़दलफ़ा पहुँच गये।

(1925) तख़रीज : (1) बुख़ारी, हदीस़: 1672, व मुस्लिम: 1280, मौता, 1/400, 401.

(1925) तख़रीज : (सनद हसन) (2) मुसनद अहमद: 4/389

फ़ायदा : हज़रत उसामा (ﷺ) की रिवायत स़ही तर है क्योंकि वह नबी (ﷺ) के हमरकाब थे। लिहाज़ा वह आपके हाल से ज़्यादा बा'ख़बर हैं। हज़रत शरीद (ﷺ) ने शायद आपको नहीं देखा इसलिए अपने इल्म के मुताबिक़ आपके उतरने की नफ़ी कर दी, जो स़ही नहीं। मगर स़ाहिबे बज़्लुल मज्हूद मौलाना ख़लील अहमद स़ाहिब ने तीबी के हवाले से लिखा है कि इन रिवायात में कोई डिस्पुट नहीं है क्योंकि इस रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस सफ़र की कैफ़ियत और एहतिमाम का बयान है कि आपने ये तमाम मसाफ़त ऊँटनी ही पर तै की थी और ज़रा भी पैदल न चले थे। तहारत और वुज़ू के लिए उतरना इसके कोई मुनाक़िज़ नहीं है।

बाब : 65
मुज़दलफ़ा में नमाज़ का बयान

﴿65﴾ بَابُ الصَّلاَةِ بِجَمْعٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

(1926) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलफ़ा में इकट्ठी करके पढ़ीं।

(1926) तख़रीज : मौता: 1/400, मुस्लिम: 703.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ صَلَّى كُلَّ صَلاَةٍ بِإِقَامَةٍ .

(1927) ज़ोहरी (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत की और कहा: एक एक इक़ामत से इन दोनों नमाज़ों को जमा किया।

इमाम अहमद (रह.) ने कहा: वकीअ़ ने बयान किया कि आपने हर नमाज़ (अलग) इक़ामत से पढ़ीं।

(1927) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1673, मुसनद अहमद, 2/157.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ، وَمَعْنَاهُ، قَالَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . قَالَ مَخْلَدٌ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

(1928) उ़स्मान बिन उ़मर (रह.) ने इब्ने अबी ज़िब से उन्होंने ज़ोहरी से यानी अहमद बिन हम्बल अ़न हम्माद की सनद से और उसके हम मानी बयान किया कि हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत कही। और पहली में अज़ान नहीं दी और न किसी के बाद सुन्नतें पढ़ीं।

मख़्लद ने कहा: उनमें से एक के लिए अज़ान नहीं दी।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 1/401.

नोट : अ़ल्लामा अलबानी (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत स़ही है। अलबत्ता (लम युनादि ...) के अल्फ़ाज़ स़हीह नहीं हैं। इसलिये कि एक मर्तबा तो अज़ान दी गई, इस बुनियाद पर अज़ान की नफ़ी स़ही नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

(1929) अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक (बिन हारिस़) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढी। मग़रिब की तीन और इशा की दो रकअ़तें। मालिक बिन हारिस़ ने उनसे कहा: ये किस तरह की नमाज़ है? उन्होंने कहा: मैंने इनको रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इस जगह एक ही तकबीर के साथ पढ़ा है।

(1929) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 887, 1927 हदीस़ में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ में एक ही तकबीर से दो नमाज़ों के पढ़ने का ज़िक्र है, जबकि हर नमाज़ के लिये अलग अलग से इक़ामत कहना स़हीतर अहादीस़ से स़ाबित है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1673) इस हदीस़ की बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत (लिकुल्लि स़लातिन) (यानी हर नमाज़ के लिए अलग अलग तकबीर कही) की ज़्यादाती के साथ स़ही है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ

(1930) सईद बिन जुबै़र और अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक दोनों से रिवायत है कि हमने इब्ने उ़मर(ﷺ) के साथ मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक तकबीर के साथ पढ़ी। और मुहम्मद बिन कस़ीर की रिवायत के हम मानी बयान किया। (ऊपर वाली रिवायत)

(1930) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 1/401.

फ़ायदा : इस रिवायत में भी एक तकबीर के साथ दो नमाज़ें पढ़ने का ज़िक्र है जो कि स़ही नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं कि ये रिवायत (लिकुल्लि स़लातिन) (हर नमाज़ के लिए अलग तकबीर कही) के इज़ाफ़े के साथ स़ही है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثًا وَاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ .

(1931) सईद बिन जुबैर ने कहा: हम हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) की मईयत में (अ़रफ़ात से) लौटे। जब मुज़दलफ़ा पहुँचे तो उन्होंने हमें मग़रिब और इशा की नमाज़ें तीन रकअ़तें और दो रकअ़तें एक तकबीर के साथ पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हूए तो इब्ने उ़मर (ﷺ) ने कहा कि रसूल (ﷺ) ने इसी जगह हमें इसी तरह नमाज़ पढ़ाई थी।

(1931) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1929 में देखें, व स़ही मुस्लिम; 1288.

फ़ायदा : इसमें भी एक इक़ामत का ज़िक्र है जो दुरूस्त नहीं है जैसा कि गुज़िश्ता हदीस़ में गुज़रा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .

(1932) सलमा बिन कुहैल ने कहा: मैंने जनाब सईद बिन जुबैर (रह.) को मुज़दलफ़ा में देखा कि उन्होंने इक़ामत कही और मग़रिब की तीन रकअ़तें पढीं फिर इशा की दो रकअ़तें पढीं। फिर कहा: मैं हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) के साथ हाज़िर था उन्होंने इस जगह इसी तरह किया था और उन्होंने बयान किया था कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था और आपने इस जगह इसी तरह किया था।

तख़रीज : ह:1929 में देखें, व स़ही मुस्लिम: 288.

फ़ायदा : इस हदीस़ में भी एक तकबीर का ज़िक्र है जो कि दुरूस्त नहीं है। देखिये गुज़िश्ता अहादीस़ के फ़वाइद।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ

(1933) अशअ़स़ बिन सुलैम अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) के साथ अ़रफ़ात से मुज़दलफ़ा आया। उन्होंने इस दौरान में तकबीर और तहलील

ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي عِلاَجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا .

को नहीं छोड़ा यहाँ तक कि हम मुज़दलफ़ा पहुँच गये। फिर अज़ान और इक़ामत कही या किसी को हुक्म दिया कि अज़ान और इक़ामत कहे, फिर हमें मग़रिब की तीन रकअतें पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतव्वजा हूए और कहा: नमाज़, (इशा की भी) पस हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई, दो रकअतें। फिर अपना रात का खाना तलब किया। (अशअस़ बिन सुलैम ने) कहा: मुझे इलाज बिन अम्र ने इसी तरह बयान किया जैसे कि मेरे वालिद (सुलैम बिन अस्वद) ने इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत किया हज़रत इब्ने उमर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ऐसे ही पढ़ी थी।

(1933) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 1/401.

नोट : अल्लामा अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं कि (फ़क़ाला: अस्स़लात) (आप हमारी तरफ़ मुतव्वजा हूए और कहा: नमाज़!) के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। अलबत्ता (फ़क़ाला अस्स़लात) ‘तकबीर कहलवाई’ के अल्फ़ाज़ स़हीतर है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ، وَأَبَا، عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا .

(1934) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी नहीं देखा कि आपने कोई नमाज़ बेवक़्त पढ़ी हो। आप हमेशा वक़्त पर नमाज़ पढ़ते थे मगर मुज़दलफ़ा में आपने मग़रिब और इशा को जमा करके पढ़ा (ताख़ीर से) और अगले दिन फ़ज्र की नमाज़ अपने वक़्त से पहले पढ़ी।

(1934) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1682, व मुस्लिम: 1289.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी फ़ज्र की नमाज़ बहुत जल्द पढ़ाई जो कि आपका आ़म मामूल का वक़्त न था। और फ़िज़ा में बहुत अंधेरा था। मगर फ़ज्रे स़ादिक़ तुलूअ़ हो चुकी थी। **(2)** कुछ फ़क़ीह (हसन बस़री, इब्राहीम नख़ई, इमाम अबू हनीफ़ा और इनके स़ाहिबैन (रह.) का इस हदीस़ से इस्तेदलाल है कि सफ़र में नमाज़ें जमा करना जायज़ नहीं। सिवाए अ़रफ़ात और मुज़दलफ़ा के क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के साथ साथ रहने वाले स़हाबी हैं। वह कहते हैं कि इस मक़ाम के अ़लावा आपने कभी कोई नमाज़ बेवक़्त नहीं पढ़ी। सो जमा बैनस्सलातैन जायज़ नहीं। जबकि अस्हाबुलहदीस़ और जुम्हूर फ़ोक़हा जमा बैनस्स़लातैन के क़ायल व फ़ाइल हैं। इनका इस्तेदलाल रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअ़ल से है। जैसे कि गुज़िश्ता 'अबवाब स़लातुस्सफर' (हदीस़: 1198 वमा बअ़दहू) के मुताला से वाज़ेह है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की इस रिवायत में नबी (ﷺ) के आ़म मामूलात और नमाज़ बर वक़्त अदा करने की पाबंदी का बयान है। जो बसूरते मफ़हूम ज़िक्र किया गया है। जबकि दीगर स़रीह फ़रामीन और आपके मामूलात जमा बैनस्स़लातैन को स़ाबित करते हैं। तो जहां कहीं अहादीस़ का मफ़हूम और मन्तूक़ (ज़ाहिर अल्फ़ाज़) मुतआ़रिज़ मालूम होते हों वहां मन्तूक़ को मुकद्दम (आगे) किया जाता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ " هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ " .

(1935) हज़रत अ़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि (मुज़दलफ़ा में) जब नबी (ﷺ) ने सुबह की और जब्ले क़ुज़ह पर वक़ूफ़ किया तो फ़रमायाः 'ये क़ुज़ह है और जाए वक़ूफ़ है। और मुज़दलफ़ा सारा ही जाए वक़ूफ़ है। मैंने इसी जगह क़ुर्बानी की है और मिना सब ही क़ुर्बानगाह है। सो अपने अपने पड़ाव पर क़ुर्बानियाँ करो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 885, इब्ने माजा, हदीस़: 3010, हदीस़: 1922 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَقَفْتُ هَا

(1936) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मैंने अ़रफ़ात में इस जगह पर वक़ूफ़ किया है और अ़रफ़ात सारे का सारा जाए वक़ूफ़ है। मैंने

هُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ " .

मुज़दलफ़ा में इस जगह पर वक़ूफ़ किया है और मुज़दलफ़ा सारा ही जाए वक़ूफ़ है। और मैंने इस जगह क़ुर्बानी की है और मिना सब ही क़ुर्बानगाह है। पस तुम अपने अपने पड़ाव पर क़ुर्बानियाँ करो।'

(1936) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अ़ब्दुलबर तमहीद: 24/418.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " .

(1937) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अ़रफ़ात सारा ही मक़ामे वक़ूफ़ है और मिना सारा ही क़ुर्बानगाह है और मुज़दलफ़ा पूरा ही वक़ूफ़ की जगह है। और मक्का के सब रास्ते (यहां आने की) राह हैं और क़ुर्बानगाह भी।'

(1937) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3048.

फ़ायदा : अ़रफ़ात, मुज़दलफ़ा, मिना में रसूलुल्लाह (ﷺ) के ठहरने की जगह मअ़रूफ़ हैं। अगर बग़ैर किसी भीड़ व तकलीफ़ देने के इन मक़ामात पर वक़ूफ़ का मौक़ा मिल जाये तो बेहतर है वरना सवाब सभी जगह बराबर है। इसी तरह मक्के में दाख़िले के लिये कराअ़ वाली जानिब अफ़ज़ल है वरना कहीं से भी आया जा सकता है। इसी तरह क़ुर्बानी के लिये मिना अफ़ज़ल है।

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

(1938) जनाब उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने बयान किया कि अहले जाहिलीयत (मुज़दलफ़ा से) उस वक़्त तक रवाना नहीं होते थे जब तक कि सबीर पहाड़ पर सूरज को (तुलूअ़ होता) न देख लेते। सो नबी (ﷺ) ने उनकी मुख़ालफ़त की और तुलूअ़े आफ़ताब से पहले ही वहां से रवाना हो लिये।

(1938) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3838.

फ़ायदा : मुज़दलफ़ा से रवानगी का असल वक़्त नमाज़े फ़ज्र के बाद सूरज निकलने से पहले है, सिर्फ़ ज़ईफ़ों के लिए रूख़्सत है कि वह आधी रात के बाद जा सकते हैं।

बाब : 66
मुज़दलफ़ा से रवानगी में जल्दी करना

66

بَاب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ، قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .

(1939) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहल के उन ज़ईफ़ अफ़राद में शामिल था जिनको आप (ﷺ) ने मुज़दलफ़ा की रात वक़्त से पहले रवाना फ़रमा दिया था।

(1939) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1678, मुसनद अहमद: 1/222, व मुस्लिम: 1293.

फ़ायदा : ख़्वातीन, बच्चे, मरीज़, बूढ़े और कमज़ोर अफ़राद के लिए रूख़्सत है कि वह मुज़दलफ़ा से फ़ज्र की नमाज़ से पहले ही मिना को रवाना हो जायें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ " أُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ .

(1940) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़दलफ़ा की रात हम बनी अब्दुल मुत्तलिब के छोटे लड़कों को गधों पर सवार करके आगे भेज दिया था। इस मौक़े पर आप हमारी रानों पर आहिस्ता आहिस्ता मारते हूए फ़रमा रहे थे: 'बच्चो! सुरज तुलूअ होने से पहले जमरह को कंकरियाँ न मारना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (अल्लत्हु) का मानी है 'नरम अन्दाज़ में मारना'

(1940) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माज़ा, हदीस़: 3025, नसाई, 3066.

(1941) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने अहल के ज़ईफ़ अफ़राद को अंधेरे ही में आगे रवाना फ़रमा दिया करते थे। और उन्हें हुक्म देते थे कि सूरज तुलूअ होने तक जमरह को कंकरियाँ न मारें।

(1941) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 3067.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لاَ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

फ़ायदा : दसवीं तारीख़ को रमी जमरह का मसनून (सुन्नती) वक़्त सूरज तुलूअ होने के बाद है।

(1942) हज़रत आ़यशा (ﷻ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उम्मे सलमा (ﷻ) को नहर वाली रात फ़ज्र से पहले ही (मिना की जानिब) भेज दिया। पस उन्होंने (तुलूअ) फ़ज्र से पहले ही जमरह को कंकरियां मार लीं फिर वह चली गयीं और तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया। और ये उन्हीं की बारी का दिन था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके यहां थे।

(1942) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - تَعْنِي - عِنْدَهَا

(1943) एक ख़बर देने वाले ने बयान किया कि हज़रत अस्मा (बिन्ते अबीबक्र) (ﷻ) ने जमरह की रमी की तो मैंने कहा: हमने तो रात में रमी की है। (कंकरियाँ मारी हैं) उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हम यही किया करते थे।

(1943) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3053, बैहक़ी, 5/133.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ . قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

Sherkhan
9825 696 131

फायदा : पिछले दोनों राावियों में सूरज तुलूअ होने से पहले कंकरियाँ मारने का ज़िक्र है। इसकी बाबत स़ाहिबे औनुल माबूद लिखते हैं कि ये सिर्फ़ औरतों, बच्चों और उनके ग़ुलामों के लिये है जो उनकी ख़िदमत के लिये हों। उनके अलावा दस ज़ुलहिज्जा को किसी के लिये जायज़ नहीं कि वह तुलूअे फ़ज्र से पहले कंकरियाँ मारे जैसा कि स़हीह अहादीस़ से स़ाबित है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ .

(1944) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मुज़दलफ़ा से) रवाना हूए और बड़े सुकून और आराम से चले। और लोगों को हुक्म दिया कि छोटी छोटी कंकरियाँ मारें (मगर) वादी मुहस्सिर में तेज़ी से निकले थे।

(1944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 3024, व मुस्लिम: 1299.

फ़ायदा : वादी–ए–मुहस्सिर में अस्हाबुल फ़ील (हाथी वालों) पर अज़ाब नाज़िल हूआ था और मक़ामाते अज़ाब से बड़ी जल्दी निकल जाना चाहिए।

﴾67﴿ بَاب يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

बाब : 67 हज्जे अकबर का दिन कौनसा है?

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ - حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ " أَىُّ يَوْمٍ هَذَا" . قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ " هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ " .

(1945) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने हज में क़ुर्बानी वाले दिन जमरात के दरम्यान खड़े हूए और पूछा: 'ये कौनसा दिन है?' लोगों ने कहा: ये क़ुर्बानी का दिन है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हज्जे अकबर का दिन है'

(1945) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3058, बुख़ारी, हदीस़: 1742, हाकिम: 2/231.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الأَكْبَرُ الْحَجُّ.

(1946) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (ﷺ) ने मुझे उन लोगों के साथ भेजा जिन्होंने क़ुर्बानी के रोज़ मिना में ये ऐ़लान किया कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज के लिये न आये। और कोई शख़्स़ बे लिबास होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे। और क़ुर्बानी का दिन (यौमुन नहर ही) हज्जे अकबर का दिन है। और हज्जे अकबर से मुराद हज है।

(1946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3177, व मुस्लिमः 1347.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हज से एक साल पहले नो हिजरी में हज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (ﷺ) को अमीरे हज बनाकर रवाना फ़रमाया था और उस मौक़े पर सूरह बराअत (सूरह तौबा) की आयत के ज़रिये से कुफ़्फ़ार से ऐ़लाने बराअत किया गया था। **(2)** मुश्रिकीन को हरम में दाख़िला की इजाज़त नहीं। उन्हें ताक़त के ज़रिये से इसे रोका जाना ज़रूरी है। **(3)** तवाफ़ के लिये सतर वाजिब है। **(4)** योमुन नहर (क़ुर्बानी का दिन) हज्जे अकबर का दिन है। सूरह तौबा में है 'अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से बड़े हज के दिन में ये ऐ़लाने आ़म है कि अल्लाह तआ़ला मुश्रिकीन से बरी है और उसका रसूल भी' (अत्तौबाः 3) **(5)** 'हज्जे अकबर' से मुराद 'हज' है। जबकि कुछ रिवायात में उ़मरह को हज्जे अस़ग़र से तअ़बीर किया गया है। ये अहादीस़ अ़वामुन नास में मशहूर इस क़ौल की तरदीद करती हैं कि जब यौमे अ़रफ़ा और यौमे जुमा जमा हो जायें तो वह हज्जे अकबर होता है। नहीं! बल्कि हर हज ख़्वाह किसी भी रोज़ हो 'हज्जे अकबर' ही होता है। जुमा के रोज़ योमे अरफ़ा का वाक़ेअ़ होना एक इत्तेफ़ाक़ी अम्र है और अल्लाह के यहां क़बूलियत में कोई फ़र्क़ नहीं।

(68) باب الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

बाब : 68
हुरमत वाले महीनों का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ

(1947) हज़रत अबूबक्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हज में ख़ुत्बा देते हूए इरशाद फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा

أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " .

ज़माना अपनी उस (अस़ल) कैफ़ियत पर घूम आया है (जिस पर कि अपने पहले रोज़ था) जब कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया था। साल के बारह महीने में, और उनमें से चार महीने हुरमत वाले हैं। तीन महीने मुतवातिर (लगातार) हैं, यानी ज़ूलक़अ़द, ज़ुलहिज्जा और मुहर्रम और (चौथा) मुज़र का रजब है जो जुमादी और शअ़बान के दरम्यान होता है।'

(1947) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4215.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले अ़रब में पुराने ज़माने से ये रिवायत चली आ रही थी कि ज़ुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब के महीनों को हुरमत वाले महीने जानते थे और उनमें क़त्ल व ग़ारत और आ़म दंगा फ़साद से परहेज़ करते थे। चूनांचे इस्लाम ने भी इनकी हुरमत को बहाल रखा है, मगर इसका ये मफ़हूम नहीं कि बाक़ी महीनों में जो जी चाहे किया जाये, नहीं बल्कि हमेशा ही अल्लाह की हुरमत का पास रखना फ़र्ज़ और वाजिब है, मगर इन महीनों में और ज़्यादा एहतमाम किया जाना चाहिए। सूरह तौबा में है: 'महीनों की तादाद अल्लाह के यहां बारह महीने है, अल्लाह की किताब में, जिस दिन कि उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, इनमें से चार महीने हुरमत वाले हैं।' (अत्तौबा: 36) **(2)** 'ज़माना घूम आया है' इसमें अहले जाहिलियत की उस बदतरीन रस्म की तरफ़ इशारा है कि वह लोग महीनों को आगे पीछे कर देते थे। जैसे मुहर्रम को स़फ़र की जगह मुअ़ख़्ख़र (लेट) और स़फर को मुक़द्दम (आगे) कर दिया और इसे 'नसय' से ताबीर करते थे। इस तरह साल की तारीख़ों में बहुत ख़राबी पैदा हो गई थी। और जिस साल नबी (ﷺ) ने हज किया उस साल हज और तारीख़ अपने बिल्कुल स़ही वक़्त पर आई थी। क़ुर्आन करीम ने अ़मले नसय को कुफ़्रिया आ़माल में से शुमार किया है और आइन्दा स़ही तारीख़ की हिफ़ाज़त की तरग़ीब दी है। (अत्तौबा: 37) **(3)** माहे रजब को क़बीला मुज़र की तरफ़ इसलिए मन्सूब किया गया है कि वह लोग इसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ

(1948) मुहम्मद बिन सीरीन, इब्ने अबी बक्रा से वह (अपने वालिद) अबू बक्रा (رضي الله عنه) से वह नबी (ﷺ) से ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत करते हैं।

أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने औ़न ने नाम लेकर कहा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्रा (अपने वालिद) अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

(1948) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4406.

﴾69﴿ بَاب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

बाब : 69 जो शख़्स़ वक़ूफ़े अ़रफ़ात न पा सके?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ - أَوْ نَفَرٌ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلاً فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ الْحَجُّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَنَادَى " الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

(1949) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन यअ़मर अद्दैली(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप मैदाने अ़रफ़ात में थे। इसी दौरान में नजद की तरफ़ के कुछ लोग आये और उन्होंने एक शख़्स़ को कहा तो उसने पुकार कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हज कैसे है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (भी) एक शख़्स़ को हुक्म दिया और उसने पुकार कर कहा: 'हज: हज्जे अरफ़ात का दिन है। जो शख़्स़ मुज़दलफ़ा की रात में फ़ज्र की नमाज़ से पहले पहले यहां आ गया उसका हज पूरा हो गया। मिना के दिन तीन हैं। जो शख़्स़ दो दिन बाद जल्दी से वापस हो जाये उस पर कोई गुनाह नहीं और जो ताख़ीर करे (तीसरा दिन भी वक़ूफ़ करे) तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं।' फिर आपने अपने पीछे एक शख़्स़ को सवार कर लिया जो इस बात की

" . قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ " الْحَجُّ الْحَجُّ " . مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ " الْحَجُّ" . مَرَّةً .

मुनादी करने लगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेहरान ने सुफ़ियान से ऐसे ही रिवायत किया है (अलहज अलहज) (यानी) दो बार। जबकि यहया बिन सईद क़त्तान ने सुफ़ियान से ये लफ़्ज़ (अलहज) एक बार बयान किया है।

(1949) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 889, 890, नसाई, हदीस़: 3019, इब्ने माजा, हदीस़: 3015, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2823, हाकिम: 1/278, 463, 464.

फ़ायदा : वक़ूफ़े अ़रफ़ात हज का रूक्न है। ख़्वाह मामूली वक़्त के लिये ही क्यों न हो। और उसका वक़्त नो ज़ूलहिज को ज़वाल के वक़्त से लेकर अगले दिन सुबह स़ादिक़ से पहले तक है। जिससे ये वक़ूफ़ फ़ौत हो जाये, उसका हज नहीं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ

(1950) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस ताई (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं मुज़दलफ़ा में वक़ूफ़ के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क़बीला तै के दो पहाड़ों से आया हूं। मैंने अपनी सवारी को हल्कान किया है और अपने आपको बहुत थकाया है। क़सम अल्लाह की! मैंने कोई टीला (या पहाड़) नहीं छोड़ा मगर उस पर वक़ूफ़ किया है। तो क्या मेरा हज हो गया? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे साथ ये नमाज़ (फ़ज्र) पा ली और उससे पहले वह रात या दिन में अ़रफ़ात में हाज़िर हो चुका है तो उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मैल कुचैल दूर कर लिया।

ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

(उसने मनासिके हज पूरे कर लिये। अब बाकी के दीगर आमाले हज पूरे करके अपना एहराम खोल दे)'

(1950) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 891, नसाई, हदीस: 3042, इब्ने माजा, हदीस: 3016, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2820, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3839, 3840, हाकिम, हदीस: 1/463.

﴾70﴿
باب النُّزُولِ بِمِنًى

बाब : 70
मिना में पड़ाव करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ " لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا " . وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ " وَالأَنْصَارُ هَا هُنَا " . وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ " ثُمَّ لْيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ "

(1951) अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ (रह.) एक सहाबी से बयान करते हैं, उसने कहा: नबी (ﷺ) ने मिना में लोगों को ख़ुत्बा दिया और उन्हें अपने अपने मक़ामात पर उतरने का इरशाद फ़रमाया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुहाजिरीन यहां पड़ाव करें।' और क़िब्ला की जानिब दायें तरफ़ इशारा फ़रमाया। 'और अन्सार यहां पड़ाव करें।' और क़िब्ला की बायें तरफ़ इशारा फ़रमाया। 'और दीगर लोग इनके इर्द गिर्द उतरें।'

(1951) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/138, मुसनद अहमद, 4/61, 5/374.

फ़ायदा : ये मक़ामात मिना की मस्जिदे ख़ैफ़ से क़िब्ला की तरफ़ दायें और बायें मुराद हैं। जैसे कि आइन्दा हदीस नम्बर 1957 में आ रहा है।

बाब : 71
इमाम मिना में किस रोज़ ख़ुत्बा दे?

﴾71﴿

باب أَىِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

(1952) इब्ने अबी नजीह अपने वालिद से, वह बनूबक्र के दो आदमियों से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अय्यामे तशरीक़ के दरम्यानी दिन में ख़ुत्बा देते हूए देखा। हम आपकी सवारी के क़रीब ही थे और ये नबी (ﷺ) का वह ख़ुत्बा था जो आपने मिना में इरशाद फ़रमाया।

(1952) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/151, मुसनद अहमद: 5/370.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ، مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالاَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى .

(1953) रबीआ बिन अब्दुर्रहमान बिन हुसैन अपनी दादी सर्राअ बिन्ते नबहान (رضي الله عنها) से बयान करती हैं ... ये ख़ातून इस्लाम से पहले एक घर की निगरान थीं (जिसमें बुत हूआ करते थे) ... वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रूऊस वाले दिन हमें ख़ुत्बा दिया। आपने फ़रमायाः 'ये कौनसा दिन है?' हमने कहाः अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमायाः 'क्या ये अय्यामे तशरीक़ का दरम्यानी दिन नहीं है?' इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहाः अबू हुर्रैरह रकाशी के चचा ने भी ऐसे ही रिवायत किया है कि आपने अय्यामे तशरीक़ के दरम्यानी दिन में ख़ुत्बा दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْنٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ - وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ " أَىُّ يَوْمٍ هَذَا " . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

(1953) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस़: 398, बैहक़ी: 5/151, 152, इब्ने सअ़द, 8/330, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2973.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईदुल अज़्हा (दस ज़ुलहिज) के बाद तीन दिनों को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं। 'तशरीक़' के मानी हैं, गोश्त के टुकड़े करके धूप में ख़ुश्क करना। पहला दिन यौमुल क़र (बमानी क़रार) और दूसरा दिन 'यौमुर रूऊस' कहलाता है। यानी 'सिरयों वाला दिन' कि वह क़ुर्बानियों की सिरयां पका कर खाते थे। और तीसरे दिन को 'यौमुन नफ़र' (रवानगी का दिन) कहते हैं। **(2)** इस मौक़े पर इमामे हज के लिए ख़ुत्बा देना मुस्तहब है जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से स़ाबित है। मौक़े के हिसाब से अहम मसाइल की नसीहत की जानी चाहिए।

बाब : 72
क़ुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा

﴿72﴾ باب مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الأَضْحَى بِمِنًى .

(1954) हज़रत हिरमास बिन ज़ियाद बाहिली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप मिना में क़ुर्बानी वाले दिन अपनी अ़ज़बा ऊँटनी पर लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे।

(1954) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/485, नसाई, हदीस़: 4095, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2953, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1016.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - الْحَرَّانِيُّ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلاَعِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ .

(1955) हज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने मिना में क़ुर्बानी वाले दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ुत्बा सुना।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/140, इब्ने अलजारूद, हदीस़: 949, तिर्मिज़ी, हदीस़: 616.

बाब : 73
क़ुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा देने का वक़्त

﴿73﴾ باب أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ - رضى الله عنه - يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ .

(1956) जनाब राफ़ेअ बिन अ़म्र मुज़नी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप मिना में अपने सफ़ेद ख़च्चर पर लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे जबकि दिन ऊंचा आ चुका था और हज़रत अ़ली (ﷺ) आपकी बात आगे पहुँचा रहे थे। लोग कुछ बैठे थे और कुछ खड़े थे।

(1956) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई कुब्रा, हदीस़: 4094, हदीस़: 4073 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमामे हज का उस दिन ख़ुत्बा देना मुस्तहब है। **(2)** आप (ﷺ) ने एक मौक़े पर अपनी ऊँटनी पर से ख़ुत्बा दिया और दूसरे मौक़े पर सफ़ेद ख़च्चर पर से, इसमें तआ़रूज़ (मतभेद) नहीं है।

बाब : 74
मिना के ख़ुत्बा में इमाम क्या बयान करे?

﴿74﴾ باب مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(1957) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन मुआ़ज तैमी(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया जबकि हम मिना में थे। पस (अल्लाह तबारक व तआ़ला ने) हमारे कान खोल दिये, हम अपने अपने पड़ाव, पर थे और वह सब कुछ

وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ " بِحَصَى الْخَذْفِ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ .

सुन रहे थे जो आप फ़रमा रहे थे। आप हमें आमाले हज की तालीम फ़रमा रहे थे यहाँ तक कि जमरात तक पहुँच गये, तो आपने अपनी शहादत की उंगलियाँ (अपने कानों में) रखीं और फ़रमाया: 'छोटी छोटी कंकरियाँ मारो' आपने मुहाजिरीन को हुक्म दिया तो वह मस्जिदे (ख़ैफ़) के आगे की तरफ़ उतरे। और अंसार को हुक्म दिया तो वह मस्जिद से पीछे की तरफ़ उतरे। फिर दूसरे लोग उनके बाद उतरे।

(1957) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4094, हदीस: 4073 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नबी (ﷺ) का मोजिज़ा (चमत्कार) था कि दूर के लोगों ने अपनी अपनी जगह पर आपका ख़ुत्बा सुन लिया। **(2)** 'शहादत की ऊंगलियाँ रखीं' इससे मुराद या तो ये है कि आपने अपने कानों में रखीं और बलन्द आवाज़ से फ़रमाया। अबू दाऊद के एक नुस्ख़ा से इस मानी की ताईद होती है इसमें (फ़ी उज़नैहि) का इज़ाफ़ा है। (नैलुल अवतार) या हो सकता है कि आपने अंगूठों के दरम्यान अपनी ऊंगलियाँ रखकर इशारा फ़रमाया हो कि इस तरह की छोटी छोटी कंकरियाँ मारो। (बज़्लूल मज्हूद)

﴾75﴿
باب يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

बाब : 75
मिना की रातें मक्का में गुज़ारने का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي حَرِيزٌ، أَوْ أَبُو حَرِيزٍ - الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرُّوخَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ

(1958) अब्दुर्रहमान बिन फ़र्रूख़ ने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा कि हम लोगों के साथ ख़रीद व फ़रोख़्त करते हैं, तो हम में से कोई मक्का भी आ जाता है और अपने माल के साथ रात गुज़ारता है तो उन्होंने जवाब

إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ .

दिया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तो रातें मिना में गुज़ारी थीं और दिन भी।

(1958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/153.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

(1959) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब की थी कि लोगों को पानी पिलाने की ग़र्ज़ से मिना की रातें मक्का में गुज़ार लें तो आपने उनको इजाज़त दे दी थी।

(1959) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1745, हदीस़: 2025 में देखें, व स़ही मुस्लिम: 1315.

फ़ायदा : कोई माक़ूल शरई उ़ज़्र हो तो मिना से बाहर रह सकता है, जैसे हुज्जाज की ख़िदमत, जानवरों को चराना या मरीज़ और उसकी तीमारदारी वग़ैरह। इस क़िस्म के एअ़्ज़ाज के अ़लावा मिना में रात गुज़ारना ज़रूरी है।

76
باب الصَّلاَةِ بِمِنًى

बाब : 76
मिना में नमाज़ें (क़स्र या इतमाम)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، حَدَّثَاهُ - وَحَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، أَتَمُّ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى

(1960) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) ने मिना में चार रकअ़तें पढ़ीं तो अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) ने कहा: मैंने नबी (ﷺ) के साथ अबूबक्र (رضي الله عنه) के साथ और उ़मर (رضي الله عنه) के साथ दो दो रकअ़तें (क़स्र) पढ़ीं हैं। (मुसद्दद ने) हफ़्स बिन ग़ियास़ से मज़ीद ये भी कहा:

أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا . زَادَ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ . قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ الْخِلاَفُ شَرٌّ .

और उ़स्मान(﵁) के साथ भी, कि वह इब्तेदाई दौरे ख़िलाफ़त में (क़स्र करते रहे) फिर आख़िर में वह पूरी पढ़ने लगे थे। (मुसद्दद ने) यहां से अबू मुआ़विया से ये इज़ाफ़ा किया कि (इब्ने मसऊद(﵁) ने कहाः) फिर तुम्हारी राहें मुख़तलिफ़ हो गयीं और मुझे दो रकअ़तें जो (अल्लाह के यहां) क़बूल हो जायें चार रकअ़तों से बेहतर मालूम होती हैं। आ़मश ने कहाः मुझे मुआ़विया बिन क़ुर्रा ने अपने बुज़ुर्गों (असातिजा) से बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (﵁) ने भी चार रकअ़तें पढ़ीं तो उनसे कहा गया कि आप उ़स्मान (﵁) पर ऐ़ब लगाते हैं फिर भी चार पढ़ते हैं? कहने लगेः इख़्तिलाफ़ करना बुरा काम है।

(1960) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1084, व मुस्लिमः 695.

फ़ायदा : इस रिवायत में हज़रत उ़स्मान (﵁) का ये अ़मल मनक़ूल है कि उन्होंने अपनी ख़िलाफ़त में (इब्तेदाई छः साल के बाद) मिना में क़स्र की बजाये पूरी चार रकअ़त पढ़नी शूरू कर दी थीं। इसकी मुख़तलिफ़ वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन अस़ल बात ये है कि उन्होंने महज़ जवाज़ की बुनियाद पर पूरी नमाज़ पढ़ी थी, इसीलिये पहले छः साल तक वह क़स्र ही करते रहे थे। और इसी जवाज़ ही की वजह से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (﵁) ने भी हज़रत उ़स्मान (﵁) की मुताबअ़त में पूरी नमाज़ पढ़ ली, और इसमें इख़्तिलाफ़ करने को पसन्द नहीं किया। हालांकि वह ख़ूद बयान कर रहे हैं कि इससे क़ब्ल (पहले) वह क़स्र करते रहे। अगर पूरी नमाज़ पढ़ने का जवाज़ न होता, तो वह यक़ीनन इससे इख़्तिलाफ़ करते और इख़्तिलाफ़ को बुरा काम न कहते, क्योंकि जिस चीज़ का जवाज़ ही न हो, उससे तो इख़्तिलाफ़ करना ज़रूरी है, इस इख़्तिलाफ़ को तो किसी सूरत में बुरा काम नहीं कहा जा सकता। ताहम मुसाफ़िर के लिये क़स्र और इतमाम दोनों बातों को जायज़ समझने के बावजूद, वह डरते थे कि हज़रत उ़स्मान (﵁) की मुताबअ़त में उन्होंने जो चार रकअ़तें पढ़ी हैं, कहीं वह इन्दल्लाह नामक़बूल न हों, इसलिये अल्लाह की तरफ़ से अगर दो रकअ़तें भी मक़बूल हो जायें तो बड़ी बात है, बेशक चारों रकअ़तें मक़बूल न हों। उनकी ये बात ख़शियते इलाही और जज़्ब–ए इत्तेबाए सुन्नत की मज़हर है जिनसे स़हाब–ए–किराम (ﷺ) मुत्तस़िफ़ थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، إِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا لأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .

(1961) इमाम ज़ोहरी (रह.) से मरवी है कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने मिना में चार रकआ़त इसलिये पढ़ी थी कि उन्होंने हज के बाद वहीं इक़ामत का अ़ज़्म (पुख़्ता इरादा) कर लिया था।

(1961) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क़तअ.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا

(1962) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) से मरवी है कि हज़रत उस्मान (ﷺ) के चार रकअ़त पढ़ने की वजह ये थी कि उन्होंने इसे वतन बना लिया था। (यहां उन्होंने शादी कर ली थी)

(1962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क़तअ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ

(1963) इमाम ज़ोहरी (रह.) से मनक़ूल है कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने जब ताइफ़ में अपनी जायदाद ले ली और यहां इक़ामत का इरादा कर लिया तो चार रकअ़तें पढ़ीं। इनके बाद दीगर अइम्म–ए (बनी उमैया) ने यही अ़मल इख़्तियार कर लिया।

(1963) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क़तअ, हदीस़: 1961 में देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ .

(1964) इमाम ज़ोहरी (रह.) से रिवायत है कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) ने मिना में बदवी लोगों की वजह से पूरी नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि वह इस साल बहुत कस़ीर तादाद में आये थे तो उन्होंने लोगों को चार रकअ़तें पढ़ाई ताकि इन बदवियों को मालूम रहे कि नमाज़ चार रकआ़त हैं।

(1964) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/144, अबी दाऊद, हदीस़: 1961.

फ़ायदा : ये चारों आस़ार ज़ईफ़ हैं। इसलिये हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के मिना में पूरी नमाज़ पढ़ने की वजह सिर्फ़ मुसाफ़िर के लिये क़स्र की बजाये पूरी नमाज़ पढ़ने का जवाज़ है। इसके अ़लावा और कोई वजह नहीं।

बाब : 77
अहले मक्का का क़स्र करना

﴿77﴾ بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، - وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَارِثَةُ مِنْ خُزَاعَةَ وَدَارُهُمْ بِمَكَّةَ .

(1965) हज़रत हारिस़ा बिन वहब अल ख़ुज़ाई(ﷺ) ... की माँ हज़रत उ़मर (ﷺ) की ज़ोजीयत में थी और उनसे उनका बेटा उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर पैदा हूआ था ... हारिस़ा ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मिना में नमाज़ पढ़ी। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो आपने हमें हज्जतुल विदाअ़ में दो रकअ़तें पढ़ाई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हारिस़ा क़बीला ख़ुज़ाआ के फ़र्द थे और उनका घर मक्का में था।

(1965) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1083, व मुस्लिम: 696.

फ़ायदा : इससे मालूम हूआ कि मिना में क़स्र करना, मनासिके हज का हिस्सा है, इसलिये दीगर मुसाफ़िरीन की तरह अहले मक्का भी मिना में नमाज़ क़स्र करके ही पढ़ेंगे। अलबत्ता फ़रीज़–ए–हज की अदायगी के बाद अहले मक्का का मिना में क़स्र करना जायज़ न होगा।

बाब : 78
जमरात को कंकरियाँ मारना

﴿78﴾ بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا

(1966) सुलैमान बिन अ़म्र बिन अल अहवस की वालिदा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को वादी के दरम्यान से

سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " .

जमरह को कंकरियाँ मारते देखा जबकि आप सवारी पर थे। आप हर कंकरी के साथ अल्लाहू अकबर कहते थे। एक शख़्स आपके पीछे से आपको छिपाये हूए था। मैंने उस शख़्स के मुताल्लिक़ पूछा तो कहा: फ़ज़ल बिन अ़ब्बास हैं। लोगों ने बहुत भीड़ कर दी तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों! एक दूसरे को क़त्ल मत करो। और जब तुम जमरे को कंकरियाँ मारो तो छोटी छोटी मारो।'

(1966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3031.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अलजमरह' के लुग़त में कई मानी हैं: 'दहकता हूआ कोयला' ऐसा क़बीला जो किसी और से मिला हूआ न हो और तीन सौ या एक हज़ार सूरमाओं की जमाअ़त को 'जमरह' कहते हैं। एक क़बीले का दूसरों के मुक़ाबले में जमा हो जाना भी 'जमरह' कहलाता है। और इसी मुनासिबत से उन जगहों को जमरह या जमरात कहते हैं जहां हाजी कंकरियाँ मारते हैं। ये मक़ाम अस़ल में छोटी कंकरियों के ढेर से थे। (छोटे छोटे टीले थे) जो मक्का की जानिब में है इसे जमरह कुबरा और जमरह अ़क़बा कहते हैं। जो मिना की तरफ़ है, इसे जमरह, सुग़रा और उनके दरम्यान वाले को जमरह वुस्ता कहा जाता है। **(2)** (हस़लख़ज़्फ़) की तौज़ीह के लिये देखिए, हदीस़: 1908, फ़ायदा: 35)

حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ .

(1967) सुलैमान बिन अ़म्र बिन अल अहवस़ की वालिदा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को जमरह अ़क़बा के पास देखा। आप सवारी पर थे। मैंने आपकी उंगलियों में कंकरियाँ देख़ीं। आपने वह मारीं तो फिर और लोगों ने भी मारीं।

(1967) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

तौज़ीह : लफ़्ज़े 'हज़र' का तर्जुमा 'कंकरियाँ' दूसरी रिवायात की बिना पर स़हीह है, नीज़ इसी रिवायत में (बैना अस़ाबिइही) 'यानी उंगलियों के बीच में, का लफ़्ज़ भी मौजूद है। वरना मारूफ़ मानों में 'पत्थर' मारना तो जायज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا

(1968) यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ने अपनी सनद से इसी के मिस्ल रिवायत किया और इज़ाफ़ा किया कि आप जमरह के पास रूके नहीं।

(1968) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(1969) नाफ़ेअ (रह.) ने हज़रत इब्ने उमर(﵁) के मुताल्लिक़ बताया कि वह क़ुर्बानी के दिन (यानी दस ज़ुलहिज) के बाद तीन दिनों में जमरात के पास पैदल ही आते जाते थे और बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे।

(1969) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/131, तिर्मिज़ी, हदीस: 900.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " .

(1970) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (﵁) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप क़ुर्बानी वाले दिन अपनी सवारी पर से कंकरियाँ मार रहे थे और फ़रमाते थे: 'मुझसे अपने अ़ामाले हज सीख लो, मैं नहीं जानता, शायद मैं अपने इस हज के बाद हज न कर सकूं।'

(1970) तख़रीज : मुस्लिम: 1299.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1971) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (﵁) बयान करते हैं , मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप क़ुर्बानी वाले दिन चाश्त के वक़्त अपनी सवारी पर से रमी कर रहे थे। मगर इसके बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद की।

يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

(1971) तख़रीज : मुस्लिम.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .

(1972) वबरह (बिन अ़ब्दुर्रहमान सुलमी) कहते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से पूछा कि मैं किस वक़्त जमरात को कंकरियाँ मारूं? उन्होंने कहा: जब तुम्हारा इमाम मारे तुम भी मार लो। मैंने अपना सवाल दोहराया तो बोले: हम सूरज ढलने का इन्तेज़ार किया करते थे। जब सूरज ढल जाता तो रमी करते थे (क़ुर्बानी वाले दिन के बाद के अय्याम में)

(1972) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1746

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا .

(1973) हज़रत आ़यशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दस तारीख़ को क़ुर्बानी वाले दिन) ज़ुहर पढ़ लेने के बाद दिन के आख़री हिस्से में तवाफ़े इफ़ाज़ा किया। फिर आप मिना लौट आये। और अय्यामे तशरीक़ की रातें यहीं ठहरे रहे। सूरज ढलने के बाद जमरात को कंकरियाँ मारते थे। हर जमरे को सात कंकरियाँ मारते और हर कंकरी के साथ अल्लाहू अकबर कहते। पहले और दूसरे जमरे के पास काफी लम्बी देर रूकते और अपनी आ़जज़ी और गिरया व जारी का इज़हार करते (दुआयें करते) फिर तीसरे जमरे को कंकरियाँ मारते मगर उसके पास नहीं रूकते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/90, इब्ने ख़ुज़ैमह, ह: 2956, 2971, इब्ने हिब्बान, ह: 1013.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दसवीं तारीख़ (यौमुन नहर) को सूरज निकलने के बाद एक जमरह अ़क़बा को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और बाक़ी दिनों में तीनों जमरात को जवाल के बाद। **(2)** पहले और दूसरे जमरे को रमी करने के बाद हाथ उठाकर लम्बी दुआ सुन्नत है, तीसरे के पास नहीं। **(3)** इस हदीस़ में (हीना सल्लज़्ज़ुहर) 'ज़ुहर पढ़ लेने के बाद' के अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं (शैख़ अल्बानी (रह.)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(1974) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि जब आप (ﷺ) जमरह कुबरा (जमरह अ़क़बा) के पास पहुँचे तो आपने बैतुल्लाह को अपने बायें जानिब और मिना को दायें जानिब किया और फिर जमरे को सात कंकरियाँ मारीं। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने कहाः और इस तरह से रमी की उस ज़ात ने जिस पर सूरह बक़रः नाज़िल की गई थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1748, व मुस्लिम.

फ़ायदा : और ये वही मन्ज़र है जिसका ज़िक्र दीगर अहादीस़ में आया है कि नबी (ﷺ) ने वादी के दामन में से कंकरियाँ मारीं। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1750)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ .

(1975) अबूल बद्दाह बिन आ़स़िम (ﷺ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऊँटों के चरवाहों को मिना में रातें गुज़ारने से रूख़्स़त दी थी (कि) ये लोग क़ुर्बानी वाले दिन रमी करें, फिर अगले दिन (ग्यारहवीं तारीख़ को) इसके बाद अगला दिन छोड़कर रवानगी वाले दिन दोनों की रमी करें।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 955, नसाई, हदीस़: 3070, इब्ने माजा, हदीस़: 3036, 3037, मौता: 1/408, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2975, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1015, हाकिम: 1/478, 3/420.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدِ، ابْنَىْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا .

(1976) अबू अलबद्दाह बिन अ़दी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने चरवाहों को रूख़्सत दी थी कि एक दिन रमी करें और एक दिन छोड़ दें।

(1976) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/151.

फ़ायदा : अबूल बद्दाह के वालिद का नाम आ़स़िम और दादा का नाम अ़दी है। इस सनद में इसको दादा की तरफ़ मन्सूब किया गया है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .

(1977) अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रमी जिमार के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा: मुझे मालूम नहीं कि नबी(ﷺ) ने छः कंकरियाँ मारी थी या सात।

(1977) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3080.

फ़ायदा : दीगर अस्हाबे किराम जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह, इब्ने उ़मर और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنهم) की स़ही अहादीस़ में बग़ैर शक के सात कंकरियों का ज़िक्र है, लिहाज़ा उसी पर अ़मल होगा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

(1978) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई (दसवीं तारीख़ को) जमरह अ़क़बा की रमी कर ले तो उसके लिये बीवीयों के सिवा हर चीज़ हलाल हो गई।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ ज़ईफ़ है। हज्जाज (बिन अरतात) ने ज़ोहरी को न देखा है और न इससे कुछ सुना है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/143, इब्नेख़ुज़ैमह, ह.:2937, अहमद1/43, बैहक़ी: 5/135.

फ़ायदा : इस हदीस़ की स़ेहत व ज़ुअफ़ में अगरचे इख़्तिलाफ़ है, ताहम दीगर अहादीस़ से मसला इसी तरह स़ाबित है कि दसवीं तारीख़ को रमी के बाद हाजी के लिये बीवी के अलावा दीगर ममनूआत हलाल हो जाती हैं। इसे इस्तेलाहन 'हिल्ले नाक़िस़ या हिल्ले अस़ग़र कहते हैं तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद बीवी से भी हमबिस्तरी हो सकती है और इसे हिल्ले क़ामिल या हिल्ले अकबर' कहते हैं।

बाब : 79
सर मुंडाने या कतरवाने का बयान

﴿79﴾
باب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

(1979) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सर मुंडाने वालों पर रहम फ़रमा।' स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और कतरवाने वालों के लिये भी (दुआ फ़रमायें) आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सर मुंडाने वलों पर रहम फ़रमा' स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल और कतरवाने वालों के लिये भी, तब आपने फ़रमाया: 'और बाल कतरवाने वालों पर भी (रहम फ़रमा)'

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ " .

(1979) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1727, मौता: 1/395, व मुस्लिम: 1301.

फ़ायदा : हज के मौक़े पर मर्दों के लिये उस्तरे से बाल मुंडवाना अफ़ज़ल है। औरतों के लिये ये हुक्म नहीं है, वह मामूली से बाल कतर लें।

(1980) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ में अपना सर मुंडावाया था।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

(1980) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4410, 4411, व मुस्लिम: 1304.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذُبِحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاَّقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ " هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ " . فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

(1981) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुर्बानी वाले दिन जमरह अक़्बा को कंकरियाँ मारीं, फिर मिना में अपनी मंज़िल पर तशरीफ़ लाये, फिर अपनी क़ुर्बानी तलब की और उसे ज़बह किया, फिर नाई को बुलवाया और उसने आपके सर के दायें जानिब को लिया और उसे मूंडा। तो आपने अपने पास वालों को एक एक दो दो बाल तक़सीम कर दिये। फिर उसने बायें जानिब को लिया और उसे मूंडा तो आपने फ़रमाया: 'अबू तलहा यहां है?' चूनांचे वह अबू तलहा (ﷺ) को दे दिये।

(1981) तख़रीज : मुस्लिम: 1305.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हजामत के मसले में भी शरई हिदायत यही है कि पहले दायें जानिब से बाल काटे जायें। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल 'मुबारक बाल थे जो सहाबा में बतौर तबर्रूक मुतदाविल रहे। इनसे शिफ़ा भी हासिल की जाती थी। और ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ़ आप (ﷺ) ही के बालों को हासिल रही है। आज कल कई मक़ामात पर 'मूए मुबारक' बयान किये जाते हैं, चाहिए कि उनकी ठोस सनद पेश की जाये। मगर वास्तविक में इसका पेश किया जाना नामुमकिन है। **(3)** 'हुसूले तबर्रूक' कोई क़यासी और मनपसन्द मसला नहीं, इसका तअल्लूक़ अक़ीदा से है। मुबारक चीज़ें, मुबारक मक़ामात और मुबारक औक़ात वही हैं जो सही हदीसों में बयान हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों को 'तबर्रूक' के मामले में मुतन्नबह और हस्सास होना चाहिए। यानी जिसको बुज़ुर्ग समझ लिया, उसकी हर चीज़ को मुतबर्रक समझना शूरू कर दिया, ये बिल्कुल ग़लत है। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से बढ़कर उम्मतियों में कौन बुज़ुर्ग हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन सहाबा ने सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ही के बालों वग़ैरह को बा'बरकत समझा, और आपके अलावा, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) तक की किसी चीज़ को मुतबर्रक नहीं समझा। और फ़हमे दीन सहाबा ही का मोतबर है न कि आजकल के शिर्क व बिदअतज़दा लोगों का। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के 'मूए मुबारक' की अहमियत का अंदाज़ा जलीलुल क़द्र मुख़ज़रम ताबेई इमाम उबैदुल्लाह बिन अम्र सुलेमानी (रह.) के

इस क़ौल से बख़ूबी लगाया जा सकता है जो इमामुल मुहद्दिसीन अमीरूल मोमिनीन फ़िल हदीस़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी स़हीह में नक़ल किया है। वह फ़रमाते हैं: (स़ही बुख़ारी: हदीस़: 170) 'रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक मूए मुबारक मेरे पास हो तो ये मुझे दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है।' अल्लाहु अकबर कबीरा। हम इन पाकीज़ा जज़्बात व एहसासात की तह तक पहुँच सकते हैं, न उनकी क़द्र व मन्ज़िलत का अन्दाज़ा ही लगा सकते हैं। ये मैयार कमाल दर्जे का मैयारे मुहब्बत है। या अल्लाह! नबी (ﷺ) के साथ हमें भी ऐसी ही कमाल दर्जे की मुहब्बत अ़ता फ़रमा। आमीन। इमाम ज़हबी (रह.) ने इस ख़ूबसूरत क़ौल पर जो उ़म्दा तअ़लीक़ लगाई है वह भी अपनी मिसाल आप है। (तफ़्सील के लिये देखिए: सियरू आलामिन्नुबला (4/42, 43)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْنَى، - قَالاَ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فِيهِ قَالَ لِلْحَالِقِ " ابْدَأْ بِشِقِّي الأَيْمَنِ فَاحْلِقْهُ"

(1982) सुफ़ियान ने हिशाम बिन हसन से अपनी सनद से ये हदीस़ बयान की। इसमें है कि आपने हज्जाम से फ़रमाया: 'मेरी दायें जानिब से शूरू करो और (पहले) उसे मूंडो।

(1982) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 912.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ " لاَ حَرَجَ " . فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ " اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ " . قَالَ إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ . قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ "

(1983) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिना के दिनों में सवालात किये जाते थे और आप फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं' एक शख़्स़ ने सवाल करते हूए कहा: मैंने क़ुर्बानी से पहले बाल मूंड लिये हैं। आपने फ़रमाया: 'क़ुर्बानी करो और कोई हर्ज नहीं।' एक ने कहा: मैंने शाम कर दी है और रमी नहीं की है। आपने फ़रमाया: 'रमी करो और कोई हर्ज नहीं।'

(1983) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1735.

फ़ायदा : यौमुन नहर (दसवीं तारीख़) के अ़ामाल अगर इस तर्तीब से हों कि पहले रमी 'जमरह' फिर क़ुर्बानी, हजामत और तवाफ़े इफ़ाज़ा हो तो बहुत ही अफ़ज़ल है, वरना आगे पीछे भी जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " .

(1984) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औ़रतों के लिये सर मुंडाना नहीं है। उनके लिये स़िर्फ़ बाल कतरना है।'

(1984) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/104.

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثِقَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " .

(1985) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औ़रतों के लिये सर मुंडाना नहीं है। उनके लिये स़िर्फ़ बाल कतरना है।'

(1985) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस़: 1911, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/261.

फ़ायदा : औ़रतों के लिये बाल कतरना भी उसी हद तक है कि शरई हुक्म पर अ़मल हो जाये, वरना मर्दों से मुशाबहत की हद तक पहुँचना हराम है। ऐसे ही सर मुंडाना भी नाजायज़ है।

﴾80﴿ بَابُ الْعُمْرَةِ

बाब : 80
उ़मरे के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

(1986) हज़रत इब्ने उ़मर (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज से पहले उ़मरह किया था।

(1986) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1774.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ .

(1987) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आयशा (ﷺ) को ज़िलहिज्जा में सिर्फ़ इसलिये उ़मरह कराया था कि उससे अहले शिर्क का अ़मल बातिल करें। बिलाशुब्हा क़बीला क़ुरैश और उनके अहले दीन कहा करते थे कि जब ऊँटों के बाल बढ़ जायें, उनके ज़ख़्म ठीक हो जायें और माहे स़फ़र शूरू हो जाये तो उ़मरह करने वाले के लिये उ़मरह करना हलाल हो गया। ये लोग उन दिनों में उ़मरह करने को हराम कहते थे यहाँ तक कि ज़ुलहिज्जा और मुहर्रम गुज़र जाये।

(1987) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/261.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَىَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلاَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَىَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقِلٍ

(1988) अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं कि मुझे मरवान के उस शख़्स़ ने ख़बर दी जिसको उसने उम्मे माकिल (ﷺ) के यहां भेजा था। उम्मे माकिल (ﷺ) ने कहा कि अबू माकिल (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के लिये निकले। जब वह आये तो उम्मे माकिल ने कहा: तुम जानते हो कि मुझ पर (भी) हज (लाज़िम) है। चूनांचे वह दोनों चलते आये यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिले। पस उम्मे माकिल(ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बिलाशुब्हा मुझ पर हज फ़र्ज़ है और अबू माकिल के पास स़िर्फ़ एक ऊँट है। अबू माकिल(ﷺ) कहने लगे: ये सच

بَكْرًا . قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي قَالَ " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً " .

कहते हैं और मैंने उस ऊँट को अल्लाह की राह में कर दिया है (जिहाद में) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम ये इसे दो, ये इस पर हज करेगी, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह है।' चूनांचे अबू माकिल (رضي الله عنه) ने ये ऊँट उसे दे दिया। तो वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं औरत ज़ात हूं, उमर ज़्यादा हो गई है और बीमार भी हूं, तो क्या कोई अमल ऐसा है जो मुझसे मेरे हज से किफ़ायत कर जाये? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ान में उमरह' हज से किफ़ायत करता है।'

(1988) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/375, नसाई, हदीस: 4227, मुसनद अहमद: 6/406.

फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) ने 'ऐ अल्लाह के रसूल! मैं औरत ज़ात हूं ... से किफ़ायत कर जाये' तक के हिस्से के बग़ैर इस रिवायत को सही क़रार दिया है। लेकिन फिर उसके बाद वाला हिस्सा 'यानी' रमज़ान में उमरह, हज से किफ़ायत करता है, ये भी ग़ैर सही होना चाहिए। क्योंकि इसका तअल्लुक़ इसी सवाल से है जिसे ज़ईफ़ क़रार दिया गया है इसके अलावा दूसरी सहीह रिवायात में ये अल्फ़ाज़ बयान हूए हैं 'रमज़ान में उमरह' हज के बराबर है' न कि हज से किफ़ायत करता है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، - أَسَدُ خُزَيْمَةَ - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ، قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(1989) हज़रत उम्मे माकिल (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ किया तो हमारे पास एक ही ऊँट था। अबू माकिल (رضي الله عنه) ने इसको जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये वक़्फ़ कर दिया था। हमें बीमारी ने आ लिया और अबू माकिल फ़ौत हो गये। और नब(ﷺ) तशरीफ़ ले गये। जब आप अपने हज से फ़ारिग़ होकर आये तो मैं हाज़िरे ख़िदमत हूई। आपने

وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ " يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا " . قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ " فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ " . فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةً .

फ़रमयाः 'ऐ उम्मे माकिल! क्या चीज़ रूकावट थी कि तू हमारे साथ हज के लिये नहीं गई?' उसने कहाः हम तो तैयार थे मगर अबू माकिल फ़ौत हो गये, हमारा एक ही ऊँट था जिस पर हमें हज करना था, तो अबू माकिल ने उसके बारे में वसीयत कर दी कि ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये वक़्फ़ है। आपने फ़रमायाः 'तू इसी पर क्यों न चल दी? बिलाशुब्हा हज 'फ़ी सबीलिल्लाह' ही हैं ख़ैर जब तुमसे हमारे साथ ये हज करना फ़ौत हो गया है तो रमज़ान में उमरह करना, बिलाशुब्हा ये हज की मानिन्द है।' चूनांचे वह कहा करती थी कि हज हज है और उमरह उमरह है। और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे ये फ़रमाया था, मालूम नहीं ये बात मेरे लिये ख़ास थी (या उम्मत के लिये आम)

(1989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 6/274, तिर्मिज़ी, हदीसः 939.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुलबारी (किताबुल उम्रा, बाब उमरतु फ़ी रमज़ान हदीसः 1782) में लिखा है कि ये दरअसल दो वाक़ियात हैं। ये उम्मे माकिल का है और इससे पहले वाला हदीस (1988) में उम्मे तलीक़ का है। जैसे कि अबू अली बिन सकन ने इसको निकाला है और इब्ने मन्दह ने 'किताबुस सहाबा' और दोलाबी ने' अलकुना में नक़ल किया है। **(2)** अल्लामा अलबानी (रह.) ने पहली हदीसः 1988 में औरत के मक़ोला (क़द कबुर्तु व सक़िम्तु ... अलख़) को ग़ैर सहीह कहा है। और दूसरी हदीस में उम्मे माकिल का मक़ोला (अल्हज्ज हज्जतुन वलउमरतु उमरतुन ... अलख़) को ज़ईफ़ कहा है। **(3)** मियाँ बीवी को दीनी दुनियावी हर मामले में एक दूसरे का मुआविन बनना चाहिए। **(4)** फ़ी सबीलिल्लाह माल वक़्फ़ करना इन्तेहाई अज़ीमत का अमल है। और हज भी 'फ़ी सबीलिल्लाह' में शुमार है। इसलिये हज़राते इब्ने अब्बास और इब्ने उमर(رضي الله عنهم), इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) सफ़रे हज में जाने वालों के लिये

ज़कात की रक़्म से मुआवनत जायज़ समझते हैं। जबकि दीगर आम उलमा फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ़ जिहाद ही लेते हैं। और अक़रब ये है कि हुज्जाज से तआवून, तब्लीग़ी कोशिशें और जिहाद सभी मवाक़ेअ फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल हैं। वल्लाहू आलम! (5) रमज़ान में उमरे का सवाब हज के बराबर होता है मगर इसके ये मानी नहीं कि फ़र्ज़ साक़ित हो जायेगा। (6) जिसे हुज़ूरे क़ल्ब और इख़्लासे नियत की बिना पर अमल का सवाब बढ़ जाता है ऐसे ही मुबारक वक़्त की मुनासिबत से अमल का सवाब बढ़ जाता है। (7) रमज़ान में उमरह करना बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल आमाल में से है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمَلِكَ . فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ . قَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ . قَالَ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ . فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(1990) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज का इरादा फ़रमाया तो एक औरत ने अपने शौहर से कहाः मुझे भी रसूलुल्लाह के साथ अपने ऊँट पर हज कराओ। उसने कहाः मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं जिस पर मैं तुम्हें हज कराऊं। औरत ने कहाः अपने फ़लां ऊँट पर? उसने जवाब दिया कि वह तो फ़ी सबीलिल्लाह (जिहाद के लिये) वक़्फ़ है। पस वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा है, और वह मुझे कहती है कि मैं उसको आपके साथ हज कराऊं। वह कहती हैः मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में हज कराओ। तो मैंने उससे कहाः मेरे पास कोई सवारी नहीं जिस पर मैं तुझे हज कराऊं। उसने कहाः अपने फ़लां ऊँट पर। तो मैंने कहाः वह तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर तुम उसे इस पर हज करा दो तो ये भी फ़ी सबीलिल्लाह ही है।' उसने कहा कि उस (औरत) ने मुझे कहा है कि मैं आपसे ये दरयाफ़्त करूं कि कौनसा अमल

" . قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقْرِئْهَا السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي " . يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ .

आपके साथ हज के बराबर हो सकता है? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उसे (मेरी तरफ़ से) अस्सलामु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना और उसे बताना कि रमज़ान में उ़मरह करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 3077, हाकिमः 1/183, 184, बैहक़ी, 6/164.

फ़ायदा : इस हदीस़ से भी वाज़ेह है कि हज करना भी 'फ़ी सबीलिल्लाह' में दाख़िल है जो ज़कात का एक मस्रफ़ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ .

(1991) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो उ़मरे किये थे एक ज़ुलक़अ़दह में और एक शव्वाल में।

(1991) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 5/455, इब्ने अलमुलक्क़िन, हदीस़: 1058,

तौज़ीह व मसाइल : (1) स़हीह और दुरूस्त बात ये है कि नबी (ﷺ) ने चार उ़मरे किये हैं। जैसे कि स़हीहैन में इसकी स़राहत मौजूद है। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1253) मगर हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) का 'दो उ़मरे' बताना शायद इसी बिना पर है कि आपने फ़ेअ़लन और बिलइस्तेक़लाल दो उ़मरे किये हैं। उ़मरह ए हुदैबिया में आपको रोक दिया गया था और आप वापस चले आये थे। और हज वाला उ़मरह ज़िमनी उ़मरह था उन्होंने उनको शुमार नहीं फ़रमाया। **(2)** शव्वाल में उ़मरह, इस मानी में है कि उ़मरह जिअ़राना का सफ़र शव्वाल में शूरू हूआ था तो उन्होंने शव्वाल का ज़िक्र किया वरना अ़मलन ज़ुलक़अ़दह में अदा किया गया था। (बज़्लुल मज्हूद)

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَرَّتَيْنِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1992) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से पूछा गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कितने उ़मरे किये? उन्होंने कहाः दो आ़यशा (رضي الله عنها) ने कहाः इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) को तो मालूम है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन उ़मरे किये थे, सिवाए उसके जिसे आपने हज्जतुल विदाअ़ के साथ मिलाकर किया था।

قَدِ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ

(1992) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/70, नसाई, कुब्रा, हदीस़: 4218, बुख़ारी, 1775, व मुस्लिम: 1255.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ .

(1993) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार उ़मरे किये थे। उ़मरह हुदैबिया (जिससे आपको वापस जाना पड़ा था) दूसरा वह जो हस्बे इत्तेफ़ाक़े मुआ़हिदा अगले साल किया। तीसरा जिअ़राना से और चौथा जो आपने अपने हज के साथ मिलाकर किया।

(1993) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 816.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَتْقَنْتُ مِنْ هَا هُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَمْ أَضْبِطْهُ - عُمْرَةً زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

(1994) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार उ़मरे किये थे और सभी ज़ुलक़अ़दह में किये, सिवाए उसके जो हज के साथ था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं यहां तक मुझे हदबा बिन ख़ालिद से ख़ूब याद है। और अबूल वलीद से भी मैंने सुना है मगर अच्छी तरह ज़ब्त नहीं। यानी उ़मरह हुदैबिया के ज़माने में, उ़मरतुल क़ज़ा ज़ुलक़अ़दह में, उ़मरह जिअ़राना जब आपने ज़ुलक़अ़दह में हुनैन की ग़नीमतें तक़सीम की थीं और हज के साथ वाला उ़मरह।

(1994) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1778, व मुस्लिम: 1253.

फ़ायदा : कुछ लोग कहते हैं कि अगर आदमी हज के महीनों में उ़मरह कर ले तो उसे हज करना लाज़मी हो जाता है। मगर इसकी कोई हक़ीक़त नहीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पहले तीनों उ़मरे ज़ुलक़अ़दह में थे जो हज का महीना है।

बाब : 81
जो ़औरत ़उमरे की नियत से एहराम बाँधे, उसको हैज़ आ जाये और फिर हज़ का वक़्त आ जाये तो क्या वह अपना ़उमरह ख़त्म करके हज का एहराम बाँध सकती है, और क्या वह अपने ़उमरे को क़ज़ा करे?

﴾81﴿
باب الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ " .

(1995) हज़रत ़अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र(﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया था: ‘ऐ ़अब्दुर्रहमान! अपनी बहन ़आयशा को अपने पीछे सवार करो और उसे तन्ईम से ़उमरह करवा लाओ तुम जब उसे लेकर टीले से नीचे उतरो तो उसे चाहिए कि एहराम बाँधे। बेशक ये ़उमरह मक़बूल होगा।’

(1995) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/198.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ‘तन्ईम’ मक्का से छः मील के फ़ास़ले पर क़रीबतरीन मक़ाम और आजकल शहर की आबादी का हिस्स़ा है। और मस्जिद ़आयशा के नाम से मअरूफ़ मन्ज़िल है। **(2)** ़अल्लामा अलबानी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में (फ़इज़ा हबत्ता) ‘जब तू उसे लेकर टीले से उतरे’ वाला आख़री हिस्स़ा स़ही नहीं है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مُزَاحِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ .

(1996) हज़रत मुहर्रिश कअ़बी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जिअ़राना में तशरीफ़ लाये, फिर मस्जिद में आये और जो अल्लाह ने चाहा नमाज़ पढ़ीं। फिर आपने एहराम बाँधा, फिर अपनी सवारी पर दुरूस्त होकर बैठ गये और दामने वादी सरिफ़ का रूख़ कर लिया यहाँ तक कि मदीना की राह पर जा मिले और मक्का में सुबह की, गोया कि आप रात ही से यहीं थे।

(1996) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ 935.

फ़ायदा : 'और मक्का में सुबह की' गोया कि आप रात ही से यहीं थे।' ये जुमला किसी रावी का वहम है। जामेअ़ तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और मुसनद अहमद में जो आया है वह स़हीतर है कि आपने रात में उ़मरह किया और रात ही को जिअ़राना वापस तशरीफ़ ले आये, गोया आपने रात यहीं गुज़ारी थी, और इस बिना पर कुछ अस्हाब पर आपका ये उ़मरह मख़्फ़ी रहा। (बज़्लूल मज्हूद) ये हदीस़ बाब से इस तरह मुताबिक़त रखती है कि क़ज़ा या नफ़्ली उ़मरह अदा करने वाला तन्ईम से एहराम बाँधे या जिअ़राना से, यही दो मक़ाम क़रीब के मीक़ात हैं।

﴿82﴾ بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

बाब : 82 उ़मरे के बाद इक़ामत का मसला

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلاَثًا .

(1997) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उ़मरह क़ज़ा में (मक्का के अन्दर) तीन दिन ठहरे थे।

(1997) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने इस्हाक़ व इब्ने अबी नजीह मुदल्लिसान वअ़नअ़ना, व लिल हदीस़ शवाहिद.

फ़ायदा : मुहाजिरीने मदीना के लिये पाबन्दी थी कि वह मक्का में तीन दिन से ज़्यादा न ठहरें। दूसरे मुसलमानों के लिये किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं, ख़्वाह रूके रहें या वापस चले जायें।

बाब : 83
तवाफ़े इफ़ाज़ा का बयान

﴿83﴾ بَابُ الإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِي رَاجِعًا .

(1998) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी वाले दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा किया, फिर लौट कर मिना में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ीं।

(1998) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/34, व मुस्लिम: 1308.

फ़वाइद व तौज़ीह : अ़रफ़ात और मुज़दलफ़ा से लौटने के बाद दसवीं तारीख़ को या उसके बाद किसी वक़्त बैतुल्लाह का तवाफ़ करना फ़र्ज़ है। क़ुर्आन मजीद का हुक्म है: 'उन्हें चाहिए कि क़दीम घर का तवाफ़ करें।' (अल हज: 29) इस तवाफ़ को तवाफ़े इफ़ाज़ा, तवाफ़े ज़्यादा और तवाफ़े रूक्न भी कहते हैं। अफ़ज़ल यही है कि दसवीं ज़िलहिज्जा को कर लिया जाये या अय्यामे तशरीक़ में किसी वक़्त।

- इस हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का से वापस लौट कर मिना में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ीं। जबकि हज़रत जाबिर और आ़यशा (رضي الله عنهم) की रिवायात में है कि आपने मक्का में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ीं, उसके बाद आप मिना में तशरीफ़ लाये। दोनों रिवायतें सनदन स़ही हैं और मुहद्दिसीन ने अपने अपने अन्दाज़ में तरजीह दी है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) और कुछ दीगर ने मिना में नमाज़ पढ़ने की रिवायत को तरजीह दी है। और इसकी कई वजूह हैं। **(1)** अगर आप मक्का में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते तो मिना में अपना कोई नायब बनाकर जाते जो उन्हें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाता और ये मनक़ूल नहीं है और नायब का नमाज़ पढ़ाना मुहाल है और किसी ने इसका ज़िक्र भी नहीं किया है। हालांकि एक सफ़र में आपने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (رضي الله عنه) को अपना नायब बनाया था। एक बार हज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (رضي الله عنه) को अपना नायब बनाया था जबकि आप बनू अ़म्र बिन औ़फ़ में उनके दरम्यान स़ुलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये थे। इसी तरह अय्यामे मर्ज़ में भी आपने उनको अपना इमाम बनाया था। और ये सवाल कि मक्का में आपने नायब नहीं

बनाया। तो इसकी क़तअन ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उन लोगों के लिये इमाम पहले से मुक़र्रर शुदा था जो उन्हें नमाज़ें पढ़ाता था। (2) अगर आप मक्का में नमाज़ पढ़ाते तो अहले मक्का पूरी नमाज़ पढ़ते क्योंकि उन पर इतमाम वाजिब था और नबी (ﷺ) ने उन लोगों को हस्बे दस्तूर ये नहीं फ़रमाया कि 'अपनी नमाज़ पूरी करो हम लोग मुसाफ़िर हैं' जैसे कि फ़तहे मक्का के मौक़े पर कहा था। (3) ये मुमकिन है कि मक्का में आपका नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना रकआते तवाफ़ से मुशतबा हो गया हो, बिलख़ुसूस कि लोग आपके साथ नमाज़ पढ रहे थे। और आपकी इक़तदा भी करते थे, देखने वाले ने इसको नमाज़े ज़ुहर समझा हो। मगर आपका मिना में नमाज़ पढ़ना किसी तौर भी मुश्तबा नहीं हो सकता, बिलख़ूसूस जबकि आप हुज्जाज के इमाम थे, आपके अ़लावा कोई और नमाज़ पढ़ाने का मजाज़ ही न था। और ये कैसे हो सकता है कि आप उन्हें इमाम के बग़ैर छोड़ जायें और वह अकेले अकेले नमाज़ पढ़ें। ये इन्तेहाई क़यास से दूर की बात है। हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) की हदीस़ से कुछ मुहद्दिसीन ने ये समझा है कि नबी (ﷺ) ने मिना में नमाज़े ज़ुहर अदा की, इसके बाद बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गये जैसे कि वह कहती हैं कि आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़कर दिन के आख़री हिस्से में तवाफ़े इफ़ाज़ा किया फिर मिना वापस आ गये। देखिए: (तहज़ीब इब्ने क़य्यिम (रह.)

(1999) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(رضي الله عنها) ने बयान किया कि क़ुर्बानी वाले दिन शाम को मेरी बारी की रात थी, जिसमें रसूलुल्लाह(ﷺ) को मेरे पास तशरीफ़ लाना था। चूनांचे आप तशरीफ़ लाये और मेरे पास वहब बिन ज़म्आ आया और उसके साथ आले अबी उमैया का एक और आदमी भी था। उन दोनों ने क़मीस़ें पहन रखी थीं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वहब से फ़रमाया: 'अबू अ़ब्दुल्लाह! क्या तुमने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है? 'उसने कहा: नहीं, क़सम अल्लाह की! ऐ अल्लाह के रसूल! आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी ये क़मीस़ उतार दो।' चूनांचे उसने अपनी

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، - يُحَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَىَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَىَّ وَدَخَلَ عَلَىَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَهْبٍ " هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ صلى الله عليه وسلم " انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ " . قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا " . يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ " فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " .

क़मीस़ उतार दी और सर की जानिब से उतारी। और उसके साथी ने भी उतार दी, और सर की जानिब से उतारी। फिर उन्होंने पूछा: और ये क्यों ऐ अल्लाह के रसूल? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हें उस दिन में रूख़्स़त है कि जब तुम जमरह को कंकरियाँ मार लो तो हलाल हो जाओ। यानी हर उस चीज़ से जो तुम पर हराम की गई है, सिवाए बीवियों के। अगर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले शाम हो जाये तो तुम फिर से मुहरिम हो जाओगे जैसे कि कंकरियाँ मारने से पहले थे यहाँ तक कि उसका तवाफ़ कर लो।'

(1999) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2958, मुसनद अहमद: 6/295.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हूआ कि अगर दसवीं तारीख़ को शाम तक हाजी तवाफ़े इफ़ाज़ा न कर सका हो तो उसे दोबारा एहराम की हालत में आ जाना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

(2000) हज़रत आ़यशा (ﷺ) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने क़ुर्बानी के रोज़ तवाफ़ को रात तक मुअख़्ख़र किया था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 920, इब्ने माजा, हदीस़: 3059, बुख़ारी, हदीस़: 1732.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(2001) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने तवाफ़े इफ़ाज़ा में रमल नहीं किया था (आहिस्ता आहिस्ता नहीं दौड़े थे जैसे कि तवाफ़े कदूम में किया था)

وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ

(2001) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3065, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2943.

﴾84﴿ باب الْوَدَاعِ

बाब : 84
तवाफ़े विदाअ़ का बयान

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ " .

(2002) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि लोग (हज के बाद) हर जानिब वापस चले जाते थे। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स हरगिज़ न जाये यहाँ तक कि उसका आख़री अ़मल बैतुल्लाह का तवाफ़ हो।'

(2002) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : ये हदीस़ तवाफ़े विदाअ़ (आख़री अलविदाई तवाफ़) के वाजिब होने की दलील है। मगर ये कि कोई ख़ातून हैज़ के अय्याम में हो। और जो ये छोड़ दे उस पर दम (एक जानवर क़ुर्बान करना) लाज़िम आता है।

﴾85﴿ باب الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

बाब : 85
हायज़ा औ़रत तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी हो तो तवाफ़े विदाअ़ किये बग़ैर जा सकती है

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(2003) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत स़फ़िया बिन्ते हुई (رضي الله عنها) का ज़िक्र किया तो बताया गया कि उसे हैज़ आ गया है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद ये हमें रोकने वाली है?'

صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ " فَلاَ إِذًا "

(घर वालों ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है। तो आपने फ़रमाया: 'तब नहीं'

(2003) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/202, हदीस: 26181, मौता: 1/413, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 3002, मुस्लिम.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِكَيْمَا أُخَالِفَ .

(2004) हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस (ﷺ) कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) के पास आया और उनसे पूछा कि जो औरत क़ुर्बानी वाले दिन तवाफ़ कर चुकी हो, फिर उसे हैज़ आ जाये तो? उमर (ﷺ) ने कहा: चाहिए कि उसका आख़री अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ हो। तब हारिस ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी मुझसे ऐसे ही फ़रमाया था। तो उमर (ﷺ) ने कहा: 'तेरे हाथ गिर जायें। मुझ से वह बात पूछता है जो पहले रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछ चुका है ताकि मैं उनकी मुख़ालिफ़त करूं'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4185, इब्ने अलमुलक्किन, हदीस: 1146, तिर्मिज़ी, हदीस: 946

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में बयानकर्दा हज़रत उमर (ﷺ) की राय, साबिक़ा हदीस के ख़िलाफ़ है (मुमकिन है कि साबिक़ा हदीस उनके इल्म में न हो) इसलिये मसला वही सहीह है जो साबिक़ा हदीस से साबित है मगर बात वाज़ेह है कि ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सरीह सहीह फ़रमान के होते हूए आदमी इधर उधर से फ़तवे माँगता फिरे। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ईमान के मनाफ़ी है। **(2)** ये हदीस हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) के कमाले इल्म व फ़ज़ल और जज़्ब–ए इत्तेबा–ए–रसूल पर दलालत करती है। **(3)** शैख़ अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं कि ये रिवायत मन्सूख़ है और पहले वाली रिवायत नासिख़ है।

बाब : 86
(रसूलुल्लाह (ﷺ) के) तवाफ़े विदाअ का बयान

﴾86﴿
باب طَوَافِ الْوَدَاعِ

(2005) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने तन्ईम से उमरे का एहराम बाँधा, फिर हरम में दाख़िल हूई और अपना उमरह पूरा किया। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वादी अब्तह में मेरा इन्तेज़ार किया यहाँ तक कि मैं फ़ारिग़ हो गयी। और आपने लोगों को कूच करने का हुक्म दिया और कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाये, उसका तवाफ़ किया फिर रवाना हो गये।
तख़रीज : (सनद सही) मुत्तफ़क़ अलैह.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ.قَالَتْ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ .

(2006) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि मैं नबी (ﷺ) के साथ मिना से आख़री दिन में निकली तो आपने वादी मुहस्सब में पड़ाव किया। (मक्का और मिना के दरम्यान मक़्बरतुल मुअल्लतात से मिना की तरफ़ जाने वाले रास्ते का नाम अब्तह और मुहस्सब है)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने बश्शार ने इस हदीस में उनको तन्ईम की तरफ़ रवाना करने का ज़िक्र नहीं किया। (हज़रत आयशा (رضي الله عنها) कहती हैं: चूनांचे मैं सहर के वक़्त (उमरे से फ़ारिग़ होकर) आपके पास पहुँची तो आपने सहाबा को कूच का हुक्म दिया और ख़ूद सवार हूए और नमाज़े फ़ज्र से पहले बैतुल्लाह में आये,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ - تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فِي النَّفْرِ الآخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ ثُمَّ

انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

तवाफ़ किया और फिर मदीना की राह की तरफ़ चल निकले।

(2006) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1560, व मुस्लिम.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى - نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ - اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا .

(2007) अ़ब्दुर्रहमान बिन तारिक़ अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब यअ़ला के घर से आगे बढ़ते तो बैतुल्लाह की तरफ़ रूख़ करते और दुआ फ़रमाते। उ़बैदुल्लाह वह जगह भूल गये थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2899.

(87) بَابُ التَّحْصِيبِ

बाब : 87
वादी मुहस्सब (अब्तह) में उतरने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ

(2008) ह़ज़रत आ़यशा (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वादी मुहस्सब में इसलिये उतरे थे ताकि आपको (मक्का से) निकलने में आसानी रहे। ये कोई मशरूअ़ सुन्नत नहीं है। जो चाहे यहां उतर जाये और जो चाहे न उतरे।

(2008) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/161, मुसनद अहमद: 6/190, बुख़ारी, व मुस्लिम.

फ़ायदा : चूंकि नबी (ﷺ) यहां उतरे थे और उसके बाद ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन भी यहां उतरते रहे हैं, इसलिये इसके मुस्तहब होने में कोई शुब्हा नहीं। ह़ज़रत आ़यशा और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہم) इसे एक आ़म मन्ज़िल समझते थे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْزِلَهُ وَلَكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ . قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِي فِي الأَبْطَحِ

(2009) हज़रत अबू राफ़ेअ (मोला नबी (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ये हुक्म नहीं दिया था कि मैं आपके पड़ाव का यहां इन्तेज़ाम करूं लेकिन मैंने (अपने तौर पर) यहां आपका ख़ैमा लगा दिया था तो आप यहां उतर पड़े थे।

जनाब मुसद्दद ने कहा कि अबू राफ़ेअ (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) के सामाने सफ़र के निगरान और मुन्तज़िम थे। उ़स्मान बिन अबी शैबा ने अपनी रिवायत में (फ़िल अब्तह) का लफ़्ज़ ज़िक्र किया है।

(2009) तख़रीज : मुस्लिम: 1313.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ " هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً " . ثُمَّ قَالَ " نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " . يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُئْوُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي .

(2010) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) कहते हैं कि हज के मौक़े पर मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप कल कहां क़याम फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: 'भला अ़क़ील ने हमारे लिये कोई मन्ज़िल रहने भी दी है?' फिर आपने कहा: 'हम ख़ैफ़े बनी कनाना में क़याम करेंगे, जहां क़ुरैशियों ने कुफ़्र पर आपस में मुआहिदा किया था।' यानी वादी मुहस्सब में। और इसकी तफ़्सील ये है कि बनी किनाना ने क़ुरैशियों के साथ बनी हाशिम के ख़िलाफ़ ये क़समें उठाई थीं कि उनसे निकाह शादी करेंगे न ख़रीद फ़रोख़्त और न उन्हें कोई जगह देंगे।

ज़ोहरी ने कहा: 'ख़ैफ़' वादी है।

(2010) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3058, मुसनद अहमद: 5/202, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 9851, व मुस्लिम: 351.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने वालिद का तरका हिजरत की बिना पर छोड़ दिया था और अबू तालिब की जायदाद तालिब और अक़ील को मिली थी। हज़रत जाफ़र और हज़रत अ़ली(رضي الله عنه) बवजह मुसलमान होने के उसके वारिस़ न हूए थे। और फिर तालिब बद्र के मौक़े पर लापता हो गया तो अ़क़ील ने तमाम घर पर क़ब्ज़ा कर लिया। **(2)** वादी मुहस्सब (अब्तह) में उतरना इज़हारे तशक्कुर के तौर पर था कि यहीं कुरैश ने नबी (ﷺ) और मुसलमानों के बायकाट का फ़ैसला किया था। आज अल्लाह ने उसके आस़ार मिटाकर नतीजा उलट दिया था। यानी अल्लाह ने इन मक़ामात को इस्लाम का मरकज़ बना दिया था और मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये थे, इसलिये यहां शुक्राने के तौर पर उतरना मुस्तहब (अच्छा) माना जाता है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلاَ ذَكَرَ الْخَيْفُ الْوَادِي .

(2011) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब मिना से रवानगी का इरादा किया तो फ़रमाया: 'हम कल (ख़ैफ़े बनी किनाना में) उतरेंगे।' और पीछे की मानिन्द ज़िक्र किया। मगर (ओज़ाई ने) रिवायत का पहला हिस्सा (उसामा का सवाल जवाब) ज़िक्र नहीं किया और न 'अलख़ैफ़' का कि ये वादी है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1590, व मुस्लिम: 1314.

حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(2012) जनाब नाफ़ेअ़ (رضي الله عنه) कहते हैं कि (मिना से वापसी पर) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) बतहा (अब्तह/मुहस्सब) में ज़रा देर सोते, फिर मक्का में दाख़िल होते। और कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे। (यानी तवाफ़े विदाअ़ किया करते थे)

(2012) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/100, बुख़ारी, हदीस़: 1768.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

(2013) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतहा में ज़ुहर, अ़स्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ें पढीं, फिर कुछ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

देर सोए, फिर मक्का में दाख़िल हूए। और इब्ने उ़मर ऐसे ही किया करते थे।

(2013) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/100.

फ़ायदा : अय्यामे तशरीक़ में रमी जमरात ज़वाल के बाद होती है। आख़री दिन नबी (ﷺ) ज़वाल होते ही मिना से रवाना हो गये, रमी की और फिर बतहा में आकर नमाज़े ज़ुहर पढ़ी।

﴾88﴿ باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

बाब : 88
जो शख़्स (दसवीं तारीख़ के) आमाले हज में तक़दीम ताख़ीर (आगे–पीछे) कर दे?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ " . وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ

(2014) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूल (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर मिना में वक़ूफ़ किया तो लोग आपसे मसाइल दरयाफ़्त करते थे। एक शख़्स आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मालूम नहीं हो सका और मैंने ज़बह करने से पहले अपने बाल मुंडवा लिये? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़बह कर लो, कोई हर्ज नहीं' एक दूसरा आया और बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मालूम नहीं हो सका और मैंने रमी करने से पहले क़ुर्बानी कर ली? आपने फ़रमाया: 'रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं ' कहते हैं कि उस

" . قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ " اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ " .

दिन आपसे जो सवाल भी हूआ जिसमें कोई तक़दीम ताख़ीर हूई थी आपने यही फ़रमाया: 'कर लो कोई हर्ज नहीं'

(2014) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 83, मौता, हदीस़: 1/421, व मुस्लिम; 1306.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا . فَكَانَ يَقُولُ " لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ" .

(2015) हज़रत उसामा बिन शरीक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ हज के लिये रवाना हूआ। लोग आपके पास आते थे, तो जिसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तवाफ़ से पहले सई कर ली है या कोई काम पहले कर लिया है या कोई मुअख़्ख़र (देर) कर दिया है। तो आप फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। मगर जो कोई ज़ुल्म करते हूए किसी मुसलमान की इज़्ज़त को काटे। (ग़ीबत करे या तअन व तशनीअ वग़ैरह) तो वह हर्ज में पड़ा और हलाक हूआ।'

(2015) **तख़रीज : (सनद स़ही)** बैहक़ी: 5/46, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2774.

89
بَاب فِي مَكَّةَ

बाब : 89
मक्के में (नमाज़ के लिये सुतरे का मसला)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَهْلِي عَنْ جَدِّهِ،

(2016) कस़ीर बिन कस़ीर के दादा (हज़रत मुत्तलिब बिन अबी विदाआ (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को (मस्जिदे हराम में) बाबे बनी सहम के पास नमाज़ पढ़ते देखा जबकि लोग आपके आगे से गुज़र रहे थे और उनके दरम्यान (नबी (ﷺ)

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ . قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ . قَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي .

और कअ़बा के बीच) सुतरह नहीं था।

सुफ़ियान ने बस़राहत कहा: (लैसा बैनहू व बैनल क़अबति सुतरतुन) सुफ़ियान कहते हैं कि इब्ने जुरैज ने उसकी सनद में यूँ बयान किया था 'अख़बरना कस़ीरून अ़न अबीहि' यानी कस़ीर ने अपने वालिद से बयान किया, फिर मैंने उनसे (बराहेरास्त) पूछा तो कहा: मैंने ये हदीस़ अपने वालिद से नहीं सुनी बल्कि घर के किसी दूसरे फ़र्द से सुनी थी और उसने मेरे दादा से रिवायत की है।

(2016) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/399, नसाई, हदीस़: 2962, इब्ने माजा, हदीस़: 2958, शरह बुख़ारी इब्ने बत्ताल: 2/129, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 838.

तौज़ीह : ये हदीस़ स़ही नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने 'अलजामेअ़ अस्सही' में (किताबुस स़लात, बाबुस सुतरह बिमक्कह, हदीस़: 501) और इसके ज़िम्न में हज़रत अबू जुहैफ़ा (ﷺ) की स़ही हदीस़ से स़ाबित किया है कि सुतरे के मसले में मक्का और ग़ैर मक्का सभी बराबर हैं। इमाम बुख़ारी (ﷺ) का इशारा है कि मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक में वारिद 'बाबुन लायक़्तउस्स़लात बिमक्का शैउन' की हदीस़ स़ही नहीं और वह यही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ज़िक्र की है। (औनुल माबूद) इसलिये मस्जिदे नबवी और मस्जिदे हराम में भी मुमकिन हद तक सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। लोगों के अ़ाम तसाहुल और तग़ाफ़ुल ने वहां इस मसले की अहमियत को ख़त्म कर दिया है, जो बिल्कुल ग़लत है।

(90)
بابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

बाब : 90
मक्के की हुरमत का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، -

(2017) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि अल्लाह तआ़ला ने जब अपने रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये मक्का फ़तह करा

Sherkhan
9825 696 131

दिया तो आप (ﷺ) उन (अहले मक्का) में खड़े हूए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने मक्का से हाथी को रोक लिया था मगर अपने रसूल और मोमिन को इस पर ग़ालिब फ़रमा दिया है। और ये शहर मेरे लिये दिन के एक हिस्से में (क़िताल के लिये) हलाल किया गया है। फिर इसके बाद क़यामत तक के लिये हराम है। इसके दरख़्त न काटे जायें, इसका शिकार न दोड़ाया जाये और न इसकी गिरी पड़ी चीज़ को उठाना है, मगर ये कि कोई उसका ऐलान करे (तो उठा ले)' हज़रत अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मगर इज़ख़र घास (की इजाजत हो) ये हमारी क़ब्रों और घरों में इस्तेमाल होती है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मगर इज़ख़र' (उसका काटना मुबाह है)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अलमुसफ़्फ़ा ने वलीद से मज़ीद बयान किया कि फिर अबू शाह (رضی اللہ عنہ) खड़े हूए ... जो अहले यमन में से थे ... और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे लिखवा दिजिए। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू शाह के लिये लिख दो।' (वलीद कहते हैं कि) मैंने इमाम औजाई (रह.) से दरयाफ़्त किया कि 'अबू शाह के लिये लिख दो।' इससे क्या मुराद है? उन्होंने कहा: यही जो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था।

(2017) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2434, मुसनद अहमद: 2/238, व मुस्लिम: 1355.

يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ " . فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الإِذْخِرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ " . قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ " . قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक्का मुकर्रमा को क़ूव्वत और ज़ोर से फ़तह किया गया था। **(2)** हरम में पनाह लेने वाला जब तक हरम में है उसे कुछ नहीं कहा जायेगा। **(3)** अहादीसे नबवीया की किताबत व तदवीन अगरचे आरज़ी तौर पर उमूमी हुक्म के तहत ममनूअ थी मगर कुछ अफ़राद को इनके लिखने की रूख़सत भी दी गई थी जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस़ (ﷺ), हज़रत अली (ﷺ) का सहीफ़ा, ज़कात की तफ़्सीलात और हज़रत अबूशाह (ﷺ) को ये ख़ुत्बा लिखवा कर इनायत फ़रमाया गया।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا " .

(2018) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से इस क़िस्से में मरवी है, फ़रमाया: (वला युख़्तला ख़लाहा) यानी इसकी घास न काटी जाये।
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1834, व मुस्लिम: 1353.

फ़ायदा : हुदूदे हरम के दरख़्त या घास का काटना मना है। जानवरों को चराने में कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ " لاَ إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ " .

(2019) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) क्या हम आपके लिये मिना में घर न बना दें। या कहा कोई इमारत न बना दें जो आपको धूप से बचाये? तो आपने फ़रमाया: 'नहीं' ये ठहरने का मक़ाम है और हर उस शख़्स़ के लिये है जो पहले आ जाये।'
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 881, इब्ने माजा, हदीस़: 2006, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2891, हाकिम: 1/466, 67.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَاذَانَ، قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ "

(2020) हज़रत यअला बिन उमैया (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हरम में ग़ल्ले का ज़ख़ीरा करना (लोगों से रोक रखना) इल्हाद (ज़ख़ीरा) है।'
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, तारीख़े कबीर, हदीस़: 7/255.

नोट : हदीस़ अगरचे ज़ईफ़ है मगर दूसरी रिवायात की रू से ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जबकि लोग मोहताज

और ज़रूरतमंद हों, कबीरा गुनाहों में से है बिलख़ुसूस़ हरम में और भी बद तर अ़मल है। (व मय्युरिद फीहि बिइल्हादिम बिज़ुल्मिन नुजिक़्हू मिन अ़ज़ाबिन अलीम)(अलहज: 25)

बाब : 91
(जायरीने हरम को) नबीज़ पिलाना

﴾91﴿ باب فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

(2021) बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक शख़्स़ ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से कहा: इस घर के ख़ादिमों को क्या हूआ है कि ये लोग नबीज़ पिलाते हैं (खजूर या किशमिश का शरबत) जबकि उनके चचाज़ाद (क़ुरैश) दूध, शहद और सत्तू पिलाते हैं? क्या ये बख़ील हैं या मोहताज? तो इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने जवाब दिया। हम बख़ील हैं न मोहताज। दरअस़ल जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी पर तशरीफ़ लाये थे और उनके पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बैठे हूए थे तो आपने पीने को कुछ तलब किया तो उन्हें नबीज़ पेश की गई थी। आपने इसमें से पी और बाक़ी उसामा (ﷺ) को दे दी, उन्होंने भी इससे पी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने बहुत ख़ूब किया, बहुत अच्छा किया, सो ऐसे ही किया करो।' चूनांचे नबी (ﷺ) ने जो फ़रमा दिया है उसको हम बदलना नहीं चाहते।

(2021) तख़रीज : मुस्लिम: 1316.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ أَبُخْلٌ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلاَ بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا " . فَنَحْنُ هَكَذَا لاَ نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

फ़ायदा : दीन व ईमान का यही तक़ाज़ा है और एक मोमिन से इसी का मुतालबा है कि फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हर किसी के क़ौल व अ़मल और राय से मुक़द्दम (ऊपर) रखा जाये, जैसा कि स़हाबा किराम (رضي الله عنهم) किया करते थे।

बाब : 92
मक्के में इक़ामत का बयान

﴿92﴾ باب الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ، بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاَثًا

(2022) हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने साइब बिन यज़ीद से पूछाः क्या आपने मक्का में इक़ामत के बारे में कुछ सुना है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अ़ला बिन हज़रमी (رضي الله عنه) ने मुझे बताया कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना था, आप फ़रमाते थेः 'मुहाजिर लोग तवाफ़े स़दर (इफ़ाज़ा) के बाद तीन दिन तक रूक सकते हैं।'

(2022) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3933, व मुस्लिमः 1352.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तकमीले हज के बाद मुहाजिरीने मदीना के लिये बिलख़ुसूस़ पाबन्दी थी कि जिस शहर को उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिये छोड़ दिया है वहां किसी तरह इक़ामत न करें ताकि हिजरत के अज्र व स़वाब में कमी न हो। **(2)** इमाम शाफ़ेई (रह.) इसी हदीस़ से क़यास फ़रमाते हैं कि मुसाफ़िर अगर कहीं तीन दिन से ज़्यादा इक़ामत की नियत कर ले तो वह वहां का मुक़ीम समझा जायेगा, इसलिये उसे नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए। (किताबुल उम्म, लिश्शाफ़ेई (रह.) गोया इस फ़रमाने नबवी से, मुद्दते सफ़र की ताईन पर भी इस्तेदलाल किया गया है, जिसकी ताईद रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़मल से भी होती है। (तफ़्सील के लिये देखिए: 'मसनून नमाज़' अज़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़)

बाब : 93
काबा के अन्दर नमाज़ का बयान

﴾93﴿
باب الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلاَلٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى .

(2023) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) 'उसामा बिन ज़ैद' उ़स्मान बिन तलहा अलहजबी और बिलाल(ﷺ) काबा के अन्दर दाख़िल हूए और बिलाल ने दरवाज़ा बन्द कर दिया। पस आप (कुछ देर) अंदर रहे। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने बिलाल (ﷺ) से उनके निकलने पर पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंदर क्या किया था? उन्होंने बताया कि आपने एक सुतून अपनी बायें जानिब किया और दो सुतून दायें जानिब और तीन सुतून अपने पीछे और फिर नमाज़ पढ़ी। और बैतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क़ायम था।

(2023) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 505, मौता: 1/398, व मुस्लिम

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ قَالَ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ

(2024) इमाम मालिक (रह.) ने ये हदीस़ रिवायत की मगर सुतूनों का ज़िक्र नहीं किया, कहाः फिर आपने नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) और क़िब्ला की दीवार के दरम्यान तीन हाथ का फ़ास़ला था।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 15/314, 315.

फ़ायदा : मालूम हूआ नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान, कम अज़ कम तीन हाथ का फ़ास़ला होना चाहिए।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ . قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى .

(2025) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) नबी (ﷺ) से नक़ल करते हैं। और क़अनबी की (ऊपर वाली) रिवायत की मानिन्द बयान किया। कहा: मैं ये पूछना भूल गया कि आपने कितनी रकअ़तें पढीं?

(2025) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1959, व हदीस़: 2023 में देखें।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(2026) अ़ब्दुर्रहमान बिन स़फ़वान कहते हैं कि मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कअ़बा में दाख़िल हूए तो क्या किया था? उन्होंने कहा: आपने दो रकअ़तें पढी थीं।

(2026) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 1898 में देखें, बुख़ारी, हदीस़: 397

फ़ायदा : जिसे कअ़बा के अन्दर जाने का मौक़ा मयस्सर आ जाये उसके लिये वहां दो रकअ़त पढ़ना मुस्तहब है। और जिसे मौक़ा न मिले वह हतीम के अन्दर पढ़ ले, वह भी कअ़बा ही का हिस्सा है। और शायद अल्लाह अ़ज़्ज़ शानुहू की यही हिकमत थी कि इब्तेदा से ये हिस्सा खुला रह गया और तामीर न हो सका। इस तरह हर मुसलमान को काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ने की सहूलत हर वक़्त मयस्सर रहती है। वलहम्दुलिल्लाह अ़ला ज़ालीक.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ

(2027) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब मक्का में तशरीफ़ लाये तो कअ़बा के अंदर जाने से इन्कार फ़रमा दिया क्यों कि उसके अंदर बुत रखे हूए थे। चूनांचे आपने हुक्म दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इनमें हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अ़लैहि. की तस्वीरें

قَالَ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ " . قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ

भी थीं जिनके हाथों में पांसे (क़िस्मत मालूम करने के तीर) दिखाये गये थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह इन पर लअनत करे, क़सम अल्लाह की! इन्हें ख़ूब इल्म था कि इन हज़रात ने कभी भी इनसे पांसे नहीं डाले थे।' चूनांचे इसके बाद आप (ﷺ) कअबा में दाख़िल हूए और उसके अतराफ़ और कोनों में तकबीरें कहीं। फिर आप निकल आये और अंदर नमाज़ नहीं पढी।

(2027) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1601.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पांसे के तीर' यूँ थे कि लकड़ियाँ सी होतीं और उनमें से कुछ पर लिखा होता था 'इफ़्अल' (काम कर लो) और कुछ पर लिखा होता था 'ला तफ़्अल' (मत करो) और कुछ ख़ाली होती थीं। लोग किसी अहम सफ़र या काम के मौक़े पर मुजाविरे कअबा के पास आते और उससे अपना काम करने या न करने के मुताल्लिक़ पूछते तो वह उन लकड़ियों को डब्बे में डाल कर हिलाता और कोई एक निकाल कर जवाब देता कि करो या न करो। अगर ख़ाली तीर निकलता तो दोबारा करता यहाँ तक कि कोई जवाब निकल आता। सूरह अलमायदा में है: 'ये भी हराम है कि पांसों से क़िस्मत मालूम करो।' दूसरी जगह फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! शराब, जूआ, बुत और पांसे ये सब नापाक शैतानी अ़मल हैं। सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ।' (अल मायदा: 90) **(2)** कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ना हज़रत बिलाल(رضي الله عنه) के बयान से स़ाबित है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه) नबी (ﷺ) के साथ नहीं थे। हज़रत उसामा (رضي الله عنه) की एक रिवायत में भी नफ़ी है। मगर हज़रत बिलाल(رضي الله عنه) के बयान में इस़बात है। और हज़रत उसामा (رضي الله عنه) की नफ़ी की तौजीह ये है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दुआ व तकबीर में देखा तो ख़ूद भी एक तरफ़ इसी अ़मल में लग गये। जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ने लगे और उन्होंने ध्यान नहीं किया। जबकि बिलाल (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) के तमाम अ़ामाल का जायज़ा लेते रहे, नीज़ कमरे में दरवाज़ा बंद होने की वजह से अंधेरा भी था तो इसलिये भी स़ूरते हाल मख़्फ़ी रही। (वल्लाहू अ़ालम)

बाब : 94
हिज्र (हतीम) में नमाज़ पढ़ने का बयान

﴾94﴿

باب الصَّلاَةِ فِي الْحِجْرِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ " صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ " .

(2028) हज़रत आयशा (﵂) बयान करती हैं कि मैं चाहती थी कि कअ़बा के अंदर दाख़िल होऊं और इसमें नमाज़ पढ़ूं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ा और हिज्र (यानी हतीम) में दाख़िल कर दिया और फ़रमाया: 'जब तुम काबा में दाख़िल होना चाहो तो हिज्र में नमाज़ पढ़ लिया करो, ये भी बैतुल्लाह ही का हिस्सा है। हक़ीक़त ये है कि तेरी क़ौम ने तामीरे काबा के वक़्त इसी क़द्र पर इक्तेफ़ा किया और इसे तामीर से ख़ारिज कर दिया था।'

(2028) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 876, नसाई, हदीस: 2915.

तौज़ीह : रसूलुल्लाह (ﷺ) की उ़मर मुबारक का पैंतीसवां साल था कि कुरैश ने बैतुल्लाह की ख़स्ता इमारत को अज़ सरे नो तामीर करने का फ़ैसला किया। और अ़हद किया कि इसमें सिर्फ़ हलाल रक़म ही सर्फ़ करेंगे। रंडी की उज्रत, सूद की दौलत और किसी का नाहक़ लिया हूआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर हलाल माल की कमी पड़ गयी तो उन्होंने उत्तर की तरफ़ से कअ़बा की लम्बाई तक़रीबन छः हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा 'हिज्र और हतीम' कहलाता है। (अर्रहीकुल मख़्तूम)

बाब : 95
कअ़बा के अंदर जाना

﴿95﴾ بابٌ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

(2029) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहां से तशरीफ़ ले गये तो बहुत मसरूर और ख़ुश थे। फिर मेरे यहां वापस लौटे तो किसी क़द्र कबीदा और रंजीदा से थे। और फ़रमायाः 'मैं काबा में दाख़िल हूआ हूं अगर मुझे अपने इस मामले का पहले इल्म होता जो बाद में मालूम हूआ है तो मैं इसके अंदर दाख़िल न होता। मुझे अंदेशा है कि मैंने अपनी उम्मत पर मशक्क़त डाली है।'

(2029) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 873, इब्ने माजा, हदीस़: 3064.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ "إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي" .

(2030) मन्सूर हजबी से मरवी है कि मुझे मेरे मामूं (मुसाफ़ेअ़ बिन शैबा) ने मेरी वालिदा सफ़िया बिन्ते शैबा से रिवायत किया, वह कहती हैं कि मैंने असलमिया से सुना, कहती थीं कि मैंने उ़स्मान (बिन तल्हा अलहजबी) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब तुम्हें बुलाया था तो क्या फ़रमाया था? उन्होंने कहाः आपने फ़रमाया थाः 'मैं तुझे ये कहना भूल गया था कि दो सिंघों को ढाँप दो, बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाज़ी को मशग़ूल करने वाली हो।'

इब्ने अस्सरह ने अपनी सनद में 'हद्दसनी ख़ाली'

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ، حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ أُمِّي، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ الأَسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَعَاكَ قَالَ " إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ

الْمُصَلِّيَ " . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِي مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ .

के बाद 'मुसाफ़ेअ़ बिन शैबा' के नाम की तसरीह की है।

(2030) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/68.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दो सिंघों ' से मुराद हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. के लिये इस्माईल अ़लैहि. के फ़िद्या में आने वाले मैंढे के सींघ हैं जो कअ़बा के अंदर महफ़ूज़ थे। **(2)** आ़म क़ायदा है कि नमाज़ी के आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसके नज़र या दिल को मशग़ूल करने वाली हो। जैसे कि सहीहैन में हदीस़ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी काली (कलरफूल) चादर के मुताल्लिक़ फ़रमाया था: 'मेरी ये ख़मीस़ा चादर अबू जहम के पास ले जाओ' उसने तो मुझे अभी नमाज़ में मशग़ूल कर दिया था, अंबिजानिया (स़ाफ़) चादर ले आओ।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 373, व स़ही मुस्लिम: 556)

﴾96﴿ بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

बाब : 96
कअ़बा के माल का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَيْبَةَ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ . قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ بَلَى لأَفْعَلَنَّ . قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ . فَقَامَ فَخَرَجَ

(2031) हज़रत शैबा बिन ड़स्मान (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत ड़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) इसी जगह बैठे हूए थे जहां तुम बैठे हो तो उन्होंने कहा: मैं यहां से नहीं निकलूंगा यहाँ तक कि कअ़बा का माल तक़सीम कर दूं। शैबा कहते हैं कि मैंने कहा: आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा: क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूंगा। मैंने कहा: बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस माल की ख़बर थी और अबूबक्र (رضي الله عنه) को भी इल्म था और वह माल के आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे मगर उन्होंने इसे नहीं निकाला। चूनांचे वह उठे और चले गये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3116, मुसनद अहमद: 3/410, बुख़ारी: 1594, 7275.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मुराद वह माल है जो कअ़बा में बतौर नज़र (मन्नत) आता और जमा रहता था। **(2)** हक़ के इज़हार व बयान में जुर्अत से काम लेना चाहिए। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क़ूव्वत रखी है और कोई भी अच्छा इन्सान इससे इंकार नहीं कर सकता। **(3)** इसके हम मानी रिवायत स़हीह बुख़ारी में है, जिससे इस रिवायत की ताईद होती है।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لِيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ " . وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ .

(2032) हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से मरवी है कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक़ामे लिय्या से वापस लौटे और सिदरह (बेरी) के पास पहुँचे तो नबी (ﷺ) क़र्ने अस्वद के पास रूक गये। यानी उस पहाड़ के पास जो इस बेरी के सामने है। फिर आपने मक़ामे नख़िब की तरफ़ नज़र उठाई या उसकी वादी की तरफ़ देखा। आप रूके यहाँ तक कि सब लोग रूक गये, तब आपने फ़रमाया: 'वादी वज का शिकार और उसके ख़ारदार दरख़्त हराम हैं और अल्लाह की ख़ातिर हराम किये गये हैं।' आप (ﷺ) का ये इरशाद आपके ताइफ़ जाने और स़क़ीफ़ का मुहास़रा करने से पहले का है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/165.

बाब : 97
मदीना मुनव्वरा आने के अहकाम व मसाइल

(97)
بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ

(2033) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पालान न कसे (यानी सफ़र न किये) जायें मगर तीन मसाजिद की तरफ़, यानी मस्जिदे हराम

تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى "

(बैतुल्लाह) मेरी ये मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और मस्जिदे अक़्सा की तरफ़'

(2033) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1189, व मुस्लिम: 1396.

तौज़ीह : मदीना मुनव्वरा इस दुनिया में तमाम मुसलमानाने आ़लम का महबूब तरीन शहर है। ये हमारे आक़ा, हमारे महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाबा (رضي الله عنهم) का दारूल हिजरत और मुस्तक़र है। तमाम अहले सुन्नत वलजमाअ़त (अहले हदीस़) इस मुबारक शहर की ज़ियारत और इसके सफ़र को अपनी आरज़ूओं की इन्तेहा और अपने अ़जीमतरीन आ़माले स़ालेहा में शुमार करते हैं। ऊपर दी गई हदीस़ की शरह में अ़ल्लामा ख़त्ताबी (रह.) के कलिमात बहुत ही जामेअ़ हैं : खुलास़ा ये है कि इस इरशादे नबवी का ताल्लूक़ 'नज़र' से है। यानी अगर इंसान ने किसी आ़म मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की नज़र मानी हो तो उसे इख़्तियार है कि चाहे तो उस नज़र करदा मस्जिद में नमाज़ पढ़े या किसी और में पढ़ ले (सभी बराबर हैं) मगर ये कि इन तीन में से किसी की नज़र मानी हो। तो इसे अपनी ये नज़र पूरी करनी वाजिब है। और इनके ख़ास़ होने की वजह ये है कि ये तीनों हमारे अंबिया अ़लैहि. की मसाजिद हैं, जिनके इक़्तेदा का हमें हुक्म दिया गया है। जबकि कुछ अहले इल्म फ़रमाते हैं कि एतक़ाफ़ स़िर्फ़ इन तीन ही मसाजिद में स़हीह है। (इन्तेहा) इस मानी की ताईद इस रिवायत के इन अल्फ़ाज़ से भी होती है: 'यानी बग़र्ज़ नमाज़ किसी मस्जिद की तरफ़ सवारी पर पालान न कसा जाये सिवाए इन मसाजिद के, मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्स़ा।' (नैलुल अवतार: 5/110)

- शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) की तौज़ीह ये है कि इस हदीस़ में मुतस़्ना मिन्हु महज़ूफ़ है यानी 'इन तीन मसाजिद के अ़लावा बग़र्ज़ तक़र्रूब कहीं का सफ़र न किया जाये।' अल्फ़ाज़े हदीस़ का ज़ाहिर सियाक़ वाज़ेह कर रहा है कि इन तीन मोहतरम व मुअ़ज़्ज़म मसाजिद के अ़लावा कहीं का सफ़र न किया जाये (यानी बग़र्ज़ इबादत व तक़र्रूब) और इसकी ताईद हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की इस रिवायत से होती है कि उन्होंने बस़्रा अलग़िफ़ारी से पूछा कि कहां से आ रहे हो? कहा: कोहे तूर से। कहा कि अगर तुम्हारे इस सफ़र से पहले मेरी तुम से मुलाक़ात हो जाती तो तुम न जाते। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था कि 'तीन मसाजिद के अ़लावा कहीं का सफ़र न किया जाये।'
- शाह वलीउल्लाह (रह.) ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में लिखा है कि अहले जाहिलीयत अपने ज़अ़म के मुताबिक़ कई मुतबर्रक मक़ामात का सफ़र किया करते थे, जिसका लाज़मी नतीजा अल्लाह के दीन में बसूरते तहरीफ़ व फ़साद निकलता था। तो नबी (ﷺ) ने इस फ़साद का मम्बअ़

ही बंद कर दिया ताकि मशरूअ़ और ग़ैर मशरूअ़, मुश्रिकाना व बिदई शआ़इर आपस में ख़लत मलत न हों और ग़ैरूल्लाह की इबादत का दरवाज़ा बंद हो जाये। और मेरे नज़दीक इस नही में कोई क़ब्र, किसी वलीउल्लाह की इबादतगाह और कोहे तूर सभी बराबर हैं। (बहवाला औनुल माबूद)

- शआ़इर और इबादत के अ़लावा जिहाद, हिजरत, तलब इल्मे, अ़ज़ीज़ व अक़ारिब और उ़लमा से मुलाक़ात और तिजारत वग़ैरह ऐसे उमूर हैं जिनके लिये सफ़र शरअ़न् मतलूब है। किसी ने भी कभी इन पर इंकार नहीं किया है। मगर बग़र्ज इबादत, एतकाफ़ और अज्रे मज़ीद की ग़र्ज़ से किसी जगह का सफ़र बफ़रमाने रसूल (ﷺ) इन तीन मसाजिद ही से ख़ास़ है।
- ज़ियारते क़बूर के लिये सफ़र का मसला इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम (रह.) ने अपनी तहरीरों में ख़ूब ख़ूब निखारा है। और निहायत क़वी और वाज़ेह बराहीन और गहरी बस़ीरत से स़ाबित किया है कि महज़ ज़ियारते क़ुबूर के लिये सफ़र कहीं का भी हो जायज़ नहीं है। नबी करीम(ﷺ) की क़ब्र की बजाये वह नियत की जानी चाहिए जो मशरूअ़ व मरग़ूब फ़ीह हो, यानी 'ज़ियारते मस्जिदे नबवी और उसमें नमाज़' सफ़र की ये नियत और ग़र्ज़ इन्तेहाई मुबारक, मशरूअ़ और मरग़ूब है। और मुतज़िम्मन है दीगर सब मशरूअ़ ज़ियारात को, यानी रसूलुल्लाह(ﷺ) की क़ब्र मुबारक, मस्जिदे क़ूबा, मक़ाबिरे बक़ीअ़ और शुहदा–ए–उहुद। और ये नज़ाअ़ और इख़्तिलाफ़ स़िर्फ़ इब्तेदाई नियत के मसले में है। मदीना मुनव्वरा पहुँच कर ऊपर वाली सभी ज़ियारात हास़िल होती हैं और सब की ज़ियारत मुस्तहब है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। लिहाज़ा उ़लमा–ए–अहले हदीस़ ... कस्सरल्लाहु सवादहुम ... इस अम्र के क़ायल व फ़ाइल हैं कि मदीना मुनव्वरा में अस़लन मस्जिदे नबवी की ज़ियारत का क़स़द किया जाये और बस। दीगर ज़ियारत बित्तबअ़ हास़िल होंगी। ये अ़मल और सफ़र प्यारे पैग़म्बर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुहब्बत का मज़हर है, बशर्तेकि अ़कीदा स़हीह और दीगर अतवारे ज़िन्दगी भी शरीअ़त के मुताबिक़ हों। इससे बेरग़बती इन्तेहाई शक़ावत, बदबख़्ती और रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुहब्बत न होने की दलील है।
- एक ज़रूरी नुक्ता ये भी है कि 'ज़ियारते मस्जिदे नबवी' का आ़माले हज से क़तअ़न कोई ताल्लूक़ नहीं है। आ़माले हज अव्वल ता आख़िर मक्का मुकर्रमा ही में मुकम्मल हो जाते हैं। सफ़रे मदीना एक अ़लग और मुस्तक़िल अ़मल है। अगर कोई शख़्स़ अपने सफ़रे हज में मदीना मुनव्वरा न जा सके तो उसके हज में कोई नुक़्स़ या ऐ़ब नहीं होता। (अल्लाहुम्मर्ज़ुक़्ना हुब्बक व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक)
- इस बाब की ऊपर दी गई स़हीह तरीन हदीस़ के मुक़ाबले में ज़ियारते क़ब्रे नबवी के सफ़र के

सिलसिले में पेश की जाने वाली रिवायात उसूले हदीस़ के मेअयार पर पूरी नहीं उतरती हैं। और दीन महज़ जज़्बात या तअस्सूब का नाम नहीं बल्कि इत्तिबाअे हक़ का नाम है। इन ज़ईफ़ रिवायात में से अहम रिवायात की तख़रीज और उनके ज़ुअफ़ की स़राहत हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/266, हदीस़: 1075) में कर दी है। जैसे: 'जिसने मेरी मौत के बाद मेरी ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की।' और 'जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिये जन्नत है।' 'जो मेरी ज़ियारत के लिये आया जबकि उसे सिवाए मेरी ज़ियारत के और कोई ग़र्ज़ न हो तो मुझ पर हक़ है कि क़यामत के रोज़ उसके लिये सिफ़ारिशी बनूं।' 'जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने बिलाशुब्हा मुझसे बेरूख़ी की।' 'जिसने स़वाब की ग़र्ज़ से मदीने में मेरी ज़ियारत की मैं उसके लिये क़यामत के दिन शफ़ीअ़ और शहीद बनूंगा।' ये सब रिवायात नाक़ाबिले हुज्ज़त हैं। तालिबाने इल्म और मुतलाशियाने हक़ पर वाजिब है कि सुन्नत और बिदअ़त में फ़र्क़ करने के लिये उ़लमा और रासिख़ीन फ़िल हदीस़ से रूजू करें। वबिल्लाहित तौफ़ीक़।

बाब : 98
हरमे मदीना का बयान

﴾98﴿
باب فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

(2034) हज़रत अ़ली (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ नहीं लिखा है सिवाए क़ुर्आन करीम के और जो इस स़हीफ़े में है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मदीना मुनव्वरा अ़ाइर (ईर) और स़ोर (दो पहाड़ों) के बीच हरम है। तो जो यहां कोई बिदअ़त निकाले या किसी बिदअ़ती को जगह दे, उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लअ़नत हो। उसका फ़र्ज़ और नफ़ल कुछ क़बूल नहीं होगा। मुसलमानों का ज़िम्मा (किसी काफ़िर

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

को दिया हूआ अ़हदे अमान, इज्तिमाई तौर पर) एक ही है। उनका अदना फ़र्द भी उसकी हिफ़ाज़त के लिये कोशिश का पाबंद है। जिसने किसी मुसलमान के दिये हूए अ़हदे अमान को तोड़ा तो उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लअ़नत है। उसका फ़र्ज़ व नफ़ल कुछ क़बूल नहीं होगा। और जो (आज़ाद शुदा गुलाम) अपने आज़ाद करने वालों की इजाज़त के बग़ैर किसी और क़ौम की तरफ़ अपने आज़ाद होने की निस्बत करे, उस पर अल्लाह और सब फ़रिश्तों की लानत है। इससे कोई फ़र्ज़ और नफ़ल क़बूल नहीं होगा।'

(2034) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1870, व मुस्लिम; 1370.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अ़ली (ﷺ) के पास कोई ख़ास़ बातिनी इल्म या वस़ीयत न थी जो दीगर लोगों से मख़्फ़ी तौर पर आपको दी गई हो। आपके पास जो कुछ था आपने उसका इज़्हार फ़रमा दिया। **(2)** मदीना मुनव्वरा बयान किये हुदूद में इसी तरह हरम और मोहतरम है जैसे कि मक्का मुकर्रमा है। और बिदअ़त हर ऐतबार से ज़लालत है और बिदअ़ती इंसान का इकराम बहुत बड़ा शरई ज़ुल्म है, मदीना मुनव्वरा में इस अ़मल की शनाअ़त अज़हद ज़्यादा है क्योंकि ये दीने इस्लाम का मम्बअ़ और मरकज़ है। **(3)** कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में मुसलमान एक हैं। उनके अदना फ़र्द की भी वही हैस़ियत है जो उनके आ़ला की है। **(4)** आज़ाद शुदा गुलाम (मौला) इजाज़त लेकर भी अपनी निस्बते वला फ़रोख़्त या तब्दील नहीं कर सकता। ये अ़मल हराम है। हदीस़ में (बिगैरि इज़्ने मवालीहि) का ज़िक्र क़ैदे 'इत्तेफ़ाक़ी' है। 'एहतराज़ी' नहीं।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ،

(2035) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने ऊपर वाले क़िस्से में नबी (ﷺ) से बयान किया कि आपने फ़रमाया: 'उसकी घास न काटी जाये, उसका शिकार न भगाया जाये, उसकी

عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ " .

गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाये मगर वह जो उसका ऐलान करे। किसी को रवा नहीं कि उससे दरख़्त काटे मगर कोई अपने ऊँट को चारा देना चाहे तो जायज़ है।'

(2035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/201, नसाई, हदीस: 2877, 2895.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ

(2036) हज़रत अ़दी बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा की हर तरफ़ से एक एक बरीद (बारह, बारह मील) को महफ़ूज़ इलाक़े क़रार दिया था कि न उसके दरख़्त काटे जायें और न पत्ते तोड़े जायें, मगर ऊँट के चारे के बक़द्र जायज़ है।

(2036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 17/111, हदीस: 272.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ

(2037) सुलैमान बिन अबी अ़ब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) को देखा कि उन्होंने हरमे मदीना में, जिसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हरम क़रार दिया है, एक आदमी को शिकार करते पकड़ लिया और उसके कपड़े छीन लिये तो उस शख़्स (गुलाम) के मालिक आये और उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसको हरम

فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ " مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " . فَلاَ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ .

क़रार दिया है और फ़रमाया है: 'जो शख़्स किसी को इसमें शिकार करता पकड़ ले, तो वह उसके कपड़े ज़ब्त कर ले।' चूनांचे वह ग़नीमत जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे इनायत फ़रमाई है वापस नहीं करूंगा। यहाँ आकर चाहो तो उसकी क़ीमत दे देता हूं।

(2037) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/170.

फ़ायदा : इस रिवायत में 'शिकार करते' के अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं। सही अल्फ़ाज़ 'काटने' के हैं, जैसा कि अगली रिवायत में है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى، لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ - يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَىْءٌ وَقَالَ " مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " .

(2038) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) के एक ग़ुलाम से मरवी है कि उन्होंने मदीना के कुछ ग़ुलामों को देखा कि वह (हरम) मदीना में दरख़्त काट रहे हैं। तो उन्होंने उनका असबाब छीन लिया और उन ग़ुलामों के मालिकों से कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि आपने मदीना के दरख़्तों से कुछ काटने से मना फ़रमाया है। और फ़रमाया है: 'जो कोई इनसे कुछ काटे तो जो उसे पकड़ ले तो उसका असबाब उसी के लिये है (उसके कपड़े, कुल्हाड़ी और रस्सी वग़ैरह)'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/199.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(2039) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रसूल (ﷺ) के महफ़ूज़ करदा इलाक़े से न पत्ते तोड़े जायें और न दरख़्त काटे जायें मगर हल्के अन्दाज़

الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُخْبَطُ وَلاَ يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا "

में पत्ते झाड़ लिये जायें।'

(2039) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/200.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(2040) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुबा तशरीफ़ ले जाया करते थे। कभी पैदल और कभी सवार होकर। इब्ने नुमैर ने मज़ीद कहा: और (मस्जिद में) दो रकअतें पढ़ा करते थे।

(2040) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1194, व मुस्लिम: 1399.

फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा की मशरूअ व मसनून ज़ियारात में से अहमतरीन ज़ियारत मस्जिदे कुबा की है बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी तो ये है कि यहां नमाज़ पढ़ने का सवाब उमरे का सा सवाब है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1411)

(99) باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

बाब : 99
ज़ियारते कुबूर के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ " .

(2041) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स भी मुझे सलाम कहता है तो अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं।'

(2041) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/527, तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 1151, बैहक़ी: 1/122.

तौज़ीह : ये हदीस़ हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ शैख़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई (रह.) के नज़दीक ज़ईफ़ है, लेकिन अक्स़र मोहद्दिसीन के नज़दीक ये हसन दर्जे की है जो मोहद्दिसीन के यहां मक़बूल है। और 'रूह लौटाने' की कई एक तावीलात की गई हैं। मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का मामला है। इसे दुनिया की ज़िन्दगी पर क़यास करना बिल्कुल ग़लत हैं इसके अ़लावा ये मुतशाबिहात में से है, हम कोई इतमिनान बख़्श तफ़्सील व तौजीह करने से क़ास़िर हैं। वल्लाहू अ़ालमु बिहक़ीक़तिल हाल (व फौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अ़लीम) (सूरह यूसुफ़: 76)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ " .

(2042) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने घरों को क़ब्रिस्तान मत बनाओ। और न मेरी क़ब्र को ईद (मेलागाह) बनाओ और मुझ पर दरूद पढ़ो। तुम जहां कहीं भी होगे तुम्हारा दरूद मुझको पहुँच जायेगा।'

(2042) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'घरों को क़ब्रिस्तान बनाना' यूँ है कि वहां नमाज़, तिलावत और अज़कार के अ़ामाल तर्क कर दिये जायें जैसे कि क़ब्रिस्तान में नहीं किये जाते। इसमें मर्दों को बिलख़ुसूस़ ताकीद है कि अपनी नमाज़ों का एक हिस्स़ा यानी सुनन और नवाफ़िल घरों में पढ़ा करें जो कि नुज़ूले बरकात का बाइस़ हैं और घर वालों के लिये अ़ामाले ख़ैर की तर्ग़ीब व तर्बीयत भी। इसका दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि अपनी मय्यतों को अपने घरों में मत दफ़न किया करो बल्कि क़ब्रिस्तानों में दफ़नाओ। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र मुबारक के पास मजमअ़ लगाना, भीड़ करना, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना या बार बार आना इसे 'मेलागाह' बनाना है। जो कि ममनूअ़ और इन्तेहाई ख़िलाफ़े अदब है। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) की क़ब्र मुबारक का अदब ये है तो दीगर स़ालेहीन की क़ब्रों पर इज्तेमाअ़ और उ़र्स बतरीक़े औला ममनूअ़ और हराम हैं। **(3)** नबी (ﷺ) पर स़लात व सलाम पढ़ने के लिये सफ़र की मशक्क़त उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्सान जहां कहीं हो उसका दरूद आप (ﷺ) को पहुँचा दिया जाता है।

(2043) रबीअ़ा बिन हुदैर कहते हैं कि मैंने हज़रत तलहा बिन उ़बैदुल्लाह (ﷺ) को कभी हदीस़े रसूलुल्लाह (ﷺ) बयान करते नहीं सुना। मगर एक हदीस़। शागिर्द ने कहा: मैंने पूछा वह कौनसी? (तलहा ने) कहा: हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ निकले, हम शोहदा की क़ब्रों का क़स़द किये हूए थे यहाँ तक कि हम हर्र–ए–वाक़िम पर चढ़ गये। जब इससे नीचे उतरे तो वहां एक जानिब में क़ब्रें थीं। हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे भाईयों की क़ब्रें यही हैं? आपने फ़रमाया: 'ये हमारे अस्ह़ाब की क़ब्रें हैं' फिर जब हम शोहदा की क़ब्रों पर पहुँच गये तो फ़रमाया: 'ये हमारे भाईयों की क़ब्रें हैं।'

(2043) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/161.

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِينِيُّ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ، - يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ - قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ . قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ قَالَ " قُبُورُ أَصْحَابِنَا " . فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ " هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا " .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) मौक़े मौक़े से शोहदा की क़ब्रों पर जाया करते थे और उनके लिये दुआयें फ़रमाते थे। आपने शोहदा को 'अपने भाई' होने के लक़ब से मुशर्रफ़ फ़रमाया और दूसरों को 'अपने अस्ह़ाब' कहा।

(2044) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुल हुलैफ़ा के क़रीब बतहा (खुले मैदान) में अपनी ऊँटनी बिठाई और वहां नमाज़ पढ़ी चूनांचे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) इस पर अ़मल किया करते थे। (दर्ज ज़ेल अस़र में इसकी वज़ाहत है)

(2044) तख़रीज : बुख़ारी, 14 बाब, हदीस़: 1532, मौता, 1/405, व मुस्लिम: 1257.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ قَالَ الْمُعَرَّسُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ .

(2045) (1) इमाम मालिक (रह.) ने बयान कियाः मदीना वापस लौटने वाले को लायक़ नहीं कि मक़ामे मुअ़र्रस (बतहा मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ा) से वैसे ही गुज़र जाये। बल्कि चाहिए कि जिस क़द्र दिल चाहे नमाज़ पढ़े क्योंकि मुझे ये ख़बर पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के आख़री हिस्से में यहां उतरे थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन इस्हाक़ मदनी से सुना था कि 'मुअ़र्रस' मदीना से छः मील के फ़ासले पर है।

(2045) (1) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता: 1/405.

फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा से मक्का को जाते हूए इस मक़ाम पर उतरना, नमाज़ पढ़ना और एहराम बाँधना आमाले हज के हिस्से और मुताल्लिक़ात में से है मगर वापसी पर यहां उतरना मुस्तहब है।

(2045) (2) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (मक्का से मदीना वापस) आते तो मक़ामे मुअ़र्रस में रात गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह को रवाना होते।

(2045) (2) तख़रीज : (सनद हसन)

كتاب النكاح

निकाह की अहमियत व फ़ज़ीलत

- निकाह महज़ एक जिन्सी ख़्वाहिश के पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि तकमीले फ़र्द का एक फ़ितरी शरई और लाज़मी हिस्सा है। जिस शख़्स में रग़बत न हो वह नाक़िस और ऐबदार होता है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) बशरी सिफ़ात का कामिलतरीन नमूना थे और इसी मफ़हूम में आपका ये फ़रमान है कि 'दुनिया में से मुझे औरतें और ख़ूशबू महबूब हैं, और मेरी आँख की ठण्डक नमाज़ में है।' (सुनन नसाई, अशरतुन निसाअ, हदीस: 3391) क़ुर्आन हकीम का साफ़ हुक्म है कि 'अपने बे निकाह लोगों के निकाह कर दो और अपने सालेह ग़ुलामों और लौण्डीयों के भी।' (अन्नूर: 32) फ़हाशी और मुन्करात का दर बंद करने के लिये इसके अलावा और कोई तरीक़ा है ही नहीं। इसके अलावा अफ़रादे उम्मत की तादाद बढ़ाने के लिये इसकी रग़बत दी गई है कि 'जो औरतें तुम्हें पसन्द हों दो दो या तीन तीन या चार चार (तो उन) से निकाह कर लो और अगर अंदेशा हो कि अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही काफ़ी है।' (अन्निसा: 3)
- निकाह इन्सान में शर्म व हया पैदा करता है और आदमी को बदकारी से बचाता है। हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया: 'ऐ नौजवानों की जमाअत! तुममें जो इस्तेताअत रखे वह शादी करे इसलिये कि शादी से आँखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह (बदकारी से) महफ़ूज़ हो जाती है और जो शख़्स ख़र्च की ताक़त न रखे, तो वह रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा ख़्वाहिशे नफ़्स को ख़त्म कर देगा।' (सहीह मुस्लिम, अन्निकाह, हदीस: 1400) इसी तरह निकाह जिन्सी आलूदगी, जिन्सी हीजान और शैतानी ख़्यालात व अफ़आल से महफ़ूज़ रखता है। निकाह बाहमी मुहब्बत और मवद्दत का मुअस्सिर ज़रिया है, निकाह इन्सान के लिये बाइसे राहत व सुकून है। निकाह की फ़ज़ीलत ही की बाबत नबी–ए–करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि बाक़ी आधे दीन के मामले में अल्लाह से डरता रहे।' (तबरानी 1/162, व शोबुल ईमान: 4/382, 383) जैसा कि हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी ए करीम (ﷺ) के चंद सहाबा ने अज़वाजे मुतहहरात से नबी ए अकरम (ﷺ) की ख़ुफ़िया इबादत का हाल दरयाफ़्त किया, तो पूछने के बाद उनमें से एक ने कहा: मैं औरतों से निकाह नहीं करूंगा। किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी

ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। नबी ए करीम (ﷺ) को मालूम हूआ तो फ़रमायाः 'इन लोगों को क्या हूआ जिन्होंने ऐसी और ऐसी बातें कहीं जब कि मैं रात को नवाफ़िल पढ़ता हूं और सोता भी हूं, नफ़ली रोज़ा रखता हूं, तर्क भी करता हूं और औरतों से निकाह भी करता हूं। पस जो शख़्स मेरे तरीक़े से मुँह मोड़ेगा वह मुझसे नहीं।' (सही मुस्लिम, निकाह, हदीसः 1401)

﴾1﴿ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

बाब : 1
निकाह की तरग़ीब का बयान

(2046) जनाब अलक़मा का बयान है कि मैं मिना में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) के साथ जा रहा था कि उन्हें हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) मिले पस उ़स्मान ने उनको अकेले में बुलाया (और उनको निकाह करने की तरग़ीब दी) लेकिन अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) ने बताया कि उन्हें निकाह की हाजत नहीं है। तब अ़ब्दुल्लाह ने मुझसे कहाः अ़लक़मा! इधर आओ। मैं हाज़िर हो गया (क्योंकि अब तख़्लीये की ज़रूरत न रही थी) तो उ़स्मान (رضي الله عنه) ने उनसे कहाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! (अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) क्या हम तुम्हारी एक कुंवारी लड़की से शादी न करा दें? (इस तरह) शायद तुम्हारी (जवानी की ताक़त) फिर लौट आये। तो अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) कहने लगेः आप ये कहते हैं हालांकि मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना हैः 'जो तुममें से ताक़त रखता हो उसे चाहिए

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

कि शादी कर ले। बिलाशुब्हा इससे नज़र नीची और शर्मगाह महफ़ूज़ हो जाती है। (दामने इफ़्फ़त पर दाग़ नहीं आता) और जो ताक़त न रखता हो तो वह रोज़े रखे, ये उसके (शहवानी) जज़्बात को कमज़ोर कर देंगे।'

(2046) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1905, व मुस्लिमः 1400.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की पहली बीवी फ़ौत हो गयी थी और अब वह बीवी के बग़ैर ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, हज़रत उ़स्मान के इल्म में ये बात थी, इसलिये उन्होंने मुलाक़ात पर पहले उन्हें ख़ल्वत में दोबारा निकाह की तरग़ीब दी, वह आमादा न हूए तो फिर उनके साथी के सामने दोबारा ये कोशिश की। बहरहाल इस हदीस़ से कई फ़वाइद मालूम हूए। जैसे: जिस शख़्स़ के पास अपना घर आबाद करने के लिये नान व नफ़्क़ा और सुक्ना के लाज़मी मस़ारिफ़ मौजूद हों उसके लिये शादीशुदा (विवाहित) ज़िन्दगी गुज़ारना मुस्तहब है। बिलख़ुसुस़ जवानों को तो इसकी बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी गई है। **(2)** नज़र और शर्मगाह की पाकीज़गी को इन्सान की दीनी और मुआशरती ज़िन्दगी में बुनियादी अहमियत हासि़ल है। इनकी हिफ़ाज़त मुआशरे में अमन व अमान, भाईचारे, उ़मूमी राहत, ख़ैर व बरकत और अल्लाह के फ़ज़ल व इनामात की ज़ामिन है। और इनका फ़साद मुआशरती बिगाड़, फ़ित्ने, अ़दावत और दिलों की बेसकूनी का बाइस़ है और नतीजतन अल्लाह की नाराज़ी हिस्से में आती है। **(3)** माली ऐतबार से कमज़ोर शख़्स़ जो शादी न कर सकता हो उसे बिलमुक़ाबिल दीगर एलाजों के रोजे रखने चाहिए। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ऐसे शख़्स़ को क़र्ज़ लेकर भी ये बोझ उठाने की तरग़ीब देते हैं।

(2) باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

बाब : 2
दीनदार ख़ातून से शादी करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ

(2047) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरतों से चार बातों की बिना पर निकाह किया जाता है। उसके माल, हसब व नसब, हुस्न व

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

जमाल और उसके दीन की बिना पर, पस तू दीनदार को इख़्तियार कर, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।'

(2047) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5090, व मुस्लिम: 1466.

फ़ायदा : जुमला 'तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों' बद दुआ के लिये नहीं बल्कि अ़रबी मुहावरे के तहत दुआ और तरग़ीब के मफ़हूम का हामिल है। किसी ख़ातून से तअ़ल्लूक़े अज़्दवाज में इसी आख़री नुक्ते को अहमियत होनी चाहिए दीगर उमूर ज़िम्नी और इज़ाफ़ी हैं, अगर हास़िल हों तो बेहतर और ये अ़ज़ीम नेमत हैं वरना इतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं कि इनकी वजह से अस़ल चीज़ ... दीन दारी ... को नज़र अंदाज़ कर दिया जाये।

(3) بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

बाब : 3
कुंवारी लड़की से शादी करने की तरग़ीब

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . فَقُلْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " أَفَلاَ بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " .

(2048) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा: 'क्या तूने शादी कर ली है?' मैंने अ़र्ज़ किया: हाँ! आपने फ़रमाया: 'कुंवारी से या बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। फ़रमाने लगे: 'कुंवारी से क्यों नहीं की? तुम उससे खेलते वह तुमसे खेलती।'

(2048) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/314, व मुस्लिम: 715.

फ़ायदा : कुंवारी लड़की से शादी ज़्यादा मरग़ूब है। और कुंवारे मियां बीवी में हंसी खेल फ़ितरतन और बिलउ़मूम बहुत ज़्यादा होता है बख़िलाफ़ बेवा के। ये अ़मल नफ़्सीयाती स़ेहत के लिये बहुत उ़म्दा होता है। नीज़ इससे ये भी मालूम हूआ कि मियां बीवी में खेल कूद जायज़ और हक़ है। ताहम कुछ और वजूहात से बेवा से शादी करना भी बाइस़े फ़ज़ीलत है जैसा कि ख़ूद नबी (ﷺ) का अ़मल इस पर शाहिद है।

बाब : 4
किसी 'बाँझ' ख़ातून से शादी करना मना है (वह औरत जिसमें बच्चे जनने की स़लाहियत न हो)

﴾4﴿
باب النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ، مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हुसैन बिन हुरैस़ मर्वज़ी ने मुझे लिख भेजा कि :

(2049) हमें फ़ज़ल बिन मूसा ने हुसैन बिन वाक़िद से, उन्होंने ऊमारा बिन अबी हफ़्स़ा से, उन्होंने इकरमा से, उन्होंने, हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) से रिवायत की है कि एक शख़्स़ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा: मेरी बीवी किसी छूने वाले का हाथ रद्द नहीं करती। आपने फ़रमाया: 'उसे दूर कर दो (तलाक़ दे दो)' उसने कहा: मुझे अंदेशा है कि मेरा दिल उसके साथ लगा रहेगा। आपने फ़रमाया: 'तब उससे फ़ायदा उठाओ।'

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ " غَرِّبْهَا " . قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ " فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " .

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3494.

तौज़ीह : ये हदीस़ स़ही है। और ये जुमला (ला तम्नउ यदा लामिसिन) का मफ़हूम ये है कि एक मुसलमान, बावक़ार और बाग़ैरत ख़ातून होने के नाते उसके अंदर ग़ैरों से कोई नफ़रत व वहशत नहीं है (मगर फ़ेअलन उससे कोई बदकारी स़ादिर नहीं हूई) तो नबी (ﷺ) ने अव्वलन उसे तलाक़ देने का फ़रमाया। मगर शौहर ने अपनी कैफ़ियत बताई तो रूख़्स़त दे दी। जैसे कि दीन से दूर मुआशरों में ऐसी कैफ़ियत पाई जाती हैं। मगर ये मानी करना कि वह फ़ेअलन बदकार थी, फिर नबी (ﷺ) ने उसको घर में रखने की इजाज़त दे दी, एक नाक़ाबिले तस़व्वूर मानी है क्योंकि ज़ानिया से निकाह हराम है। और ऐसा इन्सान, जो अपने अहल में फ़ोहशकारी पर ख़ामोश हो, दय्यूस़ होता है। इसीलिये कुछ मोहद्दिस़ीन

ने इसका वही मफ़हूम बयान किया है जो हमने शूरू में बयान किया है। बहरहाल बुरी आ़दात की बिना पर औ़रत को तलाक़ दी जा सकती है। ये हदीस़ इस बाब से मुताबिक़त नहीं रखती, अगली हदीस़ इस बाब के मुताबिक़ है। इस हदीस़ पर बाब, सहवन रह गया है या किसी नासिख़ (नक़ल करने वाले) से कोई गलती हो गई है। वल्लाहू आ़लम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنُ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لاَ " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ " .

(2050) (1) हज़रत माक़िल बिन यसार (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक शख़्स़ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मुझे एक औ़रत मिली है जो उ़म्दा हसब और हुस्न व जमाल वाली है मगर उसके औलाद नहीं होती। तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' फिर वह दोबारा आया, तो आपने मना फ़रमा दिया। फिर वह तीसरी बार आया तो आपने फ़रमाया: 'ऐसी औ़रतों से शादी करो जो बहुत मुहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हों। बिलाशुब्हा मैं तुम्हारी कस़रत से दीगर उम्मतों पर फ़ख़्र करने वाला हूं।'

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस औ़रत के मुताल्लिक़ मालूम हो जाये कि वह विलादत की स़लाहियत से महरूम है उससे निकाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि निकाह से अस़ल मक़स़ूद औलाद का हुस़ूल होता है और होना चाहिए, तो जो औ़रत इस वस़्फ़ ही से महरूम हो, तो उससे निकाह करने का क्या फ़ायदा? ताहम उसका मतलब ये भी नहीं कि बाँझ औ़रत से पुरी तरह से ही निकाह करना ममनूअ़ है। बल्कि कुछ दफ़ा निकाह के कुछ और मक़ास़िद भी होते हैं, तो वहां उनसे निकाह करना जायज़ होगा, बल्कि कुछ दफ़ा पसन्दीदा भी हो सकता है। **(2)** बेवा औ़रत के मुताल्लिक़ तो मालूम हो जाता है कि वह अ़क़ीम है, मगर कुंवारी में हैज़ न आना एक इम्कानी सबब हो सकता है, यक़ीनी नहीं। **(3)** 'बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली' ये स़िफ़ात ख़ानदानी पहचान से जानी जा सकती हैं। वैसे कुंवारी लड़कियों में ये ओस़ाफ़ बिलउ़मूम फ़ितरतन पाये जाते हैं।

(2050) (2) (इमाम अबू दाऊद (रह.) गुज़िश्ता हदीस़ के एक रावी मुस्तलिम बिन सईद का तारूफ़ बयान करते हूए कहते हैं कि) हसन बिन अ़ली ने बयान किया कि मैंने यज़ीद बिन हारून को सुना वह कह रहे थे: मैंने मुस्तलिम को देखा, वह दायें बायें फिरते रहते थे। हसन बिन अ़ली ने कहा: उन्होंने चालीस साल ज़मीन पर अपना पहलू नहीं रखा (नहीं सोए)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुस्तलिम बिन सईद, मन्सूर बिन ज़ाज़ान के भाँजे या भतीजे हैं। वह सत्तर दिन ठहरे लेकिन पानी नहीं पिया।

(2050) (1) व (2) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3229, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1229, 1230, हाकिम: 2/62 (अलमुअ़जम: 1/203, 204, हदीस़: 319)

फ़ायदा : चालीस साल तक न सोना, इसी तरह सत्तर दिन तक पानी न पीना। ये दोनों बातें सनदन स़ही नहीं हैं। कुछ बुज़ुर्गों की तरफ़ मन्सूब इस क़िस्म के अक़वाल नाक़ाबिले ऐतबार हैं।

बाब : 5
आयते करीमा (अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन) की तफ़्सीर 'यानी बदकार मर्द किसी बदकार औ़रत ही से निकाह करता है'

﴿5﴾ باب
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
{الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً}

(2051) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र) से रिवायत करते हैं कि जनाब मर्सद बिन अबी मर्सद ग़नवी (ﷺ) मक्का से (मुसलमान) क़ैदियों को उठाकर लाया करते थे। और मक्का में एक बदकार औ़रत थी जिसका नाम अ़नाक़ था और वह (इस्लाम से पहले) इसकी आशना थी। वह

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا

عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ " لاَ تَنْكِحْهَا "

बयान करते हैं कि मैं नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अ़नाक़ से शादी कर लूं? आप (ﷺ) ने मुझे इसका जवाब न दिया। तब ये आयते करीमा नाज़िल हूई (वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुशिरक) 'यानी बदकार औ़रत से कोई बदकार मर्द या मुशिरक ही निकाह करता है।' आप (ﷺ) ने मुझे बुलवाया, मुझ पर ये आयत पढ़ी और फ़रमाया: 'उससे निकाह मत करो।'

(2051) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3230, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3177, हाकिम: 2/166.

फ़ायदा : मुकम्मल आयते करीमा यूँ है: 'बदकार मर्द किसी बदकार औ़रत ही से निकाह करता है या किसी मुशिरका से। और बदकार औ़रत से कोई बदकार मर्द ही निकाह करता है या कोई मुशिरक। और ये मोमिन पर हराम किया गया है।' (अन्नूर: 3/24) इस आयते करीमा की तफ़्सीर में राजेह यही है कि किसी अ़फ़ीफ़ मर्द को बदकार औ़रत से और अ़फ़ीफ़ा औ़रत को बदकार मर्द से निकाह करना हराम है। जैसे कि इस सूरत अन्नूर में है: 'पाकीज़ा औ़रतें पाकीज़ा मर्दों के लिये हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औ़रतों के लिये।' (अन्नूर: 26) और ये हदीस़ भी इसी मफ़हूम की ताईद करती है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ " . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

(2052) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई ज़ानी, जिसे ज़िना की हद लगी हो, किसी अपने जैसी औ़रत ही से निकाह करता है।'

अबू मअ़मर ने अपनी सनद में यूँ कहा: हद्दसना हबीब अल मुअ़ल्लिम अ़न अ़म्र बिन शुऐब.

(2052) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/324, हाकिम: 2/166.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसद्दद और अबू मअ़मर की सनद में फ़र्क़ ये है कि अबू मअ़मर की रिवायत में उस्ताद अ़ब्दुल वारिस़ ने हबीब अल मुअ़ल्लिम से तहदीस़ की तस़रीह की है और हबीब ने

अ़म्र बिन शुऐब से 'अ़न' के साथ रिवायत की जबकि मुसद्दद की रिवायत इसके बरअक्स है। (2) इस हदीस़ में भी पिछली अम्र की तौज़ीह व ताईद है कि जो बदनाम हो जाये उसे किसी अपने जैसे ही से निकाह करना चाहिए।

बाब : 6
अपनी ही लौण्डी को आज़ाद करके उससे निकाह कर लेने का अज्र

﴿6﴾
بَاب فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ " .

(2053) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी लौण्डी को आज़ाद करके ख़ूद ही उससे निकाह कर ले, तो ऐसे शख़्स के लिए दोहरा अज्र है।'

(2053) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2544, व मुस्लिम: 154.

फ़ायदा : इस्लाम ने इन्सानी हुक़ूक़ की पासदारी और हिफ़ाज़त के लिये जो तालीमात पेश फ़रमाई हैं दुनिया का कोई मज़हब इसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकता। इसलिये इस्लाम ने गुलामों के साथ भी हुस्ने सुलूक की ताकीद की और ऐसे तरीक़े भी बतलाये जिससे गुलामी का ख़ातमा या कम अज़ कम उसकी इस्लाह हो सके। इस हदीस़ में भी गुलामी की रस्म की हौसला शिकनी के लिये एक निहायत मुफ़ीद अ़मल बतलाया गया है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

(2054) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने स़फ़िया (ﷺ) को आज़ाद फ़रमाया (और फिर अपने हरम में दाख़िल करने का शर्फ़ बख़्शा) और उनके आज़ाद करने ही को उनका हक़्क़े मेहर ठहराया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 947, व मुस्लिम: 1365

फ़ायदा : हज़रत सफ़िया (رضي الله عنها), ख़ैबर के यहूदी सरदार हूई बिन अख़्तब की साहिबज़ादी थी, और फ़तहे ख़ैबर के मौक़े पर मुसलमानों के हाथ क़ैद हो गई थी। जब ये क़ैदी औरतें जमा की गयीं तो हज़रत दहिया बिन ख़लीफ़ा कल्बी (رضي الله عنه) ने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आकर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे क़ैदी औरतों में से एक लौण्डी दे दीजिए। आपने फ़रमाया: जाओ एक लौण्डी ले लो। उन्होंने जाकर हज़रत सफ़िया को मुन्तख़ब कर लिया। इस पर एक आदमी ने आपके पास आकर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! आपने बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर की सय्यदा सफ़िया को दहिया के हवाले कर दिया, हालांकि वह सिर्फ़ आपके शायाने शान है। आपने फ़रमाया: दहिया को सफ़िया समेत बुलाओ। हज़रत दहिया उनको साथ लिये हूए हाज़िर हूए। आपने उन्हें देखकर हज़रत दहिया से फ़रमाया: क़ैदियों में से कोई दूसरी लौण्डी ले लो। फिर आपने हज़रत सफ़िया पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया, उसके बाद आपने उन्हें आज़ाद करके उनसे शादी कर ली और उनकी आज़ादी ही को उनका मेहर क़रार दिया। मदीना वापसी में सद्देसहबा पहुँच कर वह हैज़ से पाक हो गयीं। इसके बाद हज़रत उम्मे सुलैम ने उन्हें आपके लिये आरास्ता किया और रात को आपके पास भेज दिया। आपने दूल्हे की हैसियत से उनके हमराह सुबह की और खजूर, घी और सत्तू मिलाकर वलीमा खिलाया और रास्ते में तीन रोज़ शबहा ए उरूसी के तौर पर उनके पास क़याम फ़रमाया। इस मौक़े पर आपने उनके चेहरे पर हरा निशान देखा। दरयाफ़्त फ़रमाया: ये क्या है। कहने लगीं : या रसूलुल्लाह! आपके ख़ैबर आने से पहले मैंने ख़्वाब देखा था कि चाँद अपनी जगह से टूट कर मेरी आग़ोश में आ गिरा है, बख़ुदा मुझे आपके मामले का कोई तसूव्वर भी न था, लेकिन मैंने ये ख़्वाब अपने शौहर से बयान किया तो उसने मेरे चेहरे पर थपड़ रसीद करते हूए कहा 'ये बादशाह जो मदीना में है तुम उसकी आरज़ू कर रही हो।' (अर्रहीकुल मख़्तूम)

बाब : 7
रज़ाअत की बिना पर क़ायम होने वाले वह सब रिश्ते हराम हैं जो नसब की बिना पर हराम हैं

(7)
باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

(2055) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की बिना पर वह तमाम

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .

रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत के ताल्लूक़ से हराम हैं।'

(2055) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1147, मौता: 2/607.

तौज़ीह : निकाह में मुहर्रमात की दो क़िस्में हैं: अब्दी मुहर्रमात और वक़्ती मुहर्रमात। अब्दी मुहर्रमात बसबब नसब के सात हैं: **(1)** मायें (ऊपर तक) **(2)** बेटियाँ (नीचे तक) **(3)** हक़ीक़ी बहनें (माँ बाप दोनों की तरफ़ से या सिर्फ़ बाप की तरफ़ से या माँ की तरफ़ से) **(4)** भाँजियाँ **(5)** भतीजियाँ **(6)** फूफियाँ **(7)** ख़ालाएँ। बदलील (हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम ....) (अन्निसा: 23) और उनके जैसे वह रिश्ते जो रज़ाअत (दूध पिलाने से) से क़ायम होते हैं, सब हराम हैं। जैसे कि इस बाब की हदीस़ में आया है। ताल्लूके मुस़ाहरत (ससुराली और अज़्दवाजी ताल्लूक़) की बिना पर हराम होने वाली ख़्वातीन ये है: **(1)** बीवियों की मायें (सासें ऊपर तक) **(2)** बीवियों की बेटियाँ बशर्ते कि बीवी से दुख़ूल हूआ हो। **(3)** बाप दादा की बीवियाँ **(4)** बेटों की बीवियाँ (नीचे तक) और यही रिश्ते अगर रज़ाअत से क़ायम हों तो हराम हैं। एक महदूद वक़्त तक के लिये हराम रिश्ते ये हैं: बीवी की बहन, उसकी फूफ़ी या भतीजी और ख़ाला या भाँजी और आज़ाद आदमी के लिये चार बीवियाँ मौजूद हों तो पाँचवीं हराम है। (कुछ उ़लमा के नज़दीक) ज़ानिया यहाँ तक कि तौबा कर ले। और वह औ़रत जिसे तीन तलाक़ें दी हों यहाँ तक कि किसी और से निकाह कर ले और वहां से फ़ारिग़ हों मुहरिमा अपने एहराम से हलाल होने तक। और कोई मुतल्लक़ा जो अपने अय्यामे इद्दत में हो, इद्दत ख़त्म होने तक। इनके अ़लावा दीगर औ़रतें हलाल हैं। (वउहिल्ल लकुम मावराअज़ालिकुम) (अन्निसा: 24)(देखिए: तैसीरूल अल्लाम शरह उम्दतुल अहकाम)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ " فَأَفْعَلُ مَاذَا " . قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا . قَالَ " أُخْتَكِ " . قَالَتْ نَعَمْ .

(2056) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(﵂) से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा(﵂) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मेरी बहन में राग़िब हैं? आपने फ़रमाया: 'तो क्या करूं?' कहने लगीं कि आप इससे निकाह कर लें। आपने फ़रमाया: 'तेरी बहन से?' बोलीं: हाँ। आपने कहा: 'क्या तुम्हें ये पसन्द है?' कहने लगीं: मैं कोई आपके पास अकेली तो नहीं हूं। और

قَالَ " أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ " . قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . قَالَ " فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي " . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذَرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ "

इस शराकत में मुझे ये ज़्यादा पसन्द है कि मेरी बहन इस ख़ैर में मेरी हिस्सेदार बने। आपने फ़रमाया: 'ये मेरे लिये हलाल नहीं है।' वह कहने लगीं: 'क़सम अल्लाह की! मुझे बताया गया है कि आपने दूर्रह या ज़र्रह (हदीस़ के रावी) ज़ुबैर को शक है दुख़्तरे अबू सलमा के लिये पैग़ाम भिजवाया है। आपने कहा: 'उम्मे सलमा की बेटी के लिये?' कहने लगीं : हाँ। आपने फ़रमाया: 'क़सम अल्लाह की! वह अगर मेरी रबीबा न भी होती जो कि मेरी परवरिश में है, तो भी मेरे लिये हलाल न हो सकती थी क्योंकि वह मेरे दूध के भाई की बेटी (रज़ाई भतीजी) है। मुझे और उसके वालिद (अबू सलमा) को सुवैबा ने दूध पिलाया था। सो मुझे अपनी बेटियों और बहनों की पेशकश मत करो।'

(2056) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/291, 309, बुख़ारी, 5106, व मुस्लिम: 1449.

फ़ायदा : रबीबा, बीवी की वह बेटी है जो पहले ख़ाविन्द से हो, इससे भी निकाह हराम है, बशर्ते कि उसकी माँ से हम बिस्तरी हो गयी हो।

(8) بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

बाब : 8
मर्द से दूध का नाता

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ

(2057) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का बयान है कि अफ़लह बिन अबी अलक़ुऐस मेरे यहां आए तो मैंने उनसे परदा किया। उन्होंने कहा: मुझसे परदा करती हो, हालांकि मैं तुम्हारा चचा हूं? कहती हैं, मैंने कहा: कहाँ से?

دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ . قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي . قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ " إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ " .

उन्होंने कहा: तुम को मेरी भावज ने दूध पिलाया है। कहने लगीं: मुझे तो औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने नहीं पिलाया। चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको ये बात बताई। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है, तुम्हारे पास आ सकता है।'

(2057) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5239, व मुस्लिम: 1445.

फ़ायदा : दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ हूई, तो उसका शौहर रज़ाई बाप, और उसका भाई रज़ाई चचा हूआ। जिस तरह दूध पिलाने वाली औरत से ताल्लूक़ जुड़ता है वैसे ही उसके शौहर और अज़ीज़ों से भी जुड़ जाता है।

﴾9﴿
باب فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

बाब : 9
रज़ाअ़ते कबीर का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ " انْظُرْنَ مَنْ

(2058) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके यहां आये तो देखा कि उनके पास एक आदमी बैठा है। (बरिवायत हफ़्स) आप (ﷺ) को ये कैफ़ियत नागवार गुज़री और आपका चेहरा बदल गया। (हफ़्स और मुहम्मद बिन कस़ीर दोनों की मुत्तफ़क़ा रिवायत है कि) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने (वज़ाहत करते हूए) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़रा ग़ौर कर लिया

إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " .

करो' तुम्हारे भाई कौन हैं। रज़ाअत वही मौतबर है जो भूख की बिना पर हो।'

(2058) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2647, व मुस्लिम: 1455.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी रज़ाअत हक़ीक़त में वही मौतबर है कि बच्चे ने अपनी दूध पीने की उ़मर में दूध पिया हो। इसी से हुरमत साबित होती है। दो साल के बाद बच्चा रोटी सालन और दीगर ख़ुराक से अपनी भूख मिटाने लगता है। इसलिए जुम्हूर के नज़दीक इस वक़्त दूध पीने का ऐतबार नहीं। **(2)** इसके अलावा रज़ाअत वही मौतबर है जो भूख की बिना पर हो, का मतलब है कि बच्चे ने दूध इतनी मिक़्दार में पीया हो जिससे उसकी भूख मिट गयी हो। और उसकी वज़ाहत दूसरी हदीस में इस तरह है कि वह पाँच मर्तबा दूध पीये, वह यूँ कि पिस्तान मुंह में लेकर दूध पीता रहे और फिर उसे अपनी मर्ज़ी से छोड़े। ये एक मर्तबा पीना (एक रज़अ) है। इस तरह पाँच रज़ाअत से रज़ाअत साबित हो गई, एक दो रज़ाअतों से नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिए: ज़मीमा तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' बउनवान, रज़ाअत के चंद ज़रूरी मसाइल, अज़ हाफ़िज़ सलाहुदीन यूसुफ़ (रह.)

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ .

(2059) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया: 'रज़ाअ़त वही मौतबर है जो हड्डियों को मज़बूत करे और गोश्त पैदा करे।' अबू मूसा ने कहा: तुममें जब तक ये अ़ज़ीम आ़लिम मौजूद है हमसे मत कुछ पूछा करो।

तख़रीज : (सनद जईफ़) बैहक़ी: 7/467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस का भी वही मतलब है जो इससे पहली हदीस का था, यानी दूध, दूध पीने के ज़माने में पीया जाये, तो उसका ऐतबार होगा और उस मिक़दार में से जिससे उसको जिस्मानी फ़ायदा हो। **(2)** इल्म में फ़ाज़िल व फ़ायक़ शख़्सीयत के होते हूए अदना को फ़तवा देना ज़ैब नहीं देता, उनके ऐज़ाज़ व इकराम का यही तक़ाज़ा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي

(2060) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) से पिछली हदीस के हम मानी बयान किया और लफ़्ज़

مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ .

(अन्शज़ल अ़ज़्म) ज़िक्र किया।

(2060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/432, मौता: 1327.

﴾10﴿

بَاب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

बाब.: 10
रज़ाअ़ते कबीर से हुरमत के क़ायलीन का इस्तेदलाल

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ } إِلَى قَوْلِهِ {

(2061) उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा(رضي الله عنها) और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि अबू हुज़ैफ़ा बिन उ़तबा बिन रबीआ़ बिन अ़ब्दे शम्स ने सालिम को अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बनाया हूआ था और उससे अपनी भतीजी हिन्द व दुख़्तरे वलीद बिन उ़तबा बिन रबीआ़ का निकाह कर दिया था। वह एक अंसारी ख़ातून का आज़ाद करदा गुलाम था जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ैद (رضي الله عنه) को अपना मुतबन्ना बनाया था और जाहिलीयत का ये दस्तूर था कि जिसे कोई अपना मुतबन्ना बना लेता तो लोग उसको उसकी निस्बत से पुकारा करते थे और वह (अपने मुँह बोले बाप का) वारिस़ भी बनता था। यहाँ तक कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने इस बारे में ये हुक्म नाज़िल फ़रमाया कि 'इन्हें इनके हक़ीक़ी बापों की निसबत से पुकारा करो। अगर वह मालूम न हों तो ये तुम्हारे दीनी भाई और मौला हैं।'

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ " . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى

चूनांचे इन्हें इनके बापों की तरफ़ लौटा दिया गया और जिसका बाप मालूम न हो वह मौला और दीनी भाई कहलाने लगा। अलग़र्ज़! (अबू हुज़ैफ़ा(ﷺ) की बीवी) सहला बिन्ते सुहैल बिन अ़म्र क़ुरैशी, आ़मरी (रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में) आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सालिम को अपना बेटा ही समझते रहे हैं। ये मेरे और अबू हुज़ैफ़ा के साथ एक ही घर में रहता रहा है और मुझे (घर में आ़म हालात में) एक कपड़े में देखता रहा है। (कभी सर खुला, तो कभी पिंडलियां भी खुल गयी वग़ैरह) और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ऐसे लोगों के बारे में जो हुक्म नाज़िल फ़रमाया है वह आप जानते ही हैं। आप इस सूरत में क्या फ़रमाते हैं? नबी (ﷺ) ने उससे कहा: 'उसको (अपना) दूध पिला दो।' चूनांचे उसने उसको पाँच रज़अ़ (पाँच बार) दूध पिला दिया। और वह इस तरह उसके रज़ाई बेटे की तरह हो गया। सो हज़रत आ़यशा (ﷺ) इस वाक़िया की बिना पर अपनी भांजियों और भतीजियों से कहा करती थीं कि फ़लां को पाँच रज़अ़ (पाँच बार) दूध पिला दो। जिसके बारे में हज़रत आ़यशा की ख़्वाहिश होती कि वह उनको देख सके और उनके सामने आ सके। ख़्वाह वह बड़ी उ़मर का भी होता। चूनांचे वह उसके बाद उनके सामने आ जाया करता था (और ये उससे परदा न करतीं) मगर उम्मे

يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ .

सलमा (ﷺ) और दीगर तमाम उम्महाते मोमीनीन ने इसको क़बूल नहीं किया कि ऐसी रज़ाअत की बिना पर कोई शख़्स उनके सामने आये (और वह उससे परदा न करें) इल्ला ये कि उसने पालने में (दो साल की उ़मर के दौरान में) दूध पिया होता। उन्होंने आ़यशा (ﷺ) से कहा: क़सम अल्लाह की! हमें नहीं मालूम, शायद ये नबी (ﷺ) की तरफ़ से सालिम के लिये बमुक़ाबला दूसरे लोगों के ख़ास़ रूख़सत थी।

(2061) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अ़ब्दुलबर तमहीद: 8/251, नसाई, हदीस़: 3225, बुख़ारी, हदीस़: 5088.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद की तालीमात अटल हैं और वाजिबुल अ़मल भी। इनमें चूं व चरा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) के बयान व तौज़ीह के साथ जो बसनदे स़हीह हम तक पहुँच जाये। **(2)** जुम्हूर उ़लामा के नज़दीक दो साल की उ़मर के बाद दूध पीने पिलाने से हुरमते रज़ाअ़त स़ाबित नहीं होती, क्योंकि हुरमते स़ाबित करने वाली रज़ाअ़त वह है जो मुद्दते रज़ाअ़त के अंदर हो जो कि दो साल है, कम अज़ कम पाँच रज़ाअ़त हों, (रज़अ़त ये है कि बच्चा छाती को मुँह में ले और उससे दूध चूसे तो जब तक वह पिस्तान को मुँह में लेकर पीता रहेगा ये एक रज़अ़त कहलायेगी, ख़्वाह ये मुद्दत तवील हो या क़लील) और जो आँतों को फाड़े यानी उसकी ख़ूराक स़िर्फ़ दूध हो जिससे बच्चा पले और बढ़े मगर हज़रत आ़यशा (ﷺ), लैस़ बिन सअ़द, अ़ता और फ़ुक़हा ए अहले ज़ाहिर दो साल के बाद भी हुरमत रज़ाअ़त के क़ायल हैं। उनकी दलील हज़रत सालिम का वाक़िआ है लेकिन दूसरी उम्महातुल मोमिनीन का बयान है कि ये हज़रत सालिम के साथ ख़ास़ है। जैसा कि इस हदीस़ में है। इमाम इब्ने तैमिया और शैख़ शोकानी (रह.) इस हदीस़ की बाबत लिखते हैं कि उ़मूमी हालात में तो नहीं मगर कहीं ख़ास़ इज़्तेरारी अहवाल में इस पर अ़मल की गुंजाइश हैं (नैलुल अवतार: 6/353) **(3)** इससे ये भी स़ाबित हूआ कि 'चेहरा छुपाना' परदे का लाज़मी हिस्स़ा है। अगर चेहरा छुपाना ज़रूरी न था तो इस क़द्र तरद्दुद की ज़रूरत ही क्या थी। **(4)** (रज़अ) का मानी नीचे के बाब में देखिये।

बाब : 11 क्या पाँच बार से कम दूध पीने से हुरमत साबित हो जाती है?

﴿11﴾ باب هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

(2062) हज़रत आयशा (ﷺ) से मनक़ूल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क़ुर्आन में पहले ये नाज़िल किया था कि दस रज़ाअत से हुरमत साबित होती है। (दस बार दूध पीने से) फिर उसे पाँच रज़ाअत से मन्सूख़ कर दिया। और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हूई तो ये अल्फ़ाज़ क़ुर्आन में क़िराअत किये जाते थे।

(2062) तख़रीज : मौता: 2/608, व मुस्लिम: 1452.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहादीस में वारिद लफ़्ज़ (अर्रज़्अतु) का लुग़वी व इस्तेलाही मानी ये है: 'बच्चा पिस्तान को अपने मुँह में लेकर दूध चूसने लगे और फिर अपनी ख़ूशी से, बग़ैर किसी कारण के छोड़ दे।' तो ये एक रज़्अ है। (अलमस्सत) का भी यही मफ़हूम है। **(2)** हज़रत आयशा(ﷺ) के कहने का मक़सद ये है कि ये नस्ख़ नबी (ﷺ) की वफ़ात से थोड़ी ही मुद्दत पहले नाज़िल हूआ था कि कुछ लोग, जिन्हें इत्तेला (ख़बर) न मिली थी ये अल्फ़ाज़ तिलावत करते थे। मगर उसके बाद उनकी क़िराअत भी मन्सूख़ कर दी गई मगर हुक्म बाक़ी रहा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .

(2063) हज़रत आयशा (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक बार चूसना या दो बार चूसना हराम नहीं करता।'

(2063) तख़रीज : मुस्लिम: 1450.

फ़ायदा : बल्कि जब तक पाँच मर्तबा (ऊपर दिये गये तरीक़े से) दूध न पीये, हुरमते रज़ाअत साबित नहीं होगी।

﴾12﴿ باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

बाब : 12
दूध छुड़ाने के वक़्त इनाम देना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ " الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ" . قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ .

(2064) जनाब हज्जाज बिन हज्जाज अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दूध पिलाने का हक़ किस तरह अदाकर सकता हूं? आपने फ़रमाया: 'एक गुलाम या लौण्डी (लेकर उसे दे दे)'

नुफ़ैली ने कहा: हज्जाज बिन हज्जाज, बनू असलम से ताल्लूक़ रखता है और ये उसी के लफ़्ज़ हैं।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1153, नसाई, हदीस: 3331, मजमूअ अज्ज़वाइद, 4/262.

फ़ायदा : अरबों में ये रिवाज आम था कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिये क़ुर्बो जवार के देहातों में उजरत पर भेज दिया करते थे, इसके अलावा वह मुक़र्रर उजरत के अलावा दूध छुड़ाने पर (मुर्ज़िआ) 'दूध पिलाने वाली आया' को कोई इनाम देना भी पसन्द करते थे। इस हदीस में इसी हक़्क़े मुरज़िआ की बाबत बयान किया गया है।

﴾13﴿ باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

बाब : 13
वह औरतें जिनको (एक वक़्त में) जमा करना हराम है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ،

(2065) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'न निकाह की जाये कोई औरत उसकी फूफी

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ".

पर। न फूफी उसकी भतीजी पर। और न निकाह की जाये कोई ़औरत उसकी ख़ाला पर। न ख़ाला उसकी भांजी पर। न निकाह की जाये बड़ी छोटी पर और न छोटी बड़ी पर।'

(2065) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1126, नसाई, हदीस: 3298, बुख़ारी, हदीस: 5108.

तौज़ीह : एक वक़्त में फूफी भतीजी या ख़ाला भांजी (या उनके बरअक्स) को जमा करना हराम है। और ये हुरमत मुअक़्क़त (आरज़ी) है, अब्दी नहीं। मुख़्तलिफ़औक़ात में बाद अज़ तलाक़ या वफ़ात निकाह कर लेने में कोई हर्ज नहीं। और आख़री जुमला में 'बड़ी ़औरत' से मुराद या तो ़उमर में बड़ी है जो कि ़आम तौर पर माँ, ख़ाला और फूफी वग़ैरह का एहतराम पाती है जबकि छोटी लड़की बेटी की तरह समझी जाती है। यानी उनसे निकाह नहीं हो सकता। या रूत्बे का फ़र्क़ मुराद है। फूफी और ख़ाला बड़ी होती हैं जबकि भतीजी और भांजी बिलउ़मूम छोटी होती हैं। इस सूरत में ये पहली ही बात की बअन्दाज़े दीगर ताकीद है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .

(2066) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे मना फ़रमाया है कि ़औरत और उसकी ख़ाला या ़औरत और उसकी फूफी को जमा किया जाये।

(2066) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5110, व मुस्लिम: 1408.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى

(2067) हज़रत इब्ने ़अब्बास (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने हराम किया इस बात को कि जमा की जाये फूफी और ख़ाला या दो ख़ालाएँ और दो फूफियाँ।

الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ .

(2067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 1/217, हदीसः 1028 में देखें, तिर्मिज़ी, हदीसः 1125.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ

(2068) जनाब उर्वा बिन जुबैर (रह.) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से आयते करीमा (व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन्निसाइ ...) की तफ़्सीर दरयाफ़्त की। तो उन्होंने कहाः भांजे मेरे! ये उस यतीम लड़की के मुताल्लिक़ है जो अपने किसी वली की सरपरस्ती में हो और (मालदार ग़नीया होने की वजह से) अपने वली के माल में हिस्सेदार बन गई हो। फिर उस वली को उस लड़की का माल व जमाल पसन्द आ जाये और उसकी ख़्वाहिश हो कि उससे निकाह कर ले मगर हक़्क़े महर में इन्साफ़ न करे और इस क़द्र न देना चाहे जो कोई ग़ैर उसे दे, तो (ऐसी सूरत में) उन लोगों को उनके साथ निकाह से मना कर दिया गया मगर ये कि उनसे अदल करें और महर उनके आला मैयार के मुताबिक़ दें (तो जायज़ है) उन्हें ये हुक्म दिया गया कि (अगर ये अन्देशा हो तो) उनके अलावा दीगर औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें पसन्द आयें।

उर्वा ने कहाः आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि फिर लोगों ने इस आयत के बाद जो उनके बारे में उतरी थी, रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) से सवालात किये (और रूख़्सत चाही) तो अल्लाह तआला ने ये नाज़िल फ़रमायाः (व

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } قَالَ

यस्तफ़्तूनका फ़िन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फीहिन्ना व मा युत्ला अलैकुम फिल किताबि फ़ी यतामन्निसाइल्लाती ला तूतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तर्ग़बूना अन तन्किहूहुन्ना) 'ऐ पैग़म्बर! लोग आपसे (यतीम) औरतों के बारे में फ़तवा तलब करते हैं। आप उनसे कहें कि उनके बारे में अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है और क़ुर्आन की वह आयतें भी (वज़ाहत करती हैं) जो तुम पर उन यतीम औरतों (लड़कियों) के बारे में पढ़ी जाती हैं जिनके मुक़र्ररह हुक़ूक़ (मीरास वग़ैरह) तुम देते नहीं और उनसे निकाह करने की रग़बत रखते हो।' हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि ये जो अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि वह तुम पर किताब में पढ़ी जाती है, इससे मुराद वह पहले वाली आयत है जिसमें अल्लाह तआला ने फ़रमाया है। (व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फन्किहू माताबा लकुम मिनन्निसाइ) आयशा (رضي الله عنها) ने कहा कि दूसरी आयत में जो आया है: (व तरग़बूना अन तन्किहूहुन्ना) इससे मुराद 'ऐराज़' है। ये ऐराज़ आदमी अपनी मातहत यतीम लड़की से करता था जबकि वह क़लीलुल माल होती और हुस्न व जमाल में भी मैयारी न होती। तो उन्हें मना किया गया है कि यतीम लड़कियों के माल व जमाल के हरीस बनकर उनसे निकाह मत करो मगर ये कि अदल व इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे करो (और ये तफ़्सीर नाज़िल होने की वजह यही है कि

يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .

लोग उनसे ऐराज़ करने लगे थे।)

यूनुस ने बयान किया कि जनाब रबीआ ने (व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फन्किहू माताबा लकुम मिनन्निसाइ) की तौज़ीह में कहा कि अल्लाह फ़रमाता है: 'ज़ुल्म का अन्देशा हो तो उन्हें छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिये चार औरतें हलाल की हूई हैं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5064, व मुस्लिम: 3018.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ का बाब से ताल्लूक़ ये है कि अगर इन्सान अपनी ज़ेरे तोलियत किसी यतीम बच्ची से शरई अदल व इन्साफ़ के मैयार पर पूरा न उतर सकता हो तो उससे निकाह न करे ख़्वाह पहला हो या किसी दूसरी बीवी के होते हूए हो। इसमें तो और भी अन्देशा है कि यतीम बच्ची होने की वजह से उससे घर की लौण्डी और ख़ादिमा ही बना लिया जाये। (2) फ़हमे क़ुर्आन के लिये शाने नुज़ूल की एक ख़ास़ अहमियत है बशर्ते कि स़हीह सनद से स़ाबित हो। इसी तरह हर आयत के लिये शाने नुज़ूल तलाश करना भी तकल्लुफ़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنهما - لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ . قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ

(2069) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी से मरवी है कि जनाब अ़ली बिन हुसैन (बिन अ़ली बिन अबी तालिब) ने बयान किया कि हम लोग हज़रत हुसैन बिन अ़ली (ﷺ) की शहादत के बाद यज़ीद बिन मुआविया के पास से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो मुझे मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) मिले और कहा: मेरे लायक़ कोई ख़िदमत हो तो हुक्म फ़रमायें ? मैंने कहा: नहीं। उन्होंने कहा: क्या आप मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार इनायत फ़रमा सकते हैं? मुझे अन्देशा है कि उसके मुताल्लिक़ क़ौम कहीं आप पर ग़ालिब न आ जाये। और क़सम अल्लाह की! अगर आप ये मुझे इनायत फ़रमा दें तो मेरे जीते जी कभी कोई इस तक न पहुँच

صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ " إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا " . قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا " .

सकेगा। (रसूलुल्लाह (ﷺ) की इज़्ज़त और आपकी अ़तरत की हिफ़ाज़त और दफ़ा हम पर लाज़िम है। इस सिलसिले का एक वाक़िआ ये है कि) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) ने फ़ातिमा (رضي الله عنها) के होते हुए अबू जहल की बेटी को शादी का पैग़ाम भेज दिया। मैंने इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए सुना जब कि मैं उन दिनों बालिग़ था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ातिमा मुझसे है और मुझे फ़िक्र है कि कहीं उसके दीन में कोई इम्तेहान न आ जाये।' फिर आपने बनी अ़ब्दे शम्स (बनी उमैया) में से अपने दामाद (हज़रत अबूलआ़स बिन अर्रबीअ़ (رضي الله عنه) का ज़िक्र किया और उसकी मदह फ़रमाई और ख़ूब फ़रमाई। आपने फ़रमाया: 'उसने मुझसे बात की तो सच्ची की, वादा किया तो पूरा किया। मैं किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं करता। लेकिन क़सम अल्लाह की! अल्लाह के रसूल (ﷺ) की बेटी और अल्लाह के दुशमन की बेटी कभी भी एक जगह जमा नहीं हो सकती।'

(2069) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3110, मुसनद अहमद: 4/326, व मुस्लिम: 2449.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) की अपने घर में अज़ियत (तकलीफ़) रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये बाइस़े अज़ियत होती जो हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) के लिये हलाकत का बाइस़ होती इसलिये इन्हें बतौरे ख़ास़ इस रिश्ते से मना कर दिया गया। और ये वाक़िआ स़ाबित करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी तरह से भी अज़ियत देना हराम है ख़्वाह वह फ़ेअ़ल अस़ल में मुबाह ही हो। क़ुर्आन मजीद में है: 'तुम्हें किसी तरह जायज़ नहीं कि अल्लाह के रसूल को अज़ियत दो।'

(अलअहज़ाब: 53) **(2)** अ़तरते रसूल (ﷺ) को किसी तरह से दुख देना और उनकी हतक करना, रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाराज़ी का बाइस़ है जो कि अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी को मुस्तलजिम (लाजिम) है। मगर लाज़मी शर्त है कि आले रसूल कहलाने वाले उसकी शरीअ़त के हामिल भी हों। **(3)** हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह (ﷺ) की महबूब तरीन स़ाहिबज़ादी थीं और वह इस उम्मत की औ़रतों की सरदार हैं। **(4)** जायज़ है कि इन्सान अपनी बेटी की वजह से ग़ैरत और ग़ुस्से में आये। लेकिन अगर कोई शख़्स़ अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत फ़ातिमा पर क़यास करने लगे तो ये एक बेहूदा क़यास है। **(5)** स़ाहिबे फ़ज़्ल दामाद की मदह व तौस़ीफ़ की जा सकती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ

(2070) मअ़मर ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा रिवायत किया और दूसरी सनद में अय्यूब से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका (इसी तरह) बयान किया (अलबत्ता इस रिवायत में ये इज़ाफ़ा किया कि) हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) इस (दूसरे) निकाह से ख़ामोश हो गये।

(2070) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैह.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي

(2071) जनाब मिस्वर बिन मख़रमा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप मिम्बर पर खड़े इरशाद फ़रमा रहे थे: 'बनी हिशाम बिन मुग़ीरह ने इजाज़त चाही है कि अ़ली बिन अबी तालिब को अपनी बेटी ब्याह दें। तो मैं उसकी इजाज़त नहीं देता, फिर इजाज़त नहीं देता, फिर इजाज़त नहीं देता। हाँ अगर इब्ने अबी तालिब चाहे तो मेरी बेटी को तलाक़ दे दे और उनकी लड़की से निकाह कर ले। बिलाशुब्हा मेरी स़ाहिबज़ादी मेरे दिल का टुकड़ा है। मुझे बुरा लगता है जो उसे बुरा लगे। और मुझे अज़ियत होती है उससे, जिससे उसको अज़ियत हो।' अहमद बिन

يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا " . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ .

यूनुस की सनद में 'अख़बरना' का सेग़ा इस्तेमाल हूआ है।'

(2071) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5230, व मुस्लिम: 2449.

फ़ायदा : इसमें नबी (ﷺ) ने वह वजह बयान फ़रमा दी जिसकी बिना पर आपने हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी। और वह ये कि दूसरा निकाह हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) के लिये अज़ियत का बाइस हो सकता था जैसा कि आम तौर पर होता है अगर ऐसा होता तो उससे फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी अज़ियत पहुँचती, जो हज़रत अ़ली के ईमान के लिये ख़तरे का बाइस होती।

(14) بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

बाब : 14 निकाहे मुत्अ़ा का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(2072) ज़ोहरी (रह.) कहते हैं कि हम हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) की मज्लिस में थे कि औरतों से निकाहे मुत्अ़ा का ज़िक्र चल पड़ा तो रबीअ़ बिन सब्रह नामी एक शख़्स ने कहा: मैं अपने वालिद (सब्रह) के मुताल्लिक़ गवाही देता हूं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे हज्जतुल विदाअ़ में मना फ़रमा दिया था।

(2072) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/404, व मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .

(2073) रबीअ़ा बिन सब्रह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों से मुत्अ़ा करने को हराम फ़रमा दिया है।

(2073) तख़रीज : मुसनद अहमद, हदीस: 3/404, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 14034.मुस्लिम: 1406.

फ़ायदा : जाहिलीयत के निकाहों में से एक निकाहे मुतआ भी था। वह इस तरह कि लोग एक मुतअय्यन (फ़िक्स) वक़्त तक के लिये निकाह कर लेते थे। मगर इस्लाम आने के बाद ग़ज़्वा ख़ैबर के वक़्त उसे हराम किया गया। फिर उसकी रूख़सत दे दी गई मगर फ़तहे मक्का में अब्दी तौर पर हराम कर दिया गया। रवाफ़िज़ के अलावा दीगर इमामों का इसकी हुरमत पर इत्तेफ़ाक़ है। रवाफ़िज़ ने मुतआ के जवाज़ को हज़रत अली (ﷺ) की जानिब मन्सूब किया है, जबकि सहीह बुख़ारी में हज़रत अली(ﷺ) से मनक़ूल है कि उन्होंने बसराहत कहा कि निकाहे मुतआ मन्सूख़ है। (सही बुख़ारी, हदीस: 5119)

बाब : 15
शिग़ार (बटा–सटा) का बयान

﴿15﴾ بَابٌ فِي الشِّغَارِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

(2074) जनाब नाफ़ेअ (रह.) हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से रिवायत करते हैं: 'रसूलुल्लाह(ﷺ) ने निकाहे शिग़ार से मना फ़रमाया है।' मुसद्दद की रिवायत में ये मज़ीद है कि मैं (उबैदुल्लाह) ने नाफ़ेअ से पूछा कि 'शिग़ार' से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: इन्सान किसी की बेटी से निकाह करे, और उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दे मगर उनके माबैन (बीच) हक़्क़े मेहर न हो या इन्सान किसी की बहन से निकाह करे और उससे अपनी बहन का निकाह कर दे और हक़्क़े मेहर न हो।

(2074) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5112, मौता, हदीस: 2/535. व मुस्लिम.

फ़ायदा : दौरे जाहिलीयत में ये निकाह शिग़ार के नाम से रायज था, इसकी सूरत ये थी कि एक शख़्स अपनी बहन या बेटी की इस शर्त पर दूसरे शख़्स से शादी करता कि वह शख़्स भी अपनी बहन या बेटी की उस शख़्स से शादी करे और एक का मेहर दूसरे का निकाह होता, अलग से मेहर अदा ना किया जाता। गोया ये निकाह ऐसा था जैसा कि आज कल बटे–सटे या अदले बदले (बटा सटा) के तौर पर कुछ जगह

निकाह किये जाते हैं, ऐसा निकाह, जिसमें हक़्क़े मेहर न हो तो ये बिलकुल नाजायज़ और हराम है। अगर हर लड़की का हक़्क़े मेहर अलग से मुक़र्रर किया गया हो, तो निकाह के सही होने में कोई शुब्हा नहीं। मगर बदले की ये शर्त और इस तरह के निकाह बिलउमूम ख़ानदानों में फ़साद का ज़रिया बनते हैं। इसलिये कुछ उलमा मुतशद्दिद हैं और कहते हैं कि ख़्वाह हक़्क़े मेहर मुक़र्रर भी कर लिया गया हो तो ये नाजायज़ है। मगर ये फ़तवा महल्ले नज़र (डाउटफुल) है। दर्ज ज़ेल हदीस के वाक़िआ में आ रहा है कि अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुर्रहमान बिन हकम ने इस क़िस्म का निकाह (शिग़ार) किया। और इस निकाह ही को हक़्क़े मेहर क़रार दिया तो हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) ने इनमें तफ़रीक़ करवा दी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2075) अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ अल आरज बयान करते हैं कि अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अब्दुर्रहमान बिन हकम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया और दोनों ने इस निकाह ही को हक़्क़े मेहर ठहराया था। तो हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने मरवान को ये हुक्म लिख भेजा कि वह उनके बीच तफ़रीक़ करा दे। उन्होंने अपने ख़त में कहा कि यही वह शिग़ार है जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है।

(2075) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/94, इब्ने हिब्बान, 1268.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (व काना जअला सदाक़ा) में (जअला) का मफ़ऊल अव्वल महज़ूफ़ है, जैसे कि मवारिद अज़्ज़म्आन इला ज़वाइद इब्ने हिब्बान की इसी रिवायत के अलफ़ाज़ में सराहत है: (वक़द काना जअला सदाक़ा) (मवारिद अज़्ज़म्आन, हदीस: 1268) इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत मुआविया के हुक्मे तफ़रीक़ की वजह मुशर्रत निकाह ही को हक़्क़े मेहर क़रार देना था, न कि हक़्क़े मेहर मुक़र्रर कर देने के बावजूद तबादल–ए–उख़्तैन या बिन्तैन। **(2)** निकाहे शिग़ार के ममनूअ होने पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अगर कोई करे तो शाफ़ेई (रह.) उसे बातिल कहते हैं। अहमद, इस्हाक़ और अबू उबैद (रह.) से भी यही मरवी है। इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है कि उसे फ़स्ख़ करार

दिया जाये, ख़्वाह दुख़ूल हूआ हो या न हूआ हो, जबकि उनका एक क़ौल ये भी है कि दुख़ूल से पहले फ़स्ख़ करा दिया जाये न कि बाद अज़ दख़ूल। और एक जमाअ़त उ़लमा के बक़ौल मेहर मिस्ल अदा करने से स़हीह हो जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यही मज़हब है। अ़ता, ज़ोहरी और लैस़ (रह.) से भी ऐसे ही मनक़ूल है। अहमद और इस्हाक़ (रह.) की एक रिवायत इसी तरह है।

बाब : 16
निकाहे हलाला का बयान

﴿16﴾ بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه - قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"

(2076) हज़रत अ़ली (ﷺ) से मरवी है कि: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हलाला करने वाला और जिसके लिये किया गया है (दोनों) मलऊ़न हैं।'

(2076) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1119, इब्ने माजा, हदीस़: 1935, मुसनद अहमद: 2/323, इब्ने जारूद, हदीस़: 684.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ

(2077) हारिस़ आ़वर नबी (ﷺ) के स़हाबा में से एक शख़्स़ से रिवायत करता है ... और हम समझते हैं कि वह अ़ली (ﷺ) हैं ... उन्होंने नबी(ﷺ) से ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया।

(2077) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

नोट : हारिस़ बिन अ़ब्दुल्लाह आ़वर अलहम्दानी अलकूफ़ी एक कज़्ज़ाब (बड़ा झूठा) रावी है, ताहम ये रिवायत दीगर अहादीस़े स़हीहा की रोशनी में स़ही है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इन दोनों हदीस़ों को स़हीह कहा है।

फ़ायदा : कोई औरत जिसे मुख़्तलिफ़ औक़ात में तीन तलाक़ें हो चुकी हों और उसके शौहर का हक़्क़े रूजू ख़त्म हो गया हो तो कोई शख़्स इसके साथ इस नियत से निकाह करे और मुबाशरत भी कि वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो जाये, ये क़तअन हराम और ना जायज़ है। ये हलाला कहलाता है। इस निकाह से औरत पहले शौहर के लिये हलाल न होगी। मुस्तदरक हाकिम और तबरानी औसत में जनाब नाफ़ेअ से रिवायत है कि एक शख़्स हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की ख़िदमत में आया और पूछा कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी थीं तो उसके भाई ने बग़ैर किसी मशवरे के उस औरत से निकाह कर लिया ताकि उसे भाई के लिये हलाल कर दे। तो क्या वह इस तरह पहले शौहर के लिये हलाल हो जायेगी? उन्होंने कहा: नहीं, इल्ला ये कि बाक़ायदा ख़्वाहिश से निकाह किया गया हो। इस अन्दाज़ के निकाह को हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में सफ़ाह (ज़िना) शुमार करते थे। (औनूल माबूद) ये अमल इन्तेहाई, घटिया और बेग़ैरती का अमल है। एक दूसरी रिवायत में ऐसे शख़्स को 'मांगे का सांड' कहा गया है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1936)

बाब : 17
गुलाम, जो अपने आक़ा की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले

﴾17﴿ باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ - وَكِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ "

(2078) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले वह ज़ानी है।'

(2078) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 111, मुसनद अहमद: 3/301, अलहाकिम: 2/194, इब्ने माजा: 1960, बैहक़ी: 7/127, इब्ने अबी शैबा: 4/261, हदीस: 16858.

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(2079) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब कोई गुलाम अपने आक़ा की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले तो उसका निकाह बातिल है।'

" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस़ (मरफ़ूअन) ज़ईफ़ है। ये (दरअस़ल) मौक़ूफ़ है और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) का क़ौल है।

(2079) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/127.

फ़ायदा : पहली रिवायत स़ही है, जिससे मसले का इस्बात, वाज़ेह है।

﴿18﴾ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

बाब : 18 निकाह के पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना हराम है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .

(2080) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे।'

(2080) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2140, व मुस्लिम: 1413.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

(2081) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम में से कोई शख़्स़ अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे और न अपने भाई के सौदे पर सौदा करे मगर उसकी इजाज़त से।'

(2081) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैह, मुसनद अहमद: 2/142, व मुस्लिम.

फ़ायदा : किसी शख़्स ने किसी घर में निकाह का पैग़ाम भेजा हो तो दूसरे किसी शख़्स को ये जानते हूए कि उन्हें पैग़ाम दिया गया है और उन्होंने हाँ या न में कोई जवाब नहीं दिया है, अपना पैग़ाम नहीं भेजना चाहिए। मगर ये कि वाज़ेह हो कि उनकी ख़ामोशी इन्कार के मानी में है। अगर निसबत तै हो चुकी हो तो अपना पैग़ाम भेजकर पहली निसबत तुड़वाने की कोशिश करना हराम है। क्योंकि इस तरह दो मुसलमान भाईयों या ख़ानदानों में कशमकश और अ़दावत का क़वी अन्देशा है। हाँ अगर पहला फ़र्द इजाज़त दे दे, तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : 19
जिस औ़रत के साथ निकाह का इरादा हो, उसे देख लेना जायज़ है

﴿19﴾
باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " . قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا .

(2082) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई शख़्स किसी औ़रत को निकाह का पैग़ाम भेजे, अगर मुमकिन हो तो उसकी वह चीज़ देख ले जो उसके निकाह की दाई है (क़दो क़ामत और हुस्न व जमाल वग़ैरह)' (हज़रत जाबिर) कहते हैं कि फिर मैंने एक लड़की के लिये निकाह का पैग़ाम भेजा तो मैं उसके लिये छुपा करता था यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया जिससे मुझे उसके साथ निकाह करने की रग़बत हूई, चूनांचे मैंने उससे शादी कर ली।

(2082) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/334, इब्ने इस्हाक़ः 3/360, फ़तहुल बारीः 9/181.

फ़ायदा : ये देखना मुस्तहब है और इससे मुराद इत्तेफ़ाक़न उचटती नज़र से देखना है जैसे कि हज़रत जाबिर (ﷺ) ने अपने मुताल्लिक़ बयान किया है। मगर बुरा हो तहज़ीबे नौ का कि इस बहाने दोनों नौजवान लड़के लड़की का अकेले अकेले मुलाक़ातें करना, सैरों के लिये निकलना और ख़रीदारियाँ करना और ना मालूम क्या कुछ होता है। शरीअत इसकी क़तअन रवादार नहीं है। निकाह से पहले इस तरह की खुली मेल मुलाक़ातें हराम हैं। और ये देखना भी निसबत पुख़्ता करने से पहले ही ज़्यादा मुफ़ीद है। जब तक अक़्द नहीं हो जाता, मंगेतर एक दूसरे के लिये अजनबी ही होते हैं।

बाब : 20
वली का बयान (वली के बग़ैर किसी औरत का निकाह सही नहीं)

(20)
باب في الوليّ

फ़ायदा : औरत के वह क़रीबी नसबी ताल्लूक़दार जिनके वास्ते से अहम मामलात तै पाते हैं, औरत के वली कहलाते हैं। और बिलख़ुसूस अगर कहीं ग़ैरों में उसकी शादी हो जाये तो उन्हें इस निसबत से आर का सामना करना पड़ता है। इनमें अ़सबा (बाप की तरफ़ से ताल्लूक़दार) अव्वलियत रखते हैं। जुम्हूर उ़लमा इसी के क़ायल हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) के बक़ौल उनकी तर्तीब इस तरह से है। बाप, दादा, हक़ीक़ी भाई, पेदरी (बाप जाए) भाई, हक़ीक़ी भतीजा, फिर पेदरी भाई का बेटा, चचा, फिर चचाज़ाद। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ज़वी अल अरहाम को भी इनमें शामिल करते हैं। इनमें से कोई न हो तो हाकिमे वक़्त 'वली' क़रार पाता है।

☞ **मसला विलायते निकाह :** विलायते निकाह का ये मसला यानी जवान लड़की के निकाह के लिये वली की इजाज़त और रज़ामंदी ज़रूरी है, क़ुर्आन व हदीस़ की दलीलों से वाज़ेह है, लेकिन मौजूद मुसलमानों के इस्लाम से अ़मली इंहिराफ़ ने जहां शरीअ़त के बहुत से मसाइल को ग़ैर अहम बना दिया है, इस मसले से भी नज़र अन्दाज़ व ऐराज़ इख़्तियार किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि इस मसले में क़ुर्आन करीम में वाज़ेह तौर पर रहनुमाई नहीं मिलती। लेकिन ऐसा समझना स़ही नहीं है। क़ुर्आन से इस्तेदलाल का जो तरीक़ा और उसलूब है, इसकी रू से यक़ीनन हमें क़ुर्आन से पूरी रहनुमाई मिलती है। क़ुर्आन में फ़रमाया गया है: 'तुम मुश्रिक औ़रतों से उस वक़्त तक निकाह मत करो जब तक वह ईमान न ले आयें, और ईमानदार लौण्डी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औ़रत से बहुत बेहतर है चाहे तुम्हें मुश्रिक ही अच्छी लगती हो और (अपनी औ़रतों को) मुश्रिक मर्दों के

निकाह में मत दो, यहां तक कि वह ईमान ले आयें।' (अलबकरः 2/221)

- इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने औ़रतों की बजाये उनके औलिया को ख़िताब फ़रमाया और उन्हें ये हुक्म दिया कि वह मुसलमान औ़रतों का निकाह मुश्रिक मर्दों से न करें। क़ुर्आन करीम के इस अंदाज़े बयां से वाज़ेह है कि मुसलमान औ़रत अपने निकाह का मामला ख़ूद से तै नहीं कर सकती। उसके निकाह का मामला उसके वली की वसातत ही से अंजाम पायेगा। मुफ़स्सिरीन उम्मत ने इस आयत को इस मसले में 'नस़' क़रार दिया है। चूनांचे इमाम इब्ने हिब्बान उन्दुलुसी (रह.) फ़रमाते हैं: आयत (वला तुन्किहू) बिल इत्तेफ़ाक़ ताअ के ज़म्मे (पेश) के साथ है और ये औ़रतों के औलिया से ख़िताब है। (तफ़्सीर अल बहरूल मुहीतः 2/165)
- इमाम कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: 'ये आयत बतौर नस़ इस बात की दलील है कि निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर स़ही नहीं।' (तफ़्सीर कुर्तुबीः 3/49, तबअ़ बैरूत) इमाम इब्ने हज़म (रह.) फ़रमाते हैं: 'आयत में ये ख़िताब औ़रत के औलिया को है न कि औ़रतों को।' (अलमहल्लीः 9/421)
- अ़ल्लामा रशीद रज़ा मिस्री (रह.) तफ़्सीर अलमनार में फ़रमाते हैं: 'पहले (तंकिहू) (ताअ के ज़बर के साथ) और फिर (तुन्किहू) (ताअ के पेश के साथ) ताबीर करने से ये बात समझ में आती है कि मर्द ही अपना और उन औ़रतों का निकाह करने का इख़्तियार रखते हैं जिनके मामलात के वह ज़िम्मेदार हैं और औ़रत मर्द की इजाज़त के बग़ैर ख़ूद से अपना निकाह नहीं कर सकती, उसके लिये वली ज़रूरी है।' (तफ़्सीर अलमनारः 2/351)
- शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं: (वला तुंकिहूल मुशरिकीन हत्ता युअमिन्न) और अल्लाह तआ़ला का ये क़ौलः (वला तुंकिहुल मुश्रिकात) जो (फ़ेअ़ले लाज़िम और मुतअद्दी का) फ़र्क़ है, इससे भी कुछ सल्फ़ ने ये हुज्जत पकड़ी है कि औ़रत ख़ूद से निकाह नहीं कर सकती, उनके निकाह का बंदोबस्त करना औलिया की ज़िम्मेदारी है।' (फ़तावाः 32/132)
- क़ुर्आन करीम की दूसरी आयत है: 'तुम्हारे अंदर जो बे'शौहर हैं, उनके निकाह कर दो।' (अन्नूरः 24/32) इसमें भी बाकिरह और बेवा औ़रतों के औलिया से ख़िताब करके उन्हें उनके निकाह का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया गया है। चूनांचे इमाम बग़वी (रह.) इस आयत के मातहत फ़रमाते हैं: 'आयत में इस बात की दलील है कि बे'शौहर औ़रतों की शादी का बंदोबस्त करना औलिया की ज़िम्मेदारी है, इसलिये कि इस मामले में अल्लाह तआ़ला ने इन्हीं से ख़िताब फ़रमाया है: (मआ़लिम अत्तन्ज़ील, अलमारूफ़ तफ़्सीर अलबग़वीः 3/73)
- इमाम कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: 'ये अन्दाज़े गुफ़्तगू हिफ़ाज़त और स़लाह के बाब से है यानी तुममें

से जो बे'शौहर है उसकी शादी कर दो, इसलिये कि यही इफ़्फ़त व पाक दामनी का रास्ता है और ये ख़िताब औलिया से है, कुछ के नज़दीक ये ख़ाविन्दों से ख़िताब है, लेकिन सही बात पहली ही है। इसलिए कि अल्लाह तआला अगर ख़ाविन्दों से ख़िताब करना चाहता तो बग़ैर हम्ज़ा–ए (क़तई) के (इन्किहू) फ़रमाता' (अलकुर्तुबी: 12/239) कुर्आन करीम की तीसरी आयत है: 'जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें तो तुम उनको अपने (साबक़ा) ख़ाविन्दों से निकाह करने से मत रोको।' (अलबकरः 2/232)

- इमाम इब्ने कसीर (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के हवाले से फ़रमाते हैं: 'ये आयत उस शख़्स के बारे में नाज़िल हूई है जो अपनी बीवी को एक तलाक़ या दो तलाक़ें दे दे, फिर वह इद्दत पूरी हो जाये तो ख़ाविन्द उससे (दोबारा) शादी या रूजू करना चाहे और औरत भी इस पर रज़ामंद हो, लेकिन उसके औलिया उसको ऐसा करने से रोक दें, तो अल्लाह तआला ने औलिया ए औरत को इस तरह औरत को (शादी करने से) रोकने से मना फ़रमा दिया ... इमाम मसरूक़, ज़हहाक, इब्राहीम नख़ई, इमाम ज़ोहरी (रह.) ने भी कहा है कि ये आयत इस मसले में नाज़िल हूई। और उन लोगों ने जो ये बात कही है, आयत के ज़ाहिरी मफ़हूम के ऐन मुताबिक़ है और इसमें इस बात की दलील है कि औरत ये इख़्तियार नहीं रखती कि वह अपना निकाह ख़ूद कर ले बल्कि निकाह के लिये वली का होना ज़रूरी है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस आयत की तफ़्सीर में कहा है।' (इब्ने कसीर: 1/282)
- इमाम इब्ने जरीर तबरी फ़रमाते हैं: 'इस आयत से साफ़ वाज़ेह है कि उन लोगों की राय सही है जो कहते हैं कि वली के बग़ैर निकाह करना जायज़ नहीं।' (तफ़्सीर तबरी: 2/488)
- इस आयत के नुज़ूल का जो सबब है वह सहीह रिवायात में बयान हूआ है, जिससे आयत का वह मफ़हूम हो जाता है जो मज़कूरह सुतूर में मुफ़स्सिरीन ने बयान फ़रमाया है, इसलिये रिवायत की शाने नुज़ूल को भी सामने रखना ज़रूरी है। चूनांचे इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सहीह में ये वाक़िआ बयान फ़रमाया है कि हज़रत माक़िल बिन यसार (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हूई है। मैंने अपनी बहन का निकाह एक आदमी से किया, कुछ अरसे के बाद उसने तलाक़ दे दी यहाँ तक कि जब इद्दत गुज़र गई तो उसने फिर निकाह का पैग़ाम भेजा, जिस पर मैंने उससे कहा कि मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया, उसको तेरा बिस्तर बनाया, तेरी इज़्ज़त की, लेकिन तूने उसे तलाक़ दे दी, और अब फिर निकाह का पैग़ाम लेकर आ गया है, अल्लाह की क़सम! अब वह कभी तेरी तरफ़ नहीं लौटेगी। और वह आदमी बुरा नहीं था और औरत (मेरी बहन) भी उसके साथ रूजू करना चाहती थी, तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमा दी, जिसे सुनकर मैंने कहा: ऐ अल्लाह

के रसूल! अब मैं उनका आपस में निकाह कर दूंगा। चूनांचे मैंने उसके साथ उसका (दोबारा) निकाह कर दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5130)

- इमाम कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: 'ये आयत माक़िल बिन यसार (ﷺ) के बारे में नाज़िल हूई है, जब उन्होंने अपनी बहन को अपने पहले ख़ाविन्द से दोबारा निकाह करने से रोक दिया था, ये वाक़िआ इमाम बुख़ारी ने नक़ल किया है। अगर उसके भाई को निकाह कराने का इख़्तियार न होता, तो उसे ये क्यों कहा जाता कि वह निकाह करने से न रोके।' (तफ़्सीर कुर्तुबी: 3/72)
- हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'निकाह में वली के शर्त होने की बाबत उलमा के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है, जुम्हूर इसके क़ायल हैं और उन्होंने कहा है कि औरत अपना निकाह ख़ूद से नहीं कर सकती, उन्होंने इसका इस्बात मज़कूरह अहादीस से किया है, और उनमें सबसे क़वी दलील यही वाक़िआ है जो क़ुर्आन करीम की आयते मज़कूरह के नुज़ूल का सबब है, और ये आयत इस बात पर कि निकाह में वली की रज़ामंदी ज़रूरी है सबसे वाज़ेह दलील है क्योंकि अगर ऐसा न हो तो ये कहने का कि 'उन्हें मत रोको' कोई मानी नहीं, इसके अलावा औरत अज़ ख़ूद निकाह करने की मजाज़ होती तो वह अपने भाई कि मोहताज न होती। (फ़तहुल बारी: 9/235)
- और साहिबे सुबुलुस्सलाम अमीर सनआनी (रह.) फ़रमाते हैं: 'नबी (ﷺ) के ज़माने में सहाबा (सल्फ़) ने इस वाक़िये से यही बात समझी है कि औलिया की इजाज़त ज़रूरी है और उन्होंने क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करने और निकाह करने में जल्दी की (ये इशारा है कुछ रिवायात की रूसे हज़रत माक़िल (ﷺ) के क़सम खा लेने और फिर उसे तोड़कर अपनी बहन का निकाह कर देने की तरफ़) अगर औलिया का औरतों पर इख़्तियार ही न होता, तो अल्लाह तआला उसे खोल कर बयान फ़रमा देता, बल्कि उसके बरअक्स अल्लाह ने कई आयात में औलिया के हक़ को तकरार के साथ बयान फ़रमाया है और एक हर्फ़ भी इस अम्र की बाबत नहीं बोला कि औरत को ख़ूद से अपना निकाह करने का हक़ हासिल है। इससे इस तरफ़ भी रहनुमाई मिलती है कि जिन आयात में निकाह की निसबत औरतों की तरफ़ है जैसे (हत्ता तन्किहा ज़ौजन ग़ैरहू) (अलबकर: 2/230) इससे मुराद भी वली की इजाज़त से उनके निकाह का इन्इकाद है न कि ख़ूद से निकाह कर लेना, इसलिए कि अगर इस आयत से नबी (ﷺ) ये समझते कि औरत ख़ूद से अपना निकाह कर सकती है तो आप इस आयत के नुज़ूल के बाद उस औरत को ख़ूद अपना निकाह कर लेने का हुक्म फ़रमा देते और उसके भाई पर ये वाज़ेह कर देते कि तुझे इस पर विलायत का हक़ नहीं है और इसके लिये अपनी क़सम का तोड़ना और उसका कफ़्फ़ारा अदा करना जायज़ न होता।' (सुबुलुस्सलाम, किताबुन निकाह: 3/118)

- अब हम नीचे में चंद अहादीस़ ज़िक्र करते हैं जिनमें पूरी स़राहत से विलायते निकाह का मसला बयान हूआ है:
  - (ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन) (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2085) 'वली के बग़ैर निकाह स़ही नहीं।' ये रिवायत जिसे मुतवातिर तक कहा गया है, हज़रत अबू मूसा अशअ़री, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) चार स़हाबा से मरवी है।
  - हज़रत आयशा (ﷺ) से मरफ़ूअ़ रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औ़रत ने भी अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया तो वह निकाह बातिल है, वह निकाह बातिल है, वह निकाह बातिल है, अगर उनका आपस में मिलाप हो गया है तो उसकी वजह से हक़्क़े मेहर उस औ़रत को दिया जायेगा, अगर (औलिया का) इख़्तिलाफ़ और झगड़ा हो तो सुलताने वक़्त हर उस औ़रत का वली होगा जिसका कोई वली न हो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2083) ये रिवायत सनदन स़हीह और मसला ज़ेरे बहस़ में वाज़ेह और फ़ैस़लाकुन है।
  - हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई औ़रत, औ़रत का निकाह न करे और न कोई औ़रत ख़ुद अपना निकाह करे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1884) इस हदीस़ में विलायत के लिये मर्द को ज़रूरी क़रार दिया गया है, यानी बाप की बजाये माँ वली नहीं बन सकती, न लड़की ख़ुद से अपना निकाह कर सकती है, बाप न हो तो उसका चचा, भाई वग़ैरह वली बनेगा, कोई भी नहीं होगा तो हाकिमे वक़्त या क़ाज़ी उसका वली होगा जैसा कि इससे पहले की हदीस़ में है।
  - स़हीह बुख़ारी में हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान फरमाती हैं: 'ज़माना जाहिलीयत में निकाह की चार क़िस्में थीं, एक क़िस्म वह जो लोगों में आजकल रायज है कि एक आदिमी दूसरे को उसकी किसी अ़ज़ीज़ या बेटी के लिये निकाह का पैग़ाम भेजता है, वह उसे क़बूल करके उसके लिये हक़्क़े मेहर का तअ़य्युन (फ़िक्स) कर देता और निकाह कर देता है, (उसके बाद निकाह की तीन क़िस्में और बयान कीं और आख़िर में फ़रमाया) जब मुहम्मद (ﷺ) हक़ के साथ मबऊ़स हूए तो आपने जाहिलीयत के तमाम निकाहों को ख़त्म कर दिया और सिर्फ़ आजकल के रायज निकाह को बाक़ी रखा। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2127) इससे मालूम हूआ कि इस्लाम ने सिर्फ़ उस निकाह को जायज़ रखा है जो वली की वसातत से किया गया हो, बाक़ी तमाम निकाह बातिल कर दिये।
- इस्लाम की मज़कूरह तालीम में बड़ा ऐतदाल व तवाज़ुन है, लड़की को ताकीद है कि वालिदैन ने

उसे पाला पोसा है, उसकी तालीम व तरबियत का एहतमाम किया है, वह मुस्तक़बिल (भविष्य) में भी जबकि वह अपनी नौजवान बच्ची को दूसरे ख़ानदान में भेज रहे हैं, इसके लिये रोशन इम्कानात (सम्भावनाएँ) देख रहे हैं और इसकी रोशनी ही में उन्होंने उसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया है, इसलिए वह अपने मोहसिन, ख़ैरख़्वाह और मुशफ़िक़ व हमदर्द वालिदैन के फ़ैसले को रज़ामंदी से क़बूल कर ले। दूसरी तरफ़ वालिदैन को लड़की पर जबर करने और उसकी रज़ामंदी हासिल के किये बग़ैर उसकी शादी करने से मना कर दिया है। अगर कोई वली बिलजब्र ऐसा करने की कोशिश करता है तो फ़ुक़हा ने ऐसे वली को वली आज़िल (ग़ैर मुशफ़िक़) क़रार देकर दूर के वली को आगे बढ़कर उसकी शादी करने की तल्क़ीन की है, दूर के वली भी किसी वजह से इसका एहतिमाम करने से क़ासिर हो तो अदालत या पंचायत ये फ़ैसला सरअंजाम देगी।

➪ आजकल अदालत में नौजवान लड़कियों के ख़ूद से निकाह करने के जो मुक़द्दमात पेश हो रहे हैं, उनमें मज़कूरह दो सूरतों में से किसी एक सूरत का तअय्युन और तहक़ीक़ किये बग़ैर, सिर्फ़ इस बुनियाद पर फ़ैसला करना या कुछ उलमा का फ़तवा देना कि नौजवान लड़की विलायत की मोहताज नहीं है, इसलिये ये निकाह जायज़ है। क़ुर्आन व हदीस़ की रू से सहाबा (ﷺ) और जुम्हूर उलमा व फ़ुक़हा के मसलक की रोशनी में बिल्कुल ग़लत है। अदालतें, अगर क़ुर्आन व हदीस़ को अपना हाकिम मानती हैं तो वह ऐसा फ़ैसला देने की मजाज़ नहीं और उलमा भी, 'अगर तुम्हारे दरम्यान किसी चीज़ की बाबत झगड़ा हो जाये तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दो।' (अन्निसा: 59) पर सिद्क़ दिल से अमल करना चाहते हैं तो उन्हें भी मज़कूरह निकाहों के जवाज़ का मुतलक़न फ़तवा देने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वली की इजाज़त के बग़ैर कोई निकाह सहीह नहीं है। वली, जाबिर या आज़िल होगा तो दूर के वली या अदालत निकाह करायेगी। लेकिन किसी बालिग़ लड़की को ये हक़ हासिल नहीं है कि वह भागकर या छिपकर अपना निकाह ख़ूद कर ले। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: हाफ़िज़ सलाहूद्दीन यूसुफ़ की तालीफ़ 'मफ़रूर लड़कियों का निकाह और हमारी अदालतें' मतबूअ दारूस्सलाम)

(2083) हज़रत आयशा (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत ने अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया, उसका निकाह बातिल है। तीन बार फ़रमाया। अगर शौहर उससे सोहबत कर ले तो उसको मेहर देना पड़ेगा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ " .

बसबब इसके जो उसने उससे फ़ायदा हासिल किया। अगर (वलियों का) झगड़ा हो जाये तो हाकिम वली है उसका जिसका कोई वली न हो।'

(2083) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1102, इब्ने माजा, हदीस: 1879, इब्ने हिब्बान,हदीस: 1248, हाकिम: 2/168.

حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، - يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

(2084) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने नबी (ﷺ) से पिछली हदीस के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जाफ़र बिन रबीआ ने ज़ोहरी से सुना नहीं बल्कि (ये हदीस) उन्होंने इसकी तरफ़ लिख भेजी थी।

(2084) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अ़ब्दुल बर तमहीद: 19/87.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ .

(2085) हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वली के बग़ैर कोई निकाह नहीं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस सनद में यूनुस ने अबू बुर्दा (رضي الله عنه) और इस्राईल ने अबू इस्हाक़ से उन्होंने अबू बुर्दा (رضي الله عنه) से रिवायत की है।

(2085) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1101, इब्ने माजा, हदीस: 1881.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

(2086) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर (रह.) उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के मुताल्लिक़ बताते हैं कि ये पहले इब्ने जहश की ज़ौजियत में थीं, वह फ़ौत हो गया और

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ - فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عِنْدَهُمْ .

वह उन लोगों में से था जो हब्शा की जानिब हिजरत करके गये थे, तो नजाशी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह (ﷺ) से कर दिया जबकि ये उनके यहां (हब्शा ही में) थीं।

(2086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3352.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ़औरत ख़ूद से अपना निकाह नहीं कर सकती। वली का होना ़सेहते निकाह के लिये लाज़मी शर्त है। ऐसी तमाम आयात व अहादीस़ जिनमें 'निकाह की निसबत ़औरतों की तरफ़ है।' वह उन स़हीह अहादीस़ की रोशनी में 'वली' के साथ मख़सूस़ हैं। ये ज़रूर है कि ज़िन्दगी के इस अहम फ़ैसले में उन पर जबर नहीं किया जा सकता। उनकी रज़ामंदी बल्कि बेवा से बिलवज़ाहत मशवरा बेहद ज़रूरी है। **(2)** उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) का पहला ख़ाविन्द (ऩबैदुल्लाह बिन जहश) मुसलमान होकर हब्शा हिजरत कर गया था मगर वहां जाकर मुर्तद हो गया और नस़रानी बन गया था। (हदीस़: 2107) उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के मुताल्लिक़ आता है कि उन्होंने ख़्वाब में देखा कि एक आने वाला आया और उसने उनको 'उम्मुल मोमिनीन' कहकर मुख़ातब किया और कहती हैं कि मैं घबरा सी गयी और उस ख़्वाब की ताबीर ये की कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझसे निकाह करेंगे। चूनांचे जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गयी तो अचानक नजाशी का पैग़ाम दरवाज़े पर आया। देखा तो वह इसकी ख़ादिमा थी जिसका नाम अब्रहमा था जो बादशाह के लिबास और ़अतरियात का एहतमाम करती थी। उसने कहा कि बादशाह ने कहा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे लिखा है कि वह तुम्हारा निकाह रसूलुल्लाह (ﷺ) से कर दे। मैंने कहा; अल्लाह तुम्हें इस ख़ूशख़बरी पर जज़ा–ए–ख़ैर दे। कहने लगी कि अपना वकील बना दें। चूनांचे मैंने ख़ालिद बिन सईद बिन अलआस़ को अपना वकील बनाया। सीरते यअमरी में है कि हज़रत ़उस्मान बिन ़अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) उनके वकील थे। चूनांचे नजाशी (रह.) ने हक़्क़े मेहर अदा किया और चार सौ मिस्क़ाल सोना और बाद में वलीमा भी खिलाया। बाद अज़ां हज़रत शुरहबील बिन हसन की मईयत में उनको मदीना भेज दिया गया। (बज़्लुल मज्हूद) इस क़िस्से में नजाशी (रह.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से वकील थे और ख़ालिद बिन सईद या ़उस्मान (رضي الله عنه) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के वली और वकील बने। नजाशी (रह.) जो सुल्ताने वक़्त थे उनको भी वली समझा जा सकता है। हज़रत ़उस्मान का ज़िक्र स़ही नहीं लगता क्योंकि वह उस वक़्त हब्शा में न थे बल्कि पहली हिजरते हब्शा के बाद जल्द ही वापस आ गये थे।

बाब : 21
औरतों को निकाह से मना करना (कैसा है?)

﴾21﴿
بَابٌ فِي الْعَضْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَىَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَىَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآيَةَ . قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ .

(2087) हज़रत माक़िल बिन यसार (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरी बहन थी, मुझे उसके सिलसिले में पैग़ाम आते रहे। मेरा चचाज़ाद मेरे पास आया तो मैंने उसका निकाह उससे कर दिया। मगर उसने तलाक़ दे दी रजई तलाक़, फिर उसे छोड़े रहा यहाँ तक कि उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। फिर दोबारा जब मुझे उसके निकाह के पैग़ाम आये तो वह फिर मेरे पास उसका पैग़ाम लेकर आ गया। मैंने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं कभी भी तुझसे उसका निकाह नहीं करूंगा। बयान करते हैं कि फिर मेरे ही बारे में ये आयते करीमा नाज़िल हुई: 'और जब तुम औरतों को तलाक़ दो, फिर वह पूरी कर लें अपनी इद्दत, तो न रोको उन्हें इससे कि निकाह कर लें अपने उन्हीं ख़ाविन्दों से, जबकि वह आपस में राज़ी हों दस्तूर के मुवाफ़िक़। ये नसीहत की जाती है उसे जो तुममें से अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिये बेहतर और पाकीज़ा है। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।' कहते हैं कि फिर मैंने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा किया और उससे निकाह कर दिया।

(2087) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4529.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर औरत शरअ व अख़्लाक़ की हुदूद में रहते हूए कहीं निकाह का इन्दिया दे तो उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। शरअ व अख़्लाक़ से बाहर निकलना तो किसी तरह भी इस्लामी मुआशरे में क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता। नीज़ ये वाक़िआ साबित करता है कि 'वली के बग़ैर निकाह नहीं' हालांकि आयते करीमा के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ में निकाह की निसबत औरतों की तरफ़ ज़िक्र हूई है। **(2)** हमारे मुआशरे में औरतें बिलउमूम कुछ अस्बाब के तहत अपनी इस ज़रूरत (निकाहे सानी) का इज़हार नहीं करती हैं। इसलिए औलिया के ज़िम्मे है कि उनकी इस फ़ितरी, शरई और अख़्लाक़ी ज़रूरत का एहसास करें। इस तरह औरत को माद्दी व मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) मिलता है और एक शरई फ़रीज़ा अदा होता है। तअज्जुब है कि इस नाम निहाद तरक़्क़ी याफ़्ता दौर में बहुत से मुसलमान निकाहे सानी को बहुत बुरा समझते हैं। चाहिए कि इस सुन्नत का अहया हो जैसे कि सय्यद अहमद शहीद और इस्माईल शहीद (रह.) ने किया था। **(3)** जब आदमी जज़्बात में आकर कोई ग़लत क़सम उठा ले तो कफ़्फ़ारा दे और सहीह अमल इख़्तियार करे।

बाब : 22
जब दो वली किसी औरत का निकाह कर दें तो?

﴿22﴾
باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .

(2088) हज़रत समुरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो वली किसी औरत का निकाह कर दें तो ये उनमें से पहले वाले के लिए हो गई। और जब किसी शख़्स ने एक चीज़ का दो आदमियों से सौदा कर दिया हो तो ये पहले वाले की हो गई।

(2088) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1110, नसाई, हदीस: 4686, इब्ने माजा, हदीस: 2190.

﴾23﴿

باب قَوْلِهِ تَعَالَى - لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ

बाब : 23
आयते करीमा (ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ कर्हन वला तअ़ज़ुलूहुन्न)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - فِي هَذِهِ الآيَةِ { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ .

(2089) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने आयते करीमा (ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ कर्हन वला तअ़ज़ुलूहुन्न) की तफ़्सीर में फ़रमाया: जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके वारिस़ उस औरत के अपने वली से भी ज़्यादा उसके हक़दार बन जाते थे। अगर उनमें से कोई चाहता तो ख़ूद ही उससे निकाह कर लेता या जिससे वह चाहते उसका निकाह कर देते थे। और अगर चाहते तो उसका निकाह ही न करते तो इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हूई।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4579, व 6948.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

(2090) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से आयते करीमा (ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ करहन व ला तअ़ज़ुलूहुन्ना लि तज़्हबू बि बअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अय्यातीना बिफाहिशतिम मुबय्यिनतिन) की तफ़्सीर में मरवी है कि आदमी अपने क़रीबी की विरास़त में उसकी बीवी का भी

آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

वारिस़ बन जाता था और उसे रोके रखता यहाँ तक कि वह मर जाती या उसे अपना हक़्क़े मेहर वापस करती तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अ़मल से मना फ़रमा दिया।

(2090) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 1304 में देखें।

फ़ायदा : (अहकमल्लाहु अ़न ज़ालिका) के मानी हैं, अल्लाह ने उससे रोक दिया। कहते हैं: (अहकम्तु फुलानन...) मैंने उसे रोक दिया इसी तरह हाकिम को भी हाकिम इसलिए कहा जाता है कि वह जुल्म से रोकता है। (अन्निहाया लि इब्ने असीर)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ .

(2091) उ़बैदुल्लाह (मौला उ़मर) ने ज़ह्हाक से इसके हम मानी बयान किया और लफ़्ज़ ये थे: (फ़वअ़ज़ल्लाहू ज़ालिका) 'अल्लाह ने इस बारे में नस़ीहत फ़रमाई।'

(2091) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : बेवा औ़रत का बिलजबर निकाह नहीं किया जा सकता, उसका इन्दिया (मश्वरा) लेना, जिसमें स़राहत हो, ज़रूरी है। जैसे कि अगले अबवाब में आ रहा है।

(24) بَاب فِي الِاسْتِئْمَارِ

बाब : 24
निकाह के सिलसिले में लड़की से मशवरा करना

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا "

(2092) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि बिलाशुब्हा नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे मशवरा कर लिया जाये। और कुंवारी का निकाह न किया जाये मगर उसकी इजाज़त से।' स़हाबा कहने लगे: ऐ अल्लाह

. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .

के रसूल! उसकी इजाज़त क्या है? आपने फ़रमाया: 'यही की ख़ामोश रहे।'

(2092) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6970, व मुस्लिम: 1419.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

(2093) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यतीम लड़की से (निकाह के सिलसिले में) उसकी अपनी ज़ात के बारे में मशवरा किया जाये। अगर वह ख़ामोश रहे तो ये उसकी इजाज़त है और अगर इंकार कर दे तो उस पर जबरदस्ती नहीं।'

यज़ीद बिन ज़रीअ़ की सनद में 'अख़बरना' का स़ेग़ा इस्तेमाल हूआ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू ख़ालिद सुलेमान बिन हय्यान और मुआज़ बिन मुआज़ ने मुहम्मद बिन अ़म्र से ऐसे ही रिवायत किया है।

(2093) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/384, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1109, नसाई, हदीस़: 3272, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1239, 1240.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ " فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ " . زَادَ " بَكَتْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ " بَكَتْ " بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهَمٌ فِي الْحَدِيثِ الْوَهَمُ مِنِ .

(2094) मुहम्मद बिन अ़म्र ने ये हदीस़ अपनी सनद से रिवायत की और उसने कहा: (फ़इन बकत औ सकतत) 'अगर वह रो पड़े या ख़ामोश रहे।' उसने 'बकत' के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा किया। (रो पड़े)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये लफ़्ज़ 'बकत' महफ़ूज़ नहीं, वहम है जो इब्ने इदरीस से हूआ है या मुहम्मद बिन अ़ला से।

ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ . قَالَ " سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا " .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को अबू अ़म्र ज़कवान ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत किया, वह कहती हैं कि (मैंने कहा) ऐ अल्लाह के रसूल! कुंवारी लड़की तो बात करने से हया करती है। आपने फ़रमाया: 'उसका ख़ामोश रहना ही उसका इक़रार है।'

(2094) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/122, बुख़ारी, हदीस़: 5137, 6946, 6971, व मुस्लिम: 1420.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " .

(2095) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़कियों के सिलसिले में औ़रतों से (उनकी माँओं से) मशवरा कर लिया करो।'

(2095) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/34.

मल्हूज़ : ये अस़र सनदन कमज़ोर है मगर हक़ीक़त यही है कि मायें अपनी बच्चियों की बहुत उ़म्दा राज़दार होती हैं और बच्चियाँ बिलउ़मूम अपने दिल की बात माओं के सामने पेश कर देती हैं।

(25) بَاب فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا

बाब : 25
अगर बाप कुंवारी लड़की का, उससे मशवरा किये बग़ैर निकाह कर दे तो?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ

(2096) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक जवान कुंवारी लड़की नबी (ﷺ) के पास आई। उसने बताया कि उसके बाप ने उसकी शादी कर दी है मगर मैं

جَارِيَةً، بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

उसे नापसन्द करती हूं। तो नबी (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दे दिया।

(2096) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1875.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوفٌ .

(2097) इक्रिमा, नबी (ﷺ) से यही रिवायत बयान करते हैं।

इमाम अबू दाऊद ने कहा कि (इक्रिमा ने) इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का नाम ज़िक्र नहीं किया, और मोहद्दिस़ीन के यहां इस रिवायत को इसी तरह मुरसल रिवायत करना ही मारूफ़ है।

(2097) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : बाप को मुनासिब नहीं कि जवान बेटी की इजाज़त लिये बग़ैर उसका निकाह कर दे। जबर की सूरत में उसे हक़ हासिल है कि क़ाज़ी के सामने अपना मुक़द्दमा पेश कर दे और क़ाज़ी तहक़ीक़े अहवाल (जाँच–पड़ताल) के बाद शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ फ़ैसला दे। अगर बाप या वली का फ़ैसला बेमहल हो तो क़ाज़ी ऐसे निकाह को फ़स्ख़ कर सकता है।

(26) باب فِي الثَّيِّبِ

बाब : 26
बेवा का मसला

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

(2098) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा अपनी ज़ात के बारे में अपने वली की बनिस्बत ज़्यादा हक़दार है। और कुंवारी से भी उसके अपने बारे में मशवरा किया जाये, उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।' और ये लफ़्ज़ क़अनबी (उ़बैदुल्लाह बिन मस्लमा) के हैं।

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " . وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ .

(2098) तख़रीज : मौता: 2/524, व मुस्लिम: 1421.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " أَبُوهَا " . لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

(2099) उबैदुल्लाह बिन फ़ज़ल ने अपनी सनद से और पिछली हदीस के हम मानी रिवायत किया और कहा: 'बेवा अपने वली की बनिस्बत, अपने बारे में ज़्यादा हक़दार है। और कुंवारी से उसका बाप मशवरा करे।' इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं अबूहा 'उसका बाप' का लफ़्ज़ महफ़ूज़ नहीं।

(2099) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/219, व मुस्लिम: 1421.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .

(2100) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वली को बेवा के मामले में कोई दख़ल नहीं है। और यतीम लड़की से मशवरा किया जाये और उसकी ख़ामोशी उसका इक़रार है।'

(2100) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3265, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 10299.

फ़ायदा : बेवा जहां का इन्दिया (इजाज़त) दे, वली के लिये वहीं निकाह करना ज़्यादा ठीक है। बशर्तेकि कोई शरई रूकावट न हो।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا،

(2101) हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम अन्सारिया (﵅) का बयान है कि उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी जबकि वह बेवा थी। उसने ये निकाह नापसन्द किया और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और आपके सामने इसका ज़िक्र किया

زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका निकाह रद्द कर दिया। (फ़स्ख़ कर दिया)

(2101) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5138, मौता: 2/535.

﴾27﴿ باب فِي الأَكْفَاءِ

बाब : 27
अज़वाज में फ़रीक़ैन के कुफ़ू (हम पल्ला) होने का मसला

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ، حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " . قَالَ " وَإِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ " .

(2102) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की रिवायत है कि अबू हिन्द ने नबी (ﷺ) के सर में सैंगी लगाई। और फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ बनी बयाज़ा! अबू हिन्द का (अपने में से किसी के साथ) निकाह कर दो। और उससे (इसकी किसी अ़ज़ीज़ा का) निकाह ले लो।' और फ़रमाया: 'अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी में ख़ैर है तो वह सैंगी लगाने ही में है।'

तख़रीज : (सनद हसन) दारक़ुतनी: 3/300, हदीस़: 3752, इब्ने हिब्बान, 1249, हाकिम: 2/164.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अक्स़र उ़लमा के बयानात में ज़ौजैन (मियां बीवी) के आपस में कुफ़ू (हम पल्ला) होने का ज़िक्र आया है और वह उन मामलात को पेशे नज़र रखते हैं। दीन, आज़ादी, नसब, कस्ब व स़नाअ़त, उयूब से सलामती और ग़िना व फ़राख़ी। मगर इमाम मालिक (रह.) से मनक़ूल है कि बुनियादी तौर पर 'दीन व इस्लाम में हम पल्ला होना' ही मोतबर है। और यही बात हज़रत इब्ने उ़मर और इब्ने मसऊ़द (رضي الله عنهم) और ताबेईन में से मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) से मनक़ूल है। क़ुर्आन करीम ने बड़े वाज़ेह अन्दाज़ में फ़रमाया है कि: 'मोमिन आपस में भाई भाई हैं।' (अलहुजुरात: 10) और 'हमने तुम्हारे क़बीले और ख़ानदान बनाये, तुम्हारे तआरूफ़ के लिये। अल्लाह के यहां तुममें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो तुममें तक़्वा में बढ़कर है।' (अलहुजुरात: 13) कुछ अफ़राद या ख़ानदानों में कुछ ख़ास़ आ़दात या ख़स़ाइल मारूफ़ होते हैं वह अगर क़ाबिले क़बूल हों और घरेलू ज़िन्दगी में इत्मिनान व सकीनत में रूकावट का बाइस़ न

हों तो उन्हें बाहम अज़दवाजी ताल्लूक़ के क़याम में किसी तरह रूकावट नहीं बनाना चाहिए। (2) अबू हिन्द (यसार (ﷺ) गुलाम थे। नबी (ﷺ) ने बनी बयाज़ा जैसे अरबी ख़ानदान वालों को फ़रमाया कि उसको रिश्ता दो और उससे रिश्ता ले भी लो। इस वाक़िआ में यही साबित हूआ है कि असल बराबरी दीन की बराबरी है, दीन को पेशेनज़र रखा जाये ख़ानदानी ऊंच नीच की कोई हैसियत नहीं।

(28) بَاب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ، - مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ - حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ

बाब : 28 विलादत से पहले लड़की का निकाह कर देना

(2103) मैमूना बिन्ते करदम (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ चली, उस हज के मौक़े पर जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज किया तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, मेरे वालिद उनके क़रीब हूए। आप (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर थे। आप (ﷺ) उनकी ख़ातिर रूक गये, मेरे वालिद ने आपसे मुफ़ीद और मतलब की बातें सुनीं। आपके पास दुर्रा था जैसे कि मुअल्लिम लोगों के पास होता है। मैंने बदवियों को और लोगों को सुना कि वह कह रहे थे: तबतबीया, तबतबीया तबतबीया (चलते हूए पाँव पड़ने की आवाज़, तब तब, या कोड़ा मारने की आवाज़) मेरे वालिद आप (ﷺ) के क़रीब हूए, आपके क़दम मुबारक पकड़ लिये, आपकी रिसालत का इक़रार किया, आपके पास खड़े रहे और आपके इर्शादात सुने। मेरे वालिद ने बताया कि मैं लश्करे इस़रान में शरीक हूआ था। इब्ने मुसन्ना ने इसको ग़िस़रान कहा (ग़ैन मनक़ूत

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَابْنُ، مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَاقَ، عُثْمَانُ مِثْلَهُ

(2115) उ़स्मान बिन अबी शैबा अपनी सनद से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत करते हैं।

(2115) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1145.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ كَمَا

(2116) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़तबा बिन मसऊ़द, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ के बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) को यही ख़बर दी गई। और फिर वह लोग एक महीना तक उनके पास चक्कर लगाते रहे। या कहा कई बार उनके पास आये। तो बिलआख़िर ये कहा: मेरी राय इसमें ये है कि ये औ़रत मेहर की हक़दार है जैसे कि इस तरह की औ़रतों का हक़्क़े मेहर होता है (मेहरे मिस्ल) बग़ैर किसी कमी बेशी के। और ये मीरास़ की हक़दार है और इस पर इद्दते (वफ़ात) भी लाज़िम है। अगर मेरी ये बात हक़ और दुरूस्त है तो अल्लाह की जानिब से है और अगर ग़लत है तो मेरी तरफ़ से है और शैतान की तरफ़ से, अल्लाह और उसके रसूल दोनों इससे बरी है। चूनांचे क़बीला अशजअ़ के लोग खड़े हूए उनमें जर्राह और अबू सिनान भी थे, उन्होंने कहा: ऐ इब्ने मसऊ़द! हम गवाही देते हैं कि यही फ़ैसला रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारी एक औ़रत बिरवा बिन्ते वाशिक़ और उसके शौहर हिलाल बिन मुर्रा अशजई के बारे में फ़रमाया

قَضَيْتَ . قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

था, जैसे कि आपने किया है। रावी ने बयान किया कि इससे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) को बेहद ख़ूशी हूई कि उनका फ़ैसला रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले के मुताबिक़ हूआ है।

(2116) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमदः 1/447, हदीस़: 2114 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर मुसलमान को अपने अहम मसाइल में भरोसेमंद उ़लमा की तरफ़ रूजू करना चाहिए और आ़लिम पर भी लाज़िम है कि फ़तवा देने और फ़ैसला करने से पहले ख़ूब ग़ौर व ख़ोज़ कर ले और जहां तक हो सके अपनी राय से फ़ैसला न दे। अगर दे तो उसके एहतमाले ख़ता व स़वाब का यक़ीन रखे। **(2)** इन्सान क़ुर्आन व सुन्नत को अपना रहनुमा बना ले तो अल्लाह अ़ज्ज़ व जल्ल मुश्किल मसाइल में उसकी रहनुमाई फ़रमाता है। और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) और तमाम बड़े-बड़े स़हाबा किराम, फ़ुक़हा ए इस्लाम उम्मते मुस्लिमा के सल्फ़ स़ालेह हैं। **(3)** निकाह के वक़्त अगर हक़्क़े मेहर मुक़र्रर न किया गया हो तो निकाह स़हीह है। मगर मेहरे मिस्ल लाज़िम आयेगा। **(4)** ऐसी औ़रत जिससे उसके शौहर का मिलाप न हूआ हो, शौहर की वफ़ात पर इद्दते वफ़ात पूरी करेगी, शौहर के हक़ व एहतराम में न कि हमल के शुब्हा में।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ

(2117) हज़रत उ़क़बा बिन आ़मिर (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने एक शख़्स़ से कहाः 'क्या तुम राज़ी हो कि फ़ुलां औ़रत से तुम्हारी शादी कर दूं?' उसने कहाः जी हाँ: फिर आपने औ़रत से पूछाः 'क्या तू राज़ी है कि फ़ुलां मर्द से तेरी शादी कर दूं?' तो उसने कहाः जी हाँ! चूनांचे आपने उन दोनों की शादी कर दी। और फिर उस मर्द ने उससे स़ोहबत की मगर हक़्क़े मेहर मुक़र्रर न किया और उसे कुछ न दिया। और ये उन लोगों में से था जो हुदैबिया में शरीक हो चुके थे और शुरका-ए-हुदैबिया को ख़ैबर में हिस्स़ा

" . قَالَ نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ " أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا " . قَالَتْ نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا

मिला था। जब उसकी वफ़ात का वक़्त आया तो उसने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फुलां औरत से मेरी शादी कर दी थी मगर मैंने उसके लिये मेहर मुक़र्रर नहीं किया था और न उसे कुछ दिया था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं उसे मेहर में अपना ख़ैबर का हिस्सा देता हूं। चूनांचे उस औरत ने वह हिस्सा लिया और फिर उसे एक लाख में फ़रोख़्त कर दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) ने इब्तेदा–ए–हदीस में इस क़द्र इज़ाफ़ा किया ... और उसकी हदीस ज़्यादा कामिल है ... कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'बेहतरीन निकाह वही है जो ज़्यादा आसानी वाला हो।' और कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस आदमी से कहा ... इसके बाद पिछली हदीस की मानिन्द हदीस बयान की।

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं : अन्देशा है कि हदीस मुलहक़ है क्योंकि असल मामला उसके ख़िलाफ़ है।

(2110) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ीः 7/232, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1257, 1262, हाकिमः 2/182.

फ़ायदा : असल मसला ये है कि हक़्क़े मेहर मुक़र्रर न होने की सूरत में औरत मेहरे मिस्ल की मुस्तहिक़ होती है बशर्ते कि उससे सोहबत कर ली गई हो, जब कि इस वाक़िआ में उसे मेहर ज़्यादा दिया गया। इसलिए इमाम साहिब इस वाक़िआ के ख़िलाफ़ से ताबीर फ़रमाया। इसके अलावा रिवायत का ये टुकड़ा अबू दाऊद के अक्सर नुस्ख़ों में नहीं है।

बाब : 33
ख़ुत्ब–ए–निकाह के अहकाम व मसाइल

﴾33﴿ باب في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

(2118) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्ब–ए–हाजत तालीम फ़रमाया वह ये कि (इन्नल हम्द लिल्लाहि नस्तअ़ीनु वनस्तग़फ़िरूहु वनअ़ूज़ुबिही मिन शुरूरि अन्फ़ुसिना ...) (मुकम्मल अल्फ़ाज़ बिलमुक़ाबिल नस़ में मुलाहिज़ा फ़रमायें) 'तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं। हम उसी से मदद चाहते हैं। और (अपने गुनाहों की) माफ़ी चाहते हैं और अपने नफ़्सों की शरारतों से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे वह राहे हक़ समझा दे कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वह गुमराह कर दे उसके लिये कोई रहनुमा नहीं हो सकता। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के सिवा और कोई माबूदे बरहक़ नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और उसके रसूल हैं। 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो जिसके वास्ते से तुम सवाल करते हो, और रिश्ते नाते (तोड़ने) से बचो, बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला तुम पर निगहबान है।' 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो और उससे डरो जैसे कि उससे डरने का हक़ है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ - الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ

تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } . لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ إِنَّ .

और तुम पर मौत न आये मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो।' 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो और बात हमेशा साफ़ सीधी किया करो। अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल दुरूस्त फ़रमा देगा, तुम्हारी ख़तायें माफ़ कर देगा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली बिलाशुब्हा वह अज़ीम कामयाबी से हमकिनार हूआ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन सुलेमान ने (शूरू रिवायत में) लफ़्ज़ (इन्न) ज़िक्र नहीं किया।

(2118) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1405, इब्ने माजा, हदीस: 1892, तिर्मिज़ी, हदीस: 1105, मुसनद अहमद: 1/393.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इज्तिमाई मसाइल में गुफ़्तगू से पहले ये ख़ुत्बा पढ़ना मुस्तहब व मसनून है, बिलख़ुसूस अक़दे निकाह के मौक़े पर आदाबे निकाह में शामिल है। मगर अमले निकाह का रूक्न नहीं है। निकाह के लिये ईजाब व क़बूल ही लाज़मी शर्त है। इस ख़ुत्बा की जामेअ और सहीतरीन नस़ को अल्लामा अल्बानी (रह.) ने 'ख़ुत्बतुल हाजत' में जमा फ़रमा दिया है। **(2)** (शुरूरे अन्फ़ुस) 'नफ़्स की शरारतों' से मुराद बदअख़्लाक़ी और सुफ़्लापन वग़ैरह की आदात हैं, वह इन्फ़ेरादी हों या इज्तेमाई, लिहाज़ा किसी भी फ़र्द या मुआशरे को अपने बारे में धोखे में नहीं रहना चाहिए बल्कि हमेशा अल्लाह तआला से इस्तेग़फ़ार करते रहना चाहिए। शैतान के फंदे बड़े सख़्त हैं। **(3)** हदीस़ के इस सयाक़ में (या अय्यूहल्लज़ीना आमनुत्तक़ूल्लाह ...) क़ुर्आन मजीद की आयत नहीं, इस आयत का मानी व मफ़हूम कहा जा सकता है जो कि सूरह निसा की इब्तेदा में वारिद है: (अन्निसा: 1) दीगर रिवायात में ये आयते करीमा इसी तरह कामिल तौर पर आई है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ،

(2119) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ख़ुत्बा पढ़ते ... तो गुज़िश्ता हदीस़ के मिस्ल ज़िक्र किया। और (मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू) के बाद ये

عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَرَسُولُهُ " . " أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا " .

कहते (अर्सलहू बिल हक़्क़ि बशीरव् व नज़ीरन बैना यदइस्साअति मय्युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द रशदा व मय्यअसिहिमा फ़इन्नहू ला यज़ुर्रू इल्ला नफ़्सहू व ला यज़ुर्रूल्लाह शैअन) 'अल्लाह ने उनको हक़ देकर ख़ूशख़बरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा कि क़यामत से पहले पहले लोगों को खबरदार कर दें। जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वह यक़ीनन हिदायत पा गया और जिसने उनकी नाफ़रमानी की उसने अपना ही नुक़सान किया, वह अल्लाह का कोई नुक़सान नहीं कर सकता।'

(2119) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/146, हदीस: 1097,1099, 4981 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ أَخِي، شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ .

(2120) इस्माईल बिन इब्राहीम, बनू सुलैम के एक शख़्स से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से उमामा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब का रिश्ता तलब किया तो आपने उसका मुझसे निकाह कर दिया और ख़ुत्बा भी न पढ़ा। हमें अबू ईसा ने बताया कि इमाम अबू दाऊद (रह.) से पूछा गया: क्या ये जायज़ है? उन्होंने कहा: हाँ, इस बारे में नबी(ﷺ) से अहादीस आती हैं।

(2120) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/147, बुख़ारी अत्तारीखुल कबीर: 1/343

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन ये बात दूसरी रिवायात से साबित है कि निकाह, ख़ुत्बे के बग़ैर भी जायज़ है, क्योंकि निकाह के लिये सिर्फ़ वली की इजाज़त, दो गवाहों की मौजूदगी और ईजाब व क़बूल ज़रूरी है।

بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَيْشَ غِثْرَانَ - فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي . فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهْلِي جَهِّزْهُنَّ إِلَىَّ . فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لاَ أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَبِقَرْنِ أَىِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ " . قَالَ قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ . قَالَ " أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا " . قَالَ فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ " لاَ تَأْثَمُ وَلاَ يَأْثَمُ صَاحِبُكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَتِيرُ الشَّيْبُ .

के साथ) (ये दौरे जाहिलीयत की एक जंग का वाक़िआ है) इस दौरान में तारिक़ बिन मुरक़्क़अ ने कहा था। कौन है जो मुझे अपना नेज़ा दे और इसका बदला पाले? मैंने कहा: इसका बदला क्या है? कहा: मैं इसके साथ अपनी उस बेटी का निकाह कर दूंगा जो सबसे पहले पैदा होगी। चूनांचे मैंने उसको अपना नेज़ा दे दिया, फिर उससे ग़ायब रहा यहाँ तक कि मुझे इल्म हूआ कि उसके यहां लड़की पैदा हूई है और अब बालिग़ हो चुकी है। फिर मैं उसके पास गया, और उससे कहा कि मेरे घर वालों (मेरी बनने वाली बीवी) को मेरी तरफ़ तैयार कर दो। तो उसने क़सम उठाई कि वह ऐसा नहीं करेगा यहाँ तक कि मैं उसे नया मेहर पेश करूं, बख़िलाफ़ उसके जो मेरे और उसके दरम्यान हो चुका था। और मैंने भी क़सम उठा ली कि जो दे चुका हूँ बस वही है और नहीं दूंगा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा: 'और अब वह लड़की किस उमर में है? कहा कि अब तो उसके बालों में सफ़ैदी आ गई है।' आपने फ़रमाया: 'मेरा ख़्याल है कि तू उसे छोड़ दे।' आपकी ये बात मुझे परेशान कर गई। और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ देखा। जब आपने मेरी ये कैफ़ियत देखी तो फ़रमाया: 'न तुम गुनाहगार बनो और न तुम्हारा साथी गुनाहगार बने।'

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं 'अलक़तीर' का मानी बालों की सफ़ैदी (बुढ़ापा) है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/366.

फ़ायदा : सूरह अहज़ाब की इस आयत नम्बर 51 में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी (ﷺ) को बीवियों में बारी के मसले में बसराहत रूख़सत इनायत फ़रमाई है। मगर आप (ﷺ) इस रूख़सत के बावजूद तक़सीम की अजीमत पर क़ायम रहे। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का अपने आप को तरजीह देना किसी नफ़सानी हिस्से की बिना पर न था बल्कि उस शर्फ़े ख़िदमत की बिना पर था जो उनके क़रीब से हासिल होता था। और सबसे बढ़कर नुज़ूले बरकत और अल्लाह के यहां बुलंद दर्जात का सबब था।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ - تَعْنِي فِي مَرَضِهِ - فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ " إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ " . فَأَذِنَّ لَهُ

(2137) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़वाजे मुतहहरात को बुलवाया। यानी अपने मर्ज़े वफ़ात के दिनों में, तो वह जमा हो गयीं, आपने फ़रमाया: 'मैं अब तुम्हारे दरम्यान चक्कर नहीं लगा सकता अगर मुनासिब समझो और मुझे इजाज़त दे दो, तो मैं आयशा के यहां रह लूं।' तो सबने इजाज़त दे दी।

(2137) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 391, मुसनद अहमद, 6/31.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ .

(2138) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी अज़वाजे मुतहहरात में क़ुरआ डालते, जिसका नाम निकल आता वह आपके साथ सफ़र में जाती। आप(ﷺ) हर ज़ोजा को उसकी बारी का दिन और रात देते, सिवाए हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (رضي الله عنها) के, उन्होंने अपना दिन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को हिबा कर दिया था।

(2138) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2593, व हदीस: 2688.

बाब : 40
शौहर, जो बीवी से शर्त कर ले कि उसको वतन ही में रखेगा

﴿40﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .

(2139) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'शर्तों में से अहम तरीन शर्त जिसका पूरा करना तुम पर वाजिब है, वह है जिसकी बिना पर तुमने (बीवियों की) अ़स्मतों को हलाल किया हो।'

(2139) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2721, व मुस्लिम: 1418.

फ़ायदा : इमाम स़ाहिब (रह.) का इस्तेदलाल है कि ऐसी शर्तों का पूरा करना वाजिब है बशर्ते कि किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल न ठहराया गया हो।

बाब : 41
बीवी पर शौहर के हुक़ूक़ का बयान

﴿41﴾ باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ

(2140) हज़रत क़ैस बिन सअ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं हीरा गया, तो मैंने देखा कि वह लोग अपने सरदार को सज्दा करते हैं तो मैंने कहा: अल्लाह के रसूल (ﷺ) इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि उनको सज्दा किया जाये। कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और बताया कि मैं हीरा गया, तो देखा कि वह लोग अपने सरदार को सज्दा

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ " . قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ " .

करते हैं तो आप ऐ अल्लाह के रसूल! इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि हम आपके सामने सज्दा रेज़ हों। आपने फ़रमाया: 'भला बता कि अगर तू मेरी क़ब्र पर गुज़रता तो क्या उसे सज्दा करता?' मैंने कहा कि नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो ऐसा न करो। अगर मैं किसी को सज्दा करने का कहता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सज्दा करें क्योंकि अल्लाह तआला ने बीवी पर शौहर का बहुत हक़ रखा है।'

(2140) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस़: 1471, हाकिम: 2/187, बैहक़ी, 7/291, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1159, इब्ने हिब्बान, 1291.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ताज़ीमी सज्दा मुश्रिकीन ही का शिआर है। **(2)** क़ब्र पर सज्दा करना या किसी ज़िन्दा या मुरदा को सज्दा करना, फ़ितरते सलीमा के भी ख़िलाफ़ है ये तो दूर की बात है कि कोई कलिमा गो इसका तसव्वुर करे। **(3)** बीवियों पर वाजिब है कि अपने ख़ाविन्दों की हद दरजा इज़्ज़त व तौक़ीर और ख़िदमत को अपना शेआर बनायें। मगर ज़ाहिर है कि शरई हुदूद व क़ुयूद की पाबन्दी लाज़मी है। **(4)** सज्दा सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक का हक़ और उसी के साथ ख़ास़ है, दूसरे किसी शख़्स के लिये सज्दा क़तअन रवा और जायज़ नहीं है। **(5)** मर्दों को औरतों पर फ़ोक़ीयत हासिल है। क़ुर्आने मुक़द्दस में भी इसकी तस़रीह मौजूद है। **(6)** ये हदीस़ स़हाबा किराम(رضي الله عنهم) की रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कमाले मुहब्बत की वाज़ेह दलील है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .

(2141) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब शौहर बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये और वह न आये और शौहर गुस्से में रात गुज़ार दे तो फ़रिश्ते उस बीवी पर सुबह होने तक लानत करते रहते हैं।'

(2141) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5193, व मुस्लिम: 1436.

फ़ायदा : बुनियादी हक़ीक़त तो यही है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमा दी है कि इस तरह बेशुमार नफ़्सयाती और इज्तेमाई फ़ित्नों का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और इंकार की सूरत में बहुत से इन्फ़ेरादी, ख़ानदानी और मुआशरती फ़साद जन्म लेते हैं। इसलिए औरत के लिए ज़रूरी है कि वह ख़ाविन्द के जज़्बात का लिहाज़ रखे। ताहम अगर कोई माक़ूल उज़्र हो, लेकिन ख़ाविंद उसे अहमियत न दे रहा हो। जैसे बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसकी सेहत मर्द की ख़्वाहिश पूरी करने के लायक न हो। या और इसी क़िस्म का कोई माक़ूल उज़्र हो तो बीवी का इंकार उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के यहां क़ाबिले मुआख़िज़ा (पकड़) नहीं होगा। (वल्लाहू आलम)

बाब : 42
शौहर के ज़िम्मे बीवी के हुक़ूक़ का बयान

(42)
باب فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " وَلاَ تُقَبِّحْ " . أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .

(2142) जनाब हकीम बिन मुआविया कुरैशी अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम पर बीवी के क्या हुक़ूक़ हैं? आपने फ़रमाया: 'जब तू खाये तो उसे खिलाये, जब तू पहने तो उसे पहनाये।' या यूं कहा: 'जब कमा कर लाये (तो उसे पहनाये) और चेहरे पर ना मार, बुरा न बोल और उससे जुदा न हो मगर घर में।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (वला तुक़ब्बिह) के मानी हैं: 'यूं मत कहो कि अल्लाह तुझे क़बीह बना दे।'

(2142) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/3, इब्ने माजा, हदीस: 1850.

फ़ायदा : बवक़्ते ज़रूरत तादीब की सूरत में चेहरे पर मारना मना है। और अगर बिस्तर से अलग करना हो तो घर के अंदर ही हो, अपने घर से मत निकाल दे, और ज़बानी डाँट में भी बद दुआ देना नाजायज़ है। क़ुर्आन मजीद ने तादीब (अदब सिखाना) के आदाब में फ़रमाया है: 'और जिन औरतों

की नाफ़रमानी का तुम्हें अन्देशा हो तो उन्हें नसीहत करो, बिस्तरों से अलग कर दो और मार कर सज़ा दो अगर वह तुम्हारी ताबेअदारी करें तो उन पर कोई रास्ता तलाश न करो।' (अन्निसा: 34)

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ " ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلاَ تَضْرِبْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ " .

(2143) बहज़ बिन हकीम अपने वालिद (हकीम) से, वह (उसके) दादा (मुआविया बिन हीदा कुशैरी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम अपनी बीवियों से किस तरह फ़ायदा उठायें और क्या छोड़ें? आपने फ़रमाया: 'अपनी खेती को आ जैसे तू चाहे, उसे खिला जब तू खाये, उसे पहना जब तू पहने, चेहरे के क़बीह होने की बद दुआ (या गाली) न दे और (मुँह पर) मत मार।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शैबा की रिवायत में है (तुत्इमुहा इज़ा तइम्ता व तक्सूहा इज़क्तसैता)

(2143) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 9160, मुसनद अहमद: 5/5.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह बक़रः की आयत नम्बर (223) में है: 'तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ।' (इस मसले की मज़ीद तफ़्सील देखिए: अहादीस़: 2162, 2163 व माबाद) **(2)** अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ने मियां बीवी के ताल्लुक़ को जिस बलीग़ अन्दाज़ में पेश फ़रमा दिया है उससे बढ़कर उसको बयान करना नामुमकिन और मुहाल है। दुनिया की कोई ज़बान और उसका कोई सा अदब उसकी नज़ीर पेश करने से क़ासिर है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(2144) हज़रत मुआविया कुशैरी (ﷺ) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: आप (हमें हमारी औरतों के बारे में क्या इरशाद फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'जो खाते हो उससे उन्हें खिलाओ, जो पहनते हो उससे उन्हें पहनाओ, उन्हें मारो

جَدِّهِ، مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ "أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ "

नहीं और क़बीह होने की गाली (या बददुआ) न दो।'

(2144) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9151.

﴾43﴿ بَابٌ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

बाब : 43
बीवियों को मारने का मसला

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ " . قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ .

(2145) अबू हुर्रा रक़ाशी अपने चचा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें उनसे नाफ़रमानी और अदमे इताअत का अन्देशा हो तो उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो।

हम्माद ने कहा: इससे मुराद मुबाशरत है। (हमबिस्तरी न करो)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/76.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ

(2146) इयास बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ुबाब (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की बंदियों को मत मारा करो।' तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहा: औरतें अपने शौहरों के सर चढ़ने लगी हैं। पस आप (ﷺ) ने उनको मारने की रूख़सत दे दी। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर वालों के पास औरतें बहुत ज़्यादा आने लगीं

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَتْ بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ .

(2104) इब्राहीम बिन मैसरह ने बयान किया कि उसकी ख़ाला ने एक ख़ातून से ख़बर सुनाई जो कमाल की सच्ची औरत थी, वह बयान करती थी कि दौरे जाहिलीयत में मेरे वालिद एक जंग में गये। उन लोगों को गर्मी लगने लगी तो एक शख़्स ने कहा: कौन है जो मुझे अपने जूते दे दे, मैं उसका अपनी पहली पैदा होने वाली बेटी से निकाह कर दूंगा। चूनांचे मेरे बाप ने अपने जूते उतार कर उसकी तरफ़ फैंक दिये। फिर उसके यहां लड़की पैदा हूई, और बालिग़ हो गई। और गुज़िश्ता क़िस्सा की मानिन्द बयान किया मगर सफ़ेदी ज़ाहिर होने का ज़िक्र नहीं किया।

(2104) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/145, 146.

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं, इसलिये इनसे किसी मसले के इस्बात में दलील नहीं ली जा सकती।

(29) باب الصَّدَاقِ

बाब : 29 हक़्क़े मेहर के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ . فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ .

(2105) अबू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के हक़्क़े मेहर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बारह औक़िया और नश। मैंने कहा: नश क्या है? उन्होंने कहा: आधा औक़िया।

(2105) तख़रीज : मुस्लिम: 1426.

फ़ायदा : एक औक़िया में चालीस दिरहम चाँदी के होते हैं, लिहाज़ा ये मिक़्दार पाँच सौ दिरहम हूई। और मौजूदा मैयार के मुताबिक़ एक दिरहम का वज़न 2.975 गिराम और पिछले उ़लमा के हिसाब से 3.06 गिराम होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ‏.‏

(2106) अबू अलअ़जफ़ा अस्सुलमी कहते हैं कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने हमें ख़ुत्बा दिया और कहा: 'ख़बरदार! औरतों के सिलसिले में भारी भारी मेहर मत बाँधा करो, अगर ये चीज़ दुनिया में इज्ज़त और अल्लाह के यहां तक़वे का सुबूत होती तो इसमें नबी (ﷺ) सबसे बढ़कर होते। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी और अपनी साहिबजादियों में से किसी को बारह औक़िया से ज़्यादा मेहर नहीं दिया।'

(2106) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1114, नसाई, हदीस: 3351, इब्ने माजा, हदीस: 1887, हाकिम: 2/109, 175, 176, मुसनद अहमद: 1/48.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْهَرَهَا عنه أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ

(2107) उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) (अपने मुताल्लिक़) बयान करती हैं कि ये पहले उ़बैदुल्लाह बिन जहश की ज़ोजियत में थी और वह हबशा जाकर फ़ौत हो गया तो नजाशी ने उनकी शादी नबी (ﷺ) के साथ कर दी और अपनी तरफ़ से उनको चार हज़ार (दिरहम) मेहर अदा किया। फिर उन्हें शुरहबील बिन हसना (رضي الله عنه) की मईयत (साथ) में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) वज़ाहत फ़रमाते हैं कि

شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ .

शुरहबील बिन हसना में 'हसना' उनकी वालिदा का नाम है।

(2107) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2086 में देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़नी और मालदार आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ ज़्यादा मेहर दे तो अच्छी बात है कोई नाजायज़ नहीं। ताहम महज़ दिखावे की नियत से ज़्यादा से ज़्यादा मेहर मुक़र्रर कर लेना या करवा लेना, और फिर उसे अदा न करना, बिल्कुल ग़लत है। इसी तरह ताकत होने के बावजूद बराए नाम मेहर मुक़र्रर करना भी ग़लत है। हक़्क़े मेहर कम या ज़्यादा, ताक़त के मुताबिक़ होना चाहिए और उसकी अदायगी भी ज़रूरी है। **(2)** इसके अलावा इस सिलसिले में कोई दूसरा कफ़ील बन जाये तो दुरूस्त है, कोई हर्ज नहीं बल्कि नेकी में तआवुन है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ .

(2108) इमाम ज़ोहरी (रह.) का बयान है कि नजाशी ने उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ़ियान(ﷺ) का रसूलुल्लाह (ﷺ) से निकाह कर दिया, और चार हज़ार दिरहम मेहर अदा किया। और ये ख़बर रसूलुल्लाह (ﷺ) को लिख भेजी तो आपने उसे क़बूल फ़रमा लिया।

(2108) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : मुलाहिज़ा हो फ़वाइदे गुज़िश्ता हदीस: 2086.

(30) باب قِلَّةِ الْمَهْرِ

बाब : 30
हक़्क़े मेहर कम बाँधने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ

(2109) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़(ﷺ) पर ज़ाफ़रान के निशानात देखे। तो नबी (ﷺ) ने पूछा: 'ये क्या है?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक औरत से

الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَهْيَمْ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ " مَا أَصْدَقْتَهَا " . قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

शादी कर ली है। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'मेहर कितना दिया है?' कहा कि गुठली के वज़न के बराबर सोना। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही का हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: एक नवात (गुठली) पाँच दिरहम के बराबर होती है और नश बीस दिरहम का और औक़िया चालीस दिरहम का।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3375

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन्सान को अपनी इस्तेताअ़त के मुताबिक़ हक़्क़े मेहर बाँधना चाहिए जो लेना देना आसान हो। **(2)** ज़ाफ़रान और दीगर रंगदार चीज़ें (पॉवडर) मर्दों को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। **(3)** शादी (या ख़ुशी के मौक़े पर भी) क़रीब व दूर के अ़ज़ीज़ व अक़ारिब को बिला किसी अहम मक़स़द के जमा करना कोई सुन्नत नहीं है। एक छोटी सी बस्ती में रहते हुए हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ की शादी हूई और रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर भी नहीं दी गई। **(4)** अस़ल सुन्नत वलीमा है। हस्बे इस्तेताअ़त जो मयस्सर आये बकरी हो या कमो बेश कुछ और जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदा स़फ़ीया (رضي الله عنها) के वलीमे में सत्तू ही पेश फ़रमाये थे। देखिए: (फ़वाइद हदीस़: 2054) **(5)** इस ऐतबार से देखा जाये, तो हमारी शादियाँ, सरासर इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हें। जैसे लम्बी चोड़ी बारातें और फिर उनकी पुर तकल्लुफ़ ज़ियाफ़त। इसी तरह वलीमे में तरह–तरह के खानों की भरमार और दीगर रूसूमात। इस इस्राफ़ व तब्ज़ीर और फ़ुज़ूलियात की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। (तफ़्स़ील के लिये देखिए: मसनून निकाह और शादी ब्याह की रूसूमात, मतबूअ दारूस्सलाम, तालीफ़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ

(2110) मूसा बिन मुस्लिम बिन रूमान, अबू अज़ ज़ुबैर से, वह हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह(رضي الله عنه) से नक़ल करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने किसी औरत को मेहर में दो हाथ भर कर सत्तू दे दिये या खजूर, उसने उसको हलाल कर लिया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत

تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ .

को अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी ने स़ालेह बिन रूमान से, उन्होंने अबू अज्ज़ुबैर से, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मौक़ूफ़न रिवायत किया है। और अबू आ़सिम ने स़ालेह बिन रूमान से उन्होंने अबू अज्ज़ुबैर से उन्होंने जाबिर (ﷺ) से रिवायत में कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हम एक मुट्ठी तआ़म पर मुतआ़ कर लिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया: इसको इब्ने जुरैज ने बवास्ता अबू अज्ज़ुबैर, जाबिर (ﷺ) से अबू आ़सिम की तरह बयान किया।

(2110) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/355, हदीस़: 14884, व मुस्लिम: 1405.

फ़ायदा : निकाहे मुत्आ ख़ैबर से पहले हलाल था, बाद में भी कुछ औक़ात में हलाल रहा। मगर फ़तहे मक्का के मौक़े पर कम्पिलिटली हराम कर दिया गया। ये क़िस्सा नुज़ूले हुरमत से पहले का हो सकता है। और इसमें अस़ल बात कम से कम मेहर का ज़िक्र है जो कि शरई हलाल निकाह का लाज़मी हिस्सा है। मुत्आ के बाक़ी उमूर मन्सूख़ कर के हराम क़रार दिये जा चुके हैं। (मज़ीद देखिए: फ़वाइद हदीस़: 2073)

﴾31﴿ باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

बाब : 31
किसी काम और मेहनत को हक़्क़े मेहर ठहराना

حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ

(2111) हज़रत सहल बिन सअ़द साएदी (ﷺ) का बयान है कि एक औ़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आपको आपकी ख़िदमत में हिबा करती हूं,

نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ " . فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا " . قَالَ لاَ أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ " فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ " . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " .

और फिर वह बहुत देर खड़ी रही। तब एक आदमी उठा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसमें रग़बत नहीं तो इसकी शादी मुझसे कर दिजिए। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास कुछ है जो इसे मेहर के तौर पर दे सको?' कहने लगा: मेरे पास तो बस ये तहबंद ही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अगर अपना तहबंद इसको दे दोगे तो ख़ूद तहबंद के बग़ैर बैठे रहोगे, कोई और चीज़ ढूंढ़ो।' कहने लगा: मेरे पास तो और कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया: 'ढूंढ़ लाओ ख़्वाह लोहे का छल्ला ही हो।' उसने तलाश किया मगर उसे कुछ न मिला। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या तुम्हें क़ुर्आन से कुछ याद है?' कहने लगा: हाँ, फुलां फुलां सूरतें। उसने उनके नाम लिये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे क़ुर्आन के ऐवज़, जो तुम्हें याद है, मैं इसका निकाह तुम्हारे साथ करता हूं।'

(2111) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2310, मौता: 2/526, व मुस्लिम: 1425.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ

(2112) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने इसी क़िस्से की मानिन्द ज़िक्र किया। मगर उसमें तहबंद और छल्ले का ज़िक्र नहीं है। आप (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तुझे क़ुर्आन किस क़द्र याद है?' उसने कहा: सूरह बक़र: या उसके साथ वाली। आपने फ़रमाया: 'जाओ,

أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ " مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا . قَالَ " فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ " .

इसे बीस आयतें पढ़ा दो और ये तुम्हारी बीवी हूई।'

(2111) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 5506, हदीस़: 643 में देखें।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2113) मुहम्मद बिन राशिद ने मकहूल से हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) की रिवायत की मानिन्द बयान किया। मकहूल कहा करते थे कि ये अ़मल रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद किसी और के लिये रवा नहीं है।

(2113) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहली हदीस़ (2111) में इस मोहतरमा ख़ातून का अपने आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये बतौर हिबा पेश करना एक अ़ज़ीम तरीन शर्फ़ हासिल करने की कोशिश थी जो कामयाब न हो सकी मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ूद से उसके वली बन गये और एक स़ाहिबे क़ुर्आन से उसका निकाह कर दिया। और मसल–ए–हिबा स़िर्फ़ और स़िर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मख़सूस़ है, किसी और के लिये नहीं। सूरह अहज़ाब में है: 'और ईमानदार औरत जो अपना नफ़्स नबी को हिबा कर दे, ये इस सूरत में कि नबी भी उससे निकाह करना चाहे, ये ख़ास़ तौर पर स़िर्फ़ आपके लिये है और मोमिनों के लिये नहीं।'(अल अहज़ाब: 50) **(2)** हक़्क़े मेहर माल की सूरत में होना ही बेहतर है। और कम से कम मिक़्दार भी इस मक़सद को पूरा कर देती है और ऐसी तमाम रिवायात जो पाँच या दस दिरहम वग़ैरह को मुतअय्यन (फ़िक्स) करने के बारे में आई हैं नाक़ाबिले हुज्जत हैं। **(3)** इसमें ये भी है कि अज़ हद फ़क़ीर कंगाल का भी निकाह किया जा सकता है। **(4)** और तालीमे क़ुर्आन को भी हक़्क़े मेहर बनाया जा सकता है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (रह.) और इनके अस्हाब इसी के क़ायल हैं। मुत्तहिदा हिन्दुस्तान में आजादी–ए–हिन्द के मुसलमान बुनियादी किरदार अदा करने वाले मुजाहिदीन ने इस सुन्नत को ज़िन्दा किया था। मौलाना विलायत अ़ली (रह.), जिन्होंने शाह इस्माईल शहीद (रह.) के बाद तहरीके आजादी–ए–हिन्द की क़यादत संभाली और इस राह में बेमिस़ाल क़ुर्बानी और अ़ज़ीमत का नमूना पेश किया, मुत्तहिदा हिन्द में अहया ए सुन्नत के सिलसिले में भी बड़े सरगर्म रहे। निकाहे बेवगान के सिलसिले में क़ाबिले ज़िक्र बात ये है कि एक शख़्स़ अ़ब्दुल ग़नी नगर नहसवी (जो मसाकीन में से थे) का अ़क़्द एक बेवा औरत से तालीमे क़ुर्आन मेहर क़रार देकर कर

दिया (हिन्दुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) इसके क़ायल नहीं हैं, जैसे कि आख़री अस़र में जनाब मकहूल (रह.) से मनक़ूल हूआ है मगर ये क़ौल मरजूह है। **(5)** कोई ख़ातून अपने निकाह के सिलसिले में सिलसिला जन्बानी करे, तो कोई ऐब की बात नहीं है। ऐसे ही कोई वली अपनी ज़ेरे तोलियत लड़की के लिये रिश्ते आने का इन्तेज़ार करने की बजाये ख़ूद से किसी से बात करे, तो ये भी ऐब वाली बात नहीं।

बाब : 32
अगर कोई निकाह के वक़्त मेहर मुक़र्रर न करे और फिर उसकी वफ़ात हो जाये तो?

﴿32﴾
باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

(2114) जनाब मसरूक़ (रह.) से मरवी है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) से मसला पूछा गया कि एक शख़्स ने किसी औ़रत से शादी की, फिर वफ़ात पा गया जबकि उनका मिलाप न हूआ था और न हक़्क़े मेहर ही मुक़र्रर किया था (तो इस सूरत में क्या हुक्म है?) उन्होंने फ़रमाया: उस औ़रत के लिये पूरा मेहर है, उस पर इद्दत लाज़िम है और ये विरास़त की भी हक़दार है। (तब) माक़िल बिन सिनान (رضي الله عنه) ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (ऐसे ही) सुना था आपने बिरवा बिन्ते वाशिक़ के बारे में यही फ़ैसला फ़रमाया था।

(2114) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1891, नसाई, हदीस़: 3358, बैहक़ी, 7/245, व तिर्मिज़ी.

बाब : 34
छोटी बच्चियों की शादी कर देना

﴾34﴿
باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ .

(2121) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे शादी की तो उस वक़्त मेरी उ़मर सात साल थी। सुलेमान ने कहाः या छः साल। और मुझसे मिलाप हूआ (मैं आपके घर भेजी गई) तो मैं नो साल की थी।

(2121) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3896, मुसनद अहमद: 6/118, व मुस्लिम: 1422.

फ़ायदा : वालिद को बिलख़ुसूस हक़ हास़िल है कि किसी भी मस़लिहत के पेशे नज़र छोटी उ़मर की बच्ची का निकाह कर दे, मगर स़ोहबत व मुबाशरत के लिये बुलूग़त का शर्त होना अ़क़्ल, नक़्ल और अख़्लाक़ का लाज़मी तक़ाज़ा है। और छोटी उ़मर का अज़्दवाज किसी तरह भी मनाफ़िये अक़्ल व शरअ नहीं है। अगर किसी के मिज़ाज पर अपना ज़ौक़ और इलाक़ाई व ख़ानदानी रिवाज ग़ालिब हो, तो क्या कहा जा सकता है। उन चीज़ों को उस़ूले शरीअ़त नहीं बनाया जा सकता। और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबूबक्र सि़दीक़ (ﷺ) के ताल्लूक़ात शूरू दिन से 'सच्चाई' पर मबनी थे, नबी (ﷺ) उनके एहसानात का बदला नहीं दे सके तो इस अन्दाज़ से उनको अपने और क़रीब कर लिया। मज़ीद बरां ये निकाह बतौर ख़ास़ वह्ये मनाम के नतीजे में अ़मल में आया था। जैसा कि हदीस़ में इसकी तफ़्स़ील मौजूद है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5078) उ़लामा–ए–त्तिब्ब लिखते हैं कि गर्म इलाक़ों में लड़कियाँ नौ साल की उ़मर में हायज़ा हो जाती हैं और मुअ़तदिल मनातिक़ में बारह साल में और ठण्डे इलाक़ों में सौलह साल में बालिग़ होती हैं। दारक़ुतनी और बैहक़ी में अ़ब्बाद बिन अ़ब्बाद से रिवायत है कि हमारी एक औ़रत अठारह साल की उ़मर में नानी बन गई थी। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसी तरह का एक वाक़िआ इक्कीस साल की उ़मर का बयान किया है। (अज़ हाशिया बज़्लुल मज्हूद)

बाब : 35
शौहर कुंवारी बीवी के यहां (उसकी इब्तेदाई रूख़सती के वक़्त) कितने दिन इक़ामत करे? (जबकि पहले से उसके यहां बीवी मौजूद हो)

﴿35﴾

بَاب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

(2122) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(رضي الله عنها) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे शादी की तो आप (शूरू दिनों में) उनके यहां तीन दिन ठहरे, फिर फ़रमाया: 'तुम अपने घर वालों पर कोई बेक़द्रो क़ीमत नहीं हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिये सात दिन रूक जाता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे यहां सात दिन ठहरा, तो दीगर अज़वाज के यहां भी सात सात ही दिन ठहरूंगा।'

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي "

(2122) तख़रीज : मुस्लिम: 1460.

फ़ायदा : मसले की तौज़ीह अगली हदीस़ (2124) में आ रही है। इस हदीस़ में ये है कि अगर किसी ने बेवा के यहां सात दिन इक़ामत की, तो तीन दिन वाली ख़ुसूस़ियत ख़त्म हो जायेगी और बाक़ियों के यहां भी सात सात दिन ही रूकना होगा।

(2123) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) का बयान है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़फ़िया (बिन्ते हुई) को ले लिया (शादी कर ली) तो उनके यहां तीन दिन इक़ामत की। उ़स्मान बिन अबी शैबा ने मज़ीद कहा कि वह

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا . وَقَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ .

बेवा थीं। और (उनकी सनद में तस़रीहे तहदीस़ व अख़बार है) उन्होंने कहा: हद्दसनी हुशैमुन अख़बरना हुमैद हद्दसना अनस.

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/99.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .

(2124) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने कहा: अगर कोई शख़्स़ (अपने यहां) बेवा (बीवी) के होते हूए कुंवारी से शादी करे तो उसके यहां सात दिन रूके। और जब बेवा से शादी करे तो उसके यहां तीन दिन। (अबू क़लाबा ने) कहा: अगर मैं कहूं कि उन्होंने (अनस (ﷺ) ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब करके (मरफ़ूअ) बयान किया तो मैं सच ही कहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था: 'सुन्नत यही है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5213, व मुस्लिम: 1461.

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़हाबी का किसी अ़मल के बारे में 'सुन्नत' कह देना उसके मरफ़ूअ की दलील होती है। **(2)** तीन या सात दिन की ये ख़ुसूस़ियत इब्तेदाई दिनों की है, इसके बाद अ़दल से बारी मुक़र्रर कर ली जाये और तैशुदा निज़ाम के मुताबिक़ अ़मल किया जाये।

(36) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا

बाब : 36
ज़फ़ाफ़ (हमबिस्तरी) से पहले शौहर अपनी बीवी को कोई चीज़ हदिया दे

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

(2125) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि जब हज़रत अ़ली (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) से शादी की तो रसूलुल्लाह (ﷺ)

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِهَا شَيْئًا " . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ " أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ "

ने अ़ली (رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'इसको कोई चीज़ दो।' उन्होंने कहा: 'मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है।' आपने फ़रमाया: 'वह तुम्हारी हुतमी ज़िरह कहाँ है?'

(2125) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3378, मुसनद हुमैदी, हदीस: 38.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ - حَدَّثَنِي غَيْلاَنُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَعْطِهَا دِرْعَكَ".فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

(2126) नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक शख़्स से रिवायत है कि अ़ली (رضي الله عنه) ने जब फ़ातिमा(رضي الله عنها) दुख़्तरे रसूलुल्लाह(ﷺ) से शादी की और उनके यहां जाना चाहा, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको रोक लिया यहाँ तक कि पहले कोई चीज़ पेश करें। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। आपने फ़रमाया: 'अपनी ज़िरह ही दे दो।' चूनांचे उन्होंने उनको अपनी ज़िरह दी, फिर उनके यहां गये।

(2126) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/252, इब्ने हिब्बान, 9/3.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ .

(2127) इक्रिमा (रह.) हज़रत इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنهما) से इसके मिस्ल रिवायत करते हैं।

(2127) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : इन रिवायात से वाज़ेह है कि शबे ज़फ़ाफ़ में नई नवेली दुल्हन को कोई तोहफ़ा देना मुस्तहब है। क्योंकि इससे मुहब्बत में इज़ाफ़ा होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

(2128) हज़रत आयशा (ﷺ) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि किसी औरत को उसके शौहर पर पेश न करूं जब तक कि वह उसको कोई चीज़ न दे दे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ख़ैसमा (बिन अब्दुर्रहमान जोअफ़ी) ने हज़रत आयशा (ﷺ) से नहीं सुना है।

(2128) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1992.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"

(2129) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से, वह (अपने) दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत का किसी से निकाह हो और अक़्दे निकाह से पहले जो कोई मेहर, अतिया या वादा किया गया हो तो वह सब उस औरत का हक़ है। और जो अक़्द के बाद दिया जाये तो वह उसी का है जिसको दिया जाये। और किसी का सबसे उम्दा इकराम वह है जो उसकी बेटी या बहन की वजह से किया जाये।'

(2129) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3355, इब्ने माजा, हदीस : 1955.

बाब : 37
निकाह करने वाले को क्या दुआ दी जाये?

(37)
باب مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ " .

(2130) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी को उसकी शादी की मुबारकबाद देते, तो फ़रमातेः (बारकल्लाहू लक, व बारका अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी ख़ैर) 'अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम पर अपनी बरकत फ़रमाये और तुम दोनों को ख़ैर के साथ इकट्ठा रखे।'

(2130) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 1091, इब्ने माजा, हदीसः 1905, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1284, हाकिमः 2/183.

फ़ायदा : खूशी के इन मौको पर इस तरह की पाक़ीज़ा और मसनून दुआ से 'मुबारक बाद' देनी चाहिए। जो कि उल्फ़त मवद्दत और इज़ाफ़ा के ज़ाहिरी व बातिनी तमाम मानी को शामिल है।

बाब : 38
कोई शादी करे मगर औरत को हामला पाये तो ...?

(38) باب فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

(2131) बसरह नामी एक सहाबी से रिवायत है उसने कहाः मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी की, जो कि अपने परदे में थी। मैं उस पर दाख़िल हूआ तो वह हामला थी। नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'इसको हक्के मेहर

عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ - قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ " . قَالَ الْحَسَنُ " فَاجْلِدْهَا " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ " فَاجْلِدُوهَا " . أَوْ قَالَ " فَحُدُّوهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ . وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ .

मिलेगा बवजह इसके जो तूने इसकी शर्मगाह को हलाल जाना और बच्चा तेरा गुलाम होगा, जब ये बच्चा जन ले।' बलफ़्ज़ हसन बिन अ़ली ... 'तो उसे दुर्रे लगा।' और बलफ़्ज़ इब्ने अबी अस्सिर्री ... 'तुम लोग इसको दुर्रे लगाओ या कहा कि इसको हद लगाओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को क़तादा ने बवास्ता सईद बिन यज़ीद, इब्ने मुसय्यब से और यहया बिन अबी कस़ीर ने बवास्ता यज़ीद बिन नईम, सईद बिन मुसय्यब से और अ़ता ख़ुरासनी ने सईद बिन मुसय्यब से रिवायत की और सब ने उसे नबी(ﷺ) से मुरसल ही रिवायत किया है। यहया बिन अबी कस़ीर की रिवायत में है कि बस़रह बिन अकस़म ने एक औ़रत से निकाह किया और तमाम रूवात ने कहा कि आपने बच्चे को उसका गुलाम क़रार दिया।

(2131) तख़रीज : (सनद ज़ंईफ़) दारकुतनी: 3/250, 251, हदीस़: 3574, हाकिम: 2/183, वल बैहक़ी, 7/157.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . وَزَادَ وَفَرَّقَ

(2132) यहया बिन अबी कस़ीर ने यज़ीद बिन नुऐम से उन्होंने सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत किया कि एक शख़्स ने, जिसे बस़रह बिन अकस़म कहा जाता था, एक औ़रत से निकाह किया ... और पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया ... और इज़ाफ़ा किया कि उनके बीच तफ़रीक़ कर दीं और इब्ने जुरैज की रिवायत ज़्यादा

بَيْنَهُمَا . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ .

कामिल है।

(2132) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/157.

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात मुरसल हैं, मरफ़ूअन सही नहीं हैं। ताहम मसाइल का हल तक़रीबन यही है। (1) इस क़िस्म की सूरते हाल में कि इन्सान अपनी मन्कूहा को हामला पाये तो उनमें तफ़रीक़ करा दी जायेगी और शौहर ने अगर उससे मुबाशरत कर ली हो तो उसकी वजह से उसे हक़्क़े मेहर (या मेहरे मिस्ल) देना पड़ेगा। (2) उस औरत पर हद लाज़िम आयेगी। (3) वलदुज़्ज़िना को मारूफ़ मानी में गुलाम (अ़ब्द) होने का किसी फ़क़ीह ने नहीं कहा। मगर ये कि उसे उस दौर की बात तस्लीम की जाये जबकि गुलामी का दौर बाक़ी था। हाँ उस बच्चे की अच्छी तालीम व तरबियत की ताकीद है और वह अपने मुरब्बी का एहसानमंद और ख़िदमतगार होगा। वल्लाहू आलम!

बाब : 39
बीवियों के दरम्यान बारियों और तक़सीम का बयान

(39)
باب فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " .

(2133) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स की दो बीवीयाँ हों और फिर वह किसी एक की तरफ़ माइल हो गया तो वह क़यामत के रोज़ इस कैफ़ियत में आयेगा कि उसका एक पहलू झुका हूआ होगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1969, नसाई, हदीस: 3394, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1307, इब्ने अलजारूद, हदीस: 722, हाकिम: 2/186.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2134) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (अपनी अज़वाजे मुतहहरात के बीच) तक़सीम करते और अदल करते और फ़रमाया करते: 'ऐ

بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ " . يَعْنِي الْقَلْبَ .

अल्लाह! ये मेरी तक़सीम है जो मेरे बस में है। और उस बात में मुझे मलामत न फ़रमाना जिसका तू मालिक है और मेरा उस पर इख़्तियार नहीं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इससे मुराद दिल (का मैलान) है।

(2134) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1140, इब्ने माजा, हदीस: 1971, नसाई, हदीस: 3395, हाकिम: 2/187.

फ़ायदा : मतलब ये है कि मुआशरती बर्ताव में मैं कोताही नहीं करता, लेकिन दिल का मामला मेरे इख़्तियार में नहीं। इसलिये क़ल्बी मुहब्बत में कमी बेशी पर मुझे मलामत न करना। इससे मालूम हूआ कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने वाला अगर ज़ाहिरी बर्ताव में अदल व इन्साफ़ का एहतिमाम करता रहेगा तो क़ल्बी मैलान की कमी बेशी पर उसकी गिरफ़्त नहीं होगी। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ

(2135) उर्वा (रह.) ने बयान किया कि हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने कहा: ऐ मेरे भांजे! रसूलुल्लाह(ﷺ) (हम अज़वाज में) बारी मुक़र्रर करने के मामले में, यानी हमारे पास ठहरने के मामले में हममें से किसी को किसी पर फ़ज़ीलत न दिया करते थे। और आप तक़रीबन हर रोज़ हम सब के पास चक्कर लगाया करते थे और हर बीवी के क़रीब होते। ये नहीं कि आप सोहबत करते थे। यहाँ तक कि उसके पास जा पहुँचते जिसकी बारी का दिन होता और रात उसके यहां गुज़ारते। हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (رضي الله عنها) जब बड़ी उमर की हो गयीं और उन्हें अन्देशा हूआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा दिन आयशा

حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا } .

के लिये (वक़्फ़) है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे क़बूल फ़रमा लिया। (हज़रत आयशा) कहती हैं कि हम कहा करती थीं कि इसी सिलसिले में और इसी क़िस्म की सूरते अहवाल के मुताल्लिक़ ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई है: (व इनिम रातुन ख़ाफ़त मिम बअलिहा नुशूज़न) 'अगर किसी औरत को अन्देशा हो अपने ख़ाविन्द के पकड़ने का।'

(2135) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/107, हाकिम: 2/186, बैहक़ी: 7/74, 75.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .

(2136) मुआज़ह, हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करती हैं उनका बयान है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सूरह अहज़ाब की आयते करीमा: (तुरज़ी मन तशाउ मिन्हुन्न व तूवी इलैक मन तशाउ) के नाज़िल हो जाने के बाद (भी) हममें से जिसकी बारी का दिन होता उससे इजाज़त लिया करते थे (जब किसी दूसरे हरम में जाने की कोई ज़रूरत होती) मुआज़ह कहती हैं मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से दरयाफ़्त किया कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) को क्या कहा करती थीं? उन्होंने कहा: मैं कहा करती थी: अगर ये फ़ैसला करना मेरे ही ज़िम्मे है तो फिर मैं अपने आप पर किसी और को तरजीह नहीं दे सकती।

(2136) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4789, व मुस्लिम: 1476.

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ " .

जो अपने शौहरों की शिकायत करती थीं। नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मुहम्मद (ﷺ) के घर वालों के पास औरतें बहुत ज़्यादा आई हैं जो अपने शौहरों की शिकायत करती हैं। ऐसे लोग कोई अच्छे आदमी नहीं हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने हमें कहा कि ज़ोहरी के शैख़ का नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ही है (न कि उ़बैदुल्लाह)

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीसः 1985, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1316, हाकिमः 2/188, 191.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ" .

(2147) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'शौहर से, बीवी को मारने के सिलसिले में, सवाल नहीं किया जायेगा।'

(2147) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीसः 1986, हाकिमः 4/175.

फ़ायदा : अगर तादीब की सूरत हो, ज़बानी और बेरूख़ी से बीवी अपने मामले को सुलझाती न हो तो मारने की रूख़सत है जैसे कि सूरह निसा आयत 34 में आया है। ये रिवायत कुछ अइम्मा के नज़दीक ज़ईफ़ है। सहीह होने की सूरत में इसका मतलब वह मार है, जिसकी इजाज़त शरीअ़त ने दी है। यानी हल्की सी मार, जिसका मक़सद बीवी की इस्लाह और उसे खबरदार करना हो। अगर ख़ाविंद ज़ुल्म करेगा, हदसे तजावूज़ करेगा या उसे बिलावजह मारे पीटेगा तो वह ज़ालिम होगा जिसका उसे हिसाब देना पड़ेगा।

बाब : 44
नज़र नीची रखने का हुक्म

﴿44﴾ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ "اصْرِفْ بَصَرَكَ" .

(2148) हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली(رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अचानक नज़र पड़ जाने के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फ़रमाया: 'अपनी नज़र फेर लो।'

(2148) तख़रीज : मुस्लिम: 2159.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ " يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ " .

(2149) इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अ़ली(رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'ऐ अ़ली! नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ, पहली तुम्हारे लिये माफ़ है (जो अचानक पड़ गयी) दूसरी नहीं (अ़मदन देखना)'

(2149) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2777, हाकिम, 2/194, 3/123.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " .

(2150) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई औ़रत किसी दूसरी औ़रत के साथ बग़लगीर होकर या चिमट कर न लेटे और फिर अपने शौहर को उसके मुताल्लिक़ बताने लगे गोया वह उसकी तरफ़ देख रहा है।'

(2150) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5241.

फ़ायदा : कोई औ़रत दूसरी के साथ लेटे या सोए और फिर उसके अहवाल अपने शौहर को बताये, या

वैसे ही किसी की तारीफ़ें करने लगे, मना और नाजायज़ है। ये सूरतें दिलों में शैतानी वस्वसे पैदा करने का बाइस़ होती हैं और फिर फ़ितने उठते और यही तालीम शौहर के लिये भी है कि किसी मर्द की अपनी बीवी के सामने मुबालिग़ा आमेज़ तारीफ़ न करे।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ " .

(2151) हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई औरत देखी फिर (अपने घर) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) के यहां आये और उनसे अपनी हाजत पूरी की। फिर अपने अस़्हाब के पास गये और उनसे फ़रमाया: 'औरत शैतान की सूरत में सामने आती है, जो शख़्स़ इस तरह की कोई कैफ़ियत महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी के पास चला जाये, बिलाशुब्हा (बीवी के पास जाना) उसके नफ़्स में आने वाले वस्वसे और ख़्याल को निकाल देगा।'

(2151) तख़रीज : मुस्लिम: 1403.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ बेशर्म लोग इस स़हीह हदीस़ के अल्फ़ाज़ से तर्जुमा में ये रंग भरने की कोशिश करते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह, रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़लूबुश्शहवत क़िस्म के इन्सान थे। और कुछ दूसरे हैं कि अहादीस़ की हुज्जियत को मशकूक बावर कराते हैं और ये दोनों ही बातें इल्म व दयानत के मनाफ़ी हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तो इस क़द्र बाहया थे कि परदे में बैठी हूई दोशेजा (कुँवारी लड़की) की हया भी आपकी हया के सामने मांद थी। ऐसा तर्जुमा करने वाले मक़ामे रिसालत से आगाह नहीं। भला (फ़क़ज़ा हाजती) 'आपने अपनी हाजत या ज़रूरत पूरी की' का तर्जुमा अ़रबी ज़बान व अदब में सिवाए मुबाशरत के और है ही नहीं? आपने स़हाबा की मज्लिस़ में जाकर एक क़ाइदा की बात बताई कि औरत मर्द के लिये शैतान की तरह वस्वसे पैदा करती और फ़ित्ने का बाइस़ बनती है। इसका बेहतरीन इलाज इन्सान की अपनी बीवी है। इस नस़ीहत को पिछले जुमलों से जोड़ कर एक ऐसा मफ़हूम पैदा करना जो एक आ़म बावक़ार शख़्स़ीयत के लिये भी ज़ैब न देता हो, रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये बयान करना बहुत ज़्यादा ना मुनासिब है। **(2)** औरत को ऐसी किसी सूरत में बाहर नहीं निकलना चाहिए कि शैतान स़िफ़त कहलाई जाने लगे। **(3)** स़िन्फ़ी जज़्बात पूरे करने के लिये पाक और हलाल मक़ाम इन्सान का अपना घर है। **(4)** औरत को भी शौहर का मुतीअ होना चाहिए ताकि शौहर की नज़र पाक और चादरे अ़स़मत बे दाग़ रहे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

(2152) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (लमम) (छोटे मोटे गुनाहों) की तफ़्सीर में, मैंने अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत से बढ़ कर और कोई चीज़ नहीं देखी। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से नक़ल करते हैं: 'अल्लाह तआला ने इब्ने आदम पर ज़िना से उसका हिस्सा लिख दिया है जिसे वह पाकर रहेगा। तो आँख का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बोलना है, और दिल तमन्ना और ख़्वाहिश करता है और शर्मगाह उसकी तसदीक़ या तकज़ीब करती है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6243, व मुस्लिम: 2657.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا " . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ " .

(2153) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर आदम ज़ाद के लिये ज़िना से उसका हिस्सा (लिखा गया) है। और पिछला क़िस्सा बयान किया, कहा: 'हाथ ज़िना करते हैं, उनकी बदकारी, पकड़ना है। पाँव ज़िना करते हैं, उनकी बदकारी, चलना है। मुँह ज़िना करता है और उसकी बदकारी, बोसा लेना है।'

(2153) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/343, व मुस्लिम: 2657.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَالأُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ " .

(2154) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने नबी (ﷺ) से पिछला क़िस्सा बयान किया। फ़रमाया: 'कान ज़िना करते हैं और उनकी बदकारी, सुनना है।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुसनद अहमद: 3/379.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुनाह दो क़िस्म के होते हैं। कबीरा और सग़ीरा (बड़े और छोटे) कबीरा गुनाह वह हैं जिन पर शरीअत ने कोई हद व सज़ा मुक़र्रर कर दी है या उन पर अ़ज़ाबे शदीद, लानत या कोई सख़्त वअ़ीद सुनाई है। ऐसे गुनाह तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते। सग़ीरा गुनाह वह हैं जो इत्तेफ़ाक़न हो जाते हैं और शरीअ़त की तरफ़ से उन पर कोई हद व तअ़जीर नहीं लगाई गई है। उन्हीं को (लमम) से ताबीर किया जाता है। सूरह अन्नज्म में मोहसिनीन के ज़िक्र में फ़रमाया है: 'वह जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से मगर आ़म क़िस्म के गुनाहों से।' (अन्नज्म: 32) सग़ीरा गुनाह आ़म नेकी के कामों से माफ़ होते रहते हैं। लेकिन किसी भी स़ाहिबे ईमान को इनमें जरी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना या न करना, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की चाहत पर मबनी है, नीज़ उ़लमा ने लिखा है कि अगर कोई सग़ीरा को सग़ीरा न जाने और उनको अपनी आ़दत बना ले तो वह, भी कबीरा के फेहरिस्त में आ जाते हैं। इसी तरह अगर बिला इरादा कोई कबीरा गुनाह सरज़द हो गया हो मगर इन्सान नादिम हो और कस़रत से तौबा करने लगे तो वह इन्शाअल्लाह सग़ीरा की मानिन्द माफ़ कर दिया जायेगा। बहरहाल इन्सान को अपने, मालूम और ग़ैर मालूम सभी गुनाहों से, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते रहना चाहिए। **(2)** आ़ज़ा-ए-जिस्म नज़र, कान, हाथ, क़दम और मुँह के गुनाहों को 'ज़िना' से ताबीर करना, उनके बेहद क़बीह होने की तरफ़ इशारा है कि उनका अंजाम इन्तेहाई बुरा हो सकता है।

बाब : 45
जंग में क़ैद होने वाली औरतों से हमबिस्तरी का मसला

﴾45﴿
باب في وَطْءِ السَّبَايَا

(2155) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुनैन के मौक़े पर औतास की तरफ़ एक मुहिम भेजी, वह अपने दुशमन से मुक़ाबिल हुए, उनसे जंग की, उन पर ग़ालिब रहे और उनकी औरतें हाथ आयीं तो कुछ अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे मुबाशरत में हर्ज

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ

فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

जाना क्योंकि मुशिरकीन में उनके शौहर मौजूद थे। तो अल्लाह तआला ने इस सिलसिले में ये आयत उतारी: (वलमुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम) 'और ख़ाविन्दों वालियाँ (तुम पर हराम हैं) मगर जिनके मालिक बन जायें तुम्हारे दाहिने हाथ। 'यानी वह तुम्हारे लिये हलाल हैं जब उनकी इद्दत पूरी हो जाये।

(2155) तख़रीज : मुस्लिम: 1456.

फ़ायदा : जंगी क़ैदी बन जाने के बाद मियां बीवी के दरम्यान जुदाई हो जाती है ख़्वाह दोनों में से कोई एक पकड़ा जाये या दोनों। इसलिए ऐसी औरत से इस्तेमताअ जायज़ है। और उसकी इद्दत एक हैज़ है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ "لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا". قَالُوا نَعَمْ. فَقَالَ "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ"

(2156) हज़रत अबू अद्दरदा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ग़ज़वे में एक औरत देखी जिसका हमल तक़रीबन पूरे दिनों का था। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'शायद इसके मालिक ने इससे मुबाशरत की है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'मैंने इरादा किया है कि इसे लानत करूं ऐसी लानत जो उसकी क़ब्र तक उसके साथ जाये। ये इस बच्चे को किस तरह अपना वारिस़ बना सकेगा जबकि उसके लिये ये हलाल नहीं (कि ग़ैर के नुतफ़े और ग़ैर के बच्चे को अपना बच्चा बनाये) और क्यों कर इससे (ग़ुलामों की तरह) ख़िदमत ले सकेगा जबकि ये उसके लिए हलाल नहीं।' (अगर बिलफ़र्ज़ इसका अपना नुतफ़ा हो और अपने बेटे के नसब का इन्कार किया तो ये हराम है। और

फिर बेटे को गुलाम और ख़ादिम के दर्जे पर उतारना क्योंकर जायज़ है?)

(2156) तख़रीज : मुस्लिम: 1441.

(2157) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ निसबत करते हूए बयान किया कि आपने औतास में पकड़ी जाने वाली औरतों के बारे में फ़रमाया था: 'किसी हामला से मुबाशरत न की जाये यहाँ तक कि उसके बच्चे की विलादत हो जाये और ग़ैर हामला से भी मुबाशरत न की जाये यहाँ तक कि उसे एक हैज़ आ जाये।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/28, 62, हाकिम: 2/195, अलहाफ़िज़ फ़ी अत्तल्ख़ीस़ अलहबीर: 1/171, 172, अत्तयालिसी: 1678.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ " لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " .

(2158) हनश स़नआनी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत रूवैफ़िअ बिन स़ाबित अंस़ारी (ﷺ) हममें ख़ुत्बा के लिये खड़े हूए तो कहा: मैं तुम्हें वही बात कहूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। आपने हमें हुनैन वाले दिन फ़रमाया था: 'जो शख़्स़ अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिये हलाल नहीं कि किसी दूसरे की खेती को अपना पानी दे।' आपकी मुराद थी कि हामला औरत से मुबाशरत 'और जो शख़्स़ अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिये हलाल नहीं कि क़ैद में आने वाली किसी औरत से इस्तेबराह (रहम स़ाफ़ होने) से पहले मुबाशरत करे, और जो शख़्स़ अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ " . يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى " وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ

يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ " .

है उसके लिये हलाल नहीं कि ग़नीमत को तक़सीम हो जाने से पहले फ़रोख़्त करे।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1131, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1675, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1564.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मोमिन मुसलमान के लिये अल्लाह और यौमे आख़िरत के हवाले से बात करना इन्तेहाई अहमियत और ताकीद की हामिल होती है। **(2)** 'दूसरे की खेती को पानी देना' दूसरे की बीवी से मुबाशरत करना। यानी ज़िना तो हराम है, मगर लौण्डी जो जंग में हाथ आई हो इस्तेबराअ से पहले उससे क़ुरबत जायज़ नहीं। अगर हामला हो तो बच्चा जनने का इन्तेज़ार वाजिब है। **(3)** ग़नीमत में अपना हिस्सा मुतअय्यन और हासिल करने से पहले उसको फ़रोख़्त करना धोखे की एक सूरत है, न मालूम थोड़ा मिलेगा या ज़्यादा और किस क़ीमत का होगा?

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " . زَادَ فِيهِ { بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ } " وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

(2159) सईद बिन मन्सूर, अबू मुआविया से, वह इब्ने इस्हाक़ से ये हदीस़ बयान करते हैं, कहा कि 'यहाँ तक कि एक हैज़ से उसका इस्तेबराअ (रहम स़ाफ़) न कर ले।' इसमें (बिहैज़तिन) का लफ़्ज़ ज़्यादा किया जो कि अबू मुआविया का वहम है मगर अबू सईद की रिवायत में स़ही है। और इसमें मज़ीद ये है: 'जो शख़्स़ अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है वह मुसलमान के माले ग़नीमत के जानवरों में से किसी पर सवार न हो कि जब उसे कमज़ोर कर दे तो उसे वापस कर दे। और जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है वह मुसलमानों के माले ग़नीमत के कपड़ों में से कोई कपड़ा न पहने कि जब उसे पुराना कर दे तो वापस कर दे।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलहैज़तु) का लफ़्ज़ महफ़ूज़ नहीं है और ये अबू मुआविया का वहम है।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/449, मुसनद अहमद, 4/108, दारमी, हदीस़: 2480, 2491.

बाब : 46
निकाह के मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग) मसाइल

﴾46﴿
بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ " ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " . فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ .

(2160) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई किसी औ़रत से शादी करे या कोई ख़ादित ख़रीदे तो चाहिए कि ये दुआ़ करे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्अलुका खैरहा व ख़ैरमा जबलतहा अ़लैहि, व अऊ़ज़ुबिक़ा मिन शर्रि व मिन शर्रि जब्लतहा अ़लैहि) 'ऐ अल्लाह! मैं इसकी ख़ैर का सवाल करता हूं और उस ख़ैर का जिस पर तूने इसको पैदा किया, और इसके शर से तेरी पनाह माँगता हूं और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है।' और जब कोई ऊँट ख़रीदे तो उसके कोहान की चोटी को पकड़े और इस तरह दुआ़ करे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू सईद ने इज़ाफ़ा किया कि (आपने फ़रमाया) 'बीवी और ख़ाविंद की पेशानी के बाल पकड़े और बरकत की दुआ़ करे।'

(2160) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1918, बुख़ारी, 2/185, 186.

फ़ायदा : यक़ीनन हर हर फ़र्द और हर हर चीज़ में ख़ैर और बरकत उसी वक़्त हो सकती है जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने उसमें मुक़द्दर फ़रमाई हो। तो वाजिब है कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ही से

हमेशा उसका सवाल किया जाये। और किसी शख़्स या चीज़ में पाया जाने वाला शर भी अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की मशियत से है तो उससे तहफ़्फ़ुज़ का सवाल भी अल्लाह तआ़ला ही से होना चाहिए। बिलख़ुसूस बीवी का मामला बहुत ही अहम है। तक़ाबुली ऐतबार से बीवी भी अपने शौहर के मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला से ख़ैर की दुआ़ और उसके शर से पनाह माँग सकती है। अगरचे नस़ और स़राहत नहीं है और उसके लिये पेशानी के बाल पकड़ना भी ज़रूरी नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا " .

(2161) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मनक़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई जब अपनी अहलिया से मुबाशरत का इरादा करे और नीचे की दुआ़ पढ़ ले तो अगर उनमें इस बारी में बच्चा मुक़र्रर हूआ तो उसे शैतान कभी नुक़स़ान नहीं पहुँचा सकेगा। (दुआ़ ये है) (बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनश्शैतान व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़्तना) 'अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! हम को शैतान से दूर रख, और शैतान को उससे दूर रख जो तू हमें इनायत फ़रमाये।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5165, व मुस्लिम: 1434.

फ़ायदा : अ़ल्लामा दाऊदी ने कहा है कि इससे बच्चे की तमाम अ़स़मत मुराद नहीं बल्कि ये है कि शैतान उसको दीन के मामले में फ़ितने में नहीं डाल सकेगा कि कुफ़्र तक पहुँचा दे। (औ़नुल माबूद)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " .

(2162) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मलऊ़न है वह शख़्स़ जो बीवी से दुबुर में मुबाशरत करता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1923.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا

(2163) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि यहूदी कहा करते थे कि अगर आदमी

سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

अपनी बीवी से उसके पीछे फ़र्ज (कुबुल) में मुबाशरत करे (कि वह पेट के बल लेटी हूई हो) तो उससे बच्चा भेंगा पैदा होता है, तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ये नाज़िल फ़रमाया: (निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ़तुम) 'तुम्हारी औ़रतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ।'

(2163) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4528, व मुस्लिम: 1435.

फ़ायदा : यानी यहूदियों का क़ौल वहमे बातिल है और ज़ौजैन को बाहम हर तरह से मज़ा लेने की इजाज़त है। सिर्फ़ शर्त वही है जो ऊपर की हदीस़ में ज़िक्र हूई। और मज़ीद ये कि अय्यामे हैज़ भी न हो।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ

(2164) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है, उन्होंने कहा: इब्ने उ़मर (ﷺ) की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाये। उन्हें वहम हूआ है। दरअस़ल क़बीला अन्स़ार बुत परस्त लोग थे, उस यहूदी क़बीले के साथ रहते थे जो कि अहले किताब थे। और अन्स़ार इल्म की वजह से उनकी फ़ज़ीलत के मुअ़तरिफ थे और अपने अक्स़र कामों में उनकी पैरवी किया करते थे। अहले किताब का मामला ये था कि ये लोग अपनी बीवियों से एक ही अन्दाज़ में चित लिटाकर (या पहलू के बल से) हमबिस्तरी किया करते थे। इस तरह औ़रत बहुत ज़्यादा परदे में रहती है। इन अन्स़ारियों ने भी इन जैसा ये अ़मल इख़्तियार किया हूआ था। लेकिन क़बीला क़ुरैश वाले अपनी औ़रतों को बुरी तरह

وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أَىْ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

फैलाते थे और तरह तरह से मुतलज़्ज़ज़ होते थे। आगे से, पीछे से और चित लिटाकर। जब मुहाजिरीन मदीने में आये और उनके एक आदमी ने अन्सार की एक औ़रत से शादी की तो उसके साथ अपने उसी अन्दाज़ में सोहबत करने लगा तो औ़रत ने बहुत बुरा जाना और कहने लगी। हम से एक ही अन्दाज़ में (चित लिटाकर पहलू के बल से) सोहबत की जाती थी, सो तुम भी इसी तरह करो वरना मुझसे अलग रहो यहाँ तक कि उनका मामला बहुत बढ़ गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) तक जा पहुँचा। तो अल्लाह तआ़ला ने ये नाज़िल फ़रमाया: (निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ़तुम) 'तुम्हारी औ़रतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ।' आगे से, पीछे से या चित लिटा कर, लेकिन जगह वही बच्चे वाली हो।

(2164) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/195, दारमी, हदीस़: 1125, हाकिम, 2/195, तबरी: 2/234, तबरानी, 11/77, हदीस़: 11097, 3/61, हाकिम: 2/279, मुसनद अहमद, 1/268.

फ़वाइद व मसाइल : बीवी से पाख़ाना की जगह में मुबाशरत (हमबिस्तरी) करना हराम और लानत का काम है। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स मलऊन है जो अपनी बीवी की दुबुर में मुबाशरत करे।' (मुसनद अहमद: 2/444) इसी की बाबत एक जगह पर यूँ फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की तरफ़ नहीं देखेगा जो किसी मर्द या औ़रत की दुबुर में जिन्सी अ़मल करे।' (जामेअ़ अत्तिर्मिज़ी, हदीस़: 1165) इन फ़रामीन की रोशनी में मर्द को इस क़बीह अ़मल से परहेज़ करना चाहिए और औ़रत को चाहिए कि उस मुन्कर में जो हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) की तरफ़ इशारा किया गया है वह

आयते मज़कूरह की तफ़्सीर की बाबत कुछ इख़्तिलाफ़ है, भले ये बात सही नहीं। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास को इसी तरह ख़बर दी गई थी। हालांकि हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) उसके क़ायल नहीं थे जैसे कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने उसकी वज़ाहत फ़रमा दी है। (हवाशी औनुल माबूद)

बाब : 47
अय्यामे हैज़ (हैज़ के दिनों) में बीवी से मुजामअत (हमबिस्तरी करने) और मुबाशरत (बग़लगीरी होने) का मसला

﴾47﴿
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

(2165) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि यहूदी लोग जब उनमें कोई औरत हैज़ से होती तो उसको घर से निकाल देते थे। उसके साथ खाते न पीते और न एक घर में इकट्ठे रहते। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह तआला ने ये नाज़िल फ़रमायाः (व यसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन्नि साअ फ़िल महीज...) 'लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दिजिए कि वह गंदगी है, सो हालते हैज़ में औरतों से अलग रहो ...द्ध' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उनके साथ घरों में इकट्ठे रहो और हर काम कर सकते हो सिवाए निकाह (हमबिस्तरी) के।' यहूदी कहने लगेः ये आदमी (मुहम्मद (ﷺ)) हमारे किसी काम को नहीं छोड़ता मगर

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ " . فَقَالَتِ

الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجِدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

उसकी मुख़ालिफ़त ही करता है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन बिश्र (رضي الله عنهما) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! यहूदी इस इस तरह कहते हैं, तो क्या हम हैज़ के दिनों में भी औरतों से मुजामअत न कर लिया करें? इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा मुबारक बदल गया। यहाँ तक कि हमें यक़ीन हो गया कि आप इन दोनों से वाकेअतन नाराज़ हो गये हैं, चूनांचे वह (आप की मज्लिस से) निकल आये। (उनके जाने के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दूध का हदिया आ गया। तो आपने उनको पीछे से बूलवाया, तब हमें तसल्ली हूई कि आप उन पर (दिली तौर से) नाराज़ नहीं हूए थे।

(2165) तख़रीज : मुस्लिम: 302.

फ़ायदा : फ़वाइद पीछे हदीस़: 258 में गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ .

(2166) जनाब ख़िलास हजरी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को बयान करते हूए सुना कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही चादर में सो जाते थे हालांकि मैं अय्याम (माहवारी) में होती। अगर आपको मुझसे कुछ (ख़ून वग़ैरह) लग जाता तो उस जगह को धो लेते और उस जगह से मज़ीद आगे न धोते। और अगर आपके कपड़े को कुछ लग जाता तो उसी जगह को धो लेते और उससे तजावूज़ न करते और इसमें नमाज़ पढ़ लेते।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 269 में देखें।

फ़ायदा : फ़वाइद पीछे हदीस़: 269 में गुज़र चुकी हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

(2167) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपनी किसी बीवी के साथ लेटना चाहते और वह हैज़ से होती, तो उसे कहते कि अपनी तहबंद ख़ूब अच्छी तरह बाँध ले फिर उसके साथ लेट जाते।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 303, 293.

फ़ायदा : चूंकि नबी (ﷺ) पूरी ज़िन्दगी उम्मत के लिए उस्वा और नमूना है, इसलिए आपके अन्दुरूनी ख़ाना के अहवाल भी बयान किये गये हैं।

﴾48﴿
باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

बाब : 48
जो शख़्स़ हायज़ा बीवी से मुजामअ़त कर बैठे, उसका कफ़्फ़ारा

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .

(2168) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि वह शख़्स़ जो अपनी बीवी से उसके अय्यामे हैज़ में मुजामअ़त कर बैठे (उसकी बाबत) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दीनार स़दक़ा दे या आधा दीनार।' (हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है देखिये: 264)

(2168) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 264 में देखें, इब्ने माजा, हदीस़: 640, नसाई, हदीस़: 290, तिर्मिज़ी, हदीस़: 136, 137.

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

(2169) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि अगर ख़ून के दिनों में मुबाशरत की हो तो एक दीनार सदक़ा करे और अगर ख़ून रूक जाने के दिनों में की हो तो आधा दीनार।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 265 में देखें।

फ़ायदा : ये असर मामूली इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ से पहले गुज़र चुका है, देखिये हदीस नम्बर: 265.

﴿49﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

बाब : 49
अज़्ल का बयान

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي الْعَزْلَ - قَالَ " فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ". وَلَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ " فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ .

(2170) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने उसका ज़िक्र आया यानी अज़्ल का, तो आपने फ़रमाया: 'तुममें से कोई ये करता ही क्यों है?' आपने ये नहीं फ़रमाया: तुममें से कोई भी ये न करे। 'बिलाशुब्हा जो जान पैदा होने वाली है अल्लाह तआला उसे पैदा करके रहेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी हदीस क़ज़आ, ये ज़ियाद का मौला है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7409, व मुस्लिम: 1438.

फ़ायदा : मुबाशरत करते वक़्त मर्द अपनी मनी औरत की फ़र्ज में निकालने की बजाये बाहर निकाले, उसे अज़्ल कहते हैं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(2171) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक लौण्डी है और मैं

ثَوْبَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى . قَالَ " كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ "

उससे अ़ज़्ल करता हूं, और उसका हामला होना मुझे पसन्द नहीं है, और मैं वही चाहता हूं जो मर्द चाहता है। मगर यहूदी कहते हैं कि अ़ज़्ल करना छोटे अन्दाज़ में ज़िन्दा दरगोर करना है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी ग़लत कहते हैं। अगर अल्लाह तआ़ला उसको पैदा करना चाहेगा तो तू उसे टाल नहीं सकता।'

(2171) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/230, मुसनद अहमद: 3/33, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 9079.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ

(2172) इब्ने मुहैरीज़ कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाख़िल हूआ और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) को देखा तो उनके पास बैठ गया। मैंने उनसे अ़ज़्ल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा: हम नबी(ﷺ) के साथ ग़ज़वा ए बनी मुस़तलिक़ में गये और हमें इस ग़ज़वे में लौण्डियाँ हाथ आयीं, अरब औ़रतें, हमें औ़रतों की बहुत ख़्वाहिश थी, और औ़रतों के बग़ैर (मुजर्रद–तन्हा) रहना हमें बहुत मुश्किल हो रहा था। और हम उन लौण्डियों को बेचना भी चाहते थे (इसलिए चाहते थे कि हामला न हों) तो हमने अ़ज़्ल का इरादा किया। फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें मौजूद हैं, उनसे पूछे बग़ैर हम ये काम करें (किसी तरह जायज़ नहीं) चूनांचे हमने आपसे इस बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया: अगर न करो तो तुम पर

تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ" .

कोई हर्ज नहीं, क़यामत तक जो जान भी पैदा होने वाली है, वह पैदा होकर रहेगी।'

(2172) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2542, मौता, हदीस़: 2/594, व मुस्लिम: 1438.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अ़ज़्ल एक नापसन्दीदा अ़मल है, मगर मुबाह होने में कोई शुब्हा नहीं। नबी (ﷺ) का फ़रमान क़ाबिले तवज्जोह है। आपने फ़रमाया: 'अगर न करो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं।' ये नहीं फ़रमाया कि अगर करो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं। यानी कराहत के साथ इसका जवाज़ बाक़ी रखा ताकि जरूरी क़िस्म की सूरतों में इसे इख़्तियार करने की गुंजाइश बाक़ी रहे। अ़ज़्ल की ये सूरत अ़हदे रिसालत व अ़हदे स़हाबा में राइज थी जिसे कराहत के साथ जायज़ रखा गया। लेकिन आजकल इसके मुतबादिल कई सूरतें निकल आई हैं। जैसे 'साथी' (कंडोम्ज़) का इस्तेमाल **(2)** कुछ दवाएँ या इन्जेक्शन, जिनके इस्तेमाल से कुछ मुद्दत तक हमल क़रार नहीं पाता। **(3)** औरतों के रहम का ऑपरेशन, जिसके बाद औरत हामला नहीं होतीं। **(4)** नसबंदी, जिसमें मर्द के आल–ए तनासुल का ऑपरेशन करके उसे बारावर करने की स़लाहियत से महरूम कर दिया जाता है।

पहली दो सूरतें आरज़ी हैं (जैसे अ़ज़्ल, हमल से बचने का एक आरज़ी तरीक़ा है) इसलिए ये दोनों तरीक़े हस्बे ज़रूरत जायज़ होंगे। जिससे औरत की स़ेहत कमज़ोर हो और मज़ीद विलादत उसकी जान के लिये ख़तरे का बाइस़ हो। इस क़िस्म की सूरत में दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीक़ा इख़्तियार किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका मक़स़द, औरत के हुस्न व जमाल की हिफ़ाज़त हो, या बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी तालीम व तरबियत का ख़ौफ़ हो तो इस क़िस्म के मक़ासि़द के लिए इन दोनों आरज़ी तरीक़ों का भी इख़्तियार करना नाजायज़ होगा। और तीसरा और चौथा तरीक़ा, जिसमें मुस्तक़िल (प्रमानेंट) तौर पर हामला होने या हामला करने का मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है, बिल्कुल हराम, नाजायज़, और अल्लाह की तख़्लीक़ को बदलना है। इसका जवाज़ किसी भी सूरत में नहीं है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِي

(2173) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) का बयान है कि एक अन्सारी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मेरी एक लौण्डी है, मैं उससे स़ोहबत करता हूं और उसका हामला होना मुझे पसन्द नहीं है। आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो अ़ज़्ल कर लिया

جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . فَقَالَ " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " . قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ . قَالَ " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " .

करो, जो इसके मुकद्दर में है वह तो आकर रहेगा।' बयान किया कि कुछ दिन गुज़रे, फिर वह आदमी आपके पास आया और बताया कि लौण्डी हामला हो गई है। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें कहा था कि जो उसके मुकद्दर में है वह आकर रहेगा।'

(2173) तख़रीज : मुस्लिम: 1439.

﴿50﴾ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَةِ أَهْلِهِ

बाब : 50 मुजामअ़त की तफ़्सील बयान करना हराम है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلاَ أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى -

(2174) अबू नज़रह बयान करते हैं कि क़बीला तुफ़ावा के एक शैख़ ने मुझ से बयान किया कि मैं मदीने में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का मेहमान हूआ। वह अस्हाबे नबी (ﷺ) में सबसे बढ़कर इबादत में मुस्तइद (तैयार) और मेहमान नवाज़ थे। एक दिन मैं उनके पास था जब कि वह अपने तख़्त पर बैठे थे और उनके पास एक थैली थी, उसमें कंकरियाँ थीं या गुठलियाँ, तख़्त से नीचे उनकी लौण्डी बैठी थी सियाह रंग की, आप उन कंकरियों या गुठलियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। जब वह ख़त्म हो जाती तो वह उसे उसकी तरफ फेंक देते और वह उन्हें इकट्ठी करके फिर से थैली में भर कर उनको दे

وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ - وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَ بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ . فَقَالَ " مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ " إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ " . قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا . فَقَالَ "

देती। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: क्या मैं तुम्हें अपनी और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात न सुनाऊं, मैंने कहा: क्यों नहीं! कहा: एक दफ़ा मैं बुख़ार में मुब्तला मस्जिद में पड़ा था कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि मस्जिद में दाख़िल हूए और पूछा: 'किसी को दोसी जवान की ख़बर है?' (दोस हज़रत अबू हुरैरह के क़बीले का नाम है) आपने तीन बार पूछा, तो एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह मस्जिद के कोने में है और बुख़ार में फूंक रहा है। आप चलते हूए मेरे पास तशरीफ़ लाये और अपना हाथ मुबारक मुझ पर रखा और मेरे बारे में अच्छी बात फ़रमाई, तो मैं उठ बैठा। और आप चलते हूए अपनी जाएनमाज़ पर आ गये और नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा हूए। आपके साथ दो स़फ़ें मर्दों की थी और एक स़फ़ औरतों की या दो स़फ़ें औरतों की और एक मर्दों की। पस आपने फ़रमाया: 'अगर शैतान मुझे मेरी नमाज़ भूला दे तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरतें ताली से खबरदार करें।' चूनांचे नबी (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ में से कुछ न भूले। फिर फ़रमाया: 'अपनी अपनी जगह बैठे रहो। अपनी अपनी जगह बैठे रहो।' मूसा ने यहां इज़ाफ़ा किया और कहा: फिर आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान फ़रमाई। फिर कहा: अम्माबाद! और मर्दों की तरफ़ मुतवज्जा हूए

مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ " . زَادَ مُوسَى " هَا هُنَا " . ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ " هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا " . قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ " هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ " . فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ - قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ - عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ فَقَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ " . فَقَالَ " إِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَلاَ وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلاَ إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ

और कहा: 'क्या तुममें कोई है कि जब अपनी बीवी के पास जाये, उस पर दरवाज़ा बंद कर ले, उस पर परदा डाल दे और अल्लाह के परदे से छुप जाये?' सबने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'फिर वह बैठा कहने लगता है मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया।' तो सब ख़ामोश रहे। फिर आप औरतों की तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई है जो ये बातें बयान करती हो?' तो वह ख़ामोश रहीं। मगर एक नौजवान औरत, अपने एक घुटने पर उठी। मुअम्मल ने अपनी रिवायत में कहा कि उसका सीना भरा हूआ था। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ गर्दन लम्बी की ताकि आप उसको देख लें और उसकी बात सुनें। वह बोली: ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन ये मर्द बातें करते हैं और ये औरतें भी बातें करती हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या जानते हो इसकी क्या मिसाल है?' फिर फ़रमाया: 'इसकी मिसाल उस शैतान औरत की सी है जिसे गली में कोई शैतान मर्द मिल जाये और वह उससे अपनी हाजत पूरी करे और लोग उसकी तरफ़ देख रहे हों। ख़बरदार! मर्दों की ख़ुशबू ये है कि उसकी ख़ुशबू ज़ाहिर हो मगर रंग ज़ाहिर न हो और औरतों की ख़ुशबू ये है कि उसका रंग नुमायाँ हो मगर ख़ुशबू ज़ाहिर न हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस मक़ाम पर

يَظْهَرْ رِيحُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى " أَلاَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ " . وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِّي لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ

मुझे मुअम्मल और मूसा से याद है। (आप (ﷺ) ने फ़रमाया) 'ख़बरदार! कोई मर्द किसी मर्द के साथ न लेटे या कोई औरत किसी औरत के साथ न लेटे, मगर ये कि बेटा हो या बाप।' और तीसरी बात भी ज़िक्र की जो मेरे जहन से उतर गई है और वह मुसद्दद की रिवायत में है मगर वह मुझे पूरे तौर पर याद नहीं है। मूसा ने अपनी सनद में कहा: 'हद्दसना हम्माद अनिल जुरैरी अन अबी नज़्रा अनित्तुफ़ावी'

(2174) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2787, नसाई, हदीस: 5121.

मल्हूज़ : (1) रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर मसला इसी तरह है कि मियाँ बीवी को अपनी हमबिस्तरी की तफ़्सीलात बयान करना हराम है। अगर कहीं सख़्त ज़रूरत हो तो सोहबत की ख़बर दे सकता है मगर तफ़्सील के बग़ैर। **(2)** मर्दों को अतरयात इस्तेमाल करने चाहिएं, उनके लिए रंग नुमायां करने वाले पॉवडर नाजायज़ हैं बख़िलाफ़ औरतों के, उन्हें अतर इस्तेमाल करके बाहर निकलना नाजायज़ है, घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉवडर ऐसे इस्तेमाल करें जिनमें ख़ूशबू न हो कि अजनबी को अपनी तरफ़ मुतवज्जा करने लगें। **(3)** मर्दों या औरतों को इकट्ठे लेटना नाजायज़ है इल्ला ये कि कोई ख़ास मजबूरी हो। बाप बेटे को इजाज़त है और इसी तरह माँ बेटी के लिये भी क़यास के तौर पर इसका जवाज़ हो सकता है।

كتاب الطلاق

तलाक़ के अहकाम व मसाइल

- **तलाक़ की लुगवी व इस्तेलाही:** तारीफ़ (अत्तलाक़, इत्लाक़) से माख़ूज़ है, जिसका मतलब 'अलइरसाल वत्तर्क' यानी खोल देना, छोड़ देना और तर्क करना है।' अरब कहते हैं: 'अत्लक़तुल असीर' मैंने क़ैदी को छोड़ दिया और उसे आज़ाद कर दिया।' इस्तेलाह में तलाक़ की तारीफ़ यूँ की गई है: (जिस अरबी सेंटेंस का मतलब ये है) 'अज़्दवाजी ताल्लूक़ को ख़त्म करना और शादी के बंधन को खोल देना, तलाक़ कहलाता है।

- मर्द व औ़रत के बीच निकाह एक मोहतरम रिश्ता है, लेकिन अगर किसी वजह से उनके बीच मुहब्बत व चाहत के हालात क़ायम न रह सकें तो वह बावक़ार अन्दाज़ में अलग हो सकते हैं। इस निकाह के बंधन को ख़त्म करने का नाम 'तलाक़' है। ऐसा नहीं है कि अ़क़्द हो जाने के बाद अलगाव हो ही नहीं सकती, चाहे हालात कैसे ही हों, जैसे कि ईसाईयों या हिन्दूओं का मअ़मूल है। इस तरह ये तस़व्वूर भी स़ही नहीं कि औ़रत को पाँव का जूता समझ लिया जाये जब चाहे पहन लिया और जब चाहा उ़तार दिया। इस्लाम ने इस अ़मले जुदाई को इन्तेहाई सख़्त ज़रूरत के साथ ख़ास किया है। और इस अ़क़्द को ख़त्म करने का हक़ सि़र्फ़ मर्द को दिया है। इस हक़ के बग़ैर घर, ख़ानदान और मुआशरे का निज़ाम मुरत्तब और पायदार नहीं हो सकता। औ़रत अगर अलग होना चाहे तो उसके लिये ख़ुलअ़ के ज़रिय़े से ये गुंजाइश मौजूद है अगर ख़ाविन्द उसके लिये आमादा न हो, तो औ़रत ख़ुलअ़ के लिये अ़दालत से रूजू कर सकती है। लेकिन इस्लाम ने औ़रत को तलाक़ का हक़ नहीं दिया है। ज़ौजैन के बीच अलगाव (तलाक़) के ख़ास़ आदाब और तरीक़े हैं। दौरे जाहिलीयत में लोग सैकड़ों तलाक़ें देते और रूजू करते रहते थे, इसी तरह औ़रत उ़मर भर मज़लूमियत का शिकार रहती थी, मगर इस्लाम ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सि़र्फ़ तीन दफ़ा तक महदूद कर दिया है। और इन तीन दफ़ा को एक वक़्त में नाफ़िज़ करना जायज़ ठहराया है। बाद अज़ तलाक़ औ़रत के लिये इद्दत (अय्यामे इन्तेज़ार) मुक़र्रर किये हैं। इन दिनों में फ़रीक़ैन को अपने फ़ैस़ले पर ग़ौर व फ़िक्र करने के लिय़े आ़म हालात में तीन माह दिये गये हैं। वह अपने हालात पर

नज़रे सानी करके बग़ैर किसी नये अक़्द के अपना घर बसा सकते हैं। मगर ऐसा सिर्फ़ दो बार हो सकता है। तीसरी दफ़ा की तलाक़ आख़री मौक़ा होगी और इसके बाद उनके दरम्यान रूजू हो सकता है, न निकाह (हत्ता तन्किहा ज़ौजन गैरहू) 'यहाँ तक कि वह औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह करे।' (अलबकरः 230) इन पेजेज में चंद नुकात (पॉइन्ट्स) की तरफ़ इशारा किया गया है जो दलील हैं कि इस्लाम एक फ़ितरी और जामेअ दीन है, दुनिया और आख़िरत की कामयाबी इसी के तरीके में है। क़ुर्आन मजीद में ये मसाइल कई जगह बयान हूए हैं, बिलख़ुसूस सूरत अलबक़रः में: (अत्तलाकु मर्रतान फइम्साकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान ...) आयत 228 व मा'बाद मुलाहिज़ा हो। तलाक़ की किस्में : इस्लाम ने अपने पैरोकारों को अज़्दवाजी ज़िन्दगी की उलझनों को सुलझाने के लिये कई तालीमात दी हैं। लेकिन अगर बद क़िस्मती से ये ख़ूबसूरत ताल्लूक़ शदीद इख़्तिलाफ़ात, सख़्त ग़लत फ़हमीयों और नाचाक़ियों की वजह से बरक़रार रखना नामुमकिन हो जाये तो भी इस्लाम ने रवादारी, शाइस्तगी और आला अख़्लाक़ियात का दामन थामे रखने की तालीम दी है। इस ताल्लूक़ को निभाने के लिये एक मुहज़्ज़ब तरीक़ा समझाया था तो अब इसको ख़त्म करने के लिये भी इफ़रात व तफ़रीत से अलग, ख़ूबसूरत और इन्सानी फ़लाह व बहबूद का ज़ामिन तरीक़ा अता किया है। लिहाज़ा तलाक़ देने के तरीक़े के लिहाज़ से तलाक़ की दर्ज ज़ेल किस्में हैं :-

☆ **तलाक़े सुन्नी:** ये वह मुहज़्ज़ब और शाइस्ता तरीक़ा है जिससे मुसलमानों को अपनी बीवियों को तलाक़ देने का हुक्म दिया गया है। इस तरीक़े के मुताबिक़ जब कोई शख़्स अपनी अज़्दवाजी ज़िन्दगी को ख़त्म करना चाहे तो उसे हुक्म दिया गया है कि वह उसे पाकी हालत में बीवी को तलाक़ दे जिसमें उसने हमबिस्तरी न की हो। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ नबी! (लोगों से कह दो) जब तुम औरतों को तलाक़ दो तो उनकी इद्दत के शूरू में तलाक़ दो' (अत्तलाक़:1) यानी अय्यामे माहवारी के ख़त्म होने और तहारत के अय्याम शूरू होते ही तलाक़ दो। हमबिस्तरी कर लेने के बाद तलाक़ देना दुरूस्त नहीं। इस तरीक़ ए तलाक़ को 'तलाक़े सुन्नत' कहते हैं।

☆ **तलाक़े बिदई:** ये वह तरीक़ा ए तलाक़ है जिसमें ख़ाविंद अपनी बीवी को अय्यामे हैज़, निफ़ास या उस 'तुहर' में तलाक़ दे देता है जिसमें उसने हमबिस्तरी की हो। ये तरीक़ा शरीअत की निगाह में सख़्त नापसन्दीदा और ग़लत है लिहाज़ा ऐसे तरीक़े से तलाक़ देने वाले सख़्त गुनाहगार होंगे।

☆ **तलाक़े बाइन:** ये ऐसा तरीक़ा है जिसमें मर्द का हक़्क़े रूजू जाता रहता है। जैसे उसने एक तलाक़ सुन्नत तरीक़े से दी और फिर इद्दत के अन्दर रूजू नहीं किया और इद्दत ख़त्म हो गई, या दो आ़दिल मुन्सिफ़ों ने उनके दरम्यान तलाक़ दिलवाई थी या मर्द ने हक़्क़े मेहर वापस लेकर औ़रत को ख़ुलअ़ दिया था या औ़रत से हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे दी थी। इन तमाम सूरतों में अगर दोबारा बाहमी रज़ामंदी से नया निकाह करना चाहे तो नये हक़्क़े मेहर के तअ़य्युन से कर सकते हैं। लेकिन अगर मर्द तीन तलाक़ें वक़्फ़े वक़्फ़े से दे चुका हो तो फिर उसका ये हक़ भी साक़ित हो जाता है। मगर ये कि वह औ़रत किसी दूसरे शख़्स के निकाह में जाये और फिर उसके फ़ौत होने या तलाक़ देने पर दोबारा पहले शख़्स से निकाह कर ले।

☆ **तलाक़े रजई:** ये तरीक़ा सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ है कि औ़रत को तुहर में एक तलाक़ दे और फिर अगर चाहे तो अय्यामे इद्दत में रूजू कर ले अगरचे औ़रत की रज़ामंदी न हो क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने मर्द को ये इख़्तियार दिया है और उसका हक़ दो मर्तबा है, तीसरी मर्तबा तलाक़ देने के बाद ये हक़ ख़त्म हो जायेगा। इरशादे बारी तआ़ला है: 'और उनके ख़ाविंद अगर इस्लाह का इरादा रखें तो वह उन्हें वापस बुलाने का ज़्यादा हक़ रखते हैं।' (अलबकर: 228) नीज़ फ़रमाया: 'ये तलाक़ें (जिन में रूजू का हक़ है) दो मर्तबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उ़म्दगी से छोड़ देना है।' (अलबकर: 229)

तलाक़ के अहकाम व मसाइल

तलाक़ के फ़ुरूई मसाइल

﴿1﴾ باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ".

बाब : 1
बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ उभारना हराम है

(2175) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह शख़्स हममें से नहीं है जो किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ उभारे या ग़ुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ कर दे।'

(2175) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/397, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9214, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1319, हाकिम: 2/196.

﴿2﴾ باب فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلاَقَ امْرَأَةٍ لَهُ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ

बाब : 2
जो औरत शौहर से उसकी बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे

(2176) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई औरत अपनी (दीनी) बहन की तलाक़ का

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"

मुतालबा न करे कि इस तरह उसका प्याला (अपनी ख़ातिर) ख़ाली करा ले। उसे चाहिए कि निकाह कर ले, उसको वही कुछ मिलेगा जो उसके लिये मुक़र्रर किया गया है।'

(2176) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6601, मौता: 2/900.

फ़ायदा : यानी किसी मुसलमान बहन को तलाक़ दिलवाना बहुत बुरी बात है बल्कि चाहिए कि नसीब पर भरोसे का मुज़ाहिरा करे। उसको तलाक़ दिलवाकर ये न अपने लिये कुछ इज़ाफ़ा कर सकती है और न उसका कुछ नुक़सान कर सकती है। लिहाज़ा अगर उसी मर्द के साथ निकाह करना चाहती है तो उसकी पहली बीवी के होते हूए उससे निकाह कर ले।

(3)

باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلاَقِ

बाब : 3
तलाक़ एक मकरूह और नापसन्दीदा काम है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ " .

(2177) मुहारिब (बिन दस़ार) कहते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ने तलाक़ से बढ़ कर नापसन्दीदा किसी चीज़ को हलाल नहीं फ़रमाया।'

(2177) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/322.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ " .

(2178) मुहारिब बिन दस़ार हज़रत इब्ने उमर(رضی الله عنه) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के यहां हलाल कामों में सबसे नापसन्दीदा काम तलाक़ है।'

(2178) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/322, हाकिम: 2/196, इब्ने माजा, हदीस़: 2018.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम हाकिम ने इसको स़हीह कहा है और इमाम ज़हबी ने भी इनकी तौसीक़ की है। (मुसतदरक हाकिम, हदीस़: 2794) मगर अबू हातिम, दारक़ुतनी और बैहक़ी ने इसका मुरसल होना राजेह कहा है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी ग़ालिबन इसी वजह से इन दोनों रिवायात को 'ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद' में दर्ज किया है। **(2)** और कराहत से मुराद उन अस्बाब की कराहत है जिनकी वजह से तलाक़ हो। अ़ल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि 'नफ़्से तलाक़ को अल्लाह तआ़ला ने मुबाह किया है और स़ाबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी कुछ अज़वाज को तलाक़ दी थी और फिर रूजू किया था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2283, हाकिम, हदीस़: 2796) ऐसे ही इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) की एक बीवी थी उन्हें इनसे बहुत उल्फ़त थी मगर हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) को उनका इसके साथ रहना पसन्द न था। उन्होंने उसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से कर दी, तो आपने उनको बुलाया और कहा: 'अ़ब्दुल्लाह अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, चूनांचे उन्होंने तलाक़ दे दी' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1189) और ये नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई ऐसा हुक्म इरशाद फ़रमायें जो अल्लाह तआ़ला के यहां मकरूह हो।

तलाक़ की मुख़्तलिफ़ स़ूरतें: (1) तलाक़े सुन्नी: इसकी दो स़ूरतें हैं। (i) **तलाक़े अहसन:** इन्सान बीवी को पाकी की हालत में हमबिस्तरी से पहले एक तलाक़ दे फिर उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाये। या इद्दत गुज़रने से पहले रूजू कर ले। (ii) **तलाक़े हसन:** ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें जिमाअ़ न किया हो फिर दूसरे तुहर में दूसरी तलाक़ और तीसरे तुहर में तीसरी तलाक़ दे। **(2) तलाक़े बिदई:** एक ही लफ़्ज़ या जुम्ले में कई तलाक़ें दे, या कई जुम्ले इस्तेमाल करके कई तलाक़ें दे मगर एक ही तुहर में दे या ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें मुबाशरत की हो। **(3) तलाक़े रजई:** पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा तलाक़े रजई होती है। यानी इनमें इद्दत के दौरान में शौहर को रूजू का हक़ हासिल रहता है। **(4)** (i) **तलाक़े बाइन:** (बैनूना सुग़रा) यानी एक तलाक़ दे फिर ख़ामोश रहे यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाये। अब औ़रत बाइन हो गई जिससे चाहे निकाह कर सकती है। पहला शौहर भी उसकी मन्ज़ूरी और इजाज़त से निकाह कर सकता है। इस सूरत में इद्दत के बाद नया अ़क़्द, नये हक़्क़े मेहर से हो सकता है। (ii) **तलाक़े बाइन:** (बनूना कुब्रा) मुख़्तलिफ़ औक़ात या मुख़्तलिफ़ मजालिस में तीन तलाक़ें पूरी कर दे यहाँ तक कि शौहर को रूजू का हक़ बाक़ी न रहे ऐसी स़ूरत में वह औ़रत किसी और से (बाक़ायदा, आबाद रहने की नियत से) निकाह करे, उससे फ़िल वाक़ेअ़ मुबाशरत हो और फिर इत्तेफ़ाक़ीया तलाक़ या ख़ाविन्द की मौत के सबब वह औ़रत वहां से फ़ारिग़ हो जाये तो पहले शौहर से निकाह कर सकती है। **(5) तलाक़े स़रीह:** वाज़ेह और स़रीह अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना। **(6) तलाक़े किनाया:** ऐसे अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना जो तलाक़ और ग़ैर तलाक़ दोनों मानी के मुहतम्मिल हों। ऐसे में शौहर की नियत का ऐतबार होता है। **(7) तलाक़े मुन्जिज़:** स़रीह और वाज़ेह तलाक़ जो फ़ौरन नाफ़िज़ हो जाती है। **(8) तलाक़े मुअ़ल्लक़:** किसी क़ौल व फ़ेअ़ल के साथ मशरूत करके तलाक़ देना जैसे: 'अगर ऐसा हूआ तो तलाक़' वग़ैरह।

बाब : 4
तलाक़ का सुन्नत तरीक़ा क्या है?

(4)

باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ

(2179) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अपनी बीवी को तलाक़ दे दी जबकि वह अय्यामे हैज़ में थी। हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने उसके बारे में नबी (ﷺ) से दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: 'उसको हुक्म दो कि उससे रूजू करे, फिर उसको अपने यहां रखे यहाँ तक कि वह पाक हो, फिर उसे हैज़ आये, फिर पाक हो, फिर अगर चाहे तो उसे बीवी बनाये रखे या चाहे तो तलाक़ दे दे (मगर) मुबाशरत से पहले। और यही वह इद्दत है जिस मौक़े पर अल्लाह तआला ने औ़रतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।'

(2179) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5251, मौता: 2/576, व मुस्लिम: 1471.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .

(2180) जनाब नाफ़ेअ़ बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) ने अपनी बीवी को एक तलाक़ दे दी जबकि वह अय्यामे हैज़ में थी ... और (पिछली) हदीस़ मालिक की तरह रिवायत की।

(2180) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5332, व मुस्लिम: 1471.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ .

(2181) सालिम, हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को अय्यामे हैज़ में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि उससे रूजू करे, फिर जब पाक हो तो तलाक़ दे या जब वह हमल (प्रेगनेंट) से हो।'

(2181) तख़रीज : मुस्लिम: 1471.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ " .

(2182) सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर .(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी जबकि वह हैज़ से थी। उमर (ﷺ) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। नबी (ﷺ) नाराज़ हूए, फिर फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि उससे रूजू करे, फिर उसे रोके रखे यहाँ तक कि वह पाक हो जाये, फिर हैज़ आये और पाक हो। तब अगर चाहे तो उसे तलाक़ दे जबकि वह पाक हो, मुबाशरत से पहले। यही वह इद्दत के मौक़े पर तलाक़ है जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है।'

(2182) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7160,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(2183) यूनुस बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा था कि आपने अपनी बीवी को कितनी तलाक़ें दी थीं? उन्होंने कहा: एक।

तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज़्ज़ाक, ह.10959.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً .

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** ये अहादीस़ सूरह अत्तलाक़ की पहली आयत की तफ़्सीर है अल्लाह तआला का इरशाद है: (फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न) (अत्तलाक़:1) 'उन्हें उनकी इद्दत के मौक़े पर तलाक़ दो ... या आग़ाज़े अय्यामे इद्दत में तलाक़ दो।' यानी उस तुहर के अय्याम में, जिसमें मुबाशरत न की गई हो। **(2)** अय्यामे हैज़ में तलाक़ देना ख़िलाफ़े सुन्नत और बिदअत है। ताहम अगर कोई इन अय्याम में तलाक़ देगा तो वह वाक़ेअ हो जायेगी। **(3)** ऐसी सूरत में साहिबे तलाक़ को रूजू का हुक्म दिया जायेगा (ताहम वह एक तलाक़ शुमार होगी) और रूजू का हक़ सिर्फ़ शौहर को हासिल है, वली को नहीं और ये रूजू वाजिब है। **(4)** हमल के अय्याम में भी तलाक़ हो सकती है। **(5)** और तलाक़ एक ही देनी चाहिए। और इस आख़री रिवायत में जवाब है उस रिवायत का जो दारक़ुतनी में आई है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने तीन तलाक़ें दी थीं मगर वह बिल्कुल ज़ईफ़ है। सहीह यही है कि उन्होंने एक तलाक़ दी थी। **(6)** और सबके नज़दीक तलाक़ का सहीह तरीक़ा भी यही है कि एक ही तलाक़ दी जाये न कि बयक वक़्त तीन तलाक़ें। बयक वक़्त तीन तलाक़ें देना सबके नज़दीक सख़्त नापसन्दीदा और नाजायज़ है, नबी (ﷺ) ने भी इस पर सख़्त नाराज़ी और बरहमी का इज़हार फ़रमाया है। अगर तलाक़ देने वाले ये तरीक़ा इख़्तियार कर लें, तो इस मसले में सिरे से न इख़्तिलाफ़ ही पैदा हो, न प्रचलित हलाला जैसे लानती फ़ेअल के इख़्तियार करने ही की ज़रूरत पेश आये। क्योंकि एक तलाक़ की सूरत में सबके नज़दीक इद्दत के अन्दर रूजू करना और इद्दत गुज़रने के बाद उनके बीच दोबारा निकाह करना जायज़ है। दूसरी मर्तबा तलाक़ में भी इसी तरह दोनों बातें जायज़ हैं। इख़्तिलाफ़ उस वक़्त पैदा होता है जब तलाक़ देने का ग़ैर शरई तरीक़ा इख़्तियार किया जाता है और बयक वक़्त तीन तलाक़ें दे दी जाती हैं। इस सूरत में अहले हदीस़ कहते हैं कि ये एक ही तलाक़े रजई है, क्योंकि उनको बयक वक़्त नाफ़िज़ कर देने में अल्लाह की वह हिकमत और मन्शा फ़ौत हो जाती है जो अल्लाह ने (अत्तलाक़ मर्रतान) में बयान फ़रमाई है। और दूसरे हज़रात इसे तीन ही बावर करके हमेशा के लिये जुदाई का या फिर प्रचलित हलाला 'मलऊना' का फ़तवा जारी कर देते हैं। इसलिए इस्लामी नज़रेयाती कोन्सिल की ये सिफ़ारिश बड़ी अहम है कि बयक वक़्त तीन तलाक़ों को क़ाबिले तअज़ीर जुर्म क़रार दिया जाये। काश उस पर अमल की कोई सूरत भी पैदा हो। फ़िलहाल कम अज़ कम ये सूरत इख़्तियार की जा सकती है कि तहरीरी तलाक़ में ख़ाविन्द और तालक़ नवेस (वकील वग़ैरह) को मुजरिम क़रार दिया जाये और उसकी कोई तअज़ीरी सज़ा भी तजवीज़ की जाये। ये एक क़ाबिले अमल सूरत है, इसके इख़्तियार करने से उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग ग़लत तरीक़–ए तलाक़ से बाज़ आ जायेंगे। अल्लाह तआला किसी हुकूमत को इस अहम मसले को इस तरीक़े से हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन!

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " . قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(2184) यूनुस बिन जुबैर कहते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी जबकि वह अय्यामे हैज़ में थी। तो उन्होंने कहा: तुम इब्ने उमर को जानते हो? मैंने कहा: हाँ! उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को उसके हैज़ के दिनों में तलाक़ दे दी। तो उमर (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) के पास आये और उनसे दरयाफ़्त किया, तो आपने फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि उससे रूजू करे, फिर इद्दत के शूरू में तलाक़ दे।' यूनुस कहते हैं: मैंने कहा: क्या ये तलाक़ शुमार होगी? कहा: तो और क्या? अगर वह आजिज़ रहे (कि सहीह हुक्म न मालूम कर सके) या अहमक़पन का इज़हार करे (ग़लत तरीक़े से तलाक़ दे दे? तो क्या उसकी ये तलाक़ लाग़ू हो जायेगी?)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5333, व मुस्लिम: 7.

फ़ायदा : हैज़ के अय्याम में तलाक़ ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर शुमार की जायेगी। बेकार और बातिल नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिए: अरवाअ अलग़लील हदीस: 2059)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ

(2185) अब्दुर्रहमान बिन ऐमन मौला उर्वा ने हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से सवाल किया और अबू अज़ ज़ुबैर सुन रहे थे। कहा कि आपका इस शख़्स के बारे में क्या ख़्याल है जिसने अपनी बीवी को हैज़ के दिनों में तलाक़ दी हो? उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अपनी बीवी को हैज़ के दिनों में

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ

तलाक़ दे दी थी। तो उमर (﵁) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है हालांकि वह हैज़ से है। तो अब्दुल्लाह ने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस बीवी को मुझ पर लौटा दिया और उसे कुछ न समझा। और फ़रमाया: 'जब ये पाक हो जाये तो फिर तलाक़ दे या रोक ले।' इब्ने उमर कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने (इस तरह) पढ़ा: (या अय्यूहन नबीयू इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लि क़ूहुन्न फ़ी क़ुबुलि इद्दतिहिन्ना) 'ऐ नबी! जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ देना चाहो तो उन्हें उनकी इद्दत के शूरू में तलाक़ दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को यूनुस बिन जुबैर, अनस बिन सीरीन, सईद बिन जुबैर, ज़ैद बिन असलम, अबू अज्ज़ुबैर और मन्सूर बवास्ता अबू वाइल ने इब्ने उमर से रिवायत किया है। और इन सबकी रिवायत का मफ़हूम एक ही है कि नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि रूजू कर लो यहाँ तक कि वह पाक हो जाये, फिर चाहो तो तलाक़ दे दो और चाहो तो रोक लो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ऐसे ही मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता सालिम, इब्ने उमर से रिवायत किया है। लेकिन ज़ोहरी (बवास्ता सालिम) और नाफ़ेअ की रिवायात जो इब्ने उमर से हैं उनमें है कि नबी (ﷺ) ने उनको रूजू करने का हुक्म दिया यहाँ तक कि पाक हो जाये, फिर हैज़ आये फिर पाक हो, फिर चाहे तो तलाक़ दे दे

أَمْسَكَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ .

या रख ले।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अ़ता ख़ुरासानी से भी बवास्ता हसन अ़न इब्ने उ़मर उसी तरह रिवायत की गई है जैसे कि नाफ़ेअ़ और ज़ोहरी ने रिवायत की है। और ये सब रिवायात अबू अज़्ज़ुबैर के बयान के ख़िलाफ़ हैं।

(2185) तख़रीज : अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस़: 2183 में देखें, फ़तहुल बारी: 9/354.

तौज़ीह : (1) अय्यामे हैज़ की तलाक़ सुन्नत के स़रीह ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर कोई दे दे तो उसके वाक़ेअ़ होने या न होने में इस्लामी स्कालरों में दो रायें रही हैं और दोनों ही तरफ़ बड़े–बड़े उ़लमा, फ़ुक़्हा और मोहद्दिस़ीन की जमाअ़तें हैं।(ﷺ) बाद वालों में बिलख़ुसूस इमाम इब्ने तैमिया और उनके ख़ास़ शागिर्द (प्रमुख शिष्य) इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) निहायत शिद्दत से इस तलाक़ के बातिल होने के क़ायल हैं, जबकि जुम्हूर इसके वक़ूअ़ के क़ायल हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अलजामेअ़ अस्स़हीह में बाब क़ायम किया है (जिसका मतलब ये है) 'जब हायज़ा को तलाक़ दे दी जाये तो उसकी वह तलाक़ शुमार होगी।' इस मौज़ू में लम्बी बहसें हैं और इनका मेहवर हज़रत इब्ने उ़मर की तलाक़ का वाक़िया है। वह कहते हैं 'हुसिबत अलय्या बितलीकतिन' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 5253) 'ये मुझ पर एक तलाक़ शुमार की गई थी।' और एक दूसरा जुम्ला जो हमारी इस रिवायत में है: (वलम यरहा शैअन) 'और इसे कुछ न समझा या कुछ शुमार न किया'। लेकिन ये जुमला अ़दमे शुमार के लिये स़रीह नस़ नहीं है। जैसे कि इमाम शाफ़ेई या दीगर मोहद्दिस़ीन व फ़ुक्हा ने इसको मुहतमिल क़रार दिया है, यानी इसका मफ़हूम ये भी हो सकता है कि 'आप (ﷺ) ने इस अ़मल को दुरूस्त और स़हीह न समझा।' या रूजू से मानेअ़ न समझा।' वग़ैरह। इस ज़माने के बड़े मोहद्दिस अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) ने इस मौज़ू की मुख़्तलिफ़ अहादीस़ के असानीद व मुतून में तक़ाबुल करते हूए नतीजा ये निकाला है कि अय्यामे हैज़ की तलाक़ वाक़ेअ़ हो जाती है गो इसके ख़िलाफ़े सुन्नत होने में भी कोई शुब्हा नहीं। **(2)** जिस हैज़ में तलाक़ दी और फिर रूजू कर लिया अब उससे मुत्तस़िल तुहर में तलाक़ दे या उसके बाद वाले तुहर में? इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस़ के कई मुताबअ़ात व शवाहिद पेश करके ये स़ाबित किया है कि मुत्तस़िल तुहर में तलाक़ दी जा सकती है। यानी मुबाशरत से पहले। मगर इमाम नाफ़ेअ़ और ज़ोहरी की रिवायत में है कि इब्ने उ़मर (ﷺ) को दूसरे तुहर में तलाक़ या इम्साक का हुक्म दिया गया था। और ये ज़्यादती स़िक़ा है जो कि पहली सूरत के मनाफ़ी नहीं, इसलिए क़ाबिले क़बूल

है। और इस तत्वील की कई हिकमतें थीं। (i) मालूम हो जाये कि ये रूजू महज़ दूसरी तलाक़ की ख़ातिर न था। (ii) औरत के लिये वाज़ेह हो जाये कि उसको किस कैफ़ियत में तलाक़ हूई है। तुहर में या हमल में। (iii) अगर हमल नुमायाँ हो जाये तो शायद शौहर तलाक़ देने में हिचकिचाये। (iv) और इस तत्वील से ये भी मुमकिन है कि ज़हनों में पैदा होने वाली नाहमवारी, हमआहन्गी में बदल जाये और शौहर इसे बाक़ायदा बीवी बना ले। **(3)** 'और तमाम रिवायात अबू अज्ज़ुबैर के बयान के ख़िलाफ़ है।' साहिबे औन (रह.) ने इससे मुराद (वलम यरहा शैअन) का जुमला लिया है, यानी ये जुमला रिवायात करने में अबू अज्ज़ुबैर अकेले हैं।

बाब : 5
आदमी रूजू करे मगर गवाह न बनाये तो ...?

(5) بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ.

(2186) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से सवाल किया गया कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देता है और फिर उससे मुबाशरत कर लेता है मगर तलाक़ देने या उससे रूजू करने पर गवाह नहीं बनाता। उन्होंने कहा: तूने ख़िलाफ़े सुन्नत तलाक़ दी और ख़िलाफ़े सुन्नत ही रूजू किया। बीवी को तलाक़ देते वक़्त गवाह बनाओ और रूजू के वक़्त भी। और फिर ऐसे न करना।

(2186) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2025, इब्ने मुलक़्क़िन, हदीस: 1488.

फ़ायदा : सूरह अत्तलाक़ में है: 'जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के क़रीब पहुँच जायें तो उन्हें या तो क़ायदा के मुताबिक़ अपने निकाह में रखो या दस्तूर के मुताबिक़ अलग कर दो। और आपस में से दो आदिल शख़्सों को गवाह कर लो।' (तलाक़: 2) तलाक़ और रूजू में गवाह बना लेना मुस्तहब और अफ़ज़ल है, बिलख़ुसूस जब रूजू ज़बानी हो। रूजू बिलफ़ेअल में गवाह के कोई मानी नहीं।

बाब : 6
गुलाम के लिये तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा?

﴿6﴾
بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ

(2187) अबू हसन मोला बनी नोफ़ल ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से पूछा कि गुलाम जिसकी ज़ोजीयत में कोई लौण्डी हो, वह उसे दो तलाक़ें दे दे, फिर वह दोनों उसके बाद आज़ाद हो जायें तो क्या उस आज़ाद गुलाम के लिये रवा है कि वह उस (अपनी पहले वाली बीवी, यानी अब आज़ाद लौण्डी) को शादी का पैग़ाम दे? उन्होंने कहा: हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसी तरह फ़ैसला फ़रमाया था।

(2187) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3457, इब्ने माजा, हदीस: 2082.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2188) जनाब अ़ली (बिन मुबारक) ने अपनी सनद से पिछली हदीस की मानिन्द बयान किया मगर (हद्दसनी) का सेग़ा इस्तेमाल नहीं किया (बल्कि अ़न कहा)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: तेरे लिये एक ही (तलाक़) बच गई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यही फ़ैसला किया था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) को सुना, उन्होंने कहा: अब्दुर्रज़्ज़ाक ने बयान किया कि इब्ने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ .

मुबारक ने मअमर से पूछाः ये अबूल हसन कौन है? उसने बहुत बड़ा भारी पत्थर उठाया है। (ये अदमे ऐतमाद का इज़हार है)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये अबूल हसन वही है जिससे ज़ोहरी रिवायत करते हैं।

ज़ोहरी कहते हैं कि ये फुक़्हा में से था। और ज़ोहरी ने इससे कई अहादीस़ रिवायत की हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहाः अबूल हसन मारूफ़ है मगर इस हदीस़ पर अ़मल नहीं है।

(2188) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ.

(2189) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) नबी (ﷺ) से बयान करती हैं कि आपने फ़रमायाः 'लौण्डी के लिये दो तलाक़ें हैं और उसके 'क़ुरू' (इद्दत) दो हैज़ है।'

अबू आ़सिम ने कहाः मुझे मुज़ाहिर ने बवास्ता क़ासिम, हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से इसी के मिस्ल रिवायत किया मगर लफ़्ज़ ये थेः (वइद्दतुहा हैज़तानि)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मजहूल हदीस़ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इन दोनों हदीस़ों पर अ़मल नहीं है।

अबू दाऊद (रह.) ने कहाः इस सनद में मुज़ाहिर नामी रावी मारूफ़ रावी नहीं है।

(2189) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1182, इब्ने माजा, हदीस़: 2080.

बाब : 7
निकाह से पहले तलाक़ देना

﴾7﴿
بَابٌ فِي الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

(2190) अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र(ﷺ)) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मालिक बने बग़ैर तलाक़ नहीं, मालिक बने बग़ैर आज़ाद करना नहीं, और मालिक बने बग़ैर फ़रोख़्त नहीं।'
इब्ने स़ब्बाह ने ये इज़ाफ़ा भी बयान कियाः 'और मालिक बने बग़ैर किसी नज़र का पूरा करना नहीं।'
(2190) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4616, इब्ने माजा, हदीस़: 2047, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1181, इब्ने अलमुलक्क़िन, हदीस़: 1184.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ " . زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ " وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ " .

(2191) अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस़ ने बवास्ता अ़म्र बिन शुऐब इसकी सनद से (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से) पिछली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और मज़ीद कहाः 'जिसने किसी मअ़स़ियत और गुनाह के काम पर क़सम उठाई हो, उसकी क़सम नहीं, और जिसने क़तअ़ रहमी की क़सम उठाई हो, उसकी क़सम नहीं।'
(2191) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ " .

(2192) अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस़ मख़्ज़ूमी ने बवास्ता अ़म्र बिन शुऐब, अपने वालिद से और वह अपने दादा से, उन्होंने नबी (ﷺ) से यही मज़कूरह ख़बर रिवायत की और मज़ीद

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَادَ " وَلاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ".

कहा: 'नज़र वही मोतबर है जिसमें अल्लाह की रज़ा (ख़ूशी) तलब की गई हो।'

(2192) तख़रीज : (सनद हसन)

﴿8﴾ بَابُ الطَّلاَقِ عَلَى غَيْظٍ

बाब : 8 ऐसी कैफ़ियत में तलाक़ देना जब ग़लती का इम्कान हो

फ़ायदा : सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में यहां ग़लत की बजाये (ग़ैज़) का लफ़्ज़ आया है (यानी गुस्से की हालत में) मगर अक्सर नुस्ख़ों में (ग़लत) ही है। और मुराद इससे ये है कि ऐसी हालत जिसमें ग़लती का क़वी इम्कान हो (और इससे मुराद भी गुस्से में तलाक़ देना ही है) तो तलाक़ का क्या हुक्म है?

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي، كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غَلاَقٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ

(2193) मुहम्मद बिन उ़बैद बिन अबी स़ालेह जो ईल्या (बैतुल मुक़दस) में रहते थे कहते हैं, कि मैं अ़दी बिन अ़दी किन्दी की मईयत में रवाना हूआ यहाँ तक कि हम मक्का पहुँच गये। पस उन्होंने मुझे स़फ़िया बिन्ते शैबा के यहां भेजा। उसने हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से (बहुत कुछ) याद किया हूआ था। उसने कहा कि मैंने आ़यशा(رضي الله عنها) को कहते हूए सुना, वह फ़रमाती थीं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'इग़लाक़ में तलाक़ नहीं और न गुलाम को आज़ाद करना है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अलग़िलाक़ (और अलइग़लाक़) मेरे ख़याल में ग़ज़ब और गुस्से के मानी में है।

(2193) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/276, इब्ने माजा, हदीस़: 2046.

फ़ायदा : कुतबे ग़रीबुल हदीस़ में (इग़लाक़) के मानी जबर व इकराह और जुनून के भी आये हैं। इस हदीस़ में मुराद गुस्से की वह शदीद कैफ़ियत है जिसमें इन्सान को होश नहीं रहता। वरना आम हालात में ख़ूशी से तो कोई भी तलाक़ नहीं देता। जबर व इकराह से तलाक़ दिलवाई जाये या कोई जुनून की कैफ़ियत में तलाक़ दे, तो नाफ़िज़ नहीं होती। गुस्से में दे, तो हो जाती है।

बाब : 9
हँसी मज़ाक में तलाक़ देना

﴾9﴿ باب الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ

(2194) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन बातें ऐसी हैं अगर कोई उनको हक़ीक़त और संजीदगी में कहे, तो हक़ीक़त हैं और हँसी मज़ाक में कहे, तो भी हक़ीक़त हैं। निकाह, तलाक़ और (तलाक़ से) रूजू'

(2194) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1184, इब्ने माजा, हदीस़: 2039, हाकिम: 2/198.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ " .

फ़ायदा : सूरह अलबक़रः में है: 'जब तुम औरतों को तलाक़ दो और वह अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आयें तो अब उन्हें अच्छी तरह बसा लो या भलाई के साथ अलग कर दो, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की ग़र्ज़ से ज़ुल्म और ज़्यादती के लिये न रोको। और जो शख़्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हँसी खेल न बनाओ ...'(अलबकर: 231) क़ुर्आन मजीद की इस आयत में तलाक़ की बाबत कुछ अहम हिदायात देने के साथ आख़िर में अहकामे इलाही को इस्तेहज़ा व मज़ाक़ बनाने से मना फ़रमाया गया है। इन्हीं अहकाम में निकाह व तलाक़ व एताक़ भी हैं। इनकी बाबत हदीस़ में वाज़ेह किया गया है कि ये काम अगर मज़ाक में भी किये जायेंगे। तो वाक़ेअतन इनका इन्अक़ाद हो जायेगा। इससे ये मालूम होता है कि डाम्मो और फ़िल्मों में फ़र्ज़ी तौर पर मियां बीवी का किरदार अदा करना क्यों कर सही होगा? क्योंकि इस तरह अन्देशा है कि वह दोनों अल्लाह के यहां मियां बीवी ही मुतसव्विर हों जब कि वह ऐसा समझते हों, न इसके मुताबिक़ बाहम मामला ही करते हों।

बाब : 10
तीन तलाक़ों के बाद बीवी से रूजू करना मन्सूख़ है

﴾10﴿
باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } .

(2195) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि आयते करीमा (वलमुतल्लकातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरूइव वला यहिल्लु लहुन्न अय यकतुमुना माख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना) 'तलाक़ वाली औरतें अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें और उन्हें हलाल नहीं कि वह वह चीज़ छुपा लें जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा की है।' इसकी तफ़्सीर में बयान किया कि आदमी जब अपनी बीवी को तलाक़ देता था तो वही उसकी तरफ़ रूजू करने का ज़्यादा हक़दार समझा जाता था, ख़्वाह तीन तलाक़ें ही दे चुका होता। उसको मन्सूख़ कर दिया गया और फ़रमाया: (अत्तलाकु मर्रतान) '(क़ाबिले रूजू) तलाक़ दो बार है।'

(2195) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3584.

फ़ायदा : तलाक़ के सिलसिले में हिदायात के नुज़ूल से पहले लोग तलाक़ देते और रूजू करते रहते थे और तालक़ों की कोई हद और तादाद न थी। कुर्आन मजीद ने उन्हें सिर्फ़ तीन तक महदूद कर दिया है, दो क़ाबिले रूजू हैं और तीसरी पर रूजू नहीं हो सकता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ . لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ " أَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ - كَذَا وَكَذَا " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ " طَلِّقْهَا " . فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " . فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا " . وَتَلاَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ

(2196) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अ़ब्दे यज़ीद ... जो रूकाना और उसके भाईयों का वालिद था ... उसने उम्मे रूकाना को तलाक़ दे दी और क़बीला मुज़ैना की एक अ़ौरत से निकाह कर लिया। फिर ये (मुज़नी अ़ौरत) नबी (ﷺ) के पास आई और कहा: ये मेरे काम का नहीं, जैसे ये बाल, और उसने अपने सर से बाल पकड़ कर इशारा किया (यानी नामर्द है), आप मेरे और इसके दरम्यान अलगाव करा दें। इस पर नबी (ﷺ) को ग़ुस्सा आया, और फिर रूकाना और उसके भाईयों को बुलवाया, और हाज़िरीन से कहा: 'क्या देखते हो कि फ़लां बच्चा उससे किस क़द्र मिलता-जुलता है।' यानी अ़ब्दे यज़ीद के साथ 'और फ़ुलां उससे कितना मुशाबा है?' सबने कहा कि जी हाँ (यानी जब पहले इसकी औलाद मौजूद है तो उस अ़ौरत का दावा किस तरह स़हीह हो सकता है) तो नबी (ﷺ) ने अ़ब्दे यज़ीद से फ़रमाया: 'इसको तलाक़ दे दो' चूनांचे उसने (तलाक़) दे दी। और फ़रमाया: 'अपनी (पहली) बीवी से जो रूकाना और उसके भाईयों की माँ है, रूजू कर लो।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसे तीन तलाक़ें दी हैं। आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम है, इससे रूजू कर लो।' और ये आयत तिलावत फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ

بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ لأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً .

फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना) 'ऐ नबी! जब तुम औरतों को तलाक़ देना चाहो तो इद्दत के वक़्त तलाक़ दिया करो।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नाफ़ेअ बिन उजैर और अब्दुल्लाह बिन अली बिन यज़ीद बिन रूकाना की रिवायत है कि रूकाना ने अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता दी थी तो नबी (ﷺ) ने उसकी बीवी को उस पर लौटा दिया था, ये रिवायत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये उस आदमी की औलाद हैं और घर वाले उसके मुताल्लिक़ ज़्यादा बाख़बर हो सकते हैं, यानी रूकाना ने अपनी बीवी को बत्ता तलाक़ दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको एक बना दिया।

(2196) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/339, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 334.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस ज़ईफ़ है। ताहम कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये हसन दरजा की है (इसकी बहस के लिये देखिये अरवाअ अलग़लील 7/144) और हदीसें आगे आ रही हैं। 2206-2208) **(2)** तलाक़े बत्ता: यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रूजू का हक़ कट जाये। बत्ता यबुत्तु बत्तन यानी काट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। **(3)** नबी के जमाने में तलाक़े बत्ता का लफ़्ज़ एक ही मर्तबा तीन तलाक़ें देने के मफ़हूम में इस्तेमाल होता था। इस ऐतबार से बयक वक़्त तीन तलाक़ें या तलाक़े बत्ता दोनों का मतलब एक ही है। यही वजह है कि इस हदीस में सराहत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस (तलाक़े बत्ता) को एक बना दिया। वरना बाद में तलाक़े बत्ता का जो मफ़हूम रायज हूआ, उसकी रू से तो उसे किसी सूरत भी एक तलाक़ नहीं बनाया जा सकता था।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ

(2197) मुजाहिद कहते हैं कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के पास बैठा था कि एक शख़्स उनके पास आया और कहने लगा कि मैं ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं। चूनांचे वह ख़ामोश हो रहे यहाँ तक कि मुझे

رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا . قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

गुमान हूआ कि वह उस औरत को उस पर वापस कर देंगे। (रूजू करने का फ़तवा दे देंगे) फिर बोले: तुममें एक उठता है और हिमाक़त का इरतेकाब करता है, फिर कहता है: इब्ने अ़ब्बास! इब्ने अ़ब्बास! तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: (व मय्यत्तक़िल्लाह यज्अल लहु मख़रजा) 'जो अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करे, अल्लाह उसके लिये निकलने की राह भी पैदा फ़रमा देता है।' तूने अल्लाह का तक़वा इख़्तियार नहीं किया, लिहाज़ा मैं तेरे लिये कोई राह नहीं पाता। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की और बीवी तुझसे जुदा हो गई। और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया है: (या अय्युहन्नबी इज़ा तल्लक़तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ू हुन्न फ़ी क़ुबुलि इद्दतिहिन्ना) 'ऐ नबी!(ﷺ) जब तुम औरतों को तलाक़ देना चाहो तो उन्हें उनकी इद्दत के शूरू में तलाक़ दो।' (इस सनद की मुताबआत का बयान)

[1] इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को (अलिफ़) हुमैद आरज़ वगैरह बवास्ता मुजाहिद, इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) रिवायत किया है। (2) शोबा ने अम्र बिन मुर्रह से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अ़ब्बास रिवायत किया है। (3) अय्यूब और इब्ने जुरैज ने इक्रिमा बिन ख़ालिद से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अ़ब्बास रिवायत किया है। (4) इब्ने जुरैज ने अ़ब्दुल हमीद बिन राफ़ेअ से बवास्ता अ़ता, इब्ने

كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِنَّهُ أَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " . بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هَذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

अ़ब्बास रिवायत किया है। (5) आमश ने बवास्ता मालिक बिन हारिस़, इब्ने अ़ब्बास रिवायत किया है। (6) इब्ने जुरैज ने बवास्ता अ़म्र बिन दीनार, इब्ने अ़ब्बास रिवायत किया है। ये सब रिवायत करते हैं कि इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने तीन तलाक़ को नाफ़िज़ किया और कहा औरत तुझसे (बायना) जुदा हो गई जैसे कि इस्माईल अ़न अय्यूब अ़न अ़ब्दुल्लाह बिन कस़ीर की सनद में आया है।

[2] इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन ज़ैद, अय्यूब से बवास्ता इक्रिमा, इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि जब कहने वाले ने एक ही मर्तबा कहा कि 'तुझे तीन तलाक़ है' तो ये एक तलाक़ है। और इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से बवास्ता इक्रिमा इसे नक़ल किया तो इब्ने अ़ब्बास का नाम नहीं लिया बल्कि उसको इक्रिमा का क़ौल बनाया है।

(2197) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 11602, तबरी, 28/84, तबरानी: 11/88, 89, हदीस़: 1139, तबरानी: 11/95, हदीस़: 11157.

وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

(2198) इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का ये फ़तवा बदल गया था जैसे कि हमें अहमद बिन स़ालेह और मुहम्मद बिन यहया ने बयान किया ... और ये रिवायत अहमद बिन स़ालेह की है ... और इन दोनों की सनद यूँ है: (हद्दसना अब्दुर्रज़्ज़ाक अ़न मअ़मर अ़न अज़्ज़ोहरी अ़न अबी सलमा बिन

अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (दूसरी सनद) मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन स़ौबान, मुहम्मद बिन इयास से बयान करते हैं कि हज़रात इब्ने अ़ब्बास, अबू हुरैरह और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स़ (رضي الله عنه) से सवाल किया गया कि कुंवारी लड़की को अगर उसका शौहर तीन तलाक़ें दे दे (हमबिस्तरी से पहले) तो? सबने कहा कि ये शौहर के लिये हलाल नहीं यहाँ तक कि किसी और से निकाह करे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इमाम मालिक (रह.) ने बसनद यहया बिन सईद अ़न बुकैर बिन अलअशज अ़न मुआ़विया बिन अबी अ़य्याश रिवायत किया (मुआ़विया ने कहा) कि मैं इस क़िस्से का गवाह हूं, मुहम्मद बिन इयास बिन बुकैर, इब्ने अज़्ज़ुबैर और आ़सिम बिन उ़मर के पास आया और इन दोनों से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इब्ने अ़ब्बास और अबू हुरैरह (رضي الله عنه) के पास चले जाओ, मैंने उनको आ़यशा (رضي الله عنها) के यहां छोड़ा है। फिर ये क़िस्सा बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का ये क़ौल कि औ़रत तीन तलाक़ से अपने शौहर से बायना (जुदा) हो जाती है, ख़्वाह शौहर ने उससे हमबिस्तरी की हो या न की हो, वह उसके लिये हलाल नहीं रहती जब तक कि किसी और से निकाह न कर ले। उनका ये फ़तवा ऐसे ही है जैसे कि

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولاً بِهَا وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ.

उन्होंने बैअ़े स़र्फ़ (सोने चाँदी की बैअ़-ख़रीदो फ़रोख़्त) के बारे में फ़तवा दिया था, फिर इब्ने अ़ब्बास ने अपने इस फ़तवे से रूजू़ कर लिया था।

(2198) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 7/354, मौता: 2/570.

तौज़ीह : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से तीन तलाक़ के मसले में दो क़ौल वारिद हैं जैसे कि बैअ़े स़र्फ़ (सोने चाँदी की बैअ़) में पहले वह एक दिरहम के बदले दो दिरहम और एक दीनार के बदले दो दीनार लेना देना (नक़द में) जायज़ समझते थे, फिर जब उन्हें इस बैअ़ (ख़रीदो फ़रोख़्त) की मनाही की मौसूक़ ख़बर मिल गई तो उन्होंने अपना फ़तवा बदल लिया और उसके नाजायज़ होने का फ़तवा देने लगे। इसी तरह इस मसले तलाक़ में भी उनके दो क़ौल हैं: एक ये कि तीन तलाक़ के लफ़्ज़ से तलाक़ हो जाती है (यानी तीन) और अक्स़र रिवायात इसी तरह हैं और दूसरा ये कि वाक़ेअ़ नहीं होती (बल्कि एक होती है) जैसे कि इक्रिमा ने उनसे रिवायत किया है। और यही स़हीह है, बावजूद ये कि इसके बरअक्स की असानीद ज़्यादा हैं ताऊस की इनसे मरफ़ूअ़ रिवायात इसी की ताईद करने वाला है और इसी को इख़्तियार करना हमारे नज़दीक वाजिब है क्योंकि ये स़हीह हदीस़ कई एक असानीद से उनसे स़ाबित है। इमाम इब्ने तैमिया और उनके तिल्मीज़े रशीद इब्ने क़य्यिम (रह.) और कुछ दीगर उ़लमा इसी के क़ायल हैं। (माख़ूज़ , अरवा, अलग़लील: 7/122)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى

(2199) ताऊस कहते हैं कि अबू अस्स़हबा नामी एक शख़्स़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से बहुत ज़्यादा सवाल किया करता था। उसने कहा: क्या आप को इल्म है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को मुबाशरत से पहले तीन तलाक़ें दे देता था तो ऐसी तलाक़ को रसूलुल्लाह (ﷺ), अबूबक्र (رضي الله عنه) और अवाइले दौरे उ़मर (رضي الله عنه) में एक ही बनाया (शुमार) करते थे? इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه) ने कहा: हाँ! आदमी जब अपनी बीवी को मुबाशरत से पहले तीन तलाक़ें दे देता था तो

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ .

नबी (ﷺ) के जमाने, अ़हदे अबीबक्र और इब्तेदा–ए–अहदे उ़मर में इसको एक ही बना देते थे। उ़मर ने जब देखा कि लोग मुसलसल तलाक़ें देने लगे हैं तो उन्होंने कहा: इन्हें इन पर नाफ़िज़ कर दो।

(2199) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/338.

नोट : इस रिवायत में (कब्ल अय्यदख़ुला बिहा) 'हमबिस्तरी से पहले' का इज़ाफ़ा मुन्कर है। तफ़सीली बहस़ के लिये देखिए (सिलसिलतुल अहादीस़ अज़्ज़ईफ़ा, जि. 3/1134) स़हीह मुस्लिम के अल्फ़ाज़ इन्तेहाई स़रीह और स़ाफ़ हैं। 'रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में , अ़हदे अबीबक्र (رضي الله عنه) और ख़िलाफ़ते उ़मर के इब्तेदाई दो सालों में तीन तलाक़ें एक ही हूआ करती थी, तो उ़मर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) ने कहा: लोग इस मामले (तलाक़) में जिसमें उन्हें मोहलत हास़िल थी, जल्दी करने लगे हैं। अगर हम (इनकी तीन तलाक़ों को, तीन तलाक़ें ही) इन पर नाफ़िज़ कर दें (तो बेहतर है) चूनांचे उन्होंने इसको नाफ़िज़ कर दिया।' (स़ही मुस्लिम, हदीस़: 1472) अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) लिखते हैं: इस हदीस़ में मदख़ूला और ग़ैर मदख़ूला की कोई क़ैद नहीं। ये नस़ नाक़ाबिले इन्कार है, इन्तेहाई मोहकम और स़ाबित है, मन्सूख़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद ख़िलाफ़ते सि़द्दीक़ (رضي الله عنه) और अवाइले दौरे उ़मर (رضي الله عنه) में इसी पर अ़मल होता रहा है और हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने इसकी मुख़ालिफ़त इसके बिलमुक़ाबिल किसी नस़ से नहीं, बल्कि अपने इज्तेहाद से की थी और यही वजह थी कि इस हुक्म को लागू करने में परेशानी हो रही थी। और मिस्र और शाम वग़ैरह में जब इस हुक्म को क़ानून का हिस्स़ा बनाया गया है तो इत्तेबाअ़े सुन्नत और अहया–ए–सुन्नत की ग़र्ज़ से नहीं बल्कि मस्लिहत की बुनियाद और इब्ने तैमिया की तक़लीद में ऐसा किया गया है। काश कि ये लोग अपनी इबादात व मामलात में सुन्नत की इत्तेबाअ़ को पेशे नज़र रखें। (मुलख़्ख़स़) मुतरजिम अ़र्ज़ करता है कि बर्रे स़ग़ीर में भी यही सूरते हाल है कि लोग अपनी ज़ाती मस़ालेह के पेशे नज़र इन अहादीस़ के मुताबिक़ फ़तवा हास़िल करने के लिये कोशाँ होते हैं , न कि इत्तेबाअ़े सुन्नत की ग़र्ज़ से। फइलल्लाहिल मुश्तकी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ

(2200) इब्ने ताऊस अपने वालिद से बयान करते हैं कि अबू अस्स़हबा ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से कहा: क्या आप जानते हैं कि नबी (ﷺ) के ज़माने में, अबूबक्र (رضي الله عنه) के अ़हद और उ़मर (رضي الله عنه) की इमारत के इब्तेदाई

أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

तीन साल तक तीन तलाक़ों को एक बनाया (शुमार किया) जाता था? तो इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: हाँ!

(2200) तख़रीज : मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 11337, व मुस्लिम: 1472.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्मत के लिये हुज्जते शरइया सिर्फ़ नबी (ﷺ) का दौर है। जिस वक़्त कि शरीअत नाज़िल हूई और मुकम्मल हो गई। और इमाम मालिक (रह.) का ये क़ौले फ़ैसल है 'इस उम्मत का आख़री दौर उसी से इस्लाह पज़ीर होगा जिसके ज़रिये से इसके अव्वल की इस्लाह हूई थी।' **(2)** इस हदीस़ से वाज़ेह है कि अ़हदे रिसालत, अ़हद अबी बक्र और हज़रत उ़मर (ﷺ) के इब्तेदाई दौर में एक मज्लिस की तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ शुमार किया जाता था। इसलिए यही मसलक स़हीह है। इसके अलावा अ़वाम की जहालत का हल भी यही है, वह तलाक़ के स़ही तरीक़े से बेख़बर होने की वजह से बयक वक़्त तीन तलाक़ें दे देते हैं (हालांकि ऐसा करना सख़्त मना है) फिर पछताते हैं। इसका हल यही है कि इसे एक तलाक़ शुमार किया जाये और इसे रूजू का हक़ दिया जाये। आज कल के कई उ़लमा ए अहनाफ़ ने भी इस मौक़िफ़ की ताईद की है। जिसकी तफ़्सील 'एक मज्लिस की तीन तलाक़ें' नामी किताब में मुलाहिज़ा की जा सकती है। इसी तरह ये मबहस़ 'औरतों के इम्तियाज़ी मसाइल व क़वानीन' : हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़, मतबूआ दारूस्सलाम में भी ज़रूरी हद तक मौजूद है।

﴾11﴿ بَابٌ فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

बाब : 11
ऐसे कलिमात जो तलाक़ के मोहतमिल हों, और नियतों की अहमियत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،

(2201) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आ़माल का दारोमदार नियत पर है। इन्सान के लिये वही है जो उसने नियत की हो। सो जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ तो उसकी हिजरत

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ है और जिसने दुनिया हासिल करने के लिये हिजरत की या किसी औरत के लिये कि उससे शादी कर ले तो उसकी हिजरत उसी की तरफ़ है जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की है।'

(2201) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1, व मुस्लिम: 1907.

फ़ायदा : कलिमाते किनाया से तलाक़ हो जाती है बशर्ते कि तलाक़ की नियत हो अगर ये नियत न हो तो नहीं होती।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍفَسَاقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا . فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الأَمْرِ .

(2202) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब अपने वालिद कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) के क़ायद थे जबकि वह नाबीना हो चुके थे। कहते हैं कि मैंने कअ़ब बिन मालिक (رضي الله عنه) से सुना और तबूक वाला वाक़िया बयान किया। बयान किया कि जब पचास में से चालीस दिन गुज़र गये तो अचानक नबी (ﷺ) का पैग़म्बर (मैसेन्जर) आया और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। मैंने पूछा: इसे तलाक़ दे दूं या क्या करूं? कहा: नहीं, बल्कि इससे अलग रहो, उसके क़रीब मत होना। चूनांचे मैंने अपनी बीवी से कहा: अपने घर वालों के पास चली जाओ और उन्हीं के पास रहो, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में कोई फ़ैसला फ़रमा दे।

(2202) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2757, व मुस्लिम: 2769.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर शौहर बीवी को यूँ कह दे कि 'अपने घर वालों के पास चली जा' और तलाक़ की नियत की हो तो तलाक़ हो जायेगी वरना नहीं। **(2)** हज़रत कअब बिन मालिक(ﷺ) का वाक़िया एक अ़ज़ीम तारीख़ी वाक़िया है। तफ़्सीर इब्ने कसीर में सूरह तौबा की आयते करीमा (118) के ज़िम्न में देख लिया जाये।

बाब : 12
बीवी को इख़्तियार देने का मसला

﴿12﴾ بَابٌ فِي الْخِيَارِ

(2203) हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम को इख़्तियार दिया तो हमने आप ही को इख़्तियार किया था, चूनांचे इसको कुछ भी शुमार न किया गया।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا

(2203) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5262, व मुस्लिम; 1477.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर शौहर बीवी से कहे, मुझे इख़्तियार कर लो या अपने आपको, या तुम्हें इख़्तियार है, वग़ैरह' और नियत तलाक़ की हो ... फिर अगर बीवी ने अपने आपको इख़्तियार कर लिया तो तलाक़ हो जायेगी। और अगर शौहर को इख़्तियार कर ले तो नहीं होगी। **(2)** फ़ुतूहात के नतीजे में जब मुसलमानों की माली हालत पहले की निस्बत कुछ बेहतर हो गई तो अंस़ार व मुहाजिरीन की औ़रतों को देख कर अज़वाजे मुतह्हरात ने भी नान व नफ़्क़ा में इज़ाफ़े का मुतालबा कर दिया। नबी (ﷺ) चूंकि निहायत सादगी पसन्द थे इसलिए अज़वाजे मुतह्हरात के इस मुतालबे पर सख़्त कबीदा ख़ातिर हूए और बीवियों से अलगाव इख़्तियार कर ली जो एक महीने तक जारी रही। बिलआख़िर अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: (अल अहज़ाब: 28, 29) इसके बाद नबी (ﷺ) ने सबसे पहले हज़रत आ़यशा (ﷺ) को ये आयत सुनाकर उन्हें इख़्तियार दिया, ताहम उन्हें कहा कि अपने तौर पर फ़ैसला करने की बजाये अपने वालिदैन से मशवरे के बाद कोई इक़दाम करना। हज़रत आ़यशा ने कहा: ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके बारे में मशवरा करूं। बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को इख़्तियार करती हूं। यही बात दीगर अज़वाजे मुतह्हरात ने भी कहीं और किसी ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को छोड़ कर दुनिया के ऐश व आराम को तरजीह नहीं दी। (स़ही बुख़ारी, तफ़्सीर सूरह अलअहज़ाब, माख़ूज़ अज़ तफ़्सीर अहसनुल बयान)

बाब : 13
शौहर अगर यूँ कहे 'तेरा मामला तेरे हाथ में है तो?'

﴿13﴾ باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

(2204) हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैंने अय्यूब से पूछा: आपको किसी का इल्म है जो (अम्रूकि बियदिकि) 'तेरा मामला तेरे हाथ में है' की तफ़्सील में हसन (बसरी) की तरह कहता हो? (उनका बयान अगली रिवायत में आ रहा है) अय्यूब ने कहा: नहीं मगर वही जो हम को क़तादा ने बसनद कसीर मौला इब्ने समुरह से, अबू सलमा से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द बयान किया। अय्यूब ने कहा: फिर कसीर मौला इब्ने समुरह हमारे पास आये तो मैंने उनसे (इस रिवायत के मुताल्लिक़) पूछा। तो उन्होंने कहा: 'मैंने ये कभी बयान नहीं किया।' फिर मैंने उनकी ये बात क़तादा से कही तो उन्होंने कहा कि बयान तो किया है मगर भूल गये हैं।

(2204) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1178, नसाई, हदीस : 3449.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ . قَالَ لاَ إِلاَّ شَىْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ نَسِيَ.

(2205) क़तादा ... जनाब हसन बसरी (रह.) से बयान करते हैं कि (अम्रूकि बियदिकि) 'तेरा मामला तेरे हाथ में है।' ये तीन तलाक़ें होती हैं।

(2205) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) क़तादा अनअ़न.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ . قَالَ ثَلاَثٌ .

फ़ायदा : ये ताबेई का क़ौल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान नहीं है इसके अलावा पिछली दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। बहरहाल अगर शौहर ने इस जुम्ले से तलाक़ मुराद ली हो तो तलाक़ हो जायेगी मगर एक तलाक़ होगी।

(14) باب فِي الْبَتَّةِ

बाब : 14
तलाक़े बत्ता का बयान

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً " . فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ

(2206) नाफ़ेअ बिन उ़जैर बिन अ़ब्दे यज़ीद बिन रूकाना से मरवी है कि रूकाना बिन अ़ब्दे यज़ीद ने अपनी बीवी सुहैमा को बत्ता तलाक़ दे दी। फिर नबी (ﷺ) को इसकी ख़बर दी और कहा: क़सम अल्लाह की! मैंने इससे एक ही का इरादा किया था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम से! तूने सिर्फ़ एक ही का इरादा किया था?' रूकाना ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने सिर्फ़ एक ही का इरादा किया था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी बीवी को उस पर लौटा दिया। चूनांचे उसने उसको दूसरी तलाक़ हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) के दौर में और तीसरी तलाक़ हज़रत उ़स्मान (رضی اللہ عنہ) के दौर में दी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत का इब्तेदाई हिस्सा इब्राहीम बिन ख़ालिद कल्बी के अल्फ़ाज़ हैं और आख़री इब्ने अस्सरह के।

(2206) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी: 4/33, हदीस: 3933.

फ़ायदा : 'बत्ता' बमानी क़तअ (काटना) है। यानी तलाक़ देने वाला कहे कि मैं तुझे बत्ता तलाक़ देता हूं। यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रूजू नहीं और अपना ताल्लूक़ पूरी तरह काटता हूं। और उसकी मुराद तीन तलाक़ हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(2207) मुहम्मद बिन यूनुस नसाई अपनी सनद से नाफ़ेअ बिन उ़जैर से, वह रूकाना बिन अ़ब्दे यज़ीद से, वह नबी (ﷺ) से यही हदीस़ बयान करते हैं।

(2207) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी, हदीस़: 4/33, बैहक़ी: 7/342.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا أَرَدْتَ " . قَالَ وَاحِدَةً . قَالَ " آللَّهِ " . قَالَ آللَّهِ . قَالَ " هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(2208) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ली बिन यज़ीद बिन रूकाना अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को बत्ता तलाक़ दे दी थी। फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो आपने पूछाः 'तुमने क्या इरादा किया था?' उसने कहाः एक का। आपने कहाः 'अल्लाह की क़सम से कहते हो?' कहाः अल्लाह की क़सम से कहता हूं। आपने फ़रमायाः 'ये वही है जो तुमने इरादा किया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत इब्ने जुरैज की (गुज़िश्ता) रिवायत (2196) से स़हीहतर है कि रूकाना ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दी थीं क्योंकि ये लोग इसके अपने घर वाले हैं, और ये इसके मुताल्लिक़ बेहतर जानते हैं। और इब्ने जुरैज की रिवायत अबू राफ़ेअ के किसी बेटे ने इक्रिमा से और उसने इब्ने अ़ब्बास से रिवायत की है।

(2208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1177, इब्ने माजा, हदीस़: 2051.

नोट : इस रिवायत की स़ेहत में इख़्तिलाफ़ है। हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ शैख़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई और कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। अबू दाऊद (रह.) का ये कहना कि 'ये हदीस़ इब्ने जुरैज की हदीस़ से

सही तर है' का मानी ये नहीं कि ये फ़िल वाक़ेअ इस्तेलाही तारीफ़ के मुताबिक़ सही है बल्कि मुराद ये है कि ये सनद दूसरी के मुक़ाबले में क़द्रे बेहतर है। मगर हक़ीक़तन दोनों ही में ज़ुअफ़ हैं (देखिए अरवाअ अलग़लील: 7/143)

बाब : 15
दिल में तलाक़ का ख़्याल आये तो ...?

﴿15﴾ بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلاَقِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا " .

(2209) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेरी उम्मत से वह उमूर मुआफ़ फ़रमा दिये हैं जिनके मुताल्लिक़ उन्होंने गुफ़्तगू न की हो या अमल न किया हो, और वह जिसके मुताल्लिक़ महज़ दिल में ख़्याल आया हो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2528, व मुस्लिम: 127.

फ़ायदा : महज़ ख़्याल करने से या दिल में पेच व ताब खाते हूए तलाक़ देना जबकि ज़बान से कुछ न बोला हो, तलाक़ नहीं होती। लेकिन अपने इन जज़्बात व ख़्यालात को किसी वाज़ेह तहरीर में नक़ल कर दिया हो तो तलाक़ हो जायेगी क्योंकि हाथ का लिखना अमल है। ख़्वाह बीवी को वह तहरीर दे या दिये बग़ैर ही ज़ाया कर दे तो तलाक़ हो जायेगी।

बाब : 16
शौहर अपनी बीवी को बहन कह दे तो?

﴿16﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَخَالِدٌ

(2210) अबू तमीमा हुजैमी से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को कहा: ऐ, बहन! तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

الطَّحَّانُ، - الْمَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُخْتُكَ هِيَ " . فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ " يَا أُخَيَّةُ " . فَنَهَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثًا ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ } وَقَوْلُهُ { بَلْ فَعَلَهُ

'क्या ये तेरी बहन है?' पस आपने इस अन्दाज़े गुफ़्तगू को नापसन्द किया और उससे मना फ़रमाया।

(2210) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/366

(2211) अबू तमीमा ने अपनी क़ौम के एक शख़्स से रिवायत किया कि उसने नबी (ﷺ) से सुना। जब कि नबी (ﷺ) ने एक शख़्स को सुना कि वह अपनी बीवी को कह रहा है: ऐ बहन! तो आपने उसको इससे मना फ़रमा दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (कि इस हदीस़ की दो सनदें और भी हैं) (1) अ़ब्दुल अ़ज़ीज बिन मुख़्तार ख़ालिद से, वह अबू उ़स्मान से, वह अबू तमीमा से, वह नबी (ﷺ) से। (2) शैबा ख़ालिद से, वह एक शख़्स से, वह अबू तमीमा से, वह नबी (ﷺ) से।

(2211) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

(2212) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि 'बिलाशुब्हा इब्राहीम अ़लैहि. ने कभी झूठ नहीं बोला मगर तीन मौक़ों पर। दो बार अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के बारे में। जबकि आपने (क़ौम से) कहा था (इन्नी सक़ीमुन) 'मैं बीमार हूं, या मेरी तबीअ़त नासाज़ है।' दूसरी बार आपने कहा था: (बल फ़अलहु कबीरूहुम हाज़ा) 'ये तो उनके इस बड़े ने किया है।' और तीसरी बार जब कि वह एक ज़ालिम बादशाह के इलाक़े

كَبِيرُهُمْ هَذَا} وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأُتِيَ الْجَبَّارُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَزَلَ هَا هُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أُخْتِي . فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا قَالَ إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلاَ تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

में से जा रहे थे कि एक जगह पड़ाव किया तो उस ज़ालिम बादशाह को ख़बर दी गई और कहा गया कि यहां एक शख़्स उतरा है और उसके साथ एक औरत है इन्तेहाई हसीन व जमील! तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहि. को बुला भेजा और ख़ातून के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: 'ये मेरी बहन है। और जब वह अपनी अहलिया के पास लौटे तो उसे बताया कि उसने मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक़ पूछा है और मैंने उसको बताया है कि तू मेरी बहन है और हक़ीक़त ये है कि आज तेरे और मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं है और अल्लाह की किताब में तू मेरी बहन है तो मुझे उसके यहां मत झूठलाना।' और हदीस़ बयान की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने अबू अज़्ज़िनाद से, उन्होंने आरज से, उन्होने हज़रत अबू हुरैरह से, उन्होंने नबी(ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है।

(2212) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 8374, बुख़ारी, हदीस़: 5084, हदीस़: 2217, व मुस्लिम: 2371.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बीवी को आदतन या मुहब्बत व इकराम में 'बहन' कहना किसी तरह ठीक नहीं, लेकिन कहीं किसी वाक़ेई शरई ज़रूरत से तोरिया के तौर पर कहे तो मुबाह है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहि. के मारूफ़ क़िस्से में वारिद हूआ है। **(2)** हज़रत इब्राहीम अलैहि. के मुताल्लिक़ इस हदीस़ को कुछ मुतजद्दिद ना काबिले तस्लीम कहते हैं। बल्कि तमाम जख़ीर–ए अहादीस़ को मशकूक, अजमी साज़िश और न मालूम किस किस लक़ब से याद करते हैं। इनका अन्दाज़–ए–तहरीर व गुफ़्तगू कुछ यूँ होता है कि क़ुर्आन मजीद के मुक़ाबले में अहादीस़ के उन रावियों

को झुठला देना और ज़ईफ़ कहना ज़्यादा बेहतर और आसान है कुजा ये कि क़ुर्आन करीम की तग़लियत की जाये। क़ुर्आन मजीद ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. के बारे में बस़राहत कहा है कि (इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन) (मरयमः 41) 'बिलाशुब्हा वह इन्तेहाई सच्चे नबी थे।' इस फ़िक्र के हामिल लोगों को ज़रा ग़ौर करना चाहिए कि क़ुर्आन मज़ीद भी तो हमारे पास इन्हीं रावियों के ज़रिये से पहुँचा है जिनके ज़रिये से अहादीस़ पहुँची हैं। हक़ व स़दाक़त और दयानत के आ़ला तरीन मैयार के अदीमुल मिसाल उस़ूल क़ुर्आन मजीद और अहादीस़े नबविया की नक़्लो रिवायत के सिलसिले में एक ही हैं। जहां जो फ़र्क़ है वह जानकार अहले इल्म से मख़्फ़ी नहीं और इस वजह से अहादीस़ को कई दरजात में तक़सीम करके उनके हुक्म भी अलग अलग बताये गये हैं।

☞ इस हदीस़ को क़ुर्आन मजीद के वाक़ेअ़तन ख़िलाफ़ कहना दयानते इल्मी के ख़िलाफ़ है। तफ़्सीर अहसनुल बयान (अज हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ (रह.) में से दर्ज ज़ेल इक़्तबास पेश कर देना मुनासिब है। हाफ़िज़ स़ाहिब मौसूफ़ सूरह अलअम्बिया की आयत 63 के ज़ेल में लिखते हैं: '(हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. के इन अक़्वाल को) यक़ीनन हक़ीक़त के ऐतबार से झूठ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिरी शक्ल के लिहाज़ से उनको इस झूठ से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता। गोया ये झूठ अल्लाह के यहां क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं है क्योंकि वह अल्लाह ही के लिये बोले गये हैं। दराँ हाल ये कि कोई गुनाह का काम अल्लाह के लिये नहीं हो सकता। और ये तब ही हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर ये झूठ होने के बावजूद वह हक़ीक़तन ये झूठ न हो। लेकिन (चूंकि उनका स़ुदूर इब्राहीम ख़लीलूल्लाह अ़लैहि. जैसे जलीलुल क़द्र पैग़म्बर और अ़जीम इन्सान से हूआ, लिहाज़ा) उन्हें झूठ से ताबीर कर दिया गया है जैसे हज़रत आदम अ़लैहि. के लिये अ़स़ा और ग़वा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हूए हैं। हालांकि ख़ूद क़ुर्आन ही में उनके फ़ेअ़ले फल के खाने को भूल और इरादे की कमज़ोरी का नतीजा भी बतलाया गया है। जिसका स़ाफ़ मतलब ये है कि किसी काम के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक तरफ से इसमें इस्तेहसान और दूसरी तरफ से ज़ाहिरी क़बाहत का पहलू हो। हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. का ये क़ौल इस पहलू से ज़ाहिरी तौर पर ये झूठ ही है कि वाक़ेअ़े के ख़िलाफ़ था। बुतों को उन्होंने ख़ूद तोड़ा था। लेकिन उनका इन्तेसाब बड़े बुत की तरफ़ किया। लेकिन चूंकि मक़स़द उनका तअ़रीज़ और तौहीद को साबित करना था, इसलिए हक़ीक़त के ऐतबार से हम इसे झूठ की बजाये इतमामे हुज्जत का एक तरीक़ और मुशरीकिन की बेअक़्ली के इस्बात व इज़हार का एक अन्दाज़ कहेंगे। इसके अलावा हदीस़ में इन झूठ बोलने का ज़िक्र जिस ज़िम्न में आया है वह भी क़ाबिले ग़ौर है और वह है मैदाने हशर में अल्लाह के रूबरू जाकर सिफ़ारिश करने से, इसलिए गुरेज़ करना कि उनसे दुनिया में तीन मौक़ों पर लग़ज़िश का

सुदूर हूआ है। दराँ हाल ये कि वह लग़ज़िश नहीं हैं, यानी हक़ीक़त और मक़सद के ऐतबार से वह झूठ नहीं हैं। मगर वह अल्लाह की अ़ज़मत व जलाल की वजह से इतने ख़ौफ़ज़दा होंगे कि ये बातें झूठ के साथ ज़ाहिरी मुमास़लत की वजह से क़ाबिले गिरफ़्त नज़र आयेगी। गोया हदीस़ का मक़स़द हज़रत इब्राहीम अ़लैहि. को झूठा स़ाबित करना हरगिज़ नहीं है बल्कि उस कैफ़ियत का इज़हार है जो क़यामत वाले दिन ख़शियते इलाही की वजह से उन पर तारी होगी।'

☞ फिर लुत्फ़ ये है कि इन तीन बातों में से दो तो ख़ूद क़ुर्आन में मज़कूर हैं, हदीस़ में तो सिर्फ़ इनका हवाला है। तीसरी बात अलबत्ता सिर्फ़ हदीस़ में मज़कूर है मगर जिन हालात में वह बात कही गई है उन हालात में ख़ूद क़ुर्आन ने इज़हारे कुफ्र तक की इजाज़त दी है। पस अगर हदीस़ पर एताब उतारना है तो पहले ये हज़रात क़ुर्आन पर एताब उतारें। और इससे अपनी बराअत का इज़हार करें।

बाब : 17
ज़िहार के अहकाम व मसाइल

(17) بَابٌ فِي الظِّهَارِ

(2213) हज़रत सलमा बिन स़ख़र बिन स़ख़र बयाज़ी (ﷺ) कहते हैं कि मैं ऐसा शख़्स़ था जो औरतों को इस क़द्र आता था कि कोई क्या आता होगा। (बड़ी जिन्सी क़ूव्वत वाला था) जब रमज़ान का महीना आया तो मुझे अन्देशा हूआ कि बीवी के साथ कुछ कर ना बैठूं कि सुबह तक अलग ही न हो सकूं सो मैंने उससे ज़िहार कर लिया यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र जाये। इत्तेफ़ाक़ से एक रात वह मेरी ख़िदमत कर रही थी कि उसके जिस्म का कुछ हिस्सा मेरे सामने ज़ाहिर हूआ तो मैं ज़ब्त न कर सका और उसके ऊपर चढ़ गया। जब सुबह हूई तो मैं अपनी क़ौम के पास गया और उन्हें अपना क़िस्स़ा बताया और उन्हें कहा: मेरे साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चलो, वह

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ ابْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِيِّ - قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي

कहने लगे : नहीं, क़सम अल्लाह की! (हम तो नहीं जाते) तो मैं ख़ूद ही नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हो गया और आपको ख़बर दी। आपने कहा: 'सलमा! अरे तूने?' मैंने अर्ज़ किया: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ... दोबार कहा और मैं अल्लाह के हुक्म पर साबिर (राज़ी) हूं, मेरे बारे में जो अल्लाह आपको समझाये फ़ैसला फ़रमा दीजिए। आपने फ़रमाया: 'एक गर्दन आज़ाद कर दो।' मैंने कहा: क़सम अल्लाह की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है! मैं तो पस इसी का मालिक हूं और मैंने अपनी गर्दन की एक जानिब पर हाथ मारा। आपने फ़रमाया: 'तो फिर दो महीने मुतवातिर रोज़े रखो।' मैंने कहा कि और ये जो कुछ मेरे साथ हूआ है, रोज़ों ही की वजह से तो हूआ है। आपने फ़रमाया: 'तो एक वस्क़ (साठ साअ) खजूर साठ मिस्कीनों में तक़सीम कर दो।' मैंने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है! हमने तो भूखे पेटों रात गुज़ारी है, हमारे पास खाने को कुछ न था। आपने फ़रमाया: 'तो बनी ज़ुरैक़ के सदक़ा करने वाले के पास चले जाओ, वह तुम्हें कुछ देगा। तो उसमें से एक वस्क़ खजूर साठ मिस्कीनों को खिला देना और बाक़ी तुम और तुम्हारा परिवार खा ले।' चूनांचे मैं अपनी क़ौम के पास वापस आया और उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे पास तंगी और बुरी राय पाई, जबकि

ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَىْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لاَ وَاللَّهِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ " . قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ " حَرِّرْ رَقَبَةً " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَ وَهَلْ أُصِبْتُ الَّذِي أُصِبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ " فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ " فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا " . فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْىِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْىِ

وَقَدْ أَمَرَنِي - أَوْ أَمَرَ لِي - بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ بَيَاضَةُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ .

नबी (ﷺ) के पास से वुसअ़त और बेहतरीन राय मिली है। आपने मुझे तुम्हारे सदक़े (लेने) का हुक्म फ़रमाया है।

इब्ने अलअ़ला ने कहा: इब्ने इदरीस ने वज़ाहत की कि बयाज़ा, बनी ज़ुरैक़ की एक बिरादरी का नाम है।

(2213) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1198, इब्ने माजा, 2062, हाकिम: 2/203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईमान जब दिल में उतर जाता है तो मोमिन अल्लाह की नाफ़रमानी से डरता रहता है। और अगर कोई ख़ता हो जाये तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ़ रूजू करता है। और यही तफ़्सीर है इस क़ौल की कि 'ईमान ख़ौफ़ और रजा (उम्मीद) के दरम्यान है।' और ये वाक़िया इसकी शानदार मिसाल है। **(2)** एक वस्क़ में साठ साअ होते हैं और एक साअ में चार मुद इस हिसाब से एक साअ़ का वज़न तक़रीबन ढाई किलो और एक वस्क़ का वज़न तीन मन और और तीन किलो और कुछ उलमा के नज़दीक तीन मन और छः किलो होगा।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ " اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ " . فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ

(2214) हज़रत ख़ुवैला बिन्ते मालिक बिन सअ़लबा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मेरे शौहर औस बिन सामित (رضي الله عنه) ने मुझसे ज़िहार कर लिया तो मैं शिकायत लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूई। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझ से इस मसले में बहस़ फ़रमाने लगे। आप कहते थे: 'अल्लाह से डरो, वह तुम्हारा चचाज़ाद है। मैं वहां से न हटी थी कि क़ुर्आन नाज़िल हो गया: (क़द समि अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा ...) बयाने कफ़्फ़ारा तक ... आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह गर्दन आज़ाद करे।' उसने कहा: उसके पास नहीं है। आपने फ़रमाया: 'वह दो महीने मुतवातिर रोज़े रखे।' उसने

قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا } إِلَى الْفَرْضِ فَقَالَ " يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ لاَ يَجِدُ قَالَ " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ . قَالَ " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " . قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَىْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ . قَالَ " قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ " . قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह बहुत बूढ़ा है, रोज़े कहां रख सकता है? फ़रमाया: 'तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।' उसने कहा: उसके पास कुछ नहीं है कि सदक़ा करे। बयान करती हैं कि उसी वक़्त आपके पास एक टोकरा खजूर का आ गया मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं एक और टोकरे (खजूर) से उसकी मदद कर सकती हूं। आपने फ़रमाया: 'बहुत बेहतर है। जाओ और उसकी तरफ़ से ये साठ मिस्कीनों को खिला दो और अपने चचाज़ाद की तरफ़ लौट जाओ।'

(यहया बिन आदम ने) कहा कि अलअ़रक़ (टोकरे) में साठ स़ाअ खजूर आती है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस रिवायत में कहा कि इस (ख़ातून) ने अपने शौहर की तरफ़ से उसके मशवरे के बग़ैर ही कफ़्फ़ारा अदा कर दिया था। और कहा कि ये (औस बिन स़ामित) उ़बादा बिन स़ामित (رضي الله عنه) के भाई हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/410.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह मुजादला और आयते कफ़्फ़ार-ए-ज़िहार का शाने नुज़ूल यही वाक़िया है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी मर्ज़ी से कोई शरई अम्र नहीं फ़रमाते बल्कि सब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से वही होता है: (अन्नज्म: 3,4) **(3)** किसी मुसलमान की तरफ़ से माली कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये तो जायज़ है और बाइसे अज्र भी। **(4)** बीवी अपने शौहर को जो माली तौर पर मिस्कीन हो, सदक़ा और ज़कात दे दे तो जायज़ है मगर शौहर बीवी को नहीं दे सकता।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا

(2215) इब्ने इस्हाक़ ने इसी सनद से पिछली रिवायत की मानिन्द रिवायत किया मगर कहा कि 'अलअ़रक' वह टोकरा होता है जिसमें तीस स़ाअ खजूर आती है।

الإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاَثِينَ صَاعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत, यहया बिन आदम की (पिछली) रिवायत से ज़्यादा सही है।

(2215) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/392.

नोट : (अलअरक़) 'टोकरे' की मिक्दार इन रिवायात में साठ साअ या तीस साअ राजेह नहीं है। जैसे कि अल्लामा अल्बानी (रह.) ने लिखा है। सही मिक्दार अगली रिवायत में मज़कूर है, यानी पन्द्रह साअ। इस तरह हदीस: 2393 में भी मरवी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ يَعْنِي بِالْعَرَقِ زِنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا .

(2216) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा: 'अलअरक़' से मुराद ऐसा टोकरा होता है जिसमें पन्द्रह साअ खजूर आती है।

(2216) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/390.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ " تَصَدَّقْ بِهَذَا " . قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ" .

(2217) सुलेमान बिन यसार ने ये ख़बर बयान की और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास खजूर लाई गई, आपने ये उसे दे दी जो पन्द्रह साअ के क़रीब थी और फ़रमाया: 'इसे सदक़ा कर दो।' तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अपने और अपने घर वालों से ज़्यादा फ़क़ीर लोगों पर सदक़ा करूं? आपने फ़रमाया: 'तुम खा लो और तुम्हारे घर वाले।'

(2217) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/391, हदीस: 2213 में देखें।

फ़ायदा : उनका ये मतलब था कि गुरबत के लिहाज़ से हमसे ज़्यादा इस सदक़े का मुस्तहिक़ और कोई नहीं।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ الْمِصْرِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَوْسٍ،

(2218) जनाब अता हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) के भाई औस (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनको पन्द्रह साअ जौ इनायत किये थे, यानी साठ मिस्कीनों

أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَدِيمُ الْمَوْتِ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أَوْسًا .

का खाना।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि अ़ता की औस से मुलाक़ात नहीं है। और ये (औस) अहले बद्र में से थे, उनकी वफ़ात बहुत पहले हो गई थी। और ये हदीस़ मुरसल है। मोहद्दिसीन इसे ओज़ाई से बवास्ता अ़ता और वह औस से रिवायत करते हैं।

(2218) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/392.

फ़ायदा : गोया ये रिवायत, जिसमें जौ का ज़िक्र है, स़ही नहीं है बल्कि मुन्क़तअ़ है। मोहद्दिसीन के नज़दीक मुरसल और मुन्क़तअ़ हम मानी हैं। (औ़नुल माबूद)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ، كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلاً بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

(2219) हिशाम बिन उर्वा से रिवायत है कि जमीला हज़रत औस बिन स़ामित की ज़ौज़ियत में थी और औस में जिन्सी शहवत का माद्दा ज़्यादा था, जब उन पर उसका ग़ल्बा होता तो वह अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया करते थे। तो अल्लाह तआ़ला ने उनके मसले में ज़िहार के कफ़्फ़ारा का हुक्म नाज़िल फ़रमाया था।

(2219) तख़रीज : (सनद स़ही)

फ़ायदा : ये जमीला वही ख़ातून हैं जिनका ज़िक्र पहले ख़ुवैला के नाम से आया है। या तो उनके नाम ही दो थे या जमीला उन्हीं की ख़ूबसूरती की वजह से कहा गया है। (औ़नुल माबूद) वल्लाहू आ़लम!

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ .

(2220) हम्माद बिन सलमा ने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होने उर्वा से, उन्होंने हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से। इसके मिस्ल रिवायत की है।

(2220) तख़रीज : (सनद स़ही) हाकिम: 2/481.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ

(2221) जनाब इक्रिमा (मौला इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه)) से मनक़ूल है कि एक शख़्स़ ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, फिर

عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلاً، ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ".قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ . قَالَ "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ" .

कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले उसके साथ हमबिस्तर भी हो गया, उसके बाद नबी (ﷺ) के पास आया और अपना वाक़िया बयान किया। आपने पूछा: 'तूने ऐसा क्यों किया?' कहने लगा: मैंने चाँदनी में उसके पिण्डलियों की सफ़ैदी देख ली थी। आपने फ़रमाया: 'तो फिर अब उससे दूर रहना यहाँ तक कि अपना कफ़्फ़ारा दे ले।'

(2221) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/386

फ़ायदा : ज़िहार में कफ़्फ़ारा करने से पहले क़ुरबत जायज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلاً، ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ .

(2222) जनाब इक्रिमा (रह.) से मरवी है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, फिर चाँद की चाँदनी में उसकी पिण्डली की सफ़ैदी देखी तो उससे मुजामअत कर बैठा, तब नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया, तो आपने उसको कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म दिया।

(2222) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ .

(2223) जनाब इक्रिमा (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی الله عنه) से, वह नबी (ﷺ) से, इसी की मिस्ल (जैसी) बयान करते हैं, मगर इसमें (इस्माईल रावी ने) 'पिण्डली' का ज़िक्र नहीं किया।

(2223) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3487, तिर्मिज़ी, हदीस: 1199.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(2224) जनाब इक्रिमा (रह.) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं जैसे कि सुफ़ियान (बिन उ़यय्ना) की रिवायत में ज़िक्र हूआ है। (2221-2222)

عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

(2224) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، يُحَدِّثُ بِهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ عِكْرِمَةَقَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(2225) इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन ईसा को ये रिवायत बयान करते सुना, वह उसे बवास्ता मुअ़तमिर हकम बिन अबान से रिवायत करते थे और इसमें इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया। (बल्कि इक्रिमा से रिवायत की है, यानी सनद मुरसल है)

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं हुसैन बिन हुरैस़ ने मुझे इस रिवायत की ये सनद लिख भेजी (जो कि मुसनद है) हमें फ़ज़ल बिन मूसा ने ख़बर दी मअ़मर से, वह हकम बिन अबान से, वह इक्रिमा से, वह इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه) से। उन्होंने (पिछली हदीस़ के हम मानी) नबी (ﷺ) से बयान किया।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 2223 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : ज़िहार की सूरत में मुबाशरत (हमबिस्तरी) से पहले कफ़्फ़ारा अदा करना ज़रूरी है। जैसे कि सूरह मुजादला की आयात में पहले ज़िक्र किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई कफ़्फ़ारा देने से पहले मुबाशरत कर बैठे तो भी वही कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अलबत्ता इस सूरत में वह हुक्मे इलाही की मुख़ालफ़त का मुरतकिब होगा। अल्लाह तआ़ला ने ज़िहार के कफ़्फ़ारे की बाबत फ़रमाया है कि एक गर्दन आज़ाद करे अगर ये न हो सके तो दो माह के लगातार रोज़े रखे, अगर इसकी भी इस्तेताअ़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। इस आयत में मुतलक़ खाना खाने का हुक्म है, मात्रा का बयान नहीं। अलबत्ता हदीस़ में मिक़्दार की बाबत मुख़्तलिफ़ वजन बताये गये हैं, जैसे नबी ए करीम (ﷺ) ने हज़रत सलमा बिन स़ख़र बयाज़ी (رضي الله عنه) को हुक्म दिया कि एक वस्क़ (साठ स़ाअ़) खजूर साठ मिस्कीनों में तक़सीम कर दो। ये रिवायत मुहक़्क़िक़ीन (जानकारों) के नज़दीक हसन दर्जे की है और दूसरी रिवायत में औस बिन स़ामित की बाबत आता है कि उनकी तरफ़ से एक टोकरा खजूर बतौर कफ़्फ़ार–ए–ज़िहार दिया गया। इस टोकरे के वज़न के बारे में भी इख़्तिलाफ़ है। कुछ रिवायात में इसके वज़न की मिक़्दार साठ स़ाअ़ बताई गई है और कुछ में तीस स़ाअ़ और कुछ रिवायात में पन्द्रह स़ाअ़। लेकिन शैख़ अल्बानी (रह.) ने पन्द्रह स़ाअ़ वाली रिवायत को राजेह क़रार दिया है। उन्होंने इस टोकरे के वज़न में साठ और तीस स़ाअ़ वाले अल्फ़ाज़ को ग़ैर स़हीह क़रार दिया है। देखिए स़हीह सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2214, 2215,

लिहाज़ा इस बहस से मालूम हूआ कि पहले जिक्र की गई रिवायत की रू से एक वस्क़ और दूसरी रिवायत की रू से पन्द्रह स़ाअ खाना मिस्कीनों में तक़सीम किया जा सकता है। इन दोनों रिवायात में हल इस तरह है कि अगर कोई फ़क्र और तंग दस्ती में ज़िन्दगी बसर कर रहा हो तो वह कम अज़ कम पन्द्रह स़ाअ कफ़्फ़ारा अदा करे और अगर अल्लाह तआला ने किसी को माल व दौलत में फ़रावानी अ़ता कर रखी हो तो वह एक वस्क़ (साठ स़ाअ) कफ़्फ़ार–ए–ज़िहार अदा करे। वल्लाहू आ़लम!

बाब : 18
ख़ुलअ़ के अहकाम व मसाइल

﴾18﴿ بَابٌ فِي الْخُلْعِ

(2226) हज़रत स़ोबान (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औ़रत बग़ैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक़ माँगती है उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है।'

(2226) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2055, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1187, इब्ने हिब्बान, (मवारिद) हदीस़: 1320, हाकिम: 2/200.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "

फ़ायदा : अगर मियाँ बीवी में हमआहन्गी न रहे और शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देने पर राज़ी न हो, जब कि औ़रत उसके पास रहने के लिये तैयार न हो बल्कि अलग होने पर जिद कर रही हो तो वह अपना मामला क़ाज़ी के सामने पेश करे। वह वास्तविक परेशानी के पेशे नज़र औ़रत के मुतालब–ए अलगाव की बिना पर, औ़रत से कहे कि अपना हक़ मेहर वापस करे और फिर वह उनके बीच अ़क़्दे निकाह को फ़स्ख़ (रद्द) कर दे। तो अलग होने की इस कैफ़ियत को ख़ुलअ़ कहते हैं। तलाक़ शौहर की तरफ़ से होती है और ख़ुलअ़ में मुतालबा औ़रत की तरफ़ से होता है। और क़ाज़ी अपने फ़ैस़ल–ए तन्सीख़ की तन्फ़ीज़ कराता है। ख़ुलअ़ में इद्दत सिर्फ़ एक हैज़ है। क्योंकि ये फ़स्ख़े निकाह है।

(2227) अ़म्र बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान, हबीबा बिन्ते सहल अन्स़ारिया (ﷺ) के मुताल्लिक़ बयान करती हैं कि ये हज़रत स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास (ﷺ) की ज़ौजीयत में थी। रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ के लिये जाने लगे तो आपने हबीबा बिन्ते सहल को

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ

قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذِهِ " . فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَ " مَا شَأْنُكِ " . قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ " . وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ " خُذْ مِنْهَا " . فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا .

अन्धेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा: 'ये कौन है?' उसने कहा: मैं हबीबा बिन्ते सहल हूं। आपने पूछा: 'क्या बात है?' कहने लगी: मैं नहीं और स़ाबित बिन क़ैस नहीं! यानी अपने शौहर के मुताल्लिक़ कहा। (मतलब ये था कि हम दोनों का इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं) फिर जब हज़रत स़ाबित बिन क़ैस आये तो नबी (ﷺ) ने उनसे कहा: 'हबीबा बिन्ते सहल आई है और अल्लाह तआला को जो कुछ मन्ज़ूर था उसने मुझसे बयान किया।' हबीबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है वह सब मेरे पास है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने स़ाबित बिन क़ैस से फ़रमाया: 'इससे वसूल कर लो।' चूनांचे उन्होंने माल ले लिया और फिर वह अपने घर वालों के यहां बैठी रही।

(2227) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3492, मौता: 2/564, इब्ने हिब्बान, (मवारिद) हदीस़: 1326.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ

(2228) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हबीबा बिन्ते सहल, हज़रत स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास की ज़ोजीयत में थी तो स़ाबित ने उसको मारा और उसका कुछ तोड़ भी दिया, तब वह फ़ज्र के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और शौहर की शिकायत की। पस नबी(ﷺ) ने स़ाबित को बुलाया और फ़रमाया: 'इससे

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا فَقَالَ " خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " . فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا " . فَفَعَلَ .

कुछ माल ले लो और उसको अलग कर दो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये स़ही है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: मैंने इसको मेहर में दो बाग़ दिये हैं और वह इसी के क़ब्ज़े में हैं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह दोनों ले लो और उसे अलग कर दो।' चूनांचे उन्होंने ऐसे ही किया।

(2228) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/315.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ، ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .

(2229) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का बयान है कि स़ाबित बिन क़ैस (رضي الله عنه) की बीवी ने उनसे ख़ुलअ़ लिया तो नबी (ﷺ) ने उसकी इद्दत एक हैज़ मुक़र्रर फ़रमाई थी।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस़ को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक ने मअ़मर से, उन्होंने अ़म्र बिन मुस्लिम से, उन्होंने इक्रिमा से, उन्होंने नबी (ﷺ) से मुरसल बयान किया है।

(2229) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1185 मुसन्नफ़, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस़: 11858.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ

(2230) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से मरवी है कि ख़ुलअ़ वाली औ़रत की इद्दत एक हैज़ है।

(2230) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता: 2/565.

﴾19﴿ بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

बाब : 19 लौण्डी जिसे आज़ाद कर दिया जाये जबकि वह किसी आज़ाद या ग़ुलाम की ज़ौजीयत में हो

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُغِيثًا، كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ " . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ " . فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ " أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ "

(2231) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि मुग़ीस़ गुलाम थे। कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मेरे बारे में इसको सिफ़ारिश फ़रमा दीजिए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बरीरह! अल्लाह से डर, बिलाशुब्हा वह तेरा शौहर है और तेरे बच्चे का बाप भी है।' वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप इसके बारे में मुझे हुक्मन इरशाद फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैं स़िर्फ़ सिफ़ारशी हूं।' चूनांचे इस (मुग़ीस़) के आँसू उसके रूख़सारों पर बहते थे। (वह रोता फिरता था) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से फ़रमाया: 'किस क़द्र तअ़ज्जुब की बात है कि मुग़ीस़ को बरीरह से कितनी मुहब्बत है और उसको इससे कितना बुग़्ज़ है।'

(2231) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5283.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुलाम और लौण्डी अगर अ़क़्दे ज़ौजीयत में बन्धे हों, लेकिन लौण्डी को पहले आज़ादी मिल जाये तो उसे अपने (गुलाम) शौहर की ज़ौजीयत में रहने या न रहने का इख़्तियार हास़िल है। अगर शौहर पहले आज़ाद हो जाये तो बीवी को कोई इख़्तियार नहीं होता। दर्ज ज़ेल अहादीस़ में पिछला वाक़िया बरीरह (लौण्डी) और उसके शौहर मुग़ीस़ (गुलाम) का है। बरीरह(رضي الله عنها)

को आयशा (رضي الله عنها) ने पहले आज़ाद किया था जबकि मुग़ीस़ (رضي الله عنه) गुलाम ही रहे थे। (2) बरीरह (رضي الله عنها) जैसी औरत, जिसे एक स़ही हदीस़ में नाक़िस़ अलअक़्ल कहा गया है, दीन के मामले में किस क़द्र दाना थी। वह जानती थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म टाल देना दीन व दुनिया का ख़सारा है मगर जब आप (ﷺ) ने वज़ाहत फ़रमाई कि मेरी ये बात हुक्म नहीं महज़ सिफ़ारिश है तो उन्होंने शरअन हासिलशुदा इख़्तियार को तरजीह दी। इस वाक़िये में राय की आज़ादी का दर्स है और ये भी कि ये आज़ादी अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत से मशरूत है क्योंकि अल्लाह इन्सान का ख़ालिक़ है और रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के प्यामबर है।

(2232) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि बरीरह (رضي الله عنها) का ख़ाविन्द काले रंग का गुलाम था, जिसका नाम मुग़ीस़ था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बरीरह को इख़्तियार दिया था। (अपने शौहर की ज़ौजीयत में रहे या उससे आज़ाद हो जाये) और उसे हुक्म दिया था कि इद्दत गुज़ारे।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ

(2232) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5280.

फ़ायदा : स़हीह हदीस़ में है कि इसे तीन हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया गया था। (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2077) क्योंकि वह आज़ाद हो चुकी थी।

(2233) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बरीरह के क़िस्स़े में बयान करती हैं कि उसका शौहर गुलाम था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरीरह को इख़्तियार दिया तो उसने अपने आपको इख़्तियार कर लिया। अगर शौहर आज़ाद होता तो उसका इख़्तियार न देते।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا .

(2233) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2563, व मुस्लिम: 1504.

नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) कहते हैं कि हदीस़ में आख़री जुमला: ‘अगर शौहर आज़ाद होता ...’

मुदरज है जो कि उर्वा का क़ौल है। (सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2233) ताहम मसले की नोइयत यही है कि अगर शौहर आज़ाद हो, तो फिर लौण्डी को इख़्तियार हासिल नहीं होगा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا .

(2234) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि बरीरह को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इख़्तियार दिया था, जबकि उसका शौहर गुलाम था।

(2234) तख़रीज : मुस्लिम: 1504.

﴿20﴾

باب مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

बाब : 20
उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि मुग़ीस़ (ﷺ) आज़ाद थे

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

(2235) अस्वद बिन यज़ीद हज़रत आयशा(ﷺ) से बयान करते हैं कि बरीरह को जब आज़ाद किया गया तो उसका शौहर भी आज़ाद था। और बरीरह को इख़्तियार दिया गया तो वह कहने लगी: मैं इसके साथ रहना पसन्द नहीं करती ख़्वाह मुझे इस इस क़द्र (माल) भी क्यों न दे दिया जाये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1155

नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक (काना हुर्रन) 'वह आज़ाद था' का जुम्ला अस्वद बिन यज़ीद का कलाम है और बक़ौल इमाम बुख़ारी मुन्क़तअ है, जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का बयान कि 'उसका शौहर गुलाम था' सहीतर है। देखिए: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5282)

बाब : 21
आज़ाद की जाने वाली लौण्डी को अपने गुलाम शौहर से किस वक़्त तक इख़्तियार हासिल है?

﴿21﴾ باب حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ .

(2236) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि बरीरह को आज़ाद किया गया तो वह मुग़ीस़ की ज़ोजियत में थी जो कि आले अबी अहमद का गुलाम था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको इख़्तियार दे दिया और फ़रमाया: 'अगर वह तुम से करीब हो गया तो तुम्हारा इख़्तियार बाक़ी नहीं रहेगा।'

(2236) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/225, फ़तहुलबारी: 9/413.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ - عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ - فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا " إِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ "

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इससे ये मसला स़ाबित नहीं होता कि आजाद होने वाली लौण्डी ने अगर आज़ाद होने के बाद अपने गुलाम ख़ाविन्द से ताल्लूके ज़ोजियत क़ायम कर लिया तो उसका इख़्तियार ख़त्म हो जायेगा।

बाब : 22
गुलाम मियां बीवी को इकट्ठे ही आज़ाद किया जाये तो क्या बीवी को इख़्तियार होगा?

﴿22﴾ باب فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ .

(2237) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, उन्होंने अपने एक मम्लूक जोड़े को आज़ाद करने का इरादा किया तो उन्होंने नबी (ﷺ) से

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ، مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . قَالَ نَصْرٌ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .

इस बारे में पूछा, आपने हुक्म दियाः 'औरत से पहले मर्द को आज़ाद करने से इब्तेदा करना।'

नस्र बिन अ़ली की सनद इस तरह हैः अख़बरनी अबू अ़ली अलहनफ़ी अ़न उ़बैदुल्लाह.

(2237) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीसः 2532, नसाई, हदीसः 3476.

(23) بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

बाब : 23
मियाँ बीवी में से जब कोई एक मुसलमान हो जाये तो ...?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

(2238) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक शख़्स मुसलमान होकर आया। फिर इसके बाद उसकी बीवी भी मुसलमान होकर आ गई तो उस शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! ये औरत भी मेरे साथ ही मुसलमान हूई है। तो आप (ﷺ) ने उसको उस (के शौहर) की तरफ़ लौटा दिया।

(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीसः 1144, हाकिम, 2/200.

फ़ायदा : अय्यामे कुफ़्र व शिर्क के निकाह इस्लाम के बाद भी सहीह समझे जाते हैं। तजदीद की क़तअ़न कोई ज़रूरत नहीं मगर ये कि किसी वाज़ेह हुरमत का इरतेकाब हूआ हो। जैसे किसी महरमे नसबी या रज़ाई से निकाह किया हूआ हो तो फ़स्ख़ किया जायेगा वरना नहीं। जैसे कि आगे तफ़्सील आ रही है। ताहम बा'ऐतबार सनद ये रिवायत ज़ईफ़ है। अरवा अलग़लील, हदीसः 1918)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

(2239) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक औरत मुसलमान हो गई और फिर निकाह कर

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ .

लिया। उसके बाद उसका शौहर भी नबी (ﷺ) के पास आ गया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भी मुसलमान हो चुका था और उसे मेरे इस्लाम क़बूल करने का इल्म था। चूनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको दूसरे शौहर से छीन कर (उसका निकाह ख़त्म करा के) पहले शौहर की तरफ़ लौटा दिया।

(2239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी, हदीस़: 2290, इब्ने माजा, हदीस़: 2008.

फ़वाइद व मसाइल : रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम मसला यही है कि मियाँ बीवी में से किसी एक के इस्लाम क़बूल कर लेने से उनमें तफ़रीक़ हो जाती है। लेकिन अगर इद्दत के दौरान में शौहर भी मुसलमान हो जाये तो वह औरत उसी ख़ाविन्द की ज़ोजियत में रहेगी। उसके बाद अगर वह अपने पहले शौहर का इन्तेज़ार न करे तो किसी मुसलमान से निकाह कर लेने में हक़ बजानिब है। लेकिन अगर वह इन्तेज़ार करे यहाँ तक कि वह मुसलमान हो जाये ख़्वाह मुद्दत लम्बी ही हो जाये तो कोई हर्ज नहीं। जैसे कि नीचे बाब और हदीस़ में आ रहा है।

(24) بَابُ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

बाब : 24 कितनी मुद्दत बाद तक बीवी को शौहर पर लौटाया जा सकता है जबकि उसने बीवी के बाद इस्लाम क़बूल किया हो?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، -

(2240) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी साहिबज़ादी ज़ैनब को (उनके शौहर) अबूल आ़स़ (رضي الله عنه) पर पहले निकाह ही से लौटा दिया था, और कोई नया (निकाह वग़ैरह) न किया था।

الْمَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ .

मुहम्मद बिन अ़म्र ने अपनी रिवायत में कहा कि आपने छः साल बाद (लौटाया था) और हसन बिन अ़ली ने कहा: दो साल बाद।

(2240) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1143, इब्ने माजा, हदीस़: 2009.

तौज़ीह : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सिनीन के ज़िक्र के बग़ैर स़हीह है और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने छः साल या दो साल के ज़िक्र को स़ही समझते हूए उनके दरम्यान ये तत्बीक़ लिखी है कि हज़रत ज़ैनब (ﷺ) की हिजरत और अबूल आ़स़ (ﷺ) के इस्लाम और हिजरत में छः साल का वक़्फ़ा था, मगर आयते करीमा: (लाहुन्ना हिल्लुल लहुम) (अलमुमतहिना: 10) 'मुसलमान औ़रतें काफ़िरों के लिये हलाल नहीं।' के नुज़ूल और अबूल आ़स़ के इस्लाम व हिजरत करके आने में दो साल और कुछ माह का वक़्फ़ा था। (शरह हदीस़: 5288) स़हीह ये है कि अबूल आ़स़ ने पिछली आयत के नुज़ूल से पहले इस्लाम क़बूल किया था और हिजरत की थी। ज़ादुलमआ़द में हाफ़िज़ इब्ने अलक़य्यिम (रह.) रक़म तराज़ हैं कि हमें किसी शख़्स़ के मुताल्लिक़ मालूम नहीं कि क़बूले इस्लाम के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके निकाह की तजदीद की हो। इस क़िस्म की स़ूरत में दो कैफ़ियत होती थी। या तो इफ़्तेराक़ हो जाता था और औ़रत किसी और से निकाह कर लेती थी या पहले का निकाह क़ायम रहता यहाँ तक कि शौहर मुसलमान हो जाता। महज़ इस्लाम क़बूल कर लेने से कामिल तफ़रीक़ होना या इद्दत का ऐतबार करना कराना, किसी के मुताल्लिक़ मालूम नहीं कि नबी (ﷺ) ने ऐसे किया हो, हालांकि आपके ज़माने में एक कसीर तादाद में लोग मुसलमान हूए थे। (ज़ादुलमआ़द, जिल्द 4, हुक्मुहू (ﷺ) फ़िज़्ज़ौजैन युस्लिमु अहदुहुमा कब्लल आख़र) इसके अलावा हज़रत ज़ैनब और उनके ख़ाविन्द के बारे में एक दूसरी रिवायत निकाहे जदीद के साथ लौटाने की भी आती है। कुछ उ़लमा ने उनमें से पहली हदीस़ को और दीगर कुछ उ़लमा ने दूसरी हदीस़ को स़हीह क़रार दिया है और कुछ ने इनके दरम्यान तत्बीक़ दी है। (तफ़्सील के लिये फ़तहुल बारी का मुताला किया जाये।)

बाब : 25
अगर किसी के इस्लाम क़बूल करने के वक़्त उसकी ज़ोजियत में चार से ज़्यादा बीवियाँ हों या दो बहनें हों तो?

(2241) हज़रत हारिस़ बिन क़ैस बिन उमैरा अलअसदी (ﷺ) बयान करते हैं कि जब मैंने इस्लाम क़बूल किया तो मेरे यहां आठ औ़रतें थीं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'उनमें से चार को मुन्तख़ब कर लो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हमें ये हदीस़ अहमद बिन इब्राहीम ने हुशैम के वास्ते से बयान की तो (स़हाबी का नाम) हारिस़ बिन क़ैस के बजाये क़ैस बिन हारिस़ ज़िक्र किया। अहमद बिन इब्राहीम ने कहा कि यही क़ैस बिन हारिस ही स़ही है।

(2241) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुलबर, तम्हीद: 12/56, अबी दाऊद, 2242.

(2242) अहमद बिन इब्राहीम ने बयान किया कि हम से बकर बिन अ़ब्दुर्रहमान, क़ाज़ी क़ूफ़ा ने बयान किया, उन्होंने ईसा

﴿25﴾
بَابٌ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ . وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ - قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ . يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَاضِي الْكُوفَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ

बिन मुख़्तार, उन्होंने इब्ने अबी लैला से, उन्होंने हुमैज़ा बिन शमरज़ल से, उन्होंने हज़रत क़ैस बिन हारिस़ (ﷺ) से पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया।

الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، بِمَعْنَاهُ .

(2242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1952.

फ़ायदा : ये सनद, पिछला क़ौल इमाम अबू दाऊद की दलील और अहमद बिन इब्राहीम के शैख़ हुशैम की मुताबेअ़ है कि सहाबी का नाम क़ैस बिन हारिस़ ही है। (ये दोनों रिवायात शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही हैं)

(2243) हज़रत फीरोज़ (दैलमी) (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इस्लाम क़बूल किया है और मेरी ज़ौजीयत में दो बहनें हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उनमें से किसी एक को तलाक़ दे दो।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ . قَالَ " طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ " .

(2243) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1129, इब्ने माजा, हदीस़: 1951, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1276.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम से पहले के निकाह, इस्लाम में सही तस्लीम किये जाते हैं मगर ये कि इसमें कोई इस्लामी हुरमत मौजूद हो। जैसे चार से ज़्यादा बीवियाँ हों या दो बहनें निकाह में हों। **(2)** आख़री हदीस़ के रावी फ़ीरोज दैलमी (ﷺ) यमानी सहाबी हैं और उन्होंने ही अ़हदे नबवी में मुद्दइये नबूवत अस्वद को क़त्ल किया था। (तक़रीबुत तहज़ीब) **(3)** इस्लाम क़बूल करते ही इन्सान पर शरई अहकाम नाफ़िज़ हो जाते हैं और वाजिब हो जाता है कि किसी पस व पेश के बग़ैर बिला ताख़ीर इन पर अ़मल किया जाये, जैसे कि इन वाक़ियात से वाज़ेह है।

बाब : 26
माँ बाप में से कोई एक मुसलमान हो जाये तो बच्चा किस के साथ मुल्हक़ होगा?

﴿26﴾ باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لَهَا " اقْعُدِي نَاحِيَةً " . قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ " ادْعُوَاهَا " . فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اهْدِهَا " . فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا .

(2244) हज़रत राफ़ेअ बिन सिनान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया मगर उनकी बीवी ने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार कर दिया, (जिसकी वजह से उन दोनों के दरम्यान अलगाव हो गई) पस वह नबी (ﷺ) के पास आई और कहा: मेरी बेटी ने अभी अभी दूध छोड़ा है या छोड़ने के क़रीब है। राफ़ेअ ने कहा: बेटी मेरी है। नबी करीम (ﷺ) ने राफ़ेअ से कहा: 'एक तरफ़ बैठ जाओ' और औरत से कहा: 'दूसरी तरफ़ बैठ जाओ।' और बच्ची को उन दोनों के दरम्यान बिठा दिया। फिर माँ बाप से कहा: 'तुम दोनों इसे बुलाओ।' (उन्होंने बुलाया) तो बच्ची अपनी माँ की तरफ़ झुक गई। पस नबी(ﷺ) ने कहा: 'ऐ अल्लाह! इस बच्ची को हिदायत दे।' चूनांचे बच्ची बाप की तरफ़ माइल हो गई तो उसी ने उसको ले लिया।

(2244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/446, नसाई, हदीस: 1129, इब्ने माजा, हदीस: 1951, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1276.

फ़ायदा : माँ बाप में तफ़रीक़ हो जाये और बच्चा या बच्ची समझदार हो तो उसे इख़्तियार दिया जायेगा कि किसी एक को मुन्तख़ब कर ले। और इस सलाहियत से पहले के बारे में फ़ुक़हा के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं। जैसे बच्चा सात साल तक माँ की तहवील में रहे और बच्ची नौ साल तक, उसके बाद बाप

को दिया जाये वग़ैरह। (ज़ादुलमआद, जिल्द 4, हुक्मुहू (ﷺ) फ़िल हज़ाना नैलुल अवतार, किताबुन्नफ़क़ात)

बाब : 27
लिआन के अहकाम व मसाइल

﴿27﴾

باب في اللّعان

फ़ायदा : (लिआन) (लाम की ज़ेर के साथ) लानतुन से माख़ूज़ है। इसके लगवी मानी हैं 'बाहम एक दूसरे को लानत करना।' जब कोई शख़्स किसी अफ़ीफ़ा (पाक दामन औरत) को ज़िना की तोहमत लगा दे तो उसके लिये ज़रूरी है कि चार गवाह पेश करे, वरना उसको अस्सी (80) दुर्रे हद लगेगी। (सूरह अन्नूर: 4) लेकीन शौहर इस आम क़ायदे से अलग है। यानी अगर वह अपनी बीवी की ख़यानते फ़हश पर मुत्तलअ हूआ और चार गवाह न हों तो वह क़ाज़ी के रूबरू अपने दअव–ए तोहमत ज़िना के सच होने पर चार क़समें खाये। और पाँचवीं बार अपने आपको लानत करे कि अगर मैं अपनी इस बात में झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। फिर जवाबन औरत अगर तस्लीम नहीं करती तो अपने दिफ़ा में चार क़समें खाये कि ये अपनी बात में झूठा है और पाँचवी बार यूँ कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब हो। इस पूरे अमल को 'लिआन' से ताबीर किया जाता है। इसके बाद मियाँ बीवी में फ़ौरन अब्दी (हमेशा के लिये) अलगाव हो जाती है। और रूजू नहीं हो सकता। सूरह अन नूर में इसका बयान इन आयात में आया है: (अन्नूर: 6–9)

(2245) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ﷺ) का बयान है कि उवैमिर बिन अशक़र अजलानी(ﷺ) आसिम बिन अदी के पास आये और कहा: ऐ आसिम! बतलाओ! अगर कोई शख़्स किसी अजनबी को अपनी बीवी के साथ पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे? फिर तो तुम उसे भी क़त्ल कर दोगे या क्या करे? आसिम! मेरे मुताल्लिक़ इस मसले में रसूलुल्लाह (ﷺ) से मालूम करो। चूनांचे आसिम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया तो आपने उसके सवाल को

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه

नापसन्द किया और इस पर ऐ़ब लगाया, यहाँ तक कि आ़सिम को, जो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना बहुत ही गिरां गुज़रा। आ़सिम जब घर लौटा तो उवैमिर उसके पास आया और पूछा: ऐ आ़सिम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें क्या कहा है? आ़सिम ने कहा: तुम मेरे लिये कोई ख़ैर का बाइस़ नहीं बने हो, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस सवाल को जो मैंने आपसे पूछा बहुत नापसन्द किया है। उवैमिर (رضي الله عنه) ने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं इससे ख़ामोश नहीं रह सकता। मैं ख़ूद आपसे दरयाफ़्त करूंगा। चूनांचे उवैमिर (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए जबकि आप लोगों में बैठे हूए थे। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी को पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे, तब तो आप उसे भी क़त्ल कर डालेंगे या कैसे करे? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जवाब दिया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला ने तेरे और तेरी बीवी के मामले में क़ुर्आन नाज़िल फ़रमा दिया है। पस जा और उसे ले आ।' सहल ने बयान किया: चूनांचे उन दोनों ने लिआ़न किया तो मैं लोगों के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां बैठा हूआ था। जब वह दोनों फ़ारिग़ हो गये तो उवैमिर ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं उसको अपने पास रखूं तो (इसका मतलब होगा कि मैंने)

وسلم . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

उसकी बाबत झूठ बोला है। (मैंने उस पर झूठ नहीं बोला है) फिर नबी (ﷺ) के हुक्म देने से पहले ही उवैमिर(رضي الله عنه) ने उसको तीन तलाक़ें दे दीं।

इब्ने शिहाब ने कहा: चूनांचे लिआन करने वालों का यही तरीक़ा हो गया। (कि लिआन के साथ ही जुदाई हो जायेगी)

(2245) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5259, मौता, हदीस़: 2/566, 567, व मुस्लिम: 1492.

फ़ायदा : हज़रत उवैमिर (رضي الله عنه) का तलाक़ देना ग़ैरत और ग़ज़ब की बिना पर था, न कि नबी (ﷺ) के फ़रमान से। (इस मसले की वज़हत आगे हदीस़ नंबर: 2250 के फ़ायदे में आ रही है।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ " أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ " .

(2246) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आसिम बिन अदी से फ़रमाया: 'औरत को अपने यहां रोके रखो यहाँ तक कि बच्चा जन ले।'

(2246) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/335.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि वह औरत हामला थी। गोया हामला के साथ भी लिआन किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ

(2247) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं उनके लिआन के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां हाज़िर था। मेरी उमर उस वक़्त पन्द्रह साल थी। और हदीस़ बयान की। इसमें ज़िक्र किया कि फिर वह हामला निकली और बच्चा अपनी माँ की तरफ़ मन्सूब किया जाता था।

(2247) तख़रीज : मुस्लिम: 1492.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا " . قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ

(2248) हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) लिआ़न करने वालों के इस वाक़िया में बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस औ़रत का ख़्याल रखो, अगर उसने ऐसा बच्चा जना कि आँखें उसकी स्याह हुईं, सुरीन भारी हुए तो मेरा ख़्याल है कि उस (उवैमिर) ने सच ही कहा है। और अगर उसने ऐसा बच्चा जना जो गोरा हो जैसा कि वहरह हो (छिपकली की तरह का एक ज़हरीला कीड़ा, जिसके दायें बायें पहलू सुर्ख़ धारियाँ होती हैं, यानी बामनी) तो मेरा ख़्याल है कि उसने झूठ कहा है।' चूनांचे बच्चा पैदा हूआ तो उसी नापसन्दीदा कैफ़ियत वाला था।

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2066.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى - يَعْنِي الْوَلَدَ - لأُمِّهِ .

(2249) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (رضي الله عنه) ने ये ख़बर बयान की तो कहा कि पस बच्चे को अपनी माँ की तरफ़ निस्बत करके पुकारा जाता था।

(2249) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4745.

फ़ायदा : जानिया बच्चे की निस्बत उनकी माँओं की तरफ़ होती है, ताहम उनकी तरबियत स़हीह इस्लामी अन्दाज़ में की जानी चाहिए ताकि बावक़ार इस्लामी ज़िन्दगी गुज़ारें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ

(2250) हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) ने इस वाक़िया में बयान किया कि उस (उवैमिर (رضي الله عنه) ने औ़रत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने ही तीन तलाक़ें दे दीं। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको नाफ़िज़ कर दिया और जो कुछ नबी (ﷺ) के यहां किया गया

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً . قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .

सुन्नत बन गया। सहल कहते हैं कि मैं इस वाक़िया में रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां हाज़िर था। चूनांचे बाद में लिआन करने वालों के बीच यही तरीक़ा जारी रहा कि उनमें अलगाव करा दी जाती थी और वह फिर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे।

(2250) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : लिआन करने वालों में हमेशा के लिये अलगाव हो जाती है और फिर कभी रूजू नहीं कर सकते और नया अक़्द भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अलगाव किस तरह होगी? नफ़्से लिआन से, या ख़ाविन्द के तलाक़ देने से, या हाकिम की उनके दरम्यान तफ़रीक़ कराने से? अइम्मा के दरम्यान उसकी बाबत इख़्तिलाफ़ है। और तीनों ही मस्लक अलग अलग अइम्मा ने इख़्तियार किये हैं। लेकिन राजेह मस्लक पहला है, क्योंकि लिआन करने के बाद न ख़ाविन्द को तलाक़ देने की ज़रूरत रहती है और न हाकिम को तफ़रीक़ कराने की। और ये जो कुछ रिवायात में आता है कि ख़ाविन्द ने लिआन के बाद तीन तलाक़ें दे दीं तो उसकी वजह ख़ाविन्द का ये समझना था कि जब तक मैं तलाक़ नहीं दूंगा, वह मेरी बीवी ही रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अपनी समझ की वजह से उसने फ़ौरन तीन तलाक़ें दे दीं। और कुछ में जो आता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके दरम्यान तफ़रीक़ करा दी, हालांकि उनके दरम्यान तफ़रीक़ कराने की भी ज़रूरत नहीं थी। रावी का ये बयान करने से मक़सूद भी ये था कि इस अ़मले लिआन का हुक्म और नतीजा ये है कि उनके दरम्यान हमेशा के लिये तफ़रीक़ हो गई। इस वजाहत से बयाने वाक़िया की ताबीर में जो इख़्तिलाफ़ है, उनके दरम्यान भी तत्बीक़ हो जाती है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَلاَعَنَا .

(2251) हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में उस वक़्त हाज़िर था जब दोनों मियां बीवी ने लिआन किया था, मेरी उ़मर उस वक़्त पन्द्रह साल थी। जब उन्होंने लिआन किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें तफ़रीक़ करा दी। यहां तक मुसद्दद की रिवायत मुकम्मल हो गई। मगर दूसरों (वहब बिन बयान, अहमद बिन अ़म्र बिन सरह और अ़म्र बिन उ़स्मान) ने कहा कि वह नबी(ﷺ) के पास

وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ . وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا - لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

हाज़िर था और आपने लिआन करने वाले मियां बीवी के दरम्यान तफ़रीक़ करा दी तो शौहर ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं इसे अपने पास रखूं तो (गोया) मैंने उस पर झूठ बोला है।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: कुछ रावियों ने (अलैहा) का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया। (सिर्फ़ (कज़ब्तु) कहा)

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 'लिआन करने वालों में तफ़रीक़' के बयान में सुफ़ियान बिन उयय्ना का कोई मुताबेअ (ताईद करने वाली रिवायत) नहीं है।

(2251) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6754.

फ़ायदा : इन मियाँ बीवी में तफ़रीक़ फ़स्ख़ की बिना पर थी न कि तलाक़ की बिना पर, क्योंकि ये तलाक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान से न थी जैसे कि पीछे गुज़रा है। और तफ़रीक़ का मतलब यहां ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिआन का ये हुक्म बयान किया कि इसके बाद दोनों मियां बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। उनके दरम्यान हमेशा के लिये जुदाई (तफ़रीक़) हो गई है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا .

(2252) जनाब सहल बिन सअद (رضي الله عنه) इस हदीस़ में बयान करते हैं कि वह औरत हामला थी तो शौहर ने उसके हमल का इन्कार किया। चूनांचे लड़के को माँ की निस्बत से पुकारा जाता था। और फिर विरास़त में भी यही तरीक़ा चल पड़ा कि बच्चा अपनी माँ का वारिस़ बनता और माँ अपने बच्चे की वारिस़ बनती जितना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसका हिस्सा मुक़र्रर किया है।

(2252) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4746.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के हमल का इन्कार कर दे तो क़ाज़ी उनके बीच लिआन करा दे और बच्चा अपनी माँ की तरफ़ मन्सूब होगा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّا لَلَيْلَةُ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ . فَقَالَ " اللَّهُمَّ افْتَحْ " . وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ } هَذِهِ الآيَةَ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ

(2253) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, कहते हैं कि एक जुमे की रात हम मस्जिद में थे कि एक अन्सारी शख़्स मस्जिद में दाख़िल हूआ और कहने लगा: अगर कोई अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी को पाये और उसका इज़हार करे और बोले तो तुम लोग (तोहमत की वजह से) उसको क़त्ल कर देंगे या अगर क़त्ल कर दे तो तुम उसको भी क़त्ल कर डालोगे, (बदले में) और अगर वह ख़ामोश रहे तो इन्तेहाई ग़ैज़ व ग़ज़ब की बात पर ख़ामोश रहता है। क़सम अल्लाह की! मैं इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़रूर दरयाफ़्त करूंगा। चूनांचे अगला दिन हूआ तो वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे पूछा और कहने लगा: अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी को पाये और फिर बोले तो आप उसे कोड़े मारेंगे (तोहमत की वजह से) या अगर क़त्ल कर दे तो आप उसे कोड़े मारेंगे (बदले में) और अगर ख़ामोश रहे तो इन्तेहाई ग़ैज़ व ग़ज़ब की बात पर ख़ामोश रहता है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मामला वाज़ेह फ़रमा दे।' और दुआ करने लगे यहाँ तक कि लिआन की आयत नाज़िल हूई: (वल्लज़ीना यरमूना

هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَهْ" . فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ "لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا" . فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا .

अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अन्फ़ुसुहुम) और जो लोग अपनी बीवियों को इल्ज़ाम लगायें और उनके पास अपने सिवा और कोई गवाह न हों ...' चूनांचे यही आदमी इस आफ़त में मुब्तला कर दिया गया, फिर वह और उसकी बीवी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये, दोनों ने लिआन किया। मर्द ने चार शहादतें दीं कि अल्लाह की क़सम! मैं सच्चा हूं और पाँचवीं बार कहा: अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। फिर जब वह औरत भी इस तरह लानत के लिये तैयार हूई तो नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'रूक जाओ (ख़्याल करो) मगर उसने इन्कार कर दिया और लानत की बद दुआ कर दी। जब वह दोनों चले गये तो आपने फ़रमाया: 'शायद ये बच्चा जनेगी जो काले रंग और घुंघरियाले बालों वाला होगा।' चूनांचे वह पैदा हूआ तो काले रंग और घुंघरियाले बालों वाला ही था।
(2253) तख़रीज : मुस्लिम: 1495.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ

(2254) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि हिलाल बिन उमैया (رضي الله عنه) ने अपनी बीवी को शरीक बिन सहमा के साथ तोहमत लगाया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गवाह लाओ, वरना तुम्हारी कमर पर हद है।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब हममें से कोई शख़्स किसी को अपनी बीवी पर देखे तो भला वह गवाह ढूंढने जायेगा?

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { مِنَ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ " . ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ . فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبْصِرُوهَا فَإِنْ

मगर नबी (ﷺ) फ़रमाते रहे: 'गवाह लाओ' वरना तुम्हारी कमर पर हद है।' तो हिलाल कहने लगा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ नबी मबऊ़स फ़रमाया है! मैं यक़ीनन सच्चा हूं और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल बिज़्ज़रूर मेरे बारे में कुछ नाज़िल फ़रमायेगा जो मेरी कमर को हद से बरी कर देगा। चूनांचे ये आयात नाज़िल हूई: (वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अन्फ़ुसुहुम) यहाँ तक कि (मिनस़ स़ादिक़ीना) तक पहुंचे। फिर नबी (ﷺ) चले गये और उन दोनों को बुला भेजा और वह दोनों आ गये। हिलाल बिन उमेया खड़े हूए और गवाही दी और नबी (ﷺ) फ़रमा रहे थे: 'अल्लाह जानता है कि तुममें से एक झूठा है, तो क्या तुममें से कोई तौबा करता है?' फिर वह ‌औरत खड़ी हूई और गवाही दी और जब पाँचवीं बार कहने लगी: 'मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब हूआ अगर ये सच्चा है।' तो लोगों ने उससे कहा: ये क़सम (अल्लाह की लानत और ग़ज़ब को) वाजिब और लाज़िम कर देने वाली है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने कहा: औरत थोड़ी सी हिचकिचा गई (बोलने में झिझकी) और पीछे हटी, हम समझे की शायद रूजू कर लेगी मगर उसने कहा: मैं अपनी क़ौम को हमेशा के लिये रूस्वा नहीं कर सकती। और पाँचवीं क़सम के अल्फ़ाज़

جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ " . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيثُ هِلاَلٍ.

कह डाले। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे देखना' अगर उसने बच्चा जना सुर्मगीं आँखों वाला, भरी भरी सुरीनों और मोटी मोटी पिण्डलियों वाला, तो ये शरीक बिन सहमा का होगा (जिसके साथ उसको जोड़ा गया है।) चूनांचे उसने उसी तरह का बच्चा जना। नबी (ﷺ) ने फ़राया: 'अगर किताबुल्लाह का फ़ैसला न होता तो मैं उसे निशाने इबरत बना डालता (इस पर हद जारी करता)'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन बश्शार की ये रिवायत यानी हदीसे हिलाल बयान करने में अहले मदीना तन्हा हैं।

(2254) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2671, तिर्मिज़ी, हदीस:3179, इब्ने माजा, हदीस:2067.

फ़ायदा : इन्सान कितना ज़ाहिर को जानने वाला है कि आख़िरत के मामले को दूर और पोशीदा समझता है, लेकिन नूरे ईमान ही से ये फ़ासले पाटे जाते हैं।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ .

(2255) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब लिआ़न करने वालों से क़समें खाने को कहा तो पाँचवीं क़सम के वक़्त आपने एक शख़्स से फ़रमाया: 'इस मर्द के मुँह पर हाथ रखो। उसे कहो ये वाजिब करने वाली है (अल्लाह के ग़ज़ब, लानत और अ़ज़ाब को)

(2255) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3502.

फ़ायदा : क़ाज़ी को चाहिए कि मौक़ा ब मौक़ा फ़रीक़ैन को क़सम के खाने से बाज़ रहने की तल्क़ीन करे, क्योंकि दुनिया की आ़र और यहां की सज़ा तो आ़रज़ी है मगर अल्लाह की लानत और ग़ज़ब दायमी है। वला हौला वला क़ूव्वत इल्ला बिल्लाह!

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } الآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا " . قَالَ هِلاَلٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي .

(2256) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हिलाल बिन उमैया (ﷺ) (अपने घर में) आये और ये उन अफ़राद में से एक हैं (जो जंगे तबूक में पीछे रह गये थे और) जिनकी तौबा अल्लाह तआ़ला ने क़बूल फ़रमाई थी। ये अपनी ज़मीन पर से रात को घर आये तो अपनी अहलिया के पास एक आदमी को पाया। उसको अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना मगर उसको दौड़ाया नहीं यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इशा के वक़्त अपने घर वालों के पास आया तो मैंने उनके पास एक आदमी को पाया। मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस ख़बर को नापसन्द किया और आप पर ये बहुत गिरां गुज़री। फिर ये आयतें नाज़िल हूई: (वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अन्फ़ुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम ...) आपसे वहि की कैफ़ियत दूर हूई तो आपने फ़रमाया: 'हिलाल ख़ुश हो जाओ! अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए आसानी फ़रमा दी है और इस उलझन से निकलने की सबील (राह) पैदा कर दी है।' हिलाल कहने लगे: तहक़ीक़ मुझे अपने रब से इसी की उम्मीद थी। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरत को बुलाओ।' वह आ गई तो आपने उन दोनों पर ये आयतें तिलावत फ़रमाई, आपने उन दोनों को नसीहत फ़रमाई और उन्हें

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْسِلُوا إِلَيْهَا " . فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلاَلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَعِنُوا بَيْنَهُمَا " . فَقِيلَ لِهِلاَلٍ اشْهَدْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هِلاَلُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ . فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا . فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِي . فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا

बताया कि आख़िरत का अ़ज़ाब दुनिया के अ़ज़ाब के मुक़ाबले में इन्तेहाई सख़्त है। हिलाल ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने इसके बारे में सच कहा है। वह कहने लगी: यक़ीनन झूठ कहता है। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इनके बीच लिआन कराओ।' तो हिलाल से कहा गया: शहादत दो तो उसने चार दफ़ा कहा: अल्लाह की क़सम! मैं अलबत्ता सच्चा हूं। जब पाँचवीं क़सम की बारी आई तो उसे कहा गया: ऐ हिलाल! अल्लाह से डर, बिलाशुब्हा दुनिया की सज़ा आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत हल्की है। और ये (पाँचवीं) क़सम तुझ पर अल्लाह के अ़ज़ाब को वाजिब कर देने वाली है। उसने कहा: अल्लाह की क़सम! अल्लाह मुझे इस पर अ़ज़ाब नहीं देगा जैसे कि उसने मुझे इस पर (झूठलाया नहीं और) कोई सज़ा नहीं दी है। चूनांचे उसने पाँचवीं क़सम उठाई और कहा: मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूं। फिर औ़रत से कहा गया कि क़समें उठाओ तो उसने चार क़समें उठायीं कि अल्लाह की क़सम ये आदमी यक़ीनन झूठा है। जब पाँचवीं की बारी आई तो उसे कहा गया: अल्लाह से डर जा। बिलाशुब्हा दुनिया की सज़ा आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत हल्की है। और ये (पाँचवीं) क़सम वाजिब करने वाली है जो तुझ पर अ़ज़ाब को लाज़िम कर देगी। तो वह एक लम्हे के लिये हिचकिचाई और तवक़्क़ुफ़ किया, फिर बोली

اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ . فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ وَلاَ تُرْمَى وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَقَالَ " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْصِحَ أُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ

अल्लाह की क़सम! मैं अपनी क़ौम को रूस्वा नहीं कर सकती और पाँचवीं क़सम भी उठा गई कि अल्लाह का ग़ज़ब हो मुझ पर अगर ये शख़्स सच्चा हो। तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन दोनों के दरम्यान तफ़रीक़ करा दी और फ़ैसला फ़रमा दिया कि बच्चा बाप की तरफ़ मन्सूब नहीं होगा, न उस औरत को तोहमत लगाई जाये और न उसके बच्चे को कोई तअना दिया जाये। जिस किसी ने इस औरत को तोहमत लगाई या बच्चे को तअना दिया तो उस पर हद है। आपने फ़ैसला फ़रमाया कि इस औरत के लिये ख़ाविन्द पर न सुक्ना (रिहाइश) लाज़िम है न नफ़क़ा (ख़र्च), क्योंकि ये दोनों तलाक़ के बग़ैर अलग हो रहे थे और न ख़ाविन्द फ़ौत हूआ था। आपने फ़रमाया: 'अगर इसका बच्चा क़द्रे सुर्ख़ बालों वाला, हल्के सुरीनों वाला, उभरी कमर वाला और बारीक पिण्डलियों वाला हूआ तो ये हिलाल का होगा। और अगर वह गेहूँवां, घुंघरियाले बालों वाला, खुले और बड़े आज़ा वाला, भारी पिण्डलियों और सुरीनों वाला हूआ तो ये उसका होगा जिसके साथ इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है।' चूनांचे उसने बच्चा जना तो वह गन्दुमी रंग, घुंघरियाले बालों वाला, खुले और बड़े जिस्म वाला और भारी पिण्डलियों और सुरीनों वाला था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर क़समें न उठाई गई होतीं तो मैं इसे हद लगाता। (या निशाने इबरत बना देता)'

الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " . قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ .

इक्रिमा ने कहा: ये बच्चा बाद में क़बील ए मुज़र का सरदार बना था मगर बाप की तरफ़ निस्बत न किया जाता था।

(2256) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/238. हदीस़: 133.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है। मुज़र (जो हमारे नुस्ख़े में है) स़ाहिबे औ़न और स़ाहिबे बज़्लुल मज्हूद ने इसे मुज़र क़रार दे कर इससे क़बील–ए–मुज़र मुराद लिया है। तर्जुमे में इसी मफ़हूम को इख़्तियार किया गया है। लेकिन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में ये मिस्र है, जिसका मतलब ये है कि ये बच्चा बड़ा होकर किसी शहर का हाकिम बना। देखिए: (सुनन अबी दाऊद: 3/100) **(2)** आयते लिआ़न की बाबत इख़्तिलाफ़ है कि ये आयत हिलाल बिन उमैया के लिये उतरी या उवैमिर अ़जलानी के लिये, जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ये आयत हिलाल बिन उमैया के लिये नाज़िल हूई क्योंकि हिलाल बिन उमैया का लिआ़न इस्लाम में सबसे पहले हूआ, जबकि कुछ उ़लमा ने कहा कि शायद दोनों के हक़ में नाज़िल हूई हो, वह इस तरह कि दोनों ही इस मसले को पूछ चुके हों, फिर ये आयत नाज़िल हूई हो। वल्लाहू आ़लम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي . قَالَ " لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ " .

(2257) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिआ़न करने वालों को कहा: 'तुम्हारा हिसाब अल्लाह के पास है। तुम दोनों में से एक तो झूठा है। और (शौहर से कहा कि) तुझे इस पर कोई हक़ हास़िल नहीं रहा।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? आपने फ़रमाया: 'तेरे लिए कोई माल नहीं। अगर तू सच्चा है तो वह इसका बदल है जो तूने उसकी अ़स़मत को हलाल किया। और अगर इस पर झूठ बोला है तो वह तेरे लिये और भी बईदतर है।' (एक तरफ़ तोहमत लगाए और उस पर मज़ीद ये कि माल भी माँगे)

(2257) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5312, व मुस्लिम: 1493

फ़ायदा : लिआ़न की सूरत में शौहर को हक़ मेहर से कुछ नहीं मिलेगा।

(2258) जनाब सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से पूछा कि कोई शख़्स अपनी बीवी को तोहमत लगाये तो...? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी अ़जलान के एक जोड़े में तफ़रीक़ करा दी थी (उवैमिर और उसकी बीवी में) और फ़रमाया था: 'अल्लाह ही ख़ूब जानता है, तुम दोनों में से एक झूठा है, तो क्या तुममें से कोई तौबा कर रहा है?' आपने अपनी ये बात तीन बार दोहराई मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। चूनांचे आपने उनमें तफ़रीक़ करा दी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5311, व मुस्लिम: 1493

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ " اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ . فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " . يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(2259) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक शख़्स ने अपनी बीवी से लिआ़न किया और बच्चे का इन्कार किया तो आपने उनके बीच अलगाव करा दी और बच्चे को औ़रत की तरफ़ मन्सूब कर दिया।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (रह.) ये जुम्ला रिवायत करने में तन्हा हैं यानी (व अल्हकल वलद बिल मर्अति) और यूनुस बवास्ता ज़ोहरी, सहल बिन सअ़द से रिवायत करते हैं कि शौहर ने उसके हमल का इन्कार कर दिया तो बच्चे को औ़रत की तरफ़ मन्सूब किया जाता था।

(2259) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5315, मौता: 2/527, व मुस्लिम: 1494.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ " وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " . وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا .

बाब : 28
बाप जब बच्चे के बारे में शक व शुब्हा का इज़हार करे तो ...?

(28)
باب إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ قَالَ " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " . قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ " فَأَنَّى تُرَاهُ " . قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ "

(2260) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि बनू फ़ज़ारह का एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा कि मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है जो काले रंग का है तो आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास ऊँट हैं ?' कहा: हाँ। आपने पूछा: 'उनके रंग कैसे हैं?' कहा: सुर्ख़ (लाल) हैं। आपने पूछा: 'क्या उनमें कोई गेहूँवा (या काली) भी है?' उसने कहा: हाँ, उनमें स्याही माइल भी हैं। आपने फ़रमाया: 'तेरा क्या ख़्याल है ... वह कहाँ से आये?' उसने कहा: शायद उनको किसी रग ने खींचा हो। आपने फ़रमाया: 'इस बच्चे को भी शायद किसी रग ने खींचा हो।'

(2260) तख़रीज : मुस्लिम: 1500.

फ़वाइद व मसाइल : (1) महज़ रंग व रूप की बिना पर अपने बच्चे से इन्कार कर देना हराम है। हाँ कोई और वाज़ेह दलील हो तो और बात हैं। जैसे शौहर के ग़ायब रहने की सूरत में हमल और विलादत हो या बाद अज़ निकाह छः माह से कम में विलादत हो वग़ैरह। इस हदीस़ में मज़कूरह शख़्स़ के मुताल्लिक़ बयान किया जाता है कि उसका नाम ज़मज़म बिन क़तादा था। (किताबुल ग़वामिज़ अब्दुल ग़नी बिन सईद) **(2)** क़ाज़ी, मुफ़्ती और दाई हज़रात को चाहिए कि शरई मसाइल हिकमत से और हस्बे ज़रूरत वाक़ियाती मिसालों से वाज़ेह फ़रमाया करें।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ .

(2261) ज़ोहरी ने अपनी सनद से पिछली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और कहा कि वह शख़्स़ अपनी बात कहते हुए बच्चे से इन्कार का इशारा कर रहा था।

(2261) तख़रीज : मुस्लिम: 1500.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(2262) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक आराबी (देहाती) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है जो काले रंग का है और मुझे उस पर तअज्जुब है। और पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया।

(2262) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7314, व मुस्लिम: 1500.

फ़ायदा : इस रिवायत में (उन्किरूहू) के मानी (अस्तन्किरूहू) हैं। यानी मेरा दिल नहीं मानता। इसमें गुमान की बात है, यक़ीन की नहीं।

﴾29﴿ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الاِنْتِفَاءِ

बाब : 29
बच्चे का इन्कार कर देना इन्तेहाई बुरा अमल है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ

(2263) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) कहते हैं कि जब लिआन के मुताल्लिक़ आयत उतरी तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'जो औरत किसी क़ौम में किसी ग़ैर को दाख़िल कर दे, जो उनमें से न हो तो वह अल्लाह के यहां कोई मक़ाम नहीं रखती, और अल्लाह तआला उसे अपनी जन्नत में

نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ "

हरगिज़ दाख़िल नहीं करेगा। और जिस शख़्स ने अपने बच्चे का इन्कार किया जबकि बच्चा उसकी तरफ़ देख रहा हो, तो अल्लाह तआला उससे हिजाब फ़रमा लेगा और अव्वलीन व आख़िरीन के रूबरू उसे रूस्वा करेगा।'

(2263) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3511, इब्ने माजा, हदीस: 2743, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1335 हाकिम: 2/202, 203.

फ़ायदा : कोई औरत कहीं बदकारी करे और हामला हो जाये और फिर बच्चे को शौहर और उसकी क़ौम से मिला दे या कोई बाप बिला वजहे मअक़ूल व मशरूअ बच्चे से इन्कार कर दे तो ये इन्तेहाई मकरूह और ग़लीज़ काम है। और ये दोनों अमल कबाइर (बड़े गुनाहों) में से हैं।

(30) بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

बाब : 30 वलदुज़्ज़िना (ज़ानिया) बच्चे की मिल्कीयत के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ - حَدَّثَنِي بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلاَمِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ

(2264) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में ज़िना कारी का कोई तसव्वुर और मक़ाम नहीं, जिस किसी ने अय्यामे जाहिलीयत में ये अमले बद किया हो तो बच्चा उसके असबा ही से मुल्हक़ होगा। और जो कोई निकाहे सही के बग़ैर किसी बच्चे का दावा करे (ज़िना की वजह से) तो न वह बाप बच्चे का वारिस होगा और न वह बेटा उस बाप का।'

يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ " .

(2264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/362.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .

(2265) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि ऐसा बच्चा जिसके मुताल्लिक़ बाप की वफ़ात के बाद दावा किया गया हो जबकि बाप अपनी ज़िन्दगी में उसका मुद्दई रहा हो और बाद में उसके वारिसों ने भी उसका दावा किया हो तो अगर बच्चा ऐसी लौण्डी के पेट से हो, कि मुबाशरत के रोज़ वह उस मुद्दई की मिल्कीयत में थी तो ये बच्चा उसके साथ मुल्हक़ होगा, जिसके साथ इलहाक़ का दावा किया गया है। और माले विरासत जो इलहाक़ से पहले तक़सीम हो चुका उसमें उस बच्चे का हक़ न होगा मगर बाक़ी मानदह में अपना हिस्सा पायेगा। लेकिन अगर उस बाप ने, जिसकी तरफ़ लाहिक़ किये जाने का दावा किया जा रहा हो, उसका इन्कार किया हो तो उसके साथ मुल्हक़ न होगा। और अगर बच्चा किसी ऐसी लौण्डी से हो जो उस मुद्दई बाप की मिल्कीयत न थी या किसी आज़ाद औरत से हो, जिसके साथ उसने ज़िना किया था तो भी उसके साथ उस बच्चे को मुल्हक़ न किया जायेगा और न वारिस होगा। अगरचे जिसकी तरफ़ उसकी निस्बत की जाती है वह उसका मुद्दई भी हो। ऐसा बच्चा वलदुज़्ज़िना

(ज़ानिया) होगा, किसी आज़ाद औरत से हो या लौण्डी से।

(2265) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2746, मुसनद अहमद: 2/181.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلاَمِ فَقَدْ مَضَى .

(2266) मुहम्मद बिन राशिद ने अपनी सनद से इस पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया और मज़ीद कहा: ये वलदुज़्ज़िना होगा और अपनी माँ के अहल की मिल्कीयत होगा ख़्वाह कोई हों, आज़ाद औरत हो या कोई लौण्डी। और ये फ़ैसले इस्लाम के अव्वलीन दौर में हूए थे। और जो माल इस्लाम से पहले तक़सीम हो चुके, वह हो चुके।

(2266) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/260.

तौज़ीह : दौरे जाहिलीयत में लोगों के पास लौण्डियाँ होती थीं जो कुछ औक़ात बदकारी के अ़मल से माल भी कमाती थीं और कई मालिक उनसे मुबाशरत करने से परहेज़ न करते थे। तो अगर किसी के यहां कोई बच्चा पैदा होता तो कभी वह ज़ानी उसकी मिल्कीयत का दावा करता और साथ मालिक भी उसका दावा कर लेता था। इस्लाम में उनका फ़ैसला ये हूआ कि बच्चा लौण्डी के मालिक का है, न कि ज़ानी का। क्यों कि लौण्डी मालिक का बिस्तर होती है जैसे कि आज़ाद औरत। और अगर ये सूरत हूई होती कि बच्चे को ज़ानी की तरफ़ निस्बत किया गया, मालिक ने जिन्दगी भर न दावा किया और न इन्कार और फिर मर गया। मगर उसकी मौत के बाद वारिस़ों ने बच्चे के मुताल्लिक़ दावा किया कि ये मरने वाले मालिक का है, तो उनका ये दावा तस्लीम किया जायेगा। और इलहाक़ से पहले तक़सीम शुदा माल विरास़त में उसका कोई हक़ न होगा। मगर बाक़ी मानदह माल में उसका हिस्सा होगा जो उसका बनता हो। लेकिन अगर लौण्डी के मालिक ने हमल का इन्कार किया हो और उस बच्चे का मुद्दई न रहा हो तो बच्चे को उसके साथ मुल्हक़ न किया जायेगा और न वारिस़ों को हक़ होगा कि मालिक की मौत के बाद उस बच्चे को उसकी औलाद के साथ लाहिक़ करने का दावा करें (मआलिमुस्सुनन लिल ख़त्ताबी) इस क़िस्म का एक वाक़िया आगे हदीस़ (2273) में आ रहा है।

بَابٌ فِي الْقَافَةِ (31)

बाब : 31
अ़मले क़याफ़ा का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عُثْمَانُ يُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ " أَىْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ .

(2267) हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन बड़े ख़ूश ख़ूश मेरे यहां तशरीफ़ लाये ... उ़स्मान बिन अबी शैबा के अल्फ़ाज़ हैं ... कि आपके चेहरे के ख़तूत चमक रहे थे। आपने फ़रमाया: 'आ़यशा! क्या कुछ मालूम हूआ कि मुजज्ज़िज़ मुदलिज़ी ने ज़ैद और उसामा को देखा जबकि वह दोनों एक चादर से अपने सर ढाँपे (लेटे) हूए थे और उनके पाँव नंगे थे तो मुजज्ज़िज़ ने कहा: बिलाशुब्हा ये क़दम एक दूसरे से हैं। (बाप बेटे के हैं)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हज़रत उसामा स्याह रंग के थे और हज़रत ज़ैद सफ़ेद रंग के।

(2267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6771, व मुस्लिम: 1459.

फ़ायदा : इन्सान के जिस्म और शक्ल व शबाहत देखकर उसके नसब और अख़्लाक़ व आ़दात का अन्दाज़ा लगाना 'क़याफ़ा' कहलाता है। (अब्जदुल उ़लूम)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ . لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ

(2268) इब्ने शिहाब ने अपनी सनद से पिछली हदीस के हम मानी बयान किया। हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने कहा: आप (ﷺ) बड़े ख़ूश ख़ूश मेरे पास तशरीफ़ लाये। आपके चेहरे की धारियाँ चमक रही थीं।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि उसामा स्याह

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا سَمِعَ الأَسَارِيرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ وَالأَسَارِيرُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ .

और ज़ैद(ﷺ) सफ़ेद रंग के थे।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (असारीरू वज्हेही) का लफ़्ज़ इब्ने ऱ्उयय्ना ने याद नहीं रखा।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (असारीरू वज्हेही) के अल्फ़ाज़ इब्ने ऱ्उयय्ना की तदलीस है, जो कि उन्होंने ज़ोहरी से नहीं सुने बल्कि किसी और से सुने हैं। ये अल्फ़ाज़ लैस़ वग़ैरह की रिवायत में आये हैं।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अहमद बिन स़ालेह कहा करते थे कि हज़रत उसामा (ﷺ) इन्तेहाई काले रंग के थे जैसे कि तारकोल हो और ज़ैद (ﷺ) सफ़ेद रंग के थे जैसे कि रूई।

(2268) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि.

तौज़ीह : हज़रत ज़ैद बिन हारिस़ा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मौला (आज़ाद करदा ग़ुलाम) थे और शूरू अय्यामे इस्लाम में आपके मुतबन्ना (ले पालक) भी कहलाते रहे थे। उनके स़ाहिबज़ादे हज़रत उसामा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन्तेहाई महबूब थे। उनका लक़ब ही 'हुब्बु रसूलुल्लाह' (रसूलुल्लाह (ﷺ) के लाडले और चहीते) पड़ गया था। बाप बेटे में रंग का फ़र्क़ था क्यों कि उसामा की माँ उम्मे ऐमन थीं ज़ो हब्शन थीं। उन्हीं के रंग पर उनका रंग आया तो कई जाहिल उनके नसब पर तअ़न करते थे जो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों के लिए अज़ियत (तकलीफ़) का बाइस़ था। मुजज़्ज़िज़ मुदलजी क़बीला बनू असद का मारूफ़ क़याफ़ा शनास था और मुश्रिकीन उसकी बात क़बूल करते थे। कहीं गुज़रते हूए उसने उन दोनों बाप बेटे को देख लिया, जबकि उनके चेहरे ढाँपे हूए थे और पाँव रंगे थे। तो उसने ग़ालिबन अपने इल्मी रूअ़ब का इज़हार करने के लिए ये जुम्ला कह दिया कि 'ये पाँव बाप बेटे के पाँव हैं।' ये जुम्ला मुसलमानों के लिए हक़ की ताईद व तक़वीयत और शुब्हात के इज़ाले का बाइस़ स़ाबित हूआ। इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों को ख़ूशी हूई कि कुफ़्फ़ार का भरोसेमंद उनके अपने तअ़न की तरदीद कर रहा है ... इस वाक़िया में फ़िक़्ही इस्तेदलाल ये है कि अगर कहीं किसी बच्चे के बारे में कई लोग मुद्दई हों या किसी औ़रत से किसी शुब्हे की वजह से दो तीन अफ़राद ने मुबाशरत कर ली हो और बच्चे के बारे में वाज़ेह न हो कि किसका है? तो किसी माहिर और आ़दिल क़याफ़ा शनास की राय से फ़ैस़ला किया जा सकता है। अगर ये इल्म सरासर बातिल होता तो

रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके क़ौल पर ख़ूशी का इज़हार न फ़रमाते। गुज़िश्ता हदीसे लिआन (हदीस: 2256) में रसूलुल्लाह (ﷺ) का बयान गुज़रा है कि 'बच्चा अगर इस इस तरह का हूआ तो ये फ़ुलां का होगा और अगर इस तरह का हूआ तो फ़ुलां का होगा।' इसमें इल्मे क़याफ़ा की अस़लीयत की दलील है। नीज़ हदीसे उम्मे सलमा (رضي الله عنها) में आता है कि अगर औरत को एहतलाम नहीं होता तो बच्चे की उसके साथ मुशाबहत क्योंकर होती है? (सही बुख़ारी, हदीस: 313)

बाब : 32
उन हज़रात की दलील जो बच्चे के मुताल्लिक़ तनाज़अ में कुरअ से फ़ैसले के क़ायल हैं

(32)
باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

(2269) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं, मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में बैठा हूआ था कि यमन का एक आदमी आया और उसने बताया कि तीन यमनी हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) के पास आये। उनका एक बच्चे के बारे में तनाज़अ (झगड़ा) था। वह तीनों किसी औरत पर एक ही तोहर में वाक़ेअ हूए थे। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने उनमें से दो को कहा: अपनी ख़ूशी से इस तीसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाओ, तो वह दोनों चीख़ पड़े (और राज़ी न हूए) फिर उन्होंने दूसरे दो आदमियों से कहा: अपनी ख़ूशी से इस तीसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाओ। तो वह राज़ी न हूए। फिर उन्होंने दूसरे दो आदमियों से कहा कि अपनी ख़ूशी से इस तीसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाओ, तो

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ

شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ

उन्होंने भी इन्कार कर दिया तो हज़रत अली ने कहा: तुम बाहम ज़िद रखने वाले शरीक हो। मैं तुम्हारे दरम्यान क़ुरअ डालता हूं, जिसके नाम का क़ुरअ निकल आया बच्चा उसी का होगा और उस पर वाजिब होगा कि अपने दूसरे साथियों को दियत का तीसरा तीसरा हिस्सा अदा करे। चूनांचे उन्होंने उनमें क़ुरआ डाला और बच्चा उसको दे दिया जिसके नाम का क़ुरआ निकला। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) (बहुत) हँसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नुमायाँ हो गयीं।

(2269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3519, हाकिम: 3/135, 136.

फ़ायदा : किसी शक्ल के हुरूफ़ लिख कर उनसे किसी मतलूबा मामले के होने न होने पर इस्तेदलाल करना, क़ुरआ कहलाता है। (अब्जदुल उ़लूम)

حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ . حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالاَ لاَ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ

(2270) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अली (رضي الله عنه) के पास तीन आदमियों का मामला लाया गया जबकि वह यमन में आमिल थे, वह तीनों एक औरत पर एक तोहर में वाक़ेअ हूए थे। उन्होंने दो से पूछा: क्या तुम इस तीसरे के लिये बच्चे का इक़रार करते हो? उन्होंने कहा: नहीं! यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पूछा। जब भी दो से पूछते, वह नफ़ी में जवाब देते तो उन्होंने उनमें क़ुरआ डाला और बच्चा उसको दे दिया जिसके नाम का क़ुरआ निकला और उस पर दो तिहाई दियत भी लाज़िम कर दी। चूनांचे ये वाक़िया

الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

नबी (ﷺ) के सामने ज़िक्र किया गया तो आप इस पर हँसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं।

(2270) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़ 3518, इब्ने माजा, हदीस़ : 2348, हदीस़: 786.

फ़ायदा : जहां कहीं किसी मामले के दो पहलू बराबर हों और कोई जानिब वाज़ेह तौर पर राजेह मालूम न होती हो तो क़ुरआ से फ़ैसला कर लेना जायज़ है जैसे कि हज़रत अली (رضي الله عنه) ने किया या जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में साथ ले जाने के लिए अज़वाजे मुतह्हरात (رضي الله عنهن) में क़ुरआ डाल लिया करते थे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ قَالَ أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلاَثٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ .

(2271) ख़लील या इब्ने ख़लील से मरवी है कि हज़रत अली (رضي الله عنه) से उस औरत के बारे में पूछा गया जिसने तीन मर्दों से बच्चा जन्म दिया। (तीनों ने उससे सोहबत की थी) और पिछली की मानिन्द बयान किया। इस रिवायत में यमन का या नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं और न ये है कि ख़ुशी ख़ुशी बच्चे से दस्तबरदार हो जाओ।

(2271) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

باب فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

बाब : 33
दौरे जाहिलीयत के निकाहों की किस्मों का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها -

(2272) उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने उस (उर्वा) को ख़बर दी कि जाहिलीयत में चार तरह के निकाह होते थे। एक यही जो आज (अहले इस्लाम में) मारूफ़ है कि एक

زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ
يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ
لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى
فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ
يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ
الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا
أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ
يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ
الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ
كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ
لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ
يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا
عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ

इन्सान दूसरे को उसकी ज़ेरे तोलियत लड़की के लिये पैग़ाम भेजता है, उसे हक़्क़े मेहर अदा करता और फिर उससे निकाह कर लेता है। दूसरी क़िस्म ये थी कि आदमी अपनी बीवी से कहता, जबकि वह हैज़ से पाक होती कि फ़ुलां को पैग़ाम भेज दो और उससे जाकर हमबिस्तर हो। फिर उसका शौहर उससे अलग रहता और उसे हाथ न लगाता यहाँ तक कि उसका हमल ज़ाहिर हो जाता जिससे जाकर ये औरत हमबिस्तर हुई होती। जब हमल नुमायाँ हो जाता तो फिर शौहर भी अगर चाहता तो उससे मुबाशरत कर लेता। और ये इसलिए किया जाता था कि बच्चा शुजाअ, ज़की और होनहार पैदा हो। इस निकाह को 'निकाहुल इस्तिबज़ाअ' कहा जाता था। तीसरी क़िस्म ये थी कि एक जमाअत ... दस अफ़राद से कम ... इकट्ठे होते और एक औरत के पास जाते, हर एक उससे सोहबत करता, जब वह हामला हो जाती और बच्चा जनती और बच्चा जनने के बाद चंद रातें गुज़र जातीं तो वह उन सबको बुलाती, और उनमें से कोई भी आने से इन्कार न कर सकता था। जब वह उसके पास जमा हो जाते तो वह कहती: तुम्हें अपने मामले का इल्म ही है और मैंने बच्चे को जन्म दिया है तो ये बच्चा ऐ फ़ुलां! तेरा है। वह

أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ .

उनमें से जिसका चाहती नाम ले लेती और फिर बच्चा उस मर्द के साथ मन्सूब हो जाता। चौथी क़िस्म ये थी कि बहुत से लोग इकट्ठे होते और औरत पर दाख़िल होते, वह किसी को भी इन्कार न करती और ये तवायफ़ें होती थीं, उन्होंने अपने ख़्वाहिश मंदों के लिए बतौर अलामत अपने दरवाज़ों पर झण्डे लगाये होते थे जो भी उनका ख़्वाहिशमंद होता उनके पास चला जाता था, जब कोई हामला होती और बच्चा जनती तो उन लोगों को इकट्ठा किया जाता और वह लोग अपने लिए किसी क़याफ़ा शनास को तलब करते, फिर वह उस बच्चे को जिसके (मुशाबा) देखता मुल्हक़ कर देता और वह उसके साथ मन्सूब व मुल्हक़ हो जाता और उसका बेटा पुकारा जाता, वह उसका इन्कार न कर सकता था। फिर जब अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को मबऊस फ़रमाया तो अहले जाहिलीयत के तमाम निकाहों को बातिल कर दिया, सिर्फ़ अहले इस्लाम का मौजूदा अन्दाज़े निकाह बाक़ी रखा।

(2272) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5127.

फ़ायदा : अहले इस्लाम के मारूफ़ निकाह और मिल्के यमीन (लौण्डी) के अलावा (मुतआ वग़ैरह) जितने भी अन्दाज़ हैं, सब हराम हैं, नीज़ वली के बग़ैर किसी औरत का निकाह जायज़ नहीं।

बाब : 34
बच्चा बिस्तर वाले का है

﴿34﴾ باب الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ " هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ " .

(2273) हज़रत आयशा (ﵝ) से मरवी है कि हज़रत सअ़द बिन अबी वक़ास़ और अ़ब्द बिन ज़म्आ (ये उम्मुल मोमिनीन सौदा (ﵝ) का भाई है) अपना एक तनाज़ा (झगड़ा) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लेकर आये जो कि ज़म्आ की लौण्डी के बेटे (की तोलियत) से मुताल्लिक़ था। सअ़द ने कहा: मेरे भाई उ़तबा ने मुझे वस़ीयत की थी कि मैं (सअ़द) जब मक्के जाऊं तो ज़म्आ की लौण्डी के बेटे को देखूं और उसे अपनी तोलियत में ले लूं, बिलाशुब्हा वह मेरा ही बेटा है। जबकि अ़ब्द बिन ज़म्आ ने कहा: वह मेरा भाई है, मेरे बाप की लौण्डी का बेटा है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हूआ है। चूनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा कि बच्चे और उ़तबा के बीच वाज़ेह मुशाबहत है मगर आपने फ़रमाया: 'बच्चा बिस्तर वाले का है, और ज़ानी के लिए पत्थर हैं और ऐ सौदा! (उम्मुल मोमिनीन (ﵝ) इससे परदा कर।' मुसद्दद ने अपनी रिवायत में कहा: 'ऐ अ़ब्द! ये तेरा ही भाई है।'

(2273) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2421, व मुस्लिम: 1457.

तौज़ीह : (1) चूंकि ये मामलात जाहिलीयत के थे और वह लोग इस अन्दाज़ के आमाल में मुलव्विस़ थे तो उन बच्चों से भी कोई आ़र न समझते थे मगर इस्लाम ने ये क़ायदा क़ानून दिया है कि बच्चा बिस्तर वाले का होता है। पिछले वाक़िया में बच्चे की शक्ल से नुमायाँ था कि ये वलदुज़्ज़िना है और उ़तबा का

लड़का है मगर क़ायदा और उसूल को तरजीह दी गई और उसे साहिबे फ़िराश के साथ मुल्हक़ कर दिया गया। क़ानूनी ऐतबार से ये अगरचे हज़रत सौदा (رضي الله عنها) का भाई बना मगर दावा और शक्ल व सूरत ज़ानी के साथ मिलती थी इसलिए उसका नसब मुशतबा ठहरा। तो नबी (ﷺ) ने हज़रत सौदा (رضي الله عنها) को परदे का हुक्म दिया क्यों कि उसका भाई होना मशकूक था। अगरचे क़ायदे की रू से उनके ख़ानदान का फ़र्द बना दिया गया था। (2) (व लिल आहिर अल्हजर) का एक तर्जुमा 'ज़ानी के लिए महरूमी है' इस सूरत में जीम पर ज़ेर की बजाये सुकून यानी जज़म आयेगी। मतलब दोनों सूरतों में यही होगा कि औलाद का मुस्तहिक़ ज़ानी नहीं होगा, बल्कि उसके हिस्से में तो सज़ा आयेगी। हद्दे रजम या सौ कोड़े और बच्चे से वह महरूम ही रहेगा।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ دِعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

(2274) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि एक शख़्स खड़ा हूआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ुलां बच्चा मेरा बेटा है। मैंने जाहिलीयत में उसकी माँ से बदकारी की थी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में इस क़िस्म का कोई दावा नहीं चलता। जाहिलीयत के उमूर सब ख़त्म हैं। बच्चा बिस्तर वाले का है और ज़ानी के लिए पत्थर हैं। (या महरूमी है)'

(2274) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/207.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ

(2275) रबाह का बयान है कि मेरे घर वालों ने अपनी एक रूमी लौण्डी से मेरी शादी कर दी। मैं उससे हमबिस्तर हूआ तो उसने बच्चा जना, स्याह रंग का, मेरी तरह। मैंने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। मैं फिर उसके साथ हमबिस्तर हूआ तो उसने काले रंग का बच्चा जन्म दिया, जैसे कि मैं हूं। मैंने उसका नाम उबैदुल्लाह रखा। फिर मेरे घर

غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّهْ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّهْ . فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ . وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ .

वालों के एक ग़ुलाम योहन्ना नामी ने उसके साथ ख़राबी की, उसके साथ अपनी रूमी ज़बान में बातें कीं। चूनांचे उसने बच्चा जना जैसे कि कोई साम अबरस़ (गिरगिट) हो मैंने लौण्डी से पूछा: ये क्या है? उसने कहा: ये योहन्ना से है। हमने उसका मुक़द्दमा हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के सामने पेश किया। उन्होंने उन दोनों से पूछा तो उन्होंने ऐतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा: क्या तुम राज़ी हो कि मैं तुममें रसूलुल्लाह (ﷺ) वाला फ़ैसला करूं? असूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया है कि बच्चा बिस्तर वाले का है। रावी ने कहा मेरा ख़्याल है फिर आपने उन दोनों को दुर्रे लगाये और वह दोनों ममलूक और ग़ुलाम थे।

(2275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/59, 69, इब्ने हिब्बान: 4/338.

﴾35﴿ بَابٌ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

बाब : 35 (माँ बाप में अलगाव हो जाये तो) बच्चे (की निगहदाशत और तर्बीयत) का कौन ज़्यादा हक़दार है?

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا

(2276) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि एक औ़रत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा ये बेटा, मेरा पेट इसके लिए बर्तन, मेरा सीना इसके लिए मशकीज़ा

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"

मेरा दामन इसके लिए पनाहगाह रहा है। इस के बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और चाहता है कि इसको मुझसे छीन ले। नबी (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तू इसकी ज़्यादा हक़दार है जब तक कि निकाह न करे।'

(2276) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/182, 203, हाकिम, 2/207.

फ़ायदा : ये सही हदीस़ दलील है कि माँ जब तक निकाह न करे वह बाप की निस्बत बच्चे की ज़्यादा हक़दार है और बाद अज़ निकाह भी अगर शौहर राज़ी हो तो अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर वह राज़ी न हो तो बाप को दिया जायेगा।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سَلْمَى - مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ - قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُولُ هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(2277) अबू मैमूना सल्मा, अहले मदीना में से किसी का मौला था और वह सच्चा आदमी था। उसका बयान है कि मैं हज़रत अबू हुरैरह(رضي الله عنه) के पास बैठा हूआ था कि उनके पास एक फ़ारसी औरत आई, उसके साथ उसका बेटा भी था। शौहर और बीवी दोनों उस बच्चे के दावेदार थे, और शौहर ने औरत को तलाक़ दे दी थी। औरत ने कहा और फ़ारसी ज़बान में बोली: ऐ अबू हुरैरह(رضي الله عنه)! मेरा शौहर मेरे बेटे को मुझसे ले लेना चाहता है। अबू हुरैरह(رضي الله عنه) ने कहा: इस पर क़ुरआ डाल लो, और उसको ये फ़ारसी में कहा। फिर उसका शौहर आया तो उसने कहा: कौन है जो मुझसे मेरा बेटा छीने? अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने कहा: (अल्लाहुम्मा) (ये लफ़्ज़ बतौर तबरीक बोला जाता था) मेरा ये कहना इस बिना पर है कि मैंने एक औरत को सुना था जो रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में

وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَهِمَا عَلَيْهِ " . فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ " . فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

आई थी और मैं भी आपके पास बैठा हूआ था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा शौहर मेरे बच्चे को ले लेना चाहता है। हालांकि ये मुझे अबू इनबा के कूएँ से पानी लाकर देता है और मेरी ख़िदमत करता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: इस पर क़ुरआ डाल लो। तो शौहर ने कहा: मुझसे मेरा बेटा कौन छीन सकता है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (लड़के!) ये तेरा बाप है और ये तेरी माँ है, जिसका चाहे हाथ पकड़ ले।' चूनांचे उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, और वह उसे लेकर चल दी।

(2277) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2351, तिर्मिज़ी, हदीस: 1357.

फ़ायदा : बच्चा बच्ची जब ख़ूब समझदार हों और बीती बातों की तरह मामला पेश आ जाये तो उन्हें इख़्तियार दिया जा सकता।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا آخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ . فَقَالَ عَلِيٌّ

(2278) हज़रत अली (رضي الله عنه) ने बयान किया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मक्का आये और हमज़ा की बेटी को साथ ले आये। तो जाफ़र ने कहा: मैं इसे (अपनी तोलियत में) लेता हूं, मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूं। ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी ख़ाला मेरी ज़ोजीयत में है, और ख़ाला माँ की तरह होती है। और अली (رضي الله عنه) ने कहा: मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूं। ये मेरे चचा की बेटी है और मेरे घर में नबी (ﷺ) की साहिबज़ादी है और वह इसकी ज़्यादा हक़दार है। और ज़ैद ने कहा: मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूं। मैं ही इसके पास

أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ زَيْدٌ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ " وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ "

गया, सफ़र किया और इसको लेकर आया हूं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और बात की और फ़रमाया: 'लड़की का फ़ैसला मैं जअफ़र के हक़ में करता हूं कि अपनी ख़ाला के पास रहेगी और ख़ाला माँ की तरह होती है।'

(2278) तख़रीज : (सनद हसन) बज़्ज़ार: 3/105, 106, हदीस: 891, बैहक़ी: 8/6.

फ़ायदा : बच्चे की निगहदाश्त और तरबीयत में पहला हक़ माँ को हासिल है जैसे कि ऊपर की पहली हदीस में गुज़रा है, इसके बाद ख़ाला है, फिर बाप की जानिब के रिश्तेदार हैं (अस्बात) इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस तक़रीम व तर्तीब में बच्चे के हाल (वर्तमान) और मुस्तक़बिल (भविष्य) की मसलिहत का ख़्याल रखना इन्तेहाई ज़रूरी है। अगर इसमें किसी वाज़ेह फ़ित्ने का अन्देशा हो तो तर्तीब को बदलना लाज़मी होगा, क्योंकि जैसे बच्चे को इख़्तियार देने की सूरत में ऐन मुमकिन है कि ना समझ होने की वजह से सही फ़ैसला न कर सकें और ये हक़, हक़्क़े मीरास की मानिन्द नहीं कि उसमें महज़ क़राबतदारी ही बुनियाद हो, बल्कि ये हक़्क़े विलायत है जैसे कि निकाह और माली मामलात में होता है और इनमें मस्लिहतों को तर्जीह दी जाती है न कि महज़ क़राबतदारी को। इसी तरह बच्चे की निगहदाश्त व तरबियत में एक जानिब वाज़ेह ज़ुल्म हो, उसके अक़ीदे, तालीम व तरबियत और अख़्लाक़ व अमल की हिफ़ाज़त का एहतमाम न हो और दूसरी जानिब उन उमूर का एहतमाम हो तो दूसरी जानिब को तर्जीह होगी। (हाकिम, हदीस: 332)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ،بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ وَقَالَ "إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ "

(2279) अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने ये रिवायत बयान की मगर पूरा बयान नहीं की और कहा: आपने बच्ची जाफ़र को दे दी क्योंकि उसकी ख़ाला उसके यहां है।

(2279) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي

(2280) हज़रत अली (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब हम मक्का से निकले तो हम्ज़ा की बेटी हमारे पीछे आ गई, वह चचा चचा पुकार रही

إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئٍ، وَهُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ . فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكِ بِنْتَ عَمِّكِ . فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا وَقَالَ "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ" .

थी। पस हज़रत अ़ली (ﷺ) ने उसको लिया और उसका हाथ पकड़ा और (हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) से) कहाः अपनी चचाज़ाद को ले लो। चूनांचे हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने उसको उठा लिया। और ख़बर बयान की। हज़रत जअ़फ़र (ﷺ) ने कहाः ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी ख़ाला मेरी ज़ौजीयत में है। चूनांचे नबी (ﷺ) ने इसका फ़ैसला ख़ाला के हक़ में कर दिया और फ़रमायाः 'ख़ाला माँ की तरह होती है।'

(2280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 1/98, 115, हाकिम: 3/22.

﴾36﴿ بَابٌ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

बाब : 36
तलाक़ याफ़्ता औ़रत के लिए इद्दत के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلاَقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ

(2281) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन अन्सारिया (ﷺ) से मरवी है कि उन्हें नबी (ﷺ) के ज़माने में तलाक़ हो गई। और (इससे पहले) मुतल्लक़ा के लिए कोई इद्दत न होती थी (यानी अय्यामे इन्तेज़ार) तो अल्लाह तआ़ला ने इस अस्मा की तलाक़ के मौक़े पर इद्दत का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। और ये पहली औ़रत थी जिसके सिलसिले में तलाक़ याफ़्ता औ़रत की इद्दत का हुक्म उतरा।

(2281) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम: 2/414, हदीस: 2186, बैहक़ी: 7/424.

फ़ायदा : हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) के मुताल्लिक़ आता है कि ये हज़रत मुआज़ बिन जबल(ﷺ) की फूफीज़ाद थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत की थी। औरतों की तरफ़ से रसूलुल्लाह(ﷺ) के यहां पैग़ाम भी ले जाया करती थीं। उन्होंने ग़ज़्व–ए–यरमूक के मौक़े पर अपने ख़ैमे के बांस से नो अदद रूमियों को क़त्ल किया था। (इफ़ादात अज़: अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर)

﴿37﴾ باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

बाब : 37
आम मुतल्लक़ात में से जिनकी इद्दत मन्सूख़ (ख़त्म) है

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} . وَقَالَ { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ } فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .

(2282) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (अल्लाह का जो फ़रमान है) 'तलाक़ वाली औरतें तीन हैज़ इन्तेज़ार करें।' (तो उससे वह औरतें निकाल दी गईं जो हैज़ से मायूस हो जायें) और उन के लिए कहा कि 'तुम्हारी जो औरतें हैज़ से मायूस हों, अगर तुम्हें कोई शुब्हा हो तो उनकी इद्दत तीन माह है।' फिर उनमें से मज़ीद ये अलग फ़रमाया: 'अगर तुम उन्हें हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं।' (अल अहज़ाब: 49)

(2282) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3584, हदीस: 2195 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास ने उसे नस्ख़ या इस्तेस्ना से ताबीर फ़रमाया है, लेकिन ये दरअस्ल मुख़्तलिफ़ सूरतों के मुख़्तलिफ़ अहकाम हैं। आम मुतल्लक़ा औरत की इद्दत तीन हैज़ (या तीन तोहर) हैं। लेकिन जिस औरत को हैज़ आना बंद हो गया हो, या जिसे हैज़ आना शूरू ही नहीं हूआ, तो उनकी इद्दत तीन महीने होगी। और जिस औरत को हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे दी जाये तो उसके लिए कोई इद्दत ही नहीं है। इसी तरह जो औरत हामला हो, उसे तलाक़ मिल जाये या उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उसकी इद्दत वज़अे हमल है। जबकि बेवा औरत की इद्दत चार महीने 10 दिन हैं।

बाब : 38
(तालक़ के बाद) रूजू के अहकाम व मसाइल

﴾38﴿
باب في المُراجعة

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .

(2283) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हफ़्सा (ﷺ) को तलाक़ दे दी, मगर फिर आपने उनसे रूजू कर लिया।

(2283) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3590, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1324, हाकिम, 2/197.

फ़वाइद व मसाइल : पहली और दूसरी तलाक़ के बाद इद्दत के दौरान में रूजू किया जा सकता है और चाहिए कि दो गवाह ज़रूर बनाये जायें। (अत्तलाक़: 2) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से रूजू के बारे में जनाब क़ैस बिन ज़ैद (ताबेई सग़ीर) की मुरसल रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिब्राईल मेरे पास आये और कहा कि हफ़्सा से रूजू फ़रमा लें। ये बहुत रोज़े रखने वाली और बहुत क़याम करने वाली ख़ातून हैं और जन्नत में आपकी बीवी हैं।' (अरवा अलग़लील, हदीस: 2077)

बाब : 39
तीन तलाक़ याफ़्ता (तालक़े बत्ता वाली) के ख़र्च के अहकाम व मसाइल

﴾39﴿
باب في نفقة المبتوتة

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي

(2284) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से मरवी है कि (उनके शौहर) अबू अम्र बिन हफ़्स ने उनको तालक़े बत्ता दे दी थी (मुख़्तलिफ़ औक़ात में तीन तलाक़ें) और

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

वह ख़ूद (घर में) मौजूद नहीं थे। तो उनके वकील ने फ़ातिमा की तरफ़ कुछ जौ भेजे तो उन्होंने उनको कम समझा और उस पर राज़ी न हूयीं। तो वकील ने कहा: क़सम अल्लाह की! (अख़राजात के सिलसिले में) तेरे लिए हम पर कोई चीज़ वाजिब ही नहीं है। तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आयीं और आपसे इसका ज़िक्र किया, आपने उससे फ़रमाया: 'उसके ज़िम्मे तुम्हारा कोई ख़र्च नहीं है।' और उसे हुक्म दिया कि उम्मे शरीक के घर में इद्दत गुज़ारे। फिर फ़रमाया: 'उस औरत के यहां मेरे सहाबा आते रहते हैं, तो इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में इद्दत गुज़ारो। वह नाबीना आदमी है, तुम्हें अपने कपड़े उतारने में भी आसानी रहेगी और जब तुम हलाल हो जाओ (तुम्हारे अय्यामे इद्दत गुज़र जायें) तो मुझे ख़बर देना।' कहती हैं कि जब मैं हलाल हो गई तो मैंने आप (ﷺ) को बताया कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम ने मुझे निकाह का पैग़ाम भेजा है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू जहम तो अपने कन्धे से लठ ही नहीं उतारता है। और मुआविया, तो वह फ़क़ीर आदमी है, उसके पास कोई माल नहीं है। तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो।' कहती हैं कि मैंने उसको नापसन्द किया। आपने फिर फ़रमाया: उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो।' चूनांचे मैंने उनसे निकाह कर लिया। अल्लाह

तआला ने इसमें बहुत ख़ैर (और बरकत) फ़रमाई और इस वजह से मुझ पर रश्क किया जाता था।

(2284) तख़रीज : मौता, हदीस़: 2/580, 581, व मुस्लिम: 1480.

फ़ायदा : शौहर जब अपनी बीवी को मुख़्तलिफ़ औक़ात में तीन तलाक़ें दे दे, तो उसे रूजू का हक़ हासिल नहीं रहता। ऐसी तलाक़ को 'बत्ता' कहते हैं। लुग़त में 'बत्ता' के मानी हैं 'काट देना' किसी अम्र को नाफ़िज़ कर देना।' उर्दू में मुस्तअमल लफ़्ज़ 'अलबत्ता' बमानी यक़ीन का माख़ज़ भी यही है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ " لاَ نَفَقَةَ لَهَا" . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ .

(2285) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) ने बयान किया कि अबू हफ़्स़ बिन मुग़ीरह ने मुझे तीन तलाक़ें दीं। और पूरी हदीस़ बयान की, इसमें है कि ख़ालिद बिन वलीद और बनू मख़्ज़ूम के और भी लोग नबी ए करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आये और कहा या रसूलल्लाह (ﷺ) अबू हफ़्स़ बिन मुग़ीरह ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं और बहुत थोड़ा सा ख़र्च उसके लिए छोड़ गया है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके लिए कोई ख़र्च नहीं है।' और हदीस़ बयान की। और मालिक की (पिछली) रिवायत इससे ज़्यादा कामिल है।

(2285) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अ़ब्दुल बर तम्हीद: 19/137.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत फ़ातिमा को ये तलाक़ें वक़्फ़े से दी गई थीं न कि इकट्ठे जैसे कि अगली हदीस़: 2289 में आ रहा है। **(2)** मुतल्लक़ा को हदिया व तोहफ़ा देना एक मुस्तहब काम है। जिसकी ताकीद आई है। (अल अहज़ाब: 49) और तीन तलाक़ वाली के लिए कोई नफ़्क़ा व सुक्ना वाजिब नहीं है मगर ये कि हामला हो। **(3)** औ़रत के लिए मर्द को देखना ममनूअ़ नहीं है (बशर्ते कि शहवत से न हो) इसीलिए नबी (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा को इब्ने उम्मे मक्तूम के पास इद्दत गुज़ारने का

हुक्म दिया, ताकि वह मर्दों की नज़रों से महफ़ूज़ रहे, क्योंकि मर्दों के लिए औरत को देखना ममनूअ है, और इब्ने उम्मे मक्तूम बीनाई ही से महरूम थे। (4) निकाह का पैग़ाम देने वाले के दीनी, दुनियावी और अख़्लाक़ी अहवाल का जायज़ा लेकर ही उसे क़बूल किया जाना चाहिए। (5) शरई ज़रूरत से किसी का ऐब बयान करना ऐसी ग़ीबत नहीं जो हराम हो। (6) दीनदार रिश्तों में अल्लाह की तरफ़ से बहुत बरकत होती है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ مَسْكَنٌ " . قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.

(2286) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) ने बयान किया कि अबू अम्र बिन हफ़्स मख़्ज़ूमी ने उसको तीन तलाक़ें दे दीं। और हदीस़ बयान की और ख़ालिद बिन वलीद की बात भी। कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके लिए ख़र्च नहीं है और न कोई सुक्ना है।' (शौहर के ज़िम्मे नहीं है) इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ातिमा की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि अपने बारे में मेरे मशवरे के बग़ैर जल्दी में कोई फ़ैसला न कर लेना।

(2286) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अब्दुल बर तम्हीद: 19/138.

फ़वाइद व मसाइल : (1) निकाह और दीगर अहम मामलात में स़ालेह और मुख़्लिस़ अहले नज़र से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसे ही इस्तेख़ारह भी लाज़िमन करना चाहिए। (2) फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) के शौहर का नाम अक्स़र रिवायत में अबू हफ़्स़ बिन मुग़ीरह आया है और कुछ में अबू अम्र बिन हफ़्स़ बिन मुग़ीरह।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي

(2287) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) ने बयान किया कि मैं बनी मख़्ज़ूम के एक शख़्स़ की ज़ोजियत में थी तो उसने मुझे तालक़े बत्ता दे दी (तीन तलाक़ें) और (इस बाब की पहली हदीस़) मालिक की रिवायत की मानिन्द बयान किया। इस रिवायत में

مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ " وَلاَ تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا .

कहा कि मुझे बताये बग़ैर अपने बारे में कोई फ़ैसला न कर लेना।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि शअबी, बही और अ़ता ने बवास्ता अ़ब्दुर्रहमान बिन आ़सिम और इस तरह अबूबक्र बिन अबी जहम इन सब ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से रिवायत की है कि उसके शौहर ने उसको तीन तलाक़ें दी थीं। (इन हज़रात की रिवायत में 'बत्ता' का ज़िक्र नहीं है)

(2287) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 2284 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى .

(2288) शअबी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) से बयान करते हैं कि उनके शौहर ने उनको तीन तलाक़ें दी थीं तो नबी (ﷺ) ने उसके लिए कोई ख़र्चा और रिहाइश (शौहर पर) लाज़िम नहीं की थी।

(2288) तख़रीज : मुस्लिम: 1480.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ

(2289) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضي الله عنها) ने ख़बर दी कि वह अबू हफ़्स़ बिन मुग़ीरह की ज़ोजियत में थी तो उसने उसे आख़री तीसरी तलाक़ दे दी। फिर वह कहती है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और आपसे पूछा कि क्या वह अपने घर से चली जाये (शौहर के घर से) तो आपने हुक्म दिया कि इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के घर मुन्तक़िल हो जाये। मगर मरवान ने फ़ातिमा की इस बात की, कि मुतल्लक़ा अपने घर से निकल सकती है, तस़दीक़ करने से इन्कार किया है।

أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ

उर्वा कहते हैं कि हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने भी फ़ातिमा बिन्ते क़ैस पर इन्कार किया है।
इमाम अबू दाऊद ने कहा: सालेह बिन कैसान, इब्ने जुरैज और शुऐब बिन अबी हम्ज़ा सब ज़ोहरी से इसी तरह रिवायत करते हैं (जैसे अक़ील ने की है) इमाम अबू दाऊद ने कहा: शुऐब के वालिद अबू हम्ज़ा का नाम दीनार है जो ज़ियाद का मौला था।
(2289) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 228 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत में इख़्तिसार है जबकि आगे आने वाली रिवायत में वज़ाहत है। मरवान ने क़बीसा बिन ज़ुऐब को भेजकर तफ़्सील मालूम की थी।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالاَ وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً .

(2290) उबैदुल्लाह (बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा) से मरवी है कि मरवान ने फ़ातिमा (बिन्ते क़ैस) को पैग़ाम भेजा और उनसे पुछवाया, तो उसने बताया कि वह अबू हफ़्स की ज़ोजियत में थी और नबी (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को यमन के कुछ हिस्से का आमिल बनाया, तो उसका शौहर भी उनके साथ रवाना हो गया और उसको तलाक़ का पैग़ाम दे गया, वह तलाक़ जो उसकी बाक़ी थी (तीसरी तलाक़) और अय्याश बिन अबी रबीआ और हारिस बिन हिशाम को कहा गया कि उसको ख़र्च देना, तो उन दोनों ने कहा: अल्लाह की क़सम! उसके लिए कोई ख़र्च नहीं मगर ये कि हामला हो। तो ये नबी (ﷺ) के पास चली आई, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे लिए कोई ख़र्च नहीं मगर ये

فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً " . وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " . وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنَ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } حَتَّى { لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ فَأَىُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ

कि तो हामला हो।' फिर उसने इजाज़त चाही कि (उस घर से) मुन्तक़िल हो जाये तो आपने उसको इजाज़त दे दी। कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कहां रहूं? आपने फ़रमाया: 'इब्ने उम्मे मक्तूम के यहां' और वह नाबीना थे, (किसी वक़्त) ये अपने कपड़े उतार भी देती तो देख न सकते थे। फिर वह उनके यहां रही यहाँ तक कि उसकी इद्दत पूरी हो गई। तब नबी (ﷺ) ने उसामा (رضي الله عنه) से उसका निकाह कर दिया। क़बीसा मरवान के पास वापस आया और ये सारी, ख़बर बताई। तो मरवान ने कहा: हम एक औरत से ये हदीस़ सुन रहे हैं और हम वही महफ़ूज़ और क़ाबिले ऐतमाद बात क़बूल करेंगे जिस पर लोगों का अमल है। फ़ातिमा को जब ये बात पहुँची तो उसने कहा: मेरे और तुम्हारे दरम्यान किताबुल्लाह फ़ैस़ल है: अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: (फतल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना ... ला तदरी लअल्लल्लाहा बअदा जालिक अम्रा) फ़ातिमा ने कहा: भला तीसरी तलाक़ के बाद कौन सा नया मामला होगा? (रूजू का मौक़ा ही नहीं रहा तो नया मामला कैसे हो सकता है)

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत यूनुस ने भी ज़ोहरी से इसी तरह बयान की है। और (मुहम्मद बिन वलीद) ज़ुबैदी ने दोनों रिवायतें बयान की हैं। उ़बैदुल्लाह की रिवायत मअमर के हम मानी और अबू सलमा की अ़कील के हम

عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ

मानी।
इमाम अबू दाऊद ने कहा: मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने ज़ोहरी से रिवायत की है मगर उसने क़बीसा बिन जुऐब ने उसको बिलमानी नक़ल किया है। उसकी दलील उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह की रिवायत है जिसमें है कि 'फिर क़बीसा मरवान के पास वापस आया और ये सारी ख़बर बताई।'

(2290) तख़रीज : मुस्लिम: 1480.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ का पसे मन्ज़र आइन्दा हदीस़: 2295 में आ रहा है। **(2)** मरवान बिन हकम का, जो उस दौर में हाकिमे मदीना थे, हज़रत आ़यशा (﵂) और ऐसे ही उ़मर बिन ख़त्ताब (﵁) का मौक़िफ़ ये था कि मुतल्लक़ा के लिए अय्यामे इद्दत में सुक्ना शौहर के ज़िम्मे है। (और कुछ लोग इसके क़ायल हैं) उन हज़रात का इस्तेदलाल सूरह तलाक़ की आयात से है। इसमें है: 'तुम उन्हें उनके घरों से मत निकालो और न वह ख़ूद से निकलें।' (अत्तलाक़: 1) एक और आयत में है: 'अपनी हैसियत के मुताबिक़ उन्हें सुकूनत (ठहराने का इन्तिजाम) मुहैया करो।' (अत्तलाक: 6) मगर इस मुनाक़शे में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (﵂) की बात वाज़ेह और राजेह है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तीन तलाक़ वाली के लिए कोई नफ़्क़ा व सुक्ना नहीं फ़रमाया। और चूंकि ये ख़ूद स़ाहिबे वाक़िया हैं तो उन्हीं की बात क़ाबिले क़बूल होगी। क़ुर्आन मजीद की पिछली आयात का मफ़हूम उन औ़रतों के मुताल्लिक़ है जिन्हें रजई तलाक़ हूई हो। **(3)** हज़रत मरवान ने जो ये कहा कि 'हम एक औ़रत से ये हदीस़ सुन रहे हैं' तो ये जरह क़ाबिले गौर नहीं है। इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने ज़ादुलमआ़द में और अ़ल्लामा शोकानी (रह.) ने क्या ख़ूब लिखा है कि 'ये जरह तमाम मुसलमानों का इज्मा है कि बातिल है, क्योंकि किसी भी आ़लिम से ये मनक़ूल नहीं कि कोई हदीस़ किसी औ़रत की रिवायत होने की बिना पर मर्दूद करार पाती है कितनी ही मकबूल व मअ़मूल सुन्नतें हैं जिनकी रावी स़हाबियात हैं और वह उनकी रिवायत में अकेली हैं। इल्मे हदीस़ से अदना वाक़िफ़ियत रखने वाला ये इन्कार नहीं कर सकता। और मुसलमानों में से किसी ने भी कोई हदीस़ महज़ इस बिना पर रद्द नहीं की कि 'मुमकिन है उसका रावी भूल गया हो।' अगर ये ऐतराज क़ाबिले गौर समझा जाये तो अहादीसे नबवीया में से कोई हदीस़ भी मक़बूल न रहेगी, क्योंकि 'भूल सकने' से कौन सा इन्सान मुबर्रा है। इस तरह तो तमाम सुनने नबवीया को सिरे से मुअ़त्तल क़रार देना पड़ेगा। और ज़ेरे बहस़ हदीस़ की राविया हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (﵂) उन जलीलुल क़द्र स़हाबियात में से है जिन्होंने इब्तेदा ही में हिजरत कर ली थी और वह अपने हिफ़्ज़ों व दानिश में मशहूर थीं। दज्जाल के मुताल्लिक़ तवील हदीस़ उन्ही की रिवायत करदा है जो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ुत्बा के बीच में एक ही बार सुनी और याद कर ली थी। और किस तरह बावर किया जा सकता है कि

तलाक़ और नान व नफ़्क़ा और सुक्ना जैसा मसला जो उनकी ज़िन्दगी का अपना अहम वाक़िया था वह भूल गई हों। भूल जाने का ऐतराज़ ख़ूद ऐतराज़ करने वाले पर भी वारिद किया जा सकता है ... अलख़ (नैलुल अवतार 2/341) नीज़ ज़ादुल मआद, जिल्द चहारूम) **(4)** और ये जो बयान किया जाता है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने बयान किया था कि 'तलाकशुदा के लिए सुक्ना और नफ़्क़ा है' ये हदीस क़तअन बातिल और ग़ैर सहीह है। (ज़ादुल मआद) **(5)** हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) पर 'ज़बान की तेज़' होने का जो ऐब लगाया जाता है। (जैसे कि अगले बाब में आ रहा है) वह भी महल्ले नज़र है। एक तरफ़ तो नबी (ﷺ) नफ़्क़ा व सुक्ना के बारे में हुक्मे रब्बानी बता रहे हैं, मगर उसे ज़बान पर कन्टोल करने की नसीहत नहीं फ़रमाते जिसका ताल्लूक़ उसके अपने दीन व अख़्लाक़ के साथ साथ तकमीले इद्दत में भी मुआविन है। ज़ख़ीरह अहादीस में इस क़िस्म की कोई बात साबित नहीं।

बाब : 40
फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की रिवायत का इन्कार करने वालों का बयान

﴾40﴿
باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لاَ .

(2291) अबू इस्हाक़ कहते हैं कि मैं अस्वद बिन यज़ीद के साथ (कूफ़ा की) जामेअ मस्जिद में बैठा हूआ था उन्होंने बयान किया कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास आई तो हज़रत उमर ने कहा: 'हम अपने रब की किताब और अपने नबी (ﷺ) की सुन्नत को एक औरत के बयान पर नहीं छोड़ सकते, न मालूम उसने याद भी रखा है या नहीं।'

(2291) तख़रीज : मुस्लिम: 1480.

फ़ायदा : इस की तफ़्सील पिछले फ़ायदा में गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2292) हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने इस रिवायत पर बहुत सख़्त ऐ़ब लगाया है (इन्कार किया है) यानी फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की हदीस़ पर। और कहा कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस एक ख़ाली मकान में रिहाइश पज़ीर थी और वह ख़तरे वाली जगह थी इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको (घर तब्दील करने की) रूख़सत इनायत फ़रमाई थी।

(2292) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2032, बुख़ारी, हदीस़: 5326.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَىْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ .

(2293) उर्वा बिन्ते ज़ुबैर से मरवी है कि हज़रत आयशा (ﷺ) से कहा गया कि क्या आपको फ़ातिमा की बात मालूम नहीं हूई? तो उन्होंने कहा: इस बात को ज़िक्र करने में इसके लिए ख़ैर नहीं है।

(2293) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5335, 5326, व मुस्लिम: 1481.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ .

(2294) फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) के घर तब्दील करने के सिलसिले में सुलेमान बिन यसार से मरवी है कि 'ये उसकी बद ख़ुल्क़ी की वजह से था।'(ज़बान की तेज़ थी)

(2294) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/433.

फ़ायदा : ये क़ौल ज़ईफ़ है। इसकी तफ़्सील गुज़िश्ता बाब के फ़ायदा में गुज़र चुकी है। मुकम्मल बहस ज़ादुल मआद, जिल्द फोर्थ (4) में मुलाहिज़ा फ़रमा ली जाये।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(2295) क़ासिम बिन मुहम्मद और सुलेमान

سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا . فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي . وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَا طِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

बिन यसार का बयान है यहया बिन सईद बिन अलआस़ ने (अपनी बीवी अ़म्र) बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान बिन हकम को तलाक़ दे दी, तालक़े बत्ता (तीन तलाक़ें), तो अ़ब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी को (अपने घर) मुन्तक़िल कर लिया। हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने मरवान बिन हकम को पैग़ाम भेजा और वह उन दिनों मदीना का हाकिम था, कि अल्लाह से डरो और औ़रत को उसके (ख़ाविन्द के) घर लौटा दो। मरवान ने कहा: (बलफ़्ज़ सुलेमान) अ़ब्दुर्रहमान मुझ पर ग़ालिब आ गया है। और (बलफ़्ज़ क़ासिम) मरवान ने कहा: क्या आपको फ़ातिमा बिन्ते क़ैस का अहवाल नहीं पहुँचा? हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने कहा: अगर आप फ़ातिमा की हदीस़ बयान न करें तो आपको कोई नुक़सान न होगा। (उसको एक ख़ास़ वजह से इजाज़त दी गई थी), मरवान ने कहा: अगर आप एक शर को इन्तेक़ाल की वजहे जवाज़ समझती हैं तो इन मियाँ बीवी के दरम्यान मौजूद शर भी इसकी वजहे जवाज़ है।

(2295) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5321, 5322, मौता, हदीस़: 2/579.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ

(2296) मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि मैं मदीना आया तो सईद बिन मुसय्यब के यहां पहुँचा मैंने कहा: फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को तलाक़ हूई तो वह अपने घर से मुन्तक़िल हो गई थी, तो सईद ने कहा: उस औ़रत ने लोगों

الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَىِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى .

को फ़ितने में डाला हूआ था, बहुत ज़बान दराज़ थी तो उसे इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना (ﷺ) के यहां रिहाइश दी गई।

(2296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। गोया इसमें इब्ने उम्मे मक्तुम के घर मुन्तक़िल होने की जो वजह बयान की गई है, वह स़हीह नहीं है। इसकी वजह वही है जो स़हीह अहादीस़ में बयान हूई है कि इब्ने उम्मे मक्तुम अन्धे थे तो वहां उसके लिए परदे की पाबन्दी ज़रूरी नहीं थी।

﴾41﴿
باب فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

बाब : 41
बत्ता तलाक़ वाली दिन को घर से निकल सकती है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا " اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا " .

(2297) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला को तीन तलाक़ें दे दी गयीं तो वह अपनी खजूरें काटने के लिए निकल गयीं तो उसे एक आदमी मिला जिसने उसको मना किया। तो वह नबी (ﷺ) के पास आई और आपको ये बात बतलाई। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चली जाया करो और अपनी खजूरें काटा करो, तुम इससे स़दक़ा या कोई ख़ैर का काम ही करोगी।'

(2297) तख़रीज : मुस्लिम: 1483.

फ़ायदा : मुतल्लक़ा (तलाकशुदा) औरत अपने अय्यामे इद्दत में किसी लाज़मी और मुनासिब काम के लिए घर से बाहर जा सकती है मगर ज़रूरी है कि रात को अपने घर वापस आ जाये।

बाब : 42
जिसका शौहर फ़ौत हो जाये उसको एक साल तक का ख़र्च देना मन्सूख़ है

﴿42﴾
باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(2298) आयते करीमा: (वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिन्कुम ...) 'और तुममें से जो लोग फ़ौत हो जायें और अपने बच्चे अपनी बीवियाँ छोड़ जायें तो (उन्हें चाहिए कि) अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जायें कि एक साल तक उन्हें ख़र्च देना है और घर से नहीं निकालना है।' कि तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि ये हुक्म आयते विरासत से मन्सूख़ है और उन्हें चौथा या आठवाँ हिस्सा मिलेगा। और एक साल की मुद्दत भी मन्सूख़ है और अब इसकी मुद्दते (इद्दत सिर्फ़) चार माह दस दिन है।

(2298) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3573.

फ़ायदा : ख़ाविन्द की अगर औलाद हो तो बीवी को आठवाँ हिस्सा मिलता है वरना चौथा।

बाब : 43
शौहर फ़ौत हो जाये तो उसकी औरत कितने दिन सोग मनाये?

﴾43﴿ بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ

(2299) हज़रत जैनब बिन्ते अबी सलमा (رضي الله عنها) (ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की रबीबा थीं) ने ये नीचे की तीन हदीसें बयान कीं।

(पहली हदीस): ज़ैनब कहती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के यहां गई जबकि उनके वालिद अबू सुफ़ियान की वफ़ात हो गई थी तो उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई जिसमें ज़रदी थी, वह ख़लूक़ थी या कोई और, उन्होंने ये लौण्डी को लगाई फिर अपने हाथों को अपने रूख़सारों पर मल लिया और कहा: क़सम अल्लाह की! मुझे ख़ूशबू की कोई तलब और ज़रूरत नहीं है मगर मैंने नबी (ﷺ) से सुना है, फ़रमाते थे: 'किसी ख़ातून के लिए हलाल नहीं, जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती हो, कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग का इज़हार करे (और ज़ेब व ज़ीनत छोड़े रहे) सिवाए शौहर के, (कि उसके लिए) चार महीने और दस दिन हैं।'

(दूसरी हदीस): ज़ैनब (رضي الله عنها) ने कहा: मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत जैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) के पास आई जबकि उनका भाई फ़ौत हो गया था। तो उन्होंने ख़ूशबू मंगवाकर लगाई और फिर कहा: क़सम अल्लाह की!

मुझे ख़ूशबू की कोई तलब और ज़रूरत नहीं मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप मिम्बर पर खड़े फ़रमा रहे थे: 'किसी औरत के लिए हलाल नहीं, जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती हो, कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे मगर ये कि शौहर हो तो उसके लिए (सोग के) चार माह दस दिन हैं।

(तीसरी हदीस़): ज़ैनब (رضي الله عنها) ने कहा: मैंने अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) को सुना, बयान करती थी कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का शौहर फ़ौत हो गया है और अब उसकी आँख ख़राब है, क्या उसको सुरमा लगा दें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं'। 'उसने ये दो या तीन मर्तबा पूछा। आपने हर बार फ़रमाया: 'नहीं' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो सिर्फ़ चार माह दस दिन हैं जब कि जाहिलीयत में औरत एक साल गुज़रने के बाद मैंगनी फैंका करती थी।'

हुमैद ने कहा: मैंने ज़ैनब (رضي الله عنها) से पूछा: मैंगनी फैंकने से क्या मुराद है? तो उन्होंने बताया कि जब किसी औरत का शौहर फ़ौत हो जाता था तो वह एक छोटे से घरोंदे में रहती, बहुत ही ख़राब कपड़े पहनती और ख़ूशबू तो क्या किसी चीज़ को भी हाथ न लगाती थी (तहारत के लिए) यहाँ तक कि इस कैफ़ियत में साल गुज़र जाता, फिर जानवर लाया जाता

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " . قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ

بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ .

गधा, बकरी या कोई और परिन्दा तो वह उसे अपनी शर्मगाह के साथ मस करती और फिर अक्सर ऐसे होता कि वह जिस चीज़ को भी शर्मगाह के साथ मस करती तो वह मर जाती। फिर वह बाहर निकलती और उसे मैंगनी दी जाती तो वह उसे फैंकती थी। उसके बाद जो वह चाहती, ख़ूशबू वग़ैरह इस्तेमाल करती।
अबू दाऊद ने कहा कि 'हिफ़्श' का मानी घरोंदा है।

(2299) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1281, 1282, मौता, 2/596, 597, व मुस्लिम: 1486.

फ़ायदा : (इहदाद) के लुगवी मानी हैं। 'ज़ेब व ज़ीनत छोड़ देना' इसको सोग मनाना कहा जाता है। जाहिल लोग अपने कुफ़्र व शिर्क की रीती–रिवाज़ों पर सख़्ती से अमल करते हैं, लिहाज़ा मुसलमान को चाहिए कि वह अपने रब की शरीअत की रज़ा व रग़बत से पाबन्दी करें।

﴾44﴿ بَاب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

बाब : 44
जिस औरत का शौहर फ़ौत हो जाये, तो वह अपने अय्यामे इद्दत गुज़ारने के लिए दूसरे घर में मुन्तक़िल हो या न?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا

(2300) हज़रत फुरैआ बिन्ते मालिक बिन सिनान (رضي الله عنها) से मरवी है और ये हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) की बहन हैं, बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई कि आपसे इजाज़त लेकर अपने ख़ानदान बनी ख़दरा में चली जाऊं क्योंकि मेरा शौहर अपने उन गुलामों की तलाश में गया था जो भाग गये थे। वह मक़ामे क़दूम के अतराफ़ में

أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ كَيْفَ قُلْتِ ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ ‏"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ‏.‏

थे कि मेरे शौहर ने उनको जा लिया मगर उन्होंने उसको क़त्ल कर डाला, चूनांचे मैं नबी (ﷺ) से इजाज़त लेने के लिए आई थी कि मुझे अपने अहल में लौट जाने की इजाज़त दें। क्योंकि उसने मुझे अपने मम्लूका मकान में नहीं छोड़ा था और न कोई ख़र्च ही बचा गया था। बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुनकर (पहले तो) इजाज़त दे दी। पस मैं आपके पास से निकली यहाँ तक कि जब मैं हुजरे या मस्जिदे नबवी में थी, आपने मुझे बुलाया या बुलवाया और फ़रमाया: 'तूने कैसे कहा है?' तो मैंने अपना क़िस्सा यानी शौहर का वाक़िया दोबारा दोहराया, तो आपने फ़रमाया: 'अपने (शौहर के) मकान में इक़ामत रख, यहाँ तक कि किताबुल्लाह की (बयान की हूई) मुद्दत पूरी हो जाये।' कहती हैं: फिर मैंने उसी मकान में अपनी इद्दत पूरी की, यानी चार माह दस दिन। बयान करती हैं कि जब हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (رضي الله عنه) का दौरे ख़िलाफ़त आया तो उन्होंने मेरी तरफ़ पैग़ाम भेजा और मुझसे इस मसले की तफ़्सील दरयाफ़्त की और मैंने उन्हें (तफ़्सील से) ख़बर दी। चूनांचे उन्होंने उसी पर अ़मल किया और उसी के मुताबिक़ फ़ैसला किया।

(2300) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1204, मौता: 2/591, व हाकिम: 2/208, नसाई, हदीस: 3562, इब्ने माजा, हदीस: 2031.

फ़ायदा : वाजिब है कि औ़रत अपनी इद्दत उसी मकान में गुज़ारे जहां शौहर की वफ़ात हूई हो मगर ये कि कोई इन्तेहाई ख़तरनाक सूरत रूकावट हो, जैसे उस मकान में रहना मुम्किन न हो।

﴿45﴾
باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

बाब : 45
उन हज़रात की दलील जो ़औरत के मुन्तक़िल होने को जायज़ समझते हैं

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهِ فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ } قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ

(2301) जनाब ़अता बिन अबी रबाह बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने ़अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयते करीमा: (ग़ैरा इख़राज) ने ़औरत के लिए शौहर के अहल में इद्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया है। सो जहां चाहे इद्दत गुज़ारे।' ़अता ने (इस क़ौल की वज़ाहत में) कहा: चाहे तो शौहर के अहल में इद्दत गुज़ारे जैसे कि उसके लिए वस़ीयत है और चाहे तो वहां से रूख़्सत हो जाये। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: (फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह ़अलैकुम फ़ीमा फ़अलन) ़अता कहते हैं कि फिर आयते मीरास़ नाज़िल हूई, पस वह सुक्ना मन्सूख़ हो गया तो जहां चाहे इद्दत गुज़ारे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5344, हदीस़: 4531.

फ़ायदा : ख़ाविन्द की वफ़ात पर ़औरत के लिए इद्दत का मसला सूरह बक़रः की दो आयात में ज़िक्र हूआ है। पहली आयत: 234 में है: 'और जो लोग तुममें से फ़ौत हो जायें और छोड़ जायें अपनी बीवियाँ, तो चाहिए कि वह ़औरतें अपने आप को चार माह दस दिन तक रोके रखें।' और इसके बाद आयत: 240 में है: 'और जो लोग तुममें से फ़ौत हो जायें और छोड़ जायें अपनी बीवियाँ, तो उन पर है कि अपनी बीवियों के लिए वस़ीयत कर जायें कि उन्हें एक साल तक ख़र्च देना है और घर से निकालना भी नहीं अगर वह अज़ ख़ूद निकल जायें और अपने हक़ में जो भली बात करें तो उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं है।' इन दोनों आयात की तफ़्सीर में अस़्हाबे इब्ने ़अब्बास (ﷺ) का इख़्तिलाफ़ है। जुम्हूर

कहते हैं कि एक साल तक नफ़क़ा व सुक्ना का हुक्म पहले का है। फिर उसे मन्सूख़ कर के चार माह दस दिन कर दिया गया। लेकिन मुजाहिद और अता हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से बयान करते हैं कि चार माह दस दिन इद्दत का हुक्म शूरू ही से था। इसे मन्सूख़ करके एक साल तक बढ़ा दिया गया। अब औरत पर लाज़िम नहीं है कि शौहर के अहल में इद्दत गुज़ारे जैसे कि (फ़इन ख़रजना) से मालूम हो रहा है। ऐसे ही शौहर के वारिसों पर जो पाबन्दी थी कि एक साल तक ख़र्च दें और सुक्ना भी, तो विरास़त के अहकाम नाज़िल होने पर ये भी मन्सूख़ है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ये बाब ज़िक्र करके उन हज़रात का मौक़िफ़ बयान किया है। मगर ये मौक़िफ़ गुज़िश्ता हदीसे फ़ुरैआ बिन्ते मालिक की रोशनी में राजेह नहीं है मगर ये कि ये समझा जाये कि चार माह दस दिन की इद्दत और इन दिनों में शौहर के अहल में रहना वाजिब है। उसके बाद सात माह बीस दिन में औरत को मुन्तक़िल हो जाने की रूख़सत है। दर्ज ज़ेल हदीस इसी तफ़्सील की रोशनी में पढ़ी जाये। (मसला की पूरी तौज़ीह के लिए देखिए: (ज़ादुल मआद, ज़िल्द चहारूम, तफ़्सीर इब्ने कसीर, सूरह बक़रः 240)

बाब : 46
इद्दत वाली अपने अय्यामे इद्दत (इद्दत के दिनों) में किन उमूर से इज्तेनाब करे

(46) باب فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا

(2302) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरत किसी (मय्यत) पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे, सिवाए शौहर के। उसके लिए चार माह दस दिन सोग करे, कोई रंगीन कपड़ा न पहने मगर वह कपड़ा जिसकी बुनाई ही रंगीन धागों से हो (यमनी धारीदार चादर वग़ैरह) न सुरमा लगाये न ख़ूशबू इस्तेमाल करे मगर हैज़ से तहारत के वक़्त मामूली क़ुस्त या अज़फ़ार की ख़ूशबू इस्तेमाल कर सकती है।'

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - السَّهْمِيِّ عَنْ هِشَامٍ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا

تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ" إِلاَّ مَغْسُولاً". وَزَادَ يَعْقُوبُ " وَلاَ تَخْتَضِبُ"

यअ़क़ूब ने (अस्ब) की बजाये (मग़सूल) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और (वला तख़्तज़िब) का इज़ाफ़ा भी किया। (मेहन्दी न लगाये)

(2302) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5342, 5343, व मुस्लिम: 938.

फ़ायदा : औरत ख़्वाह अपने शौहर के साथ रात बिताई हो या न बिताई हो, छोटी हो या बड़ी, शौहर की वफ़ात पर उसके लिए वाजिब है कि चार माह दस दिन तक बताये हुए उमूर की पाबन्दी करे और हर तरह से सादगी अपनाये।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا . قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِيهِ " وَلاَ تَخْتَضِبُ " . وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ " وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ "

(2303) हज़रत उम्मे अ़तिया (رضي الله عنها) नबी (ﷺ) से यही (पिछली) हदीस़ बयान करती हैं मगर ये रिवायत पूरी तरह पिछली रूवात की रिवायत की मानिन्द नहीं है (इब्राहीम बिन तहमान और अ़ब्दुल्लाह सहमी की रिवायत की तरह) मिस्मई ने कहा: यज़ीद ने बयान किया कि मेरा ख़्याल है कि इसमें (वला तख़्तज़िब) भी है मेहन्दी न लगाये) जबकि हारून ने इज़ाफ़ा किया कि 'रंगीन कपड़ा न पहने मगर ये कि उसकी बुनाई ही रंगीन धागों से हो।' (जैसे कि यमनी धारीदार चादरें होती थीं)

(2303) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ

(2304) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत का शौहर फ़ौत हो जाये, वह अ़स़फ़र

بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَ فَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ " .

(ज़अफ़रान) या केसरिया रंग के कपड़े न पहने। न ज़ेवर इस्तेमाल करे, न मेहन्दी लगाये और न सुरमा।'

(2304) **तख़रीज : (सनद हसन)** नसाई, हदीस़: 3565, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1328, इब्ने अलमुलक़्क़िन, हदीस़: 1504.

फ़ायदा : ये उमूरे ज़ीनत का हिस्सा हैं, इसलिए अय्यामे इद्दत में इनसे बचना वाजिब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ، يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا، تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلاَءِ - قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجَلاَءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلِي بِهِ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ . ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ " . فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ

(2305) उम्मे हकीम बिन्ते उसैद अपनी वालिदा से रिवायत करती है कि उसका शौहर फ़ौत हो गया और उसकी आँखें ख़राब रहती थीं और उसने (जलाअ) सुरमा इस्तेमाल करना चाहा। अहमद बिन स़ालेह ने कहा: स़हीह रिवायत (कुहलुल जलाअ) है। तो उसने अपनी ख़ादिमा को हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) के पास भेजा और 'रोशनी देने वाला सुरमा' इस्तेमाल करने के मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा: इस्तेमाल न करे मगर ये कि इन्तेहाई मजबूरी हो तो रात को इस्तेमाल करे और दिन में स़ाफ़ कर दे। ये ख़बर बताते हूए फिर हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने कहा: अबू सलमा की वफ़ात के मौक़े पर रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये और मैंने अपनी आँख पर अलवा लगा रखा था। आपने कहा: 'उम्मे सलमा! ये क्या है?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये अलवा है और इसमें कोई ख़ूशबू नहीं है। आपने फ़रमाया: 'बेशक ये चेहरे को खूबसूरत कर देता है, लिहाज़ा सिर्फ़ रात को इस्तेमाल करो और दिन

. قَالَ " إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ " . قَالَتْ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ " .

में इसे साफ़ कर दिया करो। और किसी ख़ूशबू वाली चीज़ के साथ और मेहन्दी के साथ कंघी न करो (सर न धो) क्योंकि ये ख़िज़ाब है।' मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर किस चीज़ से में कंघी किया करूं? आपने फ़रमाया: 'बेरी (के पत्तों) से, उसे अपने सर पर चुपड़ लिया करो (बाद में धो डाला करो)'

(2305) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 3567, मौता: 2/600, हदीस़: 1311.

﴾47﴿ بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

बाब : 47 हामिला की इद्दत के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ -

(2306) उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़तबा का बयान है कि उसके वालिद ने उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को ख़त लिखा और उसे हुक्म दिया कि सुबैआ़ बिन्ते हारिस़ असलमिया (ﷺ) के पास जाये और उससे उसका क़िस्सा दरयाफ़्त करे और ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे क्या फ़रमाया था, जब उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा था? चूनांचे उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह ने, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़तबा को लिख भेजा कि सुबैआ़ ने बताया कि वह सअ़द बिन ख़ौला की ज़ोजियत में थी जो कि क़बीला बनी आ़मिर बिन लूई में से थे। ग़ज़्व ए बद्र में शरीक हूए थे और हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े

وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ

पर उनकी वफ़ात हूई थी और इन दिनों वह हमल से थी। उनकी वफ़ात के बाद चंद ही रोज़ गुज़रे थे कि बच्चे की विलादत हो गई। जब अय्यामे निफ़ास से पाक हूई तो निकाह का पैग़ाम लाने वालों के लिए उन्होंने ज़ेब व ज़ीनत शूरू कर दी। चूनांचे बनू अ़ब्दुद दार का एक शख़्स अबू सनाबिल बिन बअ़कक उसके पास आया और उससे कहा: क्या वजह है तूने ज़ेब व ज़ीनत कर रखी है, शायद तू निकाह करना चाहती है? अल्लाह की क़सम! तू उस वक़्त तक निकाह नहीं कर सकती जब तक चार माह दस दिन न गुज़र जायें। सुबैआ़ ने कहा: जब उसने मुझे ये कहा तो शाम को मैंने अपने कपड़े लपेटे और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गई और आपसे इस बारे में दरयाफ़्त किया। आपने मुझसे फ़रमाया: 'जब विलादत हो गई है तो तू हलाल है।' और आपने मुझसे फ़रमाया: 'अगर मैं चाहूं तो निकाह कर सकती हूं।'

इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं: 'वज़ओ हमल के बाद में ऐसी औ़रत के निकाह में कोई हर्ज नहीं समझता हूं ख़्वाह ख़ून के अय्याम ही हों, मगर ये कि शौहर तहारत से पहले उसके क़रीब न हो।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3991, व मुस्लिम: 1484.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ

(2307) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि जो चाहे मैं उससे मुबाहला कर सकता हूं कि छोटी सूरह निसा (सूरह तलाक़) चार माह दस दिन (के पहले

مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا

हुक्म) के बाद ही नाज़िल हूई थी। (ये हुक्म सूरह बक़रः की आ. 234 में वारिद हूआ है)

(2307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीसः 2030, बुख़ारी, हदीसः 4532.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह अत्तलाक़ में है कि 'और हामला औरतों की इद्दत ये है कि वज़अे हमल हो जाये।' (अत्तलाक़ः 4) और इस सूरत को 'सूरतुन्निसाइस्सुग़रा' (छोटी सूरह निसा) इसलिए कहा कि जहां मारूफ़ बड़ी सूरह निसा में औरतों के अहकाम व मसाइल बयान हूए हैं वहां इस सूरत में भी उन्हीं के मसाइल ज़िक्र किये गये हैं। **(2)** हज़रत अब्दुल्लाह (﵁) का ये क़ौल मारूफ़ फ़िक़्ही उसूल की बुनियाद है कि किसी मसले में जहां कहीं दो हिदायात वारिद हों उनमें से क़ाबिले अमल वही होती है जो बाद में नाज़िल हूई हो। **(3)** सूरह बक़रः की आयते करीमाः (234) और सूरह अत्तलाक़ की आयत में तआरूज़ नहीं है, बल्कि चार माह दस दिन की इद्दत ऐसी औरतों के लिए है जो हमल से न हों। और अगर हमल हो तो उसकी इद्दत वज़अे हमल है।

﴾48﴿ بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

बाब : 48
उम्मे वलद की इद्दत का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ .

(2308) हज़रत अम्र बिन अलआस (﵁) ने फ़रमाया कि हम पर आप (ﷺ) की सुन्नत को ख़लत मलत मत करो। इब्ने मुसन्ना ने कहाः हमारे नबी (ﷺ) की सुन्नत को ... जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये उसकी इद्दत चार माह दस दिन है। यानी उम्मे वलद (उनकी मुराद ये थी कि औरत ख़्वाह आज़ाद हो या उम्मे वलद सबके लिए हुक्म एक ही है)

(2308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीसः 2083, इब्ने हिब्बान, हदीसः 1333, हाकिमः 2/209, दारकुतनी, हदीसः 4/310.

फ़ायदा : (1) वह लौण्डी जिससे उसके मालिक की औलाद भी हो 'उम्मे वलद' कहलाती है। **(2)**

उम्मे वलद, जिसका आक़ा फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत में इख़्तिलाफ़ है। कुछ के नज़दीक उसकी इद्दत तीन हैज़ और कुछ के नज़दीक एक हैज़ है। लेकिन जिनके नज़दीक ये रिवायत सही है, उनके नज़दीक इसकी इद्दत भी 4 महीने 10 दिन ही है। वल्लाहू आलम!

बाब : 49
तीन तलाक़ वाली से उसका पहला ख़ाविन्द दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वह औरत किसी और से निकाह न करे

(49)

باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " .

(2309) हज़रत आयशा (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि एक शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ दे दी यानी तीन तलाक़ें। फिर उस औरत ने किसी और शख़्स से निकाह कर लिया, वह उस पर दाख़िल हूआ मगर हमबिस्तरी से पहले ही उसको तलाक़ दे दी, तो क्या ये पहले शौहर के लिए हलाल है? कहती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये औरत पहले के लिए हलाल नहीं यहाँ तक कि (औरत) किसी दूसरे (मर्द) की मिठास चख ले और वह मर्द उस (औरत) की मिठास चख ले।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3436.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह बक़र: में आयत: 228 और माबाद में तलाक़ के अहकाम बयान हूए हैं। आयत: 230 में है कि 'फिर अगर (तीसरी बार) तलाक़ दी तो अब वह उसके लिए हलाल नहीं है जब तक कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह न कर ले, फिर अगर वह तलाक़ दे तो उन दोनों पर कोई

गुनाह नहीं कि फिर बाहम मिल जायें बशर्ते कि उन्हें यक़ीन हो कि वह दोनों अल्लाह की हुदूद को क़ायम रखेंगे।' (2) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सहीह है। इसलिए कि इसमें बयान करदा बात सही रिवायत में भी बयान हूई है। इससे मालूम हूआ कि दूसरी जगह महज़ निकाह कर लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि दूसरे ख़ाविन्द से उसका ज़न व शौहर वाला ताल्लूक़ क़ायम होना भी ज़रूरी है। अगर इस ताल्लूक़े ज़ोजीयत के बग़ैर ही दूसरा ख़ाविन्द तलाक़ दे देगा तो ये औरत अपने पहले ख़ाविन्द के लिए हलाल नहीं होगी। इसी तरह जो लोग चंद रोज़ के लिए इस नियत से निकाह करते हैं ताकि वह औरत पहले ख़ाविन्द के लिए हलाल हो जाये तो ये मशरूत निकाह, निकाह नहीं बल्कि बदकारी है। इस बिना पर हलाला के नाम से महज़ रस्मी अक़्द कर लेना और इसी तरह आरज़ी तौर पर औरत को किसी मर्द के हवाले कर देना ताकि औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाये, हराम है। ऐसा निकाह सहीह है न रूजू इस ग़र्ज़ से निकाह करने वाले के लिए एक बहुत बुरी मिसाल दी गई है कि ऐसा तो गोया 'मांगे का सांड' है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1936)

बाब : 50
ज़िना की बुराई का बयान

﴿50﴾
باب في تعظيم الزِّنَا

(2310) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह के साथ उसका शरीक बनाये हालांकि उसने तुझे पैदा किया है।' कहते हैं : मैंने कहा: फिर कौनसा? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपने बच्चे को इस डर से क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ मिल कर खायेगा' कहते हैं: (मैंने कहा) फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपने हमसाये की बीवी से बदकारी करे।' कहते हैं कि अल्लाह

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قَالَ فَقُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ " . قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { وَالَّذِينَ

لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ } الآيَةَ.

अ़ज़्ज़ व जल्ल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान की तस़दीक़ में ये आयत नाज़िल फ़रमाई (वल्लज़ीना ला यदऊना मअ़ल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूना नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि व ला यज़्नून) – '(रहमान के बंदे वही हैं) जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते और न अल्लाह की हराम करदा किसी जान को क़त्ल करते हैं मगर हक़ के साथ और न बदकारी करते हैं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6001, व मुस्लिम: 86.

फ़वाइद व मसाइल : सूरह अल इस्राअ में है: 'ज़िना के क़रीब भी न जाओ। बिलाशुब्हा ये बेहयाई का काम है और बहुत बुरा रास्ता है।'(बनी इस्राईल: 32) लफ़्ज़ 'तुज़ानी' में साज़ बाज़ और रज़ामंदी का मफ़हूम पाया जाता है। जब रज़ामंदी से इस अ़मल की बुराई और बेहयाई स़ाबित है तो जब्र व इकराह से ये काम और भी ज़्यादा बदतरीन होगा। शादी शुदा के लिए इसकी हद, रज्म (संगसारी) और ग़ैर शादीशुदा के लिए सौ दुर्रे और एक साल के लिए देश निकाला (जला वतन) है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَتْ مُسَيْكَةُ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ { وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } .

(2311) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि मुसैका एक अन्स़ारी की लौण्डी थी, वह आई और कहा: मेरा मालिक मुझे बदकारी के लिए मजबूर करता है। चूनांचे इस सिलसिले में ये आयत उतरी: (व ला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाइ) 'और अपनी लौण्डियों को बदकारी के लिए मजबूर मत करो।'

(2311) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 11365.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ .

(2312) मुअतमिर अपने वालिद (सुलेमान तैमी) से बयान करते हैं कि आयते करीमा (व मय युक्रिह हुन्ना फ़इन्नल्लाहा मिम् बअदि इकराहि हिन्ना ग़फ़ुरूर्रहीम) की तफ़्सीर में सईद बिन अबुल हसन कहते हैं कि अल्लाह तआला 'मजबूर करदा लौण्डियों के लिए ग़फ़ूरूर्रहीम है।'

(2312) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तारीख़ इब्ने मईन, हदीस़: 3600.

फ़ायदा : ये एक ताबेई का क़ौल है। अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ों के सरदार के पास कई लौण्डियाँ थीं। उनमें से एक का नाम मुसैका था। वह उनसे बदकारी कराके आमदनी हासिल करता था। उन लौण्डियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो इस अमले शनी से इन्कार करने लगीं मगर वह उन पर जब्र करता था। तो इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हूई। यानी ज़िना वैसे ही इन्तेहाई क़बीह और बेहयाई का काम है तो इस काम के लिए किसी को मजबूर करना और भी बुरा है। अलबत्ता जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो उसके लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से मुआफ़ी है मगर जब्र करने वाला अपने आपको कैसे बचा सकेगा?

كتاب الصوم

रोज़ों की अहमियत व फ़ज़ीलत और अहकाम व मसाइल

- **स़ौम या स़ियाम** (मस्दर) के लुग़वी मानी इम्साक, यानी किसी चीज़ से रूकने के हैं। और शरई इस्तेलाह में ये अल्लाह तआला की एक इबादत है जिसमें एक मुसलमान अल्लाह तआला के हुक्म से तमाम मुफ़्तेरात (रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों, जैसे खाना, पीना और बीवी से मुबाशरत करना) से तुलूअे फ़ज्र से ग़ुरूबे आफ़ताब तक रूका रहता है, ये सारी चीज़ें अगरचे हलाल हैं, लेकिन रोज़े की हालत में ये चीज़ें ममनूअ हैं। इसलिए अल्लाह तआला की रज़ा के लिए अल्लाह तआला के हुक्म पर फ़ज्र से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक, इन तमाम चीज़ों से बचकर रहने का नाम रोज़ा है।

- **मक़सद:** रोज़ा रखने का मक़सद हुसूले तक़वा है जैसा कि (लअल्लकुम तत्तक़ून) 'ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ।' से स़ाबित होता है। गोया अल्लाह तआला के अहकाम के लिए हमेशा तैयार रहने और मनहियात से बाज़ रहने की ये एक अ़मली तर्बियत है।

- **अहमियत व फ़रज़ियत:** रोज़ा, इस्लाम के अरकाने ख़म्सा में से एक अहम रूक्न है। क़ुर्आन मजीद में है: 'ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ था।' हदीस़ में है: 'इस्लाम की बुनियादें पाँच हैं: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 8, व मुस्लिम: 16) सूरह बक़र: में आयत: 183 से 187 तक रोज़ों की फ़रज़ीयत और दीगर मसाइल बयान किये गये हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की बाबत नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, ईमान की हालत में और स़वाब की नियत से तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1901) एक और हदीस़ में रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच नमाज़ें, जुमा दूसरे जुमो तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं जो इनके दरम्यान हों, बशर्तेकि कबीरा गुनाहों से परहेज़ किया जाये।' (स़ही मुस्लिम: 233) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और एक रिवायत में आता है कि आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते

हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं और श्यातीन क़ैद कर दिये जाते हैं। (सही बुख़ारी, हदीस़: 1899, हदीस़: 3277) रोज़े के अज्र की बाबत नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी के हर अ़मल का स़वाब दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक बढ़ाकर दिया जाता है लेकिन रोज़े के अज्र व स़वाब की बाबत अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा क्योंकि रोज़ेदार ने अपनी सारी ख़्वाहिशात और खाना पीना सिर्फ़ मेरी ख़ातिर छोड़ा है। मज़ीद आपने फ़रमाया रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआ़ला को मुश्क की ख़ूशबू से भी ज़्यादा पसन्द है।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1904) फ़र्ज़ रोज़ों के लिए रात को तुलूअ़े फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत करना ज़रूरी है जैसा कि नबी ए करीम (ﷺ) का फ़रमान है: 'जिसने फ़ज्र से पहले रात को रोज़े की नियत न की उसका रोज़ा नहीं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2454) रमज़ानुल मुबारक में रात को हर मुसलमान की नियत होती है कि उसने सुबह रोज़ा रखना है, रात को तरावीह (क़यामुल लैल) का एहतिमाम करता है और सहरी वग़ैरह का इन्तेज़ाम भी करता है इस ऐतबार से नियत तो बहरहाल होती ही है क्योंकि नियत का महल दिल है न कि ज़बान। यही वजह है कि रोज़ा रखने की नियत के कोई अल्फ़ाज़ नबी–ए–करीम (ﷺ) से स़ाबित नहीं है और ये जो आ़म कैलेण्डरों में अल्फ़ाज़ लिखे होते हैं: इसकी कोई सनद नहीं है, बिल्कुल बेअस़ल है। ये दुआ़ मानी और मफ़हूम के ऐतबार से भी दुरूस्त नहीं है।

- रोज़े का वक़्त तुलूअ़े फ़ज्र से ग़ुरूबे शम्स तक है। सुबह स़ादिक़ से पहले सहरी खा ली जाये और फिर सूरज ग़ुरूब होने तक तमाम मुफ़्तिरात से इज्तेनाब किया जाये। कुछ लोगों का ख़्याल है कि सहरी खाना ज़रूरी नहीं और वह रात ही को खा पीकर सो जाते हैं या आधी रात को खा लेते हैं ये दोनों ही बातें सुन्नते रसूल से स़ाबित नहीं हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरम्यान फ़र्क़ करने वाली चीज़ सहरी का खाना है।' (स़ही मुस्लिम) इस हदीस़ से मालूम हूआ कि अहले किताब सहरी नहीं खाते और मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं। इसलिए सहरी ज़रूर खानी चाहिए, चाहे एक दो लुक़्मे ही क्यों न हों इसमें बरकत भी है और जिस्मानी क़ूव्वत का ज़रिया भी और ये दोनों चीज़ें रोज़ा निभाने के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल ये था कि सहरी फ़ज्र से थोड़ी देर पहले यानी बिल्कुल आख़री वक़्त में खाया करते थे। लिहाज़ा हमें भी इसी तरीक़े नबवी को अपनाना चाहिए यक़ीनन हमारे लिए इसमें बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह तआ़ला हमारी स़िराते मुस्तक़ीम (सीधी राह) की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाये। आमीन!

- हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह अपने रोज़े को उन अक़्वाल व आ़माल से बचाये जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने हराम क़रार दिया है, क्योंकि रोज़े से मक़सूद ये है कि अल्लाह तआ़ला की इताअ़त और बंदगी की जाये, उसकी मुहर्रमात की तअ़ज़ीम बजा लाई जाये, नफ़्स के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाये और अल्लाह तआ़ला की इताअ़त के मुक़ाबले में इस नफ़्स की ख़्वाहिश की

मुख़ालिफ़त की जाये, अल्लाह तआला ने जिन बातों को हराम क़रार दिया है उन पर स़ब्र का नफ़्स को आदी बनाया जाये क्योंकि रोज़े से महज़ ये मक़सूद नहीं है कि खाना पीना और दीगर मुफ्तिरात को तर्क कर दिया जाये यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है जब तुममें से किसी ने रोज़ा रखा हो तो वह न फ़हश बातें करे और न शौर व ग़ोग़ा करे, अगर उसे कोई गाली दे या लड़ाई झगड़ा करे तो उससे कह दे कि मैं रोज़ेदार हूं। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1904) इसी तरह आप (ﷺ) से ये भी मरवी है कि जो शख़्स़ झूठी बात, इसके मुताबिक़ अमल और जिहालत को तर्क न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना तर्क करे। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1903) ऊपर दी गई और दीगर नुसूस़ से ये मालूम हूआ कि रोज़ेदार पर वाजिब है कि वह हर उस चीज़ से इज्तेनाब करे जिसे अल्लाह तआला ने उस पर वाजिब क़रार दिया है क्योंकि इसी अमल ही से मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी और स़ियाम व क़याम की क़बूलियत की उम्मीद की जा सकेगी। (रोज़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के लिए देखिए किताब 'रमज़ानुल मुबारक' फ़ज़ाइल, फ़वाइद व समरात, अज़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़: मतबूआ दारूस्सलाम)

كتاب الصوم

रोज़ों के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ

बाब : 1 रोज़ों के फ़र्ज़ होने की इब्तेदा का बयान

(2313) आयते करीमा (या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अ़लैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अ़लल लज़ीना मिन क़ब्लेकुम) 'ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था।' की तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) के दौर में लोग जब इशा की नमाज़ पढ़ लेते तो उन पर खाना, पीना और बीवियाँ हराम हो जाती थीं और वह अगली शाम तक के लिए रोज़ेदार हो जाते थे। फिर (ऐसे हूआ कि) एक आदमी अपने नफ़्स की ख़्यानत कर बैठा, यानी उसने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली जबकि वह इशा की नमाज़ पढ़ चुका था, और (सैर होकर) खाना भी नहीं खाया था, तो अल्लाह तआ़ला ने चाहा कि इस अ़मल में बाक़ी लोगों के लिए

وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } . وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ .

आसानी, रूख़सत और नफ़ा पैदा फ़रमा दे, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया (अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख़तानून अन्फ़ुसकुम ...) 'अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि तुम अपने नफ़्सों के साथ ख़यानत करते हो।' चूनांचे ये फ़रमान इसी सिलसिले में है जिसके ज़रिये से अल्लाह तआला ने लोगों को नफ़ा दिया है और उनके लिए रूख़सत और आसानी फ़रमा दी है।

(2313) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/201.

फ़ायदा : इस हदीस़ की रू से पहले ये मसला था कि इशा की नमाज़ के बाद खाना पीना और बीवी से मुबाशरत करना ममनूअ था, लेकिन एक स़हाबी से इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद ये कोताही हो गई कि वह बीवी के साथ हमबिस्तरी कर बैठा तो उसके बाद अल्लाह तआला ने रूख़सत इनायत फ़रमा दी। (मज़ीद तफ़्सील अगली हदीस़ के फ़वाइद में देखिये)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا . فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَكَ . فَلَمْ يَنْتَصِفِ

(2314) हज़रत बराअ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि आदमी जब रोज़ा रखना चाहता और सो जाता तो फिर वह अगली शाम तक कुछ न खा सकता था। हज़रत स़िरमा बिन क़ैस अन्सारी (رضي الله عنه) अपनी ज़ोजा के पास आये जबकि उन्होंने रोज़ा रखा हूआ था और उससे कहा: क्या तेरे पास (खाने की) कोई चीज़ है? उसने कहा: नहीं मगर मैं जाती हूं और आपके लिए कुछ तलाश कर लाती हूं। वह चली गई और इस बीच में स़िरमा की आँख लग गई। जब वह आई (और उनको सोते हूए पाया) तो कहने लगी। अफ़सोस आपके ख़सारे पर! चूनांचे दोपहर न हूई कि उन्हें ग़शी आ गई, और वह दिन को अपनी ज़मीन में काम किया

النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ {مِنَ الْفَجْرِ} .

करते थे। तो नबी (ﷺ) को ये वाक़िआ बताया गया, उसके बाद ये आयते करीमा नाज़िल हूई: (उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर्रफ़सु इला निसाइकुम) ... आपने (मिनल फ़ज्र) तक क़िराअत की। 'रोज़े की रात में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से मुबाशरत हलाल की गई है, वह तुम्हारा लिबास हैं और तु उनका लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने नफ़्सों के साथ ख़्यानत कर बैठते हो, सो उसने तुम पर रूजू फ़रमाया और तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अब अपनी औरतों से मुबाशरत कर सकते हो और तलब करो वह जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़र्रर फ़रमाया है। और खाओ पीयो यहाँ तक कि फ़ज्र के वक़्त सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से जुदा नज़र आने लगे।'

(2314) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1915.

तौज़ीह व फ़वाइद : (1) इस हदीस से पिछली हदीस के बरअक्स ये बात साबित होती है कि पहले मसला ये था कि सो जाने के बाद, रात को खाना पीना और बीवी से हमबिस्तरी करना मना था। शारेहीन ने इनके दरम्यान ये रास्ता निकाला है कि इन दोनों में से जो काम भी हो जाता था, उसके बाद अगली रात तक उसके लिए पिछला काम ममनूअ हो जाते थे। इसके बाद अल्लाह तआला ने गुरूबे शम्स से लेकर सुबह सादिक़ तक पिछले कामों की इजाज़त दे दी, जिससे मुसलमानों को बड़ी रूख़्सत और सहूलत हासिल हो गई। **(2)** इमाम अबू दाऊद इस अम्र के क़ायल हैं कि रमज़ान के रोज़े बराहे रास्त फ़र्ज़ किये गये थे उनसे पहले आशूरह वग़ैरह के रोज़े फ़र्ज़ न थे। वल्लाहू आलम!

﴿2﴾ باب نَسْخِ قَوْلِهِ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }

बाब : 2 आयते करीमा (व अलल लज़ीना यूतीक़ूनहू फिद्यतुन) के मन्सूख़ होने का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

(2315) हज़रत सलमा बिन अकवअ (ﷺ) कहते हैं कि जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई: 'और जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते हों वह एक मिस्कीन के खाने का फ़िद्या दें।' तो हममें से जो चाहता रोज़ा छोड़ देता और फ़िद्या देना चाहता तो फ़िद्या दे दिया करता था यहाँ तक कि इसके बाद वाली आयत उतरी जिसने इस (रूख़सत) को मन्सूख़ (खत्म) कर दिया।

(2315) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4507, व मुस्लिम: 1145.

फ़ायदा : बाद वाली आयत से मुराद है: 'यानी जो इस महीने में हाज़िर हो, वह इसके रोज़े रखे।' (अलबक़र: 185)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

(2316) इक्रिमा से मनक़ूल है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) आयते करीमा: (व अलल लज़ीना यूतीक़ूनहू फिद्यतुन तआमु मिस्कीन) के सिलसिले में फ़रमाते हैं कि जो कोई एक मिस्कीन का फ़िद्या देना चाहता, दे देता था और उसका रोज़ा पूरा और कामिल समझा जाता था। फिर अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (फमन ततव्वआ खैरन फहुवा ख़ैरूल लहू व अन तसूमु ख़ैरूल लकुम) 'जो ख़ूशी से भलाई करे (मिस्कीन को खाना

خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وَقَالَ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

खिलाये) तो ये उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है।' और फ़रमाया: (फ़मन शहिदा मिन्कुमुश्शहरा फल्यसुम्हु व मन काना मरीज़न औ अ़ला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र) 'जो शख़्स इस महीने में हाज़िर हो तो उसे चाहिए कि इसके रोज़े रखे। और जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वह दूसरे दिनों में इनकी गिनती पूरी करे।'

(2316) तख़रीज : (सनद हसन)

(3) باب مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

बाब : 3
ऊपर दी गई आयत बड़े बूढ़े और हामला के हक़ में साबित है

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ .

(2317) इक्रिमा ने बयान किया कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: आयते करीमा: (व अ़लल लज़ीना यूतीक़ूना फिदयतुन तआ़मु मिस्कीन) हामला और दूध पिलाने वाली के हक़ में मुहकम है। (मन्सूख़ नहीं है)

(2317) तख़रीज : (सनद स़ही)

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ

(2318) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि आयते करीमा: (व अ़लल लज़ीना यूतीक़ूना फिदयतुन तआ़मु मिस्कीन) की तफ़्सीर में उन्होंने कहा कि बड़ी उ़मर के बूढ़े मर्द और औ़रत के लिए रूख़्सत है कि बावजूद रोज़े की ताक़त के रोज़ा छोड़ सकते हैं। वह हर दिन के बदले

وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا .

एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। इस तरह हामला और दूध पिलाने वाली औरतों को जब अन्देशा हो। (तो वह भी इफ़्तार कर सकती हैं)

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: मक़सद ये है कि जब उन्हें अपने बच्चे के बारे में (बीमारी या कमज़ोरी वग़ैरह का) अन्देशा हो तो इफ़्तार कर सकती हैं और उसके बदले खाना खिला दिया करें।

(2318) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/230.

तौज़ीह व फ़वाइद : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की ये रिवायत, जिस तरह यहां अबू दाऊद में आई है, शाज़ है, इसलिए हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ अश्शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास वग़ैरह की दीगर सही रिवायात से ये मसला साबित है जो इसमें बयान हूआ है। जिसका ख़ुलासा ये है कि पिछली आयत आम लोगों के हक़ में मन्सूख़ है और उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। मगर कुछ बूढ़े जो रोज़ा रखने को तो रख लें मगर उसके असरात रोज़ा रखने के बाद मुतहम्मिल न हो सकते हों और उन्हें बहुत ज़्यादा मशक़्क़त होती हो तो उनके लिए फ़िदया देकर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और ऐसे ही हामला और दूध पिलाने वाली औरत का मसला है कि अगर उनके रोज़ा रखने से रहम में ज़ेरे परवरिश या दूध पीते बच्चे की बाबत अन्देशा हो, तो उनके लिए भी फ़िदये की रूख़सत है। गोया ज़्यादा बूढ़े मर्द व औरत को उनकी अपनी ज़ाती कमज़ोरी की बिना पर रूख़सत दी गई है और हामला व मुरज़िआ को रूख़सत बच्चों की अन्देशे के पेशे नज़र दी गई है। ताहम हामला और मुरज़िआ बाद में क़ज़ा दें या न दें? इसकी बाबत इख़्तिलाफ़ है। एक राय तो ये है कि उनके लिए फ़िदया ही काफ़ी है, बाद में क़ज़ा नहीं। दूसरा मौक़िफ़ हाफ़िज़ इब्ने हज़्म का है जो उन्होंने 'अलमहल्ली' (मसला नम्बर 770) में बयान किया है। और वह ये है कि उन पर क़ज़ा है न फ़िदया। तीसरी राय ये है कि फ़िद्ये तआम के अलावा बाद में वह क़ज़ा भी दें। चौथी राय है कि वह मरीज़ के हुक्म में हैं, वह रोज़ा छोड़ दें, उन्हें फ़िद्या देने की ज़रूरत नहीं, और बाद में क़ज़ा दें। फ़ज़ीलतुश्शैख़ मोलाना मुहम्मद अली (रह.) ने इसी राय को तर्जीह दी है। (इन्जा ज़ुलहाजा शरह सुनन इब्ने माजा: 5/566) और सऊदी उलमा की भी यही राय है। (फ़तवा इस्लामिया उर्दू: 2/203–205) हज़रत इब्ने अब्बास की इस मौक़ूफ़ रिवायत की इस्नादी बहस के लिए देखिए (अरवा अलग़लील, हदीस: 912)

बाब : 4
महीना उन्तीस दिन का भी होता है

﴿4﴾ باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَهَكَذَا " . وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبَعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِينَ .

(2319) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी उम्मत हैं, हम लिखना नहीं जानते और न (दक़ीक़) हिसाब कर सकते हैं। (आपने दोनों हाथों की दसों ऊंगलियाँ फैलाकर इशारे से फ़रमाया) महीना ऐसे होता है और ऐसे होता है और ऐसे होता है।' और तीसरी बार में सुलेमान बिन हर्ब ने अपनी एक ऊंगली बंद कर ली। यानी उन्तीस दिन और तीस दिन।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1913, व मुस्लिम: 1080.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (उम्मतुन उम्मिय्यतुन) 'उम्मी उम्मत' इस कलिमा की तौज़ीहात में से एक तौजीह ये है कि ये (उम्म) 'माँ' की तरफ़ मन्सूब है और मुराद है ऐसे लोग जो इल्म व मारिफ़त के मसाइल में मादरी सिफ़ात पर क़ायम हों जिसे हम 'इल्म से कोरे' से ताबीर कर सकते हैं। और अ़रब में तअ़ल्लुम (पढ़ाई लिखाई का सिस्टम) इस्लाम की बरकत ही से आया है, इससे पहले उनमें ये फ़ुनून गिनती के लोग जानते थे। इसीलिए इसका तर्जुमा 'अनपढ़' कर दिया जाता है। **(2)** क़मरी महीने कभी उन्तीस दिन के होते हैं और कभी तीस दिन का अठाईस या इकतीस के नहीं हो सकते। **(3)** अबू दाऊद की इस रिवायत में इख़्तिसार है। दूसरी रिवायत में है कि दूसरी मर्तबा आपने दोनों हाथों की ऊंगलियों के साथ तीन मर्तबा इशारा किया। यानी महीना कभी 29 दिन का और कभी 30 दिन का होता है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا

(2320) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस दिन का (भी) होता है। सो चाँद देखे बग़ैर न रोज़े शुरू करो और न देखे बग़ैर ख़त्म करो। अगर बादल के बाइस़ नज़र न आये तो

حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ " . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ فَإِنْ رُؤِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلاَ يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ .

इस महीने के तीस दिन का अन्दाज़ा लगा लो।' चूनांचे जब शाबान की उन्तीस तारीख़ होती तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर के लिए चाँद देखा जाता। अगर नज़र आ जाता तो बेहतर और अगर दिखाई न देता और नज़र न आने में कोई बादल या ग़ुबार भी हायल न होता तो वह रोज़ा न रखते। लेकिन अगर फ़िज़ा में कोई बादल या ग़ुबार हायल होता तो वह रोज़ा रख लेते। रावी ने बयान किया कि इब्ने उ़मर (ﷺ) लोगों के साथ ही रोज़ा छोड़ते और हिसाब के दर पे न होते।

(2320) तख़रीज : मुस्लिम: 1018.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बादल और ग़ुबार वग़ैरह जैसी रूकावट के बाइस़ चाँद नज़र न आने पर रोज़ा रख लिया करते थे मुमकिन है कि अगला दिन रमज़ान का हो। और वह इसको शक का दिन न समझते थे। वह शिद्दते एहतियात के तहत ऐसा करते और इसमें वह मुन्फ़रिद भी हैं, इसलिए राजेह यही है कि अब्र या ग़ुबार के बाइस़ चाँद नज़र न आये तो शाबान के तीस दिन पूरे किये जायेंगे। उस दिन का रोज़ा 'शक' का रोज़ा होगा जो कि ममनूअ़ है। अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) ने हज़रत इब्ने उ़मर का ये अ़मल ज़ईफ़ लिखा है।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ إِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ

(2321) हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अहले बस़रह की तरफ़ लिखा कि हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) से ये हदीस़ पहुँची है जैसे कि पिछली हदीस़ इब्ने उ़मर(ﷺ) की हदीस़ है। इसमें ये इज़ाफ़ा है: 'बेहतरीन अन्दाज़ा ये है कि अगर हमने शाबान का चाँद फ़ुलां फ़ुलां दिन देखा तो रोज़ा इन्शाअल्लाह फ़लां दिन का होगा मगर ये कि लोग इससे पहले ही चाँद देख लें।'

(2321) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/205, हदीस़: 2320 में देखें।

फ़ायदा : अस़ल ऐतबार और अहमियत चाँद देखने की है, महज़ हिसाब की नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِينَ .

(2322) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: हमने नबी (ﷺ) के साथ (रमज़ान में) उन्तीस उन्तीस रोज़े बहुत ज़्यादा रखे हैं और तीस तीस कम।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 689.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उन्तीस रोज़े मजमूई लिहाज़ से अज्र में तीस ही की तरह होते हैं, क्योंकि इस अ़मल की बुनियाद इख़्लास़ और इताअ़त पर है। **(2)** (मिम्मा सुम्ना) में 'मा' मौसूला या मस्दरिया है। (औ़नुल माबूद)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ " .

(2323) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अपने वालिद से, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: ईद के दोनों महीने यानी रमज़ान और ज़ुलहिज्जा कम नहीं होते हैं।'

(2323) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़:1912, व मुस्लिम: 1089.

तौज़ीह : इस हदीस़ की शरह में कई अक़्वाल हैं। अफ़ादाते हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) का हास़िल दर्ज ज़ेल है। **(1)** ये दोनों महीने एक ही साल में उन्तीस उन्तीस दिन के नहीं होते। इमाम अहमद की राय भी यही है। **(2)** ये बात तग़लीबी है यानी बिलउ़मूम नुक़्स (कमी) में जमा नहीं होते। अगर कभी हो भी जायें तो वह शाज़ है। **(3)** उ़लमा की एक जमाअ़त का ख़्याल है कि नबी (ﷺ) का ये फ़रमान उसी साल के लिए था। **(4)** ये दोनों महीने अज्र व स़वाब में कम नहीं होते ख़्वाह गिनती में उन्तीस दिन ही के हों। अल्लाह के यहां अज्र व स़वाब पूरा होता है। **(5)** इस क़ौल से मुराद अ़शरह ज़िलहिज्जा के फ़ज़ीलत का बयान है कि इन दिनों के आ़माल का स़वाब रमज़ान के बराबर होता है। अलबत्ता इन दोनों में तक़ाबुली (कम्प्रिजन के) तौर पर यूँ कहा जाता है कि आख़री अ़शरह रमज़ान और अव्वल अ़शरह ज़ुलहिज्जा में अ़शरह रमज़ान की रातों को फ़ज़ीलत है क्योंकि इनमें लैलतुल क़द्र है। और नबी(ﷺ) इन रातों में इबादत का जो एहतमाम फ़रमाते थे दीगर ज़माने में ऐसे न होता था। और दिनों के ऐतबार से अ़शरह ज़िलहिज्जा के दिन अफ़ज़ल हैं क्योंकि हदीस़ में कुर्बानी वाले दिन को 'दिनों में सबसे बड़ा दिन' फ़रमाया गया है। और यौमे अ़रफ़ा की फ़ज़ीलत भी मालूम व मारूफ़ है। **(6)** चूंकि ये महीने और दिन

अल्लाह के महबूब तरीन अय्याम हैं और इनमें किये जाने वाले आमाल बहुत मुबारक होते हैं। लिहाज़ा बतौर तर्ग़ीब फ़रमाया गया है कि इनकी कमी बेशी का ख़्याल मत करो बल्कि आमाले ख़ैर में मुसाबक़त की कोशिश करो। अज्र व सवाब में इन दोनों महीनों में कोई कमी नहीं होती।

बाब : 5
जब चाँद देखने में लोगों से ग़लती हो जाये

﴿5﴾

باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ قَالَ " وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ " .

(2324) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है (ये लम्बी हदीस का एक हिस्सा है) कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईदुल फ़ित्र उसी दिन है जब तुम इफ़्तार करो और ईदुल अज़्हा उसी दिन है जब तुम क़ुर्बानी करो। सारा मैदाने अरफ़ात वक़ूफ़ की जगह है और सारा मिना जाए क़ुर्बानी है, मक्का के तमाम रास्ते क़ुर्बानी की जगह हैं और सारा मुज़दलफ़ा वक़ूफ़ की जगह है।'

(2324) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 2/164, बैहक़ी, 3/317, इब्ने माजा, हदीस: 1660.

फ़ायदा : इज्तेहादी उमूर में ख़ता माफ़ है। ईद या हज के मौक़े पर चाँद नज़र न आया हो और लोग महीने के तीस दिन पूरे कर लें और बाद में पता चले कि चाँद तो उन्तीस का था तो उन पर रोज़े और वक़ूफ़े अरफ़ात व क़ुर्बानी का कोई ऐब नहीं। ऐसे ही अगर कई झूठे इकट्ठे होकर उन्तीस ही को चाँद होने का मशहूर कर दें और मुसलमान उनके बहकावे में आकर इफ़्तार कर लें या वक़ूफ़े अरफ़ात व क़ुर्बानी हो जाये तो इसमें आम मुसलमानों पर कोई ऐब नहीं। हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ बे दीनों ने तौबा करने के बाद इज़्हार किया कि हम चंद लोग मिलकर चाँद होने का दावा कर देते थे, शहादतें और क़समें भी खा लेते थे और ईद करवा देते थे। अलअयाज़ बिल्लाह. ऐसी सूरत में कि इज़ाला ना मुमकिन हो तो ख़ता माफ़ है।

बाब : 6
जब मत्लअ़ अब्र आलूद हो (और चाँद नज़र न आ सके)

﴿6﴾
باب إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ .

(2325) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान की तारीख़ों की इतनी केयर करते थे कि दूसरे महीनों में इतनी केयर न करते थे। फिर चाँद देख कर रमज़ान के रोज़े रखने शूरू करते अगर कभी (शाबान की उन्तीस तारीख़ को) मत्लअ़ अब्र आलूद होता, तो तीस दिन पूरे करते और फिर रोज़े रखना शूरू करते।

(2325) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अ़ब्दुलबर तम्हीद: 14/353, मुसनद अहमद: 6/149, स़ही इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 1910, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 869, हाकिम: 1/423.

फ़ायदा : ग़ैर यक़ीनी सूरत में रोज़ा रखना ठीक नहीं है। ये शक का दिन शुमार होगा, नीज़ इस्तेक़बाल की नियत से रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मना है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ

(2326) ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना शूरू होने से पहले रोज़े मत रखो यहाँ तक कि चाँद देख लो या (तीस की) गिनती पूरी कर लो, फिर रोज़े रखते जाओ यहाँ तक कि चाँद देख लो या (तीस की) गिनती पूरी कर लो।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को सुफ़ियान वग़ैरह ने मन्सूर से, उन्होंने रिबई से, उन्होंने एक स़हाबी से बयान किया है और इस सनद

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ .

में (सहाबी के नाम) हुज़ैफ़ा की सराहत नहीं है।
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2128, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1911, इब्ने हिब्बान, हदीस: 875.

(7) بَاب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

बाब : 7
अगर रमज़ान की उन्तीस्वीं को अब्र हो (और चाँद दिखाई न दे) तो तीस रोज़े पूरे करो

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا " ثُمَّ أَفْطِرُوا " . قَالَ أَبُو

(2327) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना (रमज़ान) शुरू होने से पहले एक दो दिन के रोज़े मत रखो (इस्तेक़बाली रोज़े मत रखो) मगर ये कि कोई शख़्स उस दिन का रोज़ा रखा करता हो। चाँद देखकर रोज़े शुरू करो, फिर रखते जाओ यहाँ तक कि (शव्वाल का) चाँद देख लो। अगर इसके दिखाई देने में कोई बादल (वग़ैरह) हायल हो तो तीस की गिनती पूरी कर लो और फिर रोज़े छोड़ दो। और महीना उन्तीस दिन का (भी) होता है।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को हातिम बिन अबी सग़ीरह, शौबा और हसन बिन सालेह ने सिमाक से इसी (पिछली) रिवायत के हम मानी बयान किया है मगर 'रोज़े मौक़ूफ़ कर दो' का जुमला उनकी रिवायत में नहीं है।

अबू दाऊद ने कहा: 'हातिम बिन अबी सग़ीरह' का

دَاوُدَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ.

नसब यूँ है: 'हातिम बिन मुस्लिम बिन अबी सग़ीरह' और 'अबू सग़ीरह' हातिम का सौतेला बाप था।

(2327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 688, नसाई, हदीस़: 2131.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन कुछ के नज़दीक स़ही है, क्योंकि ये बातें स़ही रिवायात में बयान हूई हैं। रमज़ान शूरू होने से एक दो दिन पहले अगर कोई क़ज़ा या नज़र का रोज़ा पूरा करना चाहता हो या उसकी आदत हो कि सोमवार और जुमेरात के रोज़े रखता हो तो रख सकता है, ये इस्तिक़बाली रोज़े शुमार न होंगे, क्योंकि ये उसके दायमी और मुसलसल अमल का हिस्सा है।

﴾8﴿ بَابٌ فِي التَّقَدُّمِ

बाब : 8
इस्तिक़बाले रमज़ान का मसला

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا " . وَقَالَ أَحَدُهُمَا " يَوْمَيْنِ " .

(2328) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से पूछा: 'क्या तूने शाबान के आख़िर में कोई रोज़ा रखा है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'जब (रमज़ान के) रोज़े पूरे कर लो तो एक दिन रोज़ा रख लेना।' (स़ाबित या सईद जुरैरी दोनों से किसी) एक ने बयान किया कि 'दो दिन'

(2328) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1983, व मुस्लिम: 1161.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ पिछली हदीस़ से अलग दिख रही है जिसमें है कि 'रमज़ान शूरू होने से पहले एक दो दिन के रोज़े मत रखो।' मगर इनमें जमा की सूरत ये है कि ये रूख़्सत और ताकीद उस शख़्स के लिए है जिसने किसी रोज़े की नज़र मानी हो या वह पहले से ख़ास़ दिन के रोज़े रखने का आदी हो तो उसे चाहिए कि हस्बे मामूल अपने रोज़े रखे। मगर कोई अपनी साबिक़ा आदत या नज़र के बग़ैर बतौर नफ़्ल के इस्तिक़बाली रोज़ा रखना चाहे तो इजाज़त नहीं है। **(2)** नबी(ﷺ) ने जिस शख़्स को रमज़ान के बाद एक या दो रोज़े रखने की ताकीद फ़रमाई, वह शख़्स महीने के आख़िर

में रोज़े रखा करता था, लेकिन उसने शाबान के आख़िर में इसलिए रोज़े छोड़ दिये थे कि ये कहीं इस्तेक़बाली रमज़ान के ज़ेल में न आ जायें जो ममनूअ हैं। (3) लफ़्ज़ (सरर) के मुख़्तलिफ़ मआनी नीचे की रिवायत के बाद मज़कूर हैं।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ شَىْءٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ "

(2329) अबू अज़हर मुग़ीरह बिन फ़रवह से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) दैरे मिसहल में लोगों को ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हूए जो कि बाबे हिम्स़ के पास है। उन्होंने कहाः लोगो! हमने (शाबान का) चाँद फुलां फुलां दिन देखा था, मैं (चाँद होने से) पहले रोज़े शूरू कर रहा हूं, जो ऐसा करना चाहे कर ले। फिर मालिक बिन हुबैरा अस्सबई उनके सामने खड़ा हूआ और कहाः ऐ मुआविया! इस सिलसिले में आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ सुना है या ये आपकी अपनी राय है? कहाः मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुनाः 'महीने में रोज़े रखा करो और उसके आख़िर में भी।' (दूसरा तर्जुमाः रमज़ान के रोज़े रखो और उसके अव्वल में भी। यानी आख़री शाबान में)

(2329) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानीः 19/384, हदीस़: 901, व मुसनद अश्शामिय्यीनः 1/451, हदीस़: 795.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، - فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ

(2330) जनाब अबू अम्र ओज़ाई बयान करते हैं कि (सिर्रूहु) के मानी 'महीना की शुरूआत' हैं।

(2330) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 4/211.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ كَانَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سِرُّهُ وَسَطُهُ وَقَالُوا آخِرُهُ .

(2331) जनाब सईद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बयान करते हैं कि (सिरूहु) के मानी 'महीना का शुरू' हैं।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: कुछ अहले लुग़त इसका तर्जुमा 'वस्त' और कई 'आख़री महीना' भी करते हैं।

(2331) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/211.

मल्हूज़ : इमाम ओज़ाई और इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के अक़वाल शाज़ हैं। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद) गोया सरर या सिर के मानी वस्त या आख़िर ही सही हैं और आख़री सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि इसके मानी पोशीदगी के हैं। और चाँद महीने के आख़िर में एक या दो दिन ग़ायब (पोशीदा) रहता है। इस ऐतबार से इसके मानी 'आख़िर' राजेह हैं।

(9) بَابُ إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

बाब : 9 चाँद जब एक शहर (इलाक़े) में दूसरों से एक रात पहले नज़र आ जाये

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتُهِلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ

(2332) जनाब कुरैब कहते हैं कि (हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) की वालिदा) उम्मुल फ़ज़ल बिन्ते हारिस़ (رضي الله عنها) ने मुझे शाम में हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) के पास भेजा। चूनांचे मैं शाम आया और वहां उनका काम मुकम्मल किया, और रमज़ान का चाँद नज़र आ गया जबकि मैं अभी शाम ही में था। हमने जुमा की रात को चाँद देखा। फिर महीने के आख़िर में मैं मदीने वापस पहुँचा तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने मुझसे हाल

لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَفَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

अहवाल पूछा और चाँद का ज़िक्र किया कि तुमने उसे कब देखा था? मैंने कहा: मैंने उसे जुमा की रात को देखा था? उन्होंने कहा: क्या तुमने ख़ूद देखा था? मैंने कहा: हाँ, और दूसरे लोगों ने भी देखा था और फिर सब ने रोज़े रखे और मुआविया (ﷺ) ने भी रोज़ा रखा। उन्होंने कहा मगर हमने उसे हफ़्ते की रात को देखा था और हम रोज़े रखेंगे और पूरे तीस करेंगे (अपनी रूयत के मुताबिक़) या चाँद देख लें। मैंने कहा: क्या आप मुआविया (ﷺ) के चाँद देखने और रोज़े रखने पर किफ़ायत नहीं करेंगे? उन्होंने कहा: नहीं, नबी (ﷺ) ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया है।

(2332) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/211.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का मक़सद ये है कि हर इलाक़े वालों के लिए उनकी अपनी रूयत का ऐतबार है। इमाम शाफेई (रह.) इसमें मज़ीद यूँ फ़रमाते हैं कि अगर मुख़तलिफ़ इलाक़ों का मत्लअ एक हो तो एक दूसरे की रूयत उनके लिए मोतबर होगी वरना नहीं। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) का भी यही मज़हब है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِفِي رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الأَحَدِ فَقَالَ لاَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلاَ أَهْلُ مِصْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الأَحَدِ فَيَقْضُونَهُ .

(2333) हसन (बसरी) से मरवी है कि एक शख़्स जो किसी शहर में हो और उसने सोमवार का रोज़ा रखा हो, फिर दो आदमी गवाही दें कि उन्होंने इतवार की रात (हफ़्ते की शाम) को चाँद देखा है। तो हसन ने कहा: ये आदमी और उसके शहर वाले उस दिन का रोज़ा क़ज़ा न करें मगर ये की उन्हें बख़ूबी इल्म हो कि मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर वालों ने इतवार का रोज़ा रखा है, तब ये उसकी क़ज़ा करें।

(2333) तख़रीज : (सनद सही) अहकामुल क़ुर्आन, 1/276, मिन हदीसे अबी दाऊद.

फ़ायदा : सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में हसन बसरी का ये असर नहीं है।

बाब : 10
शक के दिन का रोज़ा रखना मकरूह (हराम) है

﴿10﴾ باب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

(2334) जनाब सिला बयान करते हैं कि हम हज़रत अम्मार (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे और वह दिन मशकूक था (चाँद होने की ख़बर वाज़ेह न हूई थी) तो बकरी का गोश्त पेश किया गया। पस मजलिस में से कुछ लोग एक तरफ़ हो गये। हज़रत अम्मार (ﷺ) ने कहा: जिसने इस दिन का रोज़ा रखा है उसने अबू अलक़ासिम(ﷺ) की नाफ़रमानी की है।

(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 686, नसाई, हदीस: 219, इब्ने माजा, हदीस: 1645, बुख़ारी तालीक, हदीस: 1906, हाकिम: 1/424.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शक के दिन' से मुराद ये है कि न मालूम आज चाँद हूआ है या नहीं? **(2)** इस रिवायत का मफ़हूम सही रिवायात से साबित है, इसीलिए कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही कहा है।

बाब : 11
जो कोई शाबान को रमज़ान के साथ मिला दे

﴿11﴾ باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ

(2335) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़े मत रखो मगर जो कोई शख़्स किसी दिन का रोज़ा रखता रहा हो तो वह रख ले।'

وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ "

(2335) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1914, व मुस्लिम: 1082.

फ़ायदा : (1) शाबान को रमज़ान के साथ मिलाने का मफ़हूम ये है कि शाबान में रोज़े रखे यहाँ तक कि रमज़ान शुरू हो जाये। **(2)** शरीअ़त की हिकमत ये मालूम होती है कि इबादत और आ़दत में फ़र्क़ किया जाना चाहिए, इसलिए कि अगर किसी ने ये आ़दत बनाई हो कि वह सोमवार और जुमेरात को मसनून रोज़े रखता हो या इत्तेफ़ाक़न कोई नज़र मान ली या कोई क़ज़ा का रोज़ा बाक़ी हो तो उसके लिए रूख़्सत है कि रमज़ान शुरू होने से एक दो दिन पहले रोज़ा रख ले।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

(2336) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) नबी (ﷺ) के मुताल्लिक़ बयान करती हैं कि आप साल में किसी महीने के पूरे रोज़े न रखते थे मगर शाबान में, कि उसे रमज़ान के साथ मिला देते थे।

(2336) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 2355, मुसनद अहमद: 6/311.

तौज़ीह : हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) का ये बयान बतौर जवाज़ का है। जिसका मतलब ज्यादा है। जैसा कि दीगर अहादीस़ में है कि नबी (ﷺ) शाबान में कस़रत से रोज़े रखते थे। स़ही मुस्लिम में हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत है।

(12) بَاب فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ

बाब : 12
निस़्फ़ शाबान के बाद रोज़े रखने की कराहत

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

(2337) अ़ब्बाद बिन कस़ीर मदीना आये और जनाब अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान की मज्लिस में आ गये। पस अ़ब्बाद ने अ़ला का हाथ पकड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया फिर कहा: ऐ अल्लाह! ये शख़्स़ अपने बाप से

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا " . فَقَالَ الْعَلاَءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ .

वह हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब शाबान आधा गुज़र जाये तो रोज़ा न रखो।' फिर अ़ला ने कहा: या अल्लाह! मेरे वालिद (अ़ब्दुर्रहमान) ने मुझे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से यही हदीस़ बयान की।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को स़ौरी, शिब्ल बिन अ़ला, अबू उ़मैस और ज़ुहैर बिन मुहम्मद भी अ़ला से बयान करते हैं।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: अ़ब्दुर्रहमान (बिन महदी) ये रिवायत बयान नहीं किया करते थे, मैंने इमाम अहमद से पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा: क्योंकि उनके पास ये हदीस़ थी कि 'नबी (ﷺ) शाबान को रमज़ान के साथ मिला देते थे।' और इस रिवायत में उसके ख़िलाफ़ मरवी है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक इसमें कोई मुख़ालिफ़त नहीं है। अ़ला के अ़लावा इसे और कोई रिवायत नहीं करता और और वह भी अपने बाप से रिवायत करता है।

(2337) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 738.

फ़ायदा : निस्फ़ शाबान के बाद रोज़ों की कराहत ऐसे लोगों के लिए है जो उन दिनों के रोज़ों के आ़दी न हों। अगर आ़दत हो तो रख लेने में हर्ज नहीं, नीज़ नहीं से मक़सद ये है कि रमज़ान में कमज़ोरी का एहसास न हो।

बाब : 13
शव्वाल का चाँद देखने में दो आदमियों की शहादत होनी चाहिए

(2338) हुसैन बिन हारिस़ जदली ... क़ैस के क़बीला जदीला से हैं ... बयान करते हैं कि अमीरे मक्का ने ख़ुत्बा दिया और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे वादा लिया कि हम चाँद देखकर हज के अरकान अदा करें। अगर हम ख़ूद न देख सकें और दो आ़दिल गवाह गवाही दे दें तो हम उनकी गवाही पर हज कर लें। (अबू मालिक कहते हैं) मैंने हुसैन बिन हारिस़ से पूछा: अमीरे मक्का कौन था? उसने कहा: मुझे मालूम नहीं। बाद में वह मुझे दोबारा मिला तो बताया कि वह (अमीर) हारिस़ बिन हातिब थे, यानी मुहम्मद बिन हातिब के भाई। फिर अमीर ने कहा: बिलाशुब्हा तुममें वह शख़्सीयत मौजूद है जो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के मुताल्लिक़ मुझसे ज़्यादा बा'ख़बर है, इस बात की शहादत उसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दी है और अपने हाथ से एक आदमी की तरफ़ इशारा किया। हुसैन ने बताया ... मैंने अपने पहलू में बैठे हूए एक शख़्स़ से पूछा: ये आदमी कौन है जिसकी तरफ़ अमीर ने इशारा किया है? तो उसने कहा: ये हज़रत

﴿13﴾ باب شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ، - مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لاَ أَدْرِي . ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي

أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) हैं और उसने सच कहा कि ये अल्लाह के मुताल्लिक़ उससे ज़्यादा जानते थे (अहकामे शरीअ़त) तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने कहाः रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इसी बात का हुक्म दिया है।

(2338) तख़रीज : (सनद हसन) दारक़ुतनी: 2/167, हदीस़: 2172.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ .

(2339) रिबई बिन हिराश, अस्हाबे नबी (ﷺ) में से किसी से रिवायत करते हैं कि रमज़ान के आख़री दिन के मुताल्लिक़ लोगों का इख़्तिलाफ़ हो गया। तो दो आ़राबी आये और उन्होंने नबी(ﷺ) के सामने अल्लाह की गवाही दी (क़समें उठाईं) कि उन्होंने कल शाम को चाँद देखा है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़्तार कर लें। और ख़ल्फ़ बिन हिशाम की रिवायत में मज़ीद ये है कि आपने फ़रमायाः 'अगले दिन सुबह को (ईद पढ़ने के लिए) ईदगाह जायें।'

(2339) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/314, दारक़ुतनी: 2/169, हदीस़: 2182.

फ़ायदा : रमज़ानुल मुबारक का चाँद हो जाने का यक़ीन या तो शाबान के तीस दिन पूरे हो जाने पर है या लोगों की गवाही पर कि उन्होंने चाँद देखा है, ख़्वाह कोई एक आ़दिल मुसलमान ही हो, जैसे कि अगले बाब की अहादीस़ में आ रहा है। इसी तरह इन्तेहाए रमज़ान के मौक़े पर भी। ताहम आ़म फ़क़ीह दो आ़दिल मुसलमानों की रूयत (देखने) को ज़रूरी समझते हैं जबकि अबू स़ौर, अबूबक्र बिन मुन्ज़िर, अहले ज़ाहिर और इमाम हसन की इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से एक रिवायत में एक मुसलमान की रूयत को भी हुज्ज़त समझा गया है अल्लामा शौक़ानी की तरजीह भी यही मालूम होती है कि रोज़े छोड़ने के मौक़े पर दो आदमियों की गवाही किसी मेअ़यारी दलील से स़ाबित नहीं। माली

मामलात ही ऐसे हैं जहां दो गवाह लाज़िम होते हैं। मगर रोज़ों के मुताल्लिक़ स़रीह हुक्म है कि चाँद देखकर रखो और चाँद देखकर इफ़्तार करो। और इबादात में ख़बरे वाहिद मोतबर होती है। (फ़िक़्हुस्सुन्नह लिस्सय्यद साबिक बिमा यस्बुतुश्शहरू व नैलुल औतार बाब मा यस्बुतु बिहिस्सौम वलफित्र मिनश्शुहूर) नीज़ ईद का चाँद होने की ख़बर अगर देर से मिले और ईद के लिए जमा होना मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ पढ़ ली जाये।

बाब : 14
रमज़ान के चाँद में एक आदमी की गवाही भी काफ़ी है

﴿14﴾ بابٌ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - عَنْ زَائِدَةَ، - الْمَعْنَى - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا"

(2340) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक आ़राबी (गाँव का रहने वाला) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मैंने चाँद देखा है। हुसैन बिन अ़ली ने अपनी हदीस़ में स़राहत करते हुए कहा कि मुराद है रमज़ान का चाँद। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू ला इलाह इल्लल्लाह की गवाही देता है?' उसने कहा: हाँ। आपने पूछा: क्या तू गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसने कहा: हाँ आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि सुबह रोज़ा रखें।'

(2340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 691, नसाई, हदीस़: 2115, इब्ने माजा,हदीस़: 1652, हदीस़: 2238 में देखें।

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

(2341) इक्रिमा बयान करते हैं कि स़हाब-ए किराम (رضي الله عنهم) को एक बार रमज़ान के चाँद में शक हो गया। पस उन्होंने इरादा किया कि न

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لاَ يَقُومُوا وَلاَ يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

क़याम करें और न रोज़ा रखें। तो हर्रह की तरफ़ से एक आराबी आया। उसने गवाही दी कि उसने चाँद देखा है। उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया, आपने फ़रमाया: 'क्या तू ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है?' 'उसने कहा: हाँ और शहादत दी कि उसने चाँद देखा है। तब आप (ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो कि रात को क़याम करें और (सुबह को) रोज़ा रखें।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को एक जमाअ़त ने बवास्ता सिमाक, इक्रिमा से मुरसल रिवायत किया है। और क़याम का ज़िक्र हम्माद बिन सलमा के अ़लावा किसी ने नहीं किया।

(2341) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2116, हदीस़: 2340 में देखें।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، - وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتْقَنُ - قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .

(2342) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) का बयान है कि लोगों ने चाँद देखने की कोशिश की। पस मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर दी कि मैंने देख लिया है। तो आप (ﷺ) ने रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म फ़रमाया।

(2342) तख़रीज : (सनद स़ही) दारकुतनी: 2/156, दारमी, हदीस़: 1698, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 871, हाकिम: 1/423.

फ़ायदा : जब किसी मुसलमान पर कोई वाज़ेह जरह (कलंक) स़ाबित न हो तो उसे आ़दिल शुमार

किया जायेगा। और रमज़ान का चाँद होने के सिलसिले में कई फ़क़ीह हज़रात एक आदिल मुसलमान की गवाही को काफ़ी समझते हैं। इस हदीस़ से भी इसकी ताईद होती है। मज़कूर दोनों हदीसें (2340–2341) सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम इस स़ही हदीस़ में भी यही बात बयान की गई है।

बाब : 15
सहरी खाने की ताकीद

﴿15﴾
بَابٌ فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ

(2343) हज़रत अम्र बिन अलआस़ (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़, सहरी के खाने का है।'

(2343) तख़रीज : मुस्लिम: 1096.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ " .

फ़ायदा : मुसलमान की ज़िन्दगी के तमाम उमूर ... इबादात व मामलात ...नियते स़ालेह पर मबनी होने चाहिए। रोज़े में सुबह का खाना महज़ इस फ़िक्र से नहीं खाना चाहिए कि सारा दिन भूख और प्यास बरदाश्त करनी है। बल्कि इस नियत से खाना चाहिए कि अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह(ﷺ) की सुन्नत है, नीज़ अहले किताब से इम्तियाज़ भी है। और यही शरह है उस मारूफ़ हदीस़ की यानी (इन्नमल आमालु बिन्नियात) नियते स़ालेहा व तय्यबा से अमल के अज्र में बहुत इज़ाफ़ा हो जाता है। और शरीअत का अहम मुतालबा भी है कि मुसलमान मिल्ली तौर पर दूसरी उम्मतों से अपनी इबादात में भी अलग हों और आदात में भी।

बाब : 16
सहरी को ग़दाअ (यानी सुबह का खाना) कहना जायज़ है

﴾16﴿
باب مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

(2344) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रमज़ान में सहरी के लिए बुलाया और फ़रमायाः 'आओ! मुबारक खाना (ग़दाअ) खा लो।'

(2344) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 2165, इब्ने हिब्बान, हदीसः 881 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ " .

फ़ायदा : 'खाना' इन्सानी फ़ितरत का एक लाज़मा है मगर शरीअत की इत्तेबा में सहरी का खाना 'मुबारक खाना होता है। चूंकि नबी (ﷺ) नातिक़े वही हैं, अपनी मरज़ी से कुछ नहीं कहते, इसलिए अगर किसी की तबीअत में सहरी के लिए चाहत न भी हो तो एक दो लुक़्मे या खजूर या किसी जूस के चंद घूंट ज़रूर ले लेने चाहिए ताकि इस बरकत से हिस्सा मिल जाये।

(2345) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है।'

(2345) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ीः 4/236, 237, इब्ने हिब्बान, हदीसः 883.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ " .

फ़ायदा : खजूर सरतापा एक मुबारक दरख़्त है। और इसका फल सहरी और इफ़्तारी में इस्तेमाल करना बेहतर है।

बाब : 17
सहरी के वक़्त का बयान

(17) باب وَقْتِ السُّحُورِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الَّذِي هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ " .

(2346) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल की अज़ान तुम्हें तुम्हारी सहरी से हरगिज़ न रोके और न उफ़ुक़ की सफ़ेदी (जो कि सीधी ऊपर को चढ़ती है) यहाँ तक कि किनारों में फैलने लगे।'

(2346) तख़रीज : मुस्लिम: 1094.

फ़ायदा : फ़ज्र की दो क़िस्में हैं: फ़ज्रे काज़िब और फ़ज्रे स़ादिक़। फ़ज्रे काज़िब में सहरी खाई जाती है और फ़ज्रे स़ादिक़ शुरू होते ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। हज़रत बिलाल (ﷺ) फ़ज्रे काज़िब में लोगों को खबर देने के लिए अज़ान दिया करते थे। फ़ज्रे काज़िब में पहले सफ़ेदी (रोशनी) सीधी आसमान को उठती है, फिर जल्द ही दोबारा सफ़ेदी निकल कर अतराफ़े उफ़ुक़ में फैल जाती है और यही फ़ज्रे स़ादिक़ होती है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ

(2347) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल की अज़ान तुममें से किसी को सहरी खाने से हरगिज़ न रोके। बिलाशुब्हा वह अज़ान कहता है ... या कहा, निदा देता है ... ताकि तुम्हारा नमाज़ पढ़ने वाला रूक जाये (तहज्जुद से) और सोने वाला जाग जाये। और फ़ज्र (फ़ज्रे स़ादिक़) वह नहीं जो इस तरह से ज़ाहिर हो ... मुसद्दद ने कहा: रावी हदीस़ यहया ने अपनी दोनों हथेलियाँ मिलाकर उनको ऊँचा करके दिखाया (जो ऊँची और लम्बी रोशनी

अव्वले वक़्त होती है वह सुबह नहीं) आपने फ़रमाया: 'जब तक इस तरह ज़ाहिर न हो' और यहया ने अपनी शहादत की दोनों ऊंगलियाँ अतराफ़ में फैलाकर इशारे से समझाया।

أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى بِأُصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ .

(2347) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 621, व मुस्लिम: 1093.

(2348) क़ैस बिन तलक़ अपने वालिद से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(रात को) खाओ और पीयो, ऊपर चढ़ने वाली सफ़ेदी तुम्हें इससे न रोके, यहाँ तक कि उफ़ुक़ के अतराफ़ में सुरख़ी फैलनी शुरू हो जाये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: 'इस रिवायत में अहले यमामा मुन्फ़रिद (तन्हा) हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 705.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .

फ़ायदा : स़ही बात ये है कि अतराफ़ में सफ़ेदी फैलने लगे। ताहम कुछ दफ़ा मौसम अब्र आलूद हो, तो फिर सुरख़ी (लाली) सी भी फैलती हूई नज़र आती है, लेकिन आ़म हालात में सफ़ेदी ही फैलती है, न कि सुरख़ी।

(2349) हज़रत अ़दी बिन हातिम (رضي الله عنه) का बयान है कि जब ये आयते करीमा नाज़िल हूईः (हत्ता यतबय्यना लकुमुल ख़ैतुल अब्यज़ु मिनल ख़ैतिल अस्वद) '(तुम खाते पीते रहो) यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से नुमायाँ हो जाये।' तो मैंने दो रस्सियां ले लीं, एक सफ़ेद और दूसरी स्याह और उन्हें अपने तकिये के नीचे रख लिया। मैं उन्हें देखता रहा मगर वह मेरे लिए नुमायाँ और वाज़ेह न हूईं। मैंने ये बात

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، - الْمَعْنَى - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } . قَالَ أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ

وِسَادَتِي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ فَقَالَ " إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ " . قَالَ عُثْمَانُ " إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ " .

रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र की तो आप हंसे और फ़रमाया: 'तेरा तकिया तो बहुत लम्बा चौड़ा है। इससे मुराद तो रात और दिन है।' उ़स्मान के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'इससे मुराद तो रात की स्याही और दिन की सफ़ेदी है।'

(2349) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1916, व मुस्लिम: 1090.

फ़ायदा : इससे मालूम हूआ कि फ़हमे कुर्आन के लिए महज़ अल्फ़ाज़ का तर्जुमा या लुग़वी (डिक्श्नरी) मफ़हूम काफ़ी नहीं बल्कि अ़रबी अदब की फ़स़ाहत व बलाग़त के साथ साथ शारेअ़(ﷺ) की तशरीहाते (अहादीस़) को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है।

(18) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

बाब : 18
आदमी फ़ज्र की अज़ान सुने और बर्तन उसके हाथ में हो

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ "

(2350) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई अज़ाने (फ़ज्र) सुने और बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे रखे नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले।'

(2350) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/510, व हाकिम: 1/203.

फ़ायदा : सहरी का वक़्त तंग हो रहा हो और अज़ाने फ़ज्र अपने वक़्ते सुबह पर शूरू हो जाये तो इजाज़त है कि इंसान पानी पी ले और दो चार लुक़्मे ले ले, मगर चाय की तरह के मशरूब की चुस्कियाँ लेना दुरूस्त नहीं होगा।

बाब : 19
रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त

﴿19﴾
باب وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

(2351) जनाब आ़सिम अपने वालिद हज़रत उ़मर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: 'जब इधर से रात आ जाये (मशरिक़ की जानिब से) और उधर से दिन चला जाये (मग़रिब से)' मुसद्दद ने मज़ीद कहा: 'और सूरज ग़ुरूब हो जाये तो रोज़ेदार के लिए इफ़्तार का वक़्त हो गया।'

(2351) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1954, मुसनद अहमद, 1/28, 54, व मुस्लिम: 1100.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا " . زَادَ مُسَدَّدٌ " وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ".

(2352) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) बयान करते हैं कि (एक सफ़र में) हम नबी (ﷺ) के साथ गये जबकि आप रोज़े से थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आपने फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! उतरो और हमारे लिए सत्तू घोलो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रा शाम हो लेने दीजिए। आपने फ़रमाया: 'उतरो और हमारे लिए सत्तू घोलो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अभी तो दिन है। आपने फ़रमाया: 'उतरो और हमारे लिए सत्तू घोलो।' चूनांचे बिलाल उतरे, सत्तू घोला और फिर आपने नोश किया और फ़रमाया: 'जब देखो कि इधर से रात हो

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ " يَا بِلاَلُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ . قَالَ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قَالَ " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" . فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم ثُمَّ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

गई है तो बिलाशुब्हा रोज़ेदार के लिए इफ़्तार का वक़्त हो गया।' और आप (ﷺ) ने अपनी ऊंगली से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा फ़रमाया।

(2352) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1955, व मुस्लिम: 1101.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज ग़ूरूब होते ही इफ़्तार का वक़्त हो जाता है। डूब जाने के बाद इन्तेज़ार या एहतियात के कोई मानी नहीं। हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) का तअमीले इरशादे नबवी में देरी करना फ़िज़ा में सफ़ेदी वग़ैरह की वजह से था और वह समझ रहे थे कि सूरज शायद किसी पहाड़ वग़ैरह की ओट में है। हालांकि यकीनी तौर पर सूरज ग़ूरूब हो चुका था जैसा कि रावी हदीस़ ने बयान किया। **(2)** इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल भी किया गया है कि कुछ औक़ात ज़ाहिर उमूर की वज़ाहत करवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता, ताकि सम्भावित शक दूर हो जाये। **(3)** नीज़ स़ाहिबे इल्म को याद दिलाना कोई मायूब बात नहीं न ये बे'अदबी है।

(20) باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

बाब : 20 (सूरज डूब जाने के बाद) जल्दी इफ़्तार करना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ " .

(2353) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) से नक़ल करते हैं, आपने फ़रमायाः 'दीन उस वक़्त तक ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार करने में जल्दी करते रहेंगे क्योंकि यहूद व नस़ारा ताख़ीर से इफ़्तार करते हैं।'

(2353) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1698, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 2060, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 889, हाकिम: 1/431.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस फ़रमान में इफ़्तार के लिए खाने पीने की हिर्स़ का बयान नहीं बल्कि ये तर्ग़ीब व तशवीक़ है कि अल्लाह के हुक्म की तअमील और सुन्नते रसूल (ﷺ) पर अमल में जल्दी की जाये। और यही बात दीन के ग़ालिब होने की अलामत है कि मुख़ालिफ़ीने इस्लाम और दीन बेज़ार लोगों

के मुक़ाबले में दीन के छोटे बड़े तमाम अहकाम पर मिन व अ़न (वैसा के वैसा) अ़मल करके अपने आप को नुमायां रखा जाये। (2) इफ़्तार और नमाज़े मग़रिब में ताख़ीर करना और ख़्वाह मख़्वाह वहम में मुब्तला होना कि सूरज शायद अभी ग़ूरूब नहीं हूआ, अभी ग़ूरूब नहीं हूआ, ना पसन्द अ़मल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ . قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2354) जनाब अबू अ़तिया (मालिक बिन आ़मिर) से मरवी है, कहते हैं कि मैं और मसरूक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए। हमने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! नबी (ﷺ) के अस्हाब में से दो हज़रात का अ़मल कुछ इस तरह है कि उनमें से एक इफ़्तार करने और नमाज़े (मग़रिब) पढ़ने में जल्दी करता है और दूसरा इफ़्तार और नमाज़ में (क़द्रे) ताख़ीर करता है। उन्होंने पूछा: इफ़्तार और नमाज़ में जल्दी कौन करता है? हमने कहा: वह अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) (ﷺ) हैं। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(2354) तख़रीज : मुस्लिम: 1099.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ैरूल कुरून में सहाबा ए किराम (ﷺ) के अ़मल को भी रसूलुल्लाह(ﷺ) के क़ौल व अ़मल की कसौटी पर जाँचा जाता था, क्योंकि हुज्जत (दलील) मुतलक़न रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाते मुबारका है। (2) इफ़्तार और नमाज़े मग़रिब की अदायगी अव्वल वक़्त में करना मशरूअ़ व मसनून है। (3) क़द्रे (थोड़ी सी) ताख़ीर करने वाले सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) शायद एहतियात के ख़्याल से ताख़ीर करते थे, लेकिन अब औक़ात के कैलेण्डरों के बाद एहतियात के तौर पर ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है।

बाब : 21
किस चीज़ से इफ़्तार किया जाये?

﴿21﴾ باب مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ " .

(2355) जनाब सलमान बिन आमिर (رضي الله عنه) (ये रुबाब के चचा हैं) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी ने रोज़ा रखा हो तो चाहिए कि खजूर से इफ़्तार करे। अगर खजूर न पाये तो पानी से इफ़्तार करे, बिलाशुब्हा पानी पाक करने वाला है।'

(2355) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 695, इब्ने माजा, हदीसः 1699, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीसः 2067, इब्ने हिब्बान, हदीसः 896, हाकिम, 1/431.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हुक्म इरशाद व तर्ग़ीब है न कि अम्रे वजूब। इसलिए किसी भी खाने व पीने से रोज़ा इफ़्तार किया जा सकता है। **(2)** मुसलमानों को चाहिए कि खजूर जैसे मुबारक फल को अपने दस्तरख़्वान का हिस्सा बनाने का एहतिमाम करें। ये नेअ़मत लज़्ज़त व शीरीनी आमेज़ फल ही नहीं, बल्कि खाने के बराबर भी है। तहज़ीबे मग़रिब ने सेब को बहुत शोहरत दी है जो यक़ीनन अल्लाह की अ़ज़ीम पाकीज़ा नेअ़मत है मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर को जो फ़ज़ीलत दी है वह किसी और फल को हासिल नहीं, इसीलिए चाहिए कि इसकी काश्त भी बढ़ाई जाये। **(3)** मुसलमान जहां खाने पीने और पहनने की ज़ाहिरी सुन्नतों का एहतिमाम करते हैं, वहां उन्हें चाहिए कि अ़क़ीदा व अ़मल के मअ़नवी उमूर का इससे बढ़ कर एहतिमाम करें। **(4)** इस हदीस की इस्नादी मबाहिस के लिए देखिए, अरवा अलग़लील, हदीसः 922.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

(2356) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते, अगर ताज़ा खजूरें न होतीं, तो खुश्क खजूर

صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .

तनावुल फ़रमा लेते, ये भी न होतीं, तो पानी के चंद घूंट पी लिया करते थे।

(2356) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 696, मुसनद अहमद: 3/164, दारक़ुतनी: 2/185

﴿22﴾ باب الْقَوْلِ عِنْدَ الإِفْطَارِ

बाब : 22 रोज़ा इफ़्तार करने के वक़्त की दुआ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - الْمُقَفَّعُ - قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ " ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

(2357) मरवान बिन सालिम मुक़फ़्फ़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उ़मर (رضی اللہ عنہ) को देखा कि वह दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में लेते और इससे जो बढ़ी हूई होती उसे काट डालते। और बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रोज़ा इफ़्तार करते तो ये दुआ पढ़ते थे: (ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल अुरूक़ु व स़बतल अज्रू इन्शाअल्लाहु) 'प्यास बुझ गई, रगें तर हो गयीं और अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी स़ाबित हो गया।'

तख़रीज : (सनद हसन) अमलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 299, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10131, दारक़ुतनी, हदीस़: 2/182, हाकिम: 1/422.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़मले मुबारक से इन्सान की ज़िन्दगी के तमाम छोटे बड़े उमूर में अल्लाह का ज़िक्र और दुआएँ मनक़ूल हैं। उनको अपने अ़मल का हिस्सा बना लेने से बंदा (उज़्कुरूल्लाह ज़िक्रन कस़ीरन) (अल अहज़ाब: 41) 'अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो।' का मिस़दाक़ बन जाता है, लिहाज़ा ख़ूद साख़्ता दुआओं से बचना चाहिए। रोज़ा इफ़्तार करने की दुआयें इस बाब में आ गई हैं। क़बूलियत के उस वक़्त में इन्सान अपनी तमाम तरह की हाजत अल्लाह के हुज़ूर पेश करे तो सआ़दत है। **(2)** हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضی اللہ عنہ) का क़ब्ज़ा (मुट्ठी भर) से ज़ायद दाढ़ी

का काटना, रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल, व अमल से मुअय्यद नहीं। ये उनका अपना ज़ाती अमल है जो हदीसे रसूल के मुक़ाबले में दलील नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ (इफ़ाउल्लिहया) का हुक्म नहीं दिया बल्कि उसके साथ मुख़ालिफ़ते मजूस का हुक्म भी दिया था। जबकि उस वक़्त के मजूसी दाढ़ियाँ छोटी कराते थे उनमें मुंडवाने का रिवाज आम न था, जैसा कि इस बात को अक्सर मोहद्दिसीन ने बयान किया है। साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी इस मसला की बाबत लिखते हैं कि कुछ लोग इब्ने उमर और अबू हुरैरह (رضي الله عنهم) के आसार से इस्तेदलाल करते हैं कि क़ब्ज़ा से ऊपर ज़ायद दाढ़ी काट देनी चाहिए ये इस्तेदलाल ज़ईफ़ और कमज़ोर है चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल शुदा मरफ़ूअ अहादीस इनकी नफ़ी करती हैं। इनमें मुतलक़ छोड़ने का हुक्म है। पस सरीह और मरफ़ूअ अहादीस के मुक़ाबले में इन आसार और अक़वाल से दलील करना सही नहीं। पस सलामती वाला तरीक़ा उन्हीं लोगों का है जो कहते हैं कि ज़ाहिर अहादीस पर अमल करते हूए दाढ़ी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और उसके तूलो अर्ज़ से कुछ बाल लेना बुरा फ़ेअल है। (तोहतुल अहवज़ी: 4/11) **(3)** इसमें रोज़ा इफ़्तार करने की जो दुआ मनक़ूल है, वह सही है। इसके मुक़ाबले में मशहूर दुआ (अल्लाहुम्मा लका सुम्तु ...) सनदन ज़ईफ़ है, जैसा कि आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " .

(2358) जनाब मुआज़ बिन ज़ुहरह (ताबेई) से मरवी है कि नबी (ﷺ) इफ़्तार के वक़्त ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा लका सुम्तु वअला रिज़्क़िका अफ़र्तु) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर खोल रहा हूं।'

(2358) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी शरहुस्सुन्ना: 6/265, हदीस: 1741, अबी दाऊद, हदीस: 99, बैहक़ी, 4/235.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए इफ़्तार के वक़्त पहली दुआ (ज़हबज़्ज़मउ ...) पढ़ी जाये।

﴾23﴿ باب الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

बाब : 23
अगर ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले इफ़्तार कर ले?

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ

(2359) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में रमज़ान में हमने एक दिन बादल की वजह से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज निकल आया। अबू उसामा कहते हैं कि मैंने हिशाम से पूछा: तो क्या उन्हें क़ज़ा देने का हुक्म दिया गया था? कहा भला इससे कोई चारा भी है?

(2359) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1959.

फ़ायदा : ऐसे रोज़े की क़ज़ा की बाबत उलमा में इख़्तिलाफ़ है, ताहम जुम्हूर उलमा के नज़दीक ऐसी सूरत में इफ़्तार किए हूए रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। (तफ़्सील के लिए देखिए: फ़तहुल बारी: 4/255)

﴾24﴿ باب فِي الْوِصَالِ

बाब : 24
इफ़्तार किये बग़ैर मुसलसल रोज़े रखे जाने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ

(2360) हज़रत अब्दुल्लाल बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रोज़ों में विसाल करने से मना फ़रमाया। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। बेशक मुझे खिलाया पिलाया जाता है।'

إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " .

(2360) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1962, मौता: 1/300, व मुस्लिम: 1102.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बग़ैर इफ़्तार किये कई कई रोज़ मुसलसल रोज़े रखना 'विसाल' कहलाता है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसीयत थी, नबी (ﷺ) ने अपनी उम्मत को इस तरह रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। **(2)** नबी (ﷺ) ने अपनी जो ख़ुसूसीयत बयान फ़रमाई है इसमें उम्मत में से कोई भी आपका शरीक सहीम नहीं है। जो ज़ाहिद और सूफ़िया क़िस्म के लोग बग़ैर इफ़्तार मुसलसल रोज़े रखते हैं, उनका अ़मल रसूलुल्लाह (ﷺ) के इरशाद के सरासर ख़िलाफ़ है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ " . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَاقِيًا يَسْقِينِي " .

(2361) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम लोग (रोज़ों में) विसाल मत करो, और जो कोई विसाल करना चाहे तो सहर तक कर ले।' सहाबा ने कहा: आप तो विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, बिलाशुब्हा एक खिलाने वाला है जो मुझे खिलाता है और पिलाने वाला है जो मुझे पिलाता है।'

(2361) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1963.

फ़ायदा : बिलाशुब्हा नबी (ﷺ) को अल्लाह तआ़ला ही खिलाने वाला है। और वह ग़िज़ा यक़ीनन रूहानी होगी। अगर कोई उम्मती विसाल करना चाहता है, तो सहर तक कर ले।

(25) بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

बाब : 25
रोज़ादार होकर ग़ीबत करना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ

(2362) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स झूठ और बेहूदा बोलना और झूठ पर अ़मल करना न छोड़े, तो अल्लाह तआ़ला को उसके खाने पीने के छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है।' अहमद बिन यूनुस ने कहा: मुझे इसकी

أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . قَالَ أَحْمَدُ فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ .

सनद इब्ने अबी जिब ने और ये हदीस़ उस आदमी ने समझाई जो उसके पहलू में बैठा हूआ था, जो ग़ालिबन उसका भाई था।

(2362) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1903.

फ़ायदा : अल्लाह तआला को बनी आदम की किसी अ़मल की कोई हाजत नहीं। उसकी अपनी एहतियाज के तहत ही उसे शरई उमूर का पाबन्द किया गया है। इस हदीस़ से मालूम हूआ कि इन्सान अपनी तमामतर गुफ़्तगू और तमाम कामों में अपने आप को तमाम हराम कामों से दूर रखे। ग़ीबत न करे, झूठ न बोले, चुग़ली न खाये, हराम चीज़ों को फ़रोख़्त न करे, जब पूरा महीना आदमी इन चीज़ों से दूर रहे तो उम्मीद है कि उसका नफ़्स साल के बक़िया महीनों में भी इन वाहियात चीज़ों से अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से महफ़ूज़ रहेगा। लेकिन इन्तेहाई अफ़सोसनाक अम्र ये है कि बहुत सारे रोज़ादार, रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में कोई फ़र्क़ नहीं करते, वही झूठ, बेहूदा गुफ़्तगू, धोखा वग़ैरह अपनी आ़दत के मुताबिक़ जारी रहता है। उनके ऊपर रमज़ानुल मुबारक का कोई अस़र नहीं होता। बिलाशुब्हा हदीस़ में मज़कूरा आ़माल रोज़े को नहीं तोड़ते मगर उसके अज्र व स़वाब में कमी ज़रूर आ जाती है और ये भी मुमकिन है कि कस़रत से इन आ़माल की परवा ना की जाये तो रोज़े का अज्र ही ज़ाया हो जाये।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ " .

(2363) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई रोज़े से हो तो किसी क़िस्म की फ़हश बात या जहालत का काम न करे। अगर कोई दूसरा उससे झगड़े या गाली गलोच दे तो उसे चाहिए कि कह दे मैं रोज़े से हूं, मैंने रोज़ा रखा हूआ है।'

(2363) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1894, मौता: 1/310, व मुस्लिम: 1151.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़हशगोई और आ़माले जहालत से मुसलमान को हर हाल में बचना चाहिए मगर रोज़ादार को इनसे परहेज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद है। चूनांचे ज़बानी तौर पर अपने मुक़ाबिल को बता दे कि मैं रोज़े से हूं और ग़लत तरज़े अ़मल को मज़ीद बढ़ने बढ़ाने से दूर रहे। कुछ उ़लमा कहते हैं कि वह ये बात अपने दिल में कहे और अपने अ़मल से स़ाबित करे कि वह रोज़े से है। लेकिन ये मौक़िफ़ ज़ाहिरे नस़ (दलील) के ख़िलाफ़ है। **(2)** और रोज़े की हालत में इस हिदायत पर अ़मल करने ही से 'रोज़ा ढाल' हो सकता है।

बाब : 26
रोज़ेदार का मिस्वाक करना

﴿26﴾ بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ . زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِي .

(2364) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीआ़ अपने वालिद (आ़मिर बिन रबीआ़) से रिवायत करते हैं, उनका कहना है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिस्वाक करते हूए देखा, हालांकि आप रोज़े से थे। मुसद्दद ने मज़ीद यूँ कहा: मैंने आपको बेशुमार दफ़ा (मिस्वाक करते) देखा।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 725.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रोज़ा रखकर मिस्वाक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मिस्वाक ख़्वाह ताज़ा हो या ख़ुश्क, हर तरह से जायज़ है। और ज़ाहिर है कि ताज़ा मिस्वाक की रूतूबत को थूकना लाज़मी होगा जब कि उसके ज़ायक़ा का मुँह में बाक़ी रह जाना माफ़ है। जहां तक टूथपेस्ट के इस्तेमाल का सवाल है, तो कुछ उ़लमा इसे रोज़े की हालत में मकरूह क़रार देते हैं। लेकिन ऐसा समझना स़ही नहीं है, इसका हुक्म भी मिस्वाक से मुख़्तलिफ़ नहीं है। अगर ब्रश के इस्तेमाल के दौरान में, मिस्वाक करते हूए या वुज़ू करते हूए दाँतों से मामूली मिक़्दार में ख़ून निकल आये तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इमाम बुख़ारी (रह.) ने (बाब सिवाकुर्रूतब वल याबिस लिस्स़ाइम) का उ़न्वान क़ायम करके ऊपर वाली रिवायत को तालीक़ान बयान फ़रमाया है। **(2)** दूसरी हदीस़ जिसमें है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के यहां कस्तूरी की ख़ुशबू से भी पाकीज़ा होती है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1894, व स़ही मुस्लिम: 1151) तो इसका मफ़हूम मुँह को गंदा रखना नहीं बल्कि इसमें रोज़ेदार का अल्लाह के यहां महबूब होना बयान हूआ है और ये कि इसके मेअ़दा के ख़ाली होने की वजह से उसके मुँह में जो ना मुनासिब सी बू पैदा हो जाती है, वह भी अल्लाह के यहां पसन्दीदा है। और हर हाल और कैफ़ियत में मुँह को स़ाफ़ सुथरा रखना मतलूब है और रोज़ादार हर हाल में अल्लाह का महबूब है। **(3)** इस हदीस़ की इस्नादी बहस़ के लिए देखिए: अरवा अलग़लील,हदीस़: 68.

﴿27﴾

بَاب الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

बाब : 27
रोज़ेदार प्यास की वजह से अपने ऊपर पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं मगर नाक में पानी डालने में एहतियात करे और मुबालग़ा न करे

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ " تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ " . وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

(2365) जनाब अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान किसी स़हाबी से रिवायत करते हैं कि मैंने देखा, नबी (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के साल अपने सफ़र में स़हाबा को रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'दुशमन के मुक़ाबले के लिए क़ूव्वत हासिल करो।' और आप (ﷺ) ने ख़ूद रोज़ा रखा। अबूबक्र ने कहा: मुझे हदीस़ बयान करने वाले ने बताया: तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मक़ाम अ़र्ज में देखा आप रोज़े से थे और प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डाल रहे थे।

(2365) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/475, मौता, हदीस़: 1/294, व मुस्लिम: 1114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सफ़र या जिहाद में रोज़ा इफ़्तार करना अफ़ज़ल है। **(2)** दौराने सफ़र में रोज़ा रखा भी जा सकता है। **(3)** गर्मी या प्यास की बेचैनी में अपने सर या जिस्म पर पानी डालना, गुस्ल करना या गीला कपड़ा ओढ़ना मुबाह है। और ऐसे ही एयरकंडीशन से फ़ायदा हासिल करना भी जायज़ है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

(2366) हज़रत लक़ीत बिन स़बिरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(वुज़ू करते हूए) नाक में ख़ूब पानी चढ़ाओ, सिवाए इसके कि रोज़े से हो।'

(2366) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 146 में देखें, तिर्मिज़ी, हदीस़: 788, इब्ने माजा, हदीस़: 407, नसाई, हदीस़: 87.

फ़ायदा : रोज़े की हालत में नाक में दवाई नहीं डाली जा सकती लेकिन गर्दो ग़ुबार या आटे वग़ैरह की धूल का अंदर चले जाना माफ़ है। ख़ुशबू सूंघने में भी कोई हर्ज नहीं। आँख और कान में दवा डालना जायज़ है।

﴾28﴿ بَاب فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

बाब : 28
रोज़ेदार सैंगी लगवाए तो ...?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، - جَمِيعًا - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، - يَعْنِي الرَّحَبِيَّ - عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " . قَالَ شَيْبَانُ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2367) हज़रत स़ौबान (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने और लगवाने वाला रोज़ा खोलने वाला हो गया।'

शैबान ने अपनी हदीस़ में कहा: मुझे अबू क़िलाबा ने ख़बर दी, उसको अबू अस्मा अर्रहबी ने हदीस़ बयान की कि स़ौबान मौला रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था।

(2367) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1680, मुसनद अहमद: 1/657, व अतराफ़ुल मुस्नद: 5/283, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 1962, 1963, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 899, हाकिम, 1/427.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब की अहादीस़ को अगले बाब की अहादीस़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाये तो मसला वाज़ेह हो जाता है कि इस बाब की अहादीस़ या तो मन्सूख़ हैं या कराहत पर महमूल हैं। **(2)** शैबान की सनद में अख़्बार व तहदीस़ की स़राहत है जबकि हिशाम की सनद में अ़न्अ़ना है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(2368) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) का कहना है कि एक बार मैं नबी (ﷺ) के साथ जा रहा था और पिछली रिवायत की मानिन्द ज़िक्र किया।

(2368) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1681, मुसनद अहमद: 5/283.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ .

(2369) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बक़ीअ़ के क़रीब एक आदमी के पास से गुज़रे और वह सैंगी लगवा रहा था, जबकि नबी (ﷺ) मेरा हाथ थामे हूए थे और रमज़ान की अठारह तारीख़ थी, आपने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने और लगवाने वाला (दोनों) रोज़ा खोलने वाले हो गये।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ख़ालिद अलहज़्ज़ा ने (भी) अबू क़िलाबा से बसनद अय्यूब रिवायत किया है।

(2369) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/124, नसाई, हदीस़: 3141, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 1964, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1901.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا، مِنَ

(2370) हज़रत स़ौबान (ﷺ) मौला नबी (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने वाला और लगवाने वाला (दोनों) मुफ़तिर (रोज़ा खोलने वाले) हो गये।'

الْحَيِّ - قَالَ عُثْمَانُ فِي حَدِيثِهِ مُصَدِّقٌ - أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"

(2370) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/266, नसाई, हदीस: 3134, मुसनद अहमद: 5/282, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7525.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

(2371) हज़रत सौबान (﵁) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं आपने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने वाला और लगवाने वाला मुफ़तिर (रोज़ा खोलने वाले) हो गये।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने सौबान ने भी अपने वालिद से बसनद मकहूल इसकी मानिन्द रिवायत किया है।

(2371) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3135, हदीस: 2370 में देखें।

फ़ायदा : (अफ़तरल हाजिमु वलमहजूमु) के मानी में इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन राहवे ने ज़ाहिरी मानी मुराद लिये हैं कि उनका रोज़ा टूट जाता है। और कुछ दूसरे अहले इल्म ये मानी करते हैं कि उनका रोज़ा टूटने के क़रीब हो गया है। गोया इसमें ज़जर और कराहत का मफ़हूम है। वल्लाहू आलम! इस दूसरे मानी की रू से इस बाब की रिवायात और अगले बाब की रिवायात, जिनमें इसका जवाज़ है, के दरम्यान तत्बीक हो जाती है।

(29) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब : 29
रोज़े की हालत में सैंगी लगवाने की रूख़सत का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(2372) इक्रिमा हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से रिवायत करते हैं कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रोज़े की हालत में सैंगी लगवाई।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को वुहैब

وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

बिन ख़ालिद ने अय्यूब से अपनी सनद से इसी जैसी रिवायत किया है, नीज़ जाफ़र बिन रबीआ और हिशाम बिन हस्सान, इक्रिमा से वह हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से इसी के मिस्ल रिवायत करते हैं।

(2372) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5694.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

(2373) मिक़्सम हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रोज़े और एहराम की हालत में सैंगी लगवाई है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 777 हदीस: 1474, 1898 में देखें, बुख़ारी, हदीस: 1830.

मल्हूज़ : अल्फ़ाज़े हदीस महल्ले नज़र हैं। तफ़्सील के लिए देखिए: (अरवा अलग़लील हदीस: 932)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ . فَقَالَ " إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " .

(2374) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा पर शफ़क़त फ़रमाते हूए, उन्हें सैंगी लगवाने और रोज़ों में विसाल करने से मना किया मगर आपने इन दोनों को हराम नहीं किया। आप (ﷺ) से कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो सहर तक विसाल करते हैं, आपने फ़रमाया: 'मैं सहर तक विसाल करता हूं और मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है।'

(2374) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/314.

फ़ायदा : ग़ालिबन शवाहिद ही की बुनियाद पर कुछ हज़रात ने इस हदीस को सही भी कहा है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.

(2375) हज़रत अनस (رضي الله عنه) कहते हैं कि हम रोज़ेदार को सैंगी इसलिए नहीं लगवाने देते थे कि कहीं उसे मशक़्क़त न हो।

(2375) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1940.

फ़ायदा : यानी सैंगी लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, सिर्फ़ अन्देशा होता है कि कमज़ोरी की बिना पर उसे परेशानी होगी। लिहाज़ा कमज़ोरी का अन्देशा न हो तो जायज़ है।

﴾30﴿ بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब : 30 रोज़ेदार को रमज़ान में दिन के वक़्त एहतलाम हो जाये तो ...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ " .

(2376) एक सहाबी से मरवी है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे क़ै आ जाये या (नींद में) एहतलाम हो जाये या जो सैंगी लगवाये, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता।'

(2376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/220, दारक़ुतनी: 1/183, हदीस: 2237.

फ़ायदा : ये रिवायत मानी के हिसाब से सही है, यानी सही रिवायात से इसमें बयान करदा बातें साबित हैं। ताहम क़सदन क़ै करने से रोज़ा टूट जाता है अगर बग़ैर क़सद के क़ै आ जाये तो रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह जागते हूए मनी का इन्ज़ाल हो जाये ख़्वाह (हेन्ड प्रेक्टिस) से हो या बीवी से जिमाअ (हमबिस्तरी) करने से या उससे लिपटने या बोसा लेने की वजह से तो भी रोज़ा टूट जायेगा।

बाब : 31
रोज़ेदार सोते वक़्त सुरमा इस्तेमाल करे तो ...?

﴾31﴿ باب فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ " لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكُحْلِ .

(2377) अब्दुर्रहमान बिन नौमान अपने वालिद से, वह दादा से, वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने हुक्म दिया कि सोते वक़्त कस्तूरी मिला सुरमा इस्तेमाल किया जाये और फ़रमाया: 'रोज़ादार इससे परहेज़ करे।'
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मुझे इमाम यहया बिन मईन ने कहा ये सुरमे वाली हदीस़ मुन्कर है।
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/499.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

(2378) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के मुताल्लिक़ रिवायत है कि वह रोज़े की हालत में सुरमा लगाया करते थे।
(2378) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 3/47, हदीस़: 9272.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ .

(2379) जनाब आमश कहते हैं (ये सिग़ारे ताबेईन में से हैं) मैंने अपने अहले इल्म दोस्तों (फ़क़ीहों और आलिमों) में से किसी को नहीं पाया कि रोज़ेदार के लिए सुरमे को ना पसन्द समझते हों। और इब्राहीम नख़ई इजाज़त देते थे कि रोज़ेदार ऐलवा को बतौर सुरमा इस्तेमाल करे।
(2379) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : रोज़े की हालत में आँख में सुरमा लगाना या दवा डाल लेना जायज़ है।

बाब : 32
रोज़ेदार जानबूझ कर क़ै करे तो?

﴾32﴿
باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ .

(2380) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी को क़ै आ जाये जबकि वह रोज़े से हो तो उस पर कोई क़ज़ा नहीं है, लेकिन अगर वह क़सदन क़ै करे तो क़ज़ा दे।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को हफ़्स बिन ग़ियास ने भी हिशाम से इसी तरह रिवायत किया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 720, इब्ने माजा, हदीस: 1276, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 1960, 1961, इब्ने हिब्बान, हदीस: 907, हाकिम: 1/426, 427, बैहक़ी: 4/219, इब्ने अबी शैबा, हदीस: 9188.

फ़ायदा : ये रिवायत मानी के हिसाब से सही है, इसलिए कुछ हज़रात ने इसे सही कहा है।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ

(2381) हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ै की और रोज़ा तोड़ डाला। (मेअ़दान कहते हैं कि) फिर हज़रत सौबान मौला रसूलुल्लाह (ﷺ) से दमिश्क़ की मस्जिद में मेरी मुलाक़ात हुई तो मैंने उनसे कहा: हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) ने मुझे बताया है कि नबी (ﷺ) ने क़ै की और रोज़ा तोड़ डाला था। कहा कि उन्होंने सही कहा है और मैंने ही आप (ﷺ) के लिए वुज़ू का पानी उन्डेला था।

أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم .

(2381) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 78, हाकिम: 1/426.

फ़ायदा : जानबूझ कर क़ै (उल्टी) करने से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाज़िम आती है, बख़िलाफ़ इसके कि ख़ूद से क़ै आये। ख़ूद बख़ूद क़ै आने से न रोज़ा टूटता है, और न क़ज़ा लाज़िम आती है।

(33) بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

बाब : 33
रोज़े की हालत में बोसा लेना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ

(2382) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे और रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेट भी जाते थे, लेकिन आप अपने जज़्बात पर ख़ूब ज़ब्त रखने वाले थे।

(2382) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1927, व मुस्लिम: 1106.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .

(2383) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) माहे रमज़ान में (बीवियों का) बोसा ले लिया करते थे।

(2383) तख़रीज : मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ - عَنْ عَائِشَةَ، -

(2384) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरा बोसा लिया करते थे जबकि आप रोज़े से होते और मैं भी।

(2384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद

رضی اللہ عنہا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ

अहमदः 6/179, नसाई, हदीसः 3050, 3074, 3075.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) की ये बात सही अहादीस में भी बयान हूई है, इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। मियां बीवी के लिए रोज़े की हालत में बोस व किनार जायज़ है मगर लाज़मी है कि अपने जज़्बात पर ज़ब्त रखने वाले हों। अगर हद से बढ़ने का अन्देशा हो तो इस अमल से बचना लाज़मी है। **(2)** हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का अपने इन मख़्फ़ी उमूर को ज़िक्र करना शरई ज़रूरत की बिना पर हैं और नबी (ﷺ) के कसरते अज़वाज (कई बीवियों का होना) की एक हिकमत ये भी रही है कि ज़ौजेन और अंदरूने ख़ाना की शरई ज़िन्दगी उम्मत के सामने आये और उनके लिए हिदायत और उस्वा साबित हो। अगर ये हक़ाइक़ बयान न होते तो दीन का बड़ा हिस्सा हम से औझल रहता और बड़ी आज़माइश होती।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ " . قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ . ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ " فَمَهْ " .

(2385) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने बयान किया कि मैंने ख़ुशी में आकर (बीवी का) बोसा ले लिया जबकि मैं रोज़े से था। फिर मैंने नबी (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आज एक बहुत बड़ा काम कर बैठा हूं कि रोज़े की हालत में बोसा ले लिया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'भला अगर तुम रोज़े की हालत में कुल्ली कर लो तो?' ईसा बिन हम्माद की रिवायत में है। मैंने कहा: कोई हर्ज नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं।'

(2385) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 1/21, नसाई, हदीसः 3048, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीसः 1999, इब्ने हिब्बान, हदीसः 905, हाकिमः 1/431.

बाब : 34
रोज़ादार लुआब निगल (गिट) जाये

﴿34﴾

باب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا .

(2386) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनका बोसा ले लेते जबकि वह रोज़े से होते और उनकी ज़बान चूसते।

इब्ने अलआराबी कहते हैं कि मुझे इमाम अबू दाऊद से ये बात पहुँची है कि सनद सही नहीं है।

(2386) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/123, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2003.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए इसमें बयान करदा बात (ज़बान का चूसना) सही नहीं है। अलबत्ता रोज़े की हालत में बोसा लेना साबित है। रोज़ादार अगर किसी ग़ैर का लुआब चूसे और निगल ले तो रोज़ा टूट जाता है।

बाब : 35
जवान आदमी के लिये बीवी से बोस व किनार मकरूह (ना पसंदीदा) है

﴿35﴾

باب كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(2387) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) से मसला पूछा कि रोज़ादार शख़्स बीवी के साथ लेटे या ना? आपने उसको इजाज़त दी। फिर दूसरा आया और उसने भी आपसे यही मसला पूछा।

عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ . فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

आपने उसको मना फ़रमा दिया। दरअसल आप (ﷺ) ने जिसको इजाज़त दी, वह बूढ़ा था और जिसको मना फ़रमाया, वह जवान था।

(2387) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/231, 232.

फ़ायदा : बूढ़े के जज़्बात चूंकि क़ाबिले ज़ब्त होते हैं इसलिए उसको इजाज़त दे दी गई मगर जवान के लिए ज़ब्त मुश्किल होता है, इसलिए उसको इजाज़त नहीं दी। लिहाज़ा अगर किसी को अन्देशा हो कि बोस व किनार से बात जिमाअ (हमबिस्तरी) तक पहुँच जायेगी या इन्ज़ाल हो जायेगा तो दूर रहे। और अगर इन्ज़ाल हो जाये तो क़ज़ा वाजिब होगी।

﴿36﴾ باب فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब : 36
जो कोई रमज़ान में सुबह को जुन्बी (नापाक) होकर उठे

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ -

(2388) उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा और उम्मे सलमा (رضي الله عنهما) से मरवी है, वह बयान करती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह को जुन्बी होकर उठते ... अब्दुल्लाह अज़्रमी ने अपनी रिवायत में कहा कि रमज़ान में ... जिमाअ की बिना पर न कि एहतलाम से और फिर रोज़ा रख लेते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (युसबिहु जुनुबन फ़ी रमज़ान) का लफ़्ज़ बहुत कम रावी ज़िक्र करते हैं। (सही) हदीस के लफ़्ज़ ये हैं: (अन्नन्नबी (ﷺ) काना युस्बिहु जुनुबन व हुवा साइमुन) 'नबी (ﷺ) जनाबत की हालत में सुबह करते और आप रोज़ा रखे हुए होते।'

يَعْنِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ .

(2388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मौता, हदीस: 1/289, 290, बुख़ारी, हदीस: 1925, 1926, व मुस्लिम: 1109.

फ़ायदा : फ़ज्रे सादिक़ की इब्तेदाई साआत में इन्सान अगर जनाबत की हालत में रोज़े की इब्तेदा करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि बरवक़्त ग़ुस्ल करके नमाज़ में शरीक हो जाये मगर बिला उ़ज़्रे शरई अपनी इस कैफ़ियत (आदत) को हमेशा करना नाजायज़ और रोज़े में ऐब है। मर्द और औ़रत दोनों के लिए यही मसला है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، - يَعْنِي الْقَعْنَبِيَّ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " . فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ" .

(2389) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा जबकि आप दरवाज़े पर खड़े थे: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बहालते जनाबत सुबह करता हूं और रोज़ा भी रखना चाहता हूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं भी (कुछ औक़ात) सुबह को जनाबत की हालत में उठता हूं और रोज़े का इरादा होता है तो ग़ुस्ल कर लेता हूं और रोज़ा रखता हूं।' वह आदमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो हमारी मानिन्द नहीं हैं। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने आपकी अगली पिछली तमाम तक़सीरात माफ़ फ़रमाई हुई हैं। इस पर आप ग़ज़बनाक हो गये और फ़रमाया: 'क़सम अल्लाह की! मैं यक़ीनन तुममें सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और इत्तेबा के लायक़ आमाल से बहुत ज़्यादा आगाह हूं।'

(2389) तख़रीज : (सनद सही) मौता, हदीस: 1/289, व मुस्लिम: 1110.

फ़ायदा : अल्लाह की इन्तेहाई ख़शियत (डर) और उसके दीन की मअरिफ़त का तक़ाज़ा भरपूर अमल और कामिल एहतियात है। फिर नबी (ﷺ) से ज़्यादा एहतियात कौन कर सकता है? लिहाज़ा आमाल में आप ही की इक़्तेदा वाजिब है। और आप ही उम्मत के लिए नमूना हैं। सिवाए उन उमूर (कामों) के जिनमें आपका इस्तेस्ना (अलग करना) साबित है।

(37) باب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

बाब : 37 जो शख़्स रमज़ान में बीवी से जिमाअ कर बैठे तो उसका कफ़्फ़ारा?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - قَالَ مُسَدَّدٌ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ . فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " اجْلِسْ " . فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ

(2390) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक शख़्स नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: मैं तो मारा गया। आपने पूछा: 'क्या हूआ?' उसने कहा: मैं रमज़ान में अपनी बीवी से हमबिस्तर हो बैठा हूं ... आपने पूछा: 'क्या तू ताक़त रखता है कि एक गर्दन आज़ाद कर सके?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तू हिम्मत रखता है कि दो माह मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखे?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ताक़त है कि साठ मिस्कीनों को खाना खिला सके?द्ध उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'बैठ जाओ।' चूनांचे नबी (ﷺ) के पास एक टोकरा लाया गया, उसमें खजूरें थीं। आपने उससे फ़रमाया: 'इनको सदक़ा कर दो।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मदीने की दोनों पत्थरीली जमीनों के बीच हमसे ज़्यादा और कोई फ़क़ीर नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस

بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ "فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْيَابُهُ.

पड़े यहाँ तक कि आपके अगले दाँत दिखाई देने लगे। आपने फ़रमाया: 'घर वालों ही को खिला दो।'

मुसद्दद ने अपनी रिवायत में कहा कि आपके नूकीले दाँत नज़र आने लगे।

(2390) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6711, व मुस्लिम; 1111.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ . زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ . زَادَ الأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ .

(2391) जनाब ज़ोहरी ने ये हदीस़ इसी पिछली मानी में बयान की और मज़ीद कहा: ये उसी आदमी के लिए रूख़सत थी आज अगर कोई ये काम कर बैठे तो कफ़्फ़ारे से चारा नहीं।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को लैस़ बिन सअ़द, औज़ाई, मन्सूर बिन मुअतमिर और एराक बिन मालिक ने सुफ़ियान बिन उयय्ना की मानिन्द बयान किया। औज़ाई ने अपनी रिवायत में ये ज़्यादा किया: 'और अल्लाह से इस्तेग़फ़ार भी कर।'

(2391) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़ 6710, व मुस्लिम: 1111.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ

(2392) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक आदमी ने रमज़ान में रोज़ा तोड़ लिया तो नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि एक गर्दन आज़ाद करे या दो माह मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखे या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। उसने कहा: मैं (किसी की भी) ताक़त नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'बैठ जाओ।' फिर आपके

يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ لاَ أَجِدُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْلِسْ " . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ " كُلْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ " أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا " .

पास एक टोकरा लाया गया, उसमें खजूरें थीं, आपने फ़रमाया: 'ये ले जाओ और सदक़ा करो।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझसे बढ़ कर और कोई मोहताज नहीं है। तो आप हँस पड़े यहाँ तक कि आपके नूकीले दाँत नज़र आने लगे और उससे फ़रमाया: 'जाओ खा लो।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इब्ने जुरैज ने ज़ोहरी से ब'अ़ल्फ़ाज़े इमाम मालिक रिवायत किया और कहा कि 'एक आदमी ने रोज़ा तोड़ लिया।' और आपने उससे फ़रमाया: 'या तो एक गर्दन आज़ाद करो या दो माह रोज़े रखो या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ।'

(2392) तख़रीज : हदीस: 2390, मौता, 1/296, 297, व मुस्लिम: 1111.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रमज़ान के दिन में ज़िमाअ़ (हमबिस्तरी) करने से ऊपर बताये गये तीन कफ़्फ़ारों में से तर्तीब वार एक लाज़िम आता है। यानी अव्वलन गर्दन आज़ाद करना, ये न हो सके तो दो माह के मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखना और ये भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना। और इस्तेग़फ़ार से किसी सूरत ग़ाफ़िल न हो। और जुम्हूर उ़लमा का कहना है कि ये कफ़्फ़ारा सिर्फ़ जिमाअ़ की बिना पर आता है न कि किसी और सूरत में रोज़ा तोड़ने पर। जबकि इमाम मालिक अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब किसी भी सूरत में रोज़ा तोड़ने पर ऊपर बताये गये कफ़्फ़ारा वाजिब करते हैं। **(2)** ये कफ़्फ़ारा अदा करने में तर्तीब का लिहाज़ रखा जाये क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले के उ़ज़्र पर दूसरा और फिर तीसरा कफ़्फ़ारा बताया है। **(3)** मसाकीन को खाना खिलाने की सूरत में साठ का अ़दद पूरा किया जाये, न कि चंद मसाकीन को मुख़्तलिफ़ औक़ात में खिलाकर अ़दद पूरा करे। **(4)** इस वाक़िआ में उ़लमा का इख़्तिलाफ़ है। एक जमाअ़त का रूझान है कि ज़िक्रशुदा सहाबी को गरीबी की बिना पर कफ़्फ़ारा माफ़ फ़रमा दिया था जबकि दीगर कहते हैं कि कफ़्फ़ारा को अदा करने की ताकत पाने तक देर किया गया था, बिल्कुल माफ़ नहीं फ़रमाया था। वल्लाहू आ़लम!

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيهِ "كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ"

(2393) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स़ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया जिसने रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ लिया था, और पिछली हदीस़ बयान की। रावी ने कहा: फिर आपके पास एक टोकरा लाया गया, उसमें खजूरें थीं तक़रीबन पन्द्रह स़ाअ ... इस रिवायत में है ... आपने उससे फ़रमाया: 'तू और तेरे घर वाले ये खा लें और तू एक दिन का रोज़ा रख और अल्लाह से इस्तेग़फ़ार कर।'

(2393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 2/190, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 1954.

फ़वाइद व मसाइल : रोज़ा तोड़ने पर क़ज़ा अदा करना वाजिब है। इमाम शाफेई (रह.) का एक क़ौल है कि अगर दो माह रोज़े रखे तो क़ज़ा अदा करना नहीं है, लेकिन गर्दन आज़ाद कराने या मसाकीन को खाना खिलाने की सूरत में क़ज़ा अदा करना वाजिब है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ . فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا شَأْنُهُ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي . قَالَ " تَصَدَّقْ " . قَالَ وَاللَّهِ مَا لِي شَىْءٌ وَلاَ

(2394) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रमज़ान में एक शख़्स़ नबी(ﷺ) के पास मस्जिद में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो जल गया, नबी (ﷺ) ने उससे पूछा: 'क्या हूआ?' उसने कहा: मैंने अपनी बीवी से जिमाअ (हमबिस्तरी) कर लिया है। आपने फ़रमाया: 'स़दक़ा करो।' कहने लगा। अल्लाह की क़सम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं और न मेरी ये हिम्मत है। आपने फ़रमाया: 'बैठ जाओ।' वह बैठ गया। वह इसी हालत में था कि एक आदमी अपना गधा चलाते हूए आया, उस पर तआम (खाने का सामान) था। तो

أَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ " اجْلِسْ " . فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا " . فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقْ بِهَذَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى غَيْرِنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَىْءٌ . قَالَ " كُلُوهُ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कहां है वह जो अभी कह रहा था मैं जल गया?' वह खड़ा हो गया। आपने फ़रमाया: 'ये स़दक़ा कर दो।' कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या (अपने अ़लावा) दूसरों पर? क़सम अल्लाह की! हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया: '(जाओ) खा लो।'

(2394) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6822, व मुस्लिम: 1112.

फ़ायदा : ये दीन व तक़वा और ख़शियत का अस़र था कि ये स़हाबी उस गुनाह को अपने लिए जल जाने या हलाक होने से ताबीर कर रहा था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا .

(2395) अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से इस क़िस्स़े में बयान करते हैं कि आप (ﷺ) के पास एक टोकरा लाया गया उसमें बीस स़ाअ (खजूर) थीं।

(2395) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : गुज़िश्ता हदीस़: 2393 में बयान करदा मिक़्दार पन्द्रह स़ाअ ही स़ही है।

﴿38﴾ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

बाब : 38
अ़मदन (जानबुझ कर) रोज़ा तोड़ देने की बुराई

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ

(2396) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रमज़ान में रोज़ा तोड़े, बग़ैर किसी रूख़स़त के जो अल्लाह ने दी है तो ज़माना भर के रोज़े भी उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे।'

أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ ".

(2396) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 723.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، - قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ وَأَبُو الْمُطَوِّسِ .

(2397) उमारा बिन उमैर ने इब्ने मुतव्विस से रिवायत किया और कहा: मैं इब्ने मुतव्विस से मिला तो उसने मुझे अपने वालिद से, उसने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से हदीस़ बयान की जैसे कि इब्ने कस़ीर और सुलैमान की रिवायत (ऊपर बयान हूई) है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान और शौबा के शागिर्द उनसे बयान करने में मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ 'इब्ने मुतव्विस' कहते हैं और कुछ 'अबू मुतव्विस'

(2397) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/470, हदीस़: 2396 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। और ऊपर हदीस़: 2396 के फ़ायदा में गुज़रा है कि इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस़हाब किसी भी सूरत में रोज़ा तोड़ देने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम गरदांते हैं और उनका मुस्तदल गुजिश्ता बाब की हदीस़ है, जबकि दीगर बहुत से इमाम कफ़्फ़ारा को सिर्फ़ जिमाअ़ से ख़ास़ गरदान्ते हैं। और अस्हाबुल हदीस़ (मोहद्दिसीन) का भी यही फ़तवा है।

(39) باب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

बाब : 39
जो कोई भूल कर खा पी ले

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(2398) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के

سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ " أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ" .

रसूल! मैंने रोज़ा रखा हूआ था और भूल कर खा पी बैठा हूं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ने तुम्हें खिलाया और पिलाया है।'

(2398) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1933, व मुस्लिम: 1155.

फ़ायदा : भूल कर खा पी ले, तो माफ़ है। रोज़े में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता बग़ैर किसी शक व शुब्हा के रोज़ा पूरा करना चाहिए। और ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि इस कैफ़ियत को यूँ ताबीर फ़रमाया कि 'अल्लाह ने तुम्हें खिलाया और पिलाया है।'

﴾40﴿
بَاب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

बाब : 40
रमज़ान की क़ज़ा करने में ताख़ीर करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .

(2399) हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाक़ी होते और मैं उनकी क़ज़ा न कर पाती थी कि शाबान आ जाता।

(2399) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 190, मौता, हदीस़: 1/308, व मुस्लिम: 1146.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मशग़ूलियत के बाइस उन्हें मौक़ा नहीं मिलता था कि रोज़े रख सकें यहाँ तक कि शाबान आ जाता और उसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) कस़रत से रोज़े रखते थे तो उन्हें भी क़ज़ा करने का मौक़ा मिल जाता था। **(2)** इस यक़ीन पर कि रोज़े की क़ज़ा करने का मौक़ा मिल जायेगा, ताख़ीर करना मुबाह है। **(3)** शौहर की ख़िदमत का एहतिमाम करना बीवी के फ़राइज़ में शामिल है। **(4)** अगर रमज़ान आ जाये और क़ज़ा न कर सके तो रमज़ान के बाद क़ज़ा करे। इस सूरत में कुछ स़हाबा व ताबेईन वग़ैरहुम का क़ौल है कि क़ज़ा करने के साथ साथ हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना भी खिलाये और कुछ कहते हैं कि सिवाए क़ज़ा करने के और कुछ लाज़िम नहीं है।

﴾41﴿
باب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

बाब : 41
जो कोई फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े बाक़ी हों

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

(2400) हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े रहते हों तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखे।'
इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये मसला नज़र की सूरत में है और इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही क़ौल है।

(2400) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1952, व मुस्लिम: 1147.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ .

(2401) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का क़ौल है कि जब कोई शख़्स रमज़ान में बीमार हूआ और फिर फ़ौत हो गया और रोज़े न रख सका हो तो उसकी तरफ़ से खाना खिला दिया जाये, उस पर क़ज़ा नहीं है। अगर उसने नज़र मानी थी तो उसका वली क़ज़ा दे।

(2401) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7630.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम अस्हाबुल हदीस इस बात के क़ायल हैं कि मय्यत पर रोज़े बाक़ी हों तो उसका वली रोज़े रखे। **(2)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) और कुछ दूसरे हज़रात का कहना है कि फ़राइज़ में कोई किसी का नायब नहीं हो सकता। मरीज़ ने अगर अमदन तक़्सीर नहीं की और वह फ़ौत हो गया हो तो वली पर कुछ लाज़िम नहीं, सिर्फ़ खाना खिला दे। लेकिन 'नज़र' का मामला इसलिए सख़्त है कि उसे इन्सान ने अज़ ख़ूद अपने ऊपर लाज़िम किया होता है, इसी वजह से उसे 'अल्लाह के क़र्ज़' से भी ताबीर किया गया है।

बाब : 42
सफ़र में रोज़ा रखने के अहकाम व मसाइल

﴿42﴾

باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ " .

(2402) हज़रत आयशा (﵂) से मरवी है कि हज़रत हमज़ा अस्सुलमी (﵁) ने नबी (ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तसलसुल (लगातार) से रोज़े रखा करता हूं, तो क्या सफ़र में रोज़ा रखा करूं? आपने फ़रमाया: 'चाहो तो रख लो और अगर चाहो तो इफ़्तार कर लो।'

(2402) तख़रीज : मुस्लिम: 1121.

फ़ायदा : जिस सफ़र में नमाज़ क़स्र करना जायज़ है। उसमें मुसाफ़िर के लिए रोज़ा छोड़ना भी जायज़ है, ख़्वाह सफ़र पैदल हो या सवारी पर, और सवारी ख़्वाह गाड़ी हो या हवाई जहाज़ वग़ैरह, और ख़्वाह थकावट लाहिक़ होती हो जिसमें रोज़ा मुश्किल हो या थकावट लाहिक़ न होती हो, ख़्वाह सफ़र में भूख प्यास लगती हो या न लगती हो। क्योंकि शरीअत ने सफ़र.में नमाज़ क़स्र करने और रोज़ा छोड़ने की मुतलक़न इजाज़त दी है और उसमें सवारी की नोइयत या थकावट और भूख प्यास वग़ैरह की कोई क़ैद नहीं लगाई। सहाब–ए–किराम (﵃) ने रमज़ान में जिहाद के सिलसिले में आपके साथ सफ़र किया तो कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा था। और इसके बारे में किसी ने भी दूसरे पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, अलबत्ता अगर गर्मी की शिद्दत, रास्ते की दुशवारी, दूरी और मुसलसल सफ़र की वजह से रोज़ा में तकलीफ़ हो तो फिर मुसाफ़िर के लिए ताकीद के साथ हुक्म ये है कि वह रोज़ा न रखे, जैसा कि हज़रत अनस (﵁) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे, हममें से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा न रखने वाले हश्शाश बश्शाश थे और उन्होंने काम किया जब कि रोज़ा रखने वाले कमज़ोर हो गये थे और वह कुछ काम न कर सके, तो नबी ए करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज तो रोज़ा न रखने वालों ने अज्र व सवाब हासिल कर लिया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 2890, व सही मुस्लिम: 1119) कभी किसी हंगामी हालत की वजह से ये वाजिब भी हो जाता है कि सफ़र में रोज़ा न रखा जाये जैसा कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(﵁) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का की तरफ़ सफ़र किया और जब एक

जगह पड़ाव डाला तो आपने फ़रमाया: 'तुम अपने दुशमन के बहुत क़रीब हो गये हो और रोज़ा छोड़ देना तुम्हारें लिए बाइसे तक़वीयत होगा।' एक रूख़्सत थी इसलिए हममें से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ ने न रखा, फिर हमने जब एक दूसरी मन्ज़िल पर पड़ाव डाला तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हारी दुशमन से मुड़भेड़ होने वाली है, रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए बाइसे तक़वीयत होगा। लिहाज़ा छोड़ दो।' (सही मुस्लिम: 1120) चूंकि आपकी तरफ़ से ये एक ताकीदी हुक्म था इसलिए हम सबने रोज़ा छोड़ दिया, रावी हदीस का बयान है कि इसके बाद हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में रोज़े रखे भी थे। इसी तरह हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सफ़र में एक आदमी को देखा जिस पर लोग जमा हूए थे और उस पर साया किया गया था तो आपने फ़रमाया, क्या माजरा है? लोगों ने बताया कि ये एक रोज़ेदार है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये कोई नेकी नहीं है कि तुम सफ़र में रोज़ा रखो।' (सही मुस्लिम; 1115) नीज़ आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है कि उसकी अता करदा रूख़्सतों को क़बूल कर लिया जाये जिस तरह वह इस बात को नापसन्द करता है कि उसकी मासियत व नाफ़रमानी का इरतेकाब किया जाये। (मुसनद अहमद: 3/108) अगर रोज़ा रखने में कोई तकलीफ़ न हो और कोई रोज़ा रख ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं और अगर तकलीफ़ हो तो फिर रोज़ा रखना ना पसंदीदा अमल है।

बाब : ताजिर रोज़ा छोड़ सकता है

(2403) जनाब हमज़ा बिन मुहम्मद बिन हमज़ा असलमी बयान करते हैं कि उसके वालिद ने उसके दादा से बयान किया (कि हमज़ा असलमी (رضي الله عنه) ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैंने सवारी के जानवर रखे हूए हैं। मेरा काम उन्हीं से मुताल्लिक़ है, सफ़र में रहता हूं, जानवर किराये पर चलाता हूं और बसा औक़ात ये रमज़ान का महीना भी आ जाता है और मैं अपने अंदर ताक़त पाता हूं और जवान हूं। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े मुअख़्ख़र (लेट) करने की बजाये रख लेना ज़्यादा

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيهِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ - يَعْنِي رَمَضَانَ - وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَىَّ

مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ قَالَ " أَىُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ " .

आसान समझता हूं, वरना मेरे ज़िम्मे रह जायेंगे तो ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे रोज़ा रखने में ज़्यादा अज्र है या इफ़्तार करने में? आपने फ़रमाया: 'हमज़ा! जो चाहो कर सकते हो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये बाब और उ़न्वान अबू दाऊद के अक्सर नुस्ख़ों में नहीं है। बहरहाल इसका मतलब भी गुज़िश्ता बाब वाला ही है, यानी वह ताजिर, जो अक्सर सफ़र पर रहता है, रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में उनकी क़ज़ा कर ले। **(2)** मसला इसी तरह है जैसे कि दीगर स़ही अहादीस़ से स़ाबित है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

(2404) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) मदीने से मक्का की तरफ़ रवाना हूए यहाँ तक कि मक़ामे उ़सफ़ान पर पहुँच गये, फिर आपने बर्तन मंगवाया और उसे अपने मुँह की तरफ़ बलन्द किया ताकि लोग आपको देख लें (कि आप इफ़्तार कर रहे हैं) और ये रमज़ान का वाक़िआ है। चूनांचे इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़रमाया करते थे कि बिलाशुब्हा नबी (ﷺ) ने रोज़ा रखा है और छोड़ा भी, सो जो चाहे रख ले और जो चाहे इफ़्तार कर ले।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1948, व मुस्लिम: 1113.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िआ मक्का के सफ़र का है। **(2)** इस हदीस़ से मालूम हूआ कि जिस शख़्स़ ने सफ़र में सुबह को रोज़े की नियत की हो तो शरई उ़ज़्र से किसी वक़्त अगर वह इफ़्तार करना चाहे तो कर सकता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ

(2405) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: हमने रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र किया तो हममें से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने न रखा। चूनांचे रोज़ेदारों ने छोड़ने वालों पर या

فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

छोड़ने वालों ने रोज़ेदारों पर कोई ऐब न लगाया।

(2405) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1947, व मुस्लिम: 1113.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلاَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ " . فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ - قَالَ - ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ " إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا " . فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ .

(2406) क़ज़आ बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि वह लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे और लोग उन पर झुके हूए थे। मैंने भीड़ के छट जाने का इन्तेज़ार किया। जब वह अकेले हो गये तो मैंने उनसे सफ़र में रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि फ़तहे मक्का के साल हम नबी (ﷺ) के साथ रवाना हूए। आपने रोज़े रखे, तो हम भी रखते रहे यहाँ तक कि एक मन्ज़िल पर पहुँचे, तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग अब अपने दुशमन के क़रीब आ गये हो और इफ़्तार करना तुम्हारे लिए ज़्यादा क़ूव्वत का बाइस है।' तो हममें से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने इफ़्तार कर लिया। फिर हम चले और एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग सुबह को अपने दुशमन के मुक़ाबले आने वाले हो और इफ़्तार करना तुम्हारे लिये ज़्यादा क़ूव्वत का बाइस है, सो इफ़्तार कर लो।' चूनांचे ये हुक्म नबी (ﷺ) की तरफ़ से ताकीदी था।

अबू सईद (رضي الله عنه) ने कहा: मुझे याद है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ इससे पहले रोज़े रखे हैं और बाद में भी।

(2406) तख़रीज : मुस्लिम: 1120.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सफ़र में रोज़े रखना या न रखना हर शख़्स के अहवाल और उसकी अपनी सहूलत पर मबनी है। **(2)** सहाब-ए-किराम (ﷻ) नबी (ﷺ) के इरशादात की हक़ीक़त को ख़ूब समझते थे कि कौन सा इरशाद तरग़ीबे महज़ है और कौन सा अज़ीमत। अम्रे अज़ीमत में नबी(ﷺ) की मुख़ालिफ़त किसी भी तरह रवा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इस्तिम्बात व इज्तेहाद बड़े-बड़े आलिमों का काम है। फ़तवा के लिए उन्हीं की तरफ़ रूजू करना चाहिए जो फ़हमे क़ुरआन व सुन्नत का कामिल महारत रखते हों।

बाब : 43
सफ़र में इफ़्तार को तरजीह देना

﴾43﴿ بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

(2407) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷻ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा एक शख़्स को साया किया जा रहा है और लोग उस पर इज़्दहाम (भीड़) किये हूए हैं। (रोज़े और गर्मी के बाइस वह ग़शी खा गया था) तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है।'

(2407) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1946, व मुस्लिम: 1115.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ".

फ़ायदा : जो शख़्स सफ़र में रोज़े की मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला न हो और उसे रोज़े से अज़ीयत (तकलीफ़) होती हो, तो उसके लिए इफ़्तार करना राजेह और अफ़ज़ल है। वरना ख़ूद नबी (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷻ) से रोज़ा रखना भी साबित है।

(2408) हज़रत अनस बिन मालिक (कअबी) से रिवायत है और ये बनी अब्दुल्लाह बिन कअब के ख़ानदान से हैं जो कि बनी क़ुशैर के भाई थे ... (अनस बिन मालिक जो नबी (ﷺ) के ख़ादिम थे वह ख़ज़रजी अन्सारी हैं ...) (कहा) कि

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ - قَالَ أَغَارَتْ

عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَيْتُ - أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ " اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى " . وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

नबी (ﷺ) के सवारों ने हम पर हमला कर दिया तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा और (देखा कि) आप कुछ तनावुल फ़रमा रहे हैं। आपने फ़रमायाः 'आओ! बैठो और हमारे इस तआम (खाने) में से कुछ खा लो।' मैंने अ़र्ज़ कियाः मैं रोज़े से हूं। आपने फ़रमायाः 'बैठ जाओ मैं तुम्हें नमाज़ और रोज़े के मुताल्लिक़ बताता हूं। अल्लाह ने मुसाफ़िर से आधी नमाज़ और रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया है और दूध पिलाने वाली और हामला औरत से भी रोज़ा माफ़ कर दिया है।' क़सम अल्लाह की! आपने उन दोनों का ज़िक्र फ़रमाया था या किसी एक का। बयान करते हैं कि मुझे (बाद में) बहुत अफ़सोस हूआ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के खाने में से क्यों न खाया। (क्योंकि आपके साथ मिलकर खाना सआदत और बाइसे बरकत था और रोज़ा नफ़ल महज़)

(2408) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 715, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीसः 2044.

फ़वाइद व मसाइल : मुसाफ़िर, बच्चे को दूध पिलाने वाली और हामला के लिए रिआयत एक ही सियाक़ में ज़िक्र हूई है मगर तफ़्सील में फ़र्क़ है कि मुसाफ़िर को रोज़ा माफ़ है मगर क़ज़ा करना वाजिब है। और मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) और हामला की बाबत उ़लमा की चार रायें हैं, जिसकी मुख़्तसर तफ़्सील हदीस नम्बरः 2318 के फ़वाइद में गुज़री है। ताहम उन औरतों को अय्यामे इक़ामत में पूरी नमाज़ पढ़नी होती है। शरई उ़ज़्र (हैज़ व निफ़ास) में नमाज़ बिल्कुल माफ़ है और इसकी कोई क़ज़ा नहीं।

﴾44﴿
باب فِيمَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ " .

बाब : 44
कुछ हज़रात सफ़र में रोज़ा रखने को तरजीह देते हैं

(2409) हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) से मरवी है कि हम एक बार सख़्त गर्मी में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किसी ग़ज़वे के लिए रवाना हूए। गर्मी इतनी थी कि हर एक अपना हाथ या अपनी हथेली अपने सर पर रखे हूए था। और हममें से रसूलुल्लाह (ﷺ) और अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिवा और कोई रोज़ेदार न था।

(2409) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1945, व मुस्लिम: 1122.

(2410) जनाब सिनान बिन सलमा बिन मुहब्बक़ हुज़ली अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास सवारी हो कि (उसे आराम से मन्ज़िल पर पहुँचा दे और) पेट भर कर खाना वग़ैरह मिल जाये तो उसे चाहिए कि रमज़ान के रोज़े रखे, जहां भी आ जाये।'

(2410) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/476.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(2411) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे रमज़ान आ पहुँचे और वह सफ़र में हो तो ...' और पिछली रिवायत के हम मानी हदीस़ बयान की।

(2411) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/7: 2410 में देखें।

मल्हूज़ : पिछली दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। क़ुर्आन मजीद में स़राहत है कि सफ़र के दौरान में रोज़ा न रखने की रूख़्सत है, बाद में क़ज़ा दे।

﴾45﴿ باب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

बाब : 45 मुसाफ़िर जब सफ़र के लिये निकले तो किस वक़्त इफ़्तार करे?

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَزَادَ، جَعْفَرٌ وَاللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ، - قَالَ جَعْفَرٌ ابْنُ جَبْرٍ - قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ

(2412) उबैद बिन जबर कहते हैं कि मैं स़हाबी ए रसूल हज़रत अबू बस़रा ग़िफ़ारी (ﷺ) के हमराह था। हम माहे रमज़ान में फ़ुस्तात से कश्ती में सवार हूए जब लंगर उठा लिया गया तो उन्हें उनका स़ुबह का खाना पेश किया गया। जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने अपनी रिवायत में कहा। अभी घरों से दूर भी न हूए थे कि उन्होंने अपना दस्तरख़्वान तलब किया और कहा कि क़रीब हो जाओ। मैं (उबैद) ने कहा: क्या आप घरों को नहीं देख रहे? जनाब अबू बस़रा ने कहा: क्या तुम

فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ - قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ - فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ . قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ

सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐराज़ करना चाहते हो? जाफ़र ने बयान किया, चूनांचे उन्होंने खाना खाया।

(2412) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/397, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2040.

फ़ायदा : सफ़र शूरू होते ही इफ़्तार कर लेना जायज़ है। घरों से दूर होना कोई ज़रूरी नहीं। हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि घर ही में इफ़्तार कर सकता है। इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) कहते हैं जब अपना पाँव रकाब (सवारी) में रखे तो इफ़्तार कर ले।

﴿46﴾
بَاب قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ

बाब : 46
कितनी मसाफ़त के सफ़र में इफ़्तार कर सकता है?

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ، أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ، خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(2413) मन्सूर कल्बी बयान करते हैं कि हज़रत दिहया बिन ख़लीफ़ा कल्बी (رضي الله عنه) एक बार रमज़ान में दमिश्क़ की एक बस्ती से रवाना हूए और इस क़द्र फ़ासले पर गये जो अ़क़बा से फ़ुस्तात तक के बीच है और इनमें तीन मील का फ़ासला है। फिर उन्होंने इफ़्तार कर लिया और उनके साथ लोगों ने भी कर लिया जबकि कुछ दूसरों ने इफ़्तार करने को नापसन्द किया। फिर जब अपनी बस्ती में वापस आये तो कहा: क़सम अल्लाह की! मैंने आज एक ऐसी बात देखी है जिसका मुझे गुमान भी नहीं था कि एक क़ौम रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके अस्हाब की

وسلم وَأَصْحَابِهِ . يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ .

सुन्नत से ऐराज़ करेगी वह ये बात उन लोगों के बारे में कह रहे थे जो रोज़े से रहे (और इफ़्तार न किया) फिर इस मौक़े पर (दुआ करते हूए) कहा: ऐ अल्लाह! मुझे अपनी तरफ़ उठा ले।

(2413) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/398, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 2041.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْصُرُ .

(2414) जनाब नाफ़ेअ (रह.) से मरवी है कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ग़ाबा की तरफ़ तशरीफ़ ले जाते तो इस सफ़र में न इफ़्तार करते और न क़स्र।

(2414) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 4/241.

फ़ायदा : (ग़ाबा) मदीने से शाम की तरफ़ ऊँचाई जानिब एक जगह का नाम है जो तक़रीबन एक बरीद (चार फ़रसख़/तक़रीबन 22 किलोमीटर) दूर है। इतनी मसाफ़त पर क़स्र भी जायज़ है और इफ़्तार भी। अ़ल्लामा शौकानी नैलुल अवतार में फ़रमाते हैं कि इस मसले में जिस मसाफ़त पर क़स्र जायज़ है उस पर इफ़्तार भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई शख़्स़ क़स्र करता है न इफ़्तार, तो जायज़ है, क्योंकि क़स्र व इफ़्तार फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि एक रूख़्सत है, जिससे फ़ायदा उठाना अफ़ज़ल है, लेकिन फ़र्ज़ व वाजिब बहरहाल नहीं है।

(47) بَابُ مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

बाब : 47
जो कोई ये कहे कि मैंने सारा रमज़ान रोज़े रखे

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُمْتُهُ كُلَّهُ

(2415) हज़रत अबूबक्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़ हरगिज़ यूँ न कहे कि मैंने सारा रमज़ान रोज़े रखे और मैंने सारे रमज़ान का क़याम किया।' कहते हैं मुझे मालूम नहीं आपने नेकी को नुमायाँ करना ना पसंद जाना

" . فَلاَ أَدْرِي أَكْرَهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .

या ये बताना चाहा कि बंदा इस दौरान में लाज़मी तौर पर सोता भी रहा है।

(2415) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2111, इब्ने हिब्बान, हदीस: 915.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद में है: 'अपनी नेकियाँ और खूबियाँ मत बयान करो, वह (अल्लाह तआला) तक़्वा वालों को ख़ूब जानता है।' (अन नज्म: 32) ये हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए अगर मक़सूद अपनी बड़ाई का इज़हार और अपनी पाकीज़गी का ऐलान न हो तो हिकायत के तौर पर इसका बयान जायज़ है।

﴾48﴿ بَاب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

बाब : 48 ईद के दिनों में रोज़ा रखना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ .

(2416) अबू उबैद कहते हैं कि मैं ईद के रोज़ हज़रत उमर (رضي الله عنه) के यहां हाज़िर था। आपने पहले नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा दिया और कहा: नबी (ﷺ) ने (ईद के) इन दो दिनों में रोज़े से मना फ़रमाया है। क़ुर्बानी के दिन में तुम अपनी क़ुर्बानियों के गोश्त खाते हो और ईदुल फ़ित्र में तुम रोज़ों से फ़ारिग़ होते हो।

(2416) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1990, व मुस्लिम: 1137.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ

(2417) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो दिनों के रोज़ों से मना फ़रमाया है, यानी ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिनों में। और दो तरह से कपड़े लपेटने से रोका है: एक यूँ कि कोई पूरी तरह से कपड़े में ऐसे लिपट जाये कि

وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ .

कोई अज़्व (पार्ट) भी उससे बाहर न रहे। और दूसरी सूरत यूँ कि अपने ऊपर कपड़ा लपेट कर इस तरह बैठे कि एक जानिब से शर्मगाह को नंगा कर दे। और दो वक़्त में नमाज़ पढ़ने से भी मना फ़रमाया है यानी नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े अस्र के बाद।

(2417) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1991, 1992, व मुस्लिम: 827.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईद के दिनों में रोज़ा रखना हराम है। **(2)** नमाज़े फ़ज्र और अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है, लेकिन कोई क़ज़ा नमाज़ पढ़नी हो या कोई सबबी नमाज़ हो तो कुछ के नज़दीक मुबाह है बशर्ते कि सूरज निकलने या ग़ुरूब होने वाला न हो।

﴿49﴾ بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

बाब : 49 अय्यामे तशरीक़ में रोज़े रखना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ . فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

(2418) अबू मुर्रा मौला उम्मे हानी से रिवायत है कि वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) के साथ उनके वालिद हज़रत अम्र बिन अलआस़(رضي الله عنه) के यहां गये तो उन्होंने दोनों को खाना पेश किया और कहा कि खाओ। अब्दुल्लाह ने कहा: मैं रोज़े से हूं। तो अम्र ने कहा: खाओ, इन दिनों के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें इफ़्तार का हुक्म दिया करते थे और रोज़ों से मना फ़रमाते थे।

जनाब मालिक ने कहा: इससे मुराद अय्यामे तशरीक़ हैं।

(2418) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/197, मौता: 1/376, 377, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2149, हाकिम: 1/435.

फ़वाइद व मसाइल : माहे ज़िल्लिहज्जा की दसवीं तारीख़ के बाद ग्यारह, बारह और तेरह तारीख़ के दिनों को अय्यामे तशरीक़ और अय्यामे मिना कहा जाता है। और यही (अल अय्यामुल मअ़दूदात) हैं। तशरीक़ की वजहे तस्मीया ये है कि लोग इन दिनों में गोश्त के टुकड़े करते और धूप में बिखेर कर सुखाते थे।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىٍّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، - وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " .

(2419) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ؓ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'योमे अ़रफ़ा (नौ जुलहिज्जा) यौमे नहर (दसवीं जुलहिज्जा, क़ुर्बानी का दिन) और अय्यामे तशरीक़ हम अहले इस्लाम के ईद के अय्याम हैं। ये खाने और पीने के दिन हैं।'

(2419) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 773, नसाई, हदीस़: 3007.

फ़ायदा : अय्यामे तशरीक़ अस़ल में ईद ही के अय्याम हैं। इनमें आ़म नफ़्ली रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अलबत्ता हज्जे तमत्तोअ़ वाला अगर क़ुर्बानी की इस्तेताअ़त न रखता हो तो उस पर दस रोज़े लाज़िम आते हैं। तीन दिन अय्यामे हज में और सात घर वापस आकर। चूनांचे उसको रूख़्स़त है कि अय्यामे तशरीक़ में ये रोज़े रख लें सूरह बक़र: (आयत नं:196) में है। अलबत्ता इसमें यौमे अ़रफ़ा का जो ज़िक्र है कि इस दिन भी रोज़ा रखना स़ही नहीं है, तो ये बात हाजियों के लिए है। उनके लिए रोज़ा न रखना बेहतर है, ताकि वह अ़रफ़ात में वक़ूफ़ की इबादत स़ही तरीक़े से कर सकें। लेकिन ग़ैर हाजियों के लिए यौमे अ़रफ़ा (9 जुलहिज्जा) के रोज़े की यही फ़ज़ीलत है कि उनके लिए ये दो साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

बाब : 50
जुमे का दिन ख़ास करके रोज़ा रखना मना है

﴿50﴾ باب النَّهْىِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ "

(2420) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स जुमे का रोज़ा न रखे मगर ये कि उससे पहले एक दिन रोज़ा रखे या एक दिन बाद।'

(2420) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़ 1985, व मुस्लिम: 1144.

फ़ायदा : रोज़े के सिर्फ़ जुमे के दिन को ख़ास कर लेना या रात के क़याम व नवाफ़िल के लिए जुमे की रात को ख़ास एहतिमाम करना जायज़ नहीं। इस मनाही की इल्लत (कारण) रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं। सिवाए इसके कि जुमे के दिन को ईद का दिन कहा गया है और ये ख़ास ज़िक्र व इबादत का दिन है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुल बारी में और फिर अ़ल्लामा शौकानी (रह.) ने नैलुल अवतार (4/281) में इन इल्लतों का ज़िक्र किया है और इश्कालात भी वारिद किये हैं। कुछ लोग जुमे की रात को स़लातुल ग़ायब पढ़ते हैं जो सूफ़ियों की ईजाद करदा बिद्अत है। कुछ औक़ात जुमेरात और जुमे या इन रातों को दर्स व तब्लीग़ का एहतिमाम किया जाता है तो इसमें इन्शाअल्लाह कोई मुज़ायक़ा (हर्ज़) नहीं क्योंकि ये मजालिस मारूफ़ इबादत नहीं। ये आ़माल इन्तेज़ाम व सहूलत के पेशे नज़र होते हैं, जुमे की ख़ुसूसियत से नहीं। वल्लाहू आ़लम!

बाब : 51
हफ़्ते के दिन को बतौर ख़ास रोज़ा रखना मना है

﴿51﴾ باب النَّهْىِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ، - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ

(2421) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र सुलमी की बहन स़म्मा (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हफ़्ते के दिन का रोज़ा न रखो, सिवाए उन अय्याम (दिनों) के

بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُخْتِهِ، - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ .

जिनमें तुम पर ये फ़र्ज़ हों हफ़्ते के दिन अगर तुम्हें अंगूर की शाख़ का छिलका मयस्सर आये या किसी दरख़्त की लकड़ी तो उसे ही चबा लो।' (अपने आपको बे रोज़ा बना लो)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ मन्सूख़ है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र, हिम्सी हैं और ये हदीस़ मन्सूख़ है। इसको हज़रत जुवैरिया की हदीस़ ने (जो आगे आ रही है) मन्सूख़ कर दिया है।

(2421) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 744, इब्ने माजा, हदीस़: 1726.

फ़वाइद व मसाइल : हफ़्ते का दिन यहूदियों की इबादत का दिन है और हमें उनकी मुख़ालिफ़त का हुक्म है, लिहाज़ा आगे पीछे के दिन साथ मिल जायें या मिला लिए जायें तो कोई हर्ज नहीं, जैसे अय्यामे बीज़, अय्यामे आ़शूरा वग़ैरह लेकिन अगर क़ज़ा या नज़र का रोज़ा हो या योमे अ़रफ़ा हफ़्ते के दिन में पड़ रहा हो या कोई स़ौमे दाऊद का आ़मिल हो तो हफ़्ते के दिन का रोज़ा मुबाह होगा। क्योंकि ये तख़्स़ीस़ नहीं। इमाम अबू दाऊद का इस हदीस़ को मन्सूख़ कहने से मुराद बक़ौल अ़ल्लामा अल्बानी (रह.), शायद इब्ने हिब्बान और हाकिम की ये रिवायत हो 'जनाब कुरैब मौला इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) कहते हैं कि मुझको हज़रत इब्ने अ़ब्बास और चंद दीगर अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा कि उनसे पूछ कर आओ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ज़्यादातर किन दिनों में रोज़े रखते थे। उन्होंने जवाब दिया कि हफ़्ते और इतवार को। मैं ये जवाब लेकर उन हज़रात की ख़िदमत में पहुँचा और उन्हें बताया तो उन्होंने इस पर (तअ़ज्जुब आमेज़) इन्कार किया। और फिर वह सभी उम्मुल मोमिनीन की ख़िदमत में चले गये और उनसे कहा: हमने आपसे ये ये पुछवाया था और आपने यूँ यूँ जवाब दिया है तो उन्होंने कहा कि उसने सच कहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) हफ़्ते और इतवार के दिनों में अक्स़र रोज़ा रखा करते थे और फ़रमाया करते थे कि ये मुश्रिकीन के ईद के दिन हैं और मैं उनकी मुख़ालिफ़त करना चाहता हूं।' इमाम हाकिम ने इसकी सनद को स़ही कहा है और ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़िक़त की है मगर अ़ल्लामा अ़ब्दुल हक़ अल अशबीली (रह.) ने 'अल अहकामुल वुस्ता' में इसकी सनद को ज़ईफ़ कहा है और अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) ने भी इसे ही तर्जीह दी है। (अरवा अलग़लील, हदीस़: 960) अलग़र्ज़ हदीस़ स़ही और मुहकम है मन्सूख़ नहीं और उ़नवाने बाब ही से सब इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं, यानी इस दिन को ख़ास़ करना जायज़ नहीं, जुमे या इतवार का दिन साथ मिला लेना ज़रूरी है।

बाब : 52
हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने की रूख़सत

﴾52﴿

باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ - عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ " أَصُمْتِ أَمْسِ". قَالَتْ لاَ . قَالَ " تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " فَأَفْطِرِي

(2422) हज़रत जुवैरिया बिन्ते हारिस़ (﵂) से मरवी है कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमे के दिन उनके यहां तशरीफ़ लाये जबकि ये रोज़ा से थीं। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या तुमने कल (जुमेरात को) रोज़ा रखा था?' कहने लगीं कि नहीं। फ़रमाया: 'क्या कल (हफ़्ते) को रोज़ा रखोगी?' कहने लगीं कि नहीं। फ़रमाया: 'तो इफ़्तार कर दो।'

(2422) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1986.

फ़ायदा : जुमे के दिन का रोज़ा रखा जा सकता है मगर आगे पीछे का कोई एक दिन साथ मिलाकर। ऐसे ही जुमे के मुताल्लिक़ गुज़र चुका है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ .

(2423) इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी के मुताल्लिक़ आता है कि उनसे जब ये ज़िक्र किया जाता है कि हफ़्ते के दिन का रोज़ा रखने से मना किया गया है तो वह कहते: ये हदीस़ हिम्स़ी है।

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 2421 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : पिछली (हदीस़: 2421) अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र की सनद में स़ौर बिन यज़ीद और ख़ालिद बिन मअ़दान अहले हिम्स़ से हैं। और इस जुम्ले में इसकी कमज़ोरी की तरफ़ इशारा है, मगर अ़ल्लामा अल्बानी (रह.) की तहक़ीक़ क़ाबिले दाद है, अरवा अलग़लील (जिल्द 4, स़: 124, हदीस़: 960) में फ़रमाते हैं: इस हदीस़ की तीन सनदें हैं और तीनों स़ही हैं। इनकी रोशनी में इस पर ये तअ़न 'इस्राफ़' है। ऐसे ही इमाम मालिक का (नीचे का कौल) क़ौल कि ये 'झूठ है' दुरूस्त नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ . يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ هَذَا كَذِبٌ .

(2424) इमाम ओज़ाई ने कहा: मैं एक मुद्दत तक इस रिवायत को छिपाये रहा। यानी पिछली हदीसे अब्दुल्लाह बिन बुस्र जो कि हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने के बारे में है यहाँ तक कि मैंने देखा कि मशहूर हो गई है।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इमाम मालिक ने कहा ये झूठ है।

(2424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : पिछली तफ़्सील से वाज़ेह है कि जुमे के दिन की तरह सिर्फ़ हफ़्ते के दिन भी रोज़ा रखना मना है। मगर ये कि उसके साथ इतवार का या जुमा का रोज़ा मिला लिया जाये, फिर जुमे और हफ़्ते का रोज़ा जायज़ होगा। इसी तरह इन दोनों दिनों (जुमा और हफ़्ता) में फ़र्ज़ रोज़ा, नज़र का रोज़ा, फ़ौत शुदा रोज़ा की क़ज़ा का रोज़ा, कफ़्फ़ारा का रोज़ा, इस दिन अरफ़ा या आशूरा आ जाये तो उनका रोज़ा, ये सारे रोज़े रखने जायज़ होंगे।

53
بَابٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

बाब : 53
सदा नफ़्ली रोज़े से रहना

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2425) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप रोज़े किस तरह रखते हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी बात से नाराज़ हो गये। जब हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने ये सूरते हाल देखी तो बोले: हम अल्लाह तआला के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हैं, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि वह हम पर नाराज़ हो या

उसका रसूल। और हज़रत उमर(ﷺ) अपनी ये बात मुसलसल दोहराते रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुस्सा ख़त्म हो गया। फिर (हज़रत उमर (ﷺ) ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो हमेशा ही रोज़े से रहता हो? आपने फ़रमाया: 'उसने रोज़ा रखा न इफ़्तार किया' मुसद्दद के अल्फ़ाज़ थे: (लम यसुम वलम युफ़तिर... या मासामा वला अफ़तर) ये शक ग़ैलान को हूआ है। (हज़रत उमर(ﷺ) ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो दो दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया: 'क्या भला किसी को इसकी ताक़त भी है?' हज़रत उमर(ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और वह आदमी कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया: 'ये हज़रत दाऊद (अलैहि.) का रोज़ा है।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और वह आदमी कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और दो दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया: 'मेरा जी चाहता है कि मुझे इसकी ताक़त दी जाती।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन दिन हर महीने में और रमज़ान से रमज़ान तक, (हर रमज़ान में पूरे रोज़े रखना) यही सियामुद दहर है। (सदा रोज़े से रहना है) और अरफ़ा का रोज़ा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि वह इसे एक साल गुज़िश्ता और एक साल

مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ . فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " . قَالَ مُسَدَّدٌ " لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ أَوْ مَا صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " . شَكَّ غَيْلاَنُ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ " وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ

يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ "

आइन्दा का कफ़्फ़ारा बना देगा ... और आ़शूरा मुहर्रम का रोज़ा ... मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि वह इसे गुज़िश्ता एक साल का कफ़्फ़ारा बना देगा।'

(2425) तख़रीज : मुस्लिमः 1162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का नाराज़ होना इस बिना पर था कि उसने अपनी हिम्मत और ताक़त से ज़्यादा का सवाल किया था। जबकि इस सिलसिले में कोई शख़्स आप (ﷺ) के हम पल्ला नहीं हो सकता। **(2)** स़हाब-ए-किराम रसूल (ﷺ) के मिज़ाज को समझते थे, बिलख़ुसूस़ हज़रत उ़मर (رضي الله عنه), वह जानते थे कि आपका गुस्सा किस तरह से दूर हो सकता है और वह था ... एक अल्लाह की रूबूबीयत, मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत व नबूवत और इस्लाम के दीन होने का इक़रार, बल्कि इसके लिए दिली तौर पर रज़ामंदी का इज़हार करना। **(3)** बग़ैर किसी गैप के मुसलसल रोज़े रखने पर नबी (ﷺ) ने बतौर वईद फ़रमाया कि ऐसे शख़्स को न रोज़ों का स़वाब मिला और न उसने इफ़्तार का लुत्फ़ पाया, यानी जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत कि दो दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़्तार करना, ये भी एक भारी और मुश्किल अ़मल है, तीसरी सूरत में भी मशक्क़त है मगर इससे भी आसान तरीन और अज्र में कामिल हर महीने में तीन रोज़े रखना मरग़ूब व मतलूब है। **(4)** आ़शूरा अगरचे दसवीं मुहर्रम को कहते हैं मगर इसके लिए भी एक दिन पहले या बाद में रोज़ा रखना चाहिए। (मज़ीद तफ़्स़ील आगे अहादीस़: 2442 व माबाद में आ रही है) **(5)** गुज़िश्ता साल का कफ़्फ़ारा इस मानी में है कि इसकी लग़ज़िशें माफ़ कर दी जाती हैं और आइन्दा साल का कफ़्फ़ारा इस मानी में है कि अल्लाह उसे गुनाहों से महफ़ूज़ रखेगा या अगर हो जायें तो माफ़ फ़रमा देगा। ख़्याल रहे कि इस क़िस्म की तमाम तरग़ीबी व तशवीक़ी अहादीस़ इस अम्र से मशरूत हैं कि ये आ़माले स़ालेहा अल्लाह तआ़ला के यहां शर्फ़े क़बूलियत पा लें, तभी ये अज्र मुरत्तब होगा ... और किसे ख़बर कि उसका अ़मल पक्का क़बूल हो गया है। इसलिए मोमिन आ़माले ख़ैर करके किसी धोखे में नहीं आ सकता। बल्कि क़बूलियत की उम्मीद पर मज़ीद आ़माले स़ालेहा के लिए मेहनत करता और फ़िक्रमंद रहता है कि कहीं उसके आ़माल रद्द ही न कर दिये जायें।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

(2426) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से इस रिवायत में मरवी है (मूसा बिन इस्माईल ने) मज़ीद कहाः ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह(ﷺ)! सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमायाः 'इस रोज़

وَيَوْمِ الْخَمِيسِ قَالَ " فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَىَّ الْقُرْآنُ " .

मेरी विलादत हूई और इसी में मुझ पर क़ुर्आन नाज़िल किया गया।' (सोमवार के दिन)

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 3845.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी विलादत बासआदत का दिन मुबारक और ख़ूशी का दिन है मगर इस ख़ूशी के इज़हार और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के शुक्र अदा करने का मशरूअ व मसनून तरीक़ा यही है कि इस दिन रोज़ा रखा जाये ... कहाँ ये मुबारक सुन्नत और कहां अहले बिदअत की वह मज़मूम बिदअत कि जिसका साल बाद निहायत मुसरिफ़ाना अन्दाज़ में एहतिमाम किया जाता है। (अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क़ा हक्क़न वरज़ुक़ना इत्तेबअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इजतिनाबहु)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ " . قَالَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ . قَالَ " قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ

(2427) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस (ؓ) का बयान है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मुझ से मिले और फ़रमाया: 'मुझे बताया गया है कि तुम कहते हो: मैं रात भर क़याम और दिन को रोज़ा ही रखा करूंगा?' मैंने कहा: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ऐसा कहा है। आपने फ़रमाया: '(रात को) क़याम करो और आराम भी करो, रोज़े रखो और इफ़्तार भी करो (बल्कि) हर महीने में तीन रोज़े रखा करो, ये स़ियामे दहर की मानिन्द होंगे।' (गोया ज़माना भर रोज़े रखे)। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इससे ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: 'एक दिन रोज़ा रखकर दो दिन इफ़्तार कर लिया करो।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूं। फ़रमाया: 'तो एक दिन रोज़ा रखा करो और एक दिन इफ़्तार कर लिया करो, ये रोज़े रखने की बीच की स़ूरत है और ये स़ियामे दाऊद है।' मैंने कहा: मैं इससे

أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

ज़्यादा की ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: 'इससे बढ़कर कुछ अफ़ज़ल नहीं।'

(2427) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 1976, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 7862, व मुस्लिम: 1159.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की तअलीम व तल्क़ीन अ़मल में इन्तेहाई हल्का और अज्र में बहुत अ़ज़ीम है मगर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की तबीअ़त ज़्यादा की हरीस़ थी इसलिए ज़्यादा की इजाज़त तलब करते रहे मगर जब बुढ़ाबे में कमज़ोर हो गये तो कहा करते थे: 'काश मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमाये हूए तीन दिन क़बूल कर लिये होते, वह मुझे मेरे अहल और माल से ज़्यादा महबूब थे।' (स़ही मुस्लिम)

﴾54﴿ بَاب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

बाब : 54 हुरमत वाले महीनों में रोज़ा रखने के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ، عَنْ أَبِيهَا، أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي قَالَ " وَمَنْ أَنْتَ " . قَالَ أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ . قَالَ " فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ " . قَالَ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلاَّ بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ "

(2428) हज़रत मुजीबा बाहिलिया अपने वालिद या चचा से रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया। फिर एक साल के बाद (दोबारा) आया तो उसकी हालत व कैफ़ियत बदली हूई थी। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने मुझे पहचाना नहीं ? आपने फ़रमाया: 'तुम कौन हो?' उसने कहा: मैं वही बाहिली हूं जो पिछले साल आया था। आपने पूछा: 'तुम्हारी हालत इस तरह ग़ैर (बदल) क्यों हो रही है, हालांकि तुम अच्छे भले थे?' कहने लगा: जब से मैं आपके पास से गया हूं मैंने ये मामूल बना लिया है कि बस रात ही को खाना खाता हूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने अपने आप को अ़ज़ाब में क्यों डाल रखा है?' फिर फ़रमाया: माहे स़ब्र

. ثُمَّ قَالَ " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " . قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ زِدْنِي . قَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . قَالَ زِدْنِي . قَالَ " صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ " . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا .

(रमज़ान) के रोज़े रखा करो और फिर हर महीने एक रोज़ा।' उसने कहा: मुझे ज़्यादा की इजाज़त दीजिए, यक़ीनन मैं ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: 'दो दिन रोज़े रखो'। उसने कहा: मुझे ज़्यादा की इजाज़त दीजिए, आपने फ़रमाया: 'तीन दिन रख लिया करो' उसने कहा: मेरे लिए ज़्यादा कीजिए। आपने फ़रमाया: 'हुरमत के महीनों में रोज़े रखो और छोड़ दो, हुरमत के महीनों में रोज़े रखो और छोड़ दो, हुरमत के महीनों में रोज़े रखो और छोड़ दो।' और आप (ﷺ) ने तीन ऊंगलियों से इशारा फ़रमाया। पहले उनको बंद किया फिर खोल दिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1741.

फ़ायदा : साल में चार महीने हुरमत वाले हैं: ज़ुलक़अदा, ज़ुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। क़ुर्आन मजीद में है: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के यहां महीनों की गिनती बारह महीने है अल्लाह की किताब में, जब से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। इनमें से चार हुरमत वाले हैं।' (अत्तौबा:36)

(55) بَابٌ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

बाब : 55
माहे मुहर्रम में रोज़े का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ

(2429) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे अफ़ज़ल रोज़े माहे रमज़ान के बाद, अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, और सबसे अफ़ज़ल नमाज़ फ़र्ज़ों के बाद रात की नमाज़ है।' क़ुतैबा बिन सईद ने (शहर) का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ़

الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ " .
لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ " شَهْرِ " . قَالَ " رَمَضَانَ " .

(रमज़ान) कहा।
(2429) तख़रीज : मुस्लिम: 1163.

फ़ायदा : मुहर्रम के महीने में नफ़्ली रोज़ों की बड़ी फ़ज़ीलत है। इसके अलावा आशूरह मुहर्रम और इसके साथ एक दिन और मिलाकर रोज़ा रखने का मसला है जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है।

باب فِي صَوْمِ رَجَبَ (56)

बाब : 56 माहे रजब में रोज़े रखने का बयान

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ - قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ، رَجَبَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ

(2430) उस्मान बिन हकीम कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर से रजब के रोज़े के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने कहा: मुझे इब्ने अब्बास(ﷺ) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखा करते तो हम कहते: अब नहीं छोड़ेंगे और कभी छोड़ देते तो हम कहते: अब नहीं रखेंगे।
(2430) तख़रीज : मुस्लिम.

तौज़ीह : रजब, हुरमत वाले महीनों में से है। और इस हदीस़ की रोशनी में कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस महीने में ख़ूब रोज़े रखते थे। या ये मुराद है कि दीगर महीनों की तरह कभी रखते और कभी न रखते थे। इसका कोई ख़ास़ हुक्म नहीं है। वल्लाहू आलम!

باب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ (57)

बाब : 57 माहे शाबान में रोज़े रखने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ

(2431) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रोज़े रखने के लिये नबी (ﷺ) को शाबान का महीना सबसे

الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

ज़्यादा पसन्द था फिर आप उसे (गोया) रमज़ान ही से मिला देते थे।

(2431) तख़रीज : (सनद सहीह) नसाई, हदीस: 2302, मुसनद अहमद: 6/188.

वज़ाहत : मुख़्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में हज़रत आयशा (ﷺ) का ये बयान या तो मुबालग़ा पर मबनी है, या ये मक़सद है कि आप (ﷺ) कुछ औक़ात रोज़े इब्तेदाए महीना में रखते, कभी दरम्याने महीना में और कभी आख़िर महीना में, या ये मक़सद है कि ख़ाल ख़ाल ही किसी दिन नाग़ा करते थे वरना आम अय्याम में रोज़े ही रखते थे। माहे शाबान फ़ज़ीलत वाला महीना है। रसूलुल्लाह (ﷺ) इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और आप (ﷺ) ने फ़रमाया कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह तआला के यहां पेश किये जाते हैं और मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किये जायें तो मैं रोज़े से होऊं। (सुनन नसाई, हदीस: 2359) इसी तरह शाबान की पन्द्रहवीं रात की फ़ज़ीलत की बाबत एक हदीस सनदन सहीह है इसमें आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला इस रात शिर्क करने और बुग़्ज़ व कीना रखने वाले के सिवा तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। (मजमूअ अज़्ज़वाइद, 8/65 व इब्ने हिब्बान, हदीस: 5665 वस्सहीहा हदीस: 1144) रोज़े की बाबत आपसे मरवी है आप शाबान के महीने के किसी दिन को रोज़े के साथ ख़ास नहीं करते थे बल्कि इस माह में अक्सर रोज़े रखा करते थे, दूसरी बात कि पन्द्रहवीं रात को अगर कोई इस नियत से इबादत करता है कि इस रात अल्लाह तआला बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है, तो वह मुमकिन हद तक हर किसी के हुक़ूक़ का लिहाज़ रखते हूए इबादत कर सकता है लेकिन इस रात में चराग़ां करना या मोमबत्तियाँ जलाना या अगले दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। वल्लाहू आलम!

(58) بَاب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

बाब : 58
माहे शव्वाल में रोज़ों का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ - أَوْ سُئِلَ

(2432) उबैदुल्लाह बिन मुस्लिम कुरैशी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि सियामे दहर (हमेशा रोज़े रखने) के मुताल्लिक़ मैंने नबी(ﷺ) से सवाल किया या किसी और ने पूछा तो आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक़

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ " إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

है, रमज़ान में रोज़े रखो और उसके साथ वाले महीने में (शव्वाल में) और हर बुध और जुमेरात को (भी) तो इस तरह तुम ज़माना भर रोज़े रखने वाले हो गये।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये (रावी हदीस़ उ़बैदुल्लाह बिन मुस्लिम के नाम में) ज़ैद बिन हबाब उ़कली ने उ़बैदुल्लाह बिन मूसा की ताईद की है और अबू नुऐम ने मुख़ालिफ़त की है। (कुछ लोग मुस्लिम बिन उ़बैदुल्लाह कहते हैं और कुछ ने मुस्लिम बिन अ़ब्दुल्लाह कहा है)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 748.

﴾59﴿ بابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

बाब : 59
शव्वाल में छः रोज़े रखने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ " .

(2433) नबी (ﷺ) के स़हाबी ह़ज़रत अबू अय्यूब (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके बाद शव्वाल में छः रोज़े रखे तो उसने गोया ज़माना भर रोज़े रखे।'

(2433) तख़रीज : मुस्लिम: 1164.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ में शश ईदी रोज़ों की फ़ज़ीलत व इस्तेहबाब का बयान है। और जायज़ है कि ये ईद के बाद फ़ौरन मुसलसल रख लिये जायें या इस महीने में मुतफ़र्रिक़ तौर पर रखे जायें। **(2)** 'ज़माना भर' यानी साल भर के रोज़ों का स़वाब इस तरह वाज़ेह किया जाता है कि हस्बे क़ायदा (मन जाआ बिल्हसनति फ़लहू अश्रू अम्सालिहा) (अल अनआ़म: 160) रमज़ान के तीस और शव्वाल के छः दिन कुल छत्तीस दिन हूए और दस गुना स़वाब से तीन सौ साठ हो गये और तक़रीबन यही तअ़दाद साल के दिनों की होती है। वल्लाहू आलम!

बाब : 60
नबी (ﷺ) के रोज़े रखने की कैफ़ियत

(60) باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

(2434) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखना शुरू कर देते तो हम समझते कि अब नहीं छोड़ेंगे और जब छोड़ देते तो हम समझते कि अब नहीं रखेंगे। मैंने नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों और आप शाबान के अलावा किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े न रखते थे।

(2434) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1969, मौता, 1/309, व मुस्लिम: 1156.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने रोज़े रखने के लिये कोई दिन या तारीख़ मख़सूस नहीं की थीं, बल्कि हस्बे रग़बत रखते थे। ताहम सोमवार और जुमेरात के रोज़ों का आप ख़ास तौर पर एहतिमाम फ़रमाते थे, जैसा कि अगले बाब में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . زَادَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

(2435) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं जैसे कि पिछली हदीसे आयशा में गुज़रा है। और इसमें इस क़द्र ज़्यादा है कि आप (ﷺ) शाबान में बहुत कम नाग़ा (छुट्टी) फ़रमाते थे बल्कि (गोया) सारा शाबान ही रोज़े रखते थे।

(2435) तख़रीज : (सनद हसन)

बाब : 61
सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े की फ़ज़ीलत

(61) بَاب فِي صَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مَوْلَى، قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلَى، أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ .

(2436) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) के गुलाम ने बयान किया कि वह हज़रत उसामा(رضي الله عنه) के साथ उनका माल लेने के लिये वादी ए क़ुरा की तरफ़ गया। उसामा (رضي الله عنه) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। गुलाम ने उनसे पूछाः आप सोमवार और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं, हालांकि आप बड़ी ऊ़मर के बूढ़े हो गये हैं? तो उन्होंने कहाः नबी (ﷺ) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। आप (ﷺ) से इसके मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 'सोमवार और जुमेरात को बंदों के ऊ़ामाल (अल्लाह के हुज़ूर) पेश किये जाते हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हिशाम दस्तवाई ने यहया से और उसने ऊ़मर बिन अबी हकम से इसी तरह रिवायत किया है।

(2436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/210, तिर्मिज़ी, हदीस: 745.

फ़ायदा : इसके अलावा स़ही मुस्लिम वग़ैरह की एक हदीस़ में यूँ है कि 'रात के अ़मल दिन होने से पहले पहले और दिन के अ़मल रात होने से पहले पहले उसकी तरफ़ उठाये जाते हैं।' (या उसके हुज़ूर पेश किये जाते हैं) (स़ही मुस्लिम) अलग़र्ज़ इन अहादीस़ में रफ़ऐ ऊ़ामाल के निज़ाम का बयान है जो बिलाताख़ीर व तअतील अल्लाह अ़ज्ज़ व जल्ल तक पहुँच रहे हैं और इन पेशयों में नोईयत का फ़र्क़ हो सकता है, एक रोज़ाना की है और दूसरी हफ़्तावार जो सोमवार और जुमेरात को होती है और इसी तरह शाबान के मुताल्लिक़ भी आता है, तो वह पेशी सालाना हो सकती है। वल्लाहू आ़लम!

बाब : 62
अ़शर–ए–ज़ुलहिज्जा में रोज़ों का बयान

﴿62﴾
باب فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

(2437) उम्महातुल मोमिनीन में से एक का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुलहिज्जा के (पहले) नो दिन, आशूरह, मुहर्रम, हर महीने में तीन दिन और हर महीने के पहले सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे।

(2437) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2374.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ .

(2438) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला को कोई नेक अ़मल किसी दिन में इस क़द्र पसन्दीदा नहीं है जितना कि इन दिनों में पसन्दीदा और महबूब होता है।' यानी ज़ुलहिज्जा के पहले दस दिन में। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं मगर जो कोई शख़्स अपनी जान व माल लेकर निकला हो और फिर कुछ वापस न लाया हो।'

(2438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 969.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ " . يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ " وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ " .

फ़ायदा : ये अहादीस़ दलील हैं कि ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिनों में रोज़े रखने और दीगर आ़माले

सालेहा की इन्तेहाई फ़ज़ीलत है। रमज़ान के आख़री अशरा और अशरा ज़ुलहिज्जा में तक़ाबुला तौर पर उलमा इस तरह बयान करते हैं अशरा रमज़ान की रातें अफ़ज़ल हैं क्योंकि उनमें लैलतुल क़द्र आती है और अशरा ज़ुलहिज्जा के दिन अफ़ज़ल हैं।

बाब : 63
अशर–ए–ज़ुलहिज्जा में रोज़े छोड़ देने का बयान

﴿63﴾ باب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ .

(2439) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अशरा ज़ुलहिज्जा में कभी भी रोज़े से नहीं देखा।

(2439) तख़रीज : मुस्लिम: 1176.

फ़ायदा : अशर–ए–ज़ुलहिज्जा से मुराद, ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिन हैं। इन दिनों में रोज़ा रखना बहुत ही मुस्तहब है जैसा कि ऊपर की अहादीस़ में आया है और हदीस़: 2437 में आप (ﷺ) का अमल मज़कूर हूआ है और हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) के इस बयान का मफ़हूम यूँ है कि या तो नबी (ﷺ) कुछ अवारिज़ की बिना पर रोज़े नहीं रख सके या हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) को इत्तेफ़ाक़ नहीं हूआ कि आपको रोज़े से देखें।

बाब : 64
मैदाने अरफ़ात में अरफ़ा का रोज़ा रखना

﴿64﴾ باب فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

(2440) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि अरफ़ा के रोज़ अरफ़ात में रोज़ा रखा जाये।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1732, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 2101, हाकिम: 1/434.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुलहिज्जा की नवीं तारीख़ को, जिस दिन वक़ूफ़े अ़रफ़ात होता है, यौमे अ़रफ़ा कहते हैं। **(2)** ये हदीस़ ज़ईफ़ है। इसलिए इससे मुमानिअ़त स़ाबित नहीं होती। अलबत्ता चूंकि हाजियों को अ़रफ़ात का वक़ूफ़ और इस बीच में दुआ़ व मुनाजात में मशग़ूल रहना होता है इसलिए उनके लिये ये अ़मल रोज़े की निस्बत बेहतर है। ग़ैर हाजी के लिये इस रोज़े की फ़ज़ीलत स़ाबित है जो पीछे बयान हो चुकी है। (हदीस़: 2425)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا، تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ .

(2441) हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस़ (رضي الله عنها) से मरवी है कि अ़रफ़ा के रोज़ उनके यहां कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के रोज़े के बारे में इख़्तिलाफ़ किया, कुछ ने कहा: आप रोज़े से हैं और कुछ ने कहा आप रोज़े से नहीं हैं। चूनांचे मैंने आपकी ख़िदमत में दूध का एक प्याला भेज दिया, जब कि आप अ़रफ़ा के मैदान में अपने ऊँट पर सवार वक़ूफ़ फ़रमाये हूये थे, तो आपने वह नोश फ़रमा लिया। (और इस तरह मालूम हो गया कि आपने रोज़ा नहीं रखा है।)

(2441) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1988, मौता: 1/375, व मुस्लिम: 1123.

बाब : 65
यौमे आ़शूरा के रोज़े का बयान

﴾65﴿
باب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ

(2442) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि आ़शूरा (दसवीं मुहर्रम) का दिन ऐसा था कि अहले क़ुरैश इस्लाम से पहले इसका रोज़ा रखा करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी नबूवत से पहले ये

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

रोज़ा रखते थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने इस दिन का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया। पस जब रमज़ान फ़र्ज़ हूआ तो वही फ़रीज़ा हो गया और आशूरा छोड़ दिया गया, जो चाहता रख लेता और जो चाहता न रखता।

(2442) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2002, मौता: 1/299, व मुस्लिम: 1125.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " .

(2443) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) का बयान है कि इस्लाम से पहले हम दसवीं मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। जब रमज़ान का हुक्म नाज़िल हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये अल्लाह के दिनों में से एक दिन है जो चाहे है इसका रोज़ा रख ले और जो चाहे छोड़ दे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4501, व मुस्लिम.

फ़ायदा : दिन तो सारे ही अल्लाह के हैं, मगर जिन दिनों में कोई ख़ास वाक़िआ पेश आया हो और दीनी व शरई ऐतबार से उनकी अहमियत हो, तो उन्हें (अय्यामुल्लाह) कहा गया है।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(2444) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो देखा कि यहूद आशूरा का रोज़ा रखते हैं। उनसे इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: ये दिन वह है कि जिसमें अल्लाह तआला ने मूसा (अलैहि.) को फ़िरऔन पर ग़ालिब फ़रमाया था, और हम उसकी तअ्ज़ीम में रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम तुम्हारी

وسلم " نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ " . وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

निस्बत मूसा (अलैहि.) से ज़्यादा क़रीब हैं।' और इस दिन के रोज़े का हुक्म इरशाद फ़रमाया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3943, व मुस्लिम: 1130.

(66) باب مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

बाब : 66
ये रिवायत कि आशूरा नवीं मुहर्रम है

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ " . فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब नबी (ﷺ) ने आशूरा का रोज़ा रखा और हमें भी इसका हुक्म दिया, तो सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस दिन की यहूद व नसारा तअ़ज़ीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब अगला साल आयेगा तो हम नवीं तारीख़ का (भी) रोज़ा रखेंगे।' मगर अगला साल न आया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हो गई।

(2445) तख़रीज : मुस्लिम: 1134.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सल्फ़ व ख़ल्फ़ के जुम्हूर उलमा इस बात के क़ायल हैं कि आशूरा से मुराद मुहर्रम की दसवीं तारीख़ है, मगर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि इससे मुराद, 'नवीं मुहर्रम' है। और इसकी वज़ाहत ये बयान की जाती हैं कि अहले अरब का एक अन्दाज़ा ये था कि ऊँटों को चरागाह में चराने के बाद पानी पिलाने के लिये लाते तो जब उन्होंने एक दिन पानी पिलाने के बाद दो दिन चराया होता और अगले दिन आते तो कहते (वरदना अरबअ़न) 'हम चौथे दिन आये या चौथे दिन पानी

पिलाया' हालांकि दरहक़ीक़त वह तीसरा दिन होता। इसी तरह तीन दिन चराने के बाद अगले दिन लौटते तो कहते (वरदना ख़मसन) 'हम पाँचवें दिन आये या पाँचवें दिन पानी पिलाया' हालांकि दर हक़ीक़त वह चौथा दिन होता। इसी अंदाज़ पर हज़रत इब्ने अब्बास आशूरा को नवीं तारीख़ बताते हैं। (ख़त्ताबी) मगर ये वज़ाहत सही नहीं है, राजेह मफ़हूम आगे आ रहा है। **(2)** इस फ़रमाने मुबारक का ये मफ़हूम है कि हम नवीं तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे। दीगर रिवायात की रोशनी में यही मानी दुरूस्त है। मुसनद अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरफ़ूअन वारिद है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदियों की मुख़ालिफ़त करो, उनसे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखो।' (मुसनद अहमद: 1/241) जनाब अता हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि 'नवीं और दसवीं का रोज़ा रखो और यहूद की मुख़ालिफ़त करो।' (अलबैहक़ी: 4/287) इन रिवायात से मालूम होता है कि (पेश आमद रिवायत: 2446 में) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ये कहना कि 'जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो शुमार करो जब नवीं तारीख़ आये तो रोज़ा रखो इससे ये मुराद नहीं कि आशूरा नवीं तारीख़ को कहते हैं बल्कि उनकी मुराद ये कि दसवीं से पहले नवीं तारीख़ का रोज़ा भी रखो। (इफ़ादात इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.).

(2446) हकम बिन आरज बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आप मस्जिदे हराम में अपनी चादर का तकिया बनाये हूये थे। मैंने उनसे आशूरा ए मुहर्रम के रोज़े के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो शुमार करो, जब नवीं तारीख़ हो तो रोज़ा रखो।' मैंने कहा: क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे? उन्होंने कहा: मुहम्मद (ﷺ) ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلاَبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، - جَمِيعًا الْمَعْنَى - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا . فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فَقَالَ كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ

(2446) तख़रीज : मुस्लिम: 1133.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अमलन तो नवीं तारीख़ का रोज़ा नहीं रखा मगर आपका अज़्म (इरादा) यही था। इसी पर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कह दिया कि मुहम्मद (ﷺ) ऐसे ही क्या करते थे। और मतलूब भी यही है कि नवीं दसवीं या दसवीं ग्यारहवीं का रोज़ा रखा जाये।

बाब : 67
सौमे आशूरा की फ़ज़ीलत

﴾67﴿
باب فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .

(2447) अ़ब्दुर्रहमान बिन मस्लमा अपने चचा से रिवायत करते हैं कि क़बील-ए-असलम के लोग नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो आपने उनसे पूछा: 'क्या तुमने आज का रोज़ा रखा है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो बक़िया दिन को बतौर रोज़ा के पूरा करो और उसकी क़ज़ा करना।'
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इससे मुराद आ़शूरा का दिन था।

(2447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/409, नसाई: 2751, 2852.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। स़ही मुस्लिम में इस मअ़ना की हदीस़ मौजूद है मगर इसमें क़ज़ा करने का ज़िक्र नहीं है। (स़ही मुस्लिम: 1135, 1136) इसलिए क़ज़ा करने वाली बात स़ही नहीं।

बाब : 68
एक दिन रोज़ा रखने और एक दिन इफ़्तार करने की फ़ज़ीलत

﴾68﴿
باب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، - وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2448) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा रोज़े, हज़रत दाऊद (अ़लैहि.) के हैं, और सबसे पसन्दीदा

بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا " .

नमाज़, अल्लाह तआला के यहां दाऊद (अलैहि.) की नमाज़ है, वह आधी रात सोते, फिर तिहाई रात क़याम करते और फिर उसका छठा हिस्सा सोते थे, और वह एक दिन इफ़्तार और एक दिन रोज़ा रखा करते थे।'

(2448) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1131, मुसनद अहमद: 2/160, व मुस्लिम: 1159.

फ़ायदा : रात की नमाज़ की ये कैफ़ियत इन्तेहाई मुनासिब है। इसमें अल्लाह की हक़ की अदायगी के साथ साथ हक़्क़े नफ़्स का भी लिहाज़ है। जैसे अगर रात को आठ घण्टे की समझा जाये तो पहले चार घण्टे नींद हूई, फिर दो घण्टे चालीस मिनट तहज्जुद। उसके बाद फिर एक घण्टा बीस मिनट के लिए नींद और राहत है। ऐसे ही रोज़े में है। इस फ़ज़ीलत के साथ साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तल्क़ीन व तौजीह अफ़ज़ल व आला है।

﴿69﴾ بَابٌ فِي صَوْمِ الثَّلاَثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

बाब : 69
हर महीने में तीन रोज़े रखने की तरगीब व फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَخِي مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ وَقَالَ " هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ "

(2449) इब्ने मिलहान क़ैसी (अब्दुल मलिक बिन क़तादा) अपने वालिद (क़तादा बिन मिलहान (رضي الله عنه)) से बयान करते हैं, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमसे फ़रमाया करते थे कि हम अय्यामे बीज़ यानी तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखा करें। आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ये रोज़े ऐसे हैं गोया सारे ज़माने के रोज़े।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2434, इब्ने सअद अत्तबक़ात: 7/43, इब्ने माजा, हदीस़: 1707, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1946.

फ़ायदा : तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के दिनों को अय्यामे बीज़ (सफ़ेद रातों के दिन) इस लिहाज़

से कहा जाता है कि इन रातों में चाँद तक़रीबन सारी रात चमकता है। इन दिनों के रोज़ों में तफाउल ये है कि जिस तरह इन रातों का अंधेरा उजाले से बदला हूआ होता है ऐसे ही अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल रोज़ेदार की स्याहकारियों को सफ़ेदी और चमक से बदल देगा। और नबी (ﷺ) का ये हुक्म तरग़ीब व तशवीक़ के मानी में है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ - يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

(2450) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने की इब्तेदा में तीन दिन रोज़े रखा करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 742.

फ़ायदा : अय्यामे बीज़ की फ़ज़ीलत स़ाबित है। और नबी (ﷺ) कभी–कभी बिला ताईन व तख़्सीस़ तीन रोज़े रखा करते थे ताकि वजूब न समझा जाये। इस तरह कुछ दफ़ा आप महीने की इब्तेदा में तीन रोज़े रखते। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) के इल्म में आपके यही इब्तेदाई दिन आये, चूनांचे उन्होंने इसके मुताबिक़ बयान कर दिया। और हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) के इल्म में आपके अय्यामे बीज़ के रोज़े थे जो आप अक्स़र रखा करते थे तो हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने इसके मुताबिक़ बयान कर दिया। इसलिए इन दोनों के दरम्यान कोई मनाफ़ात (डिस्पुट) नहीं है।

(70) باب مَنْ قَالَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

बाब : 70
सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى .

(2451) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) महीने में तीन रोज़े रखा करते थे। (पहले) सोमवार और जुमेरात को और अगले हफ़्ते में (दूसरे) सोमवार को।' (इस तरह कुल तीन रोज़े हो जाते हैं)

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 2368.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

(2452) हुनैदा ख़ुज़ाई अपनी वालिदा से बयान करते हैं, उनका कहना है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की ख़िदमत में हाज़िर हूई और उनसे रोज़ों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे इरशाद फ़रमाया करते थे कि मैं हर महीने में तीन रोज़े रख लिया करूँ। इनमें पहला सोमवार का हो और (दूसरा) जुमेरात का।

(2452) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2437, मुसनद अहमद, 6/289, नसाई, 2421.

﴾71﴿ باب مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

बाब : 71
महीने में किसी भी वक़्त रोज़ा रख लेने की रूख़सत है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ مِنْ أَىِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ .

(2453) मुआज़ह (अल अदविया) कहती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने में तीन रोज़े रखा करते थे? उन्होंने कहा: हाँ। मैंने कहा: महीने की किन तारीख़ों या दिनों को आप (ﷺ) रोज़े रखा करते थे, उन्होंने कहा: आप (ﷺ) तारीखें या दिनों की परवाह न करते थे। (कोई ख़ास अय्याम (दिन) मुक़र्रर न थे जब चाहते रोज़ा रख लिया करते)

(2453) तख़रीज : मुस्लिम: 1160.

फ़ायदा : गुज़िश्ता अबवाब में अकेले जुमे या हफ़्ते के दिन की तख़सीस की मुमानिअत का बयान गुज़र चुका है, लिहाज़ा उनका ख़्याल रखना होगा।

बाब : 72
रोज़े के लिये नियत का बयान

﴿72﴾ باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

(2454) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस शख़्स ने फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत न की तो उसका रोज़ा दुरूस्त न होगा।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये रिवायत इमाम लैस़ और इस्हाक़ बिन हाज़िम ने भी अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से इसी के मिस्ल मरफ़ूअन रिवायत की है और मअमर ज़ुबैदी, इबने उ़यय्ना और यूनुस अल ऐली बवास्ता ज़ोहरी हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) से मौक़ूफ़न रिवायत करते हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 730, नसाई, हदीस़: 2333, इब्ने माजा, हदीस़: 1700.

फ़ायदा : फ़र्ज़ रोज़ों में फ़ज्र से पहले नियत कर लेना, ज़रूरी है और अफ़ज़ल ये है कि हर हर रोज़े की नियत अलग से की जाये मगर ख़्याल रहे कि 'नियत दिल के अ़ज़्म व इरादा' का नाम है। इन इबादात में नबी (ﷺ) से या उनके बाद स़हाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) से लफ़्ज़ी नियत का कोई स़बूत नहीं है, लफ़्ज़ी नियत का एहतमाम बिदअ़त है।

बाब : 73
नफ़्ली रोज़े में नियत में ताख़ीर मुबाह है

﴿73﴾ باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

(2455) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मेरे यहां तशरीफ़ लाते तो दरयाफ़्त

جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . فَإِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ " إِنِّي صَائِمٌ " . زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ . فَقَالَ " أَدْنِيهِ " . قَالَ طَلْحَةُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ

फ़रमाते: 'क्या तुम्हारे यहां कोई खाना है?' जब हम कहते कि नहीं है, तो आप फ़रमाते: 'मैं रोज़ा रख लेता हूं।' वकीअ ने मज़ीद बयान किया कि आप (ﷺ) एक दूसरे मौक़े पर हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमने अ़र्ज़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल! हमें हैस (एक ख़ास़ अ़रबी तआम) का हदिया भेजा गया है जो हमने आपके लिये संभाल रखा है। आपने फ़रमाया: 'इधर ले आओ।' तलहा ने वज़ाहत की कि आपने सुबह को रोज़े की नियत की थी मगर इफ़्तार कर लिया।

(2455) तख़रीज : मुस्लिम: 1154.

फ़ायदा : नफ़्ली रोज़े में ये रूख़्सत है कि इसकी नियत फ़ज्र के बाद कुछ के नज़दीक ज़वाल से पहले तक हो सकती है। ऐसे ही अगर किसी ने नफ़्ली रोज़े की नियत कर रखी हो तो किसी माक़ूल उ़ज्र की बिना पर इफ़्तार कर सकता है। इसकी क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً . فَقَالَ لَهَا " أَكُنْتِ

(2456) हज़रत उम्मे हानी (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि फ़तहे मक्का के दिन हज़रत फ़ातिमा (رضي الله عنها) तशरीफ़ लायीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बायीं तरफ़ बैठ गयीं और उम्मे हानी (رضي الله عنها) आपकी दायीं तरफ़ थीं। बयान करती हैं कि ख़ादिमा एक बर्तन लेकर आई, उसमें मशरूब (पीने का कोई सामान) था, उसने वह नबी (ﷺ) को दिया तो आपने इसमें से नोश फ़रमाया और फिर उम्मे हानी को दे दिया तो उन्होंने भी इससे पी लिया और बोली: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने रोज़ा रखा हूआ था और तोड़ लिया है। आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या ये क़ज़ा का रोज़ा था?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया:

تَقْضِينَ شَيْئًا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا " .

'अगर ये नफ़्ली था तो कोई हर्ज नहीं।'

(2456) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 1743, तिर्मिज़ी, 731, 732.

﴿74﴾ بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

बाब : 74
नफ़्ली रोज़ा तोड़ लिया हो तो उसकी क़ज़ा का मसला

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ " .

(2457) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि मुझे और हफ़्सा को कोई खाना हदिया भेजा गया जबकि हमने रोज़ा रखा हूआ था, पस हमने रोज़ा तोड़ लिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये और हमने उनसे अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें हदिया दिया गया था और हमारा खाने को दिल चाहा तो हमने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं, इसकी बजाये एक रोज़ा रख लेना।'

अबू सईद बिन अलआ़राबी कहते हैं कि ये रिवायत स़ाबित नहीं है।

(2457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर तम्हीद: 12/71.

फ़ायदा : नफ़्ली रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं है अगर रखे तो मुस्तहब है। ताहम इस तरह के अ़मल को अपनी आ़दत नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाली रिवायत ज़ईफ़ है।

बाब : 75
औरत को दुरूस्त नहीं कि शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर नफ़्ली रोज़ा रखे

﴿75﴾ باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

(2458) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरत को रवा नहीं कि शौहर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रखे मगर ये कि रमज़ान के रोज़े हों। और ऐसे ही रवा नहीं कि शौहर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में आने दे।'

(2458) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5192, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7886, व मुस्लिम: 1026.

फ़ायदा : रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के बीच ताल्लुक़ाते जिन्सिया क़ायम नहीं हो सकते। इसके अलावा भूख प्यास की वजह से तबीअत में गिरानी सी भी आ जाती है और ऐन फ़ितरी बात है कि शौहर बिलउमूम ऐसी कैफ़ियत गवारा नहीं करते और उसके नताइज ना मुनासिब हो सकते हैं। इसलिए शरीअत ने इनके ताल्लूक़ात में मामूली क्लेश आने की भी इजाजत नहीं दी और औरत को पाबन्द किया है कि नफ़्ली रोज़े के लिये शौहर की इजाज़त हासिल करे। और ये भी मालूम हूआ कि बीवी को शौहर की तस्कीन के लिये इन्तेहाई हस्सास और ज़िम्मेदार होना चाहिए, ये बातें महज़ नफ़्सयाती नहीं बल्कि शरई भी हैं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا

(2459) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि एक ख़ातून नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूई जबकि हम भी आपके पास ही थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा शौहर सफ़वान बिन मुअत्तल जब मैं नमाज़ पढ़ती हूं तो मुझे मारता है और जब

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا . قَالَ فَقَالَ " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ " . وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ " لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " . قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ.

रोज़ा रखती हूं तो तुड़वा देता है और ख़ुद फ़ज्र की नमाज़ सूरज चढ़े पढ़ता है। स़फ़वान भी वहीं थे। चूनांचे आपने उनसे जो कुछ औरत ने कहा था उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका ये कहना कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूं तो ये मारता है। ये दरअस़ल दो दो सूरतें पढ़ती है और मैंने इसको इस (लम्बी) क़िराअत से रोका है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर एक सूरत की क़िराअत हो तो भी लोगों को काफ़ी है।' और इसका ये कहना कि ये मेरा रोज़ा तुड़वा देता है तो इसकी हालत ये है कि ये रोज़े ही रखे जाती है और मैं जवान आदमी हूं, स़ब्र नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस शिकायत पर फ़रमाया: 'कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा न रखे।' और उसका ये कहना कि मैं सूरज चढ़े नमाज़ पढ़ता हूं, तो हक़ीक़त ये है कि हमारा घराना इस बात में मारूफ़ है और हम लोग सूरज निकलने से पहले उठ ही नहीं सकते। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब जागा करो तो नमाज़ पढ़ लिया करो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस रिवायत को हम्माद बिन सलमा ने हुमैद या स़ाबित से, उन्होंने अबी अल मुतवक्किल से बयान किया है।

(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/80, इब्ने माजा, हदीस़: 1762, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 956, हाकिम: 1/436.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरबीयत व तज़किया से मर्दों के अ़लावा ख़्वातीन भी

बहरावर थीं और इनमें आख़िरत की रग़बत इस क़द्र बढ़ गई थी कि इस तरह की शिकायत सामने आई जो इस हदीस़ में बयान हूई है। अफसोस है उन लोगों पर जो इस तरह की मुक़द्दस हस्तियों के ईमान को मशकूक गरदांते हैं। (2) शौहर को हक़ है कि बिला तख़्सीसे वक़्त अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, गोया हुक़ूक़े हमबिस्तरी उसकी मिल्कियत हैं, बीवी किसी तरह इन्कार नहीं कर सकती इल्ला ये कि उज़्रे शरई माक़ूल हो, बल्कि इन्कार पर मुनासिब सज़ा भी मुबाह है। (3) सूरह फ़ातिहा के बाद मुख़्तसर क़िराअत से भी नमाज़ कामिल होती है। (4) औरत को इस क़द्र लम्बी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि शौहर उसके इन्तेज़ार में पेच व ताब खाता रहे। (5) बीवी को नफ़्ली रोज़े शौहर की इजाज़त के बग़ैर नहीं रखने चाहिए। कुछ औक़ात ये इजाज़त मैलाने तबअ़ से भी समझी जा सकती है। (6) जनाब स़फ़वान बिन मुअत्तल (रज़ि.) जलीलुल क़द्र स़हाबा में से थे। उनका ज़िक्र हज़रत आयशा (रज़ि.) के मुताल्लिक़ वाक़िय–ए–इफ़्क में भी आता है। उनका सूरज चढ़े नमाज़ पढ़ना तो वाक़ेअतन बाद अज़ तुलूअ होता था या मुराद है कि बिल्कुल आख़री वक़्त में पढ़ते थे कि सूरज निकलने वाला होता। और इसका सबब उन्होंने बयान किया है कि ये गोया ख़ानदानी आदत सी थी कि ये लोग नींद के मतवाले थे अगर कोई जगाने वाला न होता तो ख़ूद से जाग न सकते थे। एक उज़्र ये भी बयान हूआ कि ये लोग रात को देर तक पानी ढोते थे और देर से सोने की वजह से सुबह बर वक़्त जाग न सकते थे। बहरहाल अगर उज़्र मअक़ूल हो तो शरअन क़बूल है कि सोने वाले पर मुवाख़ज़ह नहीं, ऐसी सूरत में जब जाग जाये फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले। इससे सुबह देर से उठकर नमाज़ पढ़ने के मामूल को जवाज़ बनाने पर इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हज़रत स़फ़वान(रज़ि.) को ये इजाज़त तो नबी (सल्ल.) ने दी थी, जिनको इस क़िस्म की सूरते हाल में बज़रिया वही मुत्तला (बा'ख़बर) कर दिया जाता था। इसलिए हज़रत स़फ़वान का उज़्र तो अक़्लमंदी समझ लिया गया, लेकिन हम अपने तसाहुल (सुस्ती) को भी इसी तरह का 'मअक़ूल उज़्र' समझ लें, तो इसमें कोई माक़ूलियत नहीं होगी।

बाब : 76
रोज़ेदार को अगर वलीमे की दावत मिले तो ...?

(76) باب فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

(2460) **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को खाने की दावत मिले तो चाहिए कि क़बूल कर ले, अगर रोज़े से न हो तो खाना खा ले और अगर रोज़ा रखा हूआ हो तो (मजलिस में हाज़िर हो और दावत देने**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ

مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ " . قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ .

वाले के लिये) दुआ करे।'
हिशाम बिन हस्सान ने वज़ाहत की कि इस हदीस़ में 'स़लात' के मअना दुआ करना हैं।
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस़ को हफ़्स बिन ग़ियास़ ने भी हिशाम से रिवायत किया है।
(2460) तख़रीज : मुस्लिम: 1150.

फ़ायदा : मुसलमानों को मौक़े ब मौक़े आपस में दावतों का एहतिमाम करते रहना चाहिए, इससे आपस के तअल्लूक़ात मज़बूत होते और मोहब्बतें बढ़ती हैं। रोज़ेदार भी दावत में शरीक हो और उनके लिये दुआ करे। अगर रोज़ा नफ़्ली हो तो तोड़ना भी जायज़ है।

(77) بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

बाब : 77 रोज़ेदार खाने की दावत में क्या कहे?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " .

(2461) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को खाने में बुलाया जाये और उसने रोज़ा रखा हूआ हो तो कह दे कि मैं रोज़े से हूं।'
(2461) तख़रीज : मुस्लिम: 1172.

फ़ायदा : खाने की दावत में शरीक होना अफ़ज़ल है। ताहम अगर उ़ज़्र करे और बता दे कि मैं रोज़े से हूं तो भी जायज़ है। या ये मफ़हूम भी है कि अहले मज्लिस को अपने रोज़े की ख़बर दे तो कोई ऐब की बात नहीं।

(78) بَابُ الاِعْتِكَافِ

बाब : 78 एतकाफ़ के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ

(2462) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक के आख़री दहाई (दस दिन) में एतकाफ़ किया करते थे, आख़िर

الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

हयात तक आपका ये मामूल रहा, आपके बाद फिर आपकी अज़वाजे मुतहहरात भी एतकाफ़ बैठा करती थीं।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2026, व मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐतकाफ़ के लुगवी (डिक्शनरी) मानी हैं : 'किसी चीज़ के साथ पाबन्द हो जाना या कहीं बंद रहना।' और शरई इस्तेलाह में: रब्बे ज़ूलजलाल की इबादत के लिये इन्सान का अपने आपको किसी मस्जिद में पाबन्द कर लेना, एतकाफ़ कहलाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़मल से इसका मशरूअ़, मसनून और मुस्तहब होना स़ाबित है। क़ुर्आन मजीद में भी इसका ज़िक्र आया है। 'हमने इब्राहीम और इस्माईल (अ़लैहि.) को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों और रूकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो।' (अल बक़र: 125) दूसरी आयत में फ़रमाया: 'और जब तक तुम मसाजिद में एतकाफ़ किये हूए हो, औ़रतों से मिलाप न करो।' (अल बक़र: 187) कुछ लोग समझते हैं कि बस्ती वालों में से कोई न कोई ज़रूर एतकाफ़ बैठे, ये महज़ वहम है। इसकी कोई शरई अस़लियत नहीं है। जब तक कोई अपने ऊपर लाज़िम न कर ले, ये वाजिब नहीं होता। **(2)** ख़्वातीन भी एतकाफ़ कर सकती हैं बशर्तेकि शौहर इजाज़त दे। और औ़रत के लिये भी एतकाफ़ की जगह मस्जिद ही है, न कि घर। ताहम ये ज़रूरी है कि औ़रतों के लिये मस्जिद में परदे और हिफ़ाज़त का ख़ातिर ख़्वाह इन्तेज़ाम हो। जिस मस्जिद में ऐसा इन्तेज़ाम न हो, वहां औ़रतों का एतकाफ़ बैठना भी स़ही नहीं है। इसी तरह घरों में एतकाफ़ बैठना भी ग़ैर स़ही है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً .

(2463) हज़रत उबय बिन कअ़ब (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान का आख़री अ़शरा एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। एक साल आप एतकाफ़ न बैठ सके तो अगले साल आपने बीस रात तक एतकाफ़ फ़रमाया।

(2463) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1770, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 2225, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 917, हाकिम: 1/439.

फ़ायदा : नफ़ल आ़माल की क़ज़ा वाजिब तो नहीं है मगर क़ज़ा अदा करने में बहुत अज्र व फ़ज़ीलत है। बिलख़ुसूस़ नबी (ﷺ) इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ . قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ . قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ فَقَالَ " مَا هَذِهِ آلْبِرَّ تُرِدْنَ " . قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ .

(2464) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब एतकाफ़ का इरादा फ़रमाते तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर अपने हुज़रह एतकाफ़ में दाख़िल हो जाते। एक बार आपने रमज़ान के आख़री दह (दस दिन) में एतकाफ़ का इरादा फ़रमाया और हुजरह बनाने का हुक्म दिया तो वह बना दिया गया जब मैंने ये देखा तो मैंने कह दिया कि मेरा ख़ैमा भी लगा दिया जाये। चूनांचे वह लगा दिया गया और फिर दीगर अज़वाजे नबी (ﷺ) ने भी (देखा देखी) ख़ैमे लगाने को कहा। चूनांचे वह लगा दिये गये। आपने नमाज़े फ़ज्र के बाद ख़ैमों को देखा तो फ़रमाया: 'ये क्या है, भला ये नेकी का क़सद कर रही हैं?' चूनांचे आपने अपने हुजरे के मुताल्लिक़ फ़रमाया और उसे खोल दिया गया, उस पर अज़वाजे मुतह्हरात ने भी अपने अपने ख़ैमे खुलवा लिये। फिर आप (ﷺ) ने अपना ये एतकाफ़ शव्वाल के पहले अशरा तक मुअख़्ख़र फ़रमा दिया।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस़ को इब्ने इस्हाक़ और ओज़ाई ने यहया बिन सईद से इसी तरह रिवायत किया है जब कि इमाम मालिक (रह.) ने यहया बिन सईद से रिवायत किया तो कहा: आप (ﷺ) ने शव्वाल के बीस दिन एतकाफ़ किया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2033, व मुस्लिम: 1173.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एतकाफ़ के लिये हुजरा बनाना इसलिए मुस्तहब है कि मोतकिफ़ उस जगह में दीगर लोगों से अलग होकर नवाफ़िल, तिलावते क़ुर्आने करीम और अज़कार वग़ैरह में मशग़ूल रहे। ये लोगों के साथ बिला ज़रूरत इख़्तिलातन करे, न दूसरे ही उसको मशग़ूल करें। (2) ख़्वातीन को भी मसाजिद में एतकाफ़ करना चाहिए। घरों में एतकाफ़ करना किताबो सुन्नत से साबित नहीं है। घर में मक़ामे इबादत को इस्तलाहन मस्जिद नहीं कहा जा सकता और न उस पर मारूफ़ मस्जिद वाले अहकाम ही मुन्तबिक़ होते हैं। (3) आमाले ख़ैर में बुनियादी तौर पर इख़्लास और अल्लाह तआला ही की रज़ा मक़सूद होनी चाहिए। अज़वाजे मुतह्हरात के पिछले अमल में रश्क का पहलू ग़ालिब था जो अगरचे आम अफ़रादे उम्मत के लिये तो महमूद है मगर अज़वाजे नबी (ﷺ) का मक़ाम उनसे बालातर है। इसलिए नबी (ﷺ) ने पसन्द नहीं फ़रमाया और यही मानी हैं इस मारूफ़ क़ौल के कि (हस्नातुल अबरारि सय्यिआतुल मुक़र्रिबीन) यानी आम सालेहीन के आम सालेह आमाल कुछ औक़ात मुक़र्रब लोगों के हक़ में ऐब और तक़सीर शुमार किये जाते हैं। (4) शौहर अगर राज़ी न हो तो औरत को अपना एतकाफ़ ख़त्म कर देना चाहिए। (5) फ़ौत शुदा या तोड़े गये एतकाफ़ की क़ज़ा देना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। जैसे कि अज़वाजे मुतह्हरात के मुताल्लिक़ इस क़िस्म का कोई बयान नहीं है कि उनसे इस एतकाफ़ की क़ज़ा करवाई गई थी। (6) ग़ैर रमज़ान में एतकाफ़ के दौरान में रोज़ा शर्त नहीं है। (7) एतकाफ़ का आग़ाज़ कब से करना है? अहादीस में इसकी सराहत नहीं है। इस हदीस में सिर्फ़ ये है कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर हुजरे एतकाफ़ में दाख़िल होते। दूसरी रिवायात में है कि आप रमज़ान का आख़री अशरा एतकाफ़ फ़रमाते थे। इस एतबार से अक्सर उलमा ये कहते हैं कि मोतकिफ़ 20 रमज़ान को मग़रिब से पहले पहले मस्जिद में आ जाये, रात मस्जिद में गुज़ारे और फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर हुजरा एतकाफ में दाख़िल हो जाये। इस तरह करने से उसका रमज़ान का आख़री अशरा एतकाफ़ के साथ गुज़रेगा और पिछली दोनों रिवायतों पर अमल हो जायेगा। इसके बरअक्स कुछ लोग कहते हैं कि बीसवीं रमज़ान को फ़ज्र की नमाज़ के बाद एतकाफ़ का आग़ाज किया जाये, क्योंकि हदीस में आपके नमाज़े फ़ज्र के बाद हुजरे एतकाफ़ में दाख़िल होने की सराहत है। लेकिन इस तरह 30 रमज़ान होने की सूरत में एतकाफ़ के 11 दिन बन जाते हैं जिसे अशरा क़रार नहीं दिया जा सकता, जब कि नबी (ﷺ) का अमल, अशरा ख़ैर के एतकाफ़ का मनक़ूल है, इसलिए पहली राय ही राजेह और सही है। वल्लाहू आलम!

बाब : 79
एतकाफ़ कहाँ होना चाहिए?

﴾79﴿
باب أَيْنَ يَكُونُ الاِعْتِكَافُ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ .

(2465) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) रमज़ान का आख़री अशरा एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। नाफ़े कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझे मस्जिदे नबवी में वह जगह दिखाई जहां रसूलुल्लाह (ﷺ) एतकाफ़ फ़रमाया करते थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2025, व मुस्लिम; 1171.

फ़ायदा : एतकाफ़ के लिये मस्जिद ही मशरूअ व मसनून मक़ाम है जैसे कि क़ुर्आन मजीद ने ज़िक्र किया है: 'और जब तक तुम मसाजिद में एतकाफ़ किये हूए हो तो औरतों से मिलाप न करो।' (अल बक़र: 187)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

(2466) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर रमज़ान के आख़री दस दिन एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। चूनांचे जिस साल आपका विसाल हूआ आपने बीस दिन एतकाफ़ फ़रमाया।

(2466) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2044.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि वस्त रमज़ान में भी एतकाफ़ हो सकता है। शायद नबी (ﷺ) को आख़री वक़्त का इल्म हो गया था इसलिए आप इबादत में बहुत हरीस़ हो गये थे। इस रमज़ान में जिब्राईल अमीन (अलैहि.) ने भी आपके साथ क़ुर्आन मजीद का दो बार दौर किया था।

बाब : 80
मोतकिफ़ अपनी ज़रूरी हाजत के लिये घर जा सकता है

﴾80﴿ باب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ

(2467) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एतकाफ के दौरान में अपना सर मुबारक मेरी तरफ़ झुका देते और मैं उसमें कंघी कर देती और आप क़ज़ा ए हाजत के लिये घर में तशरीफ़ लाया करते थे।

तख़रीज : मौता, हदीस़: 1/312, व मुस्लिम: 297.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एतकाफ़ के बीच में बीवी अपने शौहर की ख़िदमत कर सकती है ख़्वाह हायज़ा भी हो। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2031) मगर उ़मर के लिहाज़ से एहतियात लाज़िम है। **(2)** रोज़े और एतकाफ़ में जिस्म व लिबास की नज़ाफ़त का एहतिमाम रखना चाहिए। **(3)** क़ज़ा ए हाजत के लिये इन्सान अपने मोतकफ़ (एतक़ाफ़ करने की जगह) और मस्जिद से बाहर या अपने घर भी जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई ख़ादिम मयस्सर न हो तो खाना खाने के लिये जाना भी मुबाह होगा। **(4)** इस हदीस़ की सनद में अ़न उ़र्वा के बाद अ़न अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान 'अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिस्सनद' की क़िस्म से है। (बज़्लूल मज्हूद)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ

(2468) इब्ने शिहाब ज़ोहरी बवास्ता उ़र्वा अ़म्र हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से और वह नबी (ﷺ) से पिछली हदीस़ की मानिन्द रिवायत करती हैं।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं और ऐसे ही यूनुस ने भी ज़ोहरी से रिवायत किया है। और किसी ने उ़र्वा अ़न अ़म्र की सनद में मालिक की मुताबअ़त नहीं की है। मअ़मर और ज़ियाद बिन सईद वग़ैरह

مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

ज़ोहरी अन उ़र्वा अन आयशा की सनद से रिवायत करते हैं।

(2468) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2029.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ . وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(2469) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में एतकाफ़ में होते, आप हुजरे में से अपना सर मेरी तरफ़ कर देते और मैं आपका सर धो देती।

मुसद्दद के अल्फ़ाज़ हैं: मैं आपकी कंघी कर देती जबकि मैं हायज़ा होती।

(2469) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 295, 2030, 5925, व मुस्लिम, हदीस़: 297.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " . قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ

(2470) उम्मुल मोमिनीन हज़रत स़फ़िया (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एतकाफ़ में थे और मैं रात के वक़्त आपकी ज़ियारत के लिये हाज़िर हूई। मैं आपसे बातें करती रही, फिर मैं वापस आने के लिये उठी तो आप भी मुझे वापस छोड़ने के लिये खड़े हो गये जबकि मेरी रिहाइश हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) के अहाते में थी। तो (हमारे पास से) दो अन्स़ारी गुज़रे, जब उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा तो वह जल्दी जल्दी चलने लगे, नबी (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'रूक जाओ! ये मेरे साथ (मेरी अहलिया) सफ़िया बिन्ते हुई है।' उन दोनों ने कहा: सुब्हान अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल! (आपको किसी क़िस्म की वज़ाहत करने की ज़रूरत ही नहीं) आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा शैतान इन्सान के जिस्म में ऐसे

الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا " . أَوْ قَالَ " شَرًّا " .

चलता है जैसे ख़ून, मुझे अन्देशा हूआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे।' या फ़रमाया: 'बुराई न डाल दे।'

(2470) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3281, व मुस्लिम: 2175.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ . وَسَاقَ مَعْنَاهُ .

(2471) शुऐब, ज़ोहरी से उनकी सनद से ये रिवायत बयान करते हैं ... (हज़रत स़फ़िया बयान करती हैं कि) जब आप मस्जिद के दरवाज़े के क़रीब पहुँचे जो कि हज़रत उम्मे सलमा (﵂) के घर के दरवाज़े के पास था तो आपके पास से दो आदमी गुज़रे। और पिछली (हदीस़) के हम मानी बयान किया।

(2471) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2035.

फ़वाइद व मसाइल: (1) बीवी और दीगर ताल्लूक़दारों को मोतकिफ़ से मुलाक़ात करने में कोई हर्ज नहीं। और ज़ाहिर है कि ये मुलाक़ातें एक हद तक होनी चाहिए और इस बीच में ज़रूरी गुफ़्तगू भी हो सकती है। **(2)** हज़रत स़फ़िया (﵂) की नबी (ﷺ) से हालते एतकाफ़ में मुलाक़ात का ये वाक़िया स़ही बुख़ारी (हदीस़: 2035) में भी है। इसमें स़राहत है कि हज़रत स़फ़िया (ज़ोजा, मुतह्हरह) का घर मस्जिद के दरवाज़े से मुत्तस़िल ही था, इसलिए रूख़्सत के वक़्त नबी (ﷺ) मस्जिद के दरवाज़े तक उनके साथ मोतकफ़ से बाहर आये। इसलिये इस वाक़िये से ये इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है कि मोतकिफ़ बीवी को घर तक छोड़ने के लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। हां बाथरूम वग़ैरह का इन्तेज़ाम मस्जिद के अन्दर न हो तो बात और है। उनके लिये बाहर जाना मजबूरी के तहत जायज़ होगा। **(3)** इन्सान को बिलउमूम और हस्सास मनास़िब पर फ़ायज़ शख़्सीयत के लिये बिलख़ुसूस ज़रूरी है कि अपने आपको हर तरह के शुब्हों से पाक रखें। और किसी होने वाला शुब्हा का होने से पहले ख़त्म कर देना ज़्यादा बेहतर होता है।

बाब : 81
मोतकिफ़ किसी मरीज़ की ऐयादत वग़ैरह के लिये जाये (या नहीं ?)

﴾81﴿
باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

(2472) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अय्यामे एतकाफ़ (के दौरान) में मरीज़ के पास से गुज़रते और अपनी राह चलते जाते और उसका हाल अहवाल पूछते मगर इस ग़र्ज़ से उसकी तरफ़ मुड़ते न थे। और इब्ने ईसा ने कहा कि आयशा(ﷺ) ने कहा: नबी (ﷺ) एतकाफ़ की हालत में मरीज़ की एयादत कर लेते थे।

(2472) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/321, हदीस: 132, 1006.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - قَالَ النُّفَيْلِيُّ - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . وَقَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ .

(2473) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मोतकिफ़ के लिये सुन्नत ये है कि मरीज़ की एयादत को न जाये, जनाज़े में शरीक न हो, औरत से मस न करे और न उससे मुबाशरत (सोहबत) करे और किसी इन्तेहाई ज़रूरी काम के बग़ैर मस्जिद से न निकले। और रोज़े के बग़ैर एतकाफ़ नहीं और मस्जिदे जामेअ के अलावा कहीं एतकाफ़ नहीं।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ

وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لاَ يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ .

इस्हाक़ के अलावा किसी ने 'अस्सुन्नत' के लफ़्ज़ नहीं कहे। और उन्होंने इसे हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का क़ौल क़रार दिया है।

(2473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 2/201, हदीस़: 2338, मौता: 1/312.

फ़ायदा : इस बाब की पिछली रिवायात ज़ईफ़ हैं। इसलिए इसमें बयान करदा वही बातें स़ही हैं जो दीगर स़ही रिवायात से स़ाबित हैं और दीगर बातें ग़ैर स़ही हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، - رضى الله عنه - جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اعْتَكِفْ وَصُمْ ".

(2474) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने ज़माने जाहिलीयत में ये नज़र मानी थी कि काबा में एक रात या दिन का एतकाफ़ करूंगा। पस उन्होंने इसके मुताल्लिक़ नबी (ﷺ) से दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: 'एतकाफ़ करो और रोज़ा (भी) रखो।'

(2474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 3355, दारकुतनी, 2/200, 201.

फ़ायदा : इस रिवायत में 'दिन' का ज़िक्र और 'रोज़ा भी रखो' का बयान स़ही नहीं है। क्योंकि ये रिवायत स़ही बुख़ारी में है, इसमें दिन का और रोज़ा रखने के हुक्म का ज़िक्र नहीं है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2033) बहरहाल नेकी के काम की नज़र ख़्वाह जाहिलीयत के दौर में मानी गई हो, पूरी करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ

(2475) अ़ब्दुल्लाह बिन बुदेल ने (यही रिवायत) अपनी सनद से इसी की मानिन्द रिवायत की। इसमें इज़ाफ़ा है कि हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) एतकाफ़ में थे कि लोगों ने यकायक तकबीर बलन्द की। उन्होंने पूछा: ऐ अ़ब्दुल्लाह (इब्ने उ़मर)! ये क्या है? उन्होंने बताया कि हवाज़िन के क़ैदियों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आज़ाद कर दिया है।

سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ . فَأَرْسَلَهَا مَعَهُمْ .

उन्होंने कहा: तो उस लौण्डी को भी (जो सय्यदना उमर (ﷺ) के पास थी) उनके साथ छोड़ दो।

(2475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) जस़ास अहकामुल क़ुर्आन: 1/206.

फ़ायदा : एतकाफ़ के दौरान स़दक़ा व ख़ैरात और इस तरह का माली तस़र्रुफ़ बाइस़े अज्र है।

﴾82﴿
باب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

बाब : 82
इस्तेहाज़ा वाली एतकाफ़ कर सकती है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .

(2476) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवियों में से एक ने आपके साथ एतकाफ़ किया। उसे ज़रदी मायल या सुर्ख़ सा ख़ून आता था। (इस्तेहाज़ा की वजह से) तो हम कभी उसके नीचे लगन भी रख दिया करते थे और वह नमाज़ पढ़ा करती थीं।

(2476) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2037.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्तेहाज़ा के अय्याम हुक्मन पाकीज़गी के दिन होते हैं और उनमें नमाज़, रोज़ा और एतकाफ़ वग़ैरह सब उमूर स़ही हैं मगर लाज़मी है कि मस्जिद को आलूदा होने से बचाया जाये। **(2)** इस पर क़यास करते हूए दाइमुल हदस़ (जिसका वुज़ू बरक़रार न रहता हो) का भी यही हुक्म होगा। यानी हदस़ की हालत में उसके लिये नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा, और वह शख़्स़ भी इसी हुक्म में होगा जिसके ज़ख़्म से ख़ून रिस रहा हो।

मिलने के पते

अलकिताब इन्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली 011-26986973

मकताबा तर्जुमान

4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 011-23273407

अल हिरा पब्लिकेशन,

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)
70004-11352, 98273-97772

मोहम्मद अब्बास

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503
सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, 070148-98515
सीकर (राज.)

नईम कुरैशी

2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82091-64214

मकतबा अस्सुन्नह

मुम्बई 08097-44448

दारूल इल्म

नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 23082231

शैख़ सुहैल सल्फ़ी

मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 094519-15874

आई. आई. सी.

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार,
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-17111

मकतबा अलफहीम

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-2222013

नसीम खलीली

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़
आगरा, (यू.पी.) 084497-10271

अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09414-920119

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली,

मर्कजी जामा मस्जिद अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
93143-66303

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि रहमान निर्रहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

